

OVERVIEW

The Authority has pleasure in presenting the Third Annual Report of the Authority in terms of Section 20 of the IRDA Act, 1999. The Report encapsulates the performance of the Authority during the year 2002-03, including inter-alia, the efforts aimed at the promotion and the development of the insurance business in the country. The ensuing paragraphs briefly cover the activities of the Authority during the financial year 2002-03. A more detailed presentation is made in Parts I to IV. Part I covers the policies and programmes of the Authority; Part II covers the review of working and operations of the Authority; Part III covers the statutory functions of the Authority enshrined in the section 14 of the IRDA Act, 1999; and Part IV covers the organisational matters. Part V carries the Concluding Remarks.

Initiation of insurance reforms in the insurance sector:

The genesis of the reforms process in the insurance sector can be traced back to the wide ranging recommendations made by the Malhotra Committee on insurance reforms, culminating in the enactment of the IRDA Act, 1999 and amendments to Insurance Act, 1938, LIC Act, 1956, General Insurance Business Nationalisation Act, 1972 (GIBNA) followed by further amendments made in the Insurance Act, 1938 and to the GIBNA, in the financial year 2002-03.

Consequent upon the constitution of Insurance Regulatory and Development Authority (The Authority) on 19th April, 2000, the Authority has notified a set of regulations for the insurance industry (list of regulations is placed at Annexure I). These regulations have established the ground rules and standards for the entire gamut of insurance activities including the role, responsibilities and functions of the insurance companies, including the intermediaries, and the manner in which the interests of the policyholders are to be protected. These regulations have also undergone some modifications to reflect the requirements of the evolving operating and economic environment.

The process of reforms initiated with the constitution of the Authority has been smooth, and has facilitated constructive transition from controlled monopoly to liberated and open insurance business environment. It has combined the skills of public sector insurance companies with those of the private insurers who have set up operations in collaboration with the foreign joint partners in both life and non-life sectors. This process has ushered in various types of innovations in the insurance products specifically designed to meet the customers' needs. This transition has been received well by the insurance consumers in particular and the various stakeholders in the industry.

Industry statistics:

Life insurers:

The premium underwritten by life insurance companies during the financial year 2002-03 was Rs.55738.11 crore, as against Rs.50094.44 crore in the previous year, recording a growth of 11.27 per cent. Prior to this, the year 2001-02 witnessed a growth of 43.54 per cent in the business underwritten by the life insurers. LIC's share in the first year premium (including single premium) business underwritten in the life segment in the years 2001-02 and 2002-03 was 98.65 per cent and 94.34 per cent, respectively. Overall, LIC accounted for 98.01 per cent of the premium underwritten by the life insurers in the year 2002-03, as against 99.46 per cent in the year 2001-02. Accordingly, the share of the private players went up from 0.54 per cent in the year 2001-02 to 1.99 per cent in the year 2002-03.

As per statistics available for the first half of the current financial year 2003-04, the first year premium underwritten by the life insurers was Rs.5435.96 crore. The market share of LIC in premium underwritten and policies during the first half of the financial year was Rs.4840.62 crore (89.05%) and 8241776 (94.32%) respectively. As against this, the twelve private players underwrote Rs.595.34 crore (10.95%) towards 496248 policies (5.68%).



Non-life insurers:

The general insurance industry witnessed significant changes, which are likely to impact the growth of the industry in the years to come. The pace was set with the public sector non-life insurers being de-linked from their holding company, the General Insurance Corporation of India (GIC). In addition, GIC - notified as the national re-insurer, has ceased to carry out underwriting of direct business. The financial year also witnessed the formation of the Agricultural Insurance Company of India Ltd. (AICIL) to underwrite crop insurance and other allied insurance business in the country. Effectively, the crop insurance business would be handed over to the new entity in the financial year 2003-04.

In consonance with its new found status as the national re-insurer, GIC has diversified into acceptance of life re-insurance business. Another area being explored by the Corporation is that of financial/credit re-insurance. GIC has also been aiming at making its presence felt in the international markets, particularly in the Afro-Asian countries, through strategic and business tie-ups. However, there are also challenges, with the entry of the established multi-national brokers in the industry - these entities will put to use their contacts for international re-insurance placements.

The gross premium underwritten by the non-life insurers, during the financial year 2002-03 was Rs.15614.85 crore, including crop insurance business underwritten by GIC, recording a growth of 23 per cent over the previous year. The share of the public sector insurers in the non-life segment during the financial years 2001-02 and 2002-03 was 96.32 per cent and 91.36 per cent, respectively. The share of eight private players in the financial year 2002-03 was 8.64 per cent, as against six players capturing 3.68 per cent in the previous year.

The gross premium underwritten by the non-life insurers, during the first six months of the current financial year, 2003-04, was Rs.8081.06 crore, i.e., a growth of 12.71% over the previous year half year premium of Rs.7169.88 crore. The public sector insurers underwrote premium of Rs.6973.78 crore recording

a growth of 6.03% (Rs.6576.87 crore) over the corresponding period in the previous year, as against which the private insurers underwrote premium of Rs.1107.27 crore, viz., a growth of 86.72% (Rs.593.01 crore) over the corresponding period in the previous year.

Today the insurance industry is facing varied challenges such as acts of terrorism, hardening of reinsurance rates and, more importantly, coming to grip with fundamentally changed global risk architecture. This accompanied by weak investment returns and the lower interest rates, over the last few years, have also influenced the profitability of the insurers. On the positive side, of course, the low inflation rates have helped to keep the claims and operating costs from running out of control. In addition, the year 2002-03 did not witness any upheaval in terms of economic/natural disasters. While the new players would still take time to contribute to the profitability of the sector, being in the early phase of their operations, the financial year provided a conducive environment for growth. Simultaneously, the existing public sector insurers have also taken steps to re-position themselves in the evolving competitive market conditions.

The intermediation process:

The reforms process has resulted in an increase in the number of individual agents, besides introducing the concept of corporate agency system. As at 31st March, 2003, the number of new agents registered with the Authority stood at 5,99,708 of which corporate agents are 1,151. This is in addition to the 5,14,426 agents whose licenses have been renewed. The Authority has also introduced the concept of insurance brokers in the industry - they represent the interests of the insured with their specialised insurance knowledge, skills and services to the insurance community. The number of brokers to whom licenses have been issued till 31st March, 2003 stood at 40 (up to October, 2003, brokering licenses numbering 125 have been issued of which 102 are direct, 19 composite and 4 are re-insurance brokers). Prior to this, another category of insurance intermediary, viz., the third party administrators (Health) (TPA) were



registered by the Authority to assist the insurers in rendering effective service of health insurance contracts sold by the insurers with their specialised knowledge and experience in the health sector. As on date, the Authority has licensed 23 TPAs.

The system of insurance surveyors and loss assessors, as it existed in the pre-liberalised environment was plagued with a number of issues of concern. At the initiative of the Authority, the process of categorisation of the surveyors and loss assessors was undertaken. It was envisaged that categorisation on systematic lines based on the qualification and experience would enable these professionals to serve the insurance industry in a more effective and professional manner. With a view to examining the need for promoting an Institute for Surveyors and Loss Assessors, the Government constituted a Committee under the Chairmanship of Mr. K.N. Bhandari, former Chairman of New India Assurance Co. Ltd. The Committee has since submitted its Report. The Government is in favour of the Authority promoting the Institute of Surveyors and Loss Assessors, which would be a self-financing and self-regulated autonomous body on the lines of such professional bodies as the Institutes of Company Secretaries of India and the Institute of Chartered Accountants of India. It is proposed that the Institute will set norms and standards, conduct examinations, undertake educational courses and research, and enforce a code of conduct for its members. The Institute would initially be promoted by the Authority, and a decision to confer statutory status to the Institute would be based on a review of its operations. The recommendations of the Committee are being examined.

The actuarial profession:

The role of actuaries has evolved over the years, and more particularly, with the opening up of the insurance sector. The profession of actuaries has emerged to provide a competitive edge to insurers worldwide in terms of profitable pricing of risk, corporate strategy and in introducing innovative products. Further, the profession has grown in terms of peer review, where actuaries have developed a healthy spirit of assessing or commenting upon each other's work.

Such practices are likely to go a long way in building up healthy professional standards. The Actuarial Society of India (ASI) has also taken steps at developing the profession of actuaries and to standardise practices by issuing guidance notes. On the legislative front, the Bill granting statutory status to the profession is under consideration. The Authority has already offered its comments on the draft of the said Bill, and it is hoped that the Bill would come up for consideration soon.

The process of reforms initiated some three years back has some achievements to its credit. The process of liberalisation has enhanced competition, provided a choice to the customer, triggered innovative ways and means to carry out insurance activities, improved the efficiency levels of the industry, increased the coverage of insurance in terms of density and penetration, obligated the insurers for providing for the needs of rural and social sectors, increased awareness about necessity of insurance, to name a few. However, the achievements till date need to be built upon to further improve the efficiency of the insurance sector, thereby reducing the costs, and increase the penetration of the industry across the country. The industry cannot afford to rest on its laurels.

Review of the legislative framework:

The initiative taken by the Authority to approach the Law Commission of India for review of the Insurance Act, 1938 has received tremendous response from all the stakeholders in the insurance industry. The consultative paper issued by the Law Commission has received appreciation and comments from several quarters which will help the Government and the industry in taking a comprehensive view on consolidating the insurance related legislation into a single codified Act of Parliament, with the legislative powers resting with the Government of India and the Authority vested with the regulatory mechanism for the professional supervision and development of the insurance industry.

The recommendations of the Law Commission are broadly focused on issues pertaining to merging of



the provisions of the IRDA Act with the Insurance Act, 1938 (the Act) to avoid multiplicity of legislations; amending and updating the provisions of the Act to meet the current needs of the insurance industry; bringing consistency between the various provisions placed in different sections of the Act by putting them into a core provision relating to a particular subject/topic; recasting certain sections so as to remove ambiguity and to make them more specific and clear; and defining/re-defining certain terms which are required to be defined in the process of improving upon the existing legislation. The Commission has specifically focused on the need for a full fledged grievance redressal mechanism and on raising the limits on the fines and penalties to be levied under the Act, so as to ensure adequate in-built deterrence in the regulatory mechanism.

Re-visiting the tariff and non-tariff segments:

The Tariff Advisory Committee (TAC) was established by an amendment to the Insurance Act, 1938 (effective June, 1969) to control and regulate the rates, advantages, terms and conditions that may be offered by insurers in respect of any risk or any class or category of risks in the general insurance business. The Chairman of the Authority is the ex-officio Chairman of the TAC. The TAC is presently administering the tariff in respect of certain specified segments of the general insurance business. All other segments of general insurance business are non-tariff and their rates, advantages, terms and conditions are determined by the insurers in tune with their own rating and underwriting philosophy. The non-tariff products are filed by the insurers with the Authority under file and use procedures. As per the statistics furnished by the insurers for the financial year 2002-03, non tariff business constitutes about 25 per cent of the gross direct premium underwritten in the non-life segment.

Given the instances of rate cutting and breach of tariff by the insurers reported in the industry, there is a view that de-tariffing of non-life insurance business is a possible remedy to arrest this mal-practice in the market. De-tariffing would address the need to

service those consumers whose risks are better managed, as compared to those whose assets are loss prone - requiring a loading as against cross subsidisation by the former. Tariffs, per se, reduce the scope of competition, bring rigidity in the market, discourage adaptability to the changing needs of the insurance consumers and deprive the market of innovation. Last but not the least, the process of de-tariffing would motivate the industry to scientifically put to use statistics on claims and premium, while pricing the products. The competitive scenario would bind the insurers to adopting long term strategies. It may be recalled that the Malhotra Committee had also recommended progressive de-tariffing with the objective of limiting the tariff to only a few classes in order to promote competition and improve underwriting skills. More recently, the Justice Rangarajan Committee set up in October, 2002 on the motor insurance has recommended de-tariffing of the own damage business of the motor portfolio under a competitive premium setting model with a time schedule for the change over.

Based on the decision to de-tariff motor own damage portion w.e.f. April, 2005, another Committee has been set up under the Chairmanship of Mr. S. V. Mony, former Chairman, GIC, and members drawn from public and private sector insurers and representation from manufacturers and Ministry of Transport, to work out the road map to be followed for de-tariffing Motor own damage. In another development of significance, the expert Committee set up by the Authority under the chairmanship of Mr. A. C. Mukherjee has recommended that immediate steps be taken to de-tariff the entire general insurance market by April, 2006 and has advocated adoption of pure risk premium basis tariff for a period of two years after April, 2006. The process of opening up the market to free pricing would be accompanied by adoption of prudent underwriting practices by the insurers, enhancement of the technical capabilities by insurance brokers, creating awareness amongst the consumers on the likely benefits of de-tariffing which would percolate down to them.

Third party liability - motor insurance:

The Third Party Motor insurance is mandatory for all registered vehicles plying on the Indian roads, under the provisions of the Motor Vehicle Act, 1988. The provisions of the Act require every motor vehicle in a public place to insure against third party risk. The underlying essence of the provision is to have an in-built mechanism for payment of damages, by the insurer, irrespective of the financial condition of the driver/owner of the vehicle. Section 147 of the Act also lays down the limits of the liability. While the liability in respect of third party property damage is limited, it is unlimited in case of third party bodily injury to motor vehicle accident victims. Overall, the Courts have taken a liberal view while paying compensation in case of motor vehicle accidents. The Apex Court has in one of the cases clearly reiterated that "the determination of the quantum must be liberal, not niggardly since the law values life and limb in free country in generous scale". In the context of pure economics, the ramifications for the insurance industry are significant, as it goes against the basic principle of indemnifying the financial loss and minimising the risk of such a loss in relation to the sum insured. Business figures furnished by the insurers reveal that a major hit on incurred claims is accruing in the context of the third party claims, impacting profitability.

While a number of alternatives have been both suggested and examined to meet the premium deficiency in this particular segment which has clear connotations of subsidisation, the Rangarajan Committee while examining the various aspects of motor underwriting has also dealt with motor third party liability and has recommended that the third party liability insurance business be quarantined and the said business be separately accounted for in the insurers' books, as this would facilitate analysis of the profitability or otherwise of the third party portfolio. The Committee has also sought the Government's initiative to review the statutory liability for third party liability for motor vehicle accidents so as to lay down a cap on the same, specifically given that the third party premium is tariffed, as against which the liability of the insurers is unlimited.

Strengthening the self regulatory mechanism in the insurance sector:

Regulatory mechanisms globally are moving towards building up mechanisms for corporate governance within the regulated entities. Such market practices combined with the regulator's capacity to ensure a fit and proper management, under the regulatory mechanism can facilitate evolution of best management practices while strengthening the regulator's role of management by exception. Requirements of investment committee, internal audit committee, joint statutory auditors being appointed for not more than a specified period are all laid down to strengthen the self regulatory mechanisms. This, combined with industry self disciplining mechanism, can help strengthen the industry while at the same time weeding out detrimental market practices. The Insurance Association of India, and the Life Insurance and General Insurance Councils were revived in February 2001, and have membership drawn from the industry. These associations can certainly draw upon the experiences and best practices which have evolved in the rest of the world. The industry associations can generate a consensus on such issues as introducing concepts of additional disclosures, pool statistical data to facilitate pricing of products, evolve better risk management system and set codes of best practice for market conduct. While some initiatives have been taken, a lot of additional ground needs to be covered. A particular case in point is the training imparted to the agency force, not just to improve their technical competence but to also instill ethical best practices. Self regulation supported by a quick market response for over stepping, can have effective deterring impact.

The Authority is charged with the responsibility of promoting and regulating professional organisations connected with the insurance and re-insurance business. A code of conduct for agents and the insurance intermediaries has been laid down to ensure that the affairs of insurance intermediaries are conducted in such a manner as to safeguard the interests of the various stakeholders. Instances of misconduct would be dealt with. In addition, given that the insurance industry forms a part of financial system, the Authority



along with the Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India has set up a mechanism for real time monitoring of the financial intermediaries. This mechanism would need to be further strengthened in the times to come.

Consumer grievances redressal system:

With the opening up of the insurance industry and the entry of new players, awareness about their rights has steadily been increasing amongst the public at large, and they have aggressively come forward to demand for the same. This is a fact not only for the insurance customers but also for the public at large and the consumers' rights organisations have been slowly gaining in strength.

The existing mechanism for redressal of the grievances of the policyholders provides for three different forums viz., the in-house grievance redressal cells of the insurers; the Consumer Courts which provide for a three tier approach in resolving consumer disputes, the district forum, the state forum and the national forum, with different pecuniary jurisdictions; and the Civil Courts. In addition, there is the mechanism of Insurance Ombudsman to deal with personal lines of complaints, up to claims of Rs.20 lakh. With a view to protecting the interests of the policyholders, the Authority too, at its own initiative, has constituted the in-house Consumer Grievance Cell (CGC), as a mechanism parallel to the regulations framed for protecting the interests of the policyholders. While the regulations lay down the benchmarks for processing the claims and mandate every insurer to have in place proper procedures and effective mechanism to address complaints and grievances of policyholders efficiently, the Consumer Grievance Cell has been established to bring to the fore the deficiencies noticed in the functioning of the registered insurers in providing services under the insurance contracts sold by them. The Cell has been set up to assess the problems faced by the policyholders and their level of expectation/satisfaction in the context of the opening up of the insurance sector. The insurers are expected to not only come up to the standards of servicing established but also make the requisite disclosures in both the proposal form and in the policy document. The CGC

is keen to ensure that the promises made are duly kept by the insurers. It may be pertinent to mention that the quality of underwriting practices would only enable the insurers to accelerate the process of claims settlement.

The Law Commission, which is in the process of reviewing the legislative framework for the insurance industry, is considering various aspects for establishing a full fledged grievance redressal mechanism including constitution of a Grievance Redressal Authority (GRA), appointment of adjudicating officers by the Authority to determine and levy penalties on defaulting insurers, insurance intermediaries and agents, and to provide for appeals to the Insurance Appellate Tribunal (IAT) and for statutory appeal to Supreme Court against decisions of IAT. The various alternatives would need to be examined in the context of the inadequacies in the present system, and the cost benefit analysis of establishing such mechanisms to the industry as a whole. It may, however, be mentioned that appraisal of the adequacy of the grievance redressal system would need to be a continuous exercise particularly in an economy where customer expectations are exhibiting an upward trend.

Sustaining the growth levels to spread the benefits of insurance:

One of the objectives of amending the Insurance Act in the year 2002 was to facilitate entry of cooperative societies in the insurance sector, and to recognise corporate agents and insurance brokers so as to stimulate the growth of the insurance market and to enhance the level of insurance penetration. Other initiatives in this regard include laying down the obligations of the insurers towards the rural and social sectors, and spreading the message of insurance. The Authority chalked out a program in consultation with Prasar Bharati - for creating awareness about insurance on the All India Radio and the Doordarshan prime time. In addition, the publicity campaign was also launched through the vernacular newspapers. The initiative aimed at creating awareness about the importance of insurance in the daily lives of the millions in the country, and as to how it can lend security to their future. All these initiatives have been



taken in the context of the dismal performance of the industry, when measured in terms of its reach. India's share in the global insurance market is just 0.41%. Measured in terms of the premium as per cent to the GDP, at 2.71 per cent, the country stood 49th in world ranking, in the year 2001. The per capita insurance premium in India is also very low at US\$ 11.5, as compared to both developed and

developing countries. India is the 23rd largest insurance market in the world and holds large potential, waiting to be tapped judiciously. While the comparative international statistics on insurance density and penetration form part of the main report (refer Tables 9 (i) and (ii)), the statistics on insurance penetration and density, based on industry statistics for the financial years 1999-2000 to 2002-03 are placed below:

(Rs. in crores)

Data on Insurance Density and Insurance Penetration in India											
Year	Population (in crores)	GDP	Insurance premium			Insurance Density (Premiums per capita i.e., Total Insurance Premium Income/Population) (Rs.)			Insurance penetration (Premium as % of GDP)		
			Life	Non-life	Total	Life	Non-life	Total	Life	Non-life	Total
1990-00	99.1	1936925	27224.42	9522.17	36746.59	274.72	96.09	370.80	1.41	0.49	1.90
2000-01	101.9	2104298	34898.47	10087.03	44985.5	342.48	98.99	441.47	1.66	0.48	2.14
2001-02	103.7	2296049	50094.45	12694.92	62789.37	483.07	122.42	605.49	2.18	0.55	2.73
2002-03	105.5	2451038	55738.11	14337.59	70075.7	528.32	135.90	664.22	2.27	0.58	2.86

*based on industry statistics
GDP at market price

The growth in the insurance sector would also have a spiralling impact on the economy as a whole - be it in terms of employment generation, improvement in the standards of living of the populace or the growth in the investment in the industry and infrastructure. It may be pointed out that the investments of the insurance industry as at 31st March, 2003 stood at Rs.291418.36 crore, which is 11.89 per cent of the GDP for the financial year 2002-03.

Strengthening the statistical database:

The insurance industry functions under a typical scenario, viz., the insurance company charges a premium for insuring a given life/asset against the happening of a given event. This premium is charged to cover for the claims, which may arise within a foreseeable/unforeseeable period. The peculiar circumstances under which the insurance industry operates entails matching the known with the unknown. The pricing of the products, thus, is based on the experience of the industry, both in the life and non-life segments. In such a scenario, the importance of databases cannot be adequately emphasised. The availability of data bases, particularly, in the non life segment is dismal. The Tariff Advisory Committee

(TAC), which is the statutory body for fixing rates, has expressed dissatisfaction time and again that the data flow from the insurance companies has been sketchy and inadequate. In the absence of adequate and authentic data, it has not been possible for the TAC to revise its tariff rates scientifically. In addition to building up adequate data for the pricing of products, efforts are also required to ensure that the claims experiences are adequately tracked and shared by the industry. Sharing of information is also a pre-requisite to handling insurance frauds and to guard against their perpetuation. Non-availability of statistics would be tantamount to insurers groping in the dark while dealing with insurance frauds. Similarly, involvement of all the stakeholders, in the development and maintenance of the databases, is equally significant in the areas of agents and intermediaries, and on the health sector.

The various possibilities that can be explored for building up the data base include setting up the framework as a department of the Authority, entrusting the same to the Tariff Advisory Committee or to set up an independent organisation to handle the same. Already, some efforts have been initiated with the setting up of the Mortality and Morbidity Investigation



Bureau. Similar initiatives are proposed to be taken to establish data warehousing facilities for the health sector.

Risk - based supervision:

As a step forward in the process of regulating, seeking information and on-site inspection, is the process of risk based supervision. The first intent of supervision is to ensure compliance with the legislative intent and the basic framework of reporting is established to ensure review of compliance. The on-site inspections facilitate confirmation and address the areas of concern to the regulator. Any financial environment, particularly the ones existing in a liberalised environment, is ever evolving and throws up challenges on a regular basis, and the prudent players, including the intermediaries, are expected to lay down management strategies to adapt to these changes and take steps to mitigate the risks which are thrown up in the process. Insurance industry impacts the lives of the millions of its patrons in the most basic way, and thus casts an additional responsibility on the regulator, while protecting the interests of the policyholders. The process of supervision must thus be one of evolution adapting to the changes in the environment in which the insurers and the intermediaries are operating. It is in this direction that the Authority has been issuing cautionary directives from time to time. While the Authority is not in favour of managing the affairs of the registered entities, it would continue to draw their attention to the key risk factors the industry in particular and the financial sector in general is exposed to. Simultaneously, insurers are required to identify the various risks faced by them and lay down the strategies to mitigate them. These are required to be enumerated in the Management Report to be furnished by the insurers as part of the annual financial statements.

Health insurance:

Health insurance is another area of concern for the industry. The legislative intent of laying special emphasis on "health", while framing the regulations was to facilitate access of the health care facilities to the insurable population through the medium of insurance. However, three years down the line, there has been

no appreciable progress. While the potential is huge, the impediments to growth need to be addressed. Although positive signals have emanated in this segment of insurance business, much more needs to be done.

Inspection of registered entities:

Inspection is an extension of the process that any regulator utilises to ensure oversight over the functioning of the entities registered by it. The process involves oversight or keeping an eye on the industry, collecting information, analysing that information to identify trends and emerging risks, if any, carrying out on site inspections of companies, reverting back to the inspected entities on the areas of concern and identifying remedial action that needs to be taken, setting up time frames for completing the corrective actions, following up on the progress for implementation and comparing the results to the expected performance levels.

Authority has been empowered by provisions of Insurance Act, Section 14 of the IRDA Act and the regulations notified by it to undertake inspections, conduct enquiries and investigations including audit of insurers/ intermediaries. The Authority initiated the process of on site inspection of the insurers during the financial year 2002-03. The inspection processes carried on by the Authority can broadly be categorised into two, viz., overall inspection of the insurance companies, and targetted inspection, as to satisfy the specific concerns/objectives of concern to the Authority.

The officers of the Authority carried out inspection of select insurers with a view to reviewing their operations. These audits were aimed at getting an overview of the operations of the insurers. In addition, special purpose audits were also carried out by a select group of statutory auditors empanelled with the Authority. The IRDA (Investment) Regulations lay down the requirements to be complied with by the insurers in respect of putting in place an investment committee as to ensure compliance with the exposure norms, systems to be in place to ensure prudent investment of funds, statutory requirements for investment in approved securities, and internal controls to be in place to ensure compliance. Investment audit



of insurers was carried out to review the investment operations of the insurers. The Authority has been utilising the services of chartered accountants to conduct inspections in this area.

The Authority has also been undertaking inspection of select intermediaries, agents training institutes and third party administrators, at regular intervals. The objective of these inspections is not fault finding but to reassure the regulator that the operations of various registered entities are being carried out on prudent lines of management.

Mechanism for adjudication:

Based on the provisions of the Insurance Act, 1938 the Authority has framed regulations for licensing of various intermediaries and agents. The requisite regulations lay down the frame work for their education, qualification and practical training. While elaborating on the duties and functions, issues pertaining to code of conduct have also been dealt with. The Authority is also empowered to call for information and undertake inspection of these registered entities.

The provisions of the law and the regulations framed there under have enabling clauses for strict penalties and fines for these entities if they fail to comply with their duties or code of conduct, or directions of the Authority; do not furnish any statements, documents, accounts, returns, reports; or if the information furnished is found to be inaccurate/ incomplete/ false. However, mechanisms have still to evolve to provide for resolution of disputes between insurers and/ or their intermediaries, although the Authority is empowered under the IRDA Act, 1999, to adjudicate under such circumstances. While the Authority is in favour of issues concerning industry being tackled through such self regulatory bodies as insurance councils, and associations of intermediaries, possibilities of setting up a transparent and cost effective mechanism for resolution of conflicts of interests could be examined. It may be worthwhile to examine the experiences of regulators both within the country and abroad to explore the various options.

Consolidation phase:

The establishment of the Authority had paved the way for the country to fully realise the potential for

growth in the insurance sector. The reforms introduced in the sector have resulted in introspection on the part of the existing insurers as to the steps which can be initiated to cut down costs, and introduce new products which are tailor made to meet the specific needs of the insured.

While the growth recorded by the insurers is impressive, what is equally crucial is that the industry grows on healthy lines in the fast evolving highly competitive environment, in which the underwriting results are likely to come under tremendous pressure in the de-regulated market. This would be particularly challenging as the industry moves towards a de-tariffed market. There is, however, a need to sound a word of caution. In trying to achieve impressive figures, the insurers ought not to lose sight of the larger picture. Capturing a larger share of the market is all very well, but the strategy needs to be that of sustainable and healthy growth. Simultaneously, the industry needs to abide by the motto of service and the players must ensure that the overall interests of the consumers are protected and served.

The challenges facing the industry also include the declining investment returns and the lower interest rates, over the last few years which are influencing the profitability of the insurers. On the positive side, of course, the low inflation rates have helped to keep the claims and operating costs from running out of control. However, a cause for worry could be the state of finances of the state government undertakings, in which insurers, particularly the public sector ones, have holdings. Provisioning adequately for the assets which are non-performing is critical. A number of new products have been introduced in the industry. However, there is need to ensure that pricing of products is based on statistical data. Be it life or the non life segments, availability of data, and that too accurate data is critical for the growth of the industry. The existing scenario where in the pricing of products is based on statistics way off the mark, there will continue to be customers who are subsidising the costs of the others. This cross subsidisation needs to end sooner rather than later.

The phase of consolidation of the industry has to also encompass increase in the penetration of insurance

to a wider section of the society, in particular providing cover to the under privileged and the weaker segments and penetrating the rural and the semi-urban areas. The consolidation phase also has to focus on such issues of concern as market conduct, be it for the insurers or the intermediaries. The other crucial issue is that of insurance frauds. Dealing with frauds and anti-money laundering are issues of concern to the financial sector as a whole; the insurance industry at large, and to the Authority in particular.

The consolidation phase also has to witness the evolution of practices of corporate governance. As the industry moves towards an environment of public funds being tapped by it, the transparency standards will have to rise in both quantitative and qualitative terms. The periodical returns filed with the Authority not only have to be furnished within the timeframes

prescribed, but must also reflect the true and correct position.

Acknowledgements:

The Authority would like to place on record its appreciation and sincere thanks to the members of the Insurance Advisory Committee, the Reinsurance Advisory Committee, Insurance Division (Ministry of Finance), all insurers and intermediaries for their invaluable guidance and co-operation in its proper functioning; and to the compact team of officers and employees of the Authority for efficient discharge of their duties. The Authority also records its special thanks to the members of the public, the press, all the professional bodies and international agencies connected with the insurance profession, for their valuable contribution from time to time.



MISSION STATEMENT

- To protect the interest of and secure fair treatment to policyholders;
- To bring about speedy and orderly growth of the insurance industry (including annuity and superannuation payments), for the benefit of the common man, and to provide long term funds for accelerating growth of the economy;
- To set, promote, monitor and enforce high standards of integrity, financial soundness, fair dealing and competence of those it regulates;
- To ensure that insurance customers receive precise, clear and correct information about products and services and make them aware of their responsibilities and duties in this regard;
- To ensure speedy settlement of genuine claims, to prevent insurance frauds and other malpractices and put in place effective grievance redressal machinery;
- To promote fairness, transparency and orderly conduct in financial markets dealing with insurance and build a reliable management information system to enforce high standards of financial soundness amongst market players;
- To take action where such standards are inadequate or ineffectively enforced;
- To bring about optimum amount of self-regulation in day to day working of the industry consistent with the requirements of prudential regulation.



PART I



POLICIES AND PROGRAMMES

Risk is omnipresent in all walks of life, and prudence requires that it is managed so as to, *at least*, minimise the impact of loss, be it to property or life. Insurance is a dynamic and growing part of the financial sector, in both developing and the developed economies. Nearer home, in Asia, backed by economic growth, insurance premium has exhibited a robust growth. Today, India is regarded as one of the two emerging markets in the Asian region and global players are eyeing the market to tap the opportunities. With the markets world over becoming highly dynamic and integrated, the opening up of the insurance sector is yet another step in the economic reforms process within the country to enable India to integrate with these markets.

The insurance sector witnessed the first indication of liberalisation in April, 2000, with the setting up of the IRDA as a statutory body for the regulation and development of the insurance sector. The Authority was established with the objective of protecting the interests of the holders of insurance policies, and to regulate, promote and ensure the orderly growth of the insurance industry and for the matters connected/incidental thereto. The first few registration certificates to private players were issued in October, 2000. The process of de-monopolisation has opened wide vistas with the advent of the private players. As a result, the state owned insurers, on introspection, have begun reviewing their functioning and streamlining their operations so as to remain competitive in the emerging scenario. That the mandate has thrust upon the regulator the task of not only regulating the industry – both, the insurers and the intermediaries - but also that of developing the market, in order to disperse the gains of insurance to every nook and corner of the country, only heightens the promotional role of the regulator. It is, thus, well accepted that while aiming at achieving global standards, the insurance industry cannot afford to lose sight of the geographical spread and the need to provide risk cover to the disadvantaged sections of the society.

The Authority has been bestowed the task of establishing and promoting fair competition in the industry to fulfill the national socio-economic aspirations in a manner that will generate sustainable growth in the Indian insurance market. In the final analysis, it shall propel the national economic growth. The availability of insurance services to the customer, particularly in the rural, social and unorganised sectors, together with fair pricing of these products has engaged the attention of the Authority. The process of regulation making has remained dynamic and has been reflective of the changing needs of the market. The initial efforts of the Authority have been to set up policy guidelines in the various areas by way of prudential regulations. These were followed up with the introduction of the different forms of intermediation in the market to improve the reach of insurance to consumers at large, besides raising the levels of insurance awareness.

The review of the state of the industry and its performance over the last year that follows has been prepared with a view to reflecting the developments that have taken place in the industry since its broad-basing, and to take stock of the achievements in the background of the parameters that have been set.

A. REVIEW OF GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT

In recent months, there has been a steady build up of the favourable economic factors which augur well for the growth of the economy. Overall, the Indian economy is poised for growth. The good monsoon is likely to result in a healthy rise in agricultural output as against a decline of 3.2 per cent in the previous year; statistics are pointing towards recovery in the industrial sector – during April – August, 2003, the Index of Industrial Production (IIP) increased by 5.6 per cent as against 5.2 per cent during the corresponding period in the previous year. There are indications of sustained growth in the production of basic goods, capital goods and consumer goods; and the services sector continues to consistently register a healthy growth rate. Inflation is down to less than



4 per cent, and the foreign exchange reserves have been piling up to almost US\$90 billion. The economy is expected to grow at between 6.5 to 7 per cent during the fiscal 2003-04, which is more than twice the growth rate expected for the world economy at 3 per cent. The upward revision in the projected GDP for the year 2003-04 is based on the positive signals emanating from the performance exhibited by the various sectors during the months April – August, 2003. Although the exports have still to exhibit a favorable upward movement – growth in exports during April – September, 2003, at 10.0 per cent in US\$ terms was lower than 18.0 per cent recorded during the corresponding period of the previous year; improved prospects of global recovery should provide fresh impetus to export growth. Further, the imports are rising signaling a positive trend in the manufacturing sector – imports recorded a growth of 21.4 per cent during the first half of the current year as against 9.2 per cent in the corresponding period in the previous year. It is noteworthy that increasing non-oil imports reflect strengthening of the domestic demand. Overall, the business expectations are positive, on the strength of the manageable level of inflation and moderate interest rates.

The year 2002-03 witnessed a severe drought affecting the growth in the agricultural and allied sectors. The decline in growth in these sectors resulted in the overall growth in the Gross Domestic Product at around 4.4 per cent. This is despite the growth in the performance of the industrial and the services sectors at a healthy 6.1 per cent and 7.1 per cent during the year as against 3.3 per cent and 6.8 per cent, respectively in the previous year 2001-02. However, positive signs did emanate during the second half of the financial year 2002-03, which were particularly significant against the background of outlook for recovery in global economic activity and world trade remaining subdued. The other positive factors were the overall macro-economic stability in terms of low inflation, current market conditions and comfortable reserves, including those of food stocks. In addition, the buoyant inflows through invisibles coupled with a rise in exports, enhanced the possibility

of recording a surplus in the current account for the second successive year. That the surge in the exports occurred during the sluggish pace of global economic recovery and contributed to the growth in the manufacturing sector is particularly heartening. Further, facilitated by the relatively lower rates of inflation, the interest rates continued to soften during 2002-03. The leap forward in infrastructure investment, particularly in roads and telecommunications, has been a significant development during the year 2002-03. Today, initiatives are in place to propel the economy on the track of an 8 per cent growth rate in the foreseeable future.

The statistics pertaining to Gross Domestic Savings and Investments; Financial Savings of the Household Sector (Gross); Overall Balance of Payments; and Macro-economic aggregates are placed at Tables 2 to 5, respectively.

However, there continued to be issues of concern, in the year 2002-03, which centred around: the increase in non-performing assets (NPAs) of scheduled commercial banks, despite significant progress in recoveries - particularly accounted for by the non-priority sectors; subdued activity of the capital markets—both primary and secondary. The subdued conditions in the stock markets led to a small volume of issuance on the primary market. This was despite the significant structural reforms in the sector. Public finances, both at the Centre as well as the States, continued to be under pressure. The fiscal deficit of the Central Government, as a proportion of GDP, which was 5.6 per cent in 2000-01, rose further to an estimated 5.9 per cent in 2001-02. The lack of fiscal consolidation at the State level is revealed by a similar deterioration of their combined fiscal deficit, again as a proportion of GDP, from 4.3 per cent in 2000-01, to a revised estimate of 4.6 per cent in 2001-02. The consolidated fiscal deficit of the Centre and the States was 10.0 per cent of GDP, according to the revised estimates for 2001-02. The disinvestment programme of the Central Government is running behind schedule, and is likely to result in a shortfall in capital receipts. The high fiscal deficit continues to complicate the task of conducting counter-cyclical fiscal policies and augmenting outlays on the

much-needed social and physical infrastructure, and poverty alleviation programmes. All these are areas which need attention as to leverage higher economic growth levels. Gross domestic capital formation at constant prices grew at 3.0 per cent in 2001-02, which was considerably lower than the growth of GDP. At current prices, gross capital formation constituted 23.7 per cent of GDP in 2001-02, which was slightly lower than the share of 24.0 per cent observed in 2000-01, and 25.2 per cent observed in 1999-2000. It appears that changes in stocks have been much faster than gross fixed capital formation. Within fixed capital formation, however, construction grew relatively faster than gross investment in machinery and equipment. In the public sector, there was a sharp

increase of 7.2 per cent in capital formation in construction. Public investment has been partly constrained by increasing government consumption expenditure including interest payments, subsidies, pensions, and grants, among others. Investor sentiment has been constrained by poor infrastructure facilities. The requirements of the social sector, whose development on sound principles would ensure the spread of wealth in the country into the hands of the deserving and needy, need to be addressed adequately.

India's profile, socio-economic indicators and demographic trends and projections are placed at Tables 1, 7 and 8 (i) and (ii).

TABLE - 1
INDIA'S PROFILE

Total Area	3287263 Sq. Kms.
Coastline	7517 Kms.
States	29
Union Territories	6
Districts	602
Population	1.05 Billion (as on July, 2003 est.)
Urban Population	27.78%
Population Growth (decade 1991-2001)	(+) 21.34%
Sex Ratio 2003	933 females per 1000 males
Density of Population	321 persons per Sq. Km.
Literacy Rates	65.38% (male 75.85%, female 54.16%)
Life Expectancy (Yr.2000)	Total Population 64.90 yrs., M=64.10 yrs. F=65.60 yrs.

Source: Census of India; Economic Survey, 2002-03; National Informatics Centre; Planning Commission of India.

TABLE - 2
GROSS DOMESTIC SAVING AND INVESTMENT

Item	Per cent of GDP (at current market prices)				(Rs. in crores)		
	2001-02*	2000-01@	1999-00	1995-96 to 1998-99 (Average)	2001-02*	2000-01@	1999-00
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Household Saving	22.5	21.6	20.8	17.9	5,15,565	4,53,641	4,02,360
of which :							
a) Financial assets	11.2	10.4	10.5	9.8	2,56,647	2,17,841	2,03,702
b) Physical assets	11.3	11.2	10.3	8.1	2,58,918	2,35,800	1,98,658
2. Private Corporate Sector	4.0	4.1	4.4	4.3	92,060	86,142	84,329
3. Public Sector	(2.5)	(2.3)	(1.0)	1.0	(57,662)	(48,022)	(20,049)
4. Gross Domestic Saving	24.0	23.4	24.1	23.3	5,49,963	4,91,761	4,66,640
5. Net Capital Inflow	(0.2)	0.6	1.1	1.4	(4,872)	12,977	21,988
6. Gross Domestic Capital Formation	23.7	24.0	25.2	24.7	5,45,091	5,04,738	4,88,628
7. Errors and Omissions	1.3	1.5	1.6	1.6	30,003	31,117	30,366
8. Gross Capital Formation	22.4	22.5	23.7	23.1	5,15,088	4,73,621	4,58,262
of which:							
a) Public Sector	6.3	6.4	6.9	7.0	1,45,082	1,34,025	1,34,484
b) Private Corporate Sector	4.8	4.9	6.5	8.0	1,11,088	1,03,796	1,25,120
c) Household Sector	11.3	11.2	10.3	8.1	2,58,918	2,35,800	1,98,658

* Quick Estimates.

@ Provisional.

Source: Central Statistical Organisation.

TABLE - 3
FINANCIAL SAVING OF THE HOUSEHOLD SECTOR (GROSS):
PERCENTAGE DISTRIBUTION

Item	2001-02*	2000-01@	1999-00	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Financial Saving (Gross)	100.0 (12.9)	100.0 (11.9)	100.0 (12.3)	100.0 (11.9)	100.0 (11.3)	100.0 (11.6)	100.0 (10.5)	100.0 (14.4)	100.0 (12.8)
a) Currency	9.5 (1.2)	7.1 (0.8)	8.7 (1.1)	10.5 (1.3)	7.4 (0.8)	8.6 (1.0)	13.3 (1.4)	10.9 (1.6)	12.2 (1.6)
b) Deposits	37.9 (4.9)	42.0 (5.0)	37.5 (4.6)	38.8 (4.6)	46.6 (5.3)	48.1 (5.6)	42.5 (4.5)	45.5 (6.5)	42.6 (5.4)
i) with banks	31.1	32.4	30.5	33.7	37.8	25.7	26.3	35.3	27.9
ii) with non-banking companies	2.8	4.9	3.7	3.8	3.9	16.4	10.6	7.9	10.6
iii) with co-operative banks and societies	6.1	5.5	4.2	4.6	5.3	6.4	5.8	3.0	5.2
iv) trade debt (net)	(2.1)	(0.7)	(0.8)	(3.3)	(0.4)	(0.4)	(0.2)	(0.8)	(1.1)
c) Shares and debentures	2.3 (0.3)	2.5 (0.3)	7.1 (0.9)	3.4 (0.4)	2.9 (0.3)	6.6 (0.8)	7.3 (0.8)	11.9 (1.7)	13.5 (1.7)
i) private corporate business	1.1	1.1	3.4	1.5	1.3	3.6	6.6	8.0	7.5
ii) co-operative banks and societies	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
iii) units of UTI	(0.6)	(0.4)	0.8	0.9	0.3	2.4	0.2	2.7	4.3
iv) bonds of PSUs	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
v) mutual funds (other than UTI)	1.7	1.6	2.9	0.8	1.1	0.3	0.3	1.1	1.2
d) Claims on Government	16.8 (2.2)	15.6 (1.9)	12.1 (1.5)	13.6 (1.6)	12.9 (1.5)	7.4 (0.9)	7.7 (0.8)	9.1 (1.3)	6.3 (0.8)
i) investment in Government securities	5.7	1.7	0.9	0.7	1.6	0.4	0.4	0.1	0.4
ii) investment in small savings, etc.	11.1	13.9	11.2	13.0	11.3	7.0	7.4	9.0	5.9
e) Insurance funds	14.4 (1.9)	13.5 (1.6)	12.0 (1.5)	11.3 (1.3)	11.3 (1.3)	10.2 (1.2)	11.2 (1.2)	7.8 (1.1)	8.7 (1.1)
i) life insurance funds	13.9	12.9	11.3	10.6	10.6	9.5	10.4	7.2	8.0
ii) postal insurance	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
iii) State insurance	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
f) Provident and pension funds	19.0 (2.5)	19.3 (2.3)	22.5 (2.8)	22.4 (2.7)	18.8 (2.1)	19.2 (2.2)	18.0 (1.9)	14.7 (2.1)	16.7 (2.1)

* Quick Estimates. @ Provisional.

Note: Figures in brackets are percentages to GDP at current market prices.

Source: Central Statistical Organisation.

TABLE - 4
INDIA'S OVERALL BALANCE OF PAYMENTS

Item	Rs. In crores			US \$ million		
	2002-03	2001-02	2000-01	2002-03	2001-02	2000-01
1	2	3	4	5	6	7
A. Current Account						
1. Exports, f.o.b.	2,56,352	2,14,351	2,05,287	53,000	44,915	44,894
2. Imports, c.i.f.	3,16,702	2,74,778	2,70,663	65,474	57,618	59,264
3. Trade Balance	(60,350)	(60,427)	(65,376)	(12,474)	(12,703)	(14,370)
4. Invisibles, net	78,275	64,161	48,975	16,182	13,485	10,780
a) 'Non-Factor' Services	29,995	21,960	11,401	6,206	4,577	2,478
of which, Software Exports	46,427	36,036	29,014	9,600	7,556	6,341
b) Income	(23,617)	(17,467)	(22,384)	(4,882)	(3,601)	(4,832)
c) Private Transfers	69,924	57,821	58,412	14,448	12,125	12,798
d) Official Transfers	1,973	1,847	1,546	410	384	336
5. Current Account Balance	17,925	3,734	(16,401)	3,708	782	(3,590)
B. Capital Account						
1. Foreign Investment, net (a+b)	21,918	31,877	27,245	4,555	6,692	5,862
a. Direct Investment of which * :	17,412	22,588	15,413	3,611	4,741	3,272
i. In India	22,575	29,192	18,414	4,660	6,131	4,029
Equity	13,091	18,658	10,964	2,700	4,095	2,400
Re-invested earnings	7,250	8,710	6,175	1,498	1,646	1,350
Other Capital	2,234	1,824	1,275	462	390	279
ii. Abroad	(5,163)	(6,604)	(3,001)	(1,049)	(1,390)	(757)
Equity	(2,051)	(2,701)	(1,586)	(424)	(570)	(344)
Re-invested earnings	(2,600)	(3,329)	(1,076)	(519)	(699)	(339)
Other Capital	(512)	(574)	(339)	(106)	(121)	(74)
b. Portfolio Investment	4,506	9,289	11,832	944	1,951	2,590
In India	4,679	9,617	12,609	979	2,020	2,760
Abroad	(173)	(328)	(777)	(35)	(69)	(170)
2. External Assistance, Net	(11,745)	5,418	2,001	(2,460)	1,117	410
Disbursements	13,392	16,073	13,528	2,773	3,352	2,942
Amortisation	(25,137)	(10,655)	(11,527)	(5,233)	(2,235)	(2,532)
3. Commercial Borrowings, net	(8,283)	(7,476)	17,577	(1,698)	(1,576)	3,737
Disbursements	13,219	12,896	41,845	2,737	2,696	9,052
Amortisation	(21,502)	(20,372)	(24,268)	(4,435)	(4,272)	(5,315)
4. Short Term Credit, net	4,715	(4,236)	321	979	(891)	105
5. Banking Capital of which,	39,800	26,671	3,517	8,243	5,592	811
NRI Deposits, net	13,602	13,127	10,567	2,808	2,754	2,317
6. Rupee Debt Service	(2,303)	(2,458)	(2,763)	(474)	(519)	(617)
7. Other Capital, net @	16,921	793	(1,223)	3,493	158	(290)
8. Total Capital Account	61,023	50,589	46,675	12,638	10,573	10,018
C. Errors & Omissions	3,068	2,269	(2,612)	634	402	(572)
D. Overall Balance [A(5)+B(8)+C]	82,016	56,592	27,662	16,980	11,757	5,856
E. Monetary Movements (F+G)	(82,016)	(56,592)	(27,662)	(16,980)	(11,757)	(5,856)
F. IMF, Net			(115)			(26)
G. Reserves and Monetary Gold	(82,016)	(56,592)	(27,547)	(16,980)	(11,757)	(5,830)

(Increase-, Decrease +) :

* Data on Foreign Direct Investment (FDI) are revised since 2000-01 with expanded coverage to approach international best practices. FDI data for previous years would not be comparable with these figures.

@ Comprises mainly of leads and lags in export receipts. Other items included are funds held abroad, India's subscription to international institutions, quota payment to IMF, and residual item of other capital transaction not included elsewhere.

Note : 1. Gold and silver brought by returning Indians have been included under imports, with a contra entry in private transfer receipts.
2. Data on exports and imports differ from those given by DGCI&S on account of differences in coverage, valuation and timing.

Source : Central Statistical Organisation.

TABLE - 5
MACRO-ECONOMIC AGGREGATES (AT CURRENT PRICES)

(Rs. in crores)

Year Factor	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02 QE	2002-03 AE
Population (million)	359	434	541	679	839	1019	1037	1055
GDP at factor cost	9547	16220	42222	130176	510954	1917724P	2094013	2236128
Consumption of fixed capital	364	944	2970	12288	53264	197856	217058	
NDP at factor cost	9183	15276	39252	117888	457690	1719868	1876955	1998005
Indirect taxes less subsidies	387	947	3455	13586	57720	186574	202036	
GDP at market prices	9934	17167	45677	143764	568674	2104298P	2296049	
NDP at market prices	9570	16223	42707	131474	515410	1906442	2078991	
Net factor income from abroad	(41)	(72)	(284)	345	(7545)	(17414)	(12663)	
GNP at factor cost	9506	16148	41938	130521	503409	1900310P	2081350	2217816
NNP at factor cost	9142	15204	38968	118233	450145	1702454P	1864292	1979693
GNP at market prices	9893	17095	45393	144107	561129	2086884	2283386	
NNP at market prices	9529	16151	42423	131819	507865	1889028	2066328	
Private final consumption expenditure (PFCE)	-	-	-	113213	381157	1357989	1489883	
Govt. final consumption expenditure (GFCE)	592	1206	4289	14492	66030	264563	294971	
GDP of public sector	-	1609	5802	25525	128398	459635	503606	
NDP of public sector	-	1392	5473	20533	104087	395345		
Personal disposable income#	8876	14638	37891	120642	461192	1790828	1958006	
GDCF	866	2470	7043	29230	149536	504738	545091	
NDCF	502	1526	4073	16942	96272	306882	328033	
GDS	887	1989	6649	27136	131340	491761	549963	
NDS	523	1045	3679	14848	78076	293905	332905	
Per capita GNP at factor cost (Rs.)	265	372	775	1922	6000	18649	20071	21022
Per capita NNP at factor cost (Rs.)	254.7	350.3	720.3	1741.3	5365.3	16707.1P	17977.7	18765

P : Provisional

QE : Quick Estimates

AE : Advance Estimates

: Separate data on fees, fines, etc. paid by producers are not available, and to that extent personal disposable income is under estimated.

Source: Central Statistical Organisation.

TABLE - 6
KEY MARKET INDICATORS

Size of Market, Life and Non-Life	\$16 billion			
Total global insurance premium (as on 2001)	\$2408.25 billion (-1.5% as against 2000)			
Rate of Annual Growth year 2002-03	Life 11.27%			
	Non-life 23% (Premium underwritten in India and abroad)			
Geographical Restriction for new players	None. Players can operate all over the country			
Equity restriction in a new Indian insurance company	Foreign promoter can hold upto 26% of the equity			
Registration Restriction	Composite Registration not available.			
Number of Registered Companies	Type of Business	Public Sector	Private Sector	Total
	Life Insurance	01	12	13
	General Insurance	06	08	14
	Reinsurance	01	0	01
	Total	08	20	28
Life Insurers				
Public Sector	New Players			
1. Life Insurance Corporation of India	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allianz Bajaj Life Insurance Company Limited 2. Birla Sun Life Insurance Company Limited 3. HDFC Standard Life Insurance Company Limited 4. ICICI Prudential Life Insurance Company Limited 5. ING Vysya Life Insurance Company Limited 6. Max New York Life Insurance Company Limited 7. MetLife Insurance Company Limited 8. Om Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd. 9. SBI Life Insurance Company Limited 10. TATA-AIG Life Insurance Company Limited 11. AMP Sanmar Assurance Co. Ltd. 12. Aviva Life Insurance Co. Pvt Ltd. 			
General Insurers				
Public Sector	New players			
<ol style="list-style-type: none"> 1. The New India Assurance Co. Ltd. 2. National Insurance Co. Ltd. 3. The Oriental Insurance Co. Ltd. 4. United India Insurance Co. Ltd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bajaj Allianz General Insurance Company Limited 2. ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. 3. IFFCO-Tokio General Insurance Company Limited 4. Reliance General Insurance Company Limited 5. Royal Sundaram Alliance Insurance Co. Ltd. 6. TATA-AIG General Insurance Company Limited 7. Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd. 8. HDFC Chubb General Insurance Co. Ltd. 9. Export Credit & Guarantee Corporation 10. *Agriculture Insurance Company of India Limited 			
Re-insurer				
General Insurance Corporation of India				

* Granted registration in October, 2003

TABLE - 7
ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS

Population in millions, 2003	1055
Surface Area in 1000 Sq. Kms.	3287
People per Sq. Km.	321
GNP in U.S Billions 2003	320
Rank in the world by GNP	11
Average Annual Growth of GNP (%)	5.3
Average Annual % Growth of GDP	4.3
Public Expenditure on health % of GDP (2001)	5.2
Public Expenditure on Education % of GDP	3.99
Infant mortality per 1000 live births	59.59 deaths / 1000 live births (2003)

Source : Economic Survey, 2002-03; World Development Report, 2002; RBI

TABLE - 8(I)
DEMOGRAPHIC TRENDS AND PROJECTIONS - I**

	1996	2001	2006	2011
Total Population (Million)	934.22	1012.39	1094.13	1178.89
Urban Population (%)	27.23	28.77	30.35	31.99
Sex Ratio (Males per 100 Females)	107.9	107.2	106.6	106

TABLE - 8(II)
DEMOGRAPHIC TRENDS AND PROJECTIONS - II**

	1996-2001	2001-2006	2006-2011
Growth Rate of Population (% pa)	1.62	1.57	1.5
Expectation of Life at Birth (Male/Years)	62.36	63.87	65.65
Expectation of Life at Birth (Female/Years)	65.27	66.91	67.67

**Source Census Statistics



B. APPRAISAL OF THE INSURANCE MARKET

The Government of India appointed a Committee on Reforms in the Insurance Sector in April, 1993. The constitution of the Committee was another step in the initiatives in the area of financial reforms covering the banking sector and the capital markets aimed at creating a more efficient and competitive financial system, keeping in mind the structural changes underway in the economy at that point of time. The issues of concern included continuance of the insurance companies as state monopolies, with absolutely no competition, thereby impacting the availability of wider choices to the customer; the continuance of Government of India as the only stake holder in the insurance industry; re-establishment of an effective regulatory apparatus for the insurance business once the sector was liberalised; and a very high pre-emption of insurance industry's funds through government-mandated investments. Since the financial results of insurance companies have implications on rates of insurance premium and returns on savings invested in life insurance, right investment opportunities were required to be explored by the insurance companies; besides ensuring better management, customer service, efficiency and competitiveness by leveraging on information technology. The state owned insurers had just not addressed these issues.

Today, it is a little over three years since the constitution of the regulatory body, and there are already twenty seven players in the market. Both the private and public sector players are operating on a level playing field. The private players have taken positions in the industry, and have created a niche market for themselves. The number of companies which were granted registration in the financial year 2000-01 was 11; followed by another 6 in 2001-02; and 4 in 2002-03. In addition, General Insurance Corporation (GIC) has been designated as the national re-insurer. While eleven private sector companies had underwritten life business during the financial year 2001-02, the number of private players competing for business during the year 2002-03, increased to twelve. During the same period, the number of newly registered insurers in the non-life segment increased

to nine from six in the previous year. During the current financial year, license has been issued to Agriculture Insurance Co. of India Ltd. The key market indicators for the insurance industry are placed at Table 6.

That the established foreign insurers have stepped forward to set up operations in the country, even as minority partners with 26 per cent equity stake, speaks volumes of the interest the industry has generated world wide due to the vast untapped potential. The foreign stakeholders have brought with them international market practices and techniques, which would ultimately benefit the customer at large. The entry of foreign partners has resulted in the sector attracting foreign direct investments (FDI) to the tune of Rs.739.19 crore as on 31st March, 2003 (the FDI stood at Rs.825.44 crore as on 30th September, 2003). The paid up equity of the 27 players in the insurance industry as on 31st March, 2003 stood at Rs. 4172.13 crore (Refer Annexure – XI).

The opening up of the sector has also resulted in the players catering to the market demands of choice and competition. Such forces which unleashed a resurgent demand for products and innovation had to be built on the gains of nationalisation, viz., market spread, and the natural reach of the business across the length and breadth of the country and its consolidation. Besides providing affordable insurance protection against risks, the players' achievements should also be assessed in terms of their sensitivity to the needs of the market through introduction of tailor-made products aimed at specific segments of the society, adoption of modern practices to upgrade technical skills, and a deeper penetration of the insurance market in terms of gross domestic product. Although health insurance is yet to take off in a big way, for the first time group health products have been introduced to the market, and the same have been well received.

The other factors that have supported the possibilities for increased penetration of insurance in the Indian market are the emerging socio-economic changes, increased wealth, education and awareness of insurance needs. The industry, as such, is set to emerge out of the shadows of being driven merely by tax incentives for growth in case of the life segment,

and of the statutory insurance requirements in case of the non-life segment. There are indications that the advent of new players has increased both the insurance density (premium as per capita) and the insurance penetration (premium as a percentage of Gross Domestic Product). Based on the figures published by Swiss Re for the year 2001, these were a mere US\$ 11.5 and 2.71 per cent of the Gross Domestic Product respectively. The world averages are US\$ 393.3 and 7.83 per cent, respectively for the year 2001. India ranks 78th in terms of insurance density, and 49th in terms of insurance penetration. In the year 2001, the industrialised countries generated over 90 per cent of the global insurance premium income in both the life and non-life segments. With premium income of US\$ 991 billion, North America was the most important region, followed by Western Europe (US\$ 740 billion) and Oceania (US\$ 36 billion). Life insurance penetration was 5.4 per cent,

while per capita spending on life insurance was US\$ 1396. The Japanese spent the most on life insurance in the year 2001 (US\$ 2806), followed by the Swiss (US\$ 2716) and the British (US\$ 2568). The UK had the highest level of penetration (10.7 per cent) followed by Japan (8.9 per cent). In non-life insurance, the average level of penetration in the industrialised countries was 3.6 per cent, and the average per capita spending (US\$ 919). The United States led in terms of per capita spending (US\$ 1644), followed by Switzerland (US\$ 1627). In terms of penetration, on the other hand, Switzerland had the highest level of penetration of 4.8 per cent, while in case of the United States it was 4.6 per cent.

Tables 9 (i) & (ii) provide the insurance penetration and density statistics for the insurance industry in select countries across the globe in the years 1999 to 2001.


TABLE – 9(I)

INSURANCE PENETRATION - INTERNATIONAL COMPARISON


Countries	Insurance Penetration (Premiums as % of GDP – 1999)			Insurance Penetration (Premiums as % of GDP – 2000)			Insurance Penetration (Premiums as % of GDP – 2001)		
	Total	Non-life	Life	Total	Non-life	Life	Total	Non-life	Life
United States	8.55	4.32	4.23	8.76	4.28	4.48	8.97	4.57	4.40
Canada	6.49	3.31	3.19	6.56	3.28	3.27	6.42	3.45	2.97
Brazil	2.01	1.66	0.35	2.11	1.75	0.36	2.14	1.78	0.36
Mexico	1.68	0.86	0.82	1.72	0.85	0.86	1.81	0.95	0.86
Chile	3.78	1.13	2.65	4.07	1.15	2.92	4.23	1.30	2.93
United Kingdom	13.35	3.05	10.30	15.78	3.07	12.71	14.18	3.45	10.73
Germany	6.52	3.55	2.96	6.54	3.55	3.00	6.59	3.60	3.00
France	8.52	2.82	5.70	9.40	2.81	6.59	8.58	2.85	5.73
Russia	2.13	1.34	0.78	2.42	1.29	1.13	3.06	1.51	1.55
Japan	11.17	2.30	8.87	10.92	2.22	8.70	11.07	2.21	8.85
South Korea	11.28	2.89	8.39	13.05	3.16	9.89	12.07	3.38	8.69
PR China	1.63	0.61	1.02	1.79	0.67	1.12	2.20	0.86	1.34
India	1.93	0.54	1.39	2.32	0.55	1.77	2.71	0.56	2.15
Malaysia	3.88	1.72	2.16	3.72	1.59	2.13	5.18	1.80	3.38
Indonesia	1.42	0.76	0.66	1.18	0.64	0.54	1.13	0.60	0.53
South Africa	16.54	2.62	13.92	16.86	2.83	14.04	17.97	2.78	15.19
Nigeria	0.95	0.88	0.07	0.66	0.53	0.13	0.71	0.56	0.14
Kenya	3.26	2.48	0.78	2.63	1.91	0.72	2.70	1.87	0.82
Australia	9.82	3.39	6.43	9.41	3.37	6.04	9.15	3.44	5.70

Source: Swiss Re, Sigma volumes 9/2000, 6/2001 and 6/2002

Insurance Penetration (Total) — International Comparison



Insurance Penetration (Non-Life) — International Comparison



Insurance Penetration (Life) — International Comparison





Table – 9(ii)

INSURANCE DENSITY - INTERNATIONAL COMPARISON


Countries	Insurance Density (Premiums as per Capita of USD – 1999)			Insurance Density (Premiums as per Capita of USD – 2000)			Insurance Density (Premiums as per Capita of USD – 2001)		
	Total	Non-life	Life	Total	Non-life	Life	Total	Non-life	Life
United States	2921.1	1474.4	1446.6	3152.1	1540.7	1611.4	3266.0	1664.1	1602.0
Canada	1375.3	700.6	674.6	1516.8	759.6	757.2	1460.4	784.6	675.9
Brazil	68.6	56.7	11.8	75.6	62.7	12.9	64.0	53.2	10.8
Mexico	84.6	43.3	41.3	101.2	50.4	50.8	112.6	59.4	53.2
Chile	163.0	48.7	114.3	175.8	49.7	126.0	176.4	54.3	122.1
United Kingdom	3244.3	741.5	2502.8	3759.2	730.7	3028.5	3393.8	825.9	2567.9
Germany	1675.7	913.5	762.2	1491.4	808.5	683.0	1484.2	809.9	674.3
France	2080.9	688.6	1392.3	2051.1	613.7	1437.4	1898.8	630.6	1268.2
Russia	26.8	17.0	9.9	41.8	22.3	19.5	65.8	32.6	33.2
Japan	3908.9	805.5	3103.4	3973.3	808.2	3165.1	3507.5	701.1	2806.4
South Korea	1022.8	262.3	760.5	1234.1	298.5	935.6	1060.1	296.7	763.4
PR China	13.3	5.0	8.3	15.2	5.7	9.5	20.0	7.8	12.2
India	8.5	2.4	6.1	9.9	2.3	7.6	11.5	2.4	9.1
Malaysia	140.4	62.3	78.1	150.9	64.6	86.4	198.3	68.7	129.5
Indonesia	9.5	5.1	4.4	8.6	4.6	4.0	7.7	4.1	3.6
South Africa	490.9	77.9	413.0	472.1	79.1	392.9	446.3	69.1	377.2
Nigeria	2.6	2.4	0.2	2.0	1.6	0.4	2.3	1.8	0.5
Kenya	9.9	7.5	2.4	8.9	6.5	2.4	9.4	6.6	2.9
Australia	2037.4	703.8	1333.6	1859.3	665.8	1193.5	1668.3	628.0	1040.3

Source: Swiss Re, Sigma volumes 9/2000, 6/2001 and 6/2002


Insurance Density (Total) — International Comparison



Insurance Density (Life) — International Comparison



Insurance Density (Non-Life) — International Comparison



(i) Life Insurance

The financial year 2002-03, was the second full year of operations for most of the new life companies; by the end of the financial year, the number of private players had increased to twelve, and they were competing with the public sector Life Insurance Corporation of India (LIC). The premium underwritten by the industry during 2002-03 was Rs.55738.11 crore, of which Rs.54628.49 crore was underwritten by LIC and Rs.1109.62 crore by the private players. As against this, the previous year figures were Rs.50094.45 crore, Rs.49821.91 crore and Rs.272.54 crore, respectively. Overall, the industry witnessed a growth of 11.27 per cent in terms of gross premium underwritten as against 43.54 per cent growth recorded in the previous year. The decline in the growth rate in the year 2002-03 has to be assessed in the context of the previous year being an aberration. In the financial year 2001-02, LIC which had underwritten 99.46 per cent of the business in that year, had offered high yield guaranteed return plans like Jeevan Shree, Bima Nivesh, Single Premium and Individual Pension Plans. The decline in growth rate could be on account of the withdrawal of these schemes in the financial year 2002-03. Growth in the business of LIC declined to 9.65 per cent as against 42.79 per cent in the previous year. A review of the performance of LIC during the years 1998-99 to 2000-01 further reveals that it has recorded annual growth in the range of 18 and 25 per cent. As against this, the private insurers exhibited growth of 307.15 per cent during the year. The sharp increase in growth for the new players can partly be attributed to the fact that their business in the financial year 2001-02 was small.

The performance of the private players in the last two years, and particularly for the current year has reflected their ability to create and nurture new markets. While the private players accounted for about 2 per cent of the total premium underwritten in the sector for the year 2002-03, significantly the total business underwritten grew by 11.27 per cent. In comparison, the private players had accounted for less than 1 per cent of the total business underwritten in the previous year. In effect, the new insurers have not necessarily partaken of the existing pie, rather the size of the pie has enlarged. New avenues have also been created and business opportunities explored. All these are likely to lead to the establishment of

a vibrant and customer friendly insurance business environment in the country.

In terms of market share, LIC held 98 per cent of the life market, with the twelve new players capturing just under 2 per cent. As against this, LIC held 99.46 per cent of the market in the year 2001-02. A comparison of the business underwritten by the private players further reveals that at least three of them have succeeded in establishing themselves in the market, while a couple of them have still to make a mark.

The growth trends of LIC for the year 2002-03 reveal that the first year premium of the insurer grew from Rs.10492.72 crore in the year 2001-02 to Rs.10630.80 crore, i.e., a growth of mere 1.32 per cent. The growth in the first year premium of LIC in the year 2001-02 was 50.69 per cent. The single premium exhibited a decline of 41.23 per cent from Rs.9096.05 crore in the previous year to Rs.5345.96 crore in 2002-03. This is as against a growth of 232 per cent in the previous year. In terms of renewals, premium collected was Rs.38651.73 crore as against Rs.30233.14 crore in the previous year, recording a growth of 27.87 per cent, as against 20.02 per cent in the previous year.

The growth trends of the twelve private players for the year 2002-03 reveal that the first year premium of the insurers grew from Rs.170.49 crore in the year 2001-02 to Rs.629.95 crore, i.e., a growth of 269.50 per cent. The growth in the first year premium of the private players in the year 2001-02 was about 45 times (it may be recalled that just a handful of private players were in operation for a few months in the year 2000-01). The single premium exhibited a growth of 235 per cent from Rs.98.02 crore in the previous year to Rs.328.18 crore in 2002-03. This is as against a growth of 35 times in the previous year. In terms of renewals, premium collected was Rs.151.49 crore as against Rs.4.03 crore in the previous year, recording a growth of 36.55 times.

Statistics compiled from the annual reports furnished by the insurers, reveal that on an average, the first year commission to the first year premium of the life insurers works out to 25.33 per cent as against 25.56 per cent in the previous year. While the ratio in case of LIC was 25.51 per cent, the cumulative total for the private insurers worked out to 22.24 per cent, as against 25.52 per cent and 27.83 per cent,



respectively in the previous year. The renewal commission to renewal premium ratio for LIC in the financial year 2002-03 was 5.80 per cent as against 5.63 per cent in the previous year. The corresponding figures for the private insurers were 6.06 per cent and 6.83 per cent, respectively. The ratio of single premium commission to the single premium for the industry worked out to 1.16 per cent in the financial year 2002-03 as against 1.54 per cent in the previous year. The corresponding figures for LIC and the private players were 1.16 per cent and 1.54 per cent; and 1.14 per cent and 1.39 per cent respectively for the two years. The decreasing trend in the commission per centage in case of the private insurers, as against the increasing premium figures also points towards the private insurers' strategy to adopt ways and means to widen their distribution channels and improve their cost effectiveness, while at the same time offering a wider range of products.

The ratio of total commission paid and operating expenses to total premium collected for the life insurance industry was 18.90 per cent as against 18.54 per cent in the previous year. The corresponding figures for LIC and the private players were 17.55 per cent and 17.62 per cent; and 85.59 per cent and 187.15 per cent respectively for the two years. The operating expenses in case of the private insurers are high particularly in case of the first year of operations. Even though the private insurers are still establishing their operations, the ratio of expenses to the premium is coming down slowly on account of both stabilisation of operations and with increase in the premium underwritten.

The benefits paid statistics of the insurers reveal that the gross benefits paid during 2002-03 were Rs.20564.36 crore as against Rs.17484.11 crore paid in the previous year. The benefits paid net of re-insurance accounted for Rs.20544.71 crore in 2002-03 and Rs.17479.52 crore in the year 2001-02. The benefits paid through re-insurance for the two years were a nominal 0.10 per cent and 0.03 per cent, respectively. In the life segment, a major component of the risk is being retained by the life insurers, which is in stark contrast to the non-life insurance industry. The retention component reflects the life insurance industry's ability to retain risks as against the general insurance market, and

in case of any major upheaval in the re-insurance market, the life segment is the least impacted. It is still early years for the private sector insurers to have any major claims. The gross benefits paid by the twelve private insurers were Rs.17.99 crore and Rs.3.04 crore, respectively in the years 2002-03 and 2001-02. In case of LIC the said figures stood at Rs.20546.36 crore and Rs.17481.07 crore, respectively. The accompanying graphs exhibit the trends for the life insurance industry for the premium income, commission and operating expenses.

The compilation of the Revenue Account, Profit & Loss Account and Balance Sheets of the life insurers are placed at Tables 10 to 12. The Revenue Account, Profit & Loss Account and Balance Sheet of LIC for the CRAC business are placed at Tables 13 to 15.

Performance during the first half of 2003-04:

During the first half of the current financial year 2003-04, the life insurers have underwritten first year premium of Rs.5435.96 crore towards 8738024 policies. In the individual segment, LIC accounted for 88 per cent of the business in terms of premium and 94 per cent in terms of policies. As against this, the private insurers captured 12 per cent of the premium and 6 per cent of the policies. In terms of group business, LIC captured 93.63 per cent of the premium and 93 per cent of the policies. The twelve private insurers captured only 6.37 per cent of the premium and 7 per cent of the policies underwritten during the period for group business.

Under the Varishtha Pension Bima Yojana launched by the LIC, in July, 2003 premium of Rs.2281.42 crore towards 132022 policies has been collected in the first half of the current financial year. This business accounts for 47 per cent of the total first year business collections received, including single premium, by LIC during April – September, 2003.

The private players have during the first half of the current financial year, underwritten 62 per cent of the first year premium (including single premium) business done in the entire previous year. In comparison, LIC has underwritten 30 per cent of the business done by it in the twelve-month period of 2002-03. Traditionally, LIC's maximum business has been underwritten during the last quarter of any given year.



In terms of market share, during the half year ended September, 2003, the market share of the private players, in terms of premium, has gone up to 10.95 per cent as against 5.66 per cent in FY 2002-03.

On the whole, insurers had launched several innovative products aimed at catering to the specific needs of individuals/groups. Customised life insurance solutions are being offered rather than pre-packaged products. Simplicity and innovation are the key words for finalising products aimed at the masses. Products have also been designed to cater to the "child" segment with innovations like family income benefits. A number of new products have been introduced in the industry with players in the life segment launching products with guaranteed additions, which were subsequently withdrawn/toned down; single premium mode was popularised; unit linked products were introduced; and add-on/ riders were introduced including those for accidental death; dismemberment, critical illness rider, fixed term rider, pay rider or benefit rider, term to age 60 rider, group hospital and surgical rider, hospital cash benefit riders and a number of others. The comprehensive products having features of endowment, money back, whole life, single premium, regular premium, rebate in premium for higher sum assured, premium mode rebate, etc., having a number of riders along with the base products have been re-packaged. The year 2002-03 also witnessed a shift in the products offered to the customers from non-linked to linked products, which offer greater flexibility and transparency to the customers. Introduction of unit linked products, particularly at times when the stock markets are exhibiting a rising trend, is a good strategy. However, educating the insured of the pitfalls attached is even more crucial.

While introduction of the unit-linked products has been well received by the customers, it is critical that the prospective policyholder is aware of the risks attached to such insurance products. Being linked to the equity investments, such products have attached financial risks. Financial risks emerge from the various options which are added to the policies, and are equally difficult to price keeping the long term horizon in mind. Further the risk of volatility of the stock market is added, which impacts the earnings of the insurer. Interestingly, many a provider in the global markets has started adding capital protection features to their products. Market trends indicate that world over, sale

of such products declines in the scenario of falling equity markets. The insurance market in India has yet to stand the test of such a scenario.

Government of India in the Union Budget 2003-04, announced the launch of 'Varishtha Pension Bima Yojana' for citizens aged 55 years and above. The Varishtha Yojana is a Government subsidised scheme and LIC has been given the privilege to operate the scheme. The scheme aims at providing pension during the life time of the pensioner and in the event of unfortunate death of the pensioner, purchase price is payable to the nominee / legal heir of the pensioner.

The list of products introduced by the life insurers during the financial years 2001-02 and 2002-03 are placed at Tables 16(i) and 16(ii).

With a view to capturing virgin markets, insurers have introduced a number of innovative concepts in different villages across the country to strengthen their distribution channels. Easy term policies are being offered at very low rates of premium to provide life cover. Insurers are also associated with SOS Children's villages, have adopted specific rural areas and launched the insurance products under the supervision of their rural development teams. These methods, with their variants that will be adopted in the coming years, augur well for the development of this special market. In an effort to compete with the existing players, the new insurers have been aiming at providing better customer service. Players across the board are exploring and tapping the potential of new channels of distribution, besides building a strong agency network: corporate agencies and bancassurance. Subsequent to the enabling legislative framework being put in place by the Authority, allowing Bancassurance – selling of insurance products through the banking network, the insurers have started offering products through this strategic channel. Elaborate bancassurance strategies have been put in place to tap a lucrative revenue segment. With the grant of licenses to brokers, in the year 2002-03, this is another intermediary which is likely to gain prominence in the foreseeable future.

International operations of LIC:

During the year 2002-03, LIC's international operations showed positive trends except for United Kingdom where the operations of the Corporation are being revamped. LIC has also commenced operations in Sri Lanka and Nepal.



**TABLE-10
REVENUE ACCOUNT : ALL LIFE INSURERS**

(Rs. In lakhs)

Particulars	BSL		ICICI-PRU		ING V		L.I.C.		HDFC STD LIFE		MNYL		AMP S		A. BAJAJ		SBI-LIFE		OMKOTAK		TATA-AIG		MET-LIFE		AVIVA		TOTAL	
	2002-	2001-	2002-	2001-	2002-	2001-	2002-	2001-	2002-	2001-	2002-	2001-	2002-	2001-	2002-	2001-	2002-	2001-	2002-	2001-	2002-	2001-	2002-	2001-	2002-	2001-	2002-	2001-
Premiums earned – net																												
(a) Premium	14392	2826	41762	11637	2116	419	5462849	492191	14882	3946	9659	3895	647	28	6917	714	7239	1468	4032	738	7177	2114	791	48	1347	537810	509444	
(b) Reinsurance ceded	(403)	(146)	(28)	(9)	(4)	(2)	(27194)	(1676)	(477)	(139)	(154)	(35)	(46)		(56)	(11)			(60)	(21)	(87)	(6)	(11)	(1)	(8)	(4127)	(204)	
(c) Reinsurance accepted							182	79																			182	79
Income from Investments																												
(a) Interest, Dividends & Rent – Gross	287	61	1863	170	35		2503030	2286190	528	107	406	77	13		117		358	21	41		172		3		49	2306922	2286626	
(b) Profit on sale/redemption of investments	22	26	626	117			128251	112377	46	5					32		144								31	129153	112525	
(c) (Loss on sale/ redemption of investments)	(6)	(1)					(33223)	(13618)																	(6)	(63234)	(13619)	
(d) Transfer/Gain on revaluation/ change in fair value																												
Other Income (to be specified)	6786	4408	17	18	5		35533	12464	5324	4461	12	1	(5)		83						1					47756	21352	
TOTAL (A)	21080	7174	44241	11939	2152	417	8093848	7378007	20302	7780	9923	3938	609	28	7095	703	7741	1489	4014	737	7263	2108	783	47	1413	8220462	7414367	
Commission	2951	440	3647	1447	645	135	499861	451791	1977	682	1849	1186	167	7	1242	235	187	19	761	181	1480	572	167	16	210	515144	454691	
Operating Expenses related to Insurance Business	8907	4816	17512	8485	5775	2312	457176	426040	7006	4126	11194	8488	3398	1123	6572	2511	2330	1127	6138	3698	6353	4038	3044	653	4841	540345	467417	
Provision for doubtful debts	1						26541	17987																			26542	17987
Bad debts written off							125862	86817																			125862	86817
Provision for Tax							26077	8397																			26077	8397
(a) For diminution in the value of investments (Net)						1417	824646	859												1							824646	2277
(b) Others (to be specified)																												
TOTAL (B)	11859	5256	21159	8967	6420	3884	1940163	991891	8982	4788	13043	9674	3565	1130	7914	2746	2517	1146	6898	3880	7832	4610	3212	669	5050	20581616	1038621	
Benefit Paid (Net)	102	30	316	65	29		2053039	1747664	55	3	249	67	9		36		274		21		316	123	18		6	2054471	1747952	
Interim Bonuses Paid							21635	19538																			21636	19538
Change in valuation of liability in respect of life policies																												
(a) Gross	9782	1943	18723	12825	468	34	3082300	3403227	12291	3070	4546	2037	157	11	2749	341	7029	1435	2320	347	3479	451	523	9	839	3145198	3406650	
(b) Amount ceded in Reinsurance	(645)	(56)			(9)	(1)			(706)	(379)	(25)	(16)													(9)	(14402)	(452)	
(c) Amount accepted in Reinsurance			19881	725																							19881	725
(d) Transfer to Linked Fund																												
TOTAL (C)	9219	1917	38920	13615	484	353	5156974	5170429	11641	2694	4770	2088	166	11	2785	341	7304	1435	2341	347	3795	574	541	9	842	5239783	5198813	
SURPLUS / (DEFICIT) (D) =(A)-(B)-(C)			(15838)	(10643)	(4752)	(3800)	976710	1215887	(321)	298	(7890)	(7824)	(3122)	(1113)	(3605)	(2384)	(2080)	(1092)	(5226)	(3490)	(4365)	(3076)	(2970)	(631)	(4480)	922062	1181922	
Transfer from Shareholders' Account															4000	2400	2080	1092	993	1146	4365	3076					11438	7714
APPROPRIATIONS			(15838)	(12417)	(4752)	(3800)	48810	43325							16											(4480)	35177	34216
Transfer to Shareholders' Account*				1774			927380	827144	(321)	25					(411)	16										(4480)	927396	823918
Transfer to Other Reserves (to be specified)							520	350278		273																	(212)	350507
Balance being Funds for Future Appropriations			(15838)	(10643)	(4752)	(3800)	976710	1215887	(321)	298					(395)	16									(631)	(4480)	950924	1200927

Notes :

- 1) Other Income includes Transfer from Shareholders account to the extent : In case of BSL Rs. 6.711 lakhs, In case of HDFC Std Life Rs.5355 lakhs
- 2) In case of L.I.C., Other Expenses include provision for Required Solvency Margin of Rs.81.6081 lakhs
- 3) In case of MNYL, AMP SANMAR, METLIFE deficit in Revenue Account is carried directly to Balance Sheet instead of P & L A/c
- 4) In case of OmKotak, Deficit in Revenue account is Rs.5226 lakhs and out of which Rs.993 lakhs is transferred from P & L A/c Balance transferred to Balance sheet and shown under Insurance Reserves
- 4) Inconsistencies in accounts are being taken up with Insurers

TABLE-11 PROFIT AND LOSS ACCOUNT : ALL LIFE INSURERS

(Rs. In lakhs)

Particulars	BSLI		ICICI-PRU		ING-V		L.I.C.		HDFC STD LIFE		MNYL		AMP-S		A-BAJAJ		SBI LIFE		OMKOTAK		TATA-AIG		METLIFE		AVIVA		TOTAL									
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03							
Amounts transferred from/to the Policyholders Account (Technical Account) Income From Investments	(6771)	(4406)	(15638)	(12417)	(4752)	(3800)	48810	81391	(5355)	(4461)			(4000)	(2400)	(2080)	(1092)	(993)	(1146)	(4365)	(3076)			(631)	(4480)	175	47962										
(a) Interest, Dividends & Rent - Gross	576	598	620	1073	645	515	887	788	952	1504	1094	1263	934	206	1079	1105	1015	1409	862	828	858	607	688	11179	10742											
(b) Profit on sale/redemption of investments	175	44	572	1123	343	258			315	936	19	42	25		322	155	256	(8)	2	273	1	(12)	389	2833	3020											
(c) (Loss on sale/ redemption of investments)	(2)								(2)										(2)					(5)	(17)											
Other Income (To be specified)	45	195	14	11					(74)	69	1	2	(203)		15		2		21		(44)			(225)	279											
TOTAL (A)	(5977)	(3569)	(14632)	(10210)	(3764)	(3027)	49697	82179	(4162)	(1954)	1113	1307	756	206	(664)	168	277	257	(3483)	(1975)	815	(361)	(3403)	13958	61986	1943	2145									
Expense other than those directly related to the insurance business	119	41	86	111	22	67			659	557	67	169	31		84	197	8	2	806	549	11	248	19	1943	2145											
Bad debts written off																																				
Provisions (Other than taxation)																																				
(a) For diminution in the value of investments (Net)																																				
(b) Provision for doubtful debts																																				
(c) Others (to be specified)																																				
TOTAL (B)	119	41	86	111	22	67			659	557	631	169	140	40	85	197	277	257	806	549	11	248	19	2894	2400											
Profit/ (Loss) before tax	(6096)	(6610)	(14718)	(10321)	(3786)	(3094)	49697	82179	(4820)	(2511)	482	1138	616	206	(749)	(29)			(4289)	(2524)	804	(284)	(3422)	11064	59586											
Provision for Taxation				(188)																					(188)											
Profit / (Loss) after tax	(6096)	(6610)	(14718)	(10509)	(3786)	(3094)	49697	82179	(4820)	(2511)	482	1138	616	206	(749)	(29)			(4289)	(2524)	804	(284)	(3422)	11064	59398											
APPROPRIATIONS																																				
(a) Balance at the beginning of the year.	(4442)		(10531)	23	(3094)			28066	(2645)	(134)	(467)	(1605)	206		(11)	18	12	12	(2882)	(358)	(284)			(25703)	26022											
(b) Interim dividend paid during the year								43325																		43325										
(c) Proposed final dividend																																				
(d) Dividend distribution on tax																																				
(e) Transfer to reserves/ other accounts (to be specified)		(832)		(45)			48810																													
Profit carried ———— to the Balance Sheet	(10538)	(4442)	(25249)	(10531)	(6880)	(3094)	82179	82179	(7465)	(2645)	15	(467)	872	206	(760)	(11)	12	12	(7171)	(2882)	570	(284)	(3422)	(64334)	36476											

Notes : Other Expenses include Cost of Bonus to Policy Holders as below : MNYL Rs.565 lakhs, AMP SANMAR Rs.108 lakhs, OM KOTAK Rs.111 lakhs

BSLI stands for Birla Sun Life Insurance Co. Ltd

ICICI-PRU Stands for ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd

ING V Stands for ING Vysya Life Insurance Co. Ltd.

L.I.C. Stands for Life Insurance Corporation of India

HDFC STD LIFE- Stands for HDFC Standard Life Insurance Company Ltd

MNYL Stands for Max New York Life Insurance Company Ltd.

AMP S stands for AMP Sanmar Assurance Co. Ltd.

A Bajaj stands for Allianz Bajaj Life Insurance Co. Ltd.

SBI-LIFE stands for SBI Life Insurance Company Ltd

OM-KOTAK stands for Om Kotak Life Insurance Co Ltd

TATA-AIG Stands for TATA AIG life insurance company ltd

MET LIFE Stands for Met Life Insurance company Ltd

AVIVA Stands for Aviva Life Insurance Company Ltd (Commenced business in 2002-03)

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003



TABLE - 13
REVENUE ACCOUNT: LIC'S CRAC BUSINESS

(Rs. In lakhs)

Particulars	2002-03	2001-02
Premiums earned (Net)	1,122	93
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments	89	(12)
Change in Policy Liabilities	(1,818)	(214)
Others (to be specified) written backs	3	0
Interest, Dividend & Rent – Gross	281	471
TOTAL (A)	(324)	339
Claims Incurred (Net)	450	355
Commission	47	2
Operating Expenses related to Insurance Business	69	16
Others-Amortisations,Write offs & Provisions	(116)	177
Foreign Taxes		
TOTAL (B)	449	550
Operating Profit/(Loss) from Fire/Marine/Miscellaneous Business C= (A - B)	(773)	(211)
APPROPRIATIONS		
Transfer to Shareholders' Account		(211)
Transfer to Catastrophe Reserve		
Transfer to Other Reserves (to be specified)		
TOTAL (C)	(773)	(211)

TABLE - 14
PROFIT & LOSS ACCOUNT : LIC'S CRAC BUSINESS

(Rs. In lakhs)




Particulars	2002-03	2001-02
OPERATING PROFIT/(LOSS)		
(a) Fire Insurance		
(b) Marine Insurance		
(c) Miscellaneous Insurance	(773)	(211)
INCOME FROM INVESTMENTS		
(a) Interest, Dividend & Rent – Gross		
(b) Profit on sale of investments		
Less: Loss on sale of investments		
OTHER INCOME (To be specified)		
TOTAL (A)	(773)	(211)
PROVISIONS (Other than taxation)		
(a) For diminution in the value of investments		
(b) For doubtful debts		
(c) Others (to be specified)		
OTHER EXPENSES		
(a) Expenses other than those related to Insurance Business		
(b) Bad debts written off		
(c) Others (To be specified)		
TOTAL (B)		
Profit Before Tax	(773)	(211)
Provision for Taxation		
Profit after Tax	(773)	(211)
APPROPRIATIONS		
(a) Interim dividends paid during the year		
(b) Proposed final dividend		
(c) Dividend distribution tax		
(d) Transfer to any Reserves or Other Accounts (to be specified)		
Transfer to General Reserve		
Balance of profit/ loss brought forward from last year		
Balance carried forward to Balance Sheet	(773)	(211)




TABLE - 15
BALANCE SHEET : LIC'S CRAC BUSINESS



(Rs. In lakhs)

SOURCES OF FUNDS	2002-03	2001-02
Share Capital		
Reserves and Surpluses	36	36
Fair value change account	865	840
Policy Liabilities *	5770	4725
Borrowings		
TOTAL	6671	5601
APPLICATION OF FUNDS		
Investments	3864	5072
Loans		
Fixed Assets		
Current Assets		
Cash and Bank Balances	2487	10
Advances and Other Assets	406	582
Sub-Total (A)	2893	592
Current Liabilities	86	63
Provisions		
Sub-Total (B)	86	63
NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	2807	529
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)		
Debit balance in Profit and Loss Account		
TOTAL	6671	5601

*Include Debit balance in Profit & Loss Account











TABLE - 16(I)
LIST OF LIFE INSURANCE PRODUCTS AS AT 31.03.2002

Sl. No.	Name of the product	Insurer
1.	Allianz Bajaj Cash Care (Cash Benefit)	Allianz Bajaj
2.	Allianz Bajaj Life Time Care (All Life)	
3.	Allianz Bajaj Save Care (Safe Gain)	
4.	Allianz Bajaj Risk Care	
5.	Allianz Bajaj Term Care	
6.	Allianz Bajaj Group Credit Care	
7.	Allianz Bajaj Group Risk Care	
8.	Alliaz Bajaj Group EDLIs Care	
9.	Dhana Shree	AMP Sanmar
10.	Subha Shree	
11.	Yuva Shree	
12.	Nithya Shree	
13.	Birla Sunlife Insurance Solutions	Birla Sunlife
14.	Group Superannuation Policy for Canadian High Commission	
15.	Birla Sunlife Flexi Family Shield Term Plan	
16.	Birla Sun Life Single Premium Group Term Product	
17.	Birla Sun Life Special Endowment	
18.	Birla Sun Life Group Protection Solutions	
19.	Birla Sun Life Young Scholar	
20.	Birla Sun Life Group Superannuation Product	
21.	HDFC Endowment Assurance	HDFC Stanlife
22.	HDFC Money Back	
23.	HDFC Development Insurance Plan	
24.	HDFC Single Premium Whole Life Assurance	
25.	HDFC Group Term Insurance	
26.	HDFC Protection Series	
27.	HDFC Immediate Annuity	
28.	HDFC Personal Pension Plan	
29.	HDFC Group Term Assurance	

Sl. No.	Name of the product	Insurer
30.	ICICI PRU Forever Life - Regular Premium Deferred Pension	ICICI PRU
31.	ICICI PRU Forever Life - Single Premium Deferred Pension	
32.	ICICI PRU Save 'n' Protect - Endowment Assurance	
33.	ICICI PRU Single Premium Bond with Guaranteed Additions	
34.	ICICI PRU Cashbak - Anticipated Endowment Assurance	
35.	ICICI PRU Life Guard - Level Term Assurance with Return of Premiums	
36.	ICICI PRU Life Guard - Single Premium Level Term Assurance	
37.	Salaam Zindagi - One year Renewable Group Term Cover for Social Sector	
38.	Life Time Immediate Pension	
39.	ICICI PRU - ReAssure	
40.	ICICI PRU - Assure Invest	
41.	ICICI PRU Life Link	
42.	ICICI PRU Life Time	
43.	ICICI PRU Cash Bak	
44.	ICICI PRU Save 'N' Protect	
45.	Fulfilling life anticipated whole life Plan	ING Vysya
46.	Maximising life Money back Plan	
47.	Reassuring life endowment Plan	
48.	Securing Life Rural Endowment Plan	
49.	Generic Group Term Insurance for Social Sector	
50.	LIC's Bima Plus - Unit Linked Insurance Policy	LIC*
51.	Khetihar Mazdoor Bima Yajona	
52.	Shiksha Sahayog Yojana	
53.	Bima Nivesh	
54.	New Bima Nivesh	
55.	New Jeevan Akshay-1	
56.	New Bima Kiran	
57.	Jeevan Anand	
58.	Bima Nivesh 2002	
59.	Jeevan Samridhi (New Jeevan Sanchay)	
60.	5-Year Renewal & Convertible Term Insurance Plan	MAX NYLIFE
61.	20 year Endowment	
62.	Easy Term	

Sl. No.	Name of the product	Insurer
63.	Non Par Whole Life	MAX NYLIFE
64.	Par Whole Life	
65.	Group Term Insurance	
66.	Decreasing Term Product	
67.	Limited Payment Whole Life Non Participating	MetLife
68.	Endowment Assurance-Non Participating	
69.	Money Back-Non Participating	
70.	OM Endowment Plan (Kotak Endowment Plan)	OM Kotak
71.	OM Insurance Bond (Kotak Insurance Bond)	
72.	OM Money Back Plan (Kotak Money Back Plan)	
73.	Kotak Insurance Bond - New Version	
74.	Kotak Term Assurance Plan	
75.	Kotak Term Plan	
76.	Kotak Gramin Bima Yojana	
77.	Kotak Credit Term Group Plan	
78.	Kotak Term Group Plan	
79.	Kotak Investment Assurance Plan (Kotak Safe Investment Plan)	
80.	Kotak Endowment Plan	
81.	Kotak Capital Multiplier Plan	
82.	Kotak Gratuity Group Plan	
83.	SBI Life-Sanjeevan	SBI Life
84.	Sukhjeevan	
85.	Swarna Ganga (Group Term)	
86.	SBI Life Scholar	
87.	Young Sanjeevan	
88.	SBI Life-Super Suraksha	
89.	SBI Life-Credit Guard	
90.	Sukhjeevan Pratham	
91.	Group Gratuity-cum-Life Cover Scheme	
92.	Group Regular Premium Mortgage Reducing Term Insurance Plan	Tata-AIG
93.	Group Single Premium Mortgage Reducing Term Insurance Plan	
94.	10 year/20 year/30 year Endowment RB Plan	
95.	Assure 21 years Money Saver (21 year Triennial Modified Anticipated Endowment Plan)	



Sl. No.	Name of the product	Insurer
96.	Endowment to age 60 (RB) Plan (Assure Golden Years Plan)	Tata-AIG
97.	Guaranteed Issue 10 Years Endowment Plan Non Participating (Assure Humrahi)	
98.	Group Term Life	
99.	Group Credit Card Term Insurance Protection Plan	
100.	Assure 10 Years/15 Years/20 Years/25 Years Lifeline Plans - 10/15/20/25 Years Term Plan	
101.	Assure 15 Years Lifeline (With Return of Premiums) Plan	
102.	Assure Five Years Lifeline Plan - 5 Yearly Renewable Convertible Term Plan	
103.	Assure Lifeline to Age 60 - Term to age 60 Plan	
104.	Assure One Year Lifeline Plan - Yearly Renewable Convertible Term Plan	
105.	Group Regular Premium Personal Loan Reducing Term Insurance Plan	
106.	Group Single Premium Personal Loan Reducing Term Insurance Plan	
107.	Assure 5/10 years Plan – SP	
108.	Single Premium Immediate Annuity Option with return of Premium	
109.	Tata AIG Comprehensive Superannuation Policy-Defined Benefit	
110.	Tata AIG Comprehensive Superannuation Policy-Defined Contribution	
111.	Tata AIG Comprehensive Gratuity Scheme	
112.	Chayaa (Nirvana)	
113.	Assure Career Builder	
114.	The Achiever at 18	
115.	The Achiever at 21	
116.	Assure Pay Master (Maha Life)	

* The list of products launched in the market by LIC given as on 31st March, 2002 pertains to period after October, 2000

TABLE - 16(II)
LIST OF LIFE INSURANCE PRODUCTS CLEARED DURING THE
Financial Year 2002-2003

Sl. No.	Insurer	Name of Product	Attached Riders
1.	Allianz Bajaj	Save Care-Economy-SP	Start of Life Benefit
2.		Allianz Bajaj Child Care	Critical Illness Benefit
3.		Invest Gain Diamond	Family Income Benefit
4.		Invest Gain Gold	Hospital Cash Benefit
5.		Invest Gain Platinum	Increase in Death Coverage
6.		Invest Gain Economy	Waiver of Premium Benefit
7.	AMP Sanmar	Group Term Assurance	Accidental or sickness total and permanent disablement rider
8.		Jaya Shree	Accidental Death and Total and Permanent Disability Rider
9.		Immediate Annuity	Term Life Insurance
10.		Bhagya Sree	
11.	AVIVA Life	Life Long-Unit Linked	Accidental Death and Dismemberment Benefit
12.		Easy Life With Profits	Critical illness and Permanent Total Disability-accelerated cover
13.		Easy Life Long-With Profit	Hospital Cash Benefits
14.		Life Long-With Profit	
15.		Life Saver-Unit Linked	
16.		Life Saver-With Profit	
17.		Life Bond-Unit Linked	
18.		Life Bond-With Profit	
19.		Credit Net	
20.		Credit Plus	
21.		Group Shield	
22.		Corporate Life	
23.		Easy Life Plus-with profit	
24.		Easy Life Plus-Unit Linked	
25.		Amar Suraksha	
26.	Secure Life		

Sl. No.	Insurer	Name of Product	Attached Riders
27.	AVIVA Life	Pension Plus	
28.		Annuity Plus	
29.		Pension Plus (Unit Linked)	
30.	Birla Sunlife	BSL Group Gratuity Product	Accident Death & Disability Rider
31.		Stand Alone Term Product	Critical Illness Rider
32.		BSL Premium Back Term Plan	Term Rider
33.		Unit Linked Single Premium Bond	
34.		BSL Flexi Secure Life Retirement Plan	
35.	HDFC Stanlife	HDFC Bima Bachat Yojana for Social Sector	
36.		HDFC Children's Plan	
37.	ICICI PRU	ICICI PRU Immediate Annuity-Tied Annuity	Accident and Disability Benefit
38.		ICICI PRU Life Time Pension-Revised	Critical illness cover
39.		ICICI PRU Life Link Pension	Level term insurance
40.		ICICI PRU Regular Premium Deferred Pension Plan-Revised	Major surgical assistance cover
41.		ICICI PRU Life Guard (Regular Premium Term Assurance)	
42.		ICICI PRU Easy Life-Level Term Assurance-Direct Marketing	
43.		ICICI PRU Group Term Insurance	
44.		ICICI PRU Mitr-Regular Premium Without Profit Endowment-Rural	
45.		ICICI PRU Suraksha-Single Premium Term Assurance-Rural	
46.		ICICI PRU Suraksha-Regular Premium Term Assurance-Rural	
47.		ICICI PRU Group Gratuity	
48.		ICICI PRU Cash Bak	
49.		ICICI PRU Save 'N' Protect	
50.		ICICI PRU Group Superannuation plan	
51.	ING Vysya	Shielding Life Protection Plan(CLCIP)	Term Benefit Rider
52.		Powering Life Limited Payment Endowment Plan	Accidental Death Benefit Rider

Sl. No.	Insurer	Name of Product	Attached Riders
53.	ING Vysya	Mastering Life Regular Endowment Plan (Reassuring Life Endowment Plan with Reversionary Bonus)	Accidental Death Disability and Dismemberment Benefit Rider
54.		Creating Life Child Protection Plan	Waiver of Premium Benefit Rider
55.		Surakshit Jeevan Rural Endowment Plan	
56.	L I C	Bima Nivesh 2003	Term Assurance Rider
57.		Bima Nivesh Triple Cover	Premium Waiver Benefit
58.		Jeevan Rekha	Female Critical Illness
59.		Term Assurance Plan (Without Profit)-Jeevan Anmol	Congenital Disability Benefit
60.		Jeevan Samridhi	
61.		Bima Nivesh 2002	
62.		Komal Jeevan	
63.		New Jeevan Akshay-1	
64.		Bima Plus Plan	
65.		Mortgage Redemption Plan	
66.		Group Mortgage Red. Ass. Scheme	
67.	Jeevan Bharathi		
68.	MAX NY LIFE	Decreasing Term Product	Personal Accident Benefit/Accidental Death Benefit or Accident Death & Disability (AD&D) Riders
69.		Level Term Product	Dreaded Disease (Critical Illness) rider
70.		Single Premium Bond	Waiver of Premium
71.		Easy Life Retirement Plan (Deferred Annuity)	
72.	Met Life	Met Mortgage Protector	Accidental Death Benefit
73.		Met 100 Plus	Term Rider
74.		Single Pay-Mortgage Protection Plan	Waiver of Premium Benefit
75.		Juvenile Money Back-Non Participating	Critical Illness Rider - Non participating
76.		Juvenile Endowment Assurance-Non Participating	
77.		Met Endowment Plus(Met Platinum)	
78.	Met Endowment(Met Gold)		

Sl. No.	Insurer	Name of Product	Attached Riders
79.	Met Life	Met Junior E	
80.		Met 100 Par	
81.		Met Group YRT	
82.		Met Gold (Non Par Endowment)	
83.		Met Platinum(Non Par Endowment)	
84.	OM Kotak	Kotak Money Back Plan	Accidental Death Cover
85.		Kotak Children's Plan	Term Cover
86.		Kotak Preferred Term Plan	Permanent Disability Cover
87.		Kotak Endowment Plan	Critical Illness Benefit
88.		Kotak Insurance Bond-New Version	Term Cover
89.		Kotak Gratuity Group Plan	Waiver of premium Benefit on death of premium payer (Life Guardian)
90.		Kotak Capital Multiplier Plan	Waiver of premium Benefit on disability of Premium Payer
91.		Kotak Immediate Plan	Kotak Preferred Term Benefit
92.		Kotak Retirement Income Plan with Cover	
93.		Kotak Investment Assurance Plan	
94.	SBI Life	SBI Life Sudershan	Accidental Death rider
95.		Sukhjeevan Pratham	Total Permanent Disability Benefit
96.		Group Gratuity-cum-Life Cover Scheme	Pure Term Rider
97.		SBI Life Swadhan (Individual)	Increasing Sum Assured Rider
98.		SBI Life Long Pensions (Individual)	
99.	SBI Life Long Pensions (Group)		
100.	Tata-AIG	10/20/30 years security and growth plans Non Par	5 Year Renewable Term Rider
101.		Chayaa	Term to Age 60 Rider
102.		Sandhya	

TABLE – 17(I)

MORTALITY RATES OF ASSURED LIVES IN LIC OF INDIA — LIC 94-96 ULTIMATE

Age	Mortality Rate	Age	Mortality Rate
14	0.00071	60	0.01307
15	0.00077	61	0.01439
16	0.00082	62	0.01590
17	0.00087	63	0.01761
18	0.00092	64	0.01952
19	0.00096	65	0.02162
20	0.00100	66	0.02272
21	0.00103	67	0.02562
22	0.00106	68	0.02882
23	0.00109	69	0.03237
24	0.00111	70	0.03629
25	0.00113	71	0.04062
26	0.00115	72	0.04539
27	0.00116	73	0.05064
28	0.00117	74	0.05640
29	0.00117	75	0.06273
30	0.00117	76	0.06966
31	0.00117	77	0.07723
32	0.00120	78	0.08550
33	0.00125	79	0.09452
34	0.00131	80	0.10433
35	0.00139	81	0.11499
36	0.00148	82	0.12655
37	0.00159	83	0.13907
38	0.00172	84	0.15108
39	0.00187	85	0.16230
40	0.00205	86	0.17415
41	0.00225	87	0.18664
42	0.00242	88	0.19978
43	0.00260	89	0.21356
44	0.00283	90	0.22800
45	0.00311	91	0.24307
46	0.00344	92	0.25878
47	0.00382	93	0.27511
48	0.00424	94	0.29203
49	0.00472	95	0.30952
50	0.00524	96	0.32755
51	0.00582	97	0.34607
52	0.00644	98	0.36505
53	0.00712	99	0.38444
54	0.00784		
55	0.00861		
56	0.00943		
57	0.01029		
58	0.01103		
59	0.01195		



TABLE - 17(II)
MORTALITY RATES OF ANNUITANTS IN LIC OF INDIA — LIC A(96-98) ULTIMATE

Age	Mortality Rate	Life Expectation	Age	Mortality Rate	Life Expectation
20	0.000919	57.45	65	0.013889	17.33
21	0.000961	56.50	66	0.015286	16.56
22	0.000999	55.56	67	0.017026	15.81
23	0.001033	54.61	68	0.019109	15.08
24	0.001063	53.67	69	0.021534	14.36
25	0.001090	52.72	70	0.024301	13.67
26	0.001113	51.78	71	0.027410	12.99
27	0.001132	50.84	72	0.030862	12.35
28	0.001147	49.89	73	0.034656	11.72
29	0.001159	48.95	74	0.038793	11.13
30	0.001166	48.01	75	0.043272	10.56
31	0.001170	47.06	76	0.048093	10.01
32	0.001170	46.12	77	0.053257	9.49
33	0.001171	45.17	78	0.058763	9.00
34	0.001201	44.22	79	0.064611	8.53
35	0.001246	43.28	80	0.070802	8.08
36	0.001308	42.33	81	0.077335	7.66
37	0.001387	41.38	82	0.084210	7.26
38	0.001482	40.44	83	0.091428	6.88
39	0.001593	39.50	84	0.098988	6.52
40	0.001721	38.56	85	0.106891	6.19
41	0.001865	37.63	86	0.115136	5.87
42	0.002053	36.70	87	0.123723	5.56
43	0.002247	35.77	88	0.132652	5.28
44	0.002418	34.85	89	0.141924	5.01
45	0.002602	33.93	90	0.151539	4.76
46	0.002832	33.02	91	0.161495	4.52
47	0.003110	32.11	92	0.171794	4.29
48	0.003438	31.21	93	0.182436	4.07
49	0.003816	30.32	94	0.193419	3.87
50	0.004243	29.43	95	0.204746	3.68
51	0.004719	28.56	96	0.216414	3.50
52	0.005386	27.69	97	0.228425	3.33
53	0.006058	26.84	98	0.240778	3.17
54	0.006730	26.00	99	0.253473	3.01
55	0.007401	25.17	100	0.266511	2.86
56	0.008069	24.35	101	0.279892	2.72
57	0.008710	23.55	102	0.293614	2.59
58	0.009397	22.75	103	0.307679	2.46
59	0.010130	21.96	104	0.322087	2.33
60	0.010907	21.18	105	0.336836	2.19
61	0.011721	20.41	106	0.351928	2.05
62	0.011750	19.64	107	0.367363	1.89
63	0.012120	18.87	108	0.383139	1.70
64	0.012833	18.10	109	0.399258	1.45
			110	0.415720	1.08

TABLE - 18
APPOINTED ACTUARIES OF LIFE INSURERS
(AS AT 31ST MARCH, 2003)

Allianz Bajaj	Aiyer Vaidianathan Ganapathy
AMP Sanmar	Ramaswamy Soundararajan, FASI
AVIVA Life	Kewal Krishan Wadhwa, FASI
BSLIC	Peter J. Akers, FASI
HSLIC	Nicholas David Taket, FASI
IPLIC	V. Rajagopalan, FASI
ING Vysya	Achaiyer Venkatasubramanian, FASI
LIC	N.S. Sastry, FASI
MNYLIC	Rajendra P. Sharma, FASI
MetLife	Suresh G. Guhagarkar, FASI
OM Kotak	Andrew Cartright, FASI
SBI Life	Dr. R. Kannan, FASI
Tata AIG	Phuong Ba Chung, FASI
Notes:	
LIC	: Life Insurance Corporation of India
BSLIC	: Birla SunLife Insurance Company Limited
IPLIC	: ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
MNYLIC	: Max New York Life Insurance Company Limited
HSLIC	: HDFC Standard Life Insurance Company Limited

(ii) General Insurance

The year 2002-03 marked the third year of the presence of private players in the general insurance industry, which has over the years been dominated by the public sector insurance companies. Both the private and the public sector players increased the gross premium underwritten by them, with the industry generating a premium within the country of Rs.14272.67 crore. The analysis of the business performance of the public and private players is given below.

During the year 2002-03, there were 13 players in the general insurance sector, with Cholamandalam MS General Insurance Company Limited and HDFC Chubb General Insurance Company Limited commencing operations in October, 2002. Thus, the year witnessed the number of private players increasing from six to eight. It was also the first year of ECGC reporting business after its registration with the Authority. It may be mentioned that ECGC has been providing credit insurance for a number of years, and was an exempted insurer as per the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972.

As per the audited figures furnished by the insurers for the year ending 31st March, 2003, the public sector insurers accounted for 90.60 per cent of the gross direct business underwritten within the country, with the private sector accounting for 9.40 per cent. As against this, the public sector insurers had accounted for 96.24 per cent of the business underwritten in the year 2001-02, while the six private sector players had captured only 3.76 per cent of the business in the said year. Analysis of the data furnished by the non-life insurers further reveals that the general insurance market in the country grew at a healthy rate of 21.12 per cent. The main driver of the business growth was the miscellaneous insurance segment, which registered a growth rate of 25.35 per cent. The maximum business, to the extent of 70.82 per cent was underwritten in this segment. Here too, motor premium accounted for 40.68 per cent of the market; of which the public sector companies accounted for 38.14 per cent and private sector players 2.54 per cent. The health insurance market stood at a 7.68

per cent of the overall general insurance premium. A notable achievement in the year under review was the health insurance premium crossing the Rs.1000 crore mark. It stood at Rs.1095.90 crore recording a growth rate of 50.10 per cent over the previous year. The premium in the miscellaneous class of insurance business increased by Rs. 2044.45 crore, whereas fire business increased by only Rs. 282.46 crore and marine by Rs.161.42 crore. This sharp increase in miscellaneous business was mainly due to two reasons, viz., the revision in motor tariff effected in July, 2002 and increase in medi-claim premium. In addition, all insurers continued to focus on personal lines of business. The marine class of business grew at 15.32 per cent, while the fire class of business increased by 10.59 per cent. Fire and Marine insurance segments constituted 20.67 per cent and 8.51 per cent, respectively, of the overall general insurance market in the country.

An analysis of the business mix between the public and private sector reveals that in case of the former, fire and engineering classes account for 19.43 per cent and around 4.5 per cent of the gross direct premium income underwritten in India, whereas in case of private sector, these segments contribute 32.63 per cent and approx 7 per cent, respectively. Incidentally, it may be mentioned that these two lines of business are the most profitable business segments in the non life insurance industry. On the other hand, motor and health contributed around 41 per cent and approx 7.5 per cent of the business underwritten by the public sector insurers, as against 27 per cent and 5.5 per cent, respectively for the private sector insurers. The motor and health segments, on account of the high claims ratio, represent the not so profitable lines of business in the industry.

Public sector insurers:

The premium underwritten by the five public sector insurers (inclusive of ECGC) in 2002-03 was Rs.12556.29 crore during the financial year 2002-03. This includes the export credit insurance of Rs. 374.78 crore extended by ECGC. The four public sector insurers (excluding ECGC) accounted for a growth of 14.25 per cent over the previous

year. National recorded the maximum growth in premium, over the previous year, at 21.06 per cent followed by Oriental at 14.59 per cent. United and New India recorded 11.79 per cent and 11.64 per cent growth, respectively. In terms of the market share, New India led, with a market share of 27.47 per cent. The market share of the other three public sector companies was around 20 per cent each. The business composition of the public sector companies followed the market trend. In terms of lines of business, maximum business was underwritten in the motor segment. Of the gross premium underwritten by the public sector companies, the health insurance business constituted around 8 per cent in each of the companies. The engineering segment contributed approx 4 per cent of the business underwritten by the public sector insurers.

Private sector insurers:

The eight private sector insurers underwrote premium of Rs.1341.60 crore during the financial year 2002-03, recording a growth of 187.53 per cent over the previous year. All the insurers have exhibited impressive growth in the business underwritten by them. Of the private insurers, Bajaj Allianz General Insurance Company Limited captured 2.07 per cent of the total market share followed by Tata-AIG at 1.63 per cent, IFFCO-Tokio at 1.37 per cent, ICICI-Lombard at 1.48 per cent, Reliance at 1.30 per cent and Royal Sundaram at 1.29 per cent of the market share. Cholamanadalam MS and HDFC-Chubb, being in the first year of their operations, registered a small presence in the market. Overall, fire and miscellaneous businesses accounted for 32.63 per cent and 61.10 per cent of the business underwritten in the private sector, followed by marine at 6.27 per cent. Recently, in the financial year 2003-04, Cholamandalam joined hands with Mitsui Sumitomo of Japan who became their foreign joint venture partners holding 26 per cent equity in the company. Consequent upon the tie-up between two promoters, the name of the insurer was changed to Cholamandalam MS General Insurance Company Limited.

The compilation of the gross direct premium income in India, net premium income and underwriting

experience & profits of the non-life insurers is placed at Tables 28, 29 and 30(i) and (ii).

Claims experience

The insurance industry had a fairly good year as no major catastrophe was reported from any part of the country. Overall, the incurred claims ratio for the industry stood at 78.7 per cent as against the ratio of 89.6 per cent in the previous year. In the miscellaneous class of business, the incurred claims ratio reduced from 106.4 per cent to 87.7 per cent. The decline in the ratio can be attributed to the fact that, while the net premium of the insurers increased from Rs.8853.97 crore to Rs.10566.20 crore, the net incurred claims reported only a marginal increase from Rs.7929.86 crore to Rs.8317.49 crore.

Public Sector Insurers: The overall incurred claims ratio for the four nationalised insurance companies and ECGC stood at 80.20 per cent, as against 90.2 per cent in the previous year. National, New India and Oriental had incurred claims ratio of around 77 per cent, in contrast to which United India had the claims ratio of 91.1 per cent. The distribution of incurred claims ratio across the various segments of business was Fire – 48.10 per cent; Marine – 67.2 per cent; and Miscellaneous – 89.6 per cent. The miscellaneous segment continued to incur the highest claims ratio.

Private Insurers: The private insurers reported an incurred claims ratio of 52 per cent, which is significantly lower than the incurred claims ratio of the public sector insurers. The claims ratio, in case of fire and miscellaneous classes of business stood at 22 per cent and 56 per cent, respectively. Amongst the private players, ICICI-Lombard had incurred claims ratio of 40 per cent, IFFCO-Tokio – 41 per cent, TATA-AIG – 47 per cent, Royal Sundaram 54 per cent, Bajaj Allianz – 59 per cent and Reliance – 99 per cent. Cholamandalam MS and HDFC-Chubb, being new entrants, had incurred claims ratio of 14 and 13 per cent, respectively.

The compilation of incurred claims ratio of the non-life public and private insurers is placed at Tables 31(i) and (ii).

Commission and operating expenses

The commission and operating expenses of the insurers relating to insurance business continue to be high and above the statutory limit of around 20 per cent as prescribed under the Insurance Rules, 1939. Overall, the industry average for the financial year 2002-03 stood at 28.12 per cent of the gross direct premium written in India.

Public Sector Insurers: The ratio of operating expenses to gross direct premium in India for the four public sector insurers stood at 21.51 per cent. This compares favourably to the previous financial year's ratio of 22.97 per cent. The total outgo on account of operating expenses for the four public sector insurers was Rs.2766.60 crore as against Rs.2525.78 crore in the year 2001-02, representing a 9.53 per cent increase over the corresponding period in the previous year. The expenses on account of commission paid increased to 7 per cent in 2002-03 as against 5.65 per cent in the previous year. The outgo under the head, commissions paid direct for business underwritten was Rs.909.46 crore during 2002-03 as against Rs.642.28 crore in the year 2001-02. This translates into an increase of 41.60 per cent over the previous year. The commission and operating expenses as a percentage to gross direct premium written in India stood at 28.29 per cent, exhibiting an increase in costs of transacting insurance business within the country.

Private Insurers: The private insurers took steps to bring down their expenses of management, and the same is reflected in the financial reports submitted by them, in terms of the operating expenses showing a downward trend. The expenses of management for Reliance were the least at 14.37 per cent, followed by ICICI Lombard at 20.62 per cent. For the other private sector insurers, the expenses ratio ranged between 22 per cent to 30 per cent. The two companies which started operations in the year 2002-03, Cholamandalam MS and HDFC-Chubb, had high management expense ratios. Overall, the expenses of management of the new players are expected to be high, keeping in view their initial start up costs and the relatively narrow premium base.

The outgo on account of commissions and brokerage paid direct for underwriting business increased from Rs.5.84 crore to Rs.37.35 crore. This was nearly 2.78 per cent of the gross direct premium written in India. The outgo is also a reflection of the reliance placed by the private sector players, on intermediaries like agents and brokers, to procure business. Overall, the expense ratio for the private players was 26.48 per cent.

Investments

Globally, the general insurance business operates in a competitive environment, as a result of which the insurers end up with underwriting losses. The Indian market is no exception to the rule. All the companies reported underwriting losses. However, these were offset by the investment income. The investment yields not only wiped out the insurers' underwriting losses, but also enabled most of the companies to report profits. The gross investment income for the general insurance industry (excluding ECGC) stood at Rs.2637 crore for the year 2002-03.

Net profit

All the four public sector companies reported net profits during the financial year 2002-03, with National and Oriental coming out of the red as against the previous year. The profit after tax for the four public sector insurers stood at Rs.625.70 crore. The public sector insurers' contribution to the Central Government's revenues was Rs.110 crore by way of dividend, exhibiting an increase of over 100 per cent as against the previous year. The total outflow on account of dividend by the public sector insurers was Rs.50 crore in the financial year 2001-02.

Of the private sector insurers, four companies namely, Bajaj Allianz, IFFCO-Tokio, Reliance and ICICI Lombard have reported net profits during the financial year 2002-03. IFFCO-Tokio, became the first private sector insurer in the post liberalised scenario, to declare its maiden dividend of Rs.2 crore to its shareholders.

The performance of the general insurance companies during the year 2002-03 was satisfactory. However, in times to come, the profits of the nationalised

general insurers may come under pressure. The reasons for this are manifold including the increasing competitive pressures; recycling of investment portfolios at lower yields; continuing pricing insufficiency of “Motor Third Party” business and the high level of management expenses as also the likely increase in business sourcing costs with the introduction of brokers in the Indian market. It is therefore imperative for the public sector general insurance companies to improve their underwriting practices, control costs and improve claims management and service standards. On the positive side, the public sector companies have strong national franchise and presence, besides sound financial position, good solvency, strong equity portfolio and strong re-insurance ties. As regards the private players, their operations are presently at the nascent stage, and these insurers have yet to stabilise their operations and to establish their niche markets. However, the private sector insurers are also taking active steps towards controlling claims costs, improving service standards and reducing operating costs. These steps are expected to have a positive impact on their results.

The compilation of the Revenue Account, Profit & Loss Account and Balance Sheet of the non-life insurers, public and private sectors separately, are placed at Tables 19 to 24. The Revenue Account, Profit & Loss Account and Balance Sheet of GIC are placed at Tables 25 to 27.

During the financial year 2002-03, the non-life insurers introduced a number of non-tariff products. Insurers also added products with focus on the small and retail segments of the insurance market as well as personal lines of business. This was in line with the distribution and marketing strategy adopted by the insurers. The Authority also allowed issuance of policies on first loss basis covering contents of the household against fire group of perils, which is expected to give a boost to the personal lines of insurance. The public sector companies launched the universal health insurance scheme at a nominal premium and carried out amendments to the overseas mediclaim policy. One of the public sector insurers also came out with

a professional indemnity policy for brokers and yet another with credit insurance. On the other hand, the private sector players introduced a number of packaged products with a focus on personal line covers. Some of the new covers introduced in the Indian market protect against risks of weather perils, performance guarantee, protection of mutual fund asset, etc. which are specialised in nature. The lists of products introduced by the non-life insurers in the years 2001-02 and 2002-03 are placed at Tables 32(i) and (ii).

International Operations:

The public sector non-life companies have operations abroad, and are running their operations through their branches or agencies or associates/subsidiary companies in thirty countries. The foreign operations in Hong Kong of United and National have stopped from 1.4.2002 and 18.2.2002, respectively. New India is looking after the run-off portfolio of both the companies. An actuarial valuation as on 31.3.2003 was carried out by an actuary and necessary provisions for premium liability and Incurred But Not Reported (IBNR) liability have been provided. The performance of Kenindia Assurance Company Limited, Kenya and India International Insurance Pte. Limited, Singapore, has improved in comparison to the previous financial year.

The general insurance companies have drawn up various strategies to improve insurance penetration and insurance density. Most of the companies have tied up with banks either in the form of corporate agency or under the referral arrangement for utilising the extensive and broad reach which the banks provide to market insurance products. For the development of rural business, the insurers are tying up with State Cooperative Banks, State Level Cooperatives of Cotton growers, Dairy Owners, Sugar Cooperatives, etc. New need based packaged products for rural markets, such as women’s self-help groups, handloom weavers, artisans, tribals, etc are also being devised by the insurers.

Motor insurance, which forms about 40 per cent of the general insurance market in the country, continues to be a loss-making portfolio. The Authority received

a number of representations from various interest groups regarding implementation of the revised motor tariff, which became effective from 1st July, 2002. It was claimed, that the tariff structure notified was not being adhered to by the insurers, and that implementation of the revised tariff had resulted in a steep hike in the cost of insurance cover in respect of certain categories of the insured. The transport operators also represented against the non-availability of cover in respect of third party liability to property and lives. The insurers, on the other hand, put forward their case indicating that it had become extremely difficult for them to sustain the losses in the motor portfolio. The claims ratio far exceeded the premium underwritten in the segment. In fact, the motor portfolio was being subsidised by other profitable segments of the non-life portfolio. Taking note of these developments, the Authority constituted a Committee to examine the various aspects of motor underwriting including de-tariffing and pooling arrangements. The Committee was constituted under the Chairmanship of Justice T.N.C. Rangarajan, a retired Judge of the Andhra Pradesh High Court.

The Rangarajan Committee, while submitting its report in March, 2003 made the following recommendations:

1. Quarantine Third Party (TP) Liability insurance business and its underwriting in insurance companies' books.
2. Seek a review of the Statutory Liability for Third Party liability for motor vehicle accidents. The Government of India could be requested to consider this recommendation.
3. Set up an independent data bank under the TAC, mandate insurance companies to supply data to the bank, and draw on the data bank to justify proposed tariffs.
4. De-tariff the Own Damage segment of motor portfolio under a competitive premium-setting model based on a file and use procedure with a time schedule for change over.

The findings of the Report were discussed at a meeting of the Authority with the Chief Executives of the general insurance companies held at Hyderabad in May, 2003. At the meeting, it was unanimously agreed to usher in, effective 1st April, 2005, a system of free pricing on the own damage portion of the motor liability. With a view to drawing up the road map for moving towards the de-tariffed market in this regard, the Authority soon thereafter constituted a Committee under the Chairmanship of Mr. S.V. Mony. The Committee is to consider the various alternatives available to prepare the road map for free market availability of the products, and to suggest the measures which need to be taken in this regard, including the adoption of differential tariffing. The Committee is to make its recommendations to the Tariff Advisory Committee (TAC) on the de-tariffing of Motor OD in a time bound manner by devising the parameters, undertaking necessary studies, making cross country comparison on the market practices prevalent abroad and on consulting the actuaries while taking up this exercise.

Re-insurance:

The General Insurance Corporation (GIC), in its newly assigned role as the re-insurer to the Indian insurance market, offered support to the Indian direct insurers and developed a vertical capacity to cover risk upto Rs.1500 crore PML. The net premium from Indian business rose from Rs.2199.63 crore in 2001-02 to Rs.2817.32 crore in 2002-03, i.e., a rise of 28.1 per cent. The net claims outgo declined from Rs.1989.82 crore in the previous year to Rs.1891.93 crore in 2002-03, reflecting the catastrophe free year.

The Indian inward aviation premium increased from Rs.64.91 crore in the previous year to Rs.91.66 crore in the year 2002-03. Similarly, the foreign inward aviation premium of GIC increased from Rs.20.80 crore to Rs.81.51 crore indicating a very sharp increase in the foreign inward business, of over four times. The net premium on account, after retrocession was Rs.71.67 crore as against Rs.17.32 crore in the

previous year. The net claims were Rs.71.77 crore as compared to Rs.12.53 crore in the previous year, exhibiting a sharp rise in the net claims.

The net foreign inward premium rose sharply during the year to Rs.645.63 crore as against Rs.159.14 crore in the previous year. The GIC took this as an opportunity to write more premium in this category following withdrawal of many re-insurers from the reinsurance market in the aftermath of the September, 11 event. The net incurred claims during the year increased to Rs.423.04 crore from Rs.162.42 crore during the previous year, viz., a rise of about 160 per cent. It is pertinent to note that in case of foreign business, claims build up over a period of time.

GIC is tapping opportunities in the Indian life market and has consequently established a separate desk with a view to developing relationships with old and new players. LIC has, to begin with, started offering 10 per cent obligatory cessions on all its policies in favour of GIC.

The total investment of GIC as at 31st March, 2003 stood at Rs.8622.98 crore as against Rs.7948.71 crore as at year ended 2001-02. However, the investment income decreased to Rs.949.88 crore from Rs.961.80 crore in the year 2001-02, giving a mean yield of 12 per cent as against 14.2 per cent in the previous year. The reasons for the decrease in the yields can be attributed to the decline in interest rates of 300 basis points during the year. As a result, incremental investments made during the year were at the prevailing lower interest rates. In addition, there were limited opportunities available for investments in rated papers, the yields on which were also comparatively lower. The GIC earned a profit after tax of Rs.261.46 crore during the year 2002-03 as against Rs.306.70 crore during the previous year. GIC's contribution to the Central Government treasury, through distribution of dividend for the year 2002-03 was Rs.47.30 crore.

Performance during the first half of 2003-04:

In the non-life segment, the gross premium underwritten during the first six months of the current financial year was Rs.8081.06 crore, i.e., a growth of 12.71 per cent over the premium income of Rs.7169.88 crore for the corresponding period of the previous year. The public sector insurers underwrote premium of Rs.6973.78 crore recording a growth of 6.03 per cent over the corresponding period in the year 2002-03. Of the public sector players, the maximum growth was recorded by ECGC at 26.98 per cent, followed by National at 16.76 per cent. The other three public sector insurers recorded growth in the range of 1.16 and 3.62 per cent. As against this, the private insurers underwrote premium of Rs.1107.27 crore, viz., a growth of 86.72 per cent over the corresponding period in the previous year. The growth pattern of the insurers in the private sector showed wide variation. While ICICI Lombard recorded growth of over 222 per cent, in the case of Reliance, there was a decline of 6.02 per cent in the premium underwritten, as against the corresponding period in the year 2002-03. In the case of the other private players, the growth ranged between 48 per cent and 67 per cent. It may be mentioned that HDFC Chubb and Cholamandalam MS had commenced operations only in the second half of the financial year 2002-03.

In terms of market share of the non-life insurers, the public sector insurers accounted for 86.72 per cent of the business underwritten, with the eight private insurers accounting for the rest 13.28 per cent. Of the public sector insurers, New India accounted for 24.09 per cent, while Oriental contributed to the extent of 18.62 per cent, with National and United accounting for around 20 per cent each. Of the private insurers, market share of 2.91 per cent was held by ICICI Lombard, with Bajaj Allianz, TATA-AIG and IFFCO-Tokio close behind at 2.70 per cent, 2.40 per cent and 2.08 per cent, respectively. The share of the other insurers ranged between 0.44 and 1.64 per cent.

TABLE - 19
REVENUE ACCOUNT : PUBLIC SECTOR NON-LIFE INSURERS

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	NEW INDIA						ORIENTAL					
	2002-03			2001-02			2002-03			2001-02		
	Fire	Marine	Total	Fire	Marine	Total	Fire	Marine	Total	Fire	Marine	Total
Premiums earned (Net)	79,027	21,009	329,715	67,924	18,812	285,887	36,030	12,891	185,577	39,282	17,921	124,869
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments	1,525	739	9,829	551	264	3,336	993	402	7,217	336	167	1,671
Others (to be specified)	6,837	3,316	44,061	7,827	3,751	47,413	62	46	182	(30)		(30)
Interest, Dividend & Rent – Gross	87,389	25,064	383,605	76,302	22,828	336,636	41,636	15,184	226,052	44,450	20,509	150,725
TOTAL (A)	167,738	54,128	817,525	152,306	47,344	1,219,892	82,724	30,614	452,013	84,098	38,000	285,557
Claims Incurred (Net)	46,737	11,690	269,950	37,177	13,134	255,514	12,552	8,431	146,654	19,275	7,427	156,089
Commission	3,341	(1,040)	17,013	850	(1,034)	7,982	(2,573)	(715)	2,077	(1,895)	(465)	24
Operating Expenses related to Insurance Business	24,561	5,322	89,062	21,397	5,138	75,437	13,445	4,414	65,259	14,541	4,118	42,244
Others-Amortisations, Write offs & Provisions	1,129	547	7,273	1,027	492	6,224						
Foreign Taxes	83	8	414	56	9	327						
TOTAL (B)	75,851	16,527	386,013	60,507	17,739	345,484	23,424	12,130	210,702	31,921	11,080	198,357
Operating Profit (Loss) from Fire/Marine/ Miscellaneous Business C = (A - B)	11,538	8,537	(2,408)	15,795	5,089	(8,848)	18,212	3,054	15,350	12,529	9,429	(47,632)
APPROPRIATIONS	11,538	8,537	(22,483)	15,795	5,089	(8,848)	18,212	3,054	15,350	12,529	9,429	(47,632)
Transfer to Shareholders' Account												
Transfer to Catastrophe Reserve												
Transfer to Other Reserves (to be specified)												
TOTAL (C)	11,538	8,537	(22,483)	15,795	5,089	(8,848)	18,212	3,054	15,350	12,529	9,429	(47,632)

Contd...

Contd...

REVENUE ACCOUNT : PUBLIC SECTOR NON-LIFE INSURERS

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	UNITED				NATIONAL				TOTAL					
	2002-03		2001-02		2002-03		2001-02		2002-03	2001-02				
	Fire	Marine	Misc	Total	Fire	Marine	Misc	Total	Total	Total				
Premiums earned (Net)	45,280	18,050	147,608	210,938	44,630	14,278	138,372	197,280	36,655	14,912	130,131	181,698	922,826	846,937
Profit/Loss on sale/redemption of Investments	1,654	821	10,178	12,653	878	540	5,129	6,547	929	136	1,101	1,437	37,293	13,494
Others (to be specified)	71	36	249	356	(7)	47	804	844	32	(11)	(140)	263	237	1,114
Interest, Dividend & Rent - Gross	4,982	2,473	30,652	38,107	5,515	3,393	32,205	41,113	3,606	2,270	23,600	29,476	144,720	150,554
TOTAL (A)	51,987	21,380	188,687	262,054	51,016	18,258	176,510	245,784	40,577	16,125	176,845	233,547	1,105,258	1,012,069
Claims Incurred (Net)	20,030	9,970	160,545	190,545	17,560	8,164	152,357	178,081	13,326	10,563	138,077	161,966	769,115	788,896
Commission	(3,451)	(1,462)	2,982	(1,931)	(3,745)	(1,529)	3,521	(1,753)	(2,085)	(699)	7,319	4,535	20,707	2,880
Operating Expenses related to Insurance Business	14,262	5,490	42,487	62,239	14,874	4,136	38,777	57,787	11,531	3,599	44,969	60,099	276,659	250,561
Others - Amortisations, Write offs & Provisions	608	302	3,742	4,652	1,141	703	6,664	8,508					11,925	14,769
Foreign Taxes									37				414	327
TOTAL (B)	31,449	14,300	209,756	255,505	29,830	11,474	201,319	242,623	22,772	13,463	190,365	226,600	1,078,820	1,057,432
Operating Profit/(Loss) from Fire/Marine/ Miscellaneous Business C = (A - B)	20,538	7,080	(21,069)	6,549	21,186	6,784	(24,809)	3,161	17,805	2,662	(13,520)	6,947	26,438	(45,363)
APPROPRIATIONS														
Transfer to Shareholders' Account														
Transfer to Catastrophe Reserve														
Transfer to Other Reserves (to be specified)	20,538	7,080	(21,069)	6,549	21,186	6,784	(24,809)	3,161	17,805	2,662	(13,520)	6,947	26,438	(45,363)
TOTAL (C)	20,538	7,080	(21,069)	6,549	21,186	6,784	(24,809)	3,161	17,805	2,662	(13,520)	6,947	26,438	(45,363)

TABLE - 20
PROFIT AND LOSS ACCOUNT : PUBLIC SECTOR NON-LIFE INSURERS

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	NEW INDIA		ORIENTAL		UNITED INDIA		NATIONAL		TOTAL	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02
	OPERATING PROFIT/(LOSS)									
(a) Fire Insurance	11,538	15,795	18,212	12,529	20,538	21,186	17,805	10,956	68,093	60,466
(b) Marine Insurance	8,537	5,089	3,054	9,429	7,080	6,784	2,662	6,973	21,333	28,275
(c) Miscellaneous Insurance	(22,483)	(29,732)	(5,916)	(47,632)	(21,069)	(24,809)	(13,520)	(31,932)	(62,988)	(134,104)
	(2,408)	(8,848)	15,350	(25,674)	6,549	3,161	6,947	(14,003)	26,438	(45,363)
INCOME FROM INVESTMENTS										
(a) Interest, Dividend & Rent - Gross	27,974	32,669	6,458	9,465	12,265	12,742	9,158	11,448	55,855	66,324
(b) Profit on sale of investments	6,241	2,298	1,410	654	4,173	2,118	2,369	549	14,193	5,619
Less: Loss on sale of investments					(100)	(89)	(9)	(16)	(109)	(105)
OTHER INCOME (To be specified)	2,190	916	368	525	26	374	897	669	3,481	2,484
TOTAL (A)	33,997	27,035	23,586	(15,030)	22,913	18,306	19,362	(1,353)	99,858	28,959
PROVISIONS (Other than taxation)										
(a) For diminution in the value of investments	1,618	2,114	742	1,186	(46)	433	2,791	3,171	5,105	6,904
(b) For doubtful debts	2,363	1,596	2,954	2,739	568	877	559	599	6,444	5,811
(c) Others (to be specified)	637	579	2,298	4,529					2,935	5,108
OTHER EXPENSES										
(a) Expenses other than those related to Insurance Business					24	28	65	534	89	562
(b) Bad debts written off									2,005	3,738
(c) Others (To be specified)	(1,904)	1,926	3	2	951	1,299	2,005	3,738	(950)	3,227
TOTAL (B)	2,714	6,215	5,997	8,456	1,497	2,637	5,420	8,042	15,628	25,350
Profit Before Tax	31,283	20,820	17,589	(23,486)	21,416	15,669	13,942	(9,395)	84,230	3,609
Provision for Taxation	5,702	6,620	11,190	(1,958)	4,317	330	451	(350)	21,660	4,642
Profit after Tax	25,581	14,200	6,399	(25,444)	17,099	15,339	13,491	(9,045)	62,570	(4,949)
APPROPRIATIONS										
(a) Interim dividends paid during the year										5,000
(b) Proposed final dividend	4,000	2,000	2,000		2,500	3,000	2,500		11,000	
(c) Dividend distribution tax	512		256		320		320		1,408	(811)
(d) Transfer to any Reserves or Other Accounts (to be specified)				(811)						
Transfer to General Reserve	21,069	12,200			14,279	12,339	10,671	(9,045)	46,019	15,494
Balance of Profit / Loss B/f from last year										
Balance C/f to Balance Sheet			4,143	(24,633)					4,143	(24,633)

TABLE - 21
BALANCE SHEET : PUBLIC SECTOR NON-LIFE INSURERS

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	NEW INDIA		ORIENTAL		UNITED INDIA		NATIONAL		TOTAL	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02
SOURCES OF FUNDS										
Share Capital	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	40,000
Reserves & Surplus	330,406	308,945	73,391	57,279	134,603	120,325	97,217	86,392	635,617	572,941
Fair Value Change Account	230,176	273,046	141,015	175,599	95,715	120,236	143,602	178,438	610,508	747,319
Borrowings										
TOTAL	570,582	591,991	224,406	242,878	240,318	250,561	250,819	274,830	1,286,125	1,360,260
APPLICATION OF FUNDS										
Investments	884,837	869,256	465,438	470,843	550,332	519,720	434,372	444,680	2,334,979	2,304,499
Loans	96,733	101,344	51,490	53,537	74,357	75,568	49,957	52,924	272,537	283,373
Fixed Assets	10,926	10,727	5,934	5,686	7,592	7,650	7,198	6,819	31,650	30,882
CURRENT ASSETS										
Cash & Bank Balance	158,746	115,286	64,749	54,272	53,464	49,583	98,168	68,248	375,127	287,389
Advances and Other Assets	142,703	127,002	57,962	59,677	84,049	100,199	63,611	71,504	348,325	358,382
Sub-Total (A)	301,449	242,288	122,711	113,949	137,513	149,782	161,779	139,752	723,452	645,771
CURRENT LIABILITIES										
Provisions	505,809	448,304	302,077	293,089	399,968	370,999	272,971	262,029	1,480,825	1,374,421
Sub-Total (B)	222,084	183,320	121,476	108,048	132,056	131,160	129,978	107,316	605,594	529,844
Net Current Assets (C) = (A-B)	727,893	631,624	423,553	401,137	532,024	502,159	402,949	369,345	2,086,419	1,904,265
	(426,444)	(389,336)	(300,842)	(287,188)	(394,511)	(352,377)	(241,170)	(229,593)	(1,362,967)	(1,258,494)
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)	2,380		2,386		2,548		462		7,314	
Deferred Tax assets	2,150								2,612	
Profit & Loss Account (Debit Balance)										
TOTAL	570,582	591,991	224,406	242,878	240,318	250,561	250,819	274,830	1,286,125	1,360,260

TABLE - 22

REVENUE ACCOUNT: PRIVATE SECTOR NON-LIFE INSURERS

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	ROYAL SUNDARAM						BAJAJ ALLIANZ									
	2002-03			2001-02			2002-03			2001-02						
	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total				
Premiums earned (Net)	864	436	6349	7649	67	18	1223	1308	974	216	14220	15410	68	15	899	982
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments	27	14	226	267	1	1	12	14	31	4	118	153	10	1	41	52
Others (to be specified)									19	2	73	94			15	15
Interest, Dividend & Rent – Gross	47	25	392	464	13	5	112	130	202	25	761	988	23	1	93	117
TOTAL (A)	938	475	6967	8380	81	23	1347	1451	1226	247	15172	16645	101	17	1048	1165
Claims Incurred (Net)	287	403	5169	5859	63	49	1051	1163	276	146	10245	10667	103	17	1153	1273
Commission	(925)	(94)	(328)	(1347)	(366)	(11)	(239)	(615)	(1313)	(85)	(151)	(1549)	(663)	(22)	(595)	(1280)
Operating Expenses related to Insurance Business	968	317	4250	5535	876	136	3189	4200	1066	112	5489	6667	424	19	3270	3713
Premium Deficiency											54	54				
TOTAL (B)	330	626	9091	10047	573	174	4001	4749	29	173	15637	15839	(136)	14	3828	3706
Operating Profit/(Loss) from Fire/Marine/Miscellaneous Business C= (A - B)	608	(151)	(2124)	(1667)	(493)	(151)	(2654)	(3298)	1197	74	(465)	806	237	2	(2780)	(2540)
APPROPRIATIONS																
Transfer to Shareholders' Account	608	(151)	(2124)	(1667)	(493)	(151)	(2654)	(3298)	1197	74	(465)	806	237	2	(2780)	(2540)
Transfer to Catastrophe Reserve																
Transfer to Other Reserves (to be specified)																
TOTAL (C)	608	(151)	(2124)	(1667)	(493)	(151)	(2654)	(3298)	1197	74	(465)	806	237	2	(2780)	(2540)

Contd ...

Contd...

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	TATA -AIG																		
	2002-03					2001-02					RELIANCE								
	2002-03					2001-02					2002-03					2001-02			
	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total			
Premiums earned (Net)	346	798	7144	8288	(46)	184	1129	1267	268	92	572	932	39	14	69	121			
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments	1	3	16	20					91	15	200	306							
Others (to be specified)	(6)	(20)	(115)	(141)							19	19							
Interest, Dividend & Rent – Gross	30	89	524	643					163	26	356	545	56	2	37	95			
TOTAL (A)	371	870	7569	8810	(46)	184	1129	1267	522	133	1147	1802	95	16	106	217			
Claims Incurred (Net)	122	1101	4783	6006	23	122	875	1020	544	140	1233	1917	29	44	87	161			
Commission	(1034)	(165)	276	(923)	(430)	(78)	(141)	(649)	(1880)	(59)	(922)	(2861)	(697)	(13)	(104)	(814)			
Operating Expenses related to Insurance Business	265	575	4805	5645	237	526	3817	4579	927	182	1559	2668	859	33	560	1451			
Premium Deficiency																			
TOTAL (B)	(647)	1511	9864	10728	(170)	569	4551	4950	(409)	263	1870	1724	191	64	543	798			
Operating Profit/(Loss) from Fire/Marine/ Miscellaneous Business C= (A - B)	1018	(641)	(2295)	(1918)	124	(386)	(3422)	(3683)	931	(130)	(723)	78	(96)	(48)	(437)	(581)			
APPROPRIATIONS																			
Transfer to Shareholders' Account	1018	(641)	(2295)	(1918)	124	(386)	(3422)	(3683)	931	(130)	(723)	78	(96)	(48)	(437)	(581)			
Transfer to Catastrophe Reserve																			
Transfer to Other Reserves (to be specified)																			
TOTAL (C)	1018	(641)	(2295)	(1918)	124	(386)	(3422)	(3683)	931	(130)	(723)	78	(96)	(48)	(437)	(581)			

Contd ...

Contd....

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	IFFCO - TOKIO					ICICI - LOMBARD						
	2002-03			2001-02		2002-03			2001-02			
	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total
Premiums earned (Net)	967	366	2617	3950	94	2	279	374	744	169	1810	2723
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments									23	4	50	77
Others (to be specified)										1	14	15
Interest, Dividend & Rent – Gross	52	56	189	297	18	3	38	58	75	14	162	251
TOTAL (A)	1019	422	2806	4247	112	5	317	433	842	188	2036	3066
Claims Incurred (Net)	293	450	2106	2849	36	37	355	428	151	197	1435	1783
Commission	(2599)	(141)	(707)	(3447)	(1027)	(51)	(459)	(1537)	(1426)	(37)	(258)	(1721)
Operating Expenses related to Insurance Business	2363	419	2086	4868	1210	112	1043	2365	2588	172	1434	4194
Premium Deficiency										30	(515)	(485)
TOTAL (B)	57	728	3485	4270	220	97	939	1256	1313	362	2096	3771
Operating Profit/(Loss) from Fire/Marine/Miscellaneous Business C = (A - B)	962	(306)	(679)	(23)	(108)	(92)	(622)	(823)	(471)	(174)	(60)	(705)
APPROPRIATIONS												
Transfer to Shareholders' Account	962	(306)	(679)	(23)	(108)	(92)	(622)	(823)	(471)	(174)	(60)	(705)
Transfer to Catastrophe Reserve												
Transfer to Other Reserves (to be specified)												
TOTAL (C)	962	(306)	(679)	(23)	(108)	(92)	(622)	(823)	(471)	(174)	(60)	(705)

Contd ...

Contd...

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	CHOLAMANDALAM MS				HDFC CHUBB				TOTAL	
	2002-03				2002-03				2002-03	2001-02
	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total		
Premiums earned (Net)	12	4	94	110			42	42	39104	4193
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments	3	1	31	35			1	1	859	66
Others (to be specified)							(2)	(2)	(15)	15
Interest, Dividend & Rent – Gross	1		6	7			12	12	3207	442
TOTAL (A)	16	5	131	152			53	53	43155	4716
Claims Incurred			62	62			88	88	29231	4224
Commission	(133)	(1)	(42)	(176)			(48)	(48)	(12072)	(5300)
Operating Expenses related to Insurance Business	454	13	828	1295			915	915	31787	17509
Premium Deficiency									(431)	515
TOTAL (B)	321	12	848	1181			955	955	48515	16948
Operating Profit/(Loss) from Fire/Marine/ Miscellaneous Business C = (A - B)	(305)	(7)	(717)	(1029)			(902)	(902)	(5360)	(12232)
APPROPRIATIONS										
Transfer to Shareholders' Account										
Transfer to Catastrophe Reserve	(305)	(7)	(717)	(1029)			(902)	(902)	(5360)	(12232)
Transfer to Other Reserves (to be specified)										
TOTAL (C)	(305)	(7)	(717)	(1029)			(902)	(902)	(5360)	(12232)

TABLE - 23

PROFIT AND LOSS ACCOUNT : PRIVATE SECTOR NON-LIFE INSURERS

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	ROYAL SUNDARAM		BAJAJ ALLIANZ		TATA AIG		RELIANCE		IFFCO-TOKIO		ICICI LOMBARD		CHOLAMA-NDALAM	HDFC-CHUBB	GRAND TOTAL	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2002-03	2002-03	2001-02
OPERATING PROFIT/(LOSS)																
(a) Fire Insurance	609	(493)	1197	237	1018	124	932	(96)	962	(108)	(471)	(6)	(305)		3942	(340)
(b) Marine Insurance	(151)	(151)	74	2	(641)	(386)	(130)	(48)	(307)	(92)	(174)	(0)	(7)		(1336)	(675)
(c) Miscellaneous Insurance	(2124)	(2654)	(465)	(2780)	(2295)	(3422)	(723)	(437)	(679)	(622)	(60)	(1301)	(717)	(902)	(7965)	(11216)
	(1666)	(3298)	806	(2541)	(1918)	(3683)	79	(581)	(24)	(823)	(705)	(1307)	(1029)	(902)	(5359)	(12232)
INCOME FROM INVESTMENTS																
(a) Interest, Dividend & Rent – Gross	748	785	807	871	870	1219	958	1348	981	1012	888	520	163	342	5757	5755
(b) Profit on sale of investments	429	82	126	395	27		540	336			273	6	886	23	2304	820
Less: Loss on sale of investments			1	6			2	330						58	61	336
Other Income (To be specified)		3	2	1	61	7	18	2			5				86	13
TOTAL (A)	(489)	(2428)	1740	(1280)	(960)	(2457)	1593	775	957	189	461	(780)	20	(595)	2727	(5981)
Provisions (Other than taxation)																
(a) For diminution in the value of investments							21								21	
(b) For doubtful debts																
(c) Others (to be specified)																
OTHER EXPENSES																
(a) Expenses other than those related to Insurance Business	10	10	9	2	331				20	17	27	316	50		447	345
(b) Bad debts written off																
(c) Others -preliminary & pre-op., amortisations		15	18	45		301	37	37			16	16	280	37	388	413
TOTAL (B)	10	25	27	47	331	301	58	37	20	17	43	332	330	37	856	759
Profit Before Tax	(499)	(2453)	1713	(1327)	(1291)	(2758)	1535	738	937	173	418	(1113)	(310)	(632)	1871	(6740)
Provision for Taxation			750	(365)			101	61	301	6	89	(264)			1241	(562)
Profit After Tax	(499)	(2453)	963	(962)	(1291)	(2758)	1434	678	636	167	329	(849)	(310)	(632)	630	(6177)
APPROPRIATIONS																
(a) Interim dividends paid during the year																
(b) Proposed final dividend									200						200	
(c) Dividend distribution tax									26						26	
(d) Transfer to any Reserves or Deferred Tax of last year							12	13	28			(47)			40	(34)
(e) Catastrophe Reserve																
Balance of profit/loss B/f from last year	(3540)	(1088)	(962)		(3100)	(342)	735	45	307	141	(928)	(127)			(7488)	(1371)
Balance C/f to Balance Sheet	(4039)	(3540)	1	(962)	(4391)	(3100)	2157	735	689	307	(599)	(929)	(310)	(632)	(7124)	(7488)

TABLE - 24
BALANCE SHEET: PRIVATE SECTOR NON-LIFE INSURERS

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	ROYAL SUNDARAM		BAJAJ ALLIANZ		TATA AIG		RELIANCE		IFFCO-TOKIO		ICICI LOMBARD		CHOLAMA-NDALAM	HDFC-CHUBB	GRAND TOTAL	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2002-03	2002-03	2001-02
SOURCES OF FUNDS																
Share Capital	12,980	12,969	10,946	10,928	12,350	12,350	10,200	10,200	10,000	10,000	10,960	10,944	10,500	10,022	87,958	67,392
Reserves & Surplus	-	-	1	-	-	-	2,158	735	701	319	-	-	-	-	2,860	1,054
Fair Value Change Account	-	-	- 33	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	(28)	-
Borrowings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-
Others	94	85	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	127	85
TOTAL	13,074	13,054	10,914	10,928	12,350	12,350	12,358	10,935	10,734	10,319	10,964	10,944	10,500	10,048	90,942	68,531
APPLICATION OF FUNDS																
Investments	14,495	10,900	22,357	16,682	16,496	10,327	18,149	14,966	11,104	7,549	21,001	11,290	10,888	9,372	123,862	71,713
Loans	-	-	-	-	11	13	-	-	-	-	250	-	-	-	261	13
Fixed Assets	1,088	886	1,705	1,186	1,844	2,196	163	162	1,335	1,142	449	233	588	512	7,684	5,806
CURRENT ASSETS																
Cash and Bank Balances	3,420	2,027	3,217	2,334	2,450	1,574	980	338	6,251	6,846	3,268	1,258	333	152	20,071	14,377
Advances and Other Assets*	1,468	891	1,619	1,854	2,197	1,369	2,206	1,286	2,819	882	5,907	2,819	331	318	16,865	9,101
Sub-Total (A)	4,888	2,919	4,836	4,188	4,647	2,943	3,186	1,623	9,070	7,728	9,175	4,077	664	470	36,936	23,478
CURRENT LIABILITIES																
Provisions	5,603	2,376	10,189	8,178	6,724	2,345	1,125	123	4,242	963	2,705	1,470	352	671	31,611	15,455
Sub-Total (B)	11,437	5,191	18,567	13,267	15,437	6,767	9,215	5,926	10,775	6,101	20,509	5,584	1,950	1,230	89,120	42,834
NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	(6549)	(2272)	(13731)	(9079)	(10790)	(3824)	(6029)	(4303)	(1705)	1,628	(11334)	(1507)	(1286)	(760)	(52184)	(19356)
Deferred Tax Asset	-	-	583	1,178	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	583	1,175
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	398	538	75	112	-	-	-	-	-	292	765	650
Profit & Loss Account (Debit Balance)	4040	3540	-	961	4391	3100	-	-	-	-	599	929	310	632	9971	8530
TOTAL	13,074	13,054	10,914	10,928	12,350	12,350	12,358	10,935	10,734	10,319	10,964	10,944	10,500	10,048	90,942	68,530

TABLE - 25
REVENUE ACCOUNT : GENERAL INSURANCE CORPORATION (GIC)

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	2002-03				2001-02			
	Fire	Marine	Misc	Total	Fire	Marine	Misc	Total
Premiums earned (Net)	84436	20759	213438	318633	50708	22675	170463	243846
Profit/ Loss on sale/redemption of Investments	1999	1052	9503	12554	1332	1143	9038	11513
Others (to be specified)	111	276	334	721	161	25	(117)	69
Interest, Dividend & Rent – Gross	7215	3798	34303	45316	5256	4510	35654	45420
TOTAL (A)	93761	25885	257578	377224	57457	28353	215038	300848
Claims Incurred (Net)	38825	15198	220417	274440	35624	13101	180783	229508
Commission	33769	6253	50878	90900	21205	4305	38123	63633
Operating Expenses related to Insurance Business	920	227	1765	2912	758	165	1528	2451
Expenses relating to Investment	11	6	51	68	7	6	50	63
Foreign Taxes								
TOTAL (B)	73525	21684	273111	368320	57594	17577	220483	295654
Operating Profit/(Loss) from Fire/Marine/Miscellaneous Business C= (A - B)	20236	4201	(15533)	8904	(137)	10776	(5445)	5194
APPROPRIATIONS								
Transfer to Shareholders' Account	20236	4201	(15533)	8904	(137)	10776	(5445)	5194
Transfer to Catastrophe Reserve								
Transfer to Other Reserves (to be specified)								
TOTAL (C)	20236	4201	(15533)	8904	(137)	10776	(5445)	5194

TABLE - 26

PROFIT AND LOSS ACCOUNT : GENERAL INSURANCE CORPORATION (GIC)

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	2002-03	2001-02
OPERATING PROFIT/(LOSS)		
(a) Fire Insurance	20236	(137)
(b) Marine Insurance	4201	10776
(c) Miscellaneous Insurance	(15533)	(5446)
	8904	5193
INCOME FROM INVESTMENTS		
(a) Interest, Dividend & Rent – Gross	29066	31310
(b) Profit on sale of investments	8052	7937
Less: Loss on sale of investments		(1)
OTHER INCOME (To be specified)	3585	1544
TOTAL (A)	49607	45983
PROVISIONS (Other than taxation)		
(a) For diminution in the value of investments	3861	3308
(b) For doubtful debts	6300	6940
(c) Others (to be specified)	5092	43
OTHER EXPENSES		
(a) Expenses other than those related to Insurance Business	43	
(b) Bad debts written off	22	22
(c) Others (To be specified)		
TOTAL (B)	15318	10313
Profit Before Tax	34289	35670
Provision for Taxation	6123	4453
Profit after Tax	28166	31217
Balance of Profit / Loss B/f from last year	3	1
Profit available for appropriation	28169	31218
APPROPRIATIONS		
(a) Interim dividends paid during the year		
(b) Proposed final dividend	4730	4300
(c) Dividend distribution tax	606	
(d) Transfer to any Reserves or Other Accounts (to be specified)		
Transfer to General Reserve	22830	26915
Balance C/f to Balance Sheet	3	3
	28169	31218

TABLE - 27

BALANCE SHEET : GENERAL INSURANCE CORPORATION (GIC)

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	2002-03	2001-02
SOURCES OF FUNDS		
Share Capital	21500	21500
Reserves & Surplus	295293	271622
Fair Value Change Account	114967	153903
Deferred Taxation Liability	601	
TOTAL	432361	447025
APPLICATION OF FUNDS		
Investments	782716	713282
Loans	79582	81589
Fixed Assets	4098	4111
CURRENT ASSETS		
Cash & Bank Balance	151681	111080
Advances and Other Assets	151434	127822
Sub-Total (A)	303115	238902
CURRENT LIABILITIES		
Provisions	477497	394677
	259653	196182
Sub-Total (B)	737150	590859
Net Current Assets (C)= (A-B)	(434035)	(351957)
Misc. Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		
Profit & Loss Account (Debit Balance)		
TOTAL	432361	447025

TABLE-28
GROSS DIRECT PREMIUM INCOME IN INDIA

(Rs. in Crores)

Sl. No.	Company	Fire		Misc.		Marine		TOTAL	
		2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02
1.	National	507.85	491.83	2136.67	1666.47	219.06	207.16	2863.58	2365.46
2.	New India	867.46	859.89	2709.38	2313.14	344.40	339.30	3921.24	3512.33
3.	Oriental	532.64	521.67	2042.70	1719.16	228.07	205.65	2803.41	2446.48
4.	United India	604.18	635.89	2024.74	1763.86	339.14	255.21	2968.06	2654.96
5.	ECGC			374.78	338.52			374.78	338.52
	Sub-Total	2512.13	2509.28	9288.27	7801.15	1130.67	11007.32	12931.07	11317.75
6.	Royal Sundaram	39.16	17.90	132.26	50.44	13.02	2.78	184.44	71.12
7.	Reliance	55.42	45.84	121.34	29.87	8.91	1.74	185.67	77.45
8.	IFFCO-Tokio	103.52	36.15	91.39	3.34	18.41	31.02	213.32	70.51
9.	Tata-AIG	49.91	19.36	156.69	49.91	27.33	9.18	233.93	78.45
10.	ICICI Lombard	123.75	10.98	70.82	16.13	8.91		203.48	27.11
11.	Bajaj Allianz	60.64	27.88	228.43	112.71	7.41	1.36	296.48	141.95
12.	Cholamandalam	5.32		9.31		0.16		14.79	
13.	HDFC-Chubb			9.49				9.49	
	Sub-Total	437.72	158.11	819.73	262.40	84.15	46.08	1341.60	466.59
	Grand Total	2949.85	2667.39	10108.00	8063.55	1214.82	1053.40	14272.67	11784.34

GROSS DIRECT PREMIUM INCOME




TABLE - 29
NET PREMIUM INCOME (EARNED)

(Rs. in Crores)

Sl. No.	Company	Fire		Misc		Marine		TOTAL	
		2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02
1.	National	360.10	366.55	1473.05	1301.13	132.81	149.11	1965.96	1816.79
2.	New India	790.27	679.24	2296.79	1991.51	210.09	188.12	3297.15	2858.87
3.	Oriental	360.30	392.82	1366.56	1248.69	128.92	179.20	1855.78	1820.71
4.	United India	452.80	446.30	1476.08	1383.72	180.49	142.77	2109.37	1972.79
5.	ECGC			366.61	330.45			366.61	330.45
	Sub-Total	1963.47	1884.91	6979.09	6255.50	652.31	659.20	9594.87	8799.61
6.	Royal Sundaram	8.64	0.67	63.49	12.23	4.36	0.18	76.49	13.08
7.	Reliance	2.68	0.39	5.71	0.69	0.92	0.14	9.31	1.21
8.	IFFCO-Tokio	9.67	0.94	26.16	2.79	3.66	0.02	39.49	3.74
9.	TATA-AIG	3.46	(0.46)	71.44	11.29	7.99	1.84	82.89	12.67
10.	ICICI Lombard	7.44	0.21	18.10	1.21	1.68	0.15	27.22	1.56
11.	Bajaj Allianz	9.74	0.68	142.20	8.99	2.16	0.15	154.10	9.82
12.	Cholamandalam	0.12		0.04		0.94		1.10	
13.	HDFC-Chubb			0.41				0.41	
	Sub-Total	41.75	2.41	327.55	37.20	21.71	2.47	391.01	42.08
	Grand Total	2005.22	1887.32	7306.64	6292.70	674.02	661.67	9985.88	8841.69

NET PREMIUM




TABLE - 30(i)
UNDERWRITING EXPERIENCE AND PROFITS OF THE PUBLIC SECTOR COMPANIES

(Rs. in Crores)

	NATIONAL		NEW INDIA		ORIENTAL		UNITED INDIA		TOTAL	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02
	Net Premium	2130.88	1813.12	3516.42	3068.23	1898.42	1818.50	2092.41	2045.07	9638.13
Net Incurred Claims	1619.66	1724.93	2699.50	2555.18	1466.54	1827.92	1905.44	1780.47	7691.14	7889.00
	76.01%	95.14%	76.77%	83.30%	77.25%	100.50%	91.06%	87.06%	79.80%	90.21%
Commission, Expenses of Management and Other Charges	647.53	554.58	1084.00	857.62	640.00	585.96	603.08	645.42	2974.61	2591.67
	30.39%	30.59%	30.83%	29.20%	33.71%	32.20%	28.82%	31.56%	30.86%	29.64%
Increase in Reserve for Unexpired Risk	164.92	(3.87)	219.00	209.35	42.65	(2.22)	(16.95)	72.26	409.62	275.55
	7.74%	(0.21%)	6.23%	6.80%	2.25%	(0.10%)	(0.81%)	3.53%	4.25%	3.15%
Underwriting Profit/(Loss)	(301.23)	(462.52)	(486.08)	(553.92)	(250.77)	(593.16)	(399.16)	(453.08)	(1437.24)	(2011.30)
	(14.14%)	(25.51%)	(13.82%)	(19.30%)	(13.21%)	(32.62%)	(66.19%)	(70.20%)	(14.91%)	(23.00%)
Gross Investment Income	485.88	439.78	881.00	857.16	482.00	437.62	671.00	624.31	2519.88	2188.48
Other Income Less										
Other Outgo	(45.22)	(71.21)	(82.00)	(96.06)	(56.00)	(79.56)	(57.66)	(14.54)	(240.88)	(311.73)
Profit Before Tax	139.43	(93.95)	312.92	207.18	175.23	(235.10)	214.18	156.69	841.76	(134.55)
Income Tax Deducted at Source and Provision for Tax	4.51	(3.50)	57.02	66.20	111.90	0.63	43.17	3.30	216.60	70.15
Net Profit	134.92	(90.45)	255.90	140.98	63.33	(235.73)	171.01	153.39	625.16	(204.70)

TABLE - 30(ii)
UNDERWRITING EXPERIENCE AND PROFITS OF THE PRIVATE SECTOR COMPANIES

	(Rs. in Crores)																		
	ROYAL SUNDARAM		RELIANCE		IFFCO-TOKIO		TATA-AIG		BAJAJ ALLIANZ		ICICI LOMBARD		CHOLAMA-NDALAM		HDFC-CHUBB		TOTAL		
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
Net Premium	109.17	36.75	19.27	2.35	70.03	13.13	126.68	36.07	180.76	84.06	44.52	10.97	4.50	6.52	561.45	183.33			
Net Incurred Claims	58.60	11.63	19.17	1.60	28.50	4.28	60.06	10.20	106.67	12.74	17.76	1.79	0.62	0.87	292.25	42.24			
Commission, Expenses of Management and Other Charges	53.68%	31.65%	99.48%	83.30%	40.70%	100.50%	47.41%	28.28%	59.01%	15.16%	39.89%	83.30%	13.78%	13.34%	52.05%	23.04%			
Increase in Reserve for Unexpired Risk	41.88	35.86	(1.93)	6.37	14.20	8.28	47.23	39.30	51.18	24.33	24.73	13.11	11.20	9.16	197.65	127.25			
Underwriting Profit/(Loss)	38.36%	97.58%	(10.02%)	29.20%	20.28%	32.20%	37.28%	108.95%	28.31%	28.94%	55.55%	29.20%	248.89%	140.49%	35.20%	69.41%			
Gross Investment	32.26	23.67	9.95	1.15	30.53	9.39	43.80	23.40	26.66	74.24	17.19	9.55	3.38	6.10	169.87	141.40			
Income	29.55%	64.41%	51.63%	6.80%	43.60%	-0.10%	34.58%	64.87%	14.75%	88.32%	38.61%	6.80%	75.11%	93.56%	30.26%	77.13%			
Other Income Less	(23.57)	(34.41)	(7.92)	(6.77)	(3.20)	(8.82)	(24.41)	(36.83)	(3.75)	(27.25)	(15.16)	(13.48)	(10.70)	(9.61)	(98.32)	(127.56)			
Other Outgo	(21.59%)	(93.63%)	(41.10%)	(19.30%)	(4.57%)	(67.17%)	(51.68%)	(93.72%)	(2.07%)	(32.42%)	(34.05%)	(19.30%)	(237.78%)	(147.39%)	(17.51%)	(69.58%)			
Profit Before Tax	19.08	10.11	23.47	14.49	12.78	10.70	15.60	12.19	20.73	14.29	14.89	5.69	7.59	2.80	116.94	67.47			
Income Tax Deducted At Source and Provision For Tax	(0.10)	(0.22)	(0.21)	(0.35)	(0.21)	(0.17)	(4.11)	(2.94)	0.12	(0.30)	4.57	(3.32)	0.00	0.48	0.54	(7.30)			
Net Profit	(4.59)	(24.52)	15.34	7.37	9.37	1.71	(12.92)	(27.58)	17.10	(13.26)	4.30	(11.11)	(3.11)	(6.33)	19.16	(67.39)			
	(4.59)	(24.52)	14.33	6.77	6.36	1.65	(12.92)	(27.58)	9.60	(9.61)	3.41	(8.46)	(3.11)	(6.33)	6.75	(61.75)			

TABLE - 31(i)
INCURRED CLAIM RATIO OF PUBLIC SECTOR PLAYERS - NON-LIFE
(Rs. in Crores)


	NATIONAL			NEW INDIA			ORIENTAL			UNITED			ECGC			Total					
	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total	
Net Premium	352.06	144.88	1633.4	2130.88	821.7	200.43	2494.29	3516.42	328.39	124.08	1445.95	1898.42	425.32	135.87	1531.22	2092.41	366.61	605.26	7471.5	10004.7	
Claims Incurred Net	133.26	105.63	1380.77	1619.66	467.37	116.9	2115.23	2699.5	1225.52	84.31	1256.71	1466.54	200.29	99.7	1605.45	1905.44	334.1	926.44	406.54	6692.3	
Claims Ratio	37.8%	72.9%	84.5%	76.0%	56.9%	58.3%	84.8%	76.8%	38.2%	67.8%	86.9%	77.3%	47.1%	73.4%	104.8%	91.1%	91.1%	48.1%	67.2%	89.6%	80.2%

TABLE - 31(ii)
INCURRED CLAIM RATIO OF PRIVATE SECTOR PLAYERS - NON-LIFE
(Rs. in Crores)


	ROYAL SUNDARAM			RELIANCE			IFFCO-TOKIO			TATA-AIG			BAJAJ-ALLIANZ							
	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total				
Net Premium	13.06	6.61	89.5	109.17	6.75	1.59	10.93	19.27	16.86	8.52	44.65	70.03	6.43	13.18	107.07	126.68	17.86	3.41	159.49	180.67
Claims Incurred Net	2.87	4.03	51.7	58.6	5.44	1.4	12.33	19.17	2.93	4.51	21.06	28.5	1.22	11.01	47.83	60.06	2.76	1.46	102.45	106.67
Claims Ratio	22%	61%	58%	54%	81%	88%	113%	99%	17%	53%	47%	41%	19%	84%	45%	47%	15%	43%	64%	59%

	ICICI-LOMBARD			CHOLAMANDALAM			HDFC-CHUBB			Total						
	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total	Fire	Marine	Misc.	Total
Net Premium	16.33	3.47	24.72	44.52	0.09	0.45	3.94	4.48	6.52	0	0	6.52	77.74	36.87	446.82	561.43
Claims Incurred Net	1.51	1.9	14.35	17.76	0	0	0.62	0.62	0.87	0	0	0.87	16.73	24.31	251.21	292.25
Claims Ratio	9%	55%	58%	40%	0%	0%	16%	14%	13%	0%	0%	13%	22%	66%	56%	52%


INCURRED CLAIMS RATIO



UNDERWRITING PROFIT/LOSS



INVESTMENT INCOME



PROFIT AFTER TAX




TABLE -32 (i)
NON-LIFE - NEW PRODUCTS INTRODUCED IN 2001-02

Name of the non-life Insurer	Name of Products (Brand Names)
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd	Marine Transit Insurance (Inland) - Marine 1 Fidelity Guarantee Insurance - Misc. 03 Public Liability Insurance (Under Public Liability Insurance Act) Misc. 07 Public Liability Insurance (Industrial Risks) Misc.08 Public Liability Insurance (Non -industrial Risks) Mics. 09 All Risks Insurance Policy, Code: Misc 01 Burglary Insurance - Misc. 02 Group Medclaim Insurance - Misc. 04 Group Personal Accident Insurance- Misc. 05 Money Insurance - Misc. 06 Agricultural Pump-set -misc.07 Janata Personal Accident-misc-08 Group Health Insurance Policy-misc-11 Group Health (Floater) Insurance Policy-misc-12 Group Personal Accident Insurance- Misc. 05 (Revision) Marine Export Import Insurance Home Insurance Policy - Misc. 13
The New India Assurance Co. Ltd	Individual & group medclaim policy Overseas medclaim policy Health insurance policy for ex-defence personnel Credit insurance-amendments
National Insurance Co. Ltd	Individual Group Medclaim Policy Long Term Group Medclaim Policy - NIC 46039
Oriental Insurance Co. Ltd	Nagrik suraksha policy Office umbrella policy
IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd	Standard fire & special perils policy Consequential loss (fire) policy Workmen's compensation policy Machinery breakdown insurance Contractor's plant & machinery insurance Erection all risk insurance Contractor's all risk insurance Boiler & pressure plant insurance Electronic equipment insurance

Name of The Non-life Insurer	Name Of Products (Brand Names)
<p>Reliance General Insurance Co. Ltd.</p>	<p>Industrial all risk policy Machinery loss of profits policy Motor-private car comprehensive policy Motor-cycle scooter "b" policy Marine cargo Public liability (non industrial risks) insurance policy Agriculture insurance policy Traders package insurance policy Burglary & house breaking insurance Money insurance policy Banker's indemnity policy Medishield policy Fidelity guarantee policy Public liability insurance-act policy Product liability policy Individual personal accident policy Group personal accident policy Public liability (industrial & storage risk) insurance policy All risk insurance policy Professional indemnity errors & omission policy Commercial vehicle insurance policy Sankat mochak policy Lok swasthya bima yojna Pashu-dhan bima Krishak mitra bima yojna Sankat haran (kisan gramin bima yojana) Critical illness insurance policy Travel protector policy Trade protector insurance policy Transport & related liability cover Home and family protection policy Non-standard cover- insurance policy</p> <p>Standard fire & special perils policy Consequential loss (fire) policy Industrial all risk policy Erection all risk/ storage cum erection insurance Machinery breakdown insurance Contractor's all risk insurance Electronic equipment insurance Contractor's plant & machinery insurance</p>

Name of the non-life Insurer	Name of Products (Brand Names)
<p>Royal Sundaram Insurance Co. Ltd.</p>	<p>Boiler & pressure plant insurance Deterioration of stocks in cold storage insurance Workmen's compensation insurance policy Public liability (act) insurance policy A policy for act liability insurance Motor-private car insurance "b" policy Motor-cycle/ scooter insurance "b" policy Commercial vehicles insurance "b" policy Motor trade insurance "b" policy Burglary & house breaking insurance Money insurance policy Fidelity guarantee policy Individual personal accident policy Group personal accident policy Portable electronic equipments policy Public liability (act) insurance policy Baggage insurance policy Mediclaime insurance policy (individuals & family) Group mediclaime insurance policy Videsh yatra mitra (for overseas travel) Plate glass insurance policy Janata personal accident Cattle insurance Office package Professional indemnity House holder package policy Jewellers block Shop keepers Overseas travel health policy Revised householders policy Revised shop keepers policy</p> <p>Standard fire & special perils policy Consequential loss (fire) policy - (001 fbi 01 (feb 2001) Industrial all risk policy - 001 far 01 (feb 01) Erection all risk/ storage cum erection insurance – 001 ear 01 (feb 2001) Machinery breakdown insurance - 001 emb 01 (feb 01) Contractor's all risk insurance - 001 ecr 01 (feb 01) Electronic equipment insurance - 001 eei 01 (feb 01) Contractor's plant & machinery insurance – 001 eo(cpm) 01 (feb 2001)</p>

Name of the non-life Insurer	Name of Products (Brand Names)
	<p>Boiler & pressure plant insurance - 001 eo(boiler) 01 (feb 01) Workmen's compensation insurance policy - 001 wcp (feb 01) Motor insurance - commercial vehicles insurance policy Car shield product Machinery loss of profits insurance Windmill package insurance policy Group personal accident policy (accidental death only) - 001 apa Individual personal accident insurance policy (accidental death & disablement only) - 003 apa Marine cargo insurance policy - (001 mcg 01 (feb01)sync Marine cargo international clauses & wordings - (001 mcgwordings 01 (feb01) Marine cargo inland transits - (001 mcg inland 01 (feb01) Home insurance policy - 001 fdp Rural personal accident insurance policy - 001 rpa (feb 01) Burglary (business premises) insurance - 001 ffft 02/2001 Money insurance policy - (001 fcsh 02/2001 Fidelity guarantee policy - (001 fgi 02/2001 Product liability insurance policy - 001 lpdp 01 (02/2001) Public liability insurance policy (non-industrial risks) - 001 lpnp 01 (02/2001) Public liability insurance policy (industrial risks) - 001 lpip 01 (02/2001) All risk insurance policy - 001 ari Janatha personal accident insurance policy - 001 jpa (feb 01) Poultry insurance policy - 001 rpy (feb 01) Livestock insurance policy - 001 rls (feb 01) Public liability (act) insurance policy - 001 lpa (02/2001) Health premium platinum insurance - 001 amg Health shield gold insurance - 001 ame Travel shield gold insurance - 001 ot Hospital cash insurance - 001 ahc Group personal accident policy 002 apa Farmers package insurance policy - 001 fpp (apr 01) Lost card insurance-001acc Special contingency insurance – 001 sci Purchase protection insurance - 001 app Health shield extra - 003 ame Health shield platinum insurance-002 Health premium platinum extension-002 amg Travel safe insurance - 001 atr Pet plan-001 pet Neon sign insurance-001 ans(05/2001) Plate glass insurance-001 agp (05/2001) Baggage insurance-001 alg (05/2001) Frequent traveller shield insurance - 001 atr (05/2001)</p>

Name of the non-life Insurer	Name of Products (Brand Names)
TATA-AIG General Insurance Co. Ltd.	<p>Point of purchase insurance - 001 app Whirlpool purchase protection insurance – 001 app Health premium platinum extension - 002 amg Enterprise shield insurance - 001 fsp (06/2001) Advance loss of profits (construction) insurance - 001 ecalop (06/2001) 360 business shield insurance - 001 fsp(360) (06/2001) Globe traveller insurance - 001 atr(g) (06/2001) Royal traders shield insurance - 001 ftp (06/2001) Royal hotel shield insurance - 001 fhp (06/2001) Royal office shield insurance - 001 fop (06/2001) Directors & officers liability shield insurance and company reimbursement liability shield insurance policy - 001 sdo (06/2001) Women’s welfare cover Insure 123 policy Commercial combined insurance policy Miscellaneous package policy Banker’s indemnity insurance policy Shakthi security shield Child security shield</p> <p>Family guard - personal accident Executive guard - personal accident Secure income plan-low Secure income plan-high Family guard - personal accident Crisis management products Surety bond Political risks Trade credits Group multiguard personal accident policy Accident & health product - family guard+policy Homesecure (householder’s) policy Accident & health - group hospital cash policy Accident & health - hsbc group hospital cash policy Business guard – jyoti Business guard – sanjeevini Overseas travel accident-single trip & annual multi-trip insurance-tag-13 Overseas travel accident-single trip & annual multi-trip insurance Overseas travel accident-silver, gold, platinum & annual multi-trip insurance Accident & health product - individual personal accident policy-broad market product “shanti” Accident & health product - individual personal accident policy and business travel-agencies Business guard – office</p>

TABLE -32 (ii)
NON-LIFE INSURANCE (NON-TARIFF/PACKAGE) PRODUCTS
LAUNCHED DURING 2002-03

Name of the non-life Insurer	Name of Products (Brand Names)
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	Merchant's Cover III Insurance Policy Misc. 14 Personal Care Insurance Policy Misc 15 Product Liability Insurance Policy - Misc 15 Corporate Cover II -Misc. 16 Sign Installation Policy - Misc 17 Professional Indemnity Policy for Doctors & Medical Practioners - Misc 21 Professional Indemnity Policy for Medical Establishments - Misc 22 Professional Indemnity Policy for Consulting Engineers, Architects and Interior Decorators - Misc 23 Professional Indemnity Policy for Chartered Accountants/ Management Consultants/ Lawyers/ Advocates/ Solicitors/ Counsels - Misc 24 Plate Glass Insurance Policy - Misc 28 Globetrotter - Overseas Group Travel Insurance Policy - Misc 29 Burglary Insurance - Misc. 02 (Amendment to Policy) Baggage Group Insurance Policy - Misc. 27 Globetrotter - Overseas Individual Travel Insurance Policy - Misc 30 Event Insurance Policy - Misc 30 Comprehensive General Liability Insurance Policy - Misc 32 Individual Health Insurance Policy* - Misc 34 Director's & Officer's Liability Insurance Policy* - Misc 33 Performance Guarantee Insurance Policy* - Misc 32 Weather Insurance Policy*-Misc.37 Emigrant Workers Insurance Policy*-Misc.41 Overseas Ind. Student Insurance Policy* Credit Insurance-Globealliance Policy* CPM Policy*-Misc.42 Domestic Travel Insurance
The New India Assurance Co. Ltd.	Credit Insurance Policy (Amendments) Overseas Medclaim Policy (Revision) Universal Medclaim Policy
National Insurance Co. Ltd.	Cruise Insurance-Overseas Medclaim Policy Professional Indemnity Policy for Insurance Brokers Workers' Welfare Policy Universal Medclaim Policy Yeshasvini Co-operative Health Insurance Scheme

Name of the non-life Insurer	Name of Products (Brand Names)
Oriental Insurance Co. Ltd.	Universal Medclaim Policy Sweet Home Package Policy*
United India Insurance Co. Ltd.	Universal Medclaim Policy* Dental Insurance Policy* Overseas Medclaim Policy (Revised)
IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.	Traders Package Policy Home Package Policy Jewellers' Block Policy
Reliance General Insurance Co. Ltd.	Farmers' Package Policy
Royal Sundaram Insurance Co. Ltd.	Enterprise Business Insurance Policy Edu-care Policy Enterprise Shield Policy (Amended) Property All Risks Policy (Amended) 360 Business Shield Insurance (Amended)
Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	Individual Personal Accident Policy (Revised) Guru Raksha Insurance Policy*
TATA AIG General Insurance Co. Ltd.	Business Guard - Shakti Business Guard - Commercial Individual Injury And Personal Accident Policy - Broad Market Product - "Chaaya" Accident & Health - Overseas Travel Accident - Travel Care Accident & Health - Overseas Travel Accident - Student Guard Individual Injury And Personal Accident Policy - "Family Care Protection Plan" Individual Personal Accident Product - Income Guard Plan Individual Personal Accident Product - Income Guard Plan Plus Accident & Health - Group Multiguard Personal Accident Policy Accident & Health - Voluntary Group Personal Accident Policy Accident & Health - Group Hospital & Surgical Insurance Policy Accident & Health - Group Travel Guard Policy-Gtg1102 Accident & Health - Travel Care Policy-Prod. Code: Tc 1102 Accident & Health - Travel Guard Policy-Prod. Code: Tg 1102 Homeseure Privilege Policy Package Insurance Policy For Mutual Funds* Pollution Legal Liability Select Policy* Accident & Health - Group Personal Injury Plan (Revised)* Crime Manager Policy*

Name of the non-life Insurer	Name of Products (Brand Names)
HDFC Chubb General Insurance Co. Ltd.	Group Personal Accident Insurance Personal Accident Insurance Group Hospital Cash Insurance Hospital Cash Insurance Group Travel Insurance Travel Insurance Home Insurance Product Public Liability Insurance Policy Product Liability Insurance Policy Crime Insurance Policy* Marine Cargo Open Policy* Mutual Fund Asset Protection Policy*
Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	Product Liability Insurance Policy - C1-PD Product Liability Insurance Policy - Under Public Liability- C2-PI Public Liability Insurance Policy for Industrial and Storage Risk Public Liability Insurance Policy for Non - Industrial Risk Commercial General Liability Insurance Policy Commercial Umbrella Liability Insurance Policy Specialised Professional Indemnity Policy Financial Institutions Professional Indemnity Policy Bankers Indemnity Policy Electronic and Computer Crime Insurance Policy Credit Card Insurance Policy Fidelity Guarantee Insurance Policy Fidelity , Money And Security Insurance Policy Directors And Officers Indemnity Policy Computer Services and Software Developers Professional Liability Insurance Policy Multimedia Professional Liability Insurance Policy Internet Content Liability Insurance Policy Internet Professional Liability Insurance Policy Internet Security Insurance Policy Technology Professional Liability Insurance Policy Marine Cargo Policy with Library of Clauses Marine Advanced Loss of Profit Insurance Policy Port Authority Liability Insurance Policy Stevedores Liability Insurance Policy Wharfinger Liability Insurance Policy Marine Terminal Operators Comprehensive Liability Insurance Policy Burglary Policy Money - In Safe and In Transit Policy

Name of the non-life Insurer	Name of Products (Brand Names)
	Plate Glass Policy Neon Sign Insurance TV Insurance Pedal Cycles Insurance All Risks Policy Baggage Insurance Animal Driven Cart Insurance Agricultural Pump Set Insurance Sugarcane Crop Insurance - Inputs Live Stock Insurance Cattle Insurance Sheep Insurance Poultry Insurance Pet Dog Insurance Personal Accident Insurance – Individual & Group Insurance Travel Health Insurance - Individual & Group Group Health Insurance Individual Health Insurance Shop Package Policy Office Package Policy Home Package Policy Farmer Package Policy Asset All Risks Policy*

* Products introduced After March, 2003

TABLE -33
APPOINTED ACTUARIES OF NON-LIFE INSURERS
(as at 31st March, 2003)

Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	Govindan Varadarajan
Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	Kalapatapu Purnachandra Sarma
General Insurance Corporation of India — Life Re-insurance Deptt.	Lalgudy P. Venkataraman
HDFC CHUBB General Insurance. Co. Ltd.	Narayanan Laxmanan
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	Piyush I. Majmudar
IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.	A. P. Peethambaran
National Insurance Co. Ltd.	Bhudev Chatterjee
The New India Assurance Co. Ltd.	Anand Ramachandra Prabhu
Reliance General Insurance Co. Ltd.	N. Gopalakrishna Pai
Royal Sundaram Insurance. Co. Ltd.	O. Laxminarayana
TATA AIG General Insurance Co. Ltd.	Kasim Hanumantha Rao
The Oriental Insurance Co. Ltd.	Prem Gupta
United India Insurance Co. Ltd.	Sarangaraja Krishnan

(iii) Customer Service

The Authority, while perceiving a need for a vibrant force of agents to meet the aspirations of the policyholders, laid down training as one of the prerequisites for licensing of agents. Accordingly, insurers have set up accredited divisional and regional training centres to impart training to the agents as per the norms laid down by the Authority. Simultaneously, while notifying the regulations for corporate agents, brokers, surveyors and TPAs, the Authority has laid down training requirements for them. The emphasis is on ensuring that the intermediaries are fully equipped to understand the requirements of the clients, and are well equipped to advise them accordingly. Today, insurers are laying top priority on servicing of the policyholders. This is particularly significant as the market is slowly becoming more competitive. The two factors which could impact the choice made by a customer are

“product design and pricing” and the “quality of the service rendered”. The insurers are well aware of these customer requirements.

Further, the notification of the regulations pertaining to protection of interest of policyholders has also laid down benchmarks for customer services. All insurers are required to comply with these benchmarks. As another step in the servicing of the customers, the Authority constituted a Consumers Grievances Cell (CGC) in December, 2002, to take up the complaints received from the insured with the respective insurers. It is heartening to report that the efforts of the Authority have yielded results in resolving the complaints of the policyholders. The details regarding the CGC are given in Part II (vi) of the Report, with Tables 49 and 50 giving the status of the complaints received by the Authority.

The Councils of the life and the non-life insurers have also guided the insurers towards taking steps for voluntary adoption of practices in the interest of the policyholders. In this direction, the life insurers were advised by their Council in May, 2003 to adopt standards of conduct and sound practices for rendering efficient service to the holders of life insurance policies.

With a view to facilitating servicing of the customer, insurers have commenced generating reports through IT-based platforms on such aspects as policy issuance, claims reported, claims paid, claims outstanding, claims disposal ratio, non-suit claims disposal ratio, premium refund, endorsements and grievance redressal ratio. Insurers keep checks on own performance against the benchmarks established in-house; have taken up customer relationship management projects for their customer service centres which have been set up at various locations through out the country; and have set up call centres to cater to the varied needs of the policyholders, in addition to imparting information on various products. Some companies have also started providing mobile claims service. Insurers have also set up grievances cells and the performance of these Cells is closely monitored on a regular basis. "May I Help You" and information facilitation counters have also been established. In addition, schemes such as Jald Rahat Yojana and Needhi Melas have been popularised to dispose of claims speedily.

With the insurance industry fast emerging as a buyers' market, insurers would have to gear themselves up to provide quality customer service and, in this trajectory, information technology would continue to play a crucial role. Those insurers who are capable of responding to the needs of customers in terms of both products offered and servicing thereafter shall emerge as leaders in the evolving competitive environment.

During the year 2002-03, LIC adopted the revised Citizen's Charter placing higher responsibility on its personnel handling the back office operations with a view to achieving the highest levels of standards in servicing which, as per the management, are more stringent than the mandate given under the policyholders' regulations.

C. DETAILS OF REGISTERED INSURERS AND RE-INSURER

The details of the registered life insurers, non-life insurers and the re-insurer are placed at Tables 34 to 36. The tabulations give the names of the insurers, the type of business being underwritten by them, the date of commencement of their operations, their principal officer and the contact details.

C. DETAILS OF REGISTERED INSURERS AND REINSURER

**TABLE - 34
DETAILS OF LIFE INSURERS**

Reg. No.	Name of the Company	Name of Principal Officer (as on 31.3.2003)	Telephone No./Fax No./E-Mail & Web Address	Type of Business	Date of Commencement of Business
116	ALLIANZ BAJAJ LIFE INSURANCE COMPANY LTD. GE Plaza, Airport Road, Yerawada PUNE-411 006	Mr. James Walton	Tel: 020 - 4026666 Fax: 020 - 4026667 E-mail: james.walton@allianzbajaj.co.in WEB: www.allianzbajaj.co.in	Linked Business, Non Linked Business, Health Insurance, Both Individual and Group Insurance	01.10.2001
109	BIRLA SUN LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2nd Floor, Ahura Centre, 'B' Wing, Mahakali Caves Road, Andheri(E), MUMBAI-400 093.	Mr. Nani Jhaveri	Tel: 022 - 56783333 Fax: 022 - 56783232 E-mail: njaveri@birlasunlife.com WEB: www.birlasunlife.com	Linked Business, Non Linked Business, Health Insurance, Both Individual and Group Insurance	19.03.2001
101	 HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 5th Floor, The IL&FS Financial Centre, Plot C-22, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI-400 051.	Mr.D.M. Satwalekar	Tel: 022 - 26533666, 26533660 Fax: 022 - 26533655 / 654 / 661 E-mail: dms@hdfcinsurance.com WEB: www.hdfcinsurance.com	Linked Business, Non Linked Business, Health Insurance, Both Individual and Group Insurance	12.12.2000
105	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED ICICI Prulife Towers, 1089, Appasaheb Marathe Marg, Linked Business, Non Linked Prabhadevi, MUMBAI-400 025	Ms. Shikha Sharma	Tel: 022 - 56621996 / 56621600 Fax: 022 - 24376638, 56622031 E-mail: shikhasharma@iciciprulife.com WEB: www.iciciprulife.com	Linked Business, Non Linked Business, Pension Business, Health Insurance, Both Individual and Group Insurance	19.12.2000
114	ING VYSYA LIFE INSURANCE COMPANY PRIVATE LIMITED 5th floor, ING Vysya House, 22, M.G. Road, BANGALORE-560 001	Mr. Yvo R. Metzelaar	Tel: 080 - 5328000 Fax: 080 - 5559753 E-mail: yvo.metzelaar@ingvysyalife.com WEB: www.ingvysyalife.com	Linked Business, Non Linked Business, Health Insurance, Both Individual and Group Insurance	01.09.2001

Reg. No.	Name of the Company	Name of Principal Officer (as on 31.3.2003)	Telephone No./Fax No./E-Mail & Web Address	Type of Business	Date of Commencement of Business
512	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA Yogakshema, Jeeva Bima Marg, Post Box No. 19953 MUMBAI - 400 021	Mr. S. B. Mathur	Tel: 022-22020997 / 7060 / 8085 Fax: 022-22810680 E-mail: chairman@licindia.com : liccm@vsnl.com WEB: www.licindia.com	Linked Business, Non Linked Business, Health Insurance, Both Individual and Group Insurance	26.03.2001
104	MAX NEW YORK LIFE INSURANCE CO. LTD. 11th Floor, DLF Square, Jocaranda Marg, DLF City, Phase-II, GURGAON - 122 002.	Mr Anuroop(Tony) Singh	Tel: 0124-2567717 / 1717 Fax: 0124-2561765 / 1764 E-mail: anuroop.singh@maxnewyorklife.com WEB: www.maxnewyorklife.com	Linked Business, Non Linked Business, Health Insurance, Both Individual and Group Insurance	04.01.2002
117	METLIFE INDIA INSURANCE COMPANY PVT. LTD. Brigade Seshamahal, No. 5, Vani Vilas Road, Basavanagudi, BANGALORE-560 004.	Mr. Venkatesh S. Mysore	Tel: 080-6438638 Fax: 080-6521970 E-mail: vmysore@metlife.com WEB: www.metlife.com	Linked Business, Non Linked Business, Health Insurance, Both Individual and Group Insurance	17.05.2001
107	OM KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE CO. LTD. 6 th Floor, Peninsula Chambers, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, MUMBAI-400 013.	Mr. Shivaji Dam	Tel: 022-56635000 / 111 Fax: 022-56635102 E-mail: shivaji.dam@kotak.com WEB: www.omkotakmahindra.com	Linked Business, Non Linked Business, Health Insurance, Both Individual and Group Insurance	15.06.2001
111	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED Turner Morrison Building, 2 nd Floor, 16, Bank Street, Fort, MUMBAI-400 023.	Mr. R. Krishnamurthy	Tel: 022-56392000 Fax: 022-56392012 E-mail: r.krishnamurthy@sblife.co.in WEB: www.sblife.co.in	Linked Business, Non Linked Business, Health Insurance, Both Individual and Group Insurance	02.04.2001
110	TATA-AIG LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED Ahura Centre, 4th Floor, 82, Mahakali Caves Road, Andheri (E), MUMBAI-400 093.	Mr. Ian J. Watts	Tel: 022-56930000 / 3888 Fax: 022-56938255 Email: ian-j.watts@tata-aig.com WEB: www.tata-aig.com	Linked Business, Non Linked Business, Health Insurance, Both Individual and Group Insurance	

Reg. No.	Name of the Company	Name of Principal Officer (as on 31.3.2003)	Telephone No./Fax No./E-Mail & Web Address	Type of Business	Date of Commencement of Business
121	AMP Sanmar Assurance Co. Ltd., 9, Cathedral Road, CHENNAI-600 086.	Mr. S.V. Mony	Tel:044 - 28118411 Fax:044 - 28117669 E-mail:sv_mony@ampsanmar.com WEB:ampsanmar.com	Linked Business, Non Linked Business, Health Insurance, Both Individual and Group Insurance	28.01.2002
122	AVIVA LIFE INSURANCE CO. PVT. LTD. 5 th Floor, JMD Regents Square Building, Gurgaon-Mehrauli Road, GURGAON - 122 001.	Mr. Stuart Purdy	Tel:0124 - 2804121 / 4141 Fax: 0124 - 2804122 / 4151 E-mail:stuart.purdy@avivaindia.com WEB:www.avivaindia.com	Linked Business, Non Linked Business, Health Insurance, Both Individual and Group Insurance	06.06.2002
	RELIANCE LIFE INSURANCE CO. LTD.		Tel: 022 - 22819552 Fax: 022 - 22819550	In principle approval granted.	
	SAHARA INDIA LIFE INSURANCE CO. LTD. Sahara India Bhavan, 1, Kapoorhala Complex, LUCKNOW — 2266024		Tel: 0522 - 2337777 / 237 3018 Fax: 0522 - 2332683	In principle approval granted.	

TABLE - 35
DETAILS OF GENERAL INSURERS

Reg. No.	Name of the Company	Name of Principal Officer (as on 31.3.2003)	Telephone No./Fax No./E-Mail & Web Address	Type of Business	Date of Commencement of business
113	BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED GE Plaza, Airport Road, Yerawada, PUNE-411 006.	Mr. Sam Ghosh	Tel : 020 - 4026600 Fax: 020 - 4026678 E-mail:sam.ghosh@bajajallianz.co.in WEB:www.bajajallianz.co.in	Fire, Marine - Marine Cargo, Marine Hull, Miscellaneous - Motor, Engineering, Liability, Health	08.05.2001
115	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED Zenith House, Keshav Rao Khadya Marg, Mahalaxmi MUMBAI-400 034.	Mr. Sandeep Bakshi	Tel : 022 - 24906800 Fax: 022 - 26531655 E-mail:sandeep.bakshi@icicilombard.com WEB:www.icicilombard.com	Fire, Marine - Marine Cargo, Marine Hull, Miscellaneous - Motor, Engineering, Liability, Health	31.08.2001
106	IFFCO TOKIO GENERAL INSURANCE CO. LTD. Palm Court, 4th Floor, Plot No. 20/4, Sukhrali Chowk, Mehrauli-Gurgaon Road GURGAON-122001.	Mr. Ajit Narain	Tel: 0124 - 2220889 / 891 / 893 / 895 Fax: 0124 - 2220887, 2222063 E-mail:anarain@itgi.co.in WEB:www.itgi.co.in	Fire, Marine - Marine Cargo, Marine Hull, Miscellaneous - Motor, Engineering, Liability, Health	16.01.2001
58	NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. 3, Middleton Street, PB. No. 9229, KOLKATA - 700 071.	Mr. H.S. Wadhwa	Tel: 033 - 22831704 / 1715 / 1718 Fax: 033 - 22831712 E-mail:hwadhwa@national.insuranceindia.com WEB:www.nationalinsuranceindia.com	Fire, Marine - Marine Cargo, Marine Hull, Miscellaneous - Motor, Engineering, Liability, Health, Aviation.	
90	THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD. New India Assurance Bldg. 87, M.G. Road, Fort, MUMBAI - 400 001.	Mr. R. Beri	Tel: 022 - 22624987, 22674764 Fax: 022 - 22652811 E-mail:cmd@niacld.com cmdsectt@niacld.com WEB:www.niacld.com	Fire, Marine - Marine Cargo, Marine Hull, Miscellaneous - Motor, Engineering, Aviation, Liability, Health	
556	THE ORIENTAL INSURANCE CO. LTD. A-25/27, Asaf Ali Road, NEW DELHI - 110 002.	Mr S.L. Mohan	Tel : 011 - 23265024, 23276226 Fax: 011 - 23263175 Email:simohan@oriental.nic.in WEB:www.orientalinsurance.nic.in	Fire, Marine - Marine Cargo, Marine Hull, Miscellaneous - Motor, Engineering, Aviation, Liability, Health	

Reg. No.	Name of the Company	Name of Principal Officer (as on 31.3.2003)	Telephone No./Fax No./E-Mail & Web Address	Type of Business	Date of Commencement of business
103	RELiance GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED 5 th floor/NKM International House 128, Backbay Reclamation Babubhai Chinai Road, MUMBAI - 400 020.	Mr. Vijay Pawar	Tel: 022 - 30216900 Fax: 022 - 22886155 E-mail: vijay_pawar@ril.com WEB: www.ril.com	Fire, Marine - Marine Cargo Marine Hull, Miscellaneous - Motor, Engineering, Liability, Health, Aviation.	23.03.2001
102	ROYAL SUNDARAM ALLIANCE INSURANCE COMPANY LIMITED 46, Whites Road, Royapetah, CHENNAI-600 014.	Mr Micky Briggs	Tel: 044 - 28517387 Fax: 044 - 28510596 E-mail: micky.brigg@notes.royalsun.com WEB: www.royalsundaram.com	Fire, Marine - Marine Cargo, Marine Hull, Miscellaneous - Motor, Engineering, Liability, Health	23.10.2000
108	TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED Ahura Centre, 4th Floor, 82 Mahakali Caves Road, Andheri (East), MUMBAI - 400 093.	Mr. Dalip Verma	Tel: 022 - 56930000 Fax: 022 - 56938175 E-mail: dalip.verma@tata-aig.com WEB: www.tata-aig.com	Fire, Marine - Marine Cargo, Marine Hull, Miscellaneous - Motor, Engineering, Liability, Health	22.02.2001
545	UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD. 24, Whites Road CHENNAI - 600 014.	Mr. V. Jagannathan	Tel : 044 - 28522021 / 0161 Fax : 044 - 28525280 E-mail: jagannathan@sarkaritel.com jagan_naihanv@yahoo.com WEB: www.uic.co.in	Fire, Marine - Marine Cargo, Marine Hull, Miscellaneous - Motor, Engineering, Liability, Health, Aviation.	1.9.2002
123	CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSURANCE "TJAW House", 5 th Floor, 72, Rajaji Salai CHENNAI - 600 001.	Mr. Arun Agarwal	Tel: 044 - 52166000 Fax: 044 - 25224949 / 52166001 E-mail: arunagarwal@cholamandalam.co.in arunagarwal@cmsgid.murugappa.com WEB: www.cholainsurance.com	Fire, Marine - Marine Cargo, Marine Hull, Miscellaneous - Motor, Engineering, Liability, Health	—
124	EGCG OF INDIA LTD Express Towers, 10 th Floor, Nariman Point MUMBAI - 400 021.	Mr. P.M.A. Hakeem	Tel: 022-22845452 / 71 / 72 Fax: 022-22045253 E-mail: egccmds@bom4.vsnl.net.in rajiv.manavi@ecgcindia.com WEB: www.ecgcindia.com	Credit risk insurance	—
125	HDFC CHUBB GENERAL INSURANCE 5th Floor, Express Towers Nariman Point MUMBAI-400 021.	Mr. S.V. Samant	Tel: 022-56383600 Fax: 022-56383699 Email: sssamant@chubb.com WEB: hdfchubbindia.com	Fire, Marine - Marine Cargo, Marine Hull, Miscellaneous - Motor Engineering, Liability, Health	17.10.2002
126	*AGRICULTURE INSURANCE CO. OF INDIA LTD. L-41, 1 st Floor, Cannaught Circus NEW DELHI - 110 001.	Mr. Suparass Bhandari	Tel: 011 - 23416158 / 6128 Fax: 011 - 23415273 / 2589 Email: suparassbhandari_circ@yahoo.com	Crop Insurance	29.10.2003

*Companies registered with the Authority after 31st March, 2003.

TABLE - 36
DETAILS OF RE-INSURER

Reg. No.	Name of the Company	Name of Principal Officer (as on 31.3.2003)	Telephone No./Fax No./E-Mail & Web Address	Type of Business	Date of Commencement of Business
544	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA Suraksha, 170, J Tata Road Church Gate, MUMBAI 400 020.	Mr. P.C. Ghosh	Tel : 022-22852043 / 2041, 22833046 Fax : 022-22884010 E-mail: psghosh@gicofindia.com WEB: www.gicindia.com	Reinsurance	

D. POLICIES AND MEASURES TO DEVELOP THE INSURANCE MARKET

Moving forward on the foundation laid in the initial years of its operations, the Authority has taken a number of initiatives during the financial year 2002-03. Some of these are listed below:

1. It would be recalled that the annual renewal fee for the insurers registered with the Authority, was reduced from 1/5th to 1/10th of 1 per cent of the gross written premium in the financial year 2001-02 for the said year. Further, the Insurance Advisory Committee had approved the extension of the benefit for another two years i.e. 2002-03 and 2003-04, which was adopted by the Authority. As per notification issued in February, 2003 the regulations pertaining to registration of Indian insurance companies, were amended to reduce the registration fee from 1/5th to 1/10th of 1 per cent of the gross direct premium underwritten.
2. Protection of Policyholders' Interests Regulations, 2002 were notified to provide for policy proposal documents in easily understandable language, claims procedure in both life and non-life, setting up of grievance redressal machinery, speedy settlement of claims and policyholders' servicing. These provisions were in addition to the already existing guidelines pertaining to filing of products under "File and Use". Interest on delayed payment of the claims and a free look-in period of 15 days by the prospects/policyholders are the additional features of these regulations. These regulations were further modified to provide for clarity while stating the scope of the benefits of an insurance product, and laid down the limits for riders vis-à-vis the base product.
3. The regulations pertaining to distribution of surplus were notified to provide for life insurers to distribute maximum of up to 10 per cent of the surplus to the shareholders in case of participating policies, and up to 100 per cent of the surplus, in case of non-participating policies.

During the financial year 2002-03, with the notification of the Insurance (Amendment) Act, 2002, the following regulations were also notified by the Authority:

- Licensing of Corporate Agents, and Insurance Brokers Regulations, 2002 to increase the channels

of distribution of insurance products. The regulations have facilitated the entry of banks, NBFCs, Cooperatives and NGOs into the area of selling and distribution of insurance products.

- Manner of Payment of Premium Regulations, 2002 provide for payment of insurance premium through credit cards, money order and through internet to facilitate the convenience of customers.
- Obligations of Insurers to Rural or Social Sectors (Amendment) Regulations, 2002, while replacing the earlier regulations, redefined the word "rural" and also inserted the definition of "informal sector". The obligations of the life insurers were increased for the financial year 2002-03 and onwards. These regulations were effective from the financial year 2002-03.
- With the introduction of bancassurance, the Authority also issued guidelines for the life insurers to enter into referral arrangements with the banks.

Review of the insurance law:

The process of liberalisation of the insurance sector, which commenced about three years back, has witnessed a sea change in the industry with new private players entering the market. The process has resulted in the need for comprehensive review of the regulatory and supervisory environment for these players. With this end in view, the Law Commission, at the request of the Authority, has initiated the exercise of review of Insurance Act, 1938 and other related legislations to harmonise the insurance laws in tune with the liberalised economic environment prevailing in the economy in general and particularly in the context of the insurance industry. As part of the exercise, the Commission is also assessing the need for a single comprehensive legislation for the insurance industry.

The Commission has released a white paper on the subject and wide ranging discussions have been held with various bodies including chambers of commerce, industry and various stakeholders. The Authority constituted a core group to assist the Law Commission in this regard, and its views on various aspects are being examined.



E. RESEARCH & DEVELOPMENT ACTIVITIES UNDERTAKEN:

In its efforts to promote Research and Development activities in the insurance sector, the Authority in collaboration with the Government of Andhra Pradesh has founded the Institute of Insurance and Risk Management (IIRM) at Hyderabad. IIRM has been given the mandate to conduct research in the financial areas and it is perceived that the Institute shall be developed as a centre of excellence and as a role model for the Asia Pacific Region. (The activities of IIRM are dwelt with at length in Part III of the Report). Other than this, the Centre for Insurance Research and Education already set up at Indian Institute of Management (IIM), Bangalore carries out basic research work on special aspects of insurance. Based on the research study on rural insurance carried out by the Centre, the Authority had notified the amendments to the regulations pertaining to obligations of insurers to the rural and social sectors, which were made applicable from the financial year 2002-03.

The insurers have also been conducting market research either in-house or through professional agencies to introduce tailor-made products targeted at specific segments of the population. Risk assessment studies are being carried out for measuring accumulation of risk at a particular place at any one point of time. Consumer awareness campaigns are being encouraged to improve insurance literacy levels by conducting workshops, distributing literature, etc. Some of the insurers have come forward in the form of sponsoring chair professorships, announcing scholarships, and announcing grants for the development of the insurance profession with special reference to actuarial sciences, besides conducting seminars and conferences. Similarly, other institutions at university/college levels are being encouraged to introduce diploma courses in insurance with the aim of promoting the profession of insurance. The industry has also been witness to introduction of such concepts as Embedded Value (EV) – a technique for measuring the market value of a life insurance company, which is aimed at facilitating managements' efforts at evaluating their performance. As the industry evolves, additional management techniques would emerge, on the basis of various efforts at research and development being initiated by the various stakeholders in the industry and by the academicians.

ING group in collaboration with FICCI has also set up a research centre. This centre had produced a film touching upon the various aspects of insurance and pension coverage.

F. REVIEW

i) Protection of interests of policyholders

One of the critical areas of responsibilities of the Authority is to provide for protection of the interests of holders of insurance policies. To give effect to this objective the Authority notified the Protection of Policyholders' Regulations in April, 2002, which provide for the policy proposal documents being made available in an easily understandable language, outlines the claims procedure in both life and non-life segments, setting up of grievance redressal machinery, speedy settlement of claims and policyholders' servicing. These provisions are in addition to the already existing provisions pertaining to filing of products under "File and Use". Interest on delayed payment of the claims and a free look-in period of 15 days by the prospects/policyholders are the additional features of these regulations. These regulations were modified in October, 2003 following representations received from various stakeholders in the industry. The amendment relates to sub-regulation (1) of regulation 3, which permits an insurance company to charge premium up to 100 per cent of the premium of the basic product in case of health related or critical illness riders and a limit of 30 per cent of the premium of the basic product for all other riders. In addition, under the file and use procedure, all insurers are required to file the insurance products with the Authority before their launch in the market so that it can be verified that the interests of the policyholders are well protected, under the terms of the policy document.

The other steps taken by the Authority to protect the interests of the policyholders include:

- constitution of a Cell within the Authority headed by the Executive Director to receive complaints/grievances from the holders of insurance policies. The Cell looks into genuine cases of delay in the settlement of public grievances. However, the Cell does not function as an underwriter nor does it decide on issues like the adoption of underwriting practices, the claims procedure etc., by the insurers;



- making it compulsory for every life insurer to make available the premium rates with a facility of a premium calculator on its web-site, for the information of public;
- representatives of the Chambers of Commerce have been nominated on the Insurance Councils and the Tariff Advisory Committee (TAC), to ensure that the views of the consumers are considered, while taking policy decisions;
- insurers are required to have a consumer representative on their Board;
- it is obligatory on the part of the insurance companies to disclose clearly the benefits, terms and conditions under the policy document;
- advertisements issued by the insurers are required to make proper disclosures in order to ensure that they do not mislead the insuring public;
- insurers are required to set up proper grievance redressal machinery at their head office and at the other offices in the country.
- Third Party Administrators have been introduced in the health sector, to provide improved health insurance services viz., cashless cover, and other add on facilities.
- To serve better the interests of the insured public in general and insurance industry in particular, brokers have been licensed as intermediaries. The broker renders advice on appropriate insurance cover and terms thereof, keeps up to date on the variety of available insurance products and submits quotations received from insurers for consideration of the client.

The Authority also protects the interests of the policyholders by ensuring that the insurers maintain the prescribed solvency margin. Maintenance of the solvency margins by the insurers is an indication that they are in the position to meet their obligations towards policyholders with regard to payment of claims.

ii) Maintenance of solvency margins of insurers

The IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 require all insurers to

maintain an excess of value of assets over liabilities, to the extent of not less than Rs.50 crore, or a sum equivalent based on the prescribed formula given in IRDA (Actuarial Report and Abstracts) Regulations, 2000.

Similarly, in respect of general insurers, a minimum solvency margin of Rs.50 crore is required to be maintained (Rs.100 crore in case of a reinsurer) or a sum equivalent based on formula given in IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000.

In addition, the registration requirements stipulate that all insurers are to maintain a solvency ratio of 1.5 times the normal requirement.

At the time of registration, it was envisaged that the new players would take about five years to stabilise their operations, and may have to fund their initial underwriting losses through additional inflow of funds. However, the insurers are required to meet the solvency margin requirements at all times, and the Authority places great importance on this parameter as an indicator of the health of respective insurers and protection of the interests of policyholders. Thus, monitoring of solvency margin certified by the appointed actuary of the insurers is an important function of the Authority. All insurers file with the Authority an annual statement as per the IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 or IRDA (Actuarial Report and Abstract) Regulations, 2000 giving the status of their solvency position.

During the financial year 2002-03 all insurers, including life, non-life and re-insurer have complied with the solvency requirements, as laid down in the Insurance Act, 1938.

iii) Monitoring of reinsurance

While laying down the regulations for reinsurance, the Authority has laid stress on each insurer maintaining maximum possible retention commensurate with its financial strength and volume of business. It is in this context that the Authority may require an insurer to justify its retention policy, and reserves the right to give such directions as are considered necessary to guard against any Indian insurer merely fronting for a foreign insurer. The reinsurance programme of each insurer, carrying on general insurance business,



is also required to be guided by the basic tenets of developing adequate capacity; securing the best possible protection for the reinsurance costs incurred; and simplifying the administration of business.

In the case of life reinsurance, every life insurer shall draw a programme of reinsurance in respect of lives covered by it and have the same duly certified by the Appointed Actuary. Further, the profile of such a programme, duly certified by the Appointed Actuary, giving the name(s) of the reinsurer(s) with whom the insurer proposes to place business, are required to be filed with the Authority, at least forty-five days before the commencement of each financial year. The Authority may, if it considers necessary, elicit from the insurer any additional information, from time to time, and the insurer shall furnish the same.

The Authority is particularly concerned that insurers ceding abroad do so only after utilisation of the national capacity; on competitive international terms; and that the business placed with any one re-insurer should not be excessive. Thus, every insurer is required to offer an opportunity to other Indian insurers, including the Indian re-insurer to participate in its facultative and treaty surpluses before placement of such cessions outside India. Insurers are also required to place their reinsurance business outside India with only those re-insurers who have over a period of the past five years counting from the year preceding for which the business has to be placed, enjoyed a rating of at least BBB (with Standard & Poor) or equivalent rating of any other international rating agency. Placements with other re-insurers require the approval of the Authority. Surplus over and above the domestic reinsurance arrangements class-wise can be placed by the insurer independently subject to a limit of 10 per cent of total re-insurance premium ceded outside India being placed with any one re-insurer. Where it is necessary to cede a share exceeding such limits to any particular re-insurer, the insurer may seek the specific approval of the Authority for the same.

With this background, insurers have been filing their reinsurance programmes with the Authority. On closer

examination of the reinsurance programmes, it has been observed that the private players are constrained by lack of capacity and are therefore trying to keep a higher retention and protect themselves by an excess of loss cover. On this retention, the insurers draw up their company's surplus treaties running into a number of lines. These insurers are participating in the market surplus treaties organised by GIC, the national re-insurer. On the other hand, the public sector companies because of their high net worth, are able to muster higher net retentions. Consequently, their reinsurance programmes are quite distinct from those of the private players. In addition, these insurers' surplus treaties do not have as many numbers of lines when compared to the private players. The public sector insurers, nevertheless, follow the same structure of having company surplus treaties and participate in the market surplus treaties.

The opening up of the sector has seen a decline in the net retentions in the country. This is, but, an expected development. While, earlier the entire programme was placed through the GIC and entered the international market as one block, with the entry of new players and with the autonomy granted to the State owned companies, each of these insurers drew up a separate re-insurance programme, and entered the reinsurance market as a separate entity. The decline in the retentions, however, has been small.

The analysis of the information furnished by the private players reveals that the retention ratio for fire and the engineering segments is only 17 per cent on an average. Motor, health and personal accident are reasonably good (in the range of 70 per cent - 78 per cent) with the companies keeping large proportion of the premium to themselves. The net retention of the private players, excluding motor, is 32 per cent and goes up to 47.5 per cent on including motor.

Though the final figures of the public sector players are still awaited, the retention ratios, excluding motor, have been indicated to be around 75 per cent.

Table 37 gives details of obligatory cession received by GIC.



TABLE - 37
OBLIGATORY CESSIONS RECEIVED BY GIC

Class	%	Max. Liability	Reinsurance Commission		Profit Commission		Reserves
			per risk	oblig	Pool	Oblig	
Fire	20%	Rs. 50 crs. PML	30%	Nil	↑	Nil	Nil
Marine Cargo	20%	Rs. 10 crores S.I.	22.50%	Nil		Nil	Nil
War / SRCC	20%	No Limit	10%	Nil		Nil	Nil
SRCC	20%	No Limit	10%	Nil		Nil	Nil
Marine Hull	20%	Rs. 16 crs. S.I.	17.5%	17.5%	Profit Commission shall	Rendered in 3rd year for 3 preceding u/w years	Nil
Motor, WC	20%	No Limit	25%	Nil	applicable	Nil	Nil
Aviation Hull	20%	No Limit	10%	Nil	on the	Nil	Nil
Aviation Liability	20%	No Limit	15%	Nil	aggregate results of	Nil	Nil
Oil & Energy	20%	Rs. 2 crs.	2.5%	Nil	statutory	Nil	Nil
Liabilities (Public Liab. & Products Liab.)	20%	No Limit	25%	Nil	portfolio @ 20%	Nil	Nil
Other Misc.	20%	No Limit	25%	Nil		Nil	Nil
MB/ BE/ LOP	20%	Rs. 15 crs. PML or Rs. 45 crs. S.I.	25%	Nil	↓	Nil	Nil
CAR/ EAR	20%	Rs. 30 crs.	25%	Nil	Nil	Nil	Nil
ALOP/ DSU		PML or Rs. 90 crs. S.I.					

Non-Standard Liability covers such as

- Product Recall }
 - D & O } 20% on case to case basis -
 - E & O } Maximum obligatory Cessions limit from Rs. 2 to 5 crores.
- Professional Indemnity }
- Comp. General Liability }
- Other Liability }

Indian Market Terrorism Pool

Following the September 11 attacks on the World Trade Centre, in USA, the Indian insurers were left in a lurch with no re-insurer willing to extend reinsurance support for terrorism cover. The implications of this, for the Indian insurers, were that they could end up declining terrorism cover to their insurance customers. Such a development did not bode well for the industry in particular and for the country at large. The Authority held discussions with all the stakeholders in the industry with a view to evolving a consensus on the ways and means to find a solution to this extraordinary event in the light of the unprecedented circumstances. It was then decided to set up a separate pool to be administered by GIC for providing terrorism cover to all insured.

The maximum loss payable by the Pool under the terrorism cover is Rs.200 crore per risk. The term 'per risk' is as defined by the TAC. The member insurance companies have a share in loss retention of the Pool as per the agreement signed with each one of them. The Pool is protected by an excess of loss cover in two layers with an underlying of Rs.100 crore as under:

Layer 1: Rs. 100 crores *in excess of* Rs.100 crore for any one event.

Layer 2: Rs. 200 crores *in excess of* Rs.200 crore for any one event.

For the year 2002-03, the cost of excess of loss protection was allocated between the participants based on the share of individual member companies. However, for the financial year 2003-04, the funds of the Pool have been utilised towards meeting the said costs.

In order to address cases of multiple insurance and also where both fire and engineering insurance covers are issued, the Tariff Advisory Committee was asked to place a limit of Rs.200 crore loss per location to be applicable on the aggregate of losses under both Fire and Engineering insurances. Any insurer seeking insurance cover in excess of Rs.200 crore (as provided by Tariff), is at liberty to do so at terms

obtained from re-insurers, under intimation to the Pool Manager.

During the financial year 2003-04, the GIC, Pool Manager to the terrorism pool, has arranged reinsurance protection for the Pool effective April, 2003. The renewal has been effected at expiring cost for existing limits. The maximum amount payable by the Pool on a per risk basis is Rs.200 crore, irrespective of the sum insured. In the event of multiple risks within the same location (compound), the maximum loss payable by the Pool for any one event is Rs.200 crore for all risks within the same compound. In addition, GIC has arranged facultative facility for terrorism risks with the limits Rs.300 crore in excess of Rs.200 crore.

Reinsurance Advisory Committee:

The Reinsurance Advisory Committee, constituted under section 101B of the Insurance Act, 1938, by the Authority, with the prior approval of the Central Government, continued to meet periodically to discuss issues pertaining to reinsurance including re-insurers filing their reinsurance programmes within 45 days of the commencement of the financial year; insurers demonstrating maximum retention consistent with their respective net worth and volume of business; availing of the opportunities offered by the national re-insurer if it matches or offers better terms vis-à-vis the international rates; place reinsurance with one another, both treaty and facultative – the placements abroad need to be subject to signing down to the extent shares are placed within the country; obtain optimum terms for reinsurance as to minimise the outflow of foreign exchange; and ensure prompt documentation following placement and furnish the statistical information pertaining to re-insurance with the Authority as per the prescribed formats. As per the decision of the Reinsurance Advisory Committee, the Authority requires a compulsory cession by the insurers carrying on general insurance business at 20 per cent subject to limits in fire, engineering and energy business. Cessions in respect of public and product liability business have also been indicated at 20 per cent on quota share basis without any limits. The commissions and profit commissions for each class



of business, in addition to laying down the procedures for maintenance and settlement of accounts, have also been specified.

Presently, the Reinsurance Advisory Committee consists of the following members:

- (a) C. N. S. Shastri, former Managing Director, GIC of India and the former Adviser to Bank Negara, Malaysia;
- (b) A. C. Mukherjee, former CMD, New India Assurance Co. Ltd.;
- (c) P. C. Ghosh, Chairman, GIC;
- (d) S. V. Mony, CEO, AMP Sanmar and the former Chairman, GIC.

Mr. N. K. Shinkar, former Chairman, Life Insurance Corporation of India continues to be the special invitee at the meetings of the Committee.

iv) Monitoring of investments of the insurers

The insurance sector, on account of the huge size of the funds that it attracts, plays a crucial part in the deployment of the same. These funds need to

necessarily be invested in such manner as to ensure an asset liability match as to equip the insurers to meet their obligations to their policyholders, as and when the claims obligations arise. The other side of the coin, of course, is the role that the insurers play in creation of wealth in the economy. The regulations framed by the Authority lay down guidelines for investments by the life and non life insurance companies, including the exposure norms/ prudential guidelines. The requirements laid down by the Authority address the dual objectives of the safety and returns to the insurers combined with their meeting the socio-economic objectives of nation building, particularly targeted at the infrastructure and the social sectors.

The Authority has mandated the pattern of investments to be followed by the insurance companies. Investments in Government securities, approved securities, approved investments and in infrastructure and social sectors have been prescribed in the Insurance Act, 1938 and the regulations framed thereunder. The Authority has also specified that every insurer carrying on the business of life insurance shall invest and at all times keep invested its controlled fund (other than funds relating to pension and general annuity business and unit-linked life insurance business) in the following manner:

TABLE - 38

PATTERN OF INVESTMENTS SPECIFIED BY THE AUTHORITY - LIFE INSURANCE

S.No	Type of Investment	Percentage
i)	Government securities	25%
ii)	Government securities or other approved securities (including (i) above)	Not less than 50%
iii)	Approved Investments as specified in Schedule-1	
a)	Infrastructure and Social Sector	Not less than 15%
b)	Others to be governed by Exposure Norms. (Investments in 'Other than in Approved Investments' in no case exceed 15% of the Fund).	Not exceeding 35%



In the case of pension and general annuity business, every insurer shall invest and at all times keep invested its funds, under these segments, in the following manner:

TABLE - 39
PATTERN OF INVESTMENTS SPECIFIED BY THE AUTHORITY - PENSION AND GENERAL ANNUITY

S.No	Type of Investment	Percentage
i)	Government securities, being not less than	20%
ii)	Government securities or other approved securities inclusive of (i) above, being not less than	40%
iii)	Balance to be invested in Approved Investments and to be governed by Exposure/ Prudential Norms	Not exceeding 60%

In the case of unit linked life insurance business, every insurer shall invest and at all times keep invested its segregated fund of unit linked life insurance business as per the pattern of investment offered to and approved by the policyholders. Unit linked policies may only be offered

where the units are linked to categories of assets which are both marketable and easily realisable. However, the total investment in other than approved category of investments shall at no time exceed 25 per cent of the fund. (Refer Table 40).

TABLE - 40
PATTERN OF INVESTMENTS SPECIFIED BY THE AUTHORITY - LINKED LIFE INSURANCE BUSINESS

S.No.	Type of Investment	Percentage
i)	Approved Investments	Not less than 75%
ii)	Other than approved Investments	Not more than 25%

Insofar as general Insurance or reinsurance business is concerned, every insurer shall invest and at all times keep invested its total assets in the manner set out below: (Refer Table 41)

TABLE - 41
PATTERN OF INVESTMENTS SPECIFIED BY THE AUTHORITY - GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE

S.No.	Type of Investment	Percentage
i)	Central Government securities being not less than	20%
ii)	State Government securities and other guaranteed securities including (i) above being not less than	30%
iii)	Housing and Loans to State Government for Housing and Fire Fighting equipment, being not less than	5%
iv)	Investments in Approved Investments a) Infrastructure and Social Sector b) Others to be governed by Exposure Norms. However the investments in 'Other than in Approved Investments' in no case exceed 25% of the Assets.	Not less than 10% Not exceeding 55%



The Authority has also been issuing clarifications/guidance notes to the insurers from time to time. In this connection, all insurers were advised, during the year, to file the compliance certificate as per the prescribed format along with the investment returns on a quarterly basis. The insurers are also required to furnish the said certificate at the end of each financial year, along with a certificate from the custodian confirming the value of the securities held and certifying that, the same were free of encumbrances, charges, hypothecation and lien. The insurers have also been advised to furnish particulars of defaults in receipts of periodic incomes and/or principal on maturity, on a quarterly basis, and particulars of the provisions made/ proposed to be made on the same.

The Authority, during the financial year 2002-03, also laid down the guidelines for investments in mutual funds. These investments as a temporary parking mechanism, are required to be made only under the other than approved category. The Authority has further laid down the exposure norms for such investments, and has provided the norms for valuation of the mutual fund investments. As a step towards establishing the reconciliation between the purchases and sales of investments made by insurers on a quarterly basis, the insurers have been advised to file, on a quarterly basis, a reconciliation statement on the purchases and sales. The insurers have also been issued directions for preparation of these statements.

Given the fact that the investments impact the performance of insurance companies, and that this is a dynamic field of operations, the Authority places a lot of significance on accuracy of information furnished by the insurers on a quarterly basis. The evolving investment environment also calls for review of the regulations on a regular basis. It is perhaps in this context that, it may be mentioned, the investment regulations have undergone the most amendments in the last three years.

The Authority, while exercising its powers to grant exemptions, has extended limited purpose exemptions to the insurers on a case to case basis, taking into consideration the merits of each case, and has issued

specific advices on some of the provisions of the Insurance Act and the Investment Regulations formulated there under. These exemptions have been granted under sections 27A(3) and (4) of the Insurance Act, 1938; and under the industrial sector exposure norms and the investee company exposure norms. The Authority has further exercised these powers to expand the list of approved investments for life and general insurers.

Analysis of the returns submitted by the life and general insurers, reveals that they are broadly complying with the investment regulations as laid down by the Authority. In individual cases, clarifications have been sought from the insurers. Further, in a few instances, the insurers have had difficulty in complying with the social sector investments due to lack of adequate avenues for such investment. However, these shortfalls have been made good by making additional investments under the infrastructure category.

That the Authority places crucial emphasis on prudent investment of funds at the disposal of the insurer, is well reflected from the detailed regulations laid down for the insurers. As a corollary to the investment decisions, the insurers are also required to continuously monitor their portfolio, and make adequate provisions for any deterioration in the individual investments in the portfolio. With a view to monitoring the investment decisions of the insurers, as to compliance with the regulations, prudent investment of the funds and adequate provisioning on a regular basis, the Authority has initiated steps towards investment audit on a periodic basis. The Audits are carried out by chartered accountants drawn from the panel maintained by the Authority, along with one of the technical officers of the Authority forming part of the inspection team.

More recently, in the current financial year 2003-04, the Authority has also reviewed and amended the existing regulations on investments. These amendments were necessitated because of the changes that have occurred in the investment environment in the country. Further, deregulation of interest rates, even though had helped in making financial market operations efficient and cost effective, the same has led to considerable volatility in the market resulting




TABLE - 42

**COMPANY-WISE INVESTMENT DETAILS - GENERAL INSURANCE
INVESTMENT DETAILS FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2003**

(Rs. in Crores)

Sl. No.	Insurer	G. Sec.	G. Sec. & other Approved Sec.	Housing	Infra-Structure	Social Sector	Inv. Subject to Exposure Norms (Incl. other than approved Inv.	Other than Approved Inv.	Total Investment (Company-wise)
1.	GIC	2200.91	2699.62	688.94	686.80	-	4388.51	964.78	8463.87
2.	New India	1966.96	2539.72	421.11	446.92	-	3955.21	1268.90	7362.96
3.	National Insurance	1210.88	1573.95	212.50	270.02	-	1622.06	380.49	3678.52
4.	United India	1616.90	2168.95	371.14	713.40	-	2110.60	624.55	5364.09
5.	Oriental Insurance	981.71	1345.81	279.40	436.23	-	1898.34	331.39	3959.78
6.	Reliance General	105.44	105.44	12.06	20.33	-	43.67	18.02	181.50
7.	Royal Sundaram	67.75	74.55	19.80	21.66	-	54.86	0.00	170.87
8.	IFFCO TOKIO	71.86	71.86	12.46	26.73	-	88.71	25.75	199.75
9.	TATA-AIG General	113.67	113.67	15.92	30.18	-	70.22	40.53	229.99
10.	Bajaj Allianz	102.51	107.51	24.39	34.56	-	128.35	38.69	294.81
11.	ICICI Lombard	0.00	94.60	18.56	29.39	-	75.26	23.34	217.81
12.	CHNHB Association	2.28	2.28	0.60	1.15	-	6.45	2.20	10.49
13.	Cholamandalam	81.82	81.82	5.06	11.40	-	10.60	5.49	108.88
14.	HDFC CHUBB	69.80	69.80	5.27	10.45	-	5.46	-0.34	90.98
	Total (Sector - Wise)	8592.49	11049.58	2087.20	2739.21	-	14458.30	3723.80	30334.30
	As At 31st March 2002								
	Public Sector	6630.86	8649.28	1833.49	5023.82	-	7157.51	2834.73	22664.10
	Private Sector	277.06	353.28	59.48	122.11	-	201.46	137.37	736.33
	Grand Total	6907.92	9002.56	1892.97	5145.93	-	7358.97	2972.10	23400.43

SECTOR-WISE INVESTMENTS AS ON 31.3.2003- GENERAL INSURERS
(Rs in crores)



TOTAL INVESTMENTS AS ON 31.3.2003- GENERAL INSURERS
(Rs in crores)





TABLE - 43
COMPANY-WISE INVESTMENT DETAILS - LIFE INSURANCE
INVESTMENT DETAILS FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2003

(Rs. in Crores)


Sl. No.	Insurer	G. Sec.	G. Sec. & other Approved Sec.	Housing	Infra-Structure	Social Sector	Inv. Subject to Exposure Norms (Incl. other than approved Inv.*	Other than Approved Inv.	Total Investment (Company-wise)
1.	LIC	138770.31	167513.04	-	30998.16	-	60221.02	1119.38	258732.22
2.	HDFC STD LIFE	169.89	169.89	-	39.20	-	45.98	9.11	255.07
3.	MAX NEW YORK	38.01	104.10	-	27.12	-	20.83	5.00	152.05
4.	ICICI PRU. LIFE	286.76	286.76	-	63.56	-	318.38	41.37	668.70
5.	BIRLA SUN LIFE	51.12	70.17	-	15.14	-	89.95	2.98	175.26
6.	TATA-AIG LIFE	103.60	103.60	-	24.93	-	26.51	4.39	155.04
7.	OM KOTAK LIFE	79.79	79.79	-	26.49	-	37.57	18.25	143.85
8.	SBI LIFE	122.99	122.99	-	31.29	-	47.34	17.96	201.62
9.	ALLIANZ BAJAJ LIFE	100.14	105.14	-	37.68	-	48.41	-0.38	191.23
10.	METLIFE	57.17	57.17	-	15.18	-	18.06	7.54	90.41
11.	AMP SANMAR	65.69	65.69	-	18.80	-	10.02	0.00	94.51
12.	ING VYSYA	53.80	58.80	-	15.25	-	24.00	0.00	98.05
13.	AVIVA LIFE	66.55	66.55	-	23.08	-	36.43	3.51	126.06
	TOTAL (SECTOR - WISE)	139965.81	168803.67	-	31335.89	-	60944.50	1229.12	261084.06
	AS ON MARCH 2002								
	PUBLIC SECTOR	128,139.04	131,400.71	-	20,498.72	-	77,046.29	16,442.00	228,945.72
	PRIVATE SECTOR	674.06	776.77	-	242.15	-	404.09	79.65	1423.01
	GRAND TOTAL	128,813.10	132,177.48	-	20,740.87	-	77,450.38	16,521.65	230,368.73

* Revised Figures have not been incorporated.

SECTOR-WISE INVESTMENTS AS ON 31.3.2003 - LIFE INSURERS
(Rs. in Crores)



TOTAL INVESTMENTS AS ON 31.3.2003 — LIFE INSURERS
(Rs. in Crores)



in a wide array of risks for insurance companies. To manage and control these risks, there has been a felt need for appropriate financial instruments such as Derivatives.

Also, subsequent to RBI's decision to phase out the non-banking entities from call money market and its imposition of certain restrictions in respect of premature closure, rollover and use of REPO securities etc., the development of the REPO market was affected. Keeping these restrictions in view, Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL) has developed "Collateralised Borrowing and Lending Obligation" (CBLO) for deployment of surplus funds. CCIL provides a dealing platform through which market participants can borrow and lend by exchanging CBLOs. As the product is collateralised by Government Securities, the Authority is notifying of this instrument as a part of "Approved Investment".

As the Regulations as they presently exist, do not prescribe the exhaustive categories into which individual investments could be grouped, there was no uniformity in classifying investments. This distorts the true position of Investments reported to the Authority. Hence, an exhaustive list under "Category of investments" has been compiled to ensure proper compliance with the requirements of the Act. In this regard, the reporting forms have also been modified, and additional returns introduced. These regulations are awaiting notification.

The compilations at Tables 42 and 43 give the company - wise details of investments of general and life insurers as at 31st March, 2003, respectively.

v) Health insurance

Health insurance business, or health cover, is the effecting of contracts, which provide sickness benefits or medical, surgical or hospital expense benefits, whether in-patient or out-patient, on an indemnity, reimbursement, service, pre-paid, hospital or other plans basis, including assured benefits and long term care. The very fact that the Authority places importance on provision of health services, is reflected in the preference being given to those applicants for grant of certificate of registration who propose to carry on

the business of providing health covers to individuals or groups of individuals.

India is incurring 5.2 per cent of its GDP towards healthcare expenditure. The coverage of population, under the various health insurance schemes, is limited to the extent of 15 per cent, including those covered under the Employees' State Insurance Scheme (3.4 lakh beneficiaries), Central Government Health Scheme (40 lakh beneficiaries) and the Railways Health Scheme (12 lakh beneficiaries). In addition to the health cover provided by the non life insurance companies, a beginning has also been made by the life insurers to provide health cover to the policyholders, albeit through riders.

The Authority's pre-occupation with health insurance is on account of the need to widen the safety net by providing health insurance to cover the masses. Needless to add, health insurance would increase the benefit of health facilities to the population at large, thereby also impacting the quality of life.

While, health insurance for the people of the country has come a long way since inception, there is a lot of ground still to be covered. On introduction of the mediclaim policy by the four general insurance companies in 1986, these insurers had collected a cumulative premium of Rs.25 crore in the first year of the scheme's operation. The latest audited business figures, for the year 2002-03, reveal that the health insurance segment crossed the Rs.1000 crore mark. Overall, the health insurance portfolio has increased by 50 per cent over the premium underwritten in the previous year. It would, however, be pertinent to note that this increase has come partly on account of revision in mediclaim premium and additional 6 per cent TPA costs by way of administrative charges being levied on the insured.

The four public sector companies offer the following variants of health insurance policies, addressing the needs of various sections of the society:

1. Mediclaim Policy – for general public
2. Jan Arogya Policy – for economically weaker sections



3. Community Based Universal Health Insurance Scheme – group scheme for people below poverty line. The scheme was launched by the Prime Minister of India during the current financial year 2003-04, in July, 2003.

The private sector insurers have also launched variants of the mediclaim policy with different nomenclatures, including:

1. Health Insurance Policy (Shield) – On the lines of mediclaim policy, it has such other features built into it as reimbursement of hospitalisation even if it is for a period of less than 24 hours, extension of personal accident cover, cashless facility, etc.
2. Critical Illness policy – Similar to the products marketed by the public sector insurers, it is a defined benefit policy and the insurer pays the sum assured on the diagnosis of ten critical identified diseases.
3. Hospital Cash Policy – Under this policy, the insurer pays a fixed amount upto a pre-determined limit for each day spent in the hospital, irrespective of the actual amount spent on treatment. This is also a defined benefit policy.

Amongst the issues facing the health insurance industry, absence of credible data in the health insurance market in the country is critical. Steps need to be initiated to generate meaningful statistics, which could be the starting point for scientific pricing of health insurance premium. Secondly, obligations, on the lines of those specified for the rural and social sector coverage, could be laid down for the insurers to cover a certain minimum number of lives under the health insurance policies and to collect a certain percentage of gross premium underwritten through the health insurance segment. Such an initiative could go a long way in improving penetration and coverage in the health segment.

Establishment of the database in the health sector would also provide access to the various stakeholders to critical information, which is currently not available. The system could provide information, about patients,

with the service providers to ensure portability. Not only this, it would also come in useful for the manufacturing sector in the health industry, including pharmaceutical companies, manufacturers of diagnostic equipments, researchers and others. This would facilitate cost benefit analysis. Due to the limitations of access to data, the covers for insurance that are available are narrow in scope. The insurance coverage of population is scanty, restricted, costly and poorly administered. Those covered have only an omnibus policy, with no element of risk differentiation. There is no reliable basis to measure premium cost in relation to specific risk/occurrences and the policyholders have no choice of cover, specific to their requirement. The insurance companies have hardly any role and no interface with hospital establishments in determining the reasonableness of charges, relative to quality of medical care provided. There are no benchmarks and no standards for billing for these services. The health care delivery is consequently cost-ridden which is passed on to the patient, i.e., the policyholder. Owing to the hidden costs in health care delivery system, without any audit or authentication of their reasonableness, health insurance comes with a big price tag. Additionally, there is no mechanism to check these against established standards, and no benchmarks have been attempted/ established. This scenario greatly inhibits exponential growth of medical care / health insurance business in the country.

Given the vast potential, which exists in the health care sector, and the changes in the demographic pattern on account of increased span of lives, it is crucial that health insurance is popularised. Insurance companies can evolve strategies by translating these opportunities into actual purchase of health insurance products by building suitable underwriting systems. This segment is not only an exciting business opportunity but also in the wider interest of the nation.

Third Party Administrators:

The Authority had notified the Third Party Administrators (TPA) – Health Services Regulations in September, 2001 to introduce another intermediary named TPA in the field of health insurance. The basic idea behind



introduction of the intermediary in the health sector was to facilitate provision of cashless health services to the clients and offer backup services to the insurers. As on date, 23 TPAs have been registered by the Authority, of which 11 are in active business. Taking into account the availability of the infrastructure with the third party administrators, insurers have allocated the health services portfolio to them.

It is expected that with the benefits of cashless services being fully appreciated by the insured, the concept of health insurance would get popularised. In addition, with the onus of service shifting from the insurer to the service provider, access to health services should become that much easier – thereby giving a quantum jump to the spread of health insurance. The necessary inputs are all there to provide the impetus to the growth in this sector. Health falls under the de-tariffed segment as such the insurers can tailor their products to meet the requirements of the insured. As a corollary, the rising costs of medical services makes it pertinent to take an medical policy to cover for the contingency of ill-health at any given point in time. Indications are that with the introduction of TPAs in the health segment, the claims ratio has also steadily started declining in the health portfolio. However, as already indicated elsewhere in the Report, one of the critical areas which needs no emphasis, and which needs to be worked upon on an urgent basis is that of creation and maintenance of database in the health insurance industry. As is evident, from the statistics available on the industry, standardised data is absent. As a result, industry players – be it the insurers, the service providers or the facilitators, feel handicapped in standardisation of the rates and services, thereby also impacting the consumer. The Authority is actively examining the various ways and means for creation of such a database, which would serve the dual purpose of both monitoring claims and also enable pricing of the health insurance products. The magnitude of the job at hand needs consideration of the various aspects prior to finalisation of the modalities for the same.

However, there have been impediments in the growth of this particular line of business on account of multiple complaints arising in the servicing of the

insured, including repudiation of claims due to conditions/exclusions in the policy; non-settlement of claim/ delay in settlement of claim; cancellation of policy without giving any notice; settlement of claim for lesser amount; refusal to renew policy in case of adverse claims experience; non-issue of list of hospitals; improper guidance by 24 hour help lines; in-accessibility of toll-free numbers; non-receipt of settlement cheques within the stipulated time; non-receipt of photo identity cards; wrong insertion of photos/names in the identity cards; loading at the time of renewals (whether claim/no claim); and hike in premium due to introduction of TPAs.

The concept behind introduction of TPAs not only needs to be appreciated, but also requires constructive support from the various stakeholders in the industry. The Authority is sensitive to the problems involved in the functioning of the third party administrators and is amenable to introducing any measures, which may improve the delivery of health services by them.

Working Group on Health Insurance

A working group has been set up on health insurance under the aegis of USAID programme undertaken to assist the Authority in its functioning in various fields. The terms of reference of the working group on health insurance, on which recommendations are to be submitted, include the following:

- Role and services to be provided by Third Party Administrators and possible expansion of the Authority's regulatory framework;
- Standardisation of contracts, data, forms, and systems with respect to health insurance policies and TPAs' intermediation with insurance companies, other mechanisms of health care financing, and health care providers;
- Role of the Authority regarding various modalities for health care financing;
- Role of the Authority in ensuring that the health care providers comply with the minimum requirements of licensing and accreditation and in monitoring quality of care (for instance, Quality of Care Reports



by TPAs – identification of health care providers and their legal and accredited status, performance, claims, etc); and

- Inter-institutional coordination for comprehensive approach for the development of health insurance and of various intermediaries (viz., Ministry of Health, health care professional associations, and the like).

The first meeting of the working group was held in September, 2003, which was attended by the representatives drawn from Ministry of Health, Ministry of Finance, TPAs, insurance companies, NGOs, self funded groups, and the Authority.

vi) Specified percentage of business to be done in the rural and social sector

The Committee on Reforms in the Insurance Sector, while advocating opening up of the industry to the private sector, had made a strong case for the new players being subjected to compliance of minimum stipulations for underwriting business in the rural and the social sectors. This requirement for the industry, both life and general insurers, is laid down in the regulations framed by the Authority on obligations of the insurers for the rural and social sectors. It may be recalled, that the amendments to the regulations were notified by the Authority in the October, 2002. Under the amendments, the term "rural sector" has been redefined, and the words "agricultural pursuits", elaborated. The amendments also dwell on the "informal sector". Simultaneously, the obligations for life insurers towards the rural sector were raised. In keeping with the need for insurers to meet their obligations to the society, the Authority has further stipulated that in terms of volume of business, no insurer shall write rural/social sector business less than what was recorded for the accounting year ended 31st March, 2002. The amendments came into effect from the financial year 2002-03. The regulations require insurers to underwrite business based on the year of commencement of their operations. The regulations further provide that in case of the first financial year of the insurer being less than a period

of 12 months, proportionate percentage or number of lives, as the case may be, shall be underwritten. In addition, the existing public sector insurance companies are required to ensure that their rural and social sector business in any given financial year is more than that underwritten by them in the previous financial year.

Obligations of life insurers:

Of the twelve insurers who have entered the industry in the last three years, ten have met their rural and social sector obligations. One insurer, although was able to comply with the rural sector obligations, fell short of meeting the obligations towards the social sector. In case of one insurer, who commenced operations in October, 2002, there was a shortfall in meeting both the rural and the social sector obligations, on a proportionate basis.

The one company in the public sector, i.e., Life Insurance Corporation of India, was required to comply with the regulations in the manner that the percentage of policies issued in the rural sector for the year did not fall below the percentage achieved in the previous year. The insurer underwrote business as to meet its obligations towards the sector. In addition, the number of lives covered by the insurer in the social sector was more than those covered in the previous year. In other words, the obligation on the part of the life insurers to serve the rural and the social sectors has been substantially achieved by them.

Obligations of general insurers:

Of the eight insurers who have entered the insurance industry during the last three years, five insurers have met, both the rural and the social sector obligations. Out of these, in case of three insurers, whose first year of operations comprised of a very short span, although the financial year 2002-03, was the third year of their operations, given the peculiarity of their situation, the said year was considered the second year for the purpose of determining compliance with the requirements of the rural and social sector obligations. In one instance, the insurer met with the social sector obligations. However, there was a minor



shortfall in compliance with the rural sector obligations. In respect of the two insurers who commenced operations during the financial year 2002-03, compliance of the rural and the social sector obligations, on proportionate basis, could not be ensured. These insurers are required to ensure compliance with the shortfall in the financial year 2003-04. Companies like Iffco-Tokio have sold their products through both National and State level Co-operatives of dairy owners, cotton growers, sugar cooperatives and Banks. The insurer's efforts have been a landmark in underwriting social sector business.

The four public sector insurers were required to underwrite rural and social sector business during the year, which was in excess of the business underwritten in the financial year 2001-02, and this was achieved by them. As such, the public sector non-life insurers met with their obligations under the regulations applicable to them. Non-Life Insurers have also launched need-based packages for women's self-help group, handloom weavers, artisans, tribals etc.

The opportunity for tapping the potential of soliciting business from small towns and villages exists. Some of the insurers have channelised their promoter groups to underwrite rural and social sector business with some of the products sold to the rural market subsidised by the insurer. However, insurers need to be conscious of the same rather than taking rural and social obligations as just that, i.e., an obligation which needs to be complied with. Overall, those insurers who were unable to comply with their obligations towards the rural and the social sectors have undertaken to fulfill the shortfall in the financial year 2003-04, in addition to meeting their obligations for the current financial year, as provided in the regulations.

While on the one hand, on account of social considerations, the need for spreading insurance throughout the country is a necessity, on the other, with the purchasing power parity of the rural population steadily growing, the rural market offers a vast potential for insurance sector, which has essentially remained untapped so far. In order to tap these markets, there is a need to understand the psyche of the rural populace, their perception towards importance of

different types of insurance, and their willingness to purchase policies. Studies have shown that the rural market holds tremendous potential for growth of the insurance business, particularly due to the prevalence of strong saving habits. Even the relatively low-income families tend to save about a third of their annual earnings. In the agrarian belts, the savings are high around harvest time. The various channels of savings include banks, post offices and informal institutions like local lenders, and jewelers. This of course, is in addition to the agent force. Similarly, auto dealers financing vehicles create awareness for motor vehicle and tractor insurance. It is, however, a matter of concern that other than in cases of mandatory requirements, spontaneous awareness levels are low, particularly for general insurance products. In addition, there is no felt need for insurance.

In terms of life insurance, to cover a wider segment of communities, Group Insurance Schemes and other Multiple Policies can be designed as viable and better alternatives. Products, which cover such risks as death of chief wage earner, accidents, crop failure/ destruction, natural disaster etc., could be particularly appealing to the insured. In addition, people with higher earning capacity and educational levels could be tapped by designing customised insurance products, as these serve the dual objective of providing saving and security, which could be critical during times of unforeseen personal crisis. In addition, adequate awareness needs to be created for the new insurers, so as to develop a sense of trust in them.

In addition, covering health, property and crop are crucial for the rural populace. Additional benefits as loan facility, life plus accident or life plus health plus accident insurance only make the products more attractive. Flexibility to pay in instalments as to ensure that they coincide with harvest time is an added attraction. Local modes of communication, particularly through local haats, melas, using local TVs and vernacular newspapers is a reliable route to tap the target audience. Using the agency network combined with banks and cooperatives to tap these markets is likely to yield positive results. As regards the general insurance segment, the target audience particularly, has to be the affluent segment, which possesses the



insurable assets. Studies have shown that the level of awareness about general insurance is low vis-à-vis the life segment. Insurers need to create awareness through a specially designed targeted plan aimed at the multi-lingual and multi-cultural rural audience.

Overall, the extensive network built by rural development agencies, banks, co-operative institutions, NGOs, MFIs, SHGs, Youth Clubs and Panchayats can be tapped and effectively utilised by the insurers to penetrate the rural pockets of the country. The growing purchasing power of the rural segments, coupled with opportunities, which are opening up on account of the IT, and telecom revolutions, can be effectively utilised to ensure spread of insurance to these sectors. Insurance companies need to translate these opportunities into actual sale of insurance products by building dedicated distribution systems.

(vii) Pensions

The Government of India approved in August, 2003 the proposal to introduce a new restructured defined contribution pension system for the new entrants to the Central Government service, except for those in the armed services, in the first stage, replacing the existing system of defined pension system. The new system is to be available, on a voluntary basis, to all persons including the self employed professionals and others in the unorganised sector. However, programmes under the Employee Provident Fund Organisation (EPFO) and other special provident funds would continue to be operated as per the existing system under the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and other special Acts governing those funds. Pending the enactment of a comprehensive legislation on pensions, the Government of India, constituted the interim Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) under the overall administrative control of the Ministry of Finance. The PFRDA will regulate and develop the pension market. It shall develop its own funding stream based on user charges, and shall perform all such functions as are necessary to enable it to effectively regulate, promote and ensure the orderly growth of the pension market. The interim body would propose comprehensive legislation for the regulation of the pension market.

Given the demographic changes that are taking place in the global scenario, and more particularly, in the Indian context, evolution of a reasonable pension system to cover all sections of the economy is critical. While, as a first step the Central Government has announced a pension plan for the new entrants to Central Government services, there are huge sections of the society, which are still required to be covered. Countries provide social security benefits to their residents in remarkably diverse ways reflecting differences in their levels of economic and social development and historical experience. Tax systems are also in place in many countries to encourage participation in the pension plans.

viii) Accounting and Actuarial Standards

1) Accounting Standards

The Authority had issued the Regulations for Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of insurance companies in the year 2000. However, there was a felt need for streamlining the information furnished by the insurers and to incorporate various clarifications issued on the same, from time to time. Accordingly, the regulations were modified and notified in March, 2002. Further clarifications were also issued by the Authority on issues raised by the insurers. In addition certain relaxations were also allowed to the non-life public sector insurers for the financial year 2002-03, in view of the practical difficulties expressed by them.

The regulations framed by the Authority broadly fall within the purview of the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. However, modifications have been made in respect of the accounting standards pertaining to preparation of Cash Flow Statement (AS - 3) which is required to be furnished to the Authority only under the direct method; and Segment Reporting (AS - 17) the requirements of which have been made more stringent for the insurers. The AS has been made applicable to all insurers irrespective of the requirements of listing and turnover as mentioned in the AS. The said modifications have been made to meet the



specific information needs of the Authority, and do not dilute the standards laid down by the ICAI. It may be mentioned that the ICAI has issued 29 Accounting Standards till date. Some of these accounting standards were revised during the year 2002-03, in a limited way by the Institute of Chartered Accountants of India.

The regulations further require that the financial statements shall be accompanied by the Management Report, as per the format prescribed in this regard, duly certified by the management of the insurer. The Responsibility Statement, as required under section 217(2AA) of the Companies Act, 1956 as part of corporate governance, also forms part of the Management Report. The Authority has also prescribed the format of the Auditors' Report, and laid down the requirement of the accounts being jointly audited by two auditors. Further, the auditors appointed by the insurers are to be drawn from the panel maintained by the Authority.

The Authority has prescribed guidelines for empanelment of auditors with it. These guidelines provide that the audit firm seeking empanelment with the Authority must have been in existence for a period of at least 15 years, and should have a minimum of five partners, two of whom must have spent at least five years with the firm. With a view to adopting healthy corporate governance practices, the Authority has further prescribed rotation of auditors every five years, and no two auditors can jointly carry on audit for more than four years.

Officials of the Authority have also been associated with the efforts of the study group formed by the ICAI to bring out guidance notes on audit of companies carrying on general or life insurance business. The Institute has since published the guidance notes for their members. During the financial year, the Authority, jointly with the ICAI, considered important issues and shared views and ideas on audit and other related subjects in the insurance industry at the macro level. Broadly, issues relating to accounting regulations and investments have been discussed with the ICAI.

With the requirements for disclosure in the financial statements becoming more stringent across the globe,

the Indian industry can also expect the same to become more demanding in the local context. Already the regulatory framework provides for standards, disclosures and transparency. The role of the auditors would also be in the limelight as the custodians to prevent fraud and to comment on the prudential management practices. The ICAI is in the process of introducing peer review in select industries, insurance being one of them. Peer review aims at checking the accuracy of the audit work, and to examine that the technical issues and the statutory requirements have been complied with. The Institute has put in place the Peer Review Board to carry on the exercise.

II(a) Appointed Actuary System

The Authority introduced the system of Appointed Actuary (AA) both for life insurance business and general insurance business in India. No insurer can transact life insurance business in India without an Appointed Actuary. Perceiving a crucial role for the appointed actuary, the Authority, while defining the privileges and the obligations of the AA, laid down eligibility criteria in the regulations. The regulations require that each life insurer shall have an AA as a full-time employee. However, a relaxation has been made in case of non-life companies, in that a consultant actuary can be appointed by a non-life insurer, as the appointed actuary.

Every life insurer is required to submit the statement of solvency along with its Actuarial Report and Abstract as on 31st March of each financial year, duly certified by the AA. In case of a non-life insurer, the AA is required to certify the rates for in-house non-tariff products and IBNR (incurred but not reported) reserves.

The growth of the insurance industry coupled with the entry of private sector in the last three years, has augured well for the profession of actuaries. The developments in the profession signal evolution in the system of appointed actuaries as they come out of hibernation and seek their rightful place in the corporate environment. The profession can make significant contributions in terms of actuarial inputs in life and general insurance business management,



pensions, insurance regulations and academics. The major development in the profession of actuaries pertains to peer review. Professionals in the industry have been veering around to the view that peer review could result in improving the quality of actuarial services rendered in the insurance industry. The Guidance Note issued by the ASI is effective from the annual valuation to be made for the financial year ending 2003-04. While the profession is expected to address this issue and decide the course of action, the Authority has considered it prudent to have a professional panel to review the statutory reports submitted by the Appointed Actuary to the Authority. As per the feedback received from the profession, initiative in the matter has been welcomed. Already, as a first step in this regard, the Authority has constituted a Review Committee of Actuaries, w.e.f 2002, comprising:

- Mr. N.K.Shinkar - Consultant Actuary, IRDA
- Mr. K.P.Narasimhan - Past President of ASI
- Mr. P.A.Balasubramanian - Member (Actuary), IRDA

The Committee reviews the statutory returns of the insurers and examines the functions of the AA, in the backdrop of the requirements as laid down in the regulations in this regard.

It may be mentioned that the efforts towards peer review, world over, are aimed at providing comfort levels to the regulators as to the quality of actuarial work, associated as the regulators are with the protection of interests of the policyholders.

Another step towards professionalising the role of actuaries is the proposed legislation to establish the Institute of Actuaries of India. The Actuarial Society of India was formed for advancement of the actuarial profession in India, providing opportunities for interaction among members of the profession, facilitating research, arranging lectures on relevant subjects, presenting and discussing of papers, providing facilities and guidance to those studying for actuarial examinations etc. The draft Institute of Actuaries Bill, 2002 aims at granting statutory powers to the Actuarial

Society of India to regulate and develop the profession of actuaries. The Authority forwarded its comments on the draft bill to the Government of India, and also gave evidence to the Parliamentary Standing Committee in this regard.

The ASI has revised the code of conduct for its members. The Memorandum of Professional Conduct & Practice (PCS) which was revised in May, 2003 provides guidance for professional conduct to which all members must conform in both letter and spirit. Actuaries are expected to maintain a high level of professional competence in the global context as to serve the cause of public interest.

The lists of appointed actuaries in the life and non-life insurance companies are placed at Tables 18 and 33, respectively.

II(b) Actuarial Standards

The Actuarial Society of India has been entrusted with the task of preparation of guidance notes (actuarial standards) for the actuaries with the concurrence of the Authority, in certain specified areas. The Actuarial Society of India issued the first such Guidance Note (GN-I) on "Appointed Actuaries and Life Insurance", constituting a professional standard, covering the responsibilities of the Appointed Actuary towards maintaining the solvency of the insurer, meeting the reasonable expectations of the policyholders, and to ensure that the new policyholders are not misled with regard to their expectations.

The ASI has also formulated the guidance notes for "financial condition report" and the "peer review and the appointed actuary" which are effective 1st April, 2003.

Recently, the ASI issued a Guidance Note (GN-II) for the appointed actuaries working in the general insurance industry. The guidance note covers such aspects as nature and responsibility of appointed actuaries, considerations effecting their position, the extent of their responsibility and duties, premium rates and policy conditions for new products and existing



products on sale, capital requirements, actuarial investigations, premium and claims reserving, written notes and guidance to actuaries who are directors on the boards of, employees or consultants to a general insurance company.

Mortality & Morbidity Investigation Bureau (MMIB): The Bureau has been set up under the aegis of ASI. The main objective of MMIB shall be to provide services to the actuarial community in scientific performance of its functions, by studying the recent trends in mortality, morbidity and other specific risk - implied contingencies, and to produce experience based tables and statistics. This would benefit the Life Insurance Industry at large. In the long run, the MMIB would also establish contacts with the academic institutions and through interaction develop academic expertise and be able to undertake technical studies in various areas. The Bureau has been set up to collect data from the various insurers, and to compile the mortality and morbidity tables based on the experience of the insurers. The ASI is also taking inputs

from the USAID team for the project. The MMIB is being constituted as a separate legal entity. The ASI in conjunction with the UK Institute of Actuaries' equivalent body, the Continuous Mortality Investigation Bureau (CMIB), has been carrying out preliminary work on the establishment of the MMIB. A key functionary of the CMIB had also visited India to examine the various operational aspects of such a body. The Bureau is being funded by all life insurers and by the Authority.

The mortality rates of assured lives (94-96) and of annuitants (96-98) in the LIC are placed at Tables 17(i) and (ii).

ix) Directions, orders and regulations given by the Authority

With a view to providing guidance to the insurers and to clarify issues raised by them, the Authority has been issuing directions and orders from time to time. The gist of these orders/directions issued in the year 2002-03 (and upto date), is given below:

List of Circulars / Orders / Notifications / Communications issued till 31st October, 2003 by IRDA

S. No.	Circular/ Order/ Direction/ Notification/ Communication No.	Date of Issue	Subject
1.	IRDA/ Order/ Council/ 1/ 4-2002	3/4/2002	Order on nomination to the Life and General Insurance Councils to all insurers
2.	IRDA/ RCS/ EMD/ 01/ 02	2/5/2002	To all general insurers on earnest money deposit on insurance quotes
3.		16/5/2002	To all insurers on Item 13(iv) of Schedule B of the IRDA's (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002
4.	IRDA/ RCS/ MTP/ 10/ 02	17/5/2002	Order to all general insurers on Ceiling on Loading of premium and acceptance of exclusive third party motor proposals
5.	IRDA/ RCS/ MTP/ 11/ 02	28/5/2002	Clarification on Order no. IRDA/ RCS/ MTP/ 10/ 02 dt. 17th May, 2002 on ceiling on loading of premium and acceptance of exclusive third party motor proposals
6.		11/6/2002	Appointment of joint auditors to look into the accounts of the company to all insurers
7.	IRDA/ RCS/ MTP/ 12/ 02	28/6/2002	Circulation of IRDA Order no. IRDA/ RCS/ MTP/ 10/ 02 dt. 17th May, 2002 to the various underwriting offices of the general insurance companies

S. No.	Circular/ Order/ Direction/ Notification/ Communication No.	Date of Issue	Subject
8.	IRDA/ RCS/ TAX/ 01/ 07	22/7/2002	Provision for reserve for unexpired risk in respect of fire and engineering business which provide for cover against terrorism risk -amendment to Rule 6E of the Income Tax Rules, 1962 to all general insurers
9.		16/8/2002	Notice on comprehensive review of Insurance Laws to all insurers
10.		4/9/2002	Clarification on Agency Commission Structure and Discount in lieu of agency commission to all general insurers
11.		10/9/2002	Clarification on the role of Investment Committee constituted under regulation 9 of IRDA's (Investment) Regulations, 2002 to all insurers
12.		10/9/2002	Comments on draft IRDA's (Manner of payment of premium) Regulations, 2002 to all insurers
13.		14/9/2002	Furnishing of information to Office of the Commissioner Central Excise, Mumbai - V giving the service tax registration details to all insurers
14.		3/10/2002	Breach of Tariff in case of loading on Motor TP premium by insurance companies to general insurers
15.		3/10/2002	Decisions taken in the Insurance Advisory Committee meeting held in Hyderabad on 23rd September, 2002 to all insurers
16.		24/10/2002	Notice to all insurers on regulations and amendments prepared by the Authority under the provisions of the Insurance Amendment Act, 2002
17.		29/10/2002	Circular on ceiling on loading of premium and acceptance of exclusive third party motor proposals to general insurers
18.		31/10/2002	Notification on Constitution of Justice Rangarajan Committee on de-tariffing of motor tariff to general insurers
19.		31/10/2002	Notice stating that Authority recognises Administrative Staff College, Hyderabad to impart practical training and conduct examination for CEO's/ CAO's of TPA's
20.		1/11/2002	Addendum to notification on constitution of Justice Rangarajan Committee on de-tariffing of motor tariff to all general insurers
21.		11/11/2002	Reconciliation of SGL/ CSGI Accounts by all insurers
22.		12/11/2002	List of training institutes to provide training to candidates appearing for examination of insurance brokers
23.		12/11/2002	Notice pertaining to licensing of corporate agents to all insurers
24.		15/11/2002	Syllabus for surveyors and loss assessors examination
25.		19/11/2002	Licensing of insurance brokers, their training and examination
26.		25/11/2002	Implementation of Surveyors and Loss Assessors Regulations, 2000, their categorisation and application of financial limits by general insurers

S. No.	Circular/ Order/ Direction/ Notification/ Communication No.	Date of Issue	Subject
27.		1/12/2002	Supplement to Circular No. IRDA/ ACTL/ FUP/ VER 2.0/ Dec 2001 pertaining to File & Use procedure to all life insurers
28.		4/12/2002	Renewal fees of registration of the insurers
29.		4/12/2002	Introduction of Standard Pension Plan to life insurers
30.		5/12/2002	Remission of levy @ 0.10 per cent of the gross annual premium to the Authority by all insurers
31.		5/12/2002	Message to all trainee surveyors and application form for insurance surveyors examination
32.		10/12/2002	Drawing attention of the insurers to some sub-regulations of IRDA's (Protection of Policyholders Interests) Regulations, 2002 to all insurers
33.		12/12/2002	Notice to all general insurers on the agreement between general insurers and TPA's
34.		17/12/2002	Insurance policies issued in Jammu & Kashmir by general insurers
35.		18/12/2002	Order on constitution of a cell to look after consumer grievances in the Authority
36.		19/12/2002	Requests for re-categorisation may be considered by GM(Technical) of Public Sector General Insurance Companies
37.		26/12/2002	Furnishing of statutory and accounts returns in excel formats by all insurers
38.		1/1/2003	Designing of Professional Indemnity cover for insurance brokers by general insurers
39.		3/1/2003	Action taken on complaints forwarded by the Authority to the insurers and insurance awareness campaign to all insurers
40.	IRDA/ CIR/ 003/ 2003	30/1/2003	Referral Arrangement by all insurers
41.		30/1/2003	Examination programme for surveyors examination to be held in February, 2003
42.		30/1/2003	Notice on issuance of licenses to insurance brokers
43.	IRDA/ CIR/ 004/ 2003	14/2/2003	Referral Arrangements with banks - Life Insurance
44.	IRDA/ CIR/ 005/ 2003	17/2/2003	Addendum to Referral Arrangements with banks - Life Insurance
45.	IRDA/ CIR/ 006/ 2003	18/2/2003	Extension of time limit for passing Associateship examination by CEO's/ CAO's of the TPA's till May, 2004
46.	INV/ CIR/ 001/ 2002-03	18/2/2003	Circular to all insurers regarding furnishing of compliance certificate u/s 28(2A), 28(2B)/ 28B(3) of the Insurance Act, 1938
47.	INV/ CIR/ 002/ 2002-03	18/2/2003	Circular to all insurers to furnish details on investment portfolio
48.	IRDA/ CIR/ 007/ 2003	26/2/2003	Circular on guidelines for mutual fund investments to all insurers
49.		5/3/2003	Notice to licensed and categorised surveyors to submit to the Authority request for change over upto 31st March, 2003.

S. No.	Circular/ Order/ Direction/ Notification/ Communication No.	Date of Issue	Subject
50.	IRDA/ CIR/ 008/ 2003	10/3/2003	Filing of copy of agreement between the insurer and TPA with the Authority by general insurers
51.	IRDA/ CIR/ 009/ 2003	11/3/2003	Service Tax for general insurance policies
52.		17/3/2003	Furnishing of monthly returns to the Authority by all licensed brokers giving names of clients, type of business, brokerage received and any payments made by all brokers to the Authority
53.		17/3/2003	Order under Section 64 UM(4) of the Insurance Act, 1938 directing Oriental Insurance Company Limited to discharge liability under Marine Hull Policy issued to M/s Coongha Marine Products, Ponnappandarnagar, Nagercoil
54.	IRDA/ ACTL/ 001/ 2003	20/3/2003	Circular to all life insurers on commutation value under the individual pension products
55.		22/3/2003	IRDA Notification on modification of scales of remuneration as prescribed in regulation 19 in respect of fire and engineering class of business for general insurers
56.	IRDA/ CIR/ 010/ 2003	27/3/2003	File and Use procedure by all life insurers
57.	IRDA/ CIR/ 011/ 2003	27/3/2003	File and Use procedure by all general insurers
58.		28/3/2003	Communication to all appointed actuaries of life insurers on NLB-1 and NLB-2 statements regarding treatment of negative reserves
59.	IRDA/ CIR/ 012/ 2003	30/3/2003	Circular on general insurers-preparation of reconciliation statement-purchase and sale of investments to all insurers
60.		30/3/2003	Circular to all insurers on FORM-1, Statement of Investments and income on investment
61.	IRDA/ CIR/ 013/ 2003	7/4/2003	Circular on accounting principles for preparation of financial statements to all insurers
62.	IRDA/ CIR/ 014/ 2003	16/4/2003	Notification for appointment of Member(Actuary) as Chairman of Life Insurance Council to all insurers
63.		16/4/2003	Circular to all life insurers on Form-LB-4 of IRDA's (Actuarial Report and Abstract) Regulations, 2000
64.	IRDA/ CIR/ 015/ 2003	17/4/2003	Order for levy of penalty under Section 105B of the Insurance Act, 1938 against Reliance General Insurance Company Limited
65.	IRDA/ CIR/ 016/ 2003	23/4/2003	Presentation to IRDA in respect of various performance parameters during last financial year 2002-03 and plans for the current year 2003-04 by general insurers
66.		29/4/2003	Circular clarifying issues raised by life insurers on preparation of financial statements - Life
67.		29/4/2003	Circular clarifying issues raised by general insurers on preparation of financial statements – General
68.		8/5/2003	Order under Section 14 of the IRDA Act, 1999 directing Oriental Insurance Company Limited to pay M/s R.T. Exports, Mumbai the claim under marine insurance policy

S. No.	Circular/ Order/ Direction/ Notification/ Communication No.	Date of Issue	Subject
69.	IRDA/ CIR/ 017/ 2003	9/5/2003	Circular asking insurers to furnish particulars of all persons paid remuneration exceeding such sum as required under 217 (2A)(a) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975, to all insurers
70.		16/5/2003	Corrigendum on circular dated 29th April, 2003 clarifying issues raised by general insurers on preparation of financial statements – general
71.		19/5/2003	Notice to all life insurers on publication of charges in sales literature in unit linked policies
72.	Actl/ AA/ Circular	23/5/2003	Circular to life insurers enclosing draft appointment letter to be issued to Appointed Actuary
73.		23/5/2003	Circular to all general insurers for coverage for fire insurance on first loss basis under householders package policy
74.		24/5/2003	Notice to general insurers giving revised financial limits of categorised surveyors and loss assessors
75.		28/5/2003	Order appointing S. V. Mony as Chairman of Committee of experts to consider alternatives available to have a free market availability of the products and to suggest to the Authority the measures to be taken for differential tariffing to general insurers
76.	IRDA/ CIR/ 019/ 2003	30/5/2003	Modification of IRDA Notification dt. 22nd March, 2003 on scales of remuneration/ commission payable to brokers
77.		2/6/2003	Order under Section 64 UM(4) of the Insurance Act, 1938 directing New India Assurance Company Limited to discharge liability under Fire Insurance Policy issued to M/s J.P. Exports, Renigunta
78.		2/6/2003	Order under Section 102 of the Insurance Act, 1938 directing Oriental Insurance Company Limited to discharge liability under Marine Policy issued to M/s R.T. Exports, Mumbai
79.		6/6/2003	Order rescinding the penalty proceedings against Reliance General Insurance Company Limited and treating the order dated 17th April, 2003 as withdrawn
80.	IRDA/ CIR/ 020/ 2003	9/6/2003	Clarification on IRDA Notification IRDA/ CIR/ 019/ 2003 dt. 30th May, 2003 on scales of remuneration to Brokers
81.		9/6/2003	Notification regarding Mr. N. Rangachary, Chairman, IRDA demitting office
82.		10/6/2003	Notification regarding Mr. C.S. Rao, Chairman, IRDA assuming charge
83.		20/6/2003	Notice pertaining to surveyors and loss assessors examination to be held in the month of August, 2003
84.		27/6/2003	Notice to all life insurers regarding submission of actuarial report and abstract
85.		4/7/2003	Notice to all life insurers to have premium rates with a facility of a premium calculator on the company's web-site

S. No.	Circular/ Order/ Direction/ Notification/ Communication No.	Date of Issue	Subject
86.		4/7/2003	Clarification regarding Appointed Actuary Annual Report to all life insurers
87.	IRDA/ CIR/ 021/ 2003	16/7/2003	Abeyance of IRDA Notification IRDA/ CIR/ 019/ 2003 dt. 30th May, 2003 on scales of remuneration/ commission payable to insurance brokers
88.		17/7/2003	Insurance awareness Campaign
89.		23/7/2003	Circular seeking submission of details of equity holding pattern of insurers
90.	IRDA/ CIR/ 022/ 2003	5/8/2003	Circular to all non-life insurers permitting issuance of Comprehensive Package Policy - CPM Equipment insurance policy
91.	IRDA/ FA/ 01/ 8/ 2003-04	8/8/2003	Finalisation of accounts for the financial year 2002-03 - relaxations granted to public sector general insurers
92.	IRDA/ LIFE/ 001/2003	28/8/2003	Display of latest NAV of unit linked life insurance policy along with date of valuation by all life insurers
93.	IRDA/ CIR/ 023/ 2003	1/9/2003	IRDA Order on Constitution of an Expert Committee for examination of remuneration structure of insurance brokers, agents and other intermediaries in general insurance business - Terms of Reference
94.	IRDA/ ACTL/ FUP/ Ver A/ Aug 2003	2/9/2003	Circular to life insurers on Profit Sharing/ Experience Rating under Group Insurance Schemes
95.		12/9/2003	Invitation for comments to the expert committee on issues pertaining to practice of special discount and remuneration to insurance brokers and insurance agents
96.	IRDA/ ACTL/ 5101	18/9/2003	Clarification on rider/ rider benefits to all life insurers
97.		26/9/2003	Message to all trainee surveyors
98.	IRDA/ INV/ 005/ 2003-04	17/10/2003	Circular to all insurers regarding Section 7 of Insurance Act, 1938
99.		23/10/2003	Circular to all general insurers to furnish statements under IRDA (Assets, Liability & Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 along with IBNR certification from Appointed Actuary
100.	IRDA/ FA/ 01/ 10/ 2003-04	29/10/2003	Circular to all insurers regarding regulations pertaining to preparation of financial statements by the insurers
101.	IRDA/ FA/ 02/ 10/ 2003-04	29/10/2003	Circular regarding transfer of funds by the life insurers
102.		30/10/2003	Circular to all insurers on Mr. Mathew Verghese joining the Authority as whole-time member

x) Powers and Functions Delegated by the Authority

As a step towards simplifying the process of grant of license to the agents, the Authority has put in place the procedure for licensing of the agents through the Website, and the insurers have designated their specific officers who can access the IRDA Website for this facility. Further simplifying the procedures, the Authority has also delegated the powers for regularisation of license to the insurers, in cases where there has been delay in filing of renewal application and the insurer is satisfied that the applicant had genuine reasons for the delay. Only in cases where the insurer is not satisfied in this regard, the application is to be forwarded to the Authority. The system of licensing of the agents is working well, since it was last introduced about three years back.

With the notification of the IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002, all insurers have been informed that the designated person responsible for grant of individual agents license can henceforth also be the competent authority to issue corporate agency licenses.

xi) Amendments to the Insurance Act, 1938

The much awaited Insurance (Amendment) Bill was passed in both the Houses of Parliament and notified on 23rd September, 2002. The major amendments incorporated in the Act include:

1. Co-operative societies recognised to carry on insurance business

The amendment provides for setting up of co-operatives exclusively for carrying on insurance business. The co-operatives would be subject to same paid up capital requirement, solvency requirements, deposits with Reserve Bank of India, maintenance of the accounts, audit etc., as in the case of other applicants.

By nature of their being engaged in the activity of disbursing credit and being closer to the rural markets, co-operatives are expected to help in the penetration of insurance cover to rural areas.

2. Training requirements modified for corporate agencies

The directions requiring all directors or principal officers of a company/firm seeking to undertake corporate agency business, to undergo training and to pass the requisite examination have been modified, as to permit a designated officer of the corporate agency to fulfill the requisite qualification. The amendment was incorporated to remove the constraints in the growth of corporate agency business, and has paved the way for entry of banks as insurance intermediaries, as also facilitated distribution of insurance products at reduced costs of selling and distribution. The corporate agency system is expected to play a significant role in procuring business from commercial establishments and is thus expected to help in advancement of development of non life business.

3. Entry of brokers in the insurance market

Section 40 of the Insurance Act has been modified, permitting a portion of the premium received from the insured to be paid as remuneration to an "insurance intermediary", including insurance brokers and consultants. Brokers are expected to improve market penetration by enabling designing and marketing of customised policies based on global best practices and experience. Efficiency in the conduct of insurance business is also expected to improve due to scaling down of transaction costs, since either agency commission or brokerage is payable on a given transaction. As the risk covers can now be expected to be based on extensive research and risk analysis, and the broker is the representative of his client vis-à-vis the insurer, the quality of services rendered to the clients would improve, including service pertaining to early settlement of claims.

4. Modification of section 49 of the Insurance Act, 1938

The Section has been modified ensuring an equitable return to policyholders and shareholders. The amendment provides entitlement of actuarial surplus to shareholders - 100 per cent in case of



non-participating policies; and not exceeding 10 per cent of such surplus in case of participating policies (7.5 per cent before the amendment).

5. Amendment in section 64VB of the Insurance Act, 1938

The Section has been amended to facilitate the Authority to prescribe the mode of payment of premium, without changing the basic requirement that the premium should be paid before the insurer grants cover on it. The amendment has facilitated payment of premium through bank credit/debit cards or internet and has made available to the customer easier modes of payment of premium.

(xii) Crop Insurance:

Agriculture is prone to natural vagaries since it is extensively, directly and continuously in contact with the forces of nature, which make it a risk enterprise. However, India lacks an integrated risk management approach that has been adopted by the developed countries, which includes use of insurance to stabilise the agriculture industry. In most of the developed countries, insurance complements activities designed to strengthen the base of agriculture through such initiatives as irrigation, drainage, land reclamation and other means of increasing agricultural productivity on one hand, and pricing and other income support measures on the other.

Currently, General Insurance Corporation (GIC) is the only entity in the country to offer crop insurance with its National Agricultural Insurance Scheme (NAIS). All crop insurance schemes till date have been in the nature of group insurance schemes aimed at farmers taking crop loans from banks. The requirement for insurance in this segment, has perforce arisen from the statutory requirement of loans being provided against the guarantee of insurance, in case of default.

National crop insurance scheme aims at providing insurance coverage and financial support to the farmers in the event of natural calamities, pests and diseases, besides encouraging the farmers to adopt progressive farming practices, high value in-puts and

higher technology in cultivation in order to help stabilise farm incomes, particularly in disaster years. The crops covered fall in the broad groups such as those in respect of which i) the past yield data based on Crop Cutting Experiments (CCEs) is available for adequate number of years, and ii) requisite number of CCEs are conducted for estimating the yield during the proposed season and include food crops (cereals, millets & pulses), oilseeds, sugarcane, and cotton & potato (annual commercial/annual horticultural crops). Other annual commercial/annual horticultural crops subject to availability of past yield data are proposed to be covered under the scheme over the next three years. However, the crops which will be covered in the following year are spelt out before the close of preceding year.

The Scheme covers all farmers growing notified crops and availing Seasonal Agricultural Operations (SAO) loans from financial institutions i.e., loanee farmers on a compulsory basis; and all other farmers growing notified crops (i.e., non-loanee farmers) who opt for the scheme on a voluntary basis. Comprehensive risk insurance is provided to cover yield losses due to non-preventable risks, i.e., i) natural fire and lightning; ii) storm, hailstorm, cyclone, typhoon, tempest, hurricane, tornado etc. iii) flood, inundation and landslide, iv) drought, dry spells; and v) pests/diseases etc. The sum insured (SI) may extend to the value of the threshold yield of the insured crop at the option of the insured farmers. However, a farmer can also insure his crop beyond value of threshold yield level upto 150 per cent of average yield of notified area on payment of premium at commercial rates. In case of loanee farmers, the sum insured needs to be at least equal to the amount of crop loan advanced. 50 per cent subsidy in premium is allowed in respect of small and marginal farmers to be shared equally by the Government of India and State/UT Government. The premium subsidy will be phased out on sunset basis in a period of three to five years, subject to review of financial results and the response of farmers.

Transition to the actuarial regime in case of cereals, millets, pulses and oilseeds is to be made in a period of five years from implementation of the scheme. The



actuarial rates shall be applied at District/Region/State level at the option of the State Govt./UT. To meet Catastrophic losses, a Corpus Fund has been created with contributions from the Government of India and State Govt./UT on 50:50 basis. A portion of Calamity Relief Fund (CRF) is to be used for contribution to the Corpus Fund. The financial results of the crop insurance schemes indicate failure of the insurers/ formulators to correctly estimate the actuarial probability of the risk covered. The claims paid have been almost six times the premiums collected.

The Government perceives that agriculture insurance should be playing a greater role in the country since not only is this sector's contribution to the GDP high, but a majority of the working population is engaged in agriculture and allied activities. With a view to providing cover in this particular area, Agriculture Insurance Company (AIC) has been floated by the GIC (35 per cent equity), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) (30 per cent equity stake) and the four public sector non-life insurers, i.e., National Insurance Co. Ltd., The Oriental Insurance Company Ltd., The New India Assurance Co. Ltd., and United India Insurance Co. Ltd. to the extent of 8.75 per cent equity stake, each. AIC aims at providing financial security to persons engaged in agriculture and allied activities through insurance products and other support services. AIC, which has been granted license to transact crop insurance business only, was granted registration on 29th October, 2003. The company to begin with, proposes to implement National Agriculture Insurance Scheme (NAIS) of the Government of India, which up till now is being implemented by GIC. Under the scheme, comprehensive risk insurance will be provided to cover yield losses arising due to non preventable risks, viz., natural fire and lightning; storm, hail storm, cyclone, typhoon, tempest, hurricane, tornado etc; flood, inundation and sand slide; drought, dry spells; pest/diseases etc.

The scheme will be available to all the farmers (both loanee and non-loanee), irrespective of the size of their holdings. The scheme envisages coverage of all crops including cereals, pulses and oil seeds. It is proposed that the three cash crops, i.e., sugarcane,

potato and cotton will be covered in the first year of the operation of the scheme; and all other annual horticultural and commercial crops will be placed under insurance cover within the next three years subject to the availability of past yield data.

As another step in the direction of providing cover for crop insurance, recently ICICI Lombard, one of the new insurers, with support from the World Bank and IFC, conceptualised and modeled the "rainfall insurance" policies and sought out reinsurance. Farmers have appreciated the structure of the insurance policy as it directly reflects their experience that the distribution of rain throughout the season matters a lot for the yield.

(xiii) Credit Insurance

The onset of liberalisation signifies keen competition in all entrepreneurial activity resulting in survival of the fittest. This being the scenario, there will be greater trade among countries. Besides quality and price, 'credit' will play a vital role in clinching export deals. Credit, while becoming an instrument in expanding export trade, also increases the payment risks in the export transaction. The risks have assumed even larger proportions today due to the political and economic changes sweeping the global economy.

In such a situation, the need for export credit insurance (ECI) is felt and the government enterprise Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) of India, offers hope to exporters. ECGC offers a range of credit risk insurance covers to exporters against loss in export of goods and services, guarantees to banks/financial institutions to enable exporters obtain better facilities, provides overseas investment insurance to Indian companies investing in joint ventures in the form of equity/loan.

The various credit insurance covers of ECGC take away the risk component in export transactions to enable exporters concentrate on developing their business, venture with new commodities and explore new markets. Further, to enable the exporters avail of working capital requirements from the banks, both at the pre- and post-shipment stages, ECGC provides various kinds of bank guarantees to enable exporters get timely and adequate export finance.



Few companies can compete effectively without running credit risks. Therefore, Credit Management has been recognised as an indispensable factor in modern financial control. Risks like financial loss from insolvency or default, in case of overseas business political risks, delays in payment in hard currency, can threaten a company's cash flow. Though, Credit Insurance is not a replacement to the credit management, it actively promotes the best credit management practices.

Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, was established in the year 1957 by the Government of India to strengthen the export promotion drive by covering the risk of exporting on credit. The ECGC, which functions under the administrative control of the Ministry of Commerce, is the fifth largest credit insurer of the world in terms of coverage of national exports. The year 2002-03 was the first year of operations of the insurer, subsequent to it being granted registration by the Authority.

(xiv) Miscellaneous

As part of the initiatives to meet the aspirations of the consumers, the Authority has constituted the Consumer Advisory Committee. Further, initiatives have also been taken to strengthen the self-regulatory framework within the industry. The Authority is also associated with various organisations to promote faster growth of insurance market in the country. Efforts in this direction are briefly enumerated below.

a) Consumer Advisory Committee

The Consumer Advisory Committee's purpose is to serve as an informal vehicle for information sharing and discussion between the Authority and the policyholders on key issues of insurance servicing and market conduct by the insurers, agents and insurance intermediaries. The Committee meets quarterly and has representation from consumer organisations. At the meetings of the Committee, the officials of the Authority are also present along with insurance company officials.

b) Insurance Association and Insurance Councils

The establishment of the Insurance Association of India was notified under section 64A of the Insurance Act, 1938 by the Authority in February, 2001. The membership of the Association consists of all the insurers carrying on business in India. In addition, under section 64C of the Act, independent Life Insurance Council and General Insurance Council also stand notified. The Insurance Association of India, the Life Insurance Council and the General Insurance Council presently have their headquarters at Mumbai. Consequent to the notification, representatives of the Authority were nominated on these bodies. The Authority nominated Mr. H.O. Sonig, Member and Mr. Prabodh Chander, Executive Director as members of the Executive Committee of the Life Insurance Council. Mr. Sonig was also the Chairman of the Executive Committee. The Authority has also nominated Mr. Amit Mitra, Secretary General of FICCI, as a member of this Executive Committee. Mr. P. A. Balasubramanian, member took over from Mr. Sonig consequent upon the latter attaining superannuation.

The Authority nominated Mr. R. C. Sharma, Member and Mr. P.A. Balasubramanian as members of the Executive Committee of the General Insurance Council. Mr. R.C. Sharma was also the Chairman of the Executive Committee of the General Insurance Council. Mr. Tarun Das, Director General, Confederation of Indian Industry has also been nominated as a member of the Executive Committee.

During the year, the life insurance council considered issues such as impact of the declining interest rates on the returns of the insurers, impact of introduction of various distribution channels as corporate agents system, broking system and direct selling through internet and bancassurance on the industry, and more particularly the role of tied agency system in the context of the new channels of distribution being introduced, role of agents training institutions, delays in the settlements of complaints, explored possibilities of creation of policyholders' protection fund, functioning of the Peer Review Committee, and issues pertaining to market conduct of the insurers and the intermediaries.



The general insurance council deals with matters connected with the market conduct and sound practices, rendering efficient services to the policyholders, adoption of ethical market practices, conduct of the intermediaries, dissemination of insurance related statistics and bringing to the notice of the Authority any instances where the insurer has/have acted in a manner prejudicial to the interests of the policyholders and advises the Authority on issues pertaining to expenses of management incurred by the insurers. Apart from these, the Council has also taken up matters relating to co-insurance agreements, laying standards of remuneration payable to the surveyors, investigators, advocates, review of Insurance Act, 1938, compliance of rural and social sector obligations, overage vessels (marine), introduction of first loss concept, de-tariffing of motor insurance business, breach of tariff, anomaly in brokerage and commission structure, solatium fund and terrorism premium.

c) Partnership with Domestic Institutions

The Authority has been actively collaborating with various domestic institutions for the development of the insurance sector in India. On account of the very nature of the working of the Actuarial Society of India (ASI), there is a process of continuous interaction between the two bodies. Inputs on various actuarial aspects on both the life and non-life segments of the industry are provided by the Society. The Society is playing a crucial role in not only developing the profession of actuaries, but is also taking steps to

set up the data base for the industry. In this connection, workshops and conferences are also held by the Society from time to time, thereby also bringing in inputs based on international experience. International exposure would also enable the industry to evolve practices based on best market practices. There are lessons to be drawn from the international experiences on adoption of useful models for regulating and monitoring the Indian insurance companies. The ASI is also working in close coordination with the USAID team on actuarial practices worldwide.

Another endeavor of the Authority has been towards setting up of the Institute of Insurance and Risk Management (IIRM) at Hyderabad in partnership with the State Government of Andhra Pradesh. IIRM has been set up with the objective of undertaking research studies and conducting training in various areas of insurance to enrich this sector in India. The activities of the IIRM are detailed at Part III of the Report.

In addition, the Authority is continuously interacting with the various chambers of commerce and industry associations as to keep them apprised of the various developments in the insurance sector. The channel of communication is also enabling the Authority to get feedback on the problems as are faced by the various segments of the society vis-à-vis the insurance sector. Representatives of the Authority also participate in the various conferences and seminars on a regular basis to encourage interaction.

PART II



REVIEW OF WORKING AND OPERATIONS OF THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(i) REGULATION OF INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES

The Authority, in order to discharge the functions specified in section 14 of the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Act, 1999, has specified the regulations given in the *Annexure – I*. The regulatory framework broadly covers such aspects as the entry level requirements including those pertaining to minimum paid-up capital, 'fit and proper' management, 'file and use' requirements, filing of regular returns to the Authority, which has helped to carry out its statutory functions to regulate, promote and ensure orderly growth of insurance and re-insurance business. In addition, Authority has also issued various directions, guidelines and circulars in order to carry out its operations efficiently.

The insurers and the re-insurer are properly complying with these regulations, guidelines and circulars, and no specific complaints of non-compliance have been received during the reporting period.

During the period April, 2002 to March, 2003 the following new regulations were notified:—

1. IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002
2. IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002
3. IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002
4. IRDA (Manner of Receipt of Premium) Regulations, 2002
5. IRDA (Distributions of Surplus) Regulations, 2002

The Investment Regulations, Licensing of Insurance Agents Regulations, Registration of Indian Insurance Companies Regulations, and Protection of Policyholders' Interest Regulations were amended to meet the aspirations, needs and requirements of the various stakeholders in general, and the insurance

industry, in particular. In addition, the regulations pertaining to Preparation of Financial Statements and Auditors Report of Insurance Companies; and Obligations of Insurers to Rural and Social Sector, were substituted.

Status of exempted insurers

Section 118 of the Insurance Act, 1938 exempts the application of the Act to any trade union registered under the Indian Trade Union Act, 1926; or to any provident fund to which the provisions of the Provident Funds Act, 1925 apply; or if the Central Government so orders in any case, and to such extent or subject to such conditions or modifications as may be specified in the Order, to any insurance business carried on by the Central Government or a State Government or a Government company as defined in Section 617 of Companies Act, 1956.

Further, at the time of nationalisation of general insurance business in India, Section 36 of General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (GIBNA), exempted application of this Act in relation to any general insurance business carried on by a state government to the extent to which such insurance business relates to properties belonging to it or undertakings owned wholly or mainly by the State Government; or to properties belonging to any semi-Government bodies; or any board or body corporate established by the State Government under any statute; or any industrial/commercial undertaking in which the State Government has substantial financial interest, whether as shareholder, lender or guarantor.

As on date, there are twenty eight exempted insurers underwriting insurance business, specifically in the area of State Government properties, in the country. The list of exempted insurers is placed at *Annexure-II*.

The Authority has been examining the status and functioning of these exempted insurers, in the light



of changes in the regulatory framework in the liberalised environment. In a limited way, the regulations pertaining to solvency margin, investments, etc., have been made applicable to them, to ensure that the funds of these insurers are maintained separately to enable the exempted insurers to adequately discharge their liabilities.

The Authority is in the process of gathering information from the State Governments with regard to insurance funds maintained by them, and on the status of exempted insurers functioning in their states. Most of the exempted insurers are doing the business related to government employees and government owned properties and its assets. Simultaneously, these insurers are required to file their product with the Authority under the 'file and use' mechanism laid down by the Authority.

Though these Funds are guaranteed by the respective State Governments, the Authority is of the firm view that these insurers should shed the garb of exempted insurers and come in the main stream, forming part of the insurance industry and be fully governed by the various provisions of the Act and the regulations framed there under.

(ii) INTERMEDIARIES ASSOCIATED WITH THE INSURANCE BUSINESS

Intermediaries associated with insurance business are brokers, third party administrators (TPAs) and surveyors. The insurance agents, including the corporate agents, are governed by specific regulations and they are in the nature of intermediaries but not defined as such in the IRDA Act. It may be mentioned that the agents represent their principals, i.e., the insurers, and are by the very nature of their functions intermediaries and provide service to their customers.

Insurance Agents

The liberalised environment in which the insurance companies, both life and non-life, have been operating over the last three years, has witnessed a growth in the intermediation process. While the agents have been known to be a vital link between the insurers

and the insured, with the advent of the Authority on the scene, increased emphasis has been placed on imparting professional expertise to them. As a step towards this direction, minimum educational and training requirements have been laid down for the agents by the Authority.

To facilitate the process of licensing, the Insurance Institute of India, Mumbai is authorised to conduct off-line examination and the National Stock Exchange has the mandate to conduct agents' examinations online. In addition Ritu Nanda Insurance Services (RNIS), National Institute of Sales (NIS), School Net, IT Associates, Shriram Cyber Tech and Maharashtra Institute of Technology (MIT) have also been authorised to conduct online examination. The number of such institutes has been increased on account of the fact that there has been a demand from insurers for more agents' training centers through out the country. This is an indication of the profession of agents being considered a lucrative avenue for employment, and persons being attracted to it showing an even increasing number.

Corporate Agents

During the period under reporting, the Authority notified corporate agency regulations, which allows corporate entities to distribute insurance products. The notification of the regulations was a step towards and facilitated introduction of "bancassurance" in the country. Bancassurance, which basically involves banks acting as corporate agents for insurers to distribute insurance products, has evolved as a strong distribution channel in many countries. In India, public sector banks and especially regional rural banks and micro-credit institutions with their wide reach can help fulfill the basic objective of deeper insurance penetration in the country. The regulations also provide for minimum educational qualifications for specified persons, and lay down practical training requirements and a code of conduct. In case of professionally qualified personnel, the training requirement has been relaxed. Nationalised banks, private banks, regional rural banks, cooperatives, panchayats, local authorities, NBFCs and NGOs have already entered the insurance industry as corporate agents.



The distribution channel statistics for individual and corporate agents both for life and non-life insurers are placed at *Annexure III & IV*.

Surveyors and Loss Assessors

The system of licensing of surveyors and loss assessors was started with the implementation of the Insurance (Amendment) Act, 1968. Since then licensed surveyors are assisting the non-life insurance companies in the assessment of losses. To bring professionalism and efficiency in the services offered by surveyors and loss assessors, the Authority decided to categorise them on the basis of their professional qualification, experience as a surveyor and loss assessor as well as other relevant experience. A Committee under the Chairmanship of a retired District Judge was formed in which representatives of the insurance companies, surveyors and consumers were also included, to examine the various aspects for categorisation. The Committee finalised the parameters and marking system on the basis of which the categorisation process was completed by the Authority before the year ending on 31st March, 2002 and categorisation letters were issued to all applicant surveyors. The categorised surveyors were asked to furnish their options for any three departments, as recommended by the Committee, which they wished to be allotted for carrying out survey jobs. In addition to three departments, surveyors were categorised and allowed for Loss of Profit (LOP) Surveys, where they had the required qualifications.

After the completion of this exercise, a detailed notice giving the various parameters for categorisation was published on the Authority's web-site for the information

of all concerned. On receipt of their options, final categorisation letters were issued to the surveyors. Surveyors who did not submit their options were allotted those three departments in which they had obtained the highest marks.

Surveyors who qualified for categorisation in more than three departments and opted for three departments were permitted to change to the department of their choice. Surveyors were informed that the changeover was admissible up to 31st March, 2003 and subsequent changes, from time to time, shall not be entertained.

Surveyors who were categorised for less than three departments and wished to be categorised for additional department not exceeding three departments and LOP, were asked to undergo training for that additional department to get categorised for "C" category. Surveyors, who could not complete the training as on 31st March, 2003 have been asked to pass the examination to be eligible for "C" category in the additional department.

The Authority categorised the surveyors into three categories — "A", "B" and "C" and had indicated the monetary limits up to which each individual category surveyor would carry out a survey. Department wise financial limit for utilisation of Surveyors and Loss Assessors effective 31st March, 2002, were fixed. The Authority received representations on the need for revision of these monetary limits. After examining the representations, the Authority decided to re-fix the limits of the value of survey to be undertaken by different category of surveyors. Revised financial limits w.e.f. 1st June, 2003 are as per details given at Table 44.

TABLE - 44
FINANCIAL LIMITS OF CATEGORISED SURVEYORS & LOSS ASSESSORS

DEPARTMENT	CATEGORY A	CATEGORY B	CATEGORY C
LOP	Above Rs. 50 lakhs	Upto Rs. 50 lakhs	Nil
FIRE (Flood, Cyclone, Earthquake)	Above Rs. 20 lakhs	Upto Rs. 20 lakhs	Upto Rs. 5 lakhs
ENGINEERING	Above Rs. 7.5 lakhs	Upto Rs. 7.5 lakhs	Upto Rs. 2 lakhs
MOTOR (Public, Private)	Above Rs. 2 lakhs	Upto Rs. 2 lakhs	Upto Rs. 1 lakh
MISCELLANEOUS (inclusive of non-tariff)	Above Rs. 7.5 lakhs	Upto Rs. 7.5 lakhs	Upto Rs. 3 lakhs
MARINE CARGO	Above Rs. 7.5 lakhs	Upto Rs. 7.5 lakhs	Upto Rs. 3 lakhs
MARINE HULL	Above Rs. 10 lakhs	Upto Rs. 10 lakhs	Upto Rs. 50,000

NOTE:

1. Category A surveyor will be eligible for jobs falling under the financial limits of Category B. Similarly Category B surveyor will be eligible for jobs falling under the financial limits of Category C.
2. Category C surveyor shall not be eligible for the limits of Categories B and A. Similarly Category B surveyor shall not be eligible for the limits of Category A surveyors.
3. Financial limits are based on the estimated value of the loss in the opinion of the insurer.

As per the regulations, an applicant seeking a fresh license will have to undergo practical training of not less than twelve months with an existing categorised surveyor of either "A" or "B" category. Further, the applicant will have to pass the examination to be conducted either by the Authority itself or by an institution authorised by it in this behalf. The Insurance Institute of India has been authorised to conduct surveyor's examination and the first such examination was conducted in the month of February, 2003. At present,

the Insurance Institute of India is conducting Surveyor's examination quarterly in the months of February, May, August and November every year. Till date, the Authority has enrolled 2370 applicants as Trainee Surveyors and issued 170 fresh licenses to Trainee Surveyors who have completed practical training and passed the requisite examinations.

The total number of surveyors categorised in different departments up to 31.03.2003 for individuals and firms are given at Tables 45 and 46 respectively.

TABLE - 45
SURVEYORS (INDIVIDUAL)

Category	Total Number of Surveyors (Individual) Categorised as on 31st March, 2003						
	Fire	Marine Cargo	Marine Hull	Engg.	Motor	Misc.	LOP
A	407	206	26	270	954	329	61
B	1312	1082	70	2069	3418	2216	219
C	2922	2526	90	2362	3000	3110	-
TOTAL	4641	3814	186	4701	7372	5655	280
TOTAL 31 st March, 2002	3178	3478	167	4269	6668	5053	256



TABLE - 46
SURVEYORS (FIRMS)

Category	Total Number of Surveyors (Firms) Categorised as on 31st March, 2003						
	Fire	Marine Cargo	Marine Hull	Engg.	Motor	Misc.	LOP
A	92	50	10	50	21	57	27
B	101	99	23	91	59	130	47
C	104	147	41	180	37	90	—
TOTAL	297	296	74	321	117	277	74
TOTAL 31 st March, 2002	260	249	32	197	104	243	52

Third Party Administrators (TPAs)

The Authority had notified the third party administrators — health services regulations in September, 2001 to introduce another intermediary named 'TPA — health services' in the field of health insurance. The basic idea behind introduction of the intermediary was to facilitate provision of cashless health services to the clients (policyholders) and create an intermediary which would provide back end services to the insurers.

As on date, 23 TPAs have been granted licenses and 11 of them are in active business. (The list of Third Party Administrators is placed at Annexure V). The health portfolio has been allotted by the insurance companies to the TPAs, depending upon the existing level of infrastructure facilities available with these TPAs. There are indications that with the introduction of this intermediary, the claims ratio has steadily started going down in the health portfolio. However, of late, there have been reasons to re-visit the concept of third party administrators and have a penetrative re-look at, as to whether they have actually succeeded in delivering upon the expectations which were envisaged at the time of introducing them to the insurance market. The alleged dissatisfaction in the delivery of services by the TPA is attributed to many constraints and administrative difficulties which are generally inherent in the initial stages of launching/introducing any new concept.

One of the areas which need to be emphasised and worked upon is the need for creation of and maintenance of database in the health insurance industry. As is evident, there is no standardisation available in this field, and the various stakeholders like insurance companies, TPAs and consumers feel handicapped in the absence of the same. The constraints pertain to the availability of standardisation of statistics for the purposes of pricing the insurance products, benchmarks for the services offered and the pricing of the same, availability of the service providers, to name a few. The matter is under the active consideration of the Authority, and ways and means are being worked out to create such database. One of the critical areas that availability of the database would address is the scientific determination of pricing of various health insurance products.

In spite of the fact that TPAs are under scrutiny in some quarters, there is scope for additional players entering the industry. The Authority is receiving applications from various quarters expressing interest to enter the industry as third party administrators. The idea behind introduction of TPAs has not only been appreciated but has also received constructive support from various quarters. The Authority is sensitive to the problems involved in the functioning of this particular intermediary and is open to constructive suggestions as may be forthcoming for improving the



delivery system of health services by the various stakeholders.

Insurance Brokers

The Authority, consequent upon notification of the Insurance Brokers Regulations in October, 2002 issued licenses to the brokers for the first time in January, 2003. The brokers are a new intermediary channel introduced for the first time in the Indian market in the financial year 2002-03. The list of brokers and their state wise break-up is indicated at Annexure VI & VII. However, with the first year of operations being practically less than two months, and with the number of brokers who were granted license during the said period being very limited, the true impact of their operations in the insurance industry would be assessed only for the financial year 2003-04.

Insurance Brokers are professionals who assess risk on behalf of a client, provide advise on the mitigation of that risk, identify the optimal insurance policy structure, bring together the insured and insurers, carry out work preparatory to insurance contracts and, where necessary, assist in the administration and performance of such contracts, in particular when claims arise. Unlike insurance agents, who are retained by insurance companies, brokers are retained by the insured and therefore their primary responsibility is towards the insured. Some of the benefits of introducing brokers in the Indian market are:

- *Improvement in Customer Service:* With increased competition, insurance brokers have a greater motivation to introduce new and innovative products, to be more responsive to consumer needs, and to deliver higher end quality services. Indian corporates and consumers will benefit directly in terms of service as well as product and policy innovations, and will consequently be able to secure appropriate insurance cover at a more effective cost.
- *Transfer of Technology and Managerial Know-how:* Insurance brokers will introduce international best practices in technical skills and products, training programmes, systems and

technology, and managerial techniques. Currently the availability of trained manpower is a major constraint in the development of the insurance broking business in India and international players can contribute in a big way, in bridging this gap.

- *Benefits to Insurance Companies:* Most global insurance companies spend a significant component of their time in handling commercial and industrial risk. They find dealing with brokers to be easier and speedier because only the intricate points or special requirements need detailed discussion. Brokers also assist in creating insurance awareness, increasing market penetration and act as a catalyst to increase competition and improve customer service.
- *Foreign Exchange Considerations:* Brokers will enable Indian insurers to increase their retention capacities by applying their international reinsurance skills in optimising the reinsurance programmes, thereby effecting further saving in foreign exchange outflow. In addition, they can assist the local insurers to develop new products and accordingly increase the premium base.

Brokers are also expected to introduce changes in accepted practices, which could include both coinsurance and reinsurance placements. There is likelihood of accelerated introduction of the alternative risk management techniques which converge risk covers and provide, at once, both insurance and its reinsurance. The market is set to witness these unconventional changes at a pace permitted by change in local tax laws and/or in trade-off to premium costs.

In line with the requirements in the developed markets, insurance brokers in India are regulated in such areas as registration, experience, training and qualification requirements, and restrictions on entry into the profession; capital requirements and provision for professional indemnity.

As per the guidelines in vogue a corporate client, other than a public sector entity has the option of either approaching an insurance agent or an insurance broker or avail a special discount up to 5 per cent



on the face of the policy. Earlier, the Authority, vide its notification dated May 30th, 2003 had notified that the facility of the special discount available to corporate clients stood withdrawn. Thereafter on July 16th, due to concerns expressed in certain quarters, including the insurers and the corporates, the decision of May 30th, 2003 was kept in abeyance, and an Expert Committee was set up, to examine all the related issues thread-bare. The Authority shall re-visit this issue shortly after the Committee submits its report.

(iii) PROFESSIONAL INSTITUTES CONNECTED WITH INSURANCE EDUCATION

The Authority has been encouraging professionalisation of insurance, risk management and actuarial sciences courses being presently offered by various institutes in the country. It has accredited the contents of the syllabus for one year courses offered by management institutes as part of its initiatives to promote insurance and risk management education. Such initiatives have been as much with the objective of spreading awareness about the industry and creating avenues for employment, as arising out of demand for qualified professionals from the insurance industry. The students who have pursued these qualifications and training programmes have been readily accepted by the insurance companies and broking firms, in view of the skills acquired by them.

Insurance Institute of India is actively involved in conducting examinations for insurance agents. Indian Institute of Bankers has devised a specific course keeping in mind the requirement of banks who have

stepped into the insurance industry as part of their initiatives in bancassurance. The Authority has also accredited the curriculum of The Association of Financial Planners for insurance agents and brokers.

National Insurance Academy has been designated as the sole examining body for brokers consequent upon their training. They have also been accredited for imparting training to brokers along with the Corporate Training Centers of the public sector non life insurance companies, i.e., National, New India, Oriental and United India; School-net, RNIS and NIS.

To facilitate the training of agents, the Authority has so far accredited 1375 agents training institutions across the country for imparting the prescribed pre-licensing training to agents. This number includes 977 in-house institutions run by insurance companies. The accreditation process is transparent and a prospective institute has to fulfill such conditions as availability of competent faculty, proper infrastructure facilities, etc. An assessment made on a "marking system" is followed up by inspections, if necessary, by officers of the Authority prior to grant of accreditation. The Authority normally recognises an institution for a period of three years at a time. The institutions are open to inspection by the Authority to ensure their proper functioning. In addition, each approved institution is required to furnish certain information to the Authority as per the prescribed Form-B, on a quarterly basis.

The state-wise details of accredited agents training institutions as on 31st March, 2003 are placed in the Table 47:

TABLE - 47

STATE-WISE DETAILS OF NUMBER OF ACCREDITED AGENTS' TRAINING INSTITUTIONS – AS AT 31ST MARCH, 2003

State	In-house		Others	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
Andaman and Nicobar	1	1		
Andhra Pradesh	26	98	10	36
Assam	24	28	2	4
Bihar	18	16	2	4
Chandigarh	12	12	8	7
Chattisgarh	1	18	4	4
Delhi	12	17	19	24
Goa	2	4	4	9
Gujarat	42	50	14	24
Haryana	13	22	16	23
Himachal Pradesh	6	8	1	2
Jharkhand	9	9	21	6
Jammu & Kashmir	1	9	2	2
Karnataka	29	76	9	29
Kerala	26	28	5	19
Madhya Pradesh	72	65	14	18
Maharashtra	65	107	36	33
Manipur	1	2		2
Orissa	23	15	7	11
Punjab	17	124	18	29
Rajasthan	34	66	9	14
Tamil Nadu	46	73	12	33
Tripura	1	1		
Uttaranchal		9	1	3
Uttar Pradesh	64	97	33	37
West Bengal	26	22	15	25
TOTAL	571	977	262	398

(iv) LITIGATIONS, APPEALS AND COURT PRONOUNCEMENTS

The Authority has been arranged either as the main party or proforma party, in regard to litigations on diverse matters filed before various courts. The court cases pertain mainly to such matters as settlement

of claims by insurers, non-renewal of insurance policies, renewal of license of insurance agents, classification and categorisation of surveyors and loss assessors, motor tariff and loading of motor insurance premium, non-implementation of awards of Ombudsman, etc.



The Authority, while defending the cases on merit, keeping in view the provisions of laws and regulations, also endeavors to initiate steps in redressing grievances in genuine cases by advising the insurers suitably. A case in point is the disposal of many writ petitions as being in fructuous, in the light of the Authority's stern directions to the general insurers in regard to loading parameters of motor insurance premium. To attend to the insurance customers' genuine grievances, a system of grievance redressal has been built in the Authority and timely attention is given to the complaints.

The cases have also been filed in the courts in connection with some of the provisions of the Insurance Act, 1938 and also challenging the instructions/directions issued by the Authority. One such case pertains to directions issued by the Authority to life insurance companies entering into referral arrangement with banks for capturing their customer data base and utilising other facilities. The insurer can utilise this facility for venturing into prospecting the customers on the basis of the data base provided under the referral arrangement by the bank. Under this arrangement, the banks are just transferring their data base for the use of the insurer, but obviously not soliciting insurance business on behalf of the insurer. The philosophy behind various provisions of law and the instructions issued on different issues relating to the supervision and conduct of insurance business with a view to developing the market is explained in the counters/ replies filed in the courts.

In the matters connected with clarification/ interpretation of Tariff pertaining to non-life insurance business, the Authority is also held party.

The Authority, in some of the cases, has been made formal party. For e.g., in the matter of promotion of personnel in the public sector insurance companies; with regard to certain benefits under the policy, which ultimately are to be addressed by the insurers concerned. The Authority while defending these cases seeks the insurers' point of view to prepare suitable counter/reply to be filed in the courts.

(v) INTERNATIONAL COOPERATION IN INSURANCE

The Authority has benefited from its association with the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) and its member countries, while formulating the various regulations and guidelines, from time to time. The members of the IAIS, being regulators in other jurisdictions with vast experience in the insurance industry, have always co-operated whenever reference has been made to them, with respect to insurance companies and intermediaries licensed in their jurisdictions. The Authority has benefited from the learning curve in the various jurisdictions across the globe. IAIS was associated with the Authority in organising seminars and training programmes for regulators in the Asian region, at which there was participation by the officers of the Authority as well.

The Authority has been actively associated with the working of the following Committees/Sub-Committees with Chairman/members representing the Authority on these Committees (indicated at Table 48):

TABLE - 48
IAIS COMMITTEES/SUB-COMMITTEES

S. No.	Committee
1	Executive Committee
2	Emerging Markets Committee
3	Technical Committee
4	Task Force on Assessment and Implementation of Insurance Core Principles
5	Working Group on Observership & Membership Issues
	Sub-Committee
1	Insurance Fraud Sub-Committee
2	Insurance Laws, Regulations, Practices & Standards Sub-Committee
3	Re-insurance Sub-Committee
4	Education Sub-Committee
5	Accounting Sub-Committee

Note: The Chairman of the Authority is a member on the various committees of the IAIS, and the members of the Authority represent it on the various sub-committees.

The Authority is committed to implementing the core principles of insurance supervision. Continuous efforts are also made by the Authority in its endeavor to harmonise the various regulations and guidelines issued by it with these principles. It may be mentioned that the Authority hosted the IAIS Tripartite Meeting at New Delhi in January, 2003 along with the International Association of Insurance Supervisors on the subject of insurance frauds and anti-money laundering measures. The meeting was well received by the participants from countries across the globe.

Simultaneously, the Authority also took an initiative to organise training programmes and conferences. The first such training programme was organised by the Authority for the officers of regulators from SAARC (South Asian) countries. Regulators of Sri Lanka, Bhutan, Nepal and Maldives, besides India, nominated their officers for the four week programme. The IIRM and the Authority held an International Conference on IAIS Core Principles which attracted middle level executives from the regulators' offices of SAARC and ASEAN countries. This was followed by the Pension Conference which was targeted towards life insurers,

banks and other financial institutions in India to focus on the reforms process in the sector. Both the conferences were addressed by international experts/speakers and were well received. The Authority is also closely associated with the South Asian Regulators' Forum to promote co-operation and understanding amongst the SAARC countries insurance regulators. It may be mentioned that the Chairman of the Authority took over as the Chairman of the Forum in December, 2002.

OECD has also partnered with the Authority in the area of pension regulations and has provided useful inputs which have been shared with the various stakeholders in the insurance industry. Other international institutions with whom the Authority has been associated are UNCTAD, INPRS, USAID and NAIC .

United States Agency for International Development (USAID)

The Govt. of India and the Govt. of United States have a bilateral Project Grant Agreement since 1993. The



United States Agency for International Development (USAID); the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation; and the National Institute of Urban Affairs, under the programme which will extend for a period of four years, are working on the Financial Institutions Reforms and Expansion—Debt Market Component (FIRE- D). The FIRE project aims at expanding the range of Indian partner institutions, including private sector entities and NGOs, to identify approaches which can address the problem areas on a sustained basis and on the scale required.

The USAID in consultation with the Authority has designed a multiyear USAID – Financial Institution Reform and Expansion (FIRE) Project. Under the programme, technical assistance will be extended for the development of Indian Insurance Sector. The USAID has deputed a team to implement the insurance part of the FIRE Project. The said team has established its project office in Hyderabad. The USAID team, under the FIRE project is assisting the Authority in the following areas of relevance:—

- Solvency and Market conduct of the Insurance Companies
- Devising Financial Examination Manual
- Conducting seminars/workshops on Actuarial Management of General Insurance
- Development of IRDA Information Technology regulatory system
- Consumer protection
- Review of re-insurance agreements
- Policy issues on Health Insurance in India

The project team has started consultative work on these issues. A seminar/workshop on financial examination of insurers was organised in Hyderabad and a draft manual incorporating the inputs received during this seminar/workshop examination has been prepared. The team has also started working on the issue of development of the IT regulatory system for the Authority and on the expected result of its application. The USAID consumer protection expert held discussions with the officials of the Authority, Ombudsmen and other

consumer protection organisations. In addition, the Authority, in consultation with the USAID team, has constituted a working group on health which will involve all the stakeholders in the industry to highlighting major policy issues of concern on health insurance in India. The working group has already met once. The team has also proposed constitution of a similar group in consultation with the Authority to recommend changes/ review of the various provisions in the Insurance Act, 1938 and other Acts relating to various facets of insurance business in India. Another seminar on Actuarial Management of Health and General Insurance Business was held in Mumbai.

General Agreement on Trade in Services (GATS) and World Trade Organisation (WTO)

Prudential regulations play an important role in the transition from monopoly to competition. Demonopolisation, as well as doing away with the system of compulsory cessions and abolition of tariffs, is a natural precursor for attaining the objectives of reinsurance as part of the organic growth process of the Indian insurance market. This has to be accompanied by harmonisation of insurance and reinsurance supervision practices. The introduction of tight prudential rules for insurance and reinsurance has to be consistent with GATS principles of legitimacy, necessity and proportionality so that no unwarranted trade barriers are built up that could have a negative impact on competition and thereby impede business innovation and market efficiency.

Negotiations of specific commitments are mandated under Article XIX of GATS which states that “In pursuance of the objectives of the Agreement, Members shall enter into successive rounds of negotiations beginning not later than 5 years from the date of coming into force of the WTO Agreements and periodically thereafter, with a view to achieving a progressively higher level of liberalisation”. A fresh round of comprehensive negotiations on specific commitments commenced in the WTO from January, 2000.

The mandate of the negotiations is clearly laid out in Part IV of GATS entitled “Progressive liberalisation”. The main aim of these negotiations is to achieve a greater



degree of liberalisation in all the service sectors and in all the 4 modes of supply of delivery of Services. The negotiations will be comprehensive, covering all sectors and modes of supply, with no *a priori* exclusions in order to achieve an overall balance for all the WTO Members. The Services Sectoral Classification List under GATS has listed out 12 sectors and 161 sub-sectors all of which will be part of these negotiations.

The GATS recognises 4 modes of delivery of Services. These are as follows:

- i. Mode 1 — Cross border supply, e.g. supply of diskettes, architects blueprints, etc.
- ii. Mode 2 — Consumption abroad, e.g. a tourist availing of services abroad
- iii. Mode 3 — Commercial presence, e.g. form of legal entity established abroad like a bank branch
- iv. Mode 4-Movement of Natural Persons, e.g. physical movement of professionals, skilled and unskilled labour for temporary period. It does not cover permanent migration

The Authority gave its inputs to the Government of India on the stance which could be adopted with particular reference to the insurance sector. The forthcoming Rounds will cover all sectors and modes of supply as earlier mentioned. However, the focus of emphasis of the developed and the developing countries is likely to be different, because of varying interests at micro levels. Developed countries would in all probability press for greater liberalisation in mode 3 relating to commercial presence since they would be interested in providing market access for their capital. Hence, the pressure on developing countries, including India, would be to provide greater market access in mode 3 and schedule more sectors in this mode. On the other hand, for many developing countries including India, the most important source of export would continue to be mode 4 relating to "Movement of Natural Persons". India, in particular, has interests in seeking greater market access for its professionals and skilled labour in mode 4 because of its surplus trained and skilled manpower. Thus, the

trade-off in these negotiations are bound to be cross-sectoral, with India seeking market access mainly in professional service sectors and others demanding greater market access in infrastructure sectors like Telecommunication Services, Transport Services, Distribution Services; and in Financial Services.

(vi) PUBLIC COMPLAINTS

In conformity with its efforts to achieve one of the objectives for which the Authority has been established, i.e., protection of policyholders' interests in every possible way – the Authority established on 18th November, 2002, the in-house Consumer Grievance Cell (CGC). The CGC has been constituted with the sole responsibility of taking up the complaints of the insurance customers — irrespective of the nature of the complaints — with the insurance companies and to ensure early action on the part of the insurers for their early resolution. The insurance companies had been advised about the formation of the CGC and the need for the companies to take them up on a priority basis. The seriousness and sincerity with which the Authority treats the interests of the policyholders is also reflected from the fact that during the year under reporting, the Authority took up in right earnest, the task of enlightening the insurance policyholders about the rights and privileges available to them and the machinery through which they can seek resolution of their insurance-related issues. The dissemination of this information has been done through Electronic and Print media on an on-going basis ever since December, 2002.

The Authority is glad to note that its efforts in the direction of protection of policyholders' interests are proving efficacious, as many of the complaints taken up with the companies have been resolved effectively. The details of the complaints received by the Authority and their disposal by the life and non-life insurers are given below. The status of complaints referred to life insurance and general insurance companies as on 30th September, 2003 is placed at Tables 49 and 50 respectively.

TABLE - 49

**STATUS OF THE COMPLAINTS RECEIVED BY THE AUTHORITY
AGAINST LIFE INSURANCE COMPANIES FOR THE PERIOD
APRIL, 2002 TO SEPTEMBER, 2003**

S. No.	Name of the Company	No. of complaints referred to the company	No. of complaints resolved	No. of complaints pending
1.	Max New York Life Insurance Company	9	7	2
2.	SBI Life Insurance Company Ltd.	2	2	0
3.	Allianz Bajaj Life Insurance Co. Ltd.	4	3	1
4.	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	10	9	1
5.	TATA-AIG Life Insurance Co. Ltd.	5	3	2
6.	ING Vysya Life Insurance Co. Ltd.	3	3	0
7.	Om Kotak Life Insurance Co. Ltd.	2	1	1
8.	Birla Sunlife Insurance Co. Ltd.	1	1	0
9.	HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd.	2	2	0
10.	MetLife India Insurance Co. Pvt. Ltd.	1	0	1
11.	Life Insurance Corporation of India**	571	221	350
	Total	610	252	358

** The figure shown here pertains to the total number of complaints referred by the Authority to the different Zonal Offices of LIC located all over the country.

1. Non-settlement/delay in settlement of claim	189
2. Wrongful repudiation of claim/settlement of a claim for lower amount	5
3. Non-renewal/cancellation/non-issuance/other issues related to policy	184
4. Unhelpful/wrong attitude of the officials	50
5. Other reasons	182
Total	610

Action Taken

1. Action taken and matter closed	252
2. Letter acknowledged & reply awaited	45
3. Action/reply still awaited	313
Total	610



The status of complaints referred to non-life companies as on 30th September, 2003 is given in the Table 50 below:

TABLE - 50

**STATUS OF THE COMPLAINTS RECEIVED BY THE AUTHORITY AGAINST
NON-LIFE INSURANCE COMPANIES FOR THE PERIOD
APRIL, 2002 TO SEPTEMBER, 2003**

S. No.	Name of the Insurer	No. of complaints referred to the company	No. of complaints resolved	No. of complaints pending
1.	The Oriental Insurance Company Ltd.	346	162	184
2.	The New India Assurance Company Ltd.	522	100	422
3.	United India Insurance Company Ltd.	426	302	124
4.	National Insurance Company Ltd.	421	105	316
5.	Bajaj Allianz General Insurance Company Ltd.	38	22	16
6.	TATA-AIG General Insurance Company Ltd.	23	17	6
7.	ECGC of India	2	2	0
8.	Royal Sundaram Alliance General Insurance Company Ltd.	11	6	5
9.	IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd.	4	3	1
10.	Reliance General Insurance Company Ltd.	2	1	1
11.	Cholamandalam MS General Insurance Company Ltd	3	2	1
12.	ICICI Lombard General Insurance Company Ltd.	9	9	0
	TOTAL	1807	731	1076

1. Non settlement / delay in settlement of claim	1146
2. Wrongful repudiation of claim / settlement of claim for lesser amount	159
3. Non – renewal / cancellation / non-issuance/ other issues related to policy	382
4. Unhelpful / wrong attitude of the officials	18
5. Other Reasons	102
Total	1807

Action Taken

1. Action taken and matter closed	731
2. Letter acknowledged & reply awaited	873
3. No response	203
Total	1807



(vii) FUNCTIONING OF THE ADVISORY COMMITTEE

The Insurance Advisory Committee has been established under the IRDA Act, to advise the Authority on matters relating to formulation of the regulations and on such other matters as may be prescribed. All regulations notified by the Authority are finalised in consultation with the Committee. During the period under report, one meeting of the Committee was held on 23rd September, 2002. Draft regulations relating to insurance brokers, distribution of surplus in life insurance business and corporate agents, were discussed at length at the meeting of the Committee, in addition to other items of the agenda. Till date six meetings of the Committee have been held. The 25 member Committee represents the interests of commerce, industry, transport, agriculture, consumer fora, women, surveyors, agents, intermediaries, organisations engaged in safety and loss prevention, research bodies and employees' association in the insurance sector. The list of members of the Advisory Committee is placed at *Annexure – IX*.

(viii) FUNCTIONING OF OMBUDSMAN

The institution of Insurance Ombudsman has great importance and relevance for the protection of interests of policyholders, and also to build up their confidence in the system. This institution has helped to generate and sustain the faith and confidence amongst the consumers in insurers. The Insurance Council, which is the administrative body, has appointed twelve ombudsmen across the country and has equipped them with the necessary infrastructure. All insurers are required to honour the awards passed by an Ombudsman, within a period of three months of the order. The awards are binding on the insurance companies; the customer, however, can opt out, in which case other avenues for grievance settlement can be explored by the aggrieved party. An Ombudsman, under the rules, has been entrusted with two functions, viz., conciliation and award making.

The Insurance Ombudsman is empowered to receive and consider complaints in respect of personal lines of insurance from any person who has any grievance against an insurer. The complaint has to be in writing, and addressed to the jurisdictional Ombudsman within whose territory a branch or office of the insurer complained against, is located. The complaint may relate to any grievance against insurer; partial or total repudiation of claims by the insurer; dispute in regard to premium paid or payable in terms of the policy; dispute on the legal construction of the policy wordings in case such dispute relates to claims; delay in settlement of claims and non-issue of any insurance document to customers after receipt of premium.

The limit of an Ombudsman's powers is at present prescribed at Rs.20 lakh. The Redressal of Public Grievances Rules, 1998, where under the Insurance Ombudsman is appointed, is complementary to the regulatory functions of Authority, which has been mandated to take all necessary steps to protect the interests of the policyholders. The institution of Ombudsman has evoked a good deal of public appreciation.

The tabulations at *Annexure VIII (a to c)*, indicate the number of complaints handled by the Ombudsmen. An analysis of the complaints disposed by the Ombudsmen at different centers indicates that the total number of complaints received by the Ombudsmen has increased by more than 25 per cent. During the year 2002-03, 3898 complaints were received by Ombudsmen pertaining to non-life sector, of which 2497 were disposed off. In the life sector, 2481 were received out of which 1917 were disposed off.

From time to time, the offices of Insurance Ombudsmen also bring out literature to educate the consumers about various avenues for redressal of their grievances. The list of insurance ombudsmen is placed at Table 51.



TABLE - 51
LIST OF INSURANCE OMBUDSMEN

Office of the Ombudsman	Contact Details	Areas of Jurisdiction
AHMEDABAD 2nd Flr., Ambica House, Nr. C.U.Shah College 5, Nayvug Colony, Ashram Road, AHMEDABAD - 380 014	(O) 7546150 Fax:079-7546142 E-mail: insombahd@rediffmail.com	Gujarat, UT of Dadra & Nagar Haveli, Daman and Diu
BHOPAL 1 st Floor, 117, Zone-II, (Above D.M. Motors Pvt. Ltd.) Maharana Pratap Nagar, BHOPAL - 462 011	(O) 578100 Fax:0755-578103 E-mail:insombmp@satyam.net.in	Madhya Pradesh & Chhattisgarh
BHUBANESWAR 62, Forest Park, BHUBANESWAR - 751 009	(O) 535220 Fax:0674-531607 Email :susantamishra@yahoo. com; ioobbsr@vsnl.net	Orissa
CHANDIGARH S.C.O. No. 101,102&103, 2nd Floor, Batra Building, Sector 17-D, CHANDIGARH - 160 017	(O) 706196 EPBX: 0172-706468 Fax: 0172-708274	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, UT of Chandigarh
CHENNAI Fatima Akhtar Court, 4th Flr., 453 (Old 312) Anna Salai, Teynampet, CHENNAI -600 018	(O) 4333678 Fax: 044-4333664 E-mail ad: insombud@md4.vsnl.net.in	Tamil Nadu, UT-Pondicherry Town and Karaikal (which are part of UT of Pondicherry)
DELHI 2/2 A, Universal Insurance Bldg. Asaf Ali Road, NEW DELHI – 110 002	(O) 3239611 Fax: 011-3230858	Delhi & Rajasthan



Office of the Ombudsman	Contact Details	Areas of Jurisdiction
GUWAHATI Aquarius, Bhaskar Nagar, R. G. Baruah Rd., GUWAHATI - 781 021	(O) 413525 EPBX: 0361-415430 Fax: 0361-414051	Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh, Nagaland and Tripura
HYDERABAD 6-2-47, Yeturu Towers, Lane Opp.Saleem Function, Palace, A. C. Guards, Lakdi-Ka-pool, HYDERABAD - 500 004.	(O) 6574325 Fax:040/3376599 E-mail ad: insombud@hd2.vsnl.net.in	Andhra Pradesh, Karnataka and UT of Yanam – a part of the UT of Pondicherry
KOCHI 2 nd Flr., CC 27/2603 Pulinat Building, Opp. Cochin Shipyard, M.G. Road, ERNAKULAM - 682 015	(O)373334 Fax: 0484-373336 E-mail: insuranceombudsmankochi@hclinfinet.com	Kerala, UT of (a) Lakshadweep, (b) Mahe – a part of UT of Pondicherry
KOLKATA North British Bldg., 29, N. S. Road, 3rd Flr., KOLKATA -700 001.	(O) 2212666 / 2212669 Fax: 033-2212668	West Bengal, Bihar, Jharkhand and UT of Andaman & Nicobar Islands, Sikkim
LUCKNOW Chintel's House, 1st Flr., 16, Station Road, LUCKNOW - 226 001	(O) 635486 Fax:0522-636755 E-mail: insomblko@sify.com	Uttar Pradesh and Uttaranchal
MUMBAI 3rd Flr., Jeevan Seva, Annexe (Above MTNL), S. V. Rd., Santa Cruz (W), MUMBAI - 400 054	(O)6106928 EPBX: 022-6106889 Fax: 022-6106052, 6106980 Email: ombudsman.i@hclinfinet.com / inscoun@vsnl.net	Maharashtra, Goa

Note : Address and contact number of Governing Body of Insurance Council: SECRETARY GENERAL
Governing Body of Insurance Council
Jeevan Seva Annexe, 3rd Floor, (Above MTNL), S.V. Road, Santacruz (W), Mumbai – 400 054
Tel. No. : 022 - 610 6889 Fax No. : 022 – 6106980, 610 6052
E-mail ID: inscoun@vsnl.net

(ix) REVIEW OF PERFORMANCE OF VARIOUS COMMITTEES SET UP FROM TIME TO TIME BY THE IRDA

Rangarajan Committee

IRDA had set up a Committee on Motor De-tariffing under the Chairmanship of Justice Rangarajan and on the basis of its Report, it has been decided to de-tariff the motor own damage section from April, 2005 onwards. The details of the report have been covered in Part I.

S V Mony Committee

Based on the recommendations of the Rangarajan Committee it was decided to introduce the system of free pricing on the Own Damage portion of Motor Liability, effective 1st April 2005. With a view to paving the way for smooth transition to the de-tariffed regime, the Authority constituted a Group under the Chairmanship of Mr. S.V. Mony, Ex. Chairman GIC, and Vice Chairman AMP Sanmar to consider the alternatives available to have a free market availability of products and to suggest to the Authority measures to be taken in this regard including adoption of differential tariffing. The terms of reference of the Committee are as under:

- Preparation of blueprint for pricing of motor insurance (Own Damage) in line with the international best practices
- Examine the need for rating modules to be standardised to avoid extremes
- Necessity of the regime of "file and use" of the products with the regulator in the absence of a tariff (actuarial vetting and database)
- Refusal to cover and excessive pricing
- Whether scope of cover needs to be uniform or free market conditions can prevail
- Prevention of predatory pricing – steps and safeguards

Consumer Advisory Committee

A Consumer Advisory Committee is in place. The Committee advises the Authority on various consumer

related issues from time to time. The Authority has activated its Consumer Grievance Department on the basis of the recommendations of this Committee.

Expert Committee on Remuneration to Intermediaries:

In order to streamline the remuneration payable to insurance brokers and agents, an Expert Committee has been constituted under the Chairmanship of Mr. A. C. Mukherjee. The report of the Committee is expected to be submitted in December, 2003.

Technical Committee on IRDA Regulated Entities (To review Capital Market Related Developments)

The High Level Committee on Capital Markets (HLCCM) was set-up by the Government of India to have regular interaction among the banking, capital market and insurance regulators namely RBI, SEBI and IRDA. The HLCCM has constituted technical committees under each of the regulators. The technical committee on IRDA Regulated entities will have the following constitution:

- Chairman: Member/ Executive Director, IRDA
- Member-convener: Deputy Director of the concerned department, IRDA
- Representatives from SEBI, RBI and MOF at not less than JS/ CGM level.
- The Committee will be authorised to invite persons from insurance companies and investigative agencies as and when they are required for better coordination and surveillance & monitoring of exposures of insurance sector to capital market.

The terms of reference of the Committee are:

- (i) The primary responsibility of the Committee would be to provide an inter-agency forum to review exposure of the insurance sector to the capital market with a view to identifying any unusual developments resulting from such exposures.
- (ii) To decide on sharing of information with investigative/intelligence agencies in case of suspected market misconduct.
- (iii) To develop benchmarks for parameters that may serve as early warning signals of emerging irregularities, relating to insurance sector exposure in the capital market.



- (iv) To coordinate action with other regulators based on the early warning system developed by the Committee.

The Committee shall generally meet six times a year, roughly once in two months even if there is no unusual development. However, if any unusual development is noted by any of the supervising agencies, then a meeting can be called at short notice at the request of any of the members and then the Committee would meet as often as required. Reports of the Technical Committee would be submitted to the MOF, which may keep HLCCM suitably informed about the findings of the Committee.

Monitoring of Systemically Important Financial Intermediaries

In consultation between the three regulatory bodies, viz., RBI, SEBI and IRDA, it has been decided to establish a special monitoring system for Systemically Important Financial Intermediaries (SIFIs).

With increasing integration of financial markets, restructuring and consolidation in the financial sector, inter-linkages with subsidiaries and growing overlap of banking and non-banking activities of financial institutions, issues of systemic stability have acquired new dimensions that require a proactive stance so that the gains on financial stability are further strengthened. It is therefore necessary to set up a monitoring system in respect of SIFIs that would encompass:

- i. a reporting system for SIFIs on financial matters of common interest to RBI, SEBI and IRDA;
- ii. the reporting of intra-group transactions of SIFIs; and
- iii. the exchange of relevant information among RBI, SEBI and IRDA.

It has been agreed that, after co-opting a member from IRDA, the present RBI-SEBI Technical Committee, would propose a list of SIFIs and advise on a reporting system.

(x) REVIEW OF THE ADVISORY FUNCTIONS PERFORMED BY THE AUTHORITY FROM TIME TO TIME

Promotion of Institute of Surveyors and Loss Assessors

The Authority has made a detailed proposal to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance,

for setting up an independent Institute of Surveyors and Loss Assessors on the lines similar to the other professional bodies like the Institute of Chartered Accountants of India. The main objective behind recommending formation of a separate institute is to promote quality in the profession of surveyors through education and training, and to facilitate introduction of best practices among members. For this purpose, the Government had set up a Committee under the Chairmanship of Mr. K. N. Bhandari, former Chairman of the New India Assurance Company Limited. On the basis of the report submitted by the Committee, the Government has advised the Authority to promote an self-financing and self-regulated institute on the model of Institute of Chartered Accountants of India/ Institute of Company Secretaries of India. The Authority is taking further steps for the formation of the Institute at the earliest possible. The functioning of the Institute will be reviewed after a period of three years before taking a decision as to whether it could be conferred a statutory status through an Act of Parliament.

Comprehensive review of Insurance Act, 1938

The Authority advised the Law Commission of India to review the Insurance Act, 1938 and to consolidate the insurance related legislations into a single Act of the Parliament. This move was welcomed by all the stakeholders in the insurance industry. The Law Commission issued a consultative paper for comments of all concerned. Officers of the Authority were also involved in this exercise. After considering the suggestions/comments received, the Law Commission has forwarded its recommendations to the Government. The Ministry of Law has already started work on this and a new Insurance Act will be in place incorporating suggestions/recommendations of the Law Commission.

Association with other organisations:

(i) Ministry of Statistics and Programme Implementation

The Authority is coordinating with the Ministry of Statistics and Programme Implementation based on the recommendations of the National Statistical Commission. The scope of the statistics proposed to be



compiled for the insurance sector include income and expenditure; assets and liabilities; sources and uses of funds; investments, operations of insurance companies covering aspects such as life and non-life business, reinsurance, pension, superannuation, health insurance and crop insurance. The Authority has been made the nodal point for collection and dissemination of statistics pertaining to the insurance sector. The compilation of statistics shall also cover insurance statistics pertaining to Postal life, Employees' State Insurance, Army and other Group Insurance Schemes, Pension and Superannuation Schemes.

(ii) Sub Group on Health Economics

Officers of the Authority have been nominated to the Tenth Five Year Plan Working Sub Group on Health Economics where issues relating to spread of health insurance have been discussed in depth for formulating an appropriate strategy for implementation.

(iii) Sub Group on Disaster Management

Officers of the Authority have also worked with the Sub Group on Disaster Management under the aegis of the Ministry of Agriculture on natural and man made catastrophes.



PART III

STATUTORY FUNCTIONS OF THE AUTHORITY ENshrINED IN THE SECTION 14 OF THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 1999

(a) Issue to the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend or cancel such registration

The Authority issued certificates of registration to the following new entrants:

- Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd. on 15.07.2002
- Aviva Life Insurance Co. Ltd. on 15.05.2002
- HDFC Chubb General Insurance Co. Ltd. on 27.09.2002
- Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. on 27.09.2002 (for credit insurance only)
- Agriculture Insurance Co. Ltd. on 29.10.2003 (for underwriting crop insurance)

The Certificate of registration of all the existing insurance companies in the life and non-life sectors has been renewed in terms of section 3A of the Insurance Act, 1938. As regards the exempted insurers whose list is placed at Annexure II to the Report, the Authority is making efforts to ensure that the regulations notified are adhered to by them and that they conduct their affairs in a manner which is neither detrimental to the interests of the insurance policyholders nor prejudicial to the interest of the orderly growth of insurance industry.

The Authority did not modify, withdraw, suspend or cancel the certificate of registration of any insurer.

(b) Protection of the interests of the policyholders in matters concerning assigning of policy, nomination by policyholders, insurable interest, settlement of insurance claim, surrender value of policy and other terms and conditions of contracts of insurance:

The Authority carried out modifications in the Protection of Policyholders Regulations in October, 2002 to

make them more robust. The amendment in the regulations has enabled the life insurers to charge premiums upto 100 per cent of premium of basic product in case of health related or critical illness riders and upto 30 per cent of premium of basic product in case of all other riders.

In addition, Authority has issued orders to general insurers permitting them to load third party tariff premium by 100 per cent if the claim experience of any individual insured is adverse as per the insurer's assessment. If the experience continues to be bad, then a further loading of 100 per cent of the expiring premium can be charged. However, no extra premium can be charged beyond these specified limits. With a view to ensuring that the order is implemented in both letter and spirit, the Authority has asked the insurers to communicate this to all their underwriting officers.

The Authority during the course of the year under reporting, repeatedly drew the attention of the insurers to the salient provisions of the Protection of Policyholders Regulations and advised compliance of the same. It followed this up by constituting a Cell in the Authority headed by the Executive Director to look into the complaints/grievances of insurers and take it up with respective insurers for early resolution of grievances.

The Authority in order to protect the interests of the policyholders exercised the powers given to it under section 64U(M) and 102 of the Insurance Act, 1938, and directed Oriental Insurance Co. Ltd. and New India Assurance Co. Ltd. to discharge liability under marine hull, marine cargo and fire insurance policies.

The Authority issued a notice to all life insurers directing them to have premium rates with the facility of premium calculator on their respective websites in order to ensure transparency and openness in computation of the pricing of their policies for the benefit of the consumers. A recent development is



the decision of the Executive Committee of the Life Council, to adopt standards of good conduct and sound practices under the provisions of Sec 64J(i) of Insurance Act, 1938. These standards provide service parameters with respect to product design brochures, premium receipts, illustrations on the products, policy information statement and the provision for issuing an annual statement to the policyholders.

The Authority also directed the life insurers to display the latest Net Asset Value (NAV) of Unit Linked policies along with the date of valuation. This stipulation has been made to ensure that policyholders are aware of the value of the investments made in unit linked products. The Authority issued notice to all life insurers on publications of charges in sales literature in unit linked policies.

The Authority undertook an awareness campaign on Doordarshan/ All India Radio at the national level with the objective of educating the insurance consumers on their rights and obligations, the functions of intermediaries, the ombudsman scheme, etc. By educating and improving the awareness of the consumer, the Authority sought to protect the interests of the policyholders. During the year under review, a circular was issued to all insurers to follow the file and use procedure adopted by the Authority and not to introduce any products or amendments on the existing products without intimating the same to the Authority.

(c) Specifying requisite qualifications, code of conduct and practical training for intermediary or insurance intermediaries and agents

During the year 2002-03, the Authority issued directions, circulars, orders and communications on the requisite qualifications, code of conduct and practical training to insurance intermediaries and agents to ensure that provisions of Insurance Act and regulations made there under are complied with and are administered.

The Authority issued a Circular intimating all concerned that the Administrative Staff College of India (ASCI),

Hyderabad has been recognised as the institute to impart practical training and conduct examination for CEOs/ CAOs of the licensed TPAs. The regulations provide that the CEO/CAO of the TPAs shall undergo 100 hour practical training in addition to meeting the qualification requirements. The said requirement is to be complied within a period of two years from the date of registration of the TPA. To ensure compliance with the said stipulation, the Authority took steps during the year 2002-03 to organise the training sessions. The training module was prepared by Med Varsity, Hyderabad in collaboration with Administrative Staff College of India (ASCI), Hyderabad. The module comprises of online training plus 3 days practical (In House) training at the premises of ASCI. The first batch of the training programme, which comprised of about 20 participants, was held in mid February, 2003. The Second batch of training of the CEO/CAOs of the TPAs was concluded in the month of September, 2003 to facilitate the TPAs to fulfill the stipulations of the IRDA Regulations. With a view to capacity building and to take care of the contingencies which may occur in future, it was emphasised that more than one representative of the TPA should participate in the training program.

The Authority advised both the general insurers and the TPAs that if any agreement was entered into at the insistence of their clients for the sake of business consideration of charging separate fees in addition to insurance premium, the same would be treated as being outside the scope of IRDA (TPA – Health Services) Regulations, 2001. Adequate precautions were required to be taken by both the insurers and the TPAs to clearly intimate this fact to the customers/ clients. The TPAs were also informed that the requirements of passing the Associateship exams of Insurance Institute of India, Mumbai by CEOs / CAOs was extended till May, 2004. However, no relaxation with respect to 100 hours training conducted by Administrative Staff College of India was allowed.

With the publication of IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002 it was notified that the designated person responsible for grant of individual agents license would also be competent to issue corporate agency licenses. Further the Indian Institute of Bankers, Mumbai was designated as the examining



body for grant of certificate to the employees/ officers of the banks. The syllabus for such employees/ officers of the banks willing to become specified persons for selling insurance products for the corporate agents was also approved by the Authority. The employees and officers of the banks could undergo training from the existing accredited institutes or from the training institutes of the banks, which were approved by the Authority. The Regulations pertaining to corporate agents and insurance brokers have laid down indicating educational qualifications and training requirements for the corporate insurance agents, specified person, principal officers and other marketing persons. The Authority has also specified the code of conduct, the rights and duties of intermediaries and the agents for the overall healthy development of these entities.

The Authority approved a list of training institutes to provide training to candidates appearing for examination of insurance brokers. The head office training centres of National, New India, Oriental and United were approved along with the Management Development Centre of Life Insurance Corporation, Mumbai. In addition, National Insurance Academy, Pune, College of Insurance, Mumbai and three private institutes were also approved to impart training to brokers as per the syllabus approved by the Authority. All the institutes were advised to prepare course material based on the syllabus approved by the Authority. National Insurance Academy, Pune has been designated as the examining body for brokers.

(d) Specifying the code of conduct for surveyors and loss assessors

The Authority finalised the syllabus for training of surveyors and loss assessors who would take the examination after one year of practical training under a senior surveyor. The first such examination was conducted in February, 2003 by Insurance Institute of India, Mumbai. Thereafter, the examinations are being held as per the schedule laid down.

The Authority took steps to enforce the code of conduct for surveyors and loss assessors. The general insurers were advised to furnish information about the list of cases in which more than one surveyor was deputed, as well as about the surveyors blacklisted by any insurer, without intimation to the Authority. A Report was also sought from the general insurers

on the implementation of the system of categorisation by the companies. The Authority revised the financial limits for different categories of surveyors during the current financial year 2003-04. The financial limits of the surveyors are given at Table 44 of the Report.

(e) Promoting efficiency in the conduct of insurance business

The insurers started devising new strategies to reduce transaction costs in doing insurance business. Use of technology, internet, computers helped companies in achieving economies of scale. The private insurers have started issuing a large number of policies over the web, thereby effectively reducing their costs. The insurers, for improving customer service have also started continuous professional development programmes for their professionals.

The CEOs of the companies at the annual conference held in May, 2003, made presentations to the Authority outlining their goals and objectives. They emphasised on controlling expenses of management with the ultimate aim of improving efficiency in the conduct of insurance business. The companies to promote efficiency in their operations have initiated many other steps at the operational levels. Payment of premium through credit or debit cards, internet, e-transfer, etc., has been allowed to ensure working efficiency and service to the customer.

Both the Life and General Councils were active during the year under report. The Life Insurance Council appointed a Committee under the chairmanship of Mr. H.O. Song to give its recommendations on agents compensation. The report was submitted to the Life Council. The General Insurance Council came up with suggestions pertaining to cases involving breach of tariff. It also concluded important agreements, including those on knock for knock agreement, coinsurance agreement and discussed important issues like charging of overage extra, issuance of policies on first loss basis, etc.

(f) Promoting and regulating professional organisations connected with the insurance and re-insurance business:

In line with the objectives of creating an efficient, effective and progressive Indian insurance sector, IRDA and the Government of Andhra Pradesh has jointly



established the Institute of Insurance and Risk Management (IIRM). The Institute through its collaborative network will be involved in providing services for the benefit of the industry, including research & consultancy, advanced technical and management programs, post-graduate education, conference & events, insurance regulators' & supervisors' training and bringing out publications. During the year 2002-03, the IIRM has conducted the following activities:

- Seminar on Core principles for regulators jointly with IAIS and UNCTAD, August, 2002 in Hyderabad.
- Seminar on Pension with a special focus on India, August 2002 in Hyderabad.
- 3rd emerging Insurance Market conference, January 2003, New Delhi jointly with UNCTAD, OECD and IAIS.
- OECD/INPRS 2nd conference on Private Pensions in Asia and 2nd Asia Pacific Regional INPRS Meeting, May 2003, in Hyderabad.
- An industry forum on "Current Developments and Future Prospects in the Indian Insurance Industry" in September, 2003 in Hyderabad.
- Intensive course on Marine Insurance, in September, 2003 in Hyderabad.
- Intensive course on Reinsurance, October, 2003 in Hyderabad.

The educative material and reports used in the above seminars are being kept in the libraries of the Institute and the Authority for reference purposes. The Institute in collaboration with UNCTAD launched the International Post Graduate Diploma in Insurance (IPGDI). The course has been designed through international collaborative efforts to meet the insurance industry's need for highly qualified manpower. The first IPGDI class is presently being conducted in Jakarta with 20 students. The class is taught in Jakarta by IIRM international affiliate faculty committed to provide an excellent quality of learning experience to the students of IIRM.

The Authority approved the Post-graduate Diplomas in Insurance and Risk Management of one and two year durations. These diplomas are conducted by a

number of institutes (list placed at Annexure XII to the Report). In addition, the Institute of Chartered Accountants of India has been given authorisation by the Authority to conduct a diploma course in Risk Management for the benefit of its members. In addition ICAI has been recognised by the Authority to undertake training courses for those chartered accountants who aspire to become surveyors and loss assessors. The training course conducted by the Institute will be recognised for the purpose of fulfillment of training requirements under the Insurance Act, 1938.

(g) Levying fees and other charges for carrying out the purposes of this Act

The Authority notified the licensing of corporate agents regulations during the year under report. The fee payable for issue or renewal of license to act as a corporate agent is Rs.250/-. Every specified person of the corporate agent is required to pay a fee Rs.500/- to the Authority for grant of certificate.

The Authority notified the Insurance brokers Regulations. As per the regulations a direct broker is required to pay an amount of Rs.25,000/-. The license fee for reinsurance brokers is Rs.75,000/- and for a composite broker the fee is Rs.1,25,000/-.

The requirement for payment of application/ processing/ registration fee payable by the insurers, surveyors and loss assessors and intermediaries including agents, TPAs, brokers and corporate agents is given at Annexure X.

The regulations also provide for payment of renewal fees by the insurers. During the year, the Authority reduced the levy for renewal of registration of insurers to 10 per cent of 1 per cent of the gross premium for the year 2003-04. The relaxation was an extension of the benefit already extended in the years 2001-02 and 2002-03. As a step forward, with the amendment of the regulations pertaining to registration of Indian insurers, in 2003, the registration fee now stands reduced from 20 per cent to 10 per cent of 1 per cent of the gross premium or Rupees fifty thousand whichever is higher at the time of renewal of registration, every year.



The regulations also have penal provisions in case of delay in payment of requisite fees. However, there has been no occasion to invoke these provisions till date.

(h) Calling for information from, undertaking inspection of, conducting enquiries and investigations including audit of the insurers, intermediaries, insurance intermediaries and other organisations connected with the insurance business

The Authority commenced the exercise of on-site inspection during the financial year 2002-03. The inspection processes carried on by the Authority can be broadly categorised into two, viz:

- Overall inspection of the insurance companies.
- Targeted inspection, as to meet the specific objectives.

The officers of the Authority carried out inspection of selected insurers with a view to finding out whether their operations and affairs were conducted in the required professional manner or not. These inspections were also aimed at getting an overview of the operations of the insurers, with respect to compliance of the regulations and various provisions of the Insurance Act, 1938.

The Authority levied a penalty on Reliance General Insurance Co. Ltd. under section 105B of the Insurance Act, 1938 for not fulfilling the rural sector obligations under Section 32B and 32C of the Insurance Act, 1938. The company represented against the order explaining the reasons for incorrect reporting of figures. The Authority conducted an inspection and based on the findings and verification of figures, rescinded the penalty proceedings against the company and withdrew the order levying the penalty.

The Office of Commissioner of Central Excise, Mumbai-V sought information on whether all tax payers providing i) insurance services; and ii) insurance auxiliary services had taken service tax registration and were paying tax or otherwise. The insurers were asked to send the information to the Commissioner directly.

The Authority advised all insurers to submit a compliance certificate on quarterly basis to the Public Debt Office, confirming the position regarding monthly conciliation of SGL/CSGL Accounts and that the same were placed before the Audit Committee of the Board of respective insurer, under intimation to the Authority. During the period under review, the Authority sought submissions of statutory returns in excel format.

The Authority directed all the licensed brokers to file within 30 days (of last day of each month) a statement indicating: the names of clients on whose behalf the business had been placed with an insurer, type of business that had been contracted, the brokerage or remuneration received and persons to whom payments had been effected.

The IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000 provide for the manner in which reserves for 'outstanding claims' and reserve for 'incurred but not reported claims' shall be provided. In such determination, the appointed actuary is required to follow the Guidance Notes issued by the Actuarial Society of India in concurrence with the Authority, and within the framework of the directions issued by the Authority on the same.

Targeted inspection of non-life insurers was carried out to review the reserves created by them as the Authority was concerned about the adequacy of the reserves being created by the insurers.

Some TPAs were subjected to inspection following complaints against them. In addition, inspection of insurance brokers was conducted to check on their physical infrastructure, human resources, ability to perform the assigned duties, etc.

The Authority advised all insurers to furnish particulars of all persons paid remuneration whether by way of commission or otherwise where such remuneration exceeded such sum as required under 217(2A) (a) of Companies Act, 1956 read with Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975.

The Authority issued a circular to all the insurers asking them to furnish details of equity holding pattern of insurers with a view to facilitate monitoring of foreign equity holding in insurance companies on a quarterly basis as per the prescribed proforma. In addition insurers have also been advised to furnish the equity



holding pattern of the Indian promoters of insurance companies.

(i) Control and regulation of the rates, advantages, terms and conditions that may be offered by insurers in respect of general insurance business not so controlled and regulated by the Tariff Advisory Committee under section 64U of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)

All insurers carrying on general insurance business are required to file their rates, terms, advantages, terms and conditions with the Authority 30 days prior to the use of an insurance product. The “file and use” system implemented for non-tariff classes of business in general insurance encourages companies to compete for business and makes it easier for insurance companies to respond to changing market conditions. It also provides more flexibility in the types of policy forms companies can use, besides allowing them to create a broader “menu” of products for their customers. The insurers are accordingly required to file a profile of the new products and the policy of pricing adopted by them. This profile is accompanied by a statement from the advocate that the terms and conditions offered are not prejudicial to the policyholders’ interests. In certain cases, the Authority seeks an opinion of an actuary with a view to checking whether the pricing has been made on professional assumptions and statistics. While the Authority does not intend to grant any specific approval to any product, it reserves the right to respond within 30 days of the receipt of the insurance product, as to whether it would be in the interest of consumer or help to develop insurance market or be free from false promises/allurements or self sustainable and not dependent on subsidy of premium from other class/category of insurance customers, etc. The Authority also reserves the right to suggest changes in the profile of the product as well as its pricing.

During the year, the general insurers were advised to design professional indemnity cover for insurance brokers. The Authority issued a circular to all general insurers wherein the insurers were allowed coverage for fire insurance on first loss basis under householders

package policies. Yet another circular was issued which permitted insurers to issue the comprehensive package policy under CPM - Equipment Insurance Policy. The company-wise details of the products filed by the non-life insurers under the “file & use” procedure of the Authority, during the years 2001-02 and 2002-03, are placed at Tables – 32(i) & (ii)

In case of tariff products, the insurers are required to file the products and pricing details with the Tariff Advisory Committee.

(j) Specifying the form and manner in which books of account shall be maintained and statement of accounts shall be rendered by insurers and other insurance intermediaries:

All insurers were advised on the amendments in the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors Report of Insurance Company) Regulations, 2002. Following a meeting with the accountants and appointed actuaries of insurers, the Authority clarified the manner in which figures were to be reported while finalising the financial statements for the financial year 2002-03. The areas which were covered in the circular included segment reporting, cash flow statement, managerial remuneration, related party transactions, transfer of securities to policyholders accounts, guidelines for recognition of claim, bank reconciliation as at 31st March, provisions for free look period, catastrophe reserves, investments of policyholders and shareholders, social sector business, preliminary expenses, actuarial valuation of claims payment for more than 4 years, treatment of premium deficiency, treatment of charge on the credit card, unallocated premiums, premium received in advance, contingent liabilities and permission to open SGL Account with RBI at the headquarters of the insurer. In addition two annexures have been specified, wherein insurers are required to give summary of financial statement for last 5 years and the performance ratios. The Authority, however, granted relaxation to the public sector insurers on creation of reserve for premium deficiency, preparation of cash flow statement and actuarial valuation of claim liability because of the difficulty expressed by them, in preparing the annual accounts for the financial year 2002-03.



The Central Board of Direct Taxes under Ministry of Finance issued a notification amending Rule 6E of the Income Tax Rules, 1962 relating to provisions for unexpired risk in respect of fire and engineering insurance policies which provide cover against risk of terrorism. According to the notification, 100 per cent of the net premium income arising from fire or engineering insurance which provides for terrorism risk will be allowed to be carried to reserve for unexpired risks.

The Authority took steps towards finalising the modalities for computerisation of both filing and evaluation for the statutory returns to be filed by the insurers/intermediaries. The insurers were advised to file the accounts by returns in electronic form for a period of three years, i.e., 2000-01 to 2002-03 as per the soft modules which have been made available to the insurers through the Authority's website. Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) an existing company which was granted registration by the Authority, in the financial year 2002-03, was granted exemption from compliance of the reporting requirements, for the said year.

Further, the Authority recently acceded to the insurers' request to take the market price of the actively traded securities at the lowest of the last quoted closing price at the National Stock Exchange or Bombay Stock Exchange for the purpose of such fair valuation.

(k) Regulating investment of funds by insurance companies

The Authority issued a number of clarifications/guidance notes to the insurers on investments during the financial year 2002-03. The Authority has also granted exemptions to insurers on a case-to-case basis. All insurers were advised to file the compliance certificate under section 28(2A), 28(2B) and 28B(3) as per the prescribed format along with the investment returns on a quarterly basis. The certificate for the last quarter of the year was to be accompanied by a certificate from the custodian confirming the value of the securities held and certifying that the same were free of encumbrances, charges, hypothecation and lien. The insurers have also been advised to furnish particulars of defaults in receipts of periodic

incomes and/or principal on maturity, on a quarterly basis, and particulars of the provisions made/proposed to be made on the same. The Authority also laid down the guidelines for investments in mutual funds. These investments are required to be made only under the 'other than approved' category of investments, as per the exposure norms for such investments. The modalities for valuation of mutual fund investments have also been laid down. As a step towards establishing reconciliation between the purchases and sales of investments with the status report furnished under Form 3A and Form 3B by insurers on a quarterly basis, the insurers have been advised to file a reconciliation statement on the purchases and sales of Investments, within a period of 21 days from the end of each quarter.

(l) Regulating maintenance of margin of solvency

The Authority requires both the life and non-life insurance companies to maintain a specified margin of solvency. The information pertaining to the same is required to be furnished as per the forms prescribed in this regard. All insurers have filed the statement of solvency margin as required under the Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers Regulations.

(m) Adjudication of disputes between insurers and intermediaries or insurance intermediaries

The Authority is in the course of establishing a mechanism for adjudication of disputes between insurers and intermediaries or amongst insurance intermediaries, to discharge the functions entrusted to it under the provisions of the statute. During the period under review no case was referred to the Authority for adjudication of disputes.

(n) Supervising the functioning of the Tariff Advisory Committee (TAC)

The year 2002-03 presented the TAC with new dimensions in its role as a facilitator between insurers and insured's. While on the one hand the market expansion gave access to new, well computed data source from private sector players, it also kept it busy



in dealing with cases of breach of the tariff that competition unleashed initially. Besides regulating the tariff for various insurance products, the Committee also looked into cases of breach of tariff stipulated, and action was taken against defaulting insurers, including imposition of penalty. During the financial year 2002-03 three meetings of the Committee were held, at which 58 complaints of breach were considered. In 25 cases fines were paid by the insurers for breach, in 28 instances, breaches were rectified and in 5 cases the Committee decided that there was no breach in tariff. In 8 cases general decisions were taken on future tariff. It would be recalled that the breach of the tariff norms were revised effective 1st April, 2002.

The major activity of TAC during the year pertained to revision and rationalisation of the India Motor Tariff effective July, 2002. This tariff, for the first time, brought into play differential rating factors in the motor segment - a clear indication towards gradual liberalisation of the market place. It enhanced the areas of discretions available to insurers and insured's. The revision had its share of challenges before various courts of law, and the Authority and the TAC took quick remedial actions to restore normalcy in the motor insurance market that now constitutes 40 per cent of the non-life insurance segment. A rationalisation exercise of the Engineering Tariffs (EAR/CAR) was undertaken and the draft was put on the TAC website to elicit public opinion. A draft tariff for Mega Risks was also prepared and submitted to the Authority. The list of existing tariff business controlled by the TAC is placed at Table 52.

Data constitutes a key element in informed decision making process for the insurance industry, as indeed for every successful organisation. The TAC which is mandated under Sec. 64UE of the Insurance Act to collect data from insurers has been actively trying to build up a database for future use of insurers, with the Regulator as the service provider. To this extent, efforts are underway to enhance competencies within the TAC with the assistance of multilateral agencies like World Bank. The TAC has been maintaining a database for declined lives in the life sector.

The role of TAC as enshrined in the Insurance Act, 1938 is expected to change once de-tariffing of motor own damage segment is undertaken from 1st April, 2005. It is expected that other classes of insurance business will have to follow in order to avoid the pitfalls of having cross-subsidisation amongst various classes of business in the non-life segment.

TAC has rendered its secretarial assistance in addition to sharing of its wealth of experience with the Rangarajan Committee set up for de-tariffing of Motor, Own Damage portion and with the S. V. Mony Committee which has been set up to prepare the road map for liberalisation of the motor own damage tariff. It has also rendered its advices to the insurers and chambers of commerce from time to time on issues pertaining to tariff business. TAC is equipping itself and also the Authority for determining guide rates, terms and advantages which insurers could offer to non-tariff products and also when the tariffs are thrown open.

TABLE - 52

LIST OF EXISTING TARIFF BUSINESS CONTROLLED BY TAC

FIRE- All India Fire Tariff, Petrochemical Tariff, Industrial All Risks Tariff, Consequential Loss (Fire) Tariff

MARINE - Marine Hull Manual rating Guidelines, Tea Tariff

ENGINEERING - Contractor's All Risk Tariff (CAR), Contractors Plant and Machinery Tariff (CPM), Electronic Equipments Insurance Tariff (EEI), Machinery Breakdown Tariff (MB), Civil Engineering Completed Risks Tariff (CECR), Storage cum Erection Tariff (SCE), Loss of Profit, Boiler and Pressure Vessels Tariff, Deterioration of Stocks (Potato) Tariff etc.

MOTOR - All India Motor Tariff

MISCELLAENOUS - Workmen Compensation Tariff



(o) Specifying the percentage of premium income of the insurer to finance schemes for promoting and regulating professional organisations referred to in clause (f)

The Authority places a considerable amount of significance on promoting professionalism in the business of insurance. One of the continuing areas of concern to the Authority has been the accuracy and adequacy of data on the insurance industry. Based on the initiatives in this direction, recently, the Actuarial Society of India has set up the Mortality & Morbidity Investigation Bureau (MMIB). The Bureau, which has been set up under the aegis of ASI, will collect data from the various insurers, and compile the mortality and morbidity tables based on the experiences of the insurers. The Bureau is being funded by all life insurers and by the Authority.

(p) Specifying the percentage of life insurance business and general insurance business to be undertaken by the insurers in the rural or social sector

The Committee on reforms in the insurance sector, while advocating opening up of the industry to the private sector, had made a strong case for the new players being subjected to compliance of minimum stipulations for underwriting business in the rural and the social sectors. This requirement for the industry, both life and non life insurers, is laid down in the

regulations framed by the Authority on obligations of the insurers for the rural and social sectors. The amendments to the regulations were notified by the Authority in October, 2002. Under the amendments, the term "rural sector" has been redefined, and the words "agricultural pursuits", elaborated. The amendments also dwell on the "informal sector". Simultaneously, the obligations for life insurers towards the rural sector have been raised. In keeping with the need for insurers to meet their obligations to the society, the Authority has further stipulated that in terms of volume of business, no insurer shall write rural/social sector business less than what was recorded for the accounting year ended 31st March, 2002. The amendments came into effect from the financial year 2002-03. The regulations require insurers to underwrite business based on the year of commencement of their operations. In addition, the existing public sector insurance companies are required to ensure that their rural and social sector business in any given financial year is more than that underwritten by them in the previous year.

(q) Exercising such other powers as may be prescribed

Under the provisions of the Insurance Act, 1938 the Government may ask the Authority to exercise powers for protecting the interests of the policyholders or for developing the insurance market in the country or where it relates to matters of policy. However, presently the Authority has not exercised any such powers, since the Government has not delegated any such powers to the Authority.

PART IV

ORGANISATIONAL MATTERS OF THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(i) ORGANISATION

During the financial year 2000-03, the constitution of the Authority underwent changes because of the retirement of some of the members. The following persons are presently members of the Authority:

1. Mr. C. S. Rao, Chairman
2. Mr. P. A. Balasubramanian, Member
3. Mr. T. K. Banerjee, Member
4. Mr. Mathew Verghese, Member

Mr. C. S. Rao took over as Chairman of the Authority on 10th June, 2003, on Mr. N. Rangachary laying down office on completion of his term. Mr. Rangachary had headed the Authority for seven long eventful years. Mr. C. S. Rao, prior to joining the Authority had a long stint in the administrative services, retiring as Revenue Secretary, Government of India.

Mr. T. K. Banerjee joined the Authority as whole time member on 18th August, 2003. He was previously Executive Director, Life Insurance Corporation of India (LIC). Mr. Banerjee has taken the position occupied by Mr. H. O. Sonig, who retired on completion of his term as member on 31st December, 2002.

Mr. Mathew Verghese, joined the Authority on 27th October, 2003 as whole time member. Prior to joining the Authority, he retired as Managing Director and Principal Officer, Kenindia Assurance Company Ltd. Kenya. Mr. Verghese has come in place of Mr. R. C. Sharma who retired on the expiry of his term as member on 20th June, 2003.

Other than the whole time members, the Authority comprises of the following part time members:

1. Mr. Vivek Mehrotra, Joint Secretary in the Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance.
2. Ms Manisha Mohan Andhansare.
3. Mr. A.R. Barwe, ex-Deputy Managing Director, State Bank of India.

4. Mr. R. Bhupati, President, Institute of Chartered Accountants of India.

As a matter of policy, the Authority has envisaged for itself a lean organisational structure, duly supported by technically qualified and competent officers drawn from the industry. Further, in keeping with the ever increasing regulatory functions, steps have been initiated to increase the staff strength. Thus, additional officers were recruited in the financial year 2002-03 to take the total strength to 46. Further, with a view to expose its officers to the evolving international trends in the financial markets and to keep them apprised of the regulatory trends in the insurance industry globally, the Authority pursues the policy of continuous up-gradation of the skills and talents of its officers. Accordingly, regular opportunities for training and orientation are provided by deputing the officers of the Authority to various seminars and training programmes, both within the country and abroad.

Amongst the various training programmes and seminars attended by the officers of the Authority, were those organised for Asian Directors by Monetary Authority of Singapore; Training Programmes on Life Insurance and Pensions organised by Australian APEC Study Centre; Programmes on Customer Service and Solvency Issues organised by National Association of Insurance Commissioners, Seminar on On-site inspection by Financial Services Authority, Japan; Training on Insurance Broking by Lloyds' London; besides training programmes organised by IAIS, etc. Officers of the Authority have also participated to present papers on technical subjects at various international conferences. The officers of the Authority also got an opportunity to participate in a four week training programme organised by the IRDA for regulators in the SAARC countries.

During the year, the officers of the Authority were also exposed to the various aspects of, off and on-site inspection. The programme was organised under the aegis of International Institute of Finance



(IIF).The exposure at various levels for its officers, enables the Authority to draw upon the experiences of regulators at global levels, and is aimed at maintaining the highest professional standards in regulating the insurance industry.

(ii) MEETINGS OF THE AUTHORITY

During the year 2002-03 (April to March), four meetings of the Authority were held. The attendance was full at almost all the meetings which made the discussions purposeful to transact the business at the meetings of the Authority.

(iii) HUMAN RESOURCES

On the date of publication of this report, IRDA has 30 officers and 16 staff members (total 46) in various cadres. Besides the two executive directors, there are 15 deputy directors and 13 asstt. directors, handling the various activities of the Authority. The fact that majority of the officers working in the Authority are drawn from the insurance industry with which they have been associated for a considerably long period, is a value addition to the human resources of the Authority which is required to handle a great task at hand viz., undertaking ground work on an on-going basis for the purpose of consistent monitoring of not only the new liberalised market but also ensuring an orderly growth of the insurance industry. The experience gained by these officers in their earlier association with the insurance industry has enabled them a great deal to acclimatise themselves, in the shortest possible time, to the demands of the new assignment viz., regulating the insurance market. Added to the knowledge and experience of these personnel is the training and exposure provided by the Authority by sponsoring them to a variety of regulatory workshops, seminars and training – many of them being international in character – which has equipped them with the skill and capabilities to handle effectively the jobs assigned to them by the Authority.

This fact apart, the Authority with the long term objective of effectively facing the regulatory challenges ahead undertook the recruitment exercise twice for augmenting its able work force and appointed

personnel to the positions in the Authority. These new officers, within the shortest possible time, have effectively understood the role of the Authority and have started carrying out their responsibilities with devotion and diligence.

It is the above two groups which form the core unit of the human resources in the Authority.

(iv) PROMOTION OF OFFICIAL LANGUAGE

Efforts towards progressive use of Hindi in the Authority have continued. The Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Authority held quarterly meetings to review the progress in the official use of Hindi. During the current financial year, in June, 2003 the Parliamentary Committee on Official Language visited the office of the Authority to review the implementation of official language.

The Hindi Department has been strengthened with the posting of a Hindi Officer in the Authority. Hindi Days and Hindi Weeks are also organised by the Authority. In addition, the Hindi Section of IRDA Journal contains 8 pages of exclusive material in Hindi Language. Bilingual software has been purchased in addition to Microsoft office XP which has the additional features to facilitate the working in Hindi.

The Authority has also been making available various regulations, notifications and other useful material issued by it, in bi-lingual form. Efforts have also been initiated to make available the various publications in regional languages in the foreseeable future. With a view to facilitating preparation of educational material related to insurance market in different languages including Hindi, expertise is being provided to various institutions.

(v) STATUS OF INFORMATION TECHNOLOGY

The Authority has always been adapting the latest IT trends in order to have effective regulatory environment and to serve better the millions of policy holders/general public at large. The activities



implemented and initiatives taken towards this, during the year 2002-03 are outlined in the ensuing paras.

All the Officers of the Authority have been provided with High-end Pentium Desktops loaded with latest Office Automation software for their day-to-day use. Home office computers have also been provided to Members and Executive Directors of the Authority. All the staff members have been provided with personal e-mail ID and internet as well as external messaging facility for effective and speedy communication.

All the desktops have been connected with structured cabling network supported with High-end data switches. For the smooth functioning and speedy communication, both the Delhi and Hyderabad offices have been connected with 64 KBPS dedicated Voice/Data leased circuit. Using this facility, the databases and information available at Hyderabad Office have been made accessible to the officers stationed at the Delhi office. Two dedicated voice lines have also been made available for day-to-day communication.

The Authority is in the process of implementation of Management Information System developed for the purpose of evaluation of periodical returns received from insurance companies. Trial runs are now being conducted to ensure its smooth implementation. Necessary instructions have already been issued to all insurance companies to file the returns in the formats designed for this system.

The Authority is also in the process of revamping its Official website to include additional features such as Comprehensive search engine; Electronic filing of returns; On-line e-mail complaints; Automatic e-mail notifications; and a Hindi section in the website.

(vi) ACCOUNTS

The accounts of the Authority for the period ended 31st March, 2002 have been audited by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India. Pursuant to the provisions of Section 17 of IRDA Act, 1999, the Audited Accounts along with the Audit Report have been forwarded to the Government of India to be placed in both Houses of Parliament. A copy of the accounts for this period together with the comments of the C&AG (which are being complied with by the Authority) is placed at Annexure XIII.

The Accounts of the Authority for the financial year 2002-03 have been finalised and adopted by the Authority for submission to the Comptroller and Auditor General of India, for their Audit Report, comments and certification as required under the IRDA Act, 1999. A copy of the same, as submitted to C&AG, is placed at Annexure XIV to this Report.

(vii) ISO 9001 – 2000 REGISTRATION

The Authority was given ISO accreditation based on the assessment of its operations. The certification given to the Authority is a confirmation that the Authority has established a quality management system that is in compliance with the international Quality Systems Standard ISO 9001 and Q9001-2000. The certification is valid for a period of three years commencing May, 2003. The certification is also a recognition of the quality policy followed by the Authority, which states that "The Authority is committed to act as a responsive regulatory body to protect the interests of the policyholders, to regulate, to promote and ensure orderly growth of the insurance industry and for all matters connected therewith or incidental thereto in a transparent manner and achieve their satisfaction through continued improvement by implementing Quality Management System."

(viii) IRDA JOURNAL

The first issue of the IRDA Journal was released in December, 2002 by Dr. C. Rangarajan, the then Hon'ble Governor of Andhra Pradesh. The Journal has been well received by both the industry and its keen followers. The Journal was launched with a view to ensuring "unfettered dissemination of information, free and frank analyses and discussion on issues of concern to an industry which touches all individuals and businesses in the most sensitive of ways in times of crises".

Each issue of the monthly journal is centered around a theme of relevance to the industry, such as rural insurance, corporate governance, investment, training, health insurance, bancassurance and information technology. The anniversary issue of the journal released in December, 2003 evaluated the achievements of the three years of liberalisation of the insurance industry. The journal serves as a forum for the industry and its stakeholders to voice their opinion and discuss issues which are pertinent to the industry, and is a source of news and authentic industry statistics from the Authority.



PART V

CONCLUDING REMARKS

The process of opening up the insurance sector was initiated against the background of the economic reforms process which commenced in the year 1991. The reform process was aimed at freeing the Indian manufacturing and services sectors from the shackles of controls that inhibited their growth and make them attain high standards to facilitate the process of integration with the world economy. It was perceived that with the markets world over becoming highly dynamic and integrated, the economic reforms process within the country was required to enable India to integrate with these markets. Steps were, therefore, initiated to elevate the Indian economic system to international standards in terms of its financial viability, competence, technology, prudential requirements, regulation and credibility. The constitution of the Malhotra Committee was another step in the initiatives in the area of financial reforms covering the banking sector and the capital markets which aimed at creating a more efficient and competitive financial system suitable to the requirements of the economy. The need for addressing the issues concerning the insurance sector was felt in recognition of the fact that the sector is an important part of the overall financial system.

A decade down the line, and three years since the advent of the private players in the liberalised environment, it is perhaps opportune to look back and review the performance and the expectations of the industry at large and the goals that the regulator set for itself and the extent to which their individual aspirations and commitments have been achieved/ addressed.

The Authority was established with a view to protecting the interests of the holders of insurance policies, to regulate, promote and ensure the orderly growth of the insurance industry and for attending to matters connected/ incidental thereto. The last three years have witnessed dynamic changes in the insurance industry. These include advent of a fairly large number of insurers in both the life and non-life segments. A number of foreign players, from across the globe have entered the industry as joint venture partners to established Indian promoter groups. The number of intermediaries has

grown to include besides the agents, the corporate agents, the brokers, the third party administrators and of course bancassurance which has opened up new vistas, and is likely to change the canvas of the insurance industry in the years to come. Both the life and the non life segments have been a witness to introduction of new products, with tailor made and packaged products being introduced in the market to suit the particular needs of the customers. Some initiatives have also been taken to meet the special requirements of the rural and economically backward segments of the population. The growth of the premium incomes of insurers has been satisfactory even in the face of withdrawal of the guaranteed schemes, as the insurers grapple with the returns on investments coming under strain. The evolving market conditions in which the industry is operating are continuously throwing up fresh challenges, and the regulatory framework has also striven to keep up with the times, by framing regulations which reflect the Authority's intent to support the ongoing process of liberalisation of the environment in which the insurers and various intermediaries operate. The Authority has striven to be particularly responsive to the needs of the industry to grow at a fast pace. Possibly, the pace of evolution of the regulatory mechanism in the last three years in the country is globally unmatched.

While the development of the insurance industry has been the prime focus for the Authority, it has been equally pre-occupied with issues such as consumer protection, provision of quality services to the policyholder and with the resolution of their grievances. The process of liberalisation, it would be recalled was also initiated to achieve a higher level of insurance penetration. This it was perceived could be jointly achieved by both the industry and the regulator making a concerted effort at educating the prospective customer of the benefits of insurance. Thus, with the initiatives pertaining to setting up the framework within which the industry is operating in place, today the focus has shifted to development of the insurance business on healthy lines and the benefits of the growth of the industry penetrating a wider segment of the economy, in particular providing cover to the under privileged and the weaker segments and reaching the rural and the semi-urban areas.



The significant and far reaching changes in the interest rates regime in the economy, which too have been a witness to deregulation, have impacted the returns of the insurers, and have affected the profitability of those insurers who are holding guaranteed liabilities on their balance sheets, although some part of these liabilities have been balanced by the long term investments held by them. However, today lucrative long term investment opportunities are just not available. While the insurers have to re-orient their portfolios to the changed circumstances, the avenues for accomplishing the same are rather limited. Recently, with a view to facilitating steps in this direction the Authority has also reviewed and amended the existing regulations on investments, which were necessitated due to the changes which have occurred in the investment environment in the country. Although deregulation of interest rates has helped in making financial market operations efficient and cost effective, the same has led to considerable volatility in the market resulting in a wide array of risks for insurance companies. To manage and control these risks, the Authority is in the process of allowing investment in appropriate financial instruments such as derivatives.

The high rates of lapsation of policies is an area of concern to the Authority. While the customer needs to be educated that replacement of policies is generally not in his interest, on the other hand such lapsations also impact the profitability of the insurer. Proper and adequate disclosures, along with the positive approach of the agents while rendering advise to customer should go a long way in rectifying this problem. It is in this context that the quality of agent force is repeatedly emphasised by the Authority.

The problem of rebating, in both the life and the non-life sectors has been engaging the attention of the Authority for quite a while. The Authority, as part of the advertisement campaign launched by it, has been creating awareness that rebating was an offence, and insurers need to strengthen their self regulatory mechanism in this regard. Issues of market conduct of both the insurers and the intermediaries are a matter of concern. Insurers would need to evolve methods of self regulation both at the corporate level and collectively through their Councils.

The insurers need to chalk out strategies to ensure that their operating expenses are kept within the prescribed limits. While in the case of the new players, these limits may be breached in the initial years of their operations, managements have to keep an eye on their expenses and draw up plans to bring them down. This is particularly pertinent in the context of the opening up of the market to increasing competition and the investment income continuing to move southwards on account of the declining interest rate regime. In the case of the public sector insurers, reducing the existing operating expenses would also be crucial in their strategy to compete with the lean private players.

Inadequate penetration of health insurance in the country, and scientific pricing of the health insurance products are engaging the attention of the Authority. The health insurance products offered by the insurance players in the country are restrictive, costly and their administration is not very sound. The innovative content has yet to touch this particular segment of the industry in a significant way. There is no element of risk differentiation in the pricing of the products offered. The databases are tardy and there are no benchmarks and standards to ensure that the required quality of service is rendered and that the pricing of the medical services is reasonable. Building up adequate databases has to be a priority.

Meeting the obligations towards the rural and social sectors, and taking these obligations beyond the context of the statutory compliance is important. Business statistics furnished by the insurers reveal that the insurance companies are somehow making an effort to meet the targets as a year end annual obligation. With the changing profile of the populace in the rural and semi urban areas, there is tremendous potential for selling insurance beyond the urban areas. This has been adequately demonstrated by the manufacturing sectors, with their targeted marketing strategy. The experience needs to be duplicated in the insurance sector as well. There are lessons to be drawn from the success stories, as has been demonstrated by the surveys/studies conducted.

Corporates worldwide are moving towards additional disclosures to prevent the management from committing



financial improprieties. Both within the country and abroad, the disclosure requirements are being increasingly made more stringent, and heavy penalties for financial improprieties being imposed. Corporate governance and transparency in operations are engaging the attention of regulators worldwide. The insurance industry, as a self regulatory mechanism, needs to evolve sound corporate governance practices, and move towards periodic disclosures, be it on quarterly or half yearly basis.

The insurance industry has shown a steady rate of growth over the last three years following the opening up of the sector and the advent of private sector participation. The prospects for the industry, as a whole, are bright. While tremendous progress has been made, it is premature to rest on the laurels. The insurers most certainly have to look beyond capturing market shares, and have to speak the language of quality of service rendered and the extent of transparency in their operations to build up the faith and trust in the fledgling, at least in the liberalised context, industry.



ANNEXURE - I

REGULATIONS FRAMED UNDER IRDA ACT, 1999

Sl.No.	Name of the Notification	Date of Publication
1.	(1) IRDA (Members of Insurance Advisory Committee)	May 24, 2000
2.	(2) IRDA (Appointment of Insurance Advisory Committee) Regulations, 2000	June 16, 2000
3.	(3) IRDA (The Insurance Advisory Committee) (Meeting) Regulations, 2000	July 19, 2000
4.	(4) IRDA (Appointed Actuary) Regulations, 2000	July 19, 2000
5.	(5) IRDA (Actuarial Report and Abstract) Regulations, 2000	July 19, 2000
6.	(6) IRDA (Licensing of Insurance Agents) Regulations, 2000	July 19, 2000
7.	(7) IRDA (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Insurers Regulations, 2000	July 19, 2000
8.	(8) IRDA (General Insurance-Reinsurance) Regulations, 2000	July 19, 2000
9.	(9) IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000	July 19, 2000
10.	(10) IRDA (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2000	July 19, 2000
11.	(11) IRDA (Obligations of Insurers to Rural or Social Sector) Regulations, 2000	July 19, 2000
12.	(12) IRDA (Meetings) Regulations, 2000	July 19, 2000
13.	(13) IRDA (Investment) Regulations, 2000	Aug 16, 2000
14.	(14) IRDA (Conditions of service of Officers and other Employees) Regulations, 2000	Aug 29, 2000
15.	(15) IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct)) Regulations, 2000	Nov 24, 2000
16.	(16) IRDA (Life-Insurance Reinsurance) Regulations, 2000	Dec 23, 2000
17.	(17) IRDA (Investment) (Amendment) Regulations, 2001	May 31, 2001
18.	(18) IRDA (Third Party Administrators-Health Services) Regulations, 2001	Sep 17, 2001
19.	(19) IRDA (Re-Insurance Advisory Committee) Regulations, 2001	Jan 8, 2002
20.	(20) IRDA (Investments) (Amendment) Regulations, 2002	April 2, 2002
21.	(21) IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002	April 2, 2002
22.	(22) IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002	April 30, 2002
23.	(23) IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2002	Oct 17, 2002
24.	(24) IRDA (Obligations of Insurers to Rural or Social Sector) Regulations, 2002	Oct 17, 2002
25.	(25) IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002	Oct 17, 2002
26.	(26) IRDA (Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations, 2002	Oct 17, 2002
27.	(27) IRDA (Protection of Policyholders' Interests) (Amendment) Regulations, 2002	Oct 17, 2002
28.	(28) IRDA (Manner of Receipt of Premium) Regulations, 2002	Oct 17, 2002
29.	(29) IRDA (Distribution of Surplus) Regulations, 2002	Dec 14, 2002
30.	(30) IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2003	March 7, 2003



ANNEXURE - II

EXEMPTED INSURERS

Sl. No.	Name of Company
1.	Gujarat Insurance Fund
2.	M.P. State Crop Insurance
3.	Daman & Diu Crop Insurance Fund
4.	Dadra & Nagar Haveli Crop Insurance
5.	Kerala State Insurance Department
6.	Karnataka Govt. Insurance Department
7.	Tamil Nadu Crop Insurance Fund
8.	Pondichery Crop Insurance Fund
9.	Karnataka Govt. Crop Insurance Fund
10.	A.P. State Crop Insurance
11.	Rajasthan State Insurance Fund
12.	Delhi State Crop Insurance Fund
13.	Haryana State Crop Insurance Fund
14.	H.P. State Crop Insurance
15.	U.P. Crop Insurance Fund
16.	Rajasthan State Crop Insurance Fund
17.	CHNHB Association
18.	West Bengal Crop Insurance Fund
19.	Orissa State Crop Insurance Fund
20.	Bihar Crop Insurance
21.	Tripura Crop Insurance
22.	Assam State Crop Insurance
23.	Meghalaya State Crop Insurance Fund
24.	Manipur State Crop Insurance Fund
25.	Andaman & Nicobar Administration Crop Insurance Fund
26.	Maharashtra State Crop Insurance Fund
27.	Maharashtra Govt. Insurance Fund
28.	Goa State Crop Insurance

ANNEXURE - III

DISTRIBUTION CHANNEL STATISTICS FOR AGENTS 31ST MARCH, 2003

Insurer	Individual Agents		Corporate Agents		Total	
	New	Renewal	New	Renewal	New	Renewal
Life Insurer						
Allianz Bajaj Life Insurance Co. Ltd.	14,157		45		14,202	
ING Vysya Life Insurance Co. Pvt. Ltd.	3,906		8		3,914	
AMP Sanmar Insurance Co. Ltd.	1,599		9		1,608	
SBI Life Insurance Company Limited	2,218		6		2,224	
TATA-AIG Life Insurance Company Ltd.	15,451		108		15,559	
HDFC Standard Life Insurance Co Ltd.	11,237		75		11,312	
ICICI Prudential Life Insurance	23,820	5	133	3	23,953	8
Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	6,175	4	139		6,314	4
Aviva Life Insurance Co India Pvt. Ltd.	1,868		2		1,870	
Om Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	3,730		55		3,785	
Max New York Life Insurance Co. Ltd.	5,766	7	4		5,770	7
Metlife India Insurance Co. Pvt. Ltd.	1,453	1	10		1,463	1
Life Insurance Corporation of India	479,027	468,378	159	1	479,186	468,379
Sub Total	570,407	468,395	753	4	571,160	468,399
NON-LIFE INSURER						
Royal Sundaram Alliance Insurance Co. Ltd.	207	4	12	3	219	7
TATA-AIG General Insurance Company Ltd.	670	3	137		807	3
Reliance General Insurance Company Ltd.	215	12	33		248	12
IFFCO-TOKIO General Insurance Co. Ltd.	321	31	32		353	31
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	724	1	2		726	1
Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	921	24	45		966	24
HDFC Chubb General Insurance Company Ltd.	12	2			12	2
Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	182	1	15		197	1
The New India Assurance Co. Ltd.	6,520	14,111	26	9	6,546	14,120
National Insurance Co. Ltd.	7,651	11,544	38	11	7,689	11,555
United India Insurance Co. Ltd.	6,015	10,218	32	15	6,047	10,233
The Oriental Insurance Co. Ltd.	4,712	10,031	26	7	4,738	10,038
Sub Total	28,150	45,982	398	45	28,548	46,027
Grand Total	598,557	514,377	1,151	49	599,708	514,426



ANNEXURE - IV

DISTRIBUTION CHANNEL STATISTICS FOR AGENTS 31ST MARCH, 2003 – URBAN & RURAL

Insurer	Urban	Rural
Life Insurer		
Allianz Bajaj Life Insurance Co. Ltd.	13,632	570
ING Vysya Life Insurance Co. Pvt. Ltd.	3,870	44
AMP Sanmar Insurance Co. Ltd.	1,282	326
SBI Life Insurance Company Limited	2,152	72
TATA-AIG Life Insurance Company Ltd.	15,539	20
HDFC Standard Life Insurance Co Ltd.	10,803	509
ICICI Prudential Life Insurance	23,619	342
Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	6,233	85
Aviva Life Insurance Co India Pvt. Ltd.	1,566	304
Om Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	3,426	359
Max New York Life Insurance Co. Ltd.	5,735	42
Metlife India Insurance Co. Pvt. Ltd.	1,447	17
Life Insurance Corporation of India	468,133	479,432
Sub Total	557,437	482,122
Non-life Insurer		
Royal Sundaram Alliance Insurance Co Ltd.	201	25
TATA-AIG General Insurance Company Ltd	769	41
Reliance General Insurance Company Ltd.	256	4
IFFCO-TOKIO General Insurance Co. Ltd.	343	41
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	580	147
Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	898	92
HDFC Chubb General Insurance Company Ltd.	13	1
Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	190	8
The New India Assurance Co. Ltd.	15,259	5,407
National Insurance Co. Ltd.	14,410	4,834
United India Insurance Co. Ltd.	11,002	5,278
The Oriental Insurance Co. Ltd.	11,502	3,274
Sub Total	55,423	19,152
Grand Total	612,860	501,274



ANNEXURE - V

THIRD PARTY ADMINISTRATORS - HEALTH SERVICES

Sl. No.	Company	Contact Person / Address	Telephone No.	Fax No.
1	Dawn Services Pvt. Ltd. (License No. 001)	Dr. R. Suresh Kumar Managing Director & CEO Plot No. 37, Santoshima Colony West Marredpally Secunderabad - 500 026 E-Mail:dawnservices@rediffmail.com	7808810 7808809 7808974	040-7801813
2	Parekh Health Management (Pvt.) Ltd. (License No. 002)	Mr. Nimish R. Parekh, Chief Executive Officer, The Forum, 2 nd Floor, Raghuvanshi Mills Compound, 11/12, Senapati Bapat Marg, Mahalakshmi Mumbai – 400 013	4611022 /3/4	022-4611021
3	Medi Assist India Pvt. Ltd. (License No. 003)	Mr. Ganesh Subramaniam Director 4/1, Devaiah Court, 1 st Floor, 22 nd Cross, Jayanagar, 3 rd Block, Bangalore – 560 011	080-6538790/91/92	080-6538793
4	Guardian Health Management Pvt. Ltd. (License No. 004)	Dr. Olinda Timms Managing Director & CEO Ground Floor, KSCMF Bldg. No. 8, Cunningham Road, Bangalore - 560 052	2204643 2265744	
5	MD India Healthcare Services (Pvt.) Ltd. (License No. 005)	Mr. Brij Sharma Chief Executive Officer, 261/2/7, Silver Oak Park, Baner Road, Pune – 411 045	020-7292040 – 43	
6	Paramount Health Services Pvt. Ltd. (License No. 006)	Dr. Nayan Shah, Managing Director 81, Barodawala Mansion, Dr. Annie Besant Road, Worli Naka, Mumbai – 400 018 E-mail: phm@vsnl.com	022-4620800	022-24985507/08
7	E Meditek Solutions Ltd. (License No. 007)	Mr. Gopal Verma Managing Director 45, Nathupur Road, DLF Phase – III , Gurgaon Contactus@emeditek.com	0124-25062068-70	0124-25062071



Sl. No.	Company	Contact Person / Address	Telephone No.	Fax No.
8	Heritage Health Services Pvt. Ltd. (License No. 008)	Mr. S. K. Bajoria Director McLeod House, 3, Netaji Subhash Road, Kolkata – 700 001 E-mail: heritage_health@bajoria.com	033-22482411	033-22480482
9	Universal Medi-Aid Services Ltd. (License No. 009)	Mr. G. P. Sureka Chief Executive Officer 1104, Akashdeep, 26A, Barakhamba Road, New Delhi – 110001 E-Mail: info@umsltpa.com	011-51515197-99	011-2332 0101
10	Medicare Foundation Pvt. Ltd. (License No. 010)	Dr. Ajoy Estiberio Chief Administrative Officer 1120, Housing Board Colony Porvorim, Alto Betim, Goa – 403 521 E-mail: helpdesk@medicarefoundation.com	0832-414006	0832-414007
11	Tower Insurance Services Pvt. Ltd. (License No. 011)	Ms. Manju Sawhney Mahindra Chairman 519 Maker Chamber V, Nariman Point, Mumbai – 400 021	022-22844364 56338492/97/98 2835359	022-22040032
12	Medicare TPA Services (I) Pvt. Ltd. (License No. 012)	Brig D J Ghoshal (Rtd) Director Flat No 10, Paul Mansions 6, Bishop Lefroy Road, Kolkata - 700 020. E-mail: medicaretpa@rediffmail.com	033-2873385 Helpline: 9830060861	
13	Family Health Plan Ltd. (License No. 013)	Mr. A. P. V. Reddy Chief Executive Officer Aditya JR Towers, 8-2-120/86/9 A & B 3 rd & 4 th Floor, Road No. 2, Banjara Hills Hyderabad – 500 034	040 – 23556464 Toll Free No. : 040-23556464 040-23556262	040 – 23556262
14	ICAN Health Services Pvt. Ltd. (License No. 014)	Mr. Thomas Mathew Executive Director A-9/2, Meera Nagar, Koregaon Park Pune – 411 001.	020-4001171,2,3	020-4001171,2,3
15	Raksha TPA Pvt. Ltd. (License No. 015)	Mr. Pawan Bhalla Chief Executive Director 15/5, Mathura Road Faridabad – 121 003, Haryana	0129 2250000 2250001 5046822 Mob.: 9810009517 Toll Free No. : 1600 12 1444	0129 2250002



S. No.	Company	Contact Person / Address	Telephone No.	Fax No.
16	TTK Healthcare Services Private Limited (License No. 016)	Mr. Girish Rao Managing Director #7, Jeevan Bhima Nagar Main Road, HAL 3 rd Stage, Bangalore – 560 075. E-mail: care@ttkhealthcareservices.com	080-51155030 51155031	080- 5115032
17	Anyuta Medinet Healthcare Pvt. Ltd. (License No. 017)	Dr. N. Ravindra Shetty Director 65, Lavelle Road, 4 th Cross Bangalore – 560 001. E-mail: anyutamedinet@hotmail.com	080-2214766 2210205 (M)-9845010136	
18	East West Assist Pvt. Ltd. (License No. 018)	Dr. N. P. S. Chawla Managing Director 37, Prithviraj Road New Delhi – 110 011. E-mail: assistance@eastwestassist.com	011- 24699229 24623738	011-24694696
19	Med Save Health Care Ltd. (License No. 019)	Mr. Rajan Subramaniam Chief Executive Officer F-701A Lado Sarai, Behind Golf Course, New Delhi – 110 030	011-26611061-66 Toll Free No. : 1600111142	011-26611067
20	Genins India Ltd. (License No. 020)	Mr. Rakesh Kapoor Managing Director 41, Arun Vihar, Sector – 37 NOIDA - 201 303.	24430329/139/0114	24430064
21	Alankit Healthcare Pvt. Ltd. (License No. 021)	Mr. Alok Kumar Aggarwal Director 234, DDA Office Complex Jhandewalan Extension New Delhi – 110055. E-mail: health@alankit.com	23540641 23614186	Fax (Corp. Off.) : 011-23680881 23552001
22	Bhaichand Amoluk Insurance Services Private Ltd. (License No. 022)	Mr. Felix Walder CEO Commercial Union House, 2 nd Floor, 9 Wallace Street, Fort Mumbai – 400 001. E-mail: bhamoluk2@vsnl.com	022-22077212 22077213 22077214 22070916	022-22073204
23	Good Healthplan Limited (License No. 023)	Mr. M. Venkateswarlu Chief Executive Officer #112, Maruthi Apartments, Rajbhavan Road, Somajiguda Hyderabad – 500 082. E-mail: ghpl@sify.com	040 – 5582 5003	040 – 5582 8081



ANNEXURE - VI

NUMBER OF LICENSES GRANTED TO BROKERS : STATEWISE DATA

STATE/CITY	NO. OF LICENSES GRANTED (2002-03)
Maharashtra	Composite 8 + Reinsurance 4 + Direct 5 = 17
Mumbai	15
Pune	2
Andhra Pradesh	1 Composite + 6 Direct = 7
Hyderabad	7
New Delhi	1 Composite + 5 Direct = 6
Gujarat	Direct 1
Rajkot	1
Kerala	Direct 1
Tamil Nadu	1 Composite + 5 Direct = 6
Chennai	6
West Bengal	1 Composite + 1 Direct = 2
Kolkata	2

Total number of licenses granted :

1. Composite	=	12
2. Reinsurance	=	4
3. Direct	=	24
Total	=	40

As on 31st October, 2003, the total number of licenses granted is 125.

ANNEXURE - VII

INSURANCE BROKERS

Further to notice dated 30th January, 2003 the Authority, in terms of the provisions of the Insurance Regulatory & Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2002; Insurance Act, 1938; and Insurance Regulatory & Development Authority Act, 1999, has issued Insurance Broker Licenses to the following companies during the financial year 2002-03:

Cert. No.	License Code No.	Name of the Broker	Address	Phone No.	Nature of License	Principal Officer	Period of license
101	DB-001/ 02	India Insure Risk Management Services Pvt. Ltd.	Flat No.-405, IV Floor, Archana Arcade, St. John's Road, Secunderabad 500 025.	(040)7822994/ 7822990	Direct(General only)	V. Ramakrishna	30/1/2003 to 29/1/2006
102	DB-005/ 02	ACME Insurance Services P. Ltd.	3 A, 3rd floor, Jamals, 17 Jagannathan Road, Nungambakkam, Chennai 600 034.	(044)28240520/ 28240521	Direct	I. Vikram	30/1/2003 to 29/1/2006
103	DB-009/ 02	Armour Consultants Private Ltd.	No. 2-A, Prakasam Road, II Floor, T. Nagar, Chennai 600 017.	(044) 52121900	Direct	S.P. Raghunathan, FII	30/1/2003 to 29/1/2006
104	CB-013/ 02	TTK Insurance Services Private Ltd.	1-1—782/ B/ 5, Gandhi Nagar, Hyderabad 500 080.	(040)27645070/ 27612232	Composite	T. Naryana Rao	30/1/2003 to 29/1/2006
105	DB-014/ 02	Helios Insurance Services Pvt. Ltd.	#302, Lotus Plaza, Street No. 11, Himmayat Nagar, Hyderabad 500 029.	(040)27765755/ 27634553	Direct	Dr. C.V. Ramana Reddy	30/1/2003 to 29/1/2006
106	DB-020/ 02	FIRST POLICY Insurance Advisors Pvt. Ltd.	Elpro Compound, Chinchwad, Pune 411 03.	(020)24103410/ 27471458	Direct	Ashok Jain	30/1/2003 to 29/1/2006
107	DB-026/ 02	Excellent Insurance Broking Services Ltd.	8-3-961/B, Srinagar Colony, Hyderabad 500 073.	(040)23752536/ 23752537	Direct	Dr. K. Muralidhara Reddy	30/1/2003 to 29/1/2006
108	CB-024/ 02	K.M. Dastur Reinsurance Brokers Pvt. Ltd.	Cambata Building, 42 Maharishi Karve Road, Mumbai 400 020.	(022)22855855	Composite	Purshottam Reddy	30/1/2003 to 29/1/2006
110	DB-004/ 02	Unicorn Insurance Brokers Pvt. Ltd.	A-211, Shivalik Enclave, Malviya Nagar, New Delhi 110 017.	(011) 6681890/ 26682213	Direct	Ashok K. Sharma	30/1/2003 to 29/1/2006



Cert. No.	License Code No.	Name of the Broker	Address	Phone No.	Nature of License	Principal Officer	Period of license
111	CB-022/02	Tower Insurance & Reinsurance Services (India) Pvt. Ltd.	519, Maker Chambers V, Nariman Point, Mumbai 400 021.	(022)22844364/ 22835359	Composite	S.B. Pendharkar	30/1/2003 to 29/1/2006
112	DB-041/02	Best Insurance Services Pvt. Ltd.	36/2, Thambia Road, West Mambalam, Chennai - 33.	(044)56106497/ (0435) 2422357	Direct	Mr. K. S. Umamathy	13.2.03 to 12.2.06
113	CB-011/02	Suprakesh General Insurance Services & Brokers Ltd.	6M, 6th Floor, Century Plaza, 560-562, Mount Road, Teynapet, Chennai-600 018.	(044)24348129/24348130	Composite	P.V. Rathinabhan	18.2.03 to 17.2.06
114	CB-010/02	Heritage Finance & Trust (India) Pvt. Ltd.	McLeod House, 3 Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001.	(033)22482411	Composite	R.M. Solanki	18.2.03 to 17.2.06
115	CB-028/02	Mankad & Associates Ins. Services Pvt. Ltd.	809, Raheja Centre, 8th Floor, Free Press Journal Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021.	(022)22885803-4/ 22856369	Composite	K.S. Mankad	18.2.03 to 17.2.06
116	DB-037/02	LMB Ins. Brokers Pvt. Ltd.	Insurance Park, T.C. 12/133, Pushpa Vihar, Opp. Quilon Radio Service, Plamoodu, Pattom PO. Trivandrum-695 004.	(0471) 2303620	Direct	Dr.(Mrs.) Jayasree Vallabhan	18.2.03 to 17.2.06
117	DB-035/02	A&M Ins. Brokers Pvt. Ltd.	903, Vikrant Tower, Rajindra Place, New Delhi-110 008.	(011) 25713136	Direct	Manisha Mahajan	18.2.03 to 17.2.06
118	CB-033/02	Pioneer Insurance Services Pvt Ltd.	1219 Maker Chambers V, Nariman Point Mumbai 400 021.	(022) 22021171	Composite	Ashok Dalvie	24.02.03 to 23.02.06
119	CB-052/02	Aon Global Insurance Services Pvt. Ltd.	Greesham Assurance House, 4th Floor, Sir P.M. Road, Mumbai 400 001.	(022) 22660771/ 56308731	Composite	Neil Mathews	3.3.03 to 2.3.06
120	CB-023/02	Marsh India Pvt. Ltd.	Essar House, 8th Floor, 11 Keshav Rao Khadye Marg, Mahalaxmi, Mumbai 400 034.	(022) 24954675	Composite	Sanjay Kedia	3.3.03 to 2.3.06
121	RB-039/02	Mathrawala & Sons (Brokers) Pvt. Ltd.	Suite No. 3 & 4, 3rd Floor, Bombay Mutual Building, P.M. Road, Mumbai 400 001.	(022) 22614513/ 22661766	Reinsurance	B.P. Mathrawala	3.3.03 to 2.3.06



Cert. No.	License Code No.	Name of the Broker	Address	Phone No.	Nature of License	Principal Officer	Period of license
122	RB-034/02	M.B. Boda Reinsurance Brokers Pvt.Ltd.	134-136/ C, Mittal Court, 13th Floor, C-Wing, Nariman Point, Mumbai 400 021.	(022) 22043894/ 22875836	Reinsurance	Ketan M.Boda	3.3.03 to 2.3.06
123	DB-019/02	Chawla & Associates Insurance Services Pvt. Ltd.	"Kamalja" 1306, Shivaji Nagar, Off J.M. Road, Pune 411 005.	(020) 5534961 / 5444561	Direct	T.R. Balan	3.3.03 to 2.3.06
124	DB-092/03	Strategic Ins. Services Pvt. Ltd.	604, Riviera Apartments, Dwarakapuri Colony, Near Model House Lane, Punjagutta, Hyderabad-500 082.	(040) 55669419/ 23371796	Direct (General only)	A. Murali Mukund	3.3.03 to 2.3.06
125	DB-016/02	Alankit Insurance Services Ltd.	205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Ext., New Delhi-55.	(011) 23611846-50, 23610220-24	Direct	Arun Gupta	3.3.03 to 2.3.06
126	DB-006/02	Alegion Insurance Services Ltd.	#50, 1st Floor, Kasturi Ranga Road, Alwarpet, Chennai-18.	(044) 4983059, 4980152,	Direct (General only)	N. Raveendran	3.3.03 to 2.3.06
127	DB-070/03	Kadel Insurance Services Pvt. Ltd.	402, 4th Floor, Mugul Apartments, Deccan Towers, Basheer Bagh, Hyderabad 500 029.	(040)23237563, 23296634,	Direct(General only)	Sohanlal Kadel	3.3.03 to 2.3.06
128	DB-072/03	MFL Insurance Services Pvt. Ltd.	402, M.G.R. Estates, Panjagutta, Hyderabad-500 082.	(040) 55668679, 55638679	Direct	M.Srinivas Reddi	3.3.03 to 2.3.06
129	RB-036/02	PRMAN Reinsurance Brokers Pvt. Ltd.	113, Bhaveshwar Complex, Near Vidyavihar Railway Station, Vidyavihar(W), Mumbai-400 086.	(022)25140564	Reinsurance	J.H. Parekh	10.3.03 to 9.3.06
130	DB-029/02	S & S General Insurance Professionals of (India) Ltd.	(Old No. 19), New No. 52, North Crescent Road, T. Nagar, Chennai 600 017.	(044) 28156813	Direct(General only)	U. Singaravelu	10.3.03 to 9.3.06
131	DB-062/03	Rajkot Insurance Services Pvt. Ltd.	201, Arlhan Plaza, Subhash Road, New "Moti" Tanki Chowki, Rajkot 360 001.	(0281)2480825-26	Direct	Toral G. Upadhyay	11.3.03 to 10.3.06



Cert. No.	License Code No.	Name of the Broker	Address	Phone No.	Nature of License	Principal Officer	Period of license
132	DB-082/03	Imperial Insurance Brokers Pvt. Ltd.	S-34, Greater Kailash Part II, New Delhi 110 048.	(011) 51619692/ 51619693	Direct	Ms. Jatinder Mehta	11.3.03 to 10.3.06
133	RB-050/03	J.B. Boda Reinsurance Brokers Pvt.Ltd.	Maker Bhavan No. 1, Sir V.T. Marg, Mumbai 400 020.	(022)56314901/ 56314949	Reinsurance	K.L. Naik	17.3.03 to 16.3.06
134	DB-046/02	Microsec Risk Management Ltd.	Azimganj House, 2nd Floor, 7 Camac Street, Kolkata-700 017.	(033)22829330	Direct	Nirmal Bazaz	20.3.03 to 19.3.06
135	CB-082/03	Corporate Risks India Pvt. Ltd.	AM-PRO House, B11, Saket, New Delhi 110 017.	(011) 26537358/2653735/ 26529160	Composite	Smita Bharagava	20.3.03 to 19.3.06
136	CB-131/03	Willis BA Pvt. Ltd.	Commercial Union House, 2nd Floor, 9 Wallace Street, Fort, Mumbai-400 001.	(022) 22819750/51	Composite	Mohamed Rayees	3.4.03 to 2.4.06
137	DB-048/02	Dossa Insurance Services Ltd.	Nanabhai Mansion, 4th Floor, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai-400 001.	(022) 22664773/22663060	Direct(General only)	M.B. Nagda	1.4.03 to 31.3.06
138	DB-067/03	Protect Insurance Services (India) Pvt. Ltd.	1007 Raheja Centre, Nariman Point, Mumbai-400 021.	(022)220411 40	Direct	Sunil Talwar	1.4.03 to 31.3.06
139	DB-100/03	Embee Ins. Brokers Ltd.	SCO-11116-17, Sector 22-B, Chandigarh.	(0172) 386551/ 386552/	Direct(General only)	Sudhir Kumar Jain	1.4.03 to 31.3.06
140	CB-002/ 02	PAN Insurance Brokerage Co. Pvt. Ltd.	Transmission House, Marol Coop Ind Estate, Plot No. 6/19, Compartment No. 82, Marol, Andheri (East), Mumbai 400 059.	(022)26934900/ 26935900	Composite	Dilip Munshi	1.4.2003 to 29.1.2006
145	DB-061/03	EMEDLIFE Insurance Broking Services Ltd.	15A, 15 th Floor, Atma Ram House, 1, Tolstoy Marg, New Delhi - 110 001.	(011)23320613, 23737379	Direct	Amit Srivastava	31.3.03 to 30.3.06

ANNEXURE - VIII(a)

PERFORMANCE OF OMBUDSMEN AT DIFFERENT CENTRES COMPLAINTS DISPOSAL FOR THE PERIOD ENDING 31ST MARCH, 2003 - LIFE


Ombud Centres	Total No. of Complaints	No. of complaints disposed of by way of						Total Camplains	Durationwise disposal of complaints				Durationwise outstanding complaints			
		R'da-tions	Awa-rds	With-drawal/settle-ment	Non-accept-ance	Dis-missal	Non-entert-ainable		in 1 mth.	in 1 to 3 mth.	after 3 mth.	Total	less than 1mth.	1 to 3 mth.	more than 3 mth.	Total
Ahmedabad	68	0	15	7	0	26	3	51	9	13	29	51	2	8	7	17
Bhopal	235	0	14	94	0	38	8	154	2	39	113	154	11	23	47	81
Bhubaneshwar	105	1	0	45	0	10	28	84	39	16	29	84	5	10	6	21
Chandigarh	131	0	6	63	0	5	27	101	40	52	9	101	18	6	6	30
	2	0		2	0	0	0	2		2		2				
Chennai	288	0	3	6	0	19	234	262	236	26	0	262	8	15	3	26
Delhi	340	112	70	2	4	10	16	214	14	45	155	214	55	39	32	126
Guwahati	88	25	49	1	0		6	81	19	54	8	81	5	2	0	7
Hyderabad	137	0	38	3	0	28	33	102	45	48	9	102	20	10	5	35
Kochi	62		10	2		21	24	57	24	33	0	57	1	4	0	5
Kolkata	443	104	0	198		0	6	308	16	99	193	308	25	47	63	135
Lucknow	312	4	19	132	9	30	59	253	162	72	19	253	24	20	15	59
Mumbai	270	0	133	39		1	75	248	81	71	96	248	11	9	2	22
Total	2481	246	357	594	13	188	519	1917	687	570	660	1917	185	193	186	564



ANNEXURE - VIII(b)

PERFORMANCE OF OMBUDSMEN AT DIFFERENT CENTRES COMPLAINTS DISPOSAL FOR THE PERIOD ENDING 31ST MARCH, 2003 - NON-LIFE

Ombud Centres	Total No. of Com-plaints	No. of complaints disposed of by way of						Total Complaints	Durationwise disposal of complaints				Durationwise outstanding complaints			
		R'da-tions	Awa-rds	With-drawal/settle-ment	Non-accept-ance	Dis-missal	Non-entert-ainable		in 1 mth.	in 1 to 3 mth.	after 3 mth.	Total	less than 1mth.	1 to 3 mth.	more than 3 mth.	Total
Ahmedabad	316	2	74	38		40	24	178	20	38	120	178	18	28	92	138
Bhopal	457	34		41		56	22	153	3	8	142	153	21	23	260	304
Bhubaneshwar	262	108		26		54	19	207	28	44	135	207	17	25	13	55
Chandigarh	173	5	30	40		33	33	141	31	66	44	141	7	10	15	32
Chennai	293		67	25		36	88	216	99	79	38	216	24	28	25	77
Delhi	474	66	147	11	1	95	86	406	68	78	260	406	48	12	8	68
Guwahati	91	9	50		2		10	71	12	52	7	71	13	7		20
Hyderabad	273	4	78			28	112	222	1	191	30	222	7	21	23	51
Kochi	161		43	1		33	46	123	49	70	4	123	14	18	6	38
Kolkata	538	168	1	51		18	7	245	32	123	90	245	34	138	121	293
Lucknow	189	11	32	51		11	29	134	57	49	28	134	19	14	22	55
Mumbai	671		158	129		24	90	401	97	71	233	401	31	137	102	270
Total	3898	407	680	413	3	428	566	2497	497	869	1131	2497	253	461	687	1401



ANNEXURE - VIII (c)

**PERFORMANCE OF OMBUDSMEN AT DIFFERENT CENTRES
COMPLAINTS DISPOSAL FOR THE PERIOD ENDING 31ST MARCH, 2003
(SUMMARY — LIFE & NON-LIFE COMBINED)**

Ombud Centres	Total No. of Complaints	No. of complaints disposed of by way of						Total Complaints	Durationwise disposal of complaints				Durationwise outstanding complaints			
		R'da-tions	Awa-rds	With-drawal/settle-ment	Non-accept-ance	Dis-missal	Non-entert-ainable		in 1 mth.	in 1 to 3 mth.	after 3 mth.	Total	less than 1mth.	1 to 3 mth.	more than 3 mth.	Total
Ahmedabad	384	2	89	45	0	66	27	229	29	51	149	229	20	36	99	155
Bhopal	692	34	14	135	0	94	30	307	5	47	255	307	32	46	307	385
Bhubaneshwar	367	109	0	71	0	64	47	291	67	60	164	291	22	35	19	76
Chandigarh	306	5	36	105	0	38	60	244	71	120	53	244	25	16	21	62
Chennai	581	0	70	31	0	55	322	478	335	105	38	478	32	43	28	103
Delhi	814	178	217	13	5	105	102	620	82	123	415	620	103	51	40	194
Guwahati	179	34	99	1	2	0	16	152	31	106	15	152	18	9	0	27
Hyderabad	410	4	116	3	0	56	145	324	46	239	39	324	27	31	28	86
Kochi	223	0	53	3	0	54	70	180	73	103	4	180	15	22	6	43
Kolkata	981	272	1	249	0	18	13	553	48	222	283	553	59	185	184	428
Lucknow	501	15	51	183	9	41	88	387	219	121	47	387	43	34	37	114
Mumbai	941	0	291	168	0	25	165	649	178	142	329	649	42	146	104	292
Total	6379	653	1037	1007	16	616	1085	4414	1184	1439	1791	4414	438	654	873	1965



ANNEXURE - IX

INSURANCE ADVISORY COMMITTEE MEMBERS

As per the Notification dated: 23rd May, 2000 the following persons were appointed as members of the Insurance Advisory Committee, with effect from 1st June, 2000:

1. Mr. V. S. Vyas, Jaipur
2. Mrs. Pushpa Girimaji, New Delhi
3. Mr. A. C. Mukherjee, Kolkata
4. Mr. T. S. Vishwanath, FCA, New Delhi
5. Dr. D. N. Buragohain, Ex-Director, IIT, Guwahati
6. Mr. C.N.S. Shastri, Puttaparthi (Andhra Pradesh)
7. Mr. S. V. Mony, Chennai
8. Chairman, LIC of India, Mumbai
9. Chairman, GIC
10. The Director, NIA Pune
11. The Director, IIM Bangalore
12. Mr. S.P. Subhedar, Actuary, Mumbai
13. Mr. Dipak Dutta, Bengal Chamber of Commerce, Kolkata
14. Mrs. Ela Bhat, SEWA, Ahmedabad
15. Mr. T. Ramanan, Mumbai
16. Mr. Fali Poncha, Mumbai
17. Mr. Saumil Mehta, Surveyor, Mumbai
18. Mr. A. K. Tyagi, General Secretary, NFIFW, Lucknow
19. Mr. John Koshy, Agent, Cochin
20. Mr. D. Varadarajan, Advocate, New Delhi
21. The Director, Central Road Research Institute, Pune
22. The Vice Chancellor, Punjab Agricultural University, Ludhiana
23. Mr. Liyaquat Khan, Lucknow
24. Mr. A. K. Venkatsubramanian, IAS Retd., Former Secretary, Deptt. of Consumer Affairs, Govt. of India
25. Mr. V. K. Bhasin, Joint Secretary, Ministry of Law, New Delhi

ANNEXURE - X

FEE STRUCTURE FOR INSURERS AND VARIOUS INTERMEDIARIES

		Processing Fee	Registration Fee	Renewal Fee	Periodicity of Renewal	
1.	Insurers (Life/Non-life/ Reinsurance)	-	Rs. 50,000	1/10 th of 1 per cent of Gross Direct Premium written in India subject to minimum of Rs. 50,000 and maximum of Rs. 5 crore	Every year (by 31 st Dec.)	
2.	Third Party Administrators	Rs. 20,000	Rs. 30,000	Rs. 30,000	3 years	
3.	Brokers					
	Direct Broker	-	Rs. 25,000	0.50 per cent of brokerage & fees earned in the preceding financial year subject to minimum of Rs. 25,000 and maximum of Rs. 1,00,000/-	3 years	
	Reinsurance Broker	-	Rs. 75,000	0.50 per cent of brokerage & fees earned in the preceding financial year subject to minimum of Rs 75,000 and maximum of Rs. 3,00,000/-	3 years	
	Composite Broker	-	Rs. 1,25,000	0.50 per cent of brokerage & fees earned in the preceding financial year subject to minimum of Rs. 1,25,000 and maximum of Rs. 5,00,000/-	3 years	
4.	Surveyors And Loss Assessors					
	Individual Category	A	-	Rs. 10,000	Rs. 200/- for every category	5 years
		B	-	Rs. 7,500		
		C	-	Rs. 5,000		
	Corporate Category	A	-	Rs. 25,000	Rs. 200/- for every category	5 years
		B	-	Rs. 20,000		
		C	-	Rs. 15,000		
5.	Corporate Agents	-	Rs. 250 for corporate insurance executive Rs. 500 for specified person	Rs. 250/-	3 years	



ANNEXURE - XI

EQUITY SHARE CAPITAL OF INSURANCE COMPANIES

(Rs. in crores)

S. No.	Name of the insurer	2001-02	2002-03 TOTAL	Foreign partner	Indian Promoter	FDI (%)
	Life Insurers					
1.	HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd.	168.00	218.00	40.54	177.46	18.60
2.	ICICI-Prudential Life Insurance Co. Ltd.	190.00	425.00	110.50	314.50	26.00
3.	Max New York Life Insurance Co. Ltd.	250.00	255.00	66.30	188.70	26.00
4.	Om Kotak Life Insurance Co. Ltd.	101.00	131.30	34.14	97.16	26.00
5.	Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	150.00	180.00	46.80	133.20	26.00
6.	TATA-AIG Life Insurance Co. Ltd.	185.00	185.00	48.10	136.90	26.00
7.	SBI Life Insurance Co. Ltd.	125.00	125.00	32.50	92.50	26.00
8.	ING Vysya Life Insurance Co. Ltd.	110.00	170.00	44.20	125.80	26.00
9.	MetLife India Insurance Co. Ltd.	110.00	110.00	28.60	81.40	26.00
10.	Allianz Bajaj Life Insurance Co. Ltd.	150.00	150.03	39.01	111.02	26.00
11.	AMP Sanmar	125.00	125.00	32.50	92.50	26.00
12.	AVIVA		154.80	40.25	114.55	26.00
	<i>Sub Total</i>	1664.00	2229.13	563.43	1665.70	
13.	LIC	5.00	5.00	0.00	5.00	
	TOTAL (Life)	1669.00	2234.13	563.43	1670.70	
	Non-life insurers					
1.	Royal Sundaram Alliance Insurance	130.00	130.00	33.80	96.20	26.00
2.	Reliance General Insurance Co. Ltd.	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00
3.	Bajaj Allianz General Insurance Co.	110.00	110.00	28.60	81.40	26.00
4.	IFFCO-TOKIO General Insurance Co.	100.00	100.00	26.00	74.00	26.00
5.	TATA-AIG General Insurance Co. Ltd.	125.00	125.00	32.50	92.50	26.00
6.	ICICI Lombard General Insurance Co.	110.00	110.00	28.60	81.40	26.00
7.	HDFC Chubb	-	101.00	26.26	74.74	26.00
8.	Cholamandalam MS	49.50	105.00	0.00	105.00	
	<i>Sub Total</i>	726.50	883.00	175.76	707.24	
9.	National Insurance Co. Ltd.	100.00	100.00	0.00	100.00	
10.	New India Assurance Co. Ltd.	100.00	100.00	0.00	100.00	
11.	United India Insurance Co. Ltd.	100.00	100.00	0.00	100.00	
12.	Oriental Insurance Co. Ltd.	100.00	100.00	0.00	100.00	
	<i>Sub Total</i>	400.00	400.00	0.00	400.00	
13.	ECGC	390.00	440.00		440.00	
	Total (Non-Life)	1516.50	1723.00	175.76	1547.24	
	Reinsurer					
	General Insurance Corporation	215.00	215.00	0.00	215.00	
	TOTAL	3400.50	4172.13	739.19	3432.94	



ANNEXURE - XII

**DETAILS OF INSTITUTES WHOSE SYLLABUS OF INSURANCE COURSES
APPROVED**

Sl. No.	Name of Institution/ Location	Date of accreditation	Course	Duration
1.	Birla Institute of Management Technology, Delhi	23 Sep, 2002	Post Graduate Diploma in Insurance and Risk Mgt.	1 year
2.	Jaipuria Institute of Management, Lucknow	23 Sep, 2002	Post Graduate Diploma in Insurance and Risk Mgt.	1 year
3.	Amity School of Insurance and Actuarial Science, Noida	23 Oct, 2002	Post Graduate Diploma in Insurance	1 year
4.	The Institute of Chartered Accountants of India, Delhi	1 Nov, 2002	Diploma in Insurance and Risk Mgt.	-
5.	All India Management Association, Delhi	28 Jan, 2003	Post Graduate Diploma in Mgt (Insurance Mgt)	2 years
6.	The Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, Chennai	13 March, 2003	Post Graduate Diploma in General Insurance Laws and Practice – correspondence programme	-
7.	Asia-Pacific Institute of Management, Delhi	28 April, 2003	Post Graduate Diploma in Insurance	1 year
8.	Maharashtra Institute of Technology, Pune	12 May, 2003	Post Graduate Diploma in Insurance and Risk Mgt.	1 year
9.	International Institute for Insurance & Finance, Hyderabad	14 May, 2003	Post Graduate Diploma in Insurance and Risk Mgt.	1 year
10.	UGCE – Insurance Institute for Education & Training, Chandigarh	30 May, 2003	Post Graduate Diploma in Insurance Business Mgt.	1 year
11.	Acharyya Institute of Technology, Kolkata	7 June, 2003	Post Graduate Diploma in Insurance Technology	1 year

ANNEXURE - XIII

**AUDITED ACCOUNTS OF THE AUTHORITY FOR THE
FINANCIAL YEAR 2001-02**

SEPARATE AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FOR 2001-02

1. Introduction

The Insurance Regulatory and Development Authority was established on 19th April, 2000 under Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 with its headquarter at New Delhi. The Authority has changed its headquarters to Hyderabad in December 2001. The Audit of the accounts of the Authority has been entrusted under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General (Duties, Power & Conditions of Service) Act, 1971. The Authority was to consist of a Chairman, five full time Members and four Part-time Members. As on date the Authority has one chairman, two full time and four part time members. There is an Insurance Advisory Committee, which helps the Authority in making its Rules and Regulations for proper discharge of its activities. The main powers and functions of the Authority are as under:

- Protect the interest of and secure fair treatment to policyholders;
- Bring about speedy and orderly growth of the insurance industry (including annuity and superannuation payments), for the benefit of the common man, and to provide long term funds for accelerating growth of the economy;
- Set, promote, monitor and enforce high standards of integrity, financial soundness, fair dealing and competence of those it regulates;
- Ensure that insurance customers receive precise, clear and correct information about products and services and make them aware of their responsibilities and duties in this regard;
- Ensure speedy settlement of genuine claims, to prevent insurance frauds and other malpractices and put in place effective grievance redressal machinery;
- Promote fairness, transparency and orderly conduct in financial markets dealing with insurance and build a reliable management information system to enforce high standards of financial soundness amongst market players;
- Take action where such standards are inadequate or ineffectively enforced;
- Bring about optimum amount of self-regulations in day to day working of the industry consistent with the requirements of prudential regulation.

2. Sources of Receipts

During 2001-02, the Authority's receipts were Rs.42.17 crores as against its expenditure of Rs.5.89 crores. The receipts mainly consisted of fees received from various Insurance companies operating in India on account of their Registration and Renewal charges.

3. Funds

The funds of the Authority are being retained by itself despite directions of the Ministry to house the funds in Public Account of India as non-interest bearing funds. As on 31st March 2002, the Authority continues to house its funds amounting to Rs. 57.42 crore in interest bearing deposits of banks and other financial institutions.

4. Comments on Accounts

4.1 Under statement of Current Assets, Loan and Advances Current Assets, Loan and Advances: Rs. 20,031,959.

This does not include a sum of Rs. 20,00,000/- which was paid as advances to M/s Andhra Pradesh Industrial Development Corporation Ltd. (APIDC) vide cheque no. 308126 dt. 08/03/2002 (HDFC A/c -New 435). The amount was given for the renovation work at IRDA office at Hyderabad. Since this amount represented advance in the nature of amount recoverable in cash or kind, the same was required to be shown in the Balance Sheet. The Authority has charged this amount to Income and



Expenditure Account by showing it as Establishment Expenses - Repair and Maintenance of Buildings and Premises. Thus both Income and Current Assets of the Authority have been understated by Rs. 20,00,000/-. The Authority in its reply stated that the sum of Rs. 20 Lakhs was, released as running payments against the renovation work, which is construed as an advance payment. Authority's reply is not acceptable as all notes and correspondence of the Authority clearly stipulate the payment as advance. (Reference to the completion certificate showed that it has been issued by APIDC without recording measurement of the works.)

4.2 Under statement of Current Liabilities & Provisions Current liabilities and provisions: Rs. 12,92,305.

- (1) This does not include provisions for salary amounting to Rs. 23.6 lakhs which was demanded by the Life Insurance Corporation vide its letters dt. 12/02/2002, 13/09/2002, 23/09/2002 & 5/11/2002 for payment to LIC staff working for IRDA on working arrangement basis. Apparently the amount pertains to the period 2001-2002 for which no provision has been made in the accounts of the Authority. Hence, both Expenditure as well as Liabilities remained understated to that extent.

The Authority in its reply stated that it would make provisions for payment of salary and other benefits from the date of joining if their previous employer make a demand for the period they were with the Authority on working arrangement.

- (2) No provision was made in the accounts for the value of PCs amounting to Rs. 2.93 lakhs purchased by LIC on behalf of IRDA, the payment for which was released to LIC on 25th July 2002. Hence Current Liabilities and provisions remained understated to that extent.

4.3 Incorrect depiction of investment to the tune of Rs. 37.40 lakhs and excess accounting of interest of Rs. 2.25 lakhs on investments.

As on 31st March, 2001, an investment of Rs. 5742.28 Lakhs has been made as fixed deposit with the Indian Overseas Bank and HDFC Bank by Insurance Regulatory and Development Authority. Scrutiny of Certificate of Fixed Deposit and consolidated statement of Investment revealed that the maturity amount of Investment has been taken as Rs. 6644.99 lakhs instead of Rs. 6607.59 lakhs resulting in a difference of Rs. 37.40 lakhs between the two. Similarly interest accrued has been taken into account as Rs. 191.00 lakhs instead of Rs. 188.75 lakhs. Thus, an excess interest of Rs. 2.25 lakhs was depicted in the Balance Sheet resulting in overstatement of income to the extent of Rs. 2.25 lakhs. The details of Investment and Interest is enclosed as 'Annexure I'

The Authority accepted the audit observation and stated that necessary rectification would be carried in the accounts of 2002-2003. Interest accrued/actual on investment may be reconciled and necessary rectification/adjustment be made into account under intimation to audit.

4.4 Difference between Assets Register and Balance Sheet

Scrutiny of Assets Register and Balance Sheet as on 31st March, 2002 revealed that there was a difference of Rs. 1.48 lakhs between the two which was not reconciled.

The Authority in its reply stated that it was presumed that consumable and the perishable items had been taken into account in the dead stock register. The details of such items with regard to their cost will be extracted from the records of the previous years and these items will be removed from the dead stock register to correct the difference.



4.5 Non-verification of Assets

The Authority had fixed assets valued at Rs. 28,33,511.06 as per Balance Sheet as on 31st March, 2002 details of which were shown in Annexure-I. In this connection, the following comments are offered:

1. The progressive totals of value of all assets entered in the Fixed Assets Register were not carried out in accordance with the rule 151 (4)(a) of General Financial Rule.
2. Consumables like buckets, boxes purchased for shifting records, wall clocks, crockery, gas stove etc. were also included in the assets register. The Authority did not maintain inventories of such articles in the prescribed form.

Assets register may be recast in the light of the above observation under intimation to audit.

Place: New Delhi
Date: 18-07-2003

Sd/-
Director General of Audit
Central Revenues



AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Receipts and Payments Account, Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 2002 and Balance Sheet as on 31st March 2002 of Insurance Regulatory and Development Authority, Hyderabad. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify as a result of my audit that in my opinion, these accounts and Balance Sheet are properly drawn-up so as to exhibit a true and fair view of Insurance Regulatory and Development Authority, Hyderabad, according to the best of information and explanations given to me and as shown to me by the books of Organisation.

Place: New Delhi
Dated: 18-07-2003

Sd/-
Director General of Audit
Central Revenues




THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY, NEW DELHI
THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND ACCOUNT
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2002

FORM A

FIGURES FOR THE PREVIOUS YEAR (Rs.)	LIABILITIES	FIGURES FOR THE CURRENT YEAR (Rs.)	FIGURES FOR THE PREVIOUS YEAR (Rs.)	ASSETS	FIGURES FOR THE CURRENT YEAR (Rs.)	
GENERAL FUND			FIXED ASSETS [See Note 1]			
	i) IRDA Fund [See Note 4]		2,269,754.68	-Gross Block	4,642,112.68	
	-At beginning of the year	893,243.68	697,331.62	-Less: Depreciation	1,808,601.62	
893,243.68	-Receipts in the year	-	1,572,423.06	-Net Block	2,833,511.06	
893,243.68	-Balance at end of the year	893,243.68	-	-Capital Work-in-Progress	-	
	ii) Capital Fund			INVESTMENTS [See Note 2]		
-	-Capital Grants	-		(Method of Valuation - at Cost)		
-	-Balance at the beginning of the year	-		- i) Securities of Central and State Government	-	
-	Add: Value of Fixed Assets received as grants during the year	-		- ii) Units	-	
	iii) Surplus and Funds			- iii) Fixed Deposits with banks		
	-Balance as per last Balance Sheet	12,478,206.44		(Including moneys belonging to the		
	Add: Excess of Income Over Expenditure as per Income and Expenditure Account - Annexed	336,916,567.87	204,766,622.00	Employees Provident Fund Trust to be formed)	574,227,907.78	
12,478,206.44	Less: Excess of Expenditure Over Income as per Income and Expenditure Account - Annexed	-		iv) Others	-	
-	-Balance at the end of the year	349,394,774.31				
12,478,206.44	iv) Gift and Donations	-		CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES		
-	v) Other Balances	-		[See Note 3]		
	LOANS			31,500.00	i) Deposits with Agencies	57,840.00
-	i) Secured (stating the security offered for the purpose)	-		266,192.88	ii) Loans & Advances to Staff	2,021,953.88
-	ii) Unsecured	-		6,321,977.50	iii) Amount Due from Insurance Companies & Others	573,298.00
-	iii) Loan from Government of India	-		1,335,759.50	iv) Other Current Assets	20,031,959.00
-	iv) Other Loans	-		15,000.00	v) Cash & Bank Balances	
				12,190,515.18	a) Cash in Hand	18,998.00
					b) Bank Balances	5,558,629.27

Contd...



THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY, NEW DELHI
THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND ACCOUNT
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2002

FIGURES FOR THE PREVIOUS YEAR (Rs.)	LIABILITIES	FIGURES FOR THE CURRENT YEAR (Rs.)	FIGURES FOR THE PREVIOUS YEAR (Rs.)	ASSETS	FIGURES FOR THE CURRENT YEAR (Rs.)
	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS [See Note 5]				
	i) SUNDRY CREDITORS:				
	- for Capital Items	-			
18,962,541.00	- for Other Items-[Includes amount refundable Rs. 89,641,595 for reduction in renewal fees]	98,205,957.00			
	ii) PROVISIONS:				
	- Provision for doubtful debts and advances	229,485.00			
	- Provision for depletion in value of investment	-			
	iii) OTHER LIABILITIES:				
	1. Unspent Grants	-			
	2. Interest payable to Government/ Other Loans	-			
	3. Provident, Retirement & Other Welfare Funds:				
91,062.00	(a) Provident Fund	764,552.00			
	(b) Other Welfare Funds	-			
	(c) Retirement Benefit Fund and Staff Benefit Fund:	-			
4,987,536.00	4. Others (Specify)	1,292,305.00			
189,087,401.00	- other Liabilities (TDS)	154,543,780.00			
	- Registration Renewal fee received in Advance	-			
226,499,990.12		605,324,096.99	226,499,990.12		605,324,096.99

Significant Accounting Policies and Notes Forming Part of Accounts - Annexure IX

- Notes:**
1. The information relating to Fixed Assets is given in Annexure I.
 2. The information relating to Investments is given in Annexure II.
 3. The information relating to Current Assets, Loans and Advances is given in Annexure III.
 4. Details of IRDA Fund is given in Annexure IV (Fund includes grants received from Central Government, other organisations and bodies in terms of Section 16 of the Act).
 5. Details of Contingent Liabilities is given in Annexure V.
 6. All information relating to significant accounting policies and notes forming part of accounts is given in Annexure IX.
 7. All annexes to Statement of Affairs and notes/information relating to accounting policy forming part of Accounts.

-Sd-
R.K. Sharma
Chief Accounts Officer

-Sd-
N. Rangachary
Chairman

-Sd-
R. C. Sharma
Member

-Sd-
H.O. Sonig
Member

3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003



THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY, NEW DELHI
THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND ACCOUNT
INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2002

FORM B

FIGURES FOR THE PREVIOUS YEAR (Rs.)	EXPENDITURE	FIGURES FOR THE CURRENT YEAR (Rs.)	FIGURES FOR THE PREVIOUS YEAR (Rs.)	INCOME	FIGURES FOR THE CURRENT YEAR (Rs.)
1,388,813.00	Payment to Chairperson and Members	2,359,356.00	15,001,000.00	Grants in Aid Received	-
728,402.90	Payment to and Provision for members of Staff [See Note 1]	6,036,219.00		Receivable	-
13,326,883.90	Establishment Expenses [See Note 2]	21,601,397.77		Less: Transferred to Capital Fund	-
24,300,031.60	Rent	8,673,118.00	33,743,663.00	Registration Fees Agents	110,756,681.50
	Research & Consultation Fees	-	-	Surveyors and Insurance intermediaries	-
	Seminars, Conference, Publications, etc. [See Contra]	-	-	TPA	520,000.00
	Interest [See Note 3]	-	650,000.00	Insurance Companies	300,000.00
				Renewal Fees	
697,331.62	Depreciation	1,111,270.00	-	Insurance Companies	234,561,500.00
-	Capital Assets Written Off	-	552,565.00	Surveyors and Insurance intermediaries	717,487.00
-	Loss on Write Off of Asset	-	-	TPA	420,000.00
-	Provision for doubtful debts and advances	229,485.00		Others	-
-	Development Expenditure	-		Penalties, Fines etc.	-
-	Promotional Expenditure	-	2,959,252.00	Seminar, Conferences and Publications etc.	
-	Other Expenses	40,390.00		Income on Investments - Interest on deposits with Scheduled Banks	29,452,612.14
12,478,206.44	Excess of Income Over Expenditure carried to Balance Sheet	336,916,567.87		Interest on Deposits	-
				Interest on advances	
				- i) granted to members of staff for housing purposes	16,578.00
				- ii) granted to members of staff for other purposes	2,562.00
				- iii) Others	-
			13,189.46	Miscellaneous Income	220,383.00
				Excess of Expenditure over income carried to Balance Sheet	
<u>52,919,669.46</u>		<u>376,967,803.64</u>	<u>52,919,669.46</u>		<u>376,967,803.64</u>

Significant Accounting Policies and Notes Forming Part of Accounts - Annexure IX

- Notes:
1. The information relating to payment to and provision for employees is to be given in Annexure VI.
 2. The information relating to establishment expenses is to be given in Annexure VII.
 3. The information relating to interest amount is to be given in Annexure VIII.
 4. All annexures to Income and Expenditure account and notes/information relating to significant accounting policies form part of accounts.

-Sd-
R.K. Sharma
Chief Accounts Officer

-Sd-
N. Rangachary
Chairman

-Sd-
R. C. Sharma
Member

-Sd-
H.O. Sonig
Member

3rd ANNUAL REPORT
2002-2003



THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY, NEW DELHI
THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND ACCOUNT
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2002

FORM C

S.No.	RECEIPTS	AMOUNT (Rs.)	S.No.	PAYMENTS	AMOUNT (Rs.)
1.	To Balance brought forward		1.	By Research and Consultation Fees	-
	i) Cash at Bank	12,190,515.18	2.	By Seminars, Conference, Publications etc.	-
	ii) Cash in hand	15,000.00	3.	By Rent Payments	27,095,405.00
	iii) Cheques on hand	-	4.	By Development Expenditure	-
	iv) Cash / Cheques in transit	-	5.	By Promotional Expenditure	-
2.	To Registration Fees		6.	By Payment to Chairperson and Members	
	-Insurance Companies	300,000.00	(i) Pay and Allowances	1,817,631.00	
	-Insurance TPA	520,000.00	(ii) Other Benefits	174,299.00	
	-Insurance Surveyors	-	(iii) Travelling Expenses	4,110,687.00	
	-Insurance Agents	120,042,916.90	7.	By Establishment Expenses	
	-Others	-	(i) Pay and Allowances	5,002,762.00	
3.	To Registration Renewal Fees		(ii) Other Benefits	178,012.00	
	-Insurance Companies	287,273,518.00	(iii) Travelling Expenses	5,433,106.00	
	-TPA	420,000.00	(iv) Retirement Benefits	229,853.00	
	-Insurance Surveyors	717,487.00	8.	By Office Expenses	9,866,324.27
	-Insurance Agents	-	9.	By Interest on	
	-Others	-	(i) Government Loans	-	
4.	To Penalties, Fines from insurers and intermediaries	-	(ii) Other Loans	-	
5.	To Seminar, Conferences etc.	-	10.	By Purchase of Assets	2,372,357.68
6.	To Income from Investments	-	11.	By Capital Work-in-Progress	565,800.00
7.	To Sale of Investments	-	12.	By Advances to staff and others including travel advance	1,971,690.00
8.	To Grants		13.	By Investments-[Includes FD made on behalf of PF Trust to be made]	369,461,286.00
	i) Central Government / State Govt/ Others	-	14.	By Repayment of Government Loans	-
	ii) Gift and Donations	-	15.	By Repayment of Other Loans	-
9.	To Loans	579,884.00	16.	By Other Expenses	40,390.00
10.	To Sales of Publication etc.	-	By Balance carried forward		
11.	To Sale of Assets	-	i) Cash at Bank	5,558,629.27	
12.	To Interest received on		ii) Cash in hand	18,998.00	
	-Deposits	11,478,804.14	iii) Cheques in hand	-	
	-Advances	-	iv) Cash/ Cheques in Transit	-	
	-Others	-			
13.	To Recoveries from Employees				
	(a) Loans and Advances	138,722.00			
	(b) Interest on Loans and Advances	-			
	(c) Misc.	-			
14.	To Other Receipts	220,383.00			
		433,897,230.22			
				433,897,230.22	

-Sd-
R.K. Sharma
Chief Accounts Officer

-Sd-
N. Rangachary
Chairman

-Sd-
R. C. Sharma
Member

-Sd-
H.O. Sonig
Member


3rd ANNUAL REPORT
2002-2003



ANNEXURE - 1

THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2002
FIXED ASSETS SCHEDULE

Particulars	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Cost as on 1.04.2001	Additions During the Year	Sold/Disposed Off During the Year	As on 31.03.2002	As on 1.04.2001	For the Year	Adjustments	Up to 31.03.2002	As at 31.03.2002	As on 31.03.2001
Office Premises										
(a) Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Building	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Residential Flats										
(a) Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Building	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehicles	194,343.68	-	-	194,343.68	50,315.58	37,289.00	-	87,604.58	106,739.10	144,028.10
Equipments	710,081.05	709,212.00	-	1,419,293.05	216,345.59	105,190.84	-	321,536.43	1,097,756.62	493,735.46
Furniture and Fixtures	340,782.95	11,129.00	-	351,911.95	97,439.40	54,324.58	-	151,763.98	200,147.97	243,343.55
Computers	1,024,547.00	1,652,017.00	-	2,676,564.00	333,231.05	914,465.58	-	1,247,696.63	1,428,867.37	691,315.95
Total	2,269,754.68	2,372,358.00	-	4,642,112.68	697,331.62	1,111,270.00	-	1,808,601.62	2,833,511.06	1,572,423.06



ANNEXURE - II

**THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2002
INVESTMENTS**

S.No.	PARTICULARS	Figures for the Current Year Rs.	Figures for the Previous Year Rs.			
1	Fixed Deposits with Scheduled Banks	574,227,907.98	204766622.00			
Name of the Bank	Date	Amount	Rate of Interest	Period	Date of Maturity	Interest Accrued
Indian Overseas Bank	7-Dec-01	300,000	8.25%	1096	7-Dec-04	8654
	26-Dec-01	50,000,000	8.50%	1096	26-Dec-04	1243924
	27-Dec-01	44,000,000	8.50%	1096	27-Dec-04	1083130
	1-Jan-02	50,000,000	8.50%	1096	1-Jan-05	1165360
	1-Jan-02	50,000	8.25%	1096	1-Jan-05	1127
	1-Jan-02	3,968,102	8.25%	1096	1-Jan-05	89450
	29-Dec-01	42,357,557	8.50%	1096	29-Dec-04	1020514
	9-Jan-02	326,807	8.25%	1096	9-Jan-05	6705
	24-Jan-02	325,260	8.25%	1096	24-Jan-05	230654
		191,327,726				4,849,518
	3-Oct-01	193,252,278	8.50%	365	3-Oct-02	8316144
	2-Oct-01	10,100,274	8.50%	365	2-Oct-02	437069
	2-Oct-01	10,100,274	8.50%	365	2-Oct-02	437069
	2-Oct-01	10,100,274	8.50%	365	2-Oct-02	437069
	12-Oct-01	4,485,596	8.00%	365	12-Oct-02	172216
	28-Dec-01	48,821,875	8.00%	365	28-Dec-02	1025417
		276,860,571				10,824,984
HDFC	1-Mar-02	1,235,347.50	8.00%	185	2-Sep-02	8,206
	2-Nov-01	350,000.00	8.00%	182	3-May-02	11,545
	25-Oct-01	11,300,000.00	8.00%	183	26-Apr-02	1,285,469
	7-Nov-01	50,000.00	8.00%	182	8-May-02	1,594
	7-Nov-01	500,000.00	8.00%	183	9-May-02	15,853
	13-Nov-01	5,350,000.00	8.00%	182	14-May-02	163,450
	27-Nov-01	50,000.00	8.00%	182	28-May-02	1,373
	4-Dec-01	800,000.00	8.00%	183	5-Jun-02	20,723
	29-Nov-01	5,000,000.00	8.00%	182	30-May-02	135,061
	14-Dec-01	500,000.00	8.00%	183	15-Jun-02	11,845
	15-Dec-01	5,000,000.00	8.00%	183	16-Jun-02	117,342
	19-Dec-01	300,000.00	8.00%	183	20-Jun-02	6,775
	26-Dec-01	50,000.00	8.00%	183	27-Jun-02	1,052
	12-Jan-02	400,000.00	8.00%	182	13-Jul-02	6,907
	15-Jan-02	500,000.00	8.00%	182	16-Jul-02	8,302
	16-Jan-02	5,000,000.00	8.00%	182	17-Jul-02	81,914
	24-Jan-02	125,000.00	8.00%	182	25-Jul-02	1,826
	30-Jan-01	5,000,000.00	8.00%	182	31-Jul-02	66,416
	6-Feb-02	250,000.00	8.00%	182	7-Aug-02	2,933
	8-Feb-02	300,000.00	8.00%	182	9-Aug-02	3,387
14-Feb-02	250,000.00	8.00%	182	15-Aug-02	2,491	

S.No.	PARTICULARS	Figures for the				
		Current Year	Previous Year			
		Rs.	Rs.			
Name of the Bank	Date	Amount	Rate of Interest	Period	Date of Maturity	Interest Accrued
	18-Feb-02	5,000,000.00	8.00%	182	19-Aug-02	46,817
	1-Mar-02	5,000,000.00	8.00%	185	2-Sep-02	33,214
	28-Feb-02	200,000.00	8.00%	185	1-Sep-02	1,373
	13-Mar-02	5,000,000.00	8.00%	185	14-Sep-02	19,928
	11-Mar-02	550,000.00	8.00%	185	12-Sep-02	2,436
		63,404,735.05				2,093,373
	19-Nov-01	25,169,680.11	8.00%	395	19-Dec-02	753,212
	1-Nov-01	4,099,210.21	8.00%	395	1-Dec-02	139,398.00
	11-Nov-01	1,537,203.82	8.00%	395	11-Dec-02	48,789.00
	16-Nov-01	1,024,802.54	8.00%	395	16-Dec-02	31,365.00
	30-Nov-01	1,024,802.54	8.00%	396	31-Dec-02	28,115.00
	20-Oct-01	1,012,116.43	8.00%	396	20-Nov-02	37,176.00
	20-Oct-01	1,012,116.43	8.00%	396	20-Nov-02	37,176.00
	30-Oct-01	1,012,116.43	8.00%	396	30-Nov-02	34,881.00
	31-Oct-01	1,012,116.43	8.00%	395	30-Nov-02	34,648.00
	3-Nov-01	1,012,116.43	8.00%	395	3-Dec-02	33,959.00
	5-Nov-01	1,012,116.43	8.00%	395	5-Dec-02	33,500.00
	8-Nov-01	1,012,116.43	8.00%	395	8-Dec-02	32,812.00
	10-Nov-01	1,012,116.43	8.00%	395	10-Dec-02	32,353.00
	22-Nov-01	1,012,116.43	8.00%	395	22-Dec-02	29,600.00
		41,964,747				1,306,984
		573,557,779.14				19,074,859

Fixed Deposit for PF Trust

IOB	6-Dec-00	11,128	7.00%	6 Months	6-Jun-2002	749
IOB	5-Jan-01	16,822	7.00%	6 Months	5-Jul-2002	1022
IOB	5-Feb-01	21,567	7.50%	6 Months	5-Aug-2002	1159
IOB	9-Mar-01	21,984	7.00%	6 Months	9-Sep-2002	1008
IOB	31-Mar-01	21,984	7.00%	3 years	30-Sep-2004	1049
IOB	2-May-01	26,836	7.00%	3.51	2-Nov-2004	2336
IOB	31-May-01	28,144	8.00%	12 Months	31-May-2002	1,932
IOB	7-Jun-01	19,954	8.00%	12 Months	7-Jun-2002	1,343
IOB	19-Jul-01	32,294	8.00%	12 Months	3-Jul-2002	1,977
IOB	31-Jul-01	42,750	8.00%	12 Months	31-Jul-2002	2,346
IOB	12-Sep-01	38,464	8.00%	12 Months	12-Sep-2002	1,738
IOB	11-Oct-01	40,346	8.00%	12 Months	11-Oct-2002	1,558
IOB	5-Nov-01	58,118	8.00%	12 Months	5-Nov-2002	1,916
IOB	28-Nov-01	66,926	8.00%	12 Months	28-Nov-2002	1,859
IOB	1-Jan-02	69,144	7.50%	12 Months	1-Jan-2003	1,768
IOB	29-Jan-02	65,022	7.50%	12 Months	29-Jan-2003	1,264
IOB	27-Feb-02	67,202	7.50%	12 Months	27-Feb-2003	454
IOB	18-Mar-02	21,443	7.50%	12 Months	18-Mar-2003	59
		670,128				25540

2 Others

- (a) Quoted- Cost and Market Value
b) Unquoted

Nil

Nil



ANNEXURE - III

**THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2002
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES**

PARTICULARS	Figures for the Current Year Rs.	Figures for the Previous Year Rs.
DEPOSITS		
- For Premises	22,500.00	-
- With Others- MTNL	35,340.00	31,500.00
	57,840.00	31,500.00
LOANS & ADVANCES TO STAFF		
- Housing Loan to Staff	1,209,600.00	-
- Loans to Staff for other purposes	756,092.88	215,325.88
- Other Advances - Festival	56,261.00	-
- Others - Advance for Travel	-	50,867.00
TOTAL	2,021,953.88	266,192.88
AMOUNTS DUE FROM INSURANCE COMPANIES & OTHERS		
- Insurance Companies'-[Indicates the amount due from State Insurance Companies]	229,485.00	1,061,099.00
- Agents-[Indicates the amount of expired cheques in hand received from agents earlier]	343,813.00	5,260,878.50
TOTAL	573,298.00	6,321,977.50
OTHER CURRENT ASSETS		
- Expense Recoverable	425.00	-
- Prepaid Expenses	346,195.00	233,890.50
- Interest Accrued but not due - Bank deposits (Includes Rs.25,540 on Fixed Deposit held on behalf of PF Trust to be formed)	19,100,399.00	1,101,869.00
- Interest Accrued but not due - Staff Loans	19,140.00	-
- Advances on Capital Account-[For software development]	565,800.00	-
TOTAL	20,031,959.00	1,335,759.50
CASH AND BANK BALANCES		
- Cash in hand	18,998.00	15,000.00
- Cheques in hand	-	-
- Cash/ Cheque in transit	-	-
- Balances with Scheduled Banks		
(a) In Current Account	5,558,629.27	12,190,515.18
(b) on Deposit Account	-	-
TOTAL	5,577,627.27	12,205,515.18
- Balance with Non Scheduled Bank		
(a) In Current Account	-	-
(b) In Deposit Account	-	-
TOTAL	5,577,627.27	12,205,515.18

ANNEXURE - IV

**THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2002**

PARTICULARS	Figures for the Current Year Rs.	Figures for the Previous Year Rs.
Grant from Government of India	-	893234.68

ANNEXURE - V

**THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND
ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2002
CONTINGENT LIABILITIES**

PARTICULARS	Figures for the Current Year Rs.	Figures for the Previous Year Rs.
	-	-

ANNEXURE - VI

**THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2002
PAYMENT TO AND PROVISION FOR EMPLOYEES**

PARTICULARS	Figures for the Current Year Rs.	Figures for the Previous Year Rs.
i) Salaries, Allowances, Wages and Bonus	4,975,533.00	670,489.90
ii) Bonus	-	-
iii) Contribution to Provident Fund, etc.	298,737.00	45,913.00
iv) Gratuity	210,148.00	2,183.00
v) Staff Welfare Expenses	-	-
vi) Others		
-Book Grant	-	3,805.00
-Leave Travel Concession	14,045.00	-
-Insurance	-	1,693.00
-Canteen Expenses	-	3,903.00
-Monetary Award - Studies	-	-
-Contribution to Group Insurance Scheme	21,770.00	-
-Reimbursement of expenses incurred by Staff	169,426.00	-
-Leave Salary	346,560.00	416.00
TOTAL	6,036,219.00	728,402.90



ANNEXURE - VII

**THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2002
ESTABLISHMENT EXPENSES**

PARTICULARS	Figures for the Current Year Rs.	Figures for the Previous Year Rs.
Repairs & Maintenance of Buildings & Premises	2,267,704.00	787,324.00
House Keeping - Office Maintenance	825,542.00	159,179.00
Repairs & Maintenance of Equipments	-	44,425.00
Repairs and Maintenance - Others	23,075.00	1,356,290.00
Electricity (Payable to LIC)	803,258.00	200,000.00
Insurance - Vehicle	15,300.00	6,524.00
Rates and Taxes	-	-
Printing and Stationery	690,481.00	2,050,100.00
Books/Journals etc.	63,628.00	91,186.00
Postage, Telegraphs, Telephones, etc.	1,210,860.27	792,370.00
Travelling and Conveyance Inland (Includes Payable to LIC Rs.711755/-)	4,945,309.00	4,394,750.40
Travel - Foreign	5,367,184.00	147,093.00
Legal and Professional charges	1,440,279.00	285,716.00
Education/Training/R&D/Grievances Redressal Expenses	-	-
Audit Fees	99,520.00	-
Software	-	150,000.00
Publicity & Advertisement	2,062,541.00	572,574.00
Recruitment	-	-
Expenses of Meetings of Authority & Advisory Committee & Other meeting expenses including daily allowances paid to the members of the Committee	-	-
Membership and Subscription	195,685.00	767,758.00
Security Services	415,835.50	244,664.50
Web Portal Development Expenses (Rs.33215 payable to Maruthi IT.Com)	225,879.00	167,369.00
Canteen Expenses	564,300.00	900,000.00
Car Repair and Maintenance Expenses	143,523.00	-
Other Expenses	52,560.00	29,269.00
	188,934.00	180,292.00
TOTAL	21,601,397.77	13,326,883.90

ANNEXURE - VIII

**THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND
ATTACHED TO AND FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2002**

INTEREST

PARTICULARS	Figures for the Current Year Rs.	Figures for the Previous Year Rs.
Government	-	-
Banks	-	-
Others	-	-
TOTAL	-	-



ANNEXURE - IX

THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND ACCOUNT

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

[Unless otherwise specified, all amounts are in rupees]

1. BACKGROUND

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (The Authority) was established by an Act of Parliament-Insurance Regulatory & Development Authority Act, 1999 (ACT)- and was constituted on April 19, 2000 by a notification issued in the Gazette of India. The Authority was established with a view to protect the interests of the holders of insurance policies, to regulate, promote and ensure orderly growth of the insurance industry and for matters connected therewith or incidental thereto. The Authority, in terms of section 13 of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 [Act], has been vested with the assets and liabilities of the Interim Insurance Regulatory Authority as are available on the appointed day i.e. April 19, 2000. In terms of section 16 of the Act a fund shall be constituted namely "The Insurance Regulatory and Development Authority Fund" [Fund]. The Fund shall constitute of all Government grants, fees and charges received by the Authority, all sums received by the Authority from such other source as may be decided upon by the Central Government and the percentage of prescribed premium income received from the insurer. The Fund shall be applied for meeting the salaries, allowances and other remuneration of the members, officers and other employees of the Authority and the other expenses of the Authority in connection with discharge of its functions and for the purpose of the Act.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting save for revenue recognition on cash basis as explained hereunder, and in accordance with the applicable standards on accounting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The significant accounting policies are as follows:

(a) Fixed assets and depreciation

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation on fixed assets is provided pro-rata to the period of use on reducing balance method using rates determined based on the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956. Assets costing less than Rs. 5,000 have been depreciated 100% in the year of purchase.

(b) Investments

Investments of the nature of fixed deposits with banks are stated at cost.

(c) Revenues

(i) Registration Fees

(a) Received from insurer seeking for the first time, registration to carrying on any class of insurance business in India, are treated income of the year of receipt.

(b) Received in advance from existing insurers for renewal of registration already granted are treated as income of the year to which they relate.



(ii) *License Fees*

License fees received from insurance agents, surveyors and other insurance intermediaries are treated as income of the year in which it is received. Licenses issued to insurance agents, surveyors and other insurance intermediaries are current for those years from date of issue and subject to renewal at the end of their currency. It is not practicable to distribute the License fees over the years to which they relate.

(iii) *Grant from Ministry of Finance, Govt. of India*

Initial Grant received has been treated as income of the year in which it is received.

(d) **Foreign currency transactions**

Non-monetary foreign currency transactions are recorded at rates of exchange prevailing on the dates of the transactions. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated into rupees at the rates of exchange prevailing on the balance sheet date. The differences in translation of foreign currency liabilities related to the acquisition of fixed assets are adjusted in the carrying value of fixed assets. Other translation differences are reflected in the Income and Expenditure Account.

(e) **Web Portal Development and Maintenance**

Expenses incurred on Web Portal Development and Maintenance is charged to the Income and Expenditure Account in the year of incurrence.

(f) **Retirement benefits**

Retirement benefits to employees comprise contribution to provident fund, gratuity and leave encashment, which are provided in accordance with the Regulations made under the Act.

Leave encashment is provided for at the current encashable salary for the entire unavailed leave balances.

The Authority has established a IRDA Employees Provident Fund Trust for the benefit of its officers and other employees subsequent to the close of the year. Pending establishment, the contribution made by the Authority and of the employees has been earmarked and deposited in fixed deposits with a scheduled bank.

The liability for gratuity is determined based on actuarial valuation, in accordance with gratuity scheme framed by the Authority.

3. **INCOME-TAX**

No income tax provision has been made in view of income of the Authority being exempt under section 10 (23BBE) of Income-tax Act,1961 effective assessment year 2001-2002.

4. The renewal fees from State Insurance agencies have not been accounted for in the absence of information of gross insurance premium.
5. The Authority has received a letter from Ministry of Finance, Department of Economic Affairs dated July 17, 2002 directing the Authority to deposit the moneys so far collected by the Authority in the Public Account of India as non-interest bearing account and allowing the Authority to withdraw a specified amount in the beginning of each year from the said Public Account for meeting its expenditure. The Authority, based on legal opinion obtained, is seeking review of the direction received as the Authority is of the view of that the funds raised by it from the insurers and the intermediaries do



not have the character of Government Revenue and cannot form part of the Public Fund of India, which position is in accord with the legal opinion obtained by the Authority. The Authority has taken up the issue with the Government of India.

6. In the absence of agent wise accounting of license fee, the amount deposited in excess of the recoverable license fee (based on licenses issued during the year) has been treated as license fee income.

7. **PRIOR YEAR COMPARATIVES**

Previous period represents the period April 19, 2000 (the date of constitution of IRDA) till March 31, 2001. Previous year figures have been regrouped wherever considered necessary to make them comparable with the current year's figures.



ANNEXURE XIV

**UNAUDITED ACCOUNTS OF THE AUTHORITY FOR THE
FINANCIAL YEAR 2002-03**

THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY, HYDERABAD
THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND ACCOUNT
UNAUDITED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2003

FORM A

FIGURES FOR THE PREVIOUS YEAR (Rs.)	LIABILITIES	FIGURES FOR THE CURRENT YEAR (Rs.)	FIGURES FOR THE PREVIOUS YEAR (Rs.)	ASSETS	FIGURES FOR THE CURRENT YEAR (Rs.)
GENERAL FUND			FIXED ASSETS [See Note 1]		
893,243.68	i) IRDA Fund [See Note 4]	893,243.68	4,642,112.68	-Gross Block	14,005,986.68
-	-At beginning of the year	-	1,808,601.62	-Less: Depreciation	4,212,069.62
-	-Receipts in the year	-	2,833,511.06	-Net Block	9,793,917.06
893,243.68	-Balance at end of the year	893,243.68	-	-Capital Work-in-Progress	-
-	ii) Capital Fund	-	INVESTMENTS [See Note 2]		
-	-Capital Grants	-	(Method of Valuation - at Cost)		
-	-Balance at the beginning of the year	-	-	i) Securities of Central and State Government	-
-	Add: Value of Fixed Assets received as grants during the year	-	574,227,907.78	ii) Units	-
-		-	-	iii) Fixed Deposits with banks	579,253,209.78
-		-	-	iv) Others	-
12,478,206.44	iii) Surplus and Funds	349,394,774.31	CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES		
-	-Balance as per last Balance Sheet	-	[See Note 3]		
-	Add: Excess of Income Over Expenditure as per Income and Expenditure Account - Annexed	-	57,840.00	i) Deposits with Agencies	582,910.00
336,916,567.87		-	2,021,953.88	ii) Loans & Advances to Staff	4,778,194.88
-	Less: Excess of Expenditure Over Income as per Income and Expenditure Account - Annexed	-	573,298.00	iii) Amount Due from Insurance Companies & Others	187,192.00
-		-	20,031,959.00	iv) Other Current Assets	31,946,140.48
-		-	18,998.00	v) Cash & Bank Balances	-
349,394,774.31	-Balance at the end of the year	340,090,457.74	5,558,629.27	a) Cash in Hand	19,870.00
-	iv) Gift and Donations	-	b) Bank Balances 4,722,114.57		
-	v) Other Balances	-			
LOANS					
-	i) Secured (stating the security offered for the purpose)	-			
-	ii) Unsecured	-			
-	iii) Loan from Government of India	-			
-	iv) Other Loans	-			



THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY, HYDERABAD
THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND ACCOUNT
UNAUDITED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2003

FIGURES FOR THE PREVIOUS YEAR (Rs.)	LIABILITIES	FIGURES FOR THE CURRENT YEAR (Rs.)	FIGURES FOR THE PREVIOUS YEAR (Rs.)	ASSETS	FIGURES FOR THE CURRENT YEAR (Rs.)
	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS [See Note 5]				
-	i) SUNDRY CREDITORS:				
97,281,638.00	-for Capital Items	-			
	-for Other Items-[Includes amount refundable Rs. 89,351,763 for change in renewal fees and book overdraft Rs. 8,267,339.45]	103,853,769.45			
229,485.00	ii) PROVISIONS:				
	-Provision for doubtful debts and advances	187,192.00			
	-Provision for depletion in value of investment	-			
	iii) OTHER LIABILITIES:				
	1. Unspent Grants	-			
	2. Interest payable to Government/ Other Loans	-			
	3. Provident, Retirement & Other Welfare Funds:				
764,552.00	(a) Provident Fund	295,569.00			
	(b) Other Welfare Funds	-			
924,319.00	(c) Retirement Benefit Fund and Staff Benefit Fund:	1,400,067.00			
	4. Others (Specify)				
1,292,305.00	-other Liabilities (TDS)	1,309,305.00			
154,543,780.00	-Registration Renewal fee received in Advance	183,249,504.90			
	-Soft Furnishing Recovery	4,440.00			
605,324,096.99		631,283,548.77	605,324,096.99		631,283,548.77

Significant Accounting Policies and Notes Forming Part of Accounts - Annexure IX

- Notes:**
1. The information relating to Fixed Assets is given in Annexure I.
 2. The information relating to Investments is given in Annexure II.
 3. The information relating to Current Assets, Loans and Advances is given in Annexure III.
 4. Details of IRDA Fund is given in Annexure IV (Fund includes grants received from Central Government, other organisations and bodies in terms of Section 16 of the Act).
 5. Details of Contingent Liabilities is given in Annexure V.
 6. All information relating to significant accounting policies and notes forming part of accounts is given in Annexure IX.
 7. All annexes to Statement of Affairs and notes/information relating to accounting policy forming part of Accounts.

-Sd-
R.K. Sharma
Chief Accounts Officer

-Sd-
N. Rangachary
Chairman

-Sd-
R. C. Sharma
Member

-Sd-
P.A. Balasubramanian
Member



THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY, HYDERABAD
THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND ACCOUNT
UNAUDITED INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2003

FORM B

FIGURES FOR THE PREVIOUS YEAR (Rs.)	EXPENDITURE	FIGURES FOR THE CURRENT YEAR (Rs.)	FIGURES FOR THE PREVIOUS YEAR (Rs.)	INCOME	FIGURES FOR THE CURRENT YEAR (Rs.)
2,385,908.00	Payment to Chairperson and Members	1,984,536.00	-	Grants in Aid Received	-
6,036,219.00	Payment to and Provision for members of Staff [See Note 1]	15,316,110.00	-	Receivable	-
21,574,845.77	Establishment Expenses [See Note 2]	31,103,638.05	-	Less: Transferred to Capital Fund	-
8,673,118.0	Rent	6,837,332.00	110,756,681.50	Registration Fees	258,941,963.00
-	Research & Consultation Fees	-	-	Agents	-
-	Seminars, Conference, Publications, etc. [See Contra]	2,512,886.00	-	Surveyors and Insurance intermediaries	-
-	Interest [See Note 3]	-	520,000.00	Brokers	2,425,000.00
1,111,270.00	Depreciation	2,576,292.00	300,000.00	Third Party Administration	120,000.00
-	Capital Assets Written Off	-	-	Insurance Companies	250,000.00
-	Loss on Sale of/Write Off of Asset	6,544.00	234,561,500.00	Renewal Fees	63,665,278.00
229,485.00	Provision for doubtful debts and advances	37,900.00	717,487.00	Insurance Companies	935,587.00
-	Development Expenditure	100,000,000.00	420,000.00	Surveyors and Insurance intermediaries	270,000.00
-	Promotional Expenditure	131,833,504.00	-	Third Party Administration	-
40,390.00	Other Expenses	961,268.00	-	Others	-
336,916,567.87	Excess of Income Over Expenditure for the year carried down	80,047,446.43	29,452,612.14	Penalties, Fines etc.	-
			-	Seminar, Conferences and Publications etc.	2,574,750.00
			-	Income on Investments - Interest on deposits with Scheduled Banks	43,447,792.48
			-	Interest on Deposits	-
			16,578.00	Interest on advances	-
			-	i) granted to members of staff for housing purposes	147,460.00
			2,562.00	ii) granted to members of staff for other purposes	39,726.00
			-	iii) Others	-
			220,383.00	Miscellaneous Income	399,900.00
376,967,803.64		373,217,456.48	376,967,803.64	Excess of income over expenditure for the year brought down	80,047,446.43
-	Fee refundable for the year 2000-01 on levy reduction (Note 5)	89,351,763.00		Excess of Expenditure over income carried to Balance Sheet	9,304,316.57
		89,351,763.00			89,351,763.00

Significant Accounting Policies and Notes Forming Part of Accounts - Annexure IX

- Notes:**
- The information relating to payment to and provision for employees is given in Annexure VI.
 - The information relating to establishment expenses is given in Annexure VII.
 - The information relating to interest amount is given in Annexure VIII.
 - All Answers to Income and Expenditure Account and Notes/Information relating to Significant Accounting Policies from part of accounts.

-Sd-
R.K. Sharma
Chief Accounts Officer

-Sd-
N. Rangachary
Chairman

-Sd-
R. C. Sharma
Member

-Sd-
P.A. Balasubramanian
Member

3rd ANNUAL REPORT
2002-2003



THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY, HYDERABAD
THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND ACCOUNT
UNAUDITED RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2003

FORM C

S.No.	RECEIPTS	AMOUNT (Rs.)	S.No.	PAYMENTS	AMOUNT (Rs.)
1.	To Balance brought forward		1.	By Research and Consultation Fees	-
	i) Cash at Bank	5,558,629.27	2.	By Seminars, Conference, Publications etc.	2,512,886.00
	ii) Cash in hand	18,998.00	3.	By Rent Payments	10,448,965.00
	iii) Cheques on hand	-	4.	By Development Expenditure	100,000,000.00
	iv) Cash / Cheques in transit	-	5.	By Promotional Expenditure [Rs. 130,991,004.00 less book overdraft Rs.8,267,339.45]	122,723,664.55
2.	To Registration Fees		6.	By Payment to Chairperson and Members	
	-Insurance Companies	250,000.00	(i) Pay and Allowances	1,943,976.00	
	-Third Party Administrators	120,000.00	(ii) Other Benefits	195,574.00	
	-Brokers	2,425,000.00	(iii) Travelling Expenses	7,438,713.00	
	-Insurance Agents	-	7.	By Establishment Expenses	
	-Others	-	(i) Pay and Allowances	10,772,531.00	
3.	To Registration Renewal Fees		(ii) Other Benefits	774,801.00	
	-Insurance Companies	87,498,002.90	(iii) Travelling Expenses	8,579,101.60	
	-Third Party Administrators	270,000.00	(iv) Retirement Benefits	2,624,344.00	
	-Insurance Surveyors	935,587.00	8.	By Office Expenses	14,592,094.45
	-Insurance Agents	264,120,876.00	9.	By Interest on	
	-Others	-	(i) Government Loans	-	
4.	To Penalties, Fines from insurers and intermediaries	-	(ii) Other Loans	-	
5.	To Seminar, Conferences etc.	2,574,750.00	10.	By Purchase of Assets	9,202,193.00
6.	To Income from Investments	-	11.	By Capital Work-in-Progress	-
7.	To Sale of Investments	279,057,121.00	12.	By Advances to staff and others	4,544,012.00
8.	To Grants		13.	By Investments	284,752,551.00
	i) Central Government / State Govt/ Others	-	14.	By Repayment of Government Loans/fees (refer note 5)	89,641,595.00
	ii) Gift and Donations	-	15.	By Repayment of Other Loans	-
9.	To Loans	-	16.	By Other Expenses	941,168.00
10.	To Sales of Publication etc	-	By Balance carried forward		
11.	To Sale of Assets	40,00,000	i) Cash at Bank	4,722,114.57	
12.	To interest received on		ii) Cash in hand	19,870.00	
	-Deposits	31,516,540.00	iii) Cheques in hand	-	
	-Advances	-	iv) Cash/ Cheques in Transit	-	
	-Others	-			
13.	To Recoveries from Employees				
	(a) Loans and Advances	1,619,363.00			
	(b) Interest on Loans and Advances	30,256.00			
	(c) Misc.	-			
14.	To Other Receipts	395,031.00			
		676,430,154.17			676,430,154.17

-Sd-
R.K. Sharma
Chief Accounts Officer

-Sd-
N. Rangachary
Chairman

-Sd-
R. C. Sharma
Member

-Sd-
P.A. Balasubramanian
Member

3rd ANNUAL REPORT
2002-2003



THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND
ATTACHED TO AND FORMING PART OF UNAUDITED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2003
FIXED ASSETS SCHEDULE

Particulars	GROSS BLOCK			DEPRECIATION				NET BLOCK		
	Cost as on 1.04.2001	Additions During the Year	Sold/Disposed Off During the Year	As on 31.03.2002	As on 1.04.2001	For the Year	Adjustments	Up to 31.03.2002	As at 31.03.2002	As on 31.03.2001
Office Premises										
(a) Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Building	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Residential Flats										
(a) Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Building	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehicles	194,343.68	480,256.00	97,345.00	577,254.68	87,604.58	105,196.00	50,801.00	141,999.58	435,255.10	106,739.10
Equipments	1,419,293.05	1,020,644.00	277,866.00	2,162,071.05	321,536.20	286,302.00	112,089.00	495,749.20	1,666,321.85	1,097,756.85
Furniture and Fixtures	351,911.95	3,015,232.00	34,960.00	3,332,183.95	151,763.98	547,544.00	9,934.00	689,373.98	2,642,809.97	200,147.97
Computers	2,676,564.00	5,257,913.00	-	7,934,477.00	1,247,696.86	1,637,250.00	-	2,884,946.86	5,049,530.14	1,428,867.14
Total	4,642,112.68	9,774,045.00	410,171.00	14,005,986.68	1,808,601.62	2,576,292.00	172,824.00	4,212,069.62	9,793,917.06	2,833,511.06

ANNEXURE - II

**THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND
ATTACHED TO AND FORMING PART OF UNAUDITED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2003
INVESTMENTS**

S.No.	PARTICULARS	Figures for the Current Year Rs.	Figures for the Previous Year Rs.																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Fixed Deposits with Scheduled Banks	579,253,209.78	574,227,907.78																																																																																																																																																																																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of the Bank</th> <th>Date</th> <th>Amount</th> <th>Rate of Interest</th> <th>Period</th> <th>Date of Maturity</th> <th>Interest Accrued</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">Indian Overseas Bank, New Delhi</td> <td>03-Oct-02</td> <td>110,209,779.00</td> <td>7.50%</td> <td>179</td> <td>03-Oct-05</td> <td>4,160,072.75</td> </tr> <tr> <td>07-Dec-01</td> <td>300,000.00</td> <td>8.25%</td> <td>479</td> <td>07-Dec-04</td> <td>33,950.06</td> </tr> <tr> <td>26-Dec-01</td> <td>50,000,000.00</td> <td>8.50%</td> <td>460</td> <td>26-Dec-04</td> <td>5,591,949.45</td> </tr> <tr> <td>27-Dec-01</td> <td>44,000,000.00</td> <td>8.50%</td> <td>459</td> <td>27-Dec-04</td> <td>4,909,536.22</td> </tr> <tr> <td>01-Jan-02</td> <td>50,000,000.00</td> <td>8.50%</td> <td>454</td> <td>01-Jan-05</td> <td>5,514,628.82</td> </tr> <tr> <td>01-Jan-02</td> <td>50,000.00</td> <td>8.25%</td> <td>454</td> <td>01-Jan-05</td> <td>5,345.78</td> </tr> <tr> <td>29-Dec-01</td> <td>42,357,557.00</td> <td>8.50%</td> <td>457</td> <td>29-Dec-04</td> <td>4,704,362.78</td> </tr> <tr> <td>09-Jan-02</td> <td>326,807.00</td> <td>8.25%</td> <td>446</td> <td>09-Jan-05</td> <td>- 34,299.56</td> </tr> <tr> <td>24-Jan-02</td> <td>325,260.00</td> <td>8.25%</td> <td>431</td> <td>24-Jan-05</td> <td>32,940.16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>297,569,403.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24,987,085.57</td> </tr> <tr> <td rowspan="20">Indian Overseas Bank, Hyderabad</td> <td>03-Sep-02</td> <td>1,000,000.00</td> <td>7.50%</td> <td>209</td> <td>03-Sep-05</td> <td>43,506.97</td> </tr> <tr> <td>03-Sep-02</td> <td>1,000,000.00</td> <td>7.50%</td> <td>209</td> <td>03-Sep-05</td> <td>43,506.97</td> </tr> <tr> <td>03-Sep-02</td> <td>1,000,000.00</td> <td>7.50%</td> <td>209</td> <td>03-Sep-05</td> <td>43,506.97</td> </tr> <tr> <td>03-Sep-02</td> <td>1,000,000.00</td> <td>7.50%</td> <td>209</td> <td>03-Sep-05</td> <td>43,506.97</td> </tr> <tr> <td>03-Sep-02</td> <td>1,000,000.00</td> <td>7.50%</td> <td>209</td> <td>03-Sep-05</td> <td>43,506.97</td> </tr> <tr> <td>17-Sep-02</td> <td>5,000,000.00</td> <td>7.50%</td> <td>195</td> <td>17-Sep-05</td> <td>202,611.37</td> </tr> <tr> <td>22-Aug-02</td> <td>1,000,000.00</td> <td>7.50%</td> <td>221</td> <td>22-Aug-05</td> <td>46,058.49</td> </tr> <tr> <td>22-Aug-02</td> <td>1,000,000.00</td> <td>7.50%</td> <td>221</td> <td>22-Aug-05</td> <td>46,058.49</td> </tr> <tr> <td>22-Aug-02</td> <td>1,000,000.00</td> <td>7.50%</td> <td>221</td> <td>22-Aug-05</td> <td>46,058.49</td> </tr> <tr> <td>22-Aug-02</td> <td>1,000,000.00</td> <td>7.50%</td> <td>221</td> <td>22-Aug-05</td> <td>46,058.49</td> </tr> <tr> <td>22-Aug-02</td> <td>1,000,000.00</td> <td>7.50%</td> <td>221</td> <td>22-Aug-05</td> <td>46,058.49</td> </tr> <tr> <td>14-Aug-02</td> <td>1,000,000.00</td> <td>7.50%</td> <td>229</td> <td>13-Aug-05</td> <td>45,845.17</td> </tr> <tr> <td>14-Aug-02</td> <td>1,000,000.00</td> <td>7.50%</td> <td>229</td> <td>13-Aug-05</td> <td>45,845.17</td> </tr> <tr> <td>14-Aug-02</td> <td>1,000,000.00</td> <td>7.50%</td> <td>229</td> <td>13-Aug-05</td> <td>45,845.17</td> </tr> <tr> <td>14-Aug-02</td> <td>1,000,000.00</td> <td>7.50%</td> <td>229</td> <td>13-Aug-05</td> <td>45,845.17</td> </tr> <tr> <td>25-Oct-02</td> <td>5,000,000.00</td> <td>7.25%</td> <td>157</td> <td>25-Oct-05</td> <td>157,104.33</td> </tr> <tr> <td>25-Oct-02</td> <td>1,975,000.00</td> <td>7.00%</td> <td>157</td> <td>24-Oct-03</td> <td>59,900.83</td> </tr> <tr> <td>28-Oct-02</td> <td>3,000,000.00</td> <td>6.50%</td> <td>154</td> <td>28-Oct-05</td> <td>82,816.65</td> </tr> <tr> <td>10-Dec-02</td> <td>7,500,000.00</td> <td>6.50%</td> <td>111</td> <td>09-Dec-05</td> <td>148,702.96</td> </tr> <tr> <td>13-Mar-03</td> <td>2,500,000.00</td> <td>6.25%</td> <td>18</td> <td>12-Mar-04</td> <td>7,705.48</td> </tr> <tr> <td>15-Jan-03</td> <td>7,500,000.00</td> <td></td> <td></td> <td>03-Apr-03</td> <td>63,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>46,475,000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,353,549.58</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">HDFC Bank</td> <td>19-Dec-02</td> <td>27,423,608.67</td> <td>6.25%</td> <td>102</td> <td>19-Jan-04</td> <td>479,842.39</td> </tr> <tr> <td>01-Dec-02</td> <td>4,466,291.84</td> <td>6.25%</td> <td>120</td> <td>02-Jun-03</td> <td>92,903.26</td> </tr> <tr> <td>11-Dec-02</td> <td>1,674,859.42</td> <td>6.50%</td> <td>110</td> <td>11-Jan-04</td> <td>32,904.50</td> </tr> <tr> <td>16-Dec-02</td> <td>1,116,572.95</td> <td>6.50%</td> <td>105</td> <td>16-Jan-04</td> <td>20,926.19</td> </tr> <tr> <td>30-Dec-02</td> <td>1,116,816.17</td> <td>6.25%</td> <td>91</td> <td>31-Jan-04</td> <td>17,599.57</td> </tr> <tr> <td>05-Dec-02</td> <td>1,102,750.80</td> <td>6.50%</td> <td>116</td> <td>05-Jan-04</td> <td>22,861.95</td> </tr> <tr> <td>08-Dec-02</td> <td>1,102,750.80</td> <td>6.50%</td> <td>113</td> <td>08-Jan-04</td> <td>22,263.36</td> </tr> </tbody> </table>	Name of the Bank	Date	Amount	Rate of Interest	Period	Date of Maturity	Interest Accrued	Indian Overseas Bank, New Delhi	03-Oct-02	110,209,779.00	7.50%	179	03-Oct-05	4,160,072.75	07-Dec-01	300,000.00	8.25%	479	07-Dec-04	33,950.06	26-Dec-01	50,000,000.00	8.50%	460	26-Dec-04	5,591,949.45	27-Dec-01	44,000,000.00	8.50%	459	27-Dec-04	4,909,536.22	01-Jan-02	50,000,000.00	8.50%	454	01-Jan-05	5,514,628.82	01-Jan-02	50,000.00	8.25%	454	01-Jan-05	5,345.78	29-Dec-01	42,357,557.00	8.50%	457	29-Dec-04	4,704,362.78	09-Jan-02	326,807.00	8.25%	446	09-Jan-05	- 34,299.56	24-Jan-02	325,260.00	8.25%	431	24-Jan-05	32,940.16		297,569,403.00				24,987,085.57	Indian Overseas Bank, Hyderabad	03-Sep-02	1,000,000.00	7.50%	209	03-Sep-05	43,506.97	03-Sep-02	1,000,000.00	7.50%	209	03-Sep-05	43,506.97	03-Sep-02	1,000,000.00	7.50%	209	03-Sep-05	43,506.97	03-Sep-02	1,000,000.00	7.50%	209	03-Sep-05	43,506.97	03-Sep-02	1,000,000.00	7.50%	209	03-Sep-05	43,506.97	17-Sep-02	5,000,000.00	7.50%	195	17-Sep-05	202,611.37	22-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	221	22-Aug-05	46,058.49	22-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	221	22-Aug-05	46,058.49	22-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	221	22-Aug-05	46,058.49	22-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	221	22-Aug-05	46,058.49	22-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	221	22-Aug-05	46,058.49	14-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	229	13-Aug-05	45,845.17	14-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	229	13-Aug-05	45,845.17	14-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	229	13-Aug-05	45,845.17	14-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	229	13-Aug-05	45,845.17	25-Oct-02	5,000,000.00	7.25%	157	25-Oct-05	157,104.33	25-Oct-02	1,975,000.00	7.00%	157	24-Oct-03	59,900.83	28-Oct-02	3,000,000.00	6.50%	154	28-Oct-05	82,816.65	10-Dec-02	7,500,000.00	6.50%	111	09-Dec-05	148,702.96	13-Mar-03	2,500,000.00	6.25%	18	12-Mar-04	7,705.48	15-Jan-03	7,500,000.00			03-Apr-03	63,500.00		46,475,000.00				1,353,549.58	HDFC Bank	19-Dec-02	27,423,608.67	6.25%	102	19-Jan-04	479,842.39	01-Dec-02	4,466,291.84	6.25%	120	02-Jun-03	92,903.26	11-Dec-02	1,674,859.42	6.50%	110	11-Jan-04	32,904.50	16-Dec-02	1,116,572.95	6.50%	105	16-Jan-04	20,926.19	30-Dec-02	1,116,816.17	6.25%	91	31-Jan-04	17,599.57	05-Dec-02	1,102,750.80	6.50%	116	05-Jan-04	22,861.95	08-Dec-02	1,102,750.80	6.50%	113	08-Jan-04	22,263.36		
Name of the Bank	Date	Amount	Rate of Interest	Period	Date of Maturity	Interest Accrued																																																																																																																																																																																																																																																	
Indian Overseas Bank, New Delhi	03-Oct-02	110,209,779.00	7.50%	179	03-Oct-05	4,160,072.75																																																																																																																																																																																																																																																	
	07-Dec-01	300,000.00	8.25%	479	07-Dec-04	33,950.06																																																																																																																																																																																																																																																	
	26-Dec-01	50,000,000.00	8.50%	460	26-Dec-04	5,591,949.45																																																																																																																																																																																																																																																	
	27-Dec-01	44,000,000.00	8.50%	459	27-Dec-04	4,909,536.22																																																																																																																																																																																																																																																	
	01-Jan-02	50,000,000.00	8.50%	454	01-Jan-05	5,514,628.82																																																																																																																																																																																																																																																	
	01-Jan-02	50,000.00	8.25%	454	01-Jan-05	5,345.78																																																																																																																																																																																																																																																	
	29-Dec-01	42,357,557.00	8.50%	457	29-Dec-04	4,704,362.78																																																																																																																																																																																																																																																	
	09-Jan-02	326,807.00	8.25%	446	09-Jan-05	- 34,299.56																																																																																																																																																																																																																																																	
	24-Jan-02	325,260.00	8.25%	431	24-Jan-05	32,940.16																																																																																																																																																																																																																																																	
		297,569,403.00				24,987,085.57																																																																																																																																																																																																																																																	
Indian Overseas Bank, Hyderabad	03-Sep-02	1,000,000.00	7.50%	209	03-Sep-05	43,506.97																																																																																																																																																																																																																																																	
	03-Sep-02	1,000,000.00	7.50%	209	03-Sep-05	43,506.97																																																																																																																																																																																																																																																	
	03-Sep-02	1,000,000.00	7.50%	209	03-Sep-05	43,506.97																																																																																																																																																																																																																																																	
	03-Sep-02	1,000,000.00	7.50%	209	03-Sep-05	43,506.97																																																																																																																																																																																																																																																	
	03-Sep-02	1,000,000.00	7.50%	209	03-Sep-05	43,506.97																																																																																																																																																																																																																																																	
	17-Sep-02	5,000,000.00	7.50%	195	17-Sep-05	202,611.37																																																																																																																																																																																																																																																	
	22-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	221	22-Aug-05	46,058.49																																																																																																																																																																																																																																																	
	22-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	221	22-Aug-05	46,058.49																																																																																																																																																																																																																																																	
	22-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	221	22-Aug-05	46,058.49																																																																																																																																																																																																																																																	
	22-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	221	22-Aug-05	46,058.49																																																																																																																																																																																																																																																	
	22-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	221	22-Aug-05	46,058.49																																																																																																																																																																																																																																																	
	14-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	229	13-Aug-05	45,845.17																																																																																																																																																																																																																																																	
	14-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	229	13-Aug-05	45,845.17																																																																																																																																																																																																																																																	
	14-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	229	13-Aug-05	45,845.17																																																																																																																																																																																																																																																	
	14-Aug-02	1,000,000.00	7.50%	229	13-Aug-05	45,845.17																																																																																																																																																																																																																																																	
	25-Oct-02	5,000,000.00	7.25%	157	25-Oct-05	157,104.33																																																																																																																																																																																																																																																	
	25-Oct-02	1,975,000.00	7.00%	157	24-Oct-03	59,900.83																																																																																																																																																																																																																																																	
	28-Oct-02	3,000,000.00	6.50%	154	28-Oct-05	82,816.65																																																																																																																																																																																																																																																	
	10-Dec-02	7,500,000.00	6.50%	111	09-Dec-05	148,702.96																																																																																																																																																																																																																																																	
	13-Mar-03	2,500,000.00	6.25%	18	12-Mar-04	7,705.48																																																																																																																																																																																																																																																	
15-Jan-03	7,500,000.00			03-Apr-03	63,500.00																																																																																																																																																																																																																																																		
	46,475,000.00				1,353,549.58																																																																																																																																																																																																																																																		
HDFC Bank	19-Dec-02	27,423,608.67	6.25%	102	19-Jan-04	479,842.39																																																																																																																																																																																																																																																	
	01-Dec-02	4,466,291.84	6.25%	120	02-Jun-03	92,903.26																																																																																																																																																																																																																																																	
	11-Dec-02	1,674,859.42	6.50%	110	11-Jan-04	32,904.50																																																																																																																																																																																																																																																	
	16-Dec-02	1,116,572.95	6.50%	105	16-Jan-04	20,926.19																																																																																																																																																																																																																																																	
	30-Dec-02	1,116,816.17	6.25%	91	31-Jan-04	17,599.57																																																																																																																																																																																																																																																	
	05-Dec-02	1,102,750.80	6.50%	116	05-Jan-04	22,861.95																																																																																																																																																																																																																																																	
	08-Dec-02	1,102,750.80	6.50%	113	08-Jan-04	22,263.36																																																																																																																																																																																																																																																	

S.No.	PARTICULARS	Figures for the				
		Current Year	Previous Year			
		Rs.	Rs.			
Name of the Bank	Date	Amount	Rate of Interest	Period	Date of Maturity	Interest Accrued
	10-Dec-02	1,102,750.80	6.50%	111	10-Jan-04	22,063.84
	22-Dec-02	1,102,750.80	6.25%	99	22-Jan-04	18,911.82
	03-Mar-03	1,340,974.34	5.75%	28	04-Sep-03	5,703.73
	03-Mar-03	1,331,232.62	5.75%	28	04-Sep-03	5,872.01
	04-Nov-02	378,076.24	6.75%	147	05-May-03	10,414.51
	27-Oct-02	10,883,883.19	6.00%	155	28-Apr-03	279,011.18
	09-Nov-02	54,010.90	6.25%	142	10-May-03	1,320.56
	15-Nov-02	5,793,549.95	6.25%	136	16-May-03	136,613.60
	29-Nov-02	54,010.92	6.25%	122	30-May-03	1,142.08
	06-Dec-02	864,185.75	6.00%	115	07-Jun-03	16,389.20
	01-Dec-02	5,414,555.60	6.25%	120	02-Jun-03	111,686.64
	16-Dec-02	540,116.00	6.00%	105	17-Jun-03	9,342.25
	17-Dec-02	5,414,533.17	6.00%	104	18-Jun-03	92,750.62
	21-Dec-02	324,069.64	6.00%	100	22-Jun-03	5,335.05
	28-Dec-02	54,011.61	7.50%	93	29-Jun-03	826.11
	14-Jan-03	432,087.16	6.00%	76	15-Jul-03	5,398.13
	17-Jan-03	540,108.95	6.00%	73	18-Jul-03	6,481.31
	26-Jan-03	135,027.25	5.75%	64	27-Jul-03	1,361.37
	01-Feb-03	5,387,662.98	5.75%	58	02-Aug-03	50,075.74
	08-Feb-03	269,383.13	5.75%	51	09-Aug-03	2,164.29
	10-Feb-03	323,259.75	5.75%	49	11-Aug-03	2,495.30
	16-Feb-03	269,383.13	5.75%	43	17-Aug-03	1,824.79
	20-Feb-03	5,394,250.70	5.75%	39	21-Aug-03	41,639.18
	03-Mar-03	5,388,089.66	5.75%	28	04-Sep-03	23,766.64
	02-Mar-03	215,523.61	5.75%	29	03-Sep-03	950.67
	15-Mar-03	5,381,489.01	5.75%	16	16-Sep-03	13,564.30
	13-Mar-03	591,964.87	5.75%	18	14-Sep-03	1,678.58
	15-Oct-02	2,081,479.66	6.75%	167	15-Apr-03	65,166.17
	16-Oct-02	624,443.90	6.75%	166	17-Apr-03	19,314.96
	20-Oct-02	5,203,699.15	6.75%	162	20-Apr-03	157,043.22
	30-Oct-02	570,993.22	6.75%	152	01-May-03	16,158.18
	05-Jan-03	5,253,300.61	6.00%	85	06-Jul-03	73,402.28
	07-Jan-03	155,756.84	6.00%	83	08-Jul-03	2,125.12
	13-Jan-03	934,541.02	6.00%	77	14-Jul-03	11,828.98
	12-Sep-02	550,000.00	7.25%	200	13-Sep-03	22,102.33
		112,358,806.78				1,925,225.98
ICICI Bank	14-Dec-02	2,450,000.00	7.00%	107	14-Dec-05	50,413.21
	20-Dec-02	3,600,000.00	6.50%	101	21-Dec-05	64,863.71
	26-Dec-02	1,500,000.00	6.50%	95	24-Dec-05	25,398.12
	31-Dec-02	24,500,000.00	7.00%	90	01-Jan-06	427,656.50
	18-Jan-03	6,500,000.00	6.50%	72	19-Jan-06	83,342.47
	30-Jan-03	7,000,000.00	6.25%	60	31-Jan-06	71,917.81
	19-Feb-03	4,000,000.00	6.25%	40	20-Feb-06	26,712.33
		49,550,000.00				750,304.15
Bank of India	04-Apr-02	5,000,000.00	8.00%	361	04-Apr-05	409,833.90
	05-Jul-02	1,000,000.00	7.50%	269	05-Jul-03	56,297.93
	05-Jul-02	1,000,000.00	7.50%	269	05-Jul-03	56,297.93
	05-Jul-02	1,000,000.00	7.50%	269	05-Jul-03	56,297.93
	14-Sep-02	300,000.00	7.00%	198	14-Sep-03	11,516.40
	25-Jul-02	5,000,000.00	8.00%	249	25-Jul-03	277,811.42
	31-Oct-02	4,000,000.00	6.50%	151	31-Oct-03	108,250.20



S.No.	PARTICULARS	Figures for the Current Year Rs.		Figures for the Previous Year Rs.			
	Name of the Bank	Date	Amount	Rate of Interest	Period	Date of Maturity	Interest Accrued
		27-Nov-02	1,000,000.00	6.50%	124	27-Nov-05	22,175.56
		26-Dec-02	8,000,000.00	6.25%	95	27-Dec-05	130,242.54
			26,300,000.00				1,128,723.80
	Canara Bank	11-Oct-02	2,500,000.00	7.75%	171	11-Oct-05	91,589.72
		11-Oct-02	2,500,000.00	7.75%	171	11-Oct-05	91,590.00
		15-Nov-02	2,000,000.00	7.00%	136	15-Nov-05	52,462.15
		15-Nov-02	1,500,000.00	7.00%	136	15-Nov-05	39,346.62
		15-Nov-02	1,500,000.00	7.00%	136	15-Nov-05	39,346.62
		18-Dec-02	6,000,000.00	6.75%	103	18-Dec-05	114,527.75
		30-Dec-02	5,000,000.00	6.75%	91	30-Dec-05	85,099.27
		15-Jan-03	26,000,000.00	6.50%	75	14-Jan-06	347,260.27
			47,000,000.00				861,222.40

2 Others

- (a) Quoted- Cost and Market Value
b) Unquoted

Nil Nil
Nil Nil

ANNEXURE - III

**THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND
ATTACHED TO AND FORMING PART OF UNAUDITED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2003
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES**

PARTICULARS	Figures for the Current Year Rs.	Figures for the Previous Year Rs.
DEPOSITS		
- For Premises	525,750.00	22,500.00
- with Others - MTNL	33,760.00	35,340.00
- with Electricity	19,400.00	-
- For Fuel	4,000.00	-
TOTAL	582,910.00	57,840.00
LOANS & ADVANCES TO STAFF		
- Housing Loan to Staff	2,654,400.00	1,209,600.00
- Loans to Staff for other purposes	1,622,057.88	756,092.88
- Other Advances - Festival	141,283.00	56,261.00
- Others - Advance for Travel	75,732.00	-
- Interest Recoverable	176,070.00	-
- Advance - others	108,652.00	-
TOTAL	4,778,194.88	2,021,953.88
AMOUNTS DUE FROM INSURANCE COMPANIES & OTHERS		
- Insurance Companies-[Indicates the amount due from State Insurance Companies]	149,292.00	229,485.00
- Agents - [Indicates the amount of expired cheques in hand received from agents earlier]	37,900.00	343,813.00
TOTAL	187,192.00	573,298.00
OTHER CURRENT ASSETS		
- Expense Recoverable	230.00	425.00
- Prepaid Expenses	236,732.00	346,195.00
- Interest Accrued but not due - Bank deposits	31,006,111.48	19,100,399.00
- Interest Accrued but not due - Staff Loans	-	19,140.00
- Advances on Capital Account - [For software development]	525,000.00	565,800.00
- Advance to M/s Tarriff Advisory Committee	178,067.00	-
TOTAL	31,946,140.48	20,031,959.00
CASH AND BANK BALANCES		
- Cash in hand	19,870.00	18,998.00
- Cheques in hand	-	-
- Cash/ Cheque in transit	-	-
- Balances with Scheduled Banks		
(a) In Current Account	4,722,114.57	5,558,629.27
(b) on Deposit Account	-	-
TOTAL	4,741,984.57	5,577,627.27
- Balance with Non Scheduled Bank		
(a) In Current Account	-	-
(b) In Deposit Account	-	-
TOTAL	-	-

ANNEXURE - IV

THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND ATTACHED TO AND FORMING PART OF UNAUDITED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2003

PARTICULARS	Figures for the Current Year Rs.	Figures for the Previous Year Rs.
Grant from Government of India	-	-

ANNEXURE - V

**THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND ATTACHED TO AND FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2003
CONTINGENT LIABILITIES**

PARTICULARS	Figures for the Current Year Rs.	Figures for the Previous Year Rs.
	-	-

ANNEXURE - VI

**THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND ATTACHED TO AND FORMING PART OF UNAUDITED INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2003
PAYMENT TO AND PROVISION FOR EMPLOYEES**

PARTICULARS	Figures for the Current Year Rs.	Figures for the Previous Year Rs.
i) Salaries, Allowances, Wages and Bonus	10,906,438.00	4,833,336.00
ii) Bonus	-	-
iii) Contribution to Provident Fund, etc. [including contribution to superannuation fund of Rs 1,673,413.00]	2,805,280.00	298,737.00
iv) Gratuity	267,070.00	210,148.00
v) Staff Welfare Expenses	240,460.00	142,197.00
vi) Others		
-Book Grant	-	-
-Leave Travel Concession	113,710.00	14,045.00
-Insurance	-	-
-Canteen Expenses	-	-
-Monetary Award - Studies	-	-
-Contribution to Group Insurance Scheme	66,555.00	21,770.00
-Reimbursement of expenses incurred by Staff	366,720.00	169,426.00
-Leave Salary	549,877.00	346,560.00
TOTAL	15,316,110.00	6,036,219.00



ANNEXURE - VII

**THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND
ATTACHED TO AND FORMING PART OF UNAUDITED INCOME AND EXPENDITURE
ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2003
ESTABLISHMENT EXPENSES**

PARTICULARS	Figures for the Current Year Rs.	Figures for the Previous Year Rs.
Repairs & Maintenance of Buildings & Premises	1,691,225.00	2,267,704.00
House Keeping - Office Maintenance	1,280,620.00	825,542.00
Repairs & Maintenance of Equipments	-	-
Repairs and Maintenance - Others	179,319.00	23,075.00
Electricity & water Expenses	687,314.00	803,258.00
Insurance Expenses	81,030.00	15,300.00
Rates and Taxes	-	-
Printing and Stationery	1,642,539.00	690,481.00
Books/Journals etc.	99,644.00	37,076.00
Postage, Telegraphs, Telephones, etc.	1,755,004.45	1,210,860.27
Travelling and Conveyance Inland	8,354,827.60	4,945,309.00
Travel - Foreign	6,594,150.00	5,367,184.00
Legal and Professional charges	3,797,364.00	1,440,279.00
Education/Training/R&D/Grievances Redressal Expenses	-	-
Audit Fees	89,450.00	99,520.00
Software	-	-
Publicity & Advertisement	1,295,406.00	2,062,541.00
Recruitment	-	-
Expenses of Meetings of Authority & Advisory Committee & Other meeting expenses including daily allowances paid to the members of the Committee	880,528.00	195,685.00
Membership and Subscription	1,069,338.00	415,835.50
Security Services	381,790.00	225,879.00
Web Portal Development Expenses	509,508.00	564,300.00
Canteen Expenses	320,825.00	143,523.00
Car Repair and Maintenance Expenses	91,916.00	52,560.00
Other Expenses	301,840.00	188,934.00
TOTAL	31,103,638.05	21,574,845.77

ANNEXURE - VIII

**THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND
ATTACHED TO AND FORMING PART OF UNAUDITED INCOME AND EXPENDITURE
ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2003
INTEREST**

PARTICULARS	Figures for the Current Year Rs.	Figures for the Previous Year Rs.
Government	-	-
Banks	-	-
Others	-	-
TOTAL	-	-



ANNEXURE - IX

THE INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY FUND ACCOUNT

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

[Unless otherwise specified, all amounts are in rupees]

1. BACKGROUND

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (The Authority) was established by an Act of Parliament-Insurance Regulatory & Development Authority Act, 1999 (Act)- and was constituted on April 19, 2000 by a notification issued in the Gazette of India. The Authority was established with a view to protecting the interests of the holders of insurance policies, to regulate, promote and ensure orderly growth of the insurance industry and for matters connected therewith or incidental thereto, issue to the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend or cancel registration, and levy fees and other charges for carrying out the purposes of the Act. The Authority, in terms of section 13 of the Act has been vested with the assets and liabilities of the Interim Insurance Regulatory Authority as are available on the appointed day i.e. April 19, 2000. In terms of section 16 of the Act a fund shall be constituted namely "The Insurance Regulatory and Development Authority Fund" [Fund]. The Fund shall constitute of all Government grants, fees and charges received by the Authority, all sums received by the Authority from such other source as may be decided upon by the Central Government and the percentage of prescribed premium income received from the insurer. The Fund shall be applied for meeting the salaries, allowances and other remuneration of the members, officers and other employees of the Authority and the other expenses of the Authority in connection with discharge of its functions and for the purposes of the Act.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting save for revenue recognition on cash basis as explained hereunder, and in accordance with the applicable standards on accounting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The significant accounting policies are as follows:

(a) Fixed assets and depreciation

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation on fixed assets is provided pro-rata to the period of use of on reducing balance method using rates determined based on the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956. Assets costing less than 5,000 have been depreciated 100% in the year of purchase unless the assets constitutes more than 10% of the respective block, in which case the assets is depreciated at the rates specified in the said Schedule XIV.

(b) Investments

Investments of the nature of fixed deposits with banks are stated at cost.



(c) Revenues

(i) Registration Fees

- (a) Received from insurer seeking for the first time, registration for carrying on any class of insurance business in India, are treated as income of the year of receipt.
- (b) Received in advance from existing insurers for renewal of registration already granted are treated as income of the year to which they relate.

(ii) License Fees

License fees received from insurance agents, surveyors, brokers and other insurance intermediaries are treated as income of the year in which it is received. License issued to insurance agents, surveyors, brokers and other insurance intermediaries are current for those years from date of issue and subject to renewal at the end of their currency. It is not practicable to distribute the License fees over the years to which they relate.

(iii) Grant from Ministry of Finance, Government of India

Initial Grant received has been treated as income of the year in which it is received.

(d) Foreign Currency transaction

Non-monetary foreign currency transactions are recorded at rates of exchange prevailing on the dates of the transactions. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated into rupees at the rates of exchange prevailing on the balance sheet date. The differences in translation of foreign currency liabilities related to the acquisition of fixed assets are adjusted in the carrying value of fixed assets. Other translation differences are reflected in the Income and Expenditure Account.

(e) Web Portal Development and Maintenance

Expenses incurred on Web Portal Development and Maintenance is charged to the Income and Expenditure Account in the year of incurrence.

(f) Retirement benefits

Retirement benefits to employees comprise contribution to provident fund, gratuity fund, superannuation fund and provision of leave encashment, which are provided in accordance with the Regulations made under the Act.

Leave encashment is provided for at the current encashable salary for the entire unavailed leave balances.

The Authority contributes to IRDA Employees Fund and IRDA Superannuation Fund trust.

The liability for gratuity is determined based on actuarial valuation, in accordance with gratuity scheme framed by the Authority.

3. INCOME-TAX

No income tax provision has been made in view of income of the Authority being exempt under section 10 (23BBE) of the Income tax Act, 1961.

4. EMPLOYEES PROVIDENT FUND AND SUPERANNUATION FUND

The Authority during the year established two trusts with effect from April 19, 2000 styled as "IRDA Employees Provident Fund" and "IRDA Superannuation Fund" for the benefit of its officers and other employees. The aggregate contribution by the Authority and the employees towards Provident Fund



including the differential amount at enhanced rate of 12% [1,75,092], lying inter-alia as earmarked fixed deposits has been remitted to the trust. In addition, the Authority contributed a sum of 1,673,413 towards Superannuation liability for the period April 19, 2000 till March 31, 2003 [including 642,279 for the period April 19, 2000 till March 31, 2002]

5. REGISTRATION/RENEWAL FEES

- (A) In pursuance of Authority's decision to scale down the levy of renewal fees for registration of the insurers to 0.1% of the gross premium from 0.2% of the gross premium, retrospectively for the financial years with effect from April 01, 2001, the income for the year has been accordingly accounted for. Also, an amount of 89,351,763 earlier accounted for as income in the year 2001-02 has been provided and shown as deduction from the excess of income over expenditure for the year and the resulting excess of expenditure over income carried to Balance Sheet.
- (B) The renewal fees from State Insurance agencies have not been accounted for in the absence of information of gross insurance premium.
- (C) In the absence of agent wise accounting of license fee, the amount deposited in excess of the recoverable license fee of 135,850 [based on licenses issued during the year] has been treated as license fee income.

6. DEPOSIT OF FUNDS OF THE AUTHORITY INTO PUBLIC ACCOUNT OF INDIA

The Authority has received a letter from Ministry of Finance, Department of Economic Affairs dated July 17, 2002 directing the Authority to deposit the moneys so far collected by the Authority in the Public Account of India as non-interest bearing account and allowing the Authority to withdraw a specified amount in the beginning of each year from the said Public Account for meeting its expenditure. The Authority is seeking review of the direction received, as in its view the funds raised by it from the insurers and the intermediaries do not have the character of Government Revenue and cannot form part of the Public Fund of India, which position is in accord with the legal opinion obtained by the Authority. The Authority is pursuing the issue with the Government of India and the matter is pending resolution.

7. HEADQUARTERS OF THE AUTHORITY

The Authority, in pursuance of the decision taken by the Government of India in November, 2001 to shift the Headquarters of the Authority from New Delhi to Hyderabad, shifted the actuarial department in April, 2002 and the other departments in August 2002. The office of the Authority is located in Parisrama Bhavanam where a portion of the third floor has been given to it free of rent by Andhra Pradesh Industrial Development Corporation Limited [APIDC].

The Government of Andhra Pradesh through A.P. Industrial Infrastructure Corporation Limited [APIDC] has allotted a plot of five acre land in the financial district at Nanakramguda Village, Serilingampally Mandal, RR Distrcit, Hyderabad free of cost, possession whereof is yet to be taken.

8. PROMOTIONAL EXPENDITURE

The Authority caused through government media a special campaign for the promotion of insurance awareness, education and for the general development at a cost of 120,115,000.



9. CONTRIBUTION TO INSTITUTE OF INSURANCE AND RISK MANAGEMENT

The Authority has jointly promoted the setting up of the Institute of Insurance and Risk Management [the Institute], which will carry out research on insurance and risk management with the Government of Andhra Pradesh, with the latter contributing by provision of the land for the Institute. The Institute will function as a research arm of the Authority. The Authority during the year contributed a sum of 10,000,000 for meeting the recurring costs for conducting seminars etc. and included under promotional expenditure. The Authority has also contributed 100,000,000 in November 2002 to constitute an endowment for 80,000,000 and the balance to meet for construction of building and infrastructure of the Institute's premises and charged as Development Expenditure. An endowment deed has since been signed between the parties and the trustees to the endowment deed have been nominated.

10. OPERATING LEASES

There are no non-cancelable lease arrangements. The lease payments are made in accordance with lease agreements.

The Authority is in occupation of premises at Hyderabad at free of rent but is obliged to hand over the premises on a "as is where is basis" to Andhra Pradesh Industrial Development Corporation Limited upon vacation. The lease payments in respect of other premises recognised in the income and expenditure account is 6,837,332 [Previous year 8,673,118].

11. ADVANCE FOR SOFTWARE DEVELOPMENT

The Authority during the year 2001-02 paid a sum of 525,000 being 30% of agreed sum of 1,750,000 for developing a computerised system. Pending, the complete development of compatible computerised system for the monitoring of insurers, neither adjustment of above advance nor any further provision during the year has been made.

12. PRIOR YEAR COMPARATIVES

Previous year figures have been regrouped, wherever considered necessary to make them comparable with the current year's figures.

परिदृश्य

प्राधिकरण को बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम, 1999 की धारा 20 के अनुसरण में प्राधिकरण की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। यह रिपोर्ट वर्ष 2002-03 के दौरान प्राधिकरण के कार्य निष्पादन को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करती है और इसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में बीमा कारबार के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से किए गए प्रयास भी हैं। आगामी पैरा वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान प्राधिकरण द्वारा किए गए क्रियाकलापों को संक्षिप्त रूप से बताते हैं। भाग 1 से 4 में अधिक ब्यौरेवार विवरण दिया गया है। भाग 1 में प्राधिकरण की नीतियां और कार्यक्रम अंतर्विष्ट हैं; भाग 2 में प्राधिकरण के कार्यकरण और सक्रियाओं का पुनर्विलोकन किया गया है; भाग 3 में बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम, 1999 की धारा 14 में अधिष्ठापित प्राधिकरण के कानूनी कृत्यों का वर्णन किया गया है; और भाग 4 संगठनात्मक विषयों से संबंधित है।

बीमा क्षेत्र के सुधारों का प्रारंभ :

बीमा क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया मल्होत्रा समिति द्वारा बीमा सुधारों पर विस्तृत सुधारों की सिफारिश किए जाने के साथ प्रारंभ हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम, 1999 को अधिनियमित किया गया था और बीमा अधिनियम, 1938, एलआईसी अधिनियम, 1956 तथा साधारण बीमा कारबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 (जीआईबीएनए) को संशोधित किया गया था और इसके पश्चात् वित्तीय वर्ष 2002-03 में बीमा अधिनियम, 1938 और जीआईबीएनए में संशोधन किए गए।

19 अप्रैल, 2000 को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) के गठन के पश्चात् प्राधिकरण ने बीमा उद्योग के लिए अनेक विनियम अधिसूचित किए हैं (विनियमों की सूची उपाबंध 1 में है)। इन विनियमों ने, बीमा कंपनियों की, जिनमें मध्यवर्ती भी सम्मिलित हैं, भूमिका, उत्तरदायित्वों और कृत्यों सहित संपूर्ण बीमा क्रियाकलापों के लिए आधारभूत नियम और मानक स्थापित किए हैं और ये वह रीति भी विहित करते हैं, जिसमें पालिसीधारकों के हितों की रक्षा की जानी है। इन विनियमों को भी, बदलती प्रचालन और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए उपांतरित किया गया है।

प्राधिकरण के गठन के साथ प्रारंभ की गई सुधार की प्रक्रिया निर्बाध रही है और इसने नियंत्रित एकाधिकार को समाप्त करके उदारीकृत और खुली बीमा कारबार परिस्थिति स्थापित करने वाले रचनात्मक अंतरण को सुकर बनाया है। इसने पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियों के कौशल को, निजी बीमाकर्ताओं के, जिन्होंने जीवन और गैर-जीवन, दोनों क्षेत्रों में विदेशी संयुक्त भागीदारों के साथ सहयोग से सक्रियाएं स्थापित की हैं, कौशल के साथ संयुक्त किया है। इस प्रक्रिया ने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से तैयार किए गए बीमा उत्पादों में विभिन्न प्रकार की नवीनताओं को बढ़ावा दिया है। इस अंतरण का, विशेषकर बीमा उपभोक्ताओं ने और उद्योग के विभिन्न पणधारियों ने स्वागत किया है।

जीवन बीमाकर्ता :

वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं ने 55738.11 करोड़ रुपए प्रीमियम निम्नांकित किया है, जो पूर्व वर्ष का 50094.44 करोड़ रुपए के प्रीमियम से 11.27 प्रतिशत अधिक है। इससे पूर्व वर्ष 2001-02 में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा निम्नांकित कारबार में 43.54 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। एल आई सी का वर्ष 2001-02 और वर्ष 2002-03 में जीवन क्षेत्र में निम्नांकित प्रथम वर्ष प्रीमियम (एकल प्रीमियम सहित) कारबार में अंश क्रमशः 98.65 और 94.34 प्रतिशत था। एल आई सी ने कुल मिलाकर, जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा वर्ष 2002-03 में निम्नांकित प्रीमियम का 98.01 प्रतिशत प्राप्त किया था, जबकि वर्ष 2001-02 में यह 99.46 प्रतिशत था। तदनुसार, निजी कंपनियों का अंश, जो वर्ष 2001-02 में 0.54 प्रतिशत था, वर्ष 2002-03 में बढ़कर 1.99 प्रतिशत हो गया।

चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बीमाकर्ताओं ने 5435.96 करोड़ रुपए का प्रथम वर्ष प्रीमियम निम्नांकित किया था। वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान निम्नांकित प्रीमियम और पालिसियों में एल आई सी का बाजार अंश क्रमशः 4840.62 करोड़ रुपए (89.05%) और 8241776 (94.32%) था। वहीं बारह निजी कंपनियों ने 496248

पालिसियां (5.68%) के लिए 595.34 करोड़ रुपए निम्नांकित किए।

गैर-जीवन बीमाकर्त्ता :

साधारण बीमा उद्योग में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनका प्रभाव आने वाले वर्षों में उद्योग के विकास पर पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर गैर-जीवन बीमाकर्त्ताओं को उन्हें प्रतिधारित करने वाली कंपनी भारतीय साधारण बीमा निगम से अलग करके सुधार प्रक्रिया को गतिशील बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, जी आई सी ने, जिसे राष्ट्रीय पुनःबीमाकर्त्ता के रूप में अधिसूचित किया गया था, प्रत्यक्ष कारबार निम्नांकित करना बंद कर दिया है। इस वर्ष, देश में फसल बीमा और अन्य संबद्ध बीमा कारबार निम्नांकित करने के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. की स्थापना की गई थी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2003-04 में फसल बीमा कारबार इस नई कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा।

राष्ट्रीय पुनःबीमाकर्त्ता के रूप में अपने नए अवतार के रूप में, जी आई सी ने जीवन पुनःबीमा कारबार के क्षेत्र में पैर फैलाना आरंभ कर दिया है। निगम वित्तीय/ऋण पुनःबीमा के क्षेत्र में भी कारबार करना आरंभ कर रहा है। जी आई सी अनुकूल और कारबार संबंधी समझौतों द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजारों, विशेषकर अफ्रो-एशियाई देशों में अपनी उपस्थित महसूस कराने के उद्देश्य से प्रयास कर रही है। तथापि, उद्योग में स्थापित बहुराष्ट्रीय दलालों के आ जाने से चुनौतियां भी हैं-ये अस्तित्व अंतरराष्ट्रीय पुनःबीमा कारबार के लिए अपने संपर्कों का उपयोग करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान गैर-जीवन बीमाकर्त्ताओं द्वारा 15614.85 करोड़ रुपए का कुल प्रीमियम निम्नांकित किया गया था, जिसके अंतर्गत जी आई सी द्वारा निम्नांकित फसल बीमा भी है यह पूर्व वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक था। गैर-जीवन खंड में पब्लिक सेक्टर बीमाकर्त्ताओं के वित्तीय वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान अंश क्रमशः 96.32 और 91.36 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2002-03 में आठ निजी कंपनियों का अंश 8.64 प्रतिशत था, जबकि पूर्व वर्ष में छः निजी कंपनियों का अंश मात्र 3.68 प्रतिशत था।

चालू वित्तीय वर्ष, 2003-04 के पहले छः मासों के दौरान गैर-जीवन बीमाकर्त्ताओं ने कुल 8081.06 करोड़ रुपए का

प्रीमियम निम्नांकित किया था, जो पूर्व वर्ष की प्रथम छमाही के 7169.88 करोड़ रुपए के प्रीमियम से 12.71 प्रतिशत अधिक था। पब्लिक सेक्टर बीमाकर्त्ताओं ने 6973.78 करोड़ रुपए का प्रीमियम निम्नांकित करके पूर्व वर्ष की तत्समान अवधि की तुलना में 6.03% (6576.87 करोड़ रुपए) की वृद्धि दर्ज की, इसके विपरीत निजी बीमाकर्त्ताओं ने 1107.27 करोड़ रुपए का प्रीमियम निम्नांकित किया, अर्थात् पूर्व वर्ष की तत्समान अवधि की तुलना में 86.72% (593.01 करोड़ रुपए) की वृद्धि दर्ज की।

आज बीमा उद्योग आतंकवाद, पुनःबीमा दरों में वृद्धि, जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, और मुख्यतः आमूल रूप से परिवर्तित वैश्विक जोखिम परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूल बनाने की चेष्टा कर रहा है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों में कम होती निवेश आय और निम्न ब्याज दरों ने बीमाकर्त्ताओं के लाभों पर प्रभाव डाला है। अच्छी बात यह है कि निम्न मुद्रास्फीति दर ने दावों और प्रचालन लागतों को नियंत्रण में रखा है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2002-03 में कोई आर्थिक/प्राकृतिक आपदा भी नहीं आई। हालांकि नई कंपनियों को, जो अपने प्रचालनों के प्रारंभिक दौर में हैं, खंड के लाभ में सहयोगी बनने में अभी समय लगेगा। वित्तीय वर्ष के दौरान परिस्थितियां लाभ के लिए सहयोगी बनी रहीं। इसके साथ-साथ विद्यमान पब्लिक सेक्टर बीमाकर्त्ताओं ने भी बदलती प्रतियोगी बाजार परिस्थितियों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाए किए हैं।

मध्यवर्त्तन की प्रक्रिया :

सुधार प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, निगम अभिकर्त्ता पद्धति आरंभ होने के साथ व्यष्टि अभिकर्त्ताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2003 को प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत नए अभिकर्त्ताओं की संख्या 5,99,708 थी, जिनमें से 1151 निगम अभिकर्त्ता थे। ये उन 514,426 अभिकर्त्ताओं के अतिरिक्त हैं, जिनकी अनुज्ञप्तियां नवीकृत की गई हैं। प्राधिकरण ने उद्योग में बीमा दलालों की अवधारणा को आरंभ किया है-वे अपनी विशिष्ट बीमा जानकारी, दक्षता और बीमा समुदाय के प्रति सेवाओं के साथ बीमाकृत व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 31 मार्च, 2003 तक 40 दलालों को अनुज्ञप्तियां जारी की गई थी। अक्टूबर, 2003 तक 125 दलाली अनुज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिनमें से 102 प्रत्यक्ष हैं, 19 मिश्रित और 3 पुनःबीमा दलाल हैं। इससे पूर्व

प्राधिकरण ने, बीमाकर्त्ताओं द्वारा विक्रय की गई स्वास्थ्य बीमा संविदाओं में, बीमाकर्त्ताओं को प्रभावी सेवा उपलब्ध कराने में सहायता देने के लिए बीमा मध्यवर्तियों के एक अन्य वर्ग, अर्थात् तीसरा पक्षकार प्रशासक (स्वास्थ्य) आरंभ किया था। इस समय प्राधिकरण के पास 23 अनुज्ञात टीपीए हैं।

उदारीकरण से पूर्व यथा विद्यमान बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों की पद्धति में अनेक ऐसी कमियां थीं, जो चिंता का विषय थीं। प्राधिकरण की पहल पर सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों का वर्गीकरण किया गया था। यह परिकल्पना की गई थी कि अहंता और अनुभव के आधार पर क्रमबद्ध रूपरेखा पर किया गया वर्गीकरण इन वृत्तियों को बीमा उद्योग की अधिक प्रभावी और वृत्तिक रीति में सेवा करने में समर्थ बनाएगा। सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए एक संस्थान का संवर्धन करने की आवश्यकता की समीक्षा करने के विचार से न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. के पूर्व अध्यक्ष श्री के.एन. भंडारी की अध्यक्षता के अधीन सरकार ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सरकार, प्राधिकरण की इस राय की पक्षधर है कि सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के एक संस्थान का संवर्धन किया जाए, जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान जैसे वृत्तिक निकायों की भांति एक स्व:वित्तपोषित और स्व:विनियमित स्वायत्तता प्राप्त निकाय होगा। यह प्रस्ताव किया गया है कि यह संस्थान अपने सदस्यों के लिए सनियम और मानक स्थापित करेगा, परीक्षाओं का संचालन करेगा, शैक्षिक पाठ्यक्रम और अनुसंधान चलाएगा और आचार संहिता का प्रवर्तन करेगा। प्रारंभ में प्राधिकरण संस्थान का संवर्धन करेगा और इसकी संक्रियाओं के पुनर्विलोकन के आधार पर संस्थान के कानूनी हैसियत प्रदान करने का विनिश्चय किया जाएगा। समिति की सिफारिशें समीक्षाधीन हैं।

बीमांकन वृत्ति :

पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर बीमा उद्योग के उदारीकरण के पश्चात् बीमांककों की भूमिका में वृद्धि हुई है। बीमांकन वृत्ति एक ऐसे रूप में सामने आई है, जो विश्व भर में बीमाकर्त्ताओं को, जोखिम के लाभप्रद मूल्य निर्धारण, निगम नीति और नवीन बीमा उत्पाद आरंभ करने में एक प्रतियोगी श्रेष्ठता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, इस वृत्ति में अभिजात पुनर्विलोकन के निबंधनों में विकास हुआ है, जिसमें बीमांककों ने एक-दूसरे के

कार्यों के मूल्यांकन और उस पर टिप्पणियां करने की एक स्वास्थ्य परिपाटी को विकसित किया है। ऐसे व्यवहार अच्छे वृत्तिक मानकों की स्थापना में सहायता करेंगे। भारतीय बीमांकिक सोसायटी ने भी वृत्ति के विकास के लिए और दिशानिर्देश टिप्पण जारी करके व्यवहारों का मानकीकरण करने के प्रयास किए हैं। विधायी क्षेत्र में, वृत्ति को कानूनी परिस्थिति प्रदान करने वाले एक विधेयक पर विचार किया जा रहा है। प्राधिकरण ने पहले ही उक्त विधेयक के प्रारूप पर अपनी टीका-टिप्पणियों को भेज दिया है और यह आशा की जाती है कि विधेयक पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा।

तीन वर्ष पहले आरंभ की गई सुधार प्रक्रिया की कुछ उपलब्धियां रही हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया से प्रतियोगिता को बढ़ावा मिला है, ग्राहक को अधिक चुनाव उपलब्ध कराए गए हैं, बीमा क्रियाकलापों के लिए नवीन मार्ग और उपाय आरंभ हुए हैं, उद्योग में दक्षता का स्तर बढ़ा है, घनत्व और पहुंच के निबंधनों में बीमा का क्षेत्र विस्तृत हुआ है, बीमाकर्त्ता ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों की आवश्यकता के लिए सेवाएं उपलब्ध करने के लिए आबद्ध हुए हैं और बीमा की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। तथापि, अभी तक की उपलब्धियों को बीमा क्षेत्र की दक्षता में सुधार लाने के लिए सीढ़ी बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि लागतों को घटाकर देश भर में बीमा की पहुंच में वृद्धि हो। उद्योग को मिल रही प्रशंसा से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए।

विधायी ढांचे का पुनर्विलोकन :

प्राधिकरण द्वारा, भारत के विधि आयोग को बीमा अधिनियम, 1938 को पुनर्विलोकन करने का अनुरोध किए जाने की बीमा उद्योग में व्यापक प्रशंसा हुई है। विधि आयोग द्वारा जारी परामर्श पत्र का अनेक क्षेत्रों में स्वागत हुआ है और इस पर टीका टिप्पणियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनसे सरकार और उद्योग को इस बात पर व्यापक मत बनाने में सहायता मिलेगी कि बीमा संबंधी विधानों को संसद के एकल अधिनियम में संहिताबद्ध किया जाए, जिसमें विधायी शक्तियां भारत सरकार के पास हों और बीमा उद्योग के वृत्तिक पर्यवेक्षण और विकास के लिए विनियामक तंत्र प्राधिकरण में निहित हो।

विधि आयोग की सिफारिशें मुख्यतः बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम के उपबंधों को बीमा अधिनियम, 1938 (अधिनियम) में सम्मिलित करने, जिससे कि विधानों की बहुलता से बचा जा सकें, बीमा



उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिनियम के उपबंधों को संशोधित और अद्यतन करने; किसी विशिष्ट विषय/वस्तु से संबंधित विभिन्न उपबंधों को, जो अधिनियम की भिन्न-भिन्न धाराओं में अंतर्विष्ट हैं, एक मूल उपबंध में रखकर संगत बनाने; कतिपय धाराओं की, उनमें अस्पष्टता को समाप्त करने और उन्हें और अधिक विनिर्दिष्ट तथा स्पष्ट बनाने के लिए पुनःसंरचना करना तथा कतिपय पदों को, जिन्हें विद्यमान विधान में सुधार की प्रक्रिया में परिभाषित करना अपेक्षित है, परिभाषित/पुनःपरिभाषित करने से संबंधित मुद्दों से जुड़ी हैं। आयोग ने एक संपूर्ण शिकायत समाधान तंत्र की और अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किए जाने वाले जुर्मानों और शास्तियों की सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिससे कि विनियामक तंत्र में पर्याप्त अंतःनिर्मित निवारण को सुनिश्चित किया जा सके।

टैरिफ और गैर-टैरिफ खंडों की पुनःसमीक्षा :

बीमाकर्त्ताओं द्वारा साधारण बीमा कारबार में किसी जोखिम या किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के जोखिमों की बाबत प्रस्तावित की जाने वाली दरों, फायदों, शर्तों तथा निबंधनों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 का संशोधन करके (जून, 1969 से प्रभावी) टैरिफ सलाहकार समिति (टीएसी) की स्थापना की गई थी। प्राधिकरण का अध्यक्ष टीएसी का पदेन अध्यक्ष है। वर्तमान में टीएसी साधारण बीमा कारबार के कतिपय विनिर्दिष्ट खंडों की बाबत टैरिफ प्रशासित कर रही है। साधारण बीमा कारबार के अन्य सभी खंड गैर-टैरिफ हैं और उनकी दरें, फायदें, निबंधन और शर्तें बीमाकर्त्ताओं द्वारा उनके अपने मूल्य निर्धारण और निम्नांकन दर्शन के अनुसार अवधारित की जाती है। गैर-टैरिफ उत्पादों को बीमा उत्पादों द्वारा प्राधिकरण को फाइल और उपयोग प्रक्रिया के अधीन फाइल किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए बीमाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार गैर-जीवन खंड में निम्नांकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम में गैर-टैरिफ कारबार का अंश 25 प्रतिशत है।

उद्योग में बीमाकर्त्ताओं द्वारा दर में कटौती और टैरिफ के उल्लंघन के रिपोर्ट किए गए मामलों को देखते हुए एक मत यह है कि बाजार में इस कदाचार को रोकने के लिए गैर-जीवन बीमा कारबार का टैरिफ समाप्त करना एक संभाव्य उपचार है। टैरिफ समाप्त करने से, ऐसे उपभोक्ताओं की तुलना में, जिनकी आस्तियां हानि संभाव्य हैं, उन उपभोक्ताओं की सेवा आवश्यकताओं की

पूर्ति होगी, जिनके जोखिमों का प्रबंध बेहतर है और जिनके लिए प्रति आर्थिक सहायता की अपेक्षा होती है न कि पूर्वतर की भांति, जिनके लिए लोडिंग अपेक्षित होती है। टैरिफ, प्रतियोगिता की परिधि को कम करते हैं, बाजार को अनम्य बनाते हैं, बीमा उपभोक्ताओं की बदलती आवश्यकताओं के प्रति अनकूलनशीलता में कमी लाते हैं, और बाजार में नवीनता का अभाव उत्पन्न करते हैं। अंत में किंतु अन्यों की भांति ही महत्वपूर्ण टैरिफ समाप्त करने की प्रक्रिया से उद्योग को उत्पादों का मूल्य निर्धारण करते समय दावों और प्रीमियमों के आंकड़ों को उपयोग करने को बढ़ावा मिलेगा।

प्रतियोगी परिस्थितियों में बीमाकर्त्ता दीर्घकालिक रणनीतियां अपनाते को बाध्य होंगे। यह ध्यान दिलाया जा सकता है कि मल्होत्रा समिति ने भी प्रतियोगिता का संवर्धन करने और निम्नांकन कौशल में सुधार करने के लिए टैरिफ को कुछ वर्गों तक सीमित रखने के उद्देश्य से प्रगतिशील रूप से टैरिफ समाप्त करने की सिफारिश की थी। अभी हाल ही में, रंगराजन सीमित ने जिसे अक्टूबर, 2002 में मोटर बीमा के संबंध में गठित किया गया था, एक प्रतियोगी प्रीमियम नियतन आदर्श के अधीन मोटर क्षेत्र के स्व क्षति कारबार में, परिवर्तन के लिए समय सूची के साथ टैरिफ समाप्त करने की सिफारिश की है।

अप्रैल, 2005 से मोटर स्व क्षति भाग में टैरिफ समाप्त करने के विनिश्चय के आधार पर जी आई सी के पूर्व अध्यक्ष श्री एस.वी. मोनी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें सदस्यों के रूप में, निजी और पब्लिक सेक्टर के बीमाकर्त्ताओं को और विनिर्माताओं तथा परिवहन मंत्रालय से प्रतिनिधि लिए गए हैं, जो मोटर एवं क्षति में टैरिफ समाप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति तैयार करेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना में, प्राधिकरण द्वारा जी.ए.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की है कि अप्रैल, 2006 के पश्चात दो वर्ष की अवधि के लिए शुद्ध जोखिम प्रीमियम आधार पर टैरिफ अपनाने की सलाह दी थी। मुक्त मूल्य नियतन को बाजार में लाने की प्रक्रिया के साथ बीमाकर्त्ताओं को विवेकपूर्ण निम्नांकन व्यवहारों को अपनाना होगा, बीमा दलालों की तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि करनी होगी और उपभोक्ताओं को उन संभावित फायदों के प्रति जागरूक बनाना होगा, जो टैरिफ समाप्त होने से उनको मिल सकेंगे।

तीसरा पक्षकार दायित्व—मोटर बीमा :

मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अधीन भारतीय सड़कों पर चलने वाले सभी रजिस्ट्रीकरण दावों के लिए तीसरा पक्षकार मोटर बीमा अनिवार्य है। अधिनियम के उपबंध अपेक्षा करते हैं कि किसी सार्वजनिक स्थान में प्रत्येक मोटर यान का तीसरा पक्षकार जोखिम के प्रति बीमा होना चाहिए। इन उपबंधों के पीछे मंतव्य यह है कि यान के चालक/मालिक की वित्तीय स्थिति के बावजूद भी बीमाकर्त्ताओं द्वारा क्षतियों के संदाय का एक आंतरिक तंत्र हो। अधिनियम की धारा 147 दायित्व की सीमा अधिकथित करती है। जहां तीसरे पक्षकार की संपत्ति को क्षति की बाबत दायित्व सीमित है, वहीं यह किसी मोटर दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को तीसरा पक्षकार शारीरिक चोट के संबंध में असीमित है। न्यायालयों ने मोटर वाहन दुर्घटनाओं के मामले में प्रतिकार के संदाय में उदार रुख अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में यह स्पष्ट संप्रेक्षण किया है कि मात्रा को उन्मुक्त रूप से अवधारित किया जाना चाहिए न कि कंजूसी से क्योंकि किसी स्वतंत्र देश में विधि की दृष्टि में जीवन और अंग बहुमूल्य हैं। अर्थशास्त्र के संदर्भ में, बीमा उद्योग के लिए इसके परिणाम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति के और बीमाकृत राशि के संबंध में ऐसी हानि के जोखिम को न्यूनतम करने के आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध है। बीमाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत कारबार के आंकड़ों से यह पता चलता है कि उपगत दावों का अधिक भाग तीसरा पक्षकार दावों के संदर्भ में है और यह लाभ को कम करता है। यद्यपि इस विशिष्ट खंड में, जो स्पष्ट रूप से आर्थिक सहायता है, प्रीमियम की कमी की पूर्ति के लिए अनेक विकल्पों का सुझाव दिया गया है और समीक्षा की गई है।

रंगराजन समिति ने मोटर निम्नांकन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए मोटर तीसरा पक्षकार दायित्व पर भी विचार किया है और यह सिफारिश की है कि तीसरा पक्षकार दायित्व बीमा कारबार को करंतीन किया जाए और उक्त कारबार के लिए बीमाकर्त्ताओं की बहियों में पृथक लेखा रखा जाए, क्योंकि इससे तीसरा पक्षकार पोर्टफोलियो की लाभदायकता या अन्यथा का विश्लेषण सुकर बनेगा। समिति ने, सरकार को मोटर यान दुर्घटनाओं के लिए तीसरे पक्षकार दायित्व की कानूनी बाध्यता का पुनर्विलोकन करने के लिए है, जिससे कि उस पर नियंत्रण किया

जा सके, विशेष रूप से जब तक तीसरा पक्षकार प्रीमियम टैरिफ से युक्त है, जिसके प्रति बीमाकर्त्ता का दायित्व असीमित है।

बीमा क्षेत्र में स्वतः विनियामक तंत्र को सुदृढ़ करना:

विश्व भर में विनियामक तंत्र, विनियमित अस्तित्वों के भीतर निगम शासन के लिए तंत्र बनाने के लिए अग्रसर हैं। निवेश समिति, आंतरिक संपरीक्षा समिति, संयुक्त कानूनी लेखापरीक्षक, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, की अपेक्षाओं को स्वतः विनियामक तंत्र को दृढ़ करने के लिए विहित किया गया है। विनियामक की, विनियामक तंत्र के अधीन ठीक और उचित प्रबंध करने की क्षमता के साथ ऐसे बाजार व्यवहार विनियामक की अपवाद के रूप में प्रबंध करने की भूमिका को दृढ़ करते हुए, सर्वोत्तम प्रबंध व्यवहारों की स्थापना को सुकर बना सकते हैं। यह उद्योग के स्व अनुशासित तंत्र के साथ उद्योग को मजबूत बना सकता है और साथ ही गलत बाजार व्यवहारों को समाप्त कर सकता है। भारतीय बीमा सभा और जीवन बीमा तथा साधारण बीमा परिषदों का फरवरी, 2001 में पुनःगठन किया गया था और अब इनमें सदस्यों के रूप में उद्योग के व्यक्ति हैं। ये सभाएं निश्चित रूप से शेष विश्व के अनुभवों और उसमें विकसित सर्वोत्तम व्यवहार से सीख लेती हैं। उद्योग सभाएं, अतिरिक्त प्रकटन की अवधारणा को आरंभ करने, उत्पादों के मूल्य नियतन को सुकर बनाने के लिए पूल सांख्यिकीय द्वारा, बेहतर जोखिम प्रबंध प्रणाली विकसित करने और बाजार आचार के लिए सर्वोत्तम संहिता नियत करने जैसे मुद्दों पर आम सहमति बना सकते हैं। हालांकि इस दिशा में कुछ पहल की गई हैं, किन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एक विशिष्ट उदाहरण है, अभिकरण बल को न केवल उनकी तकनीकी क्षमता में सुधार करने, अपितु नैतिक सर्वोत्तम व्यवहार भी लाने के लिए, प्रशिक्षण देना। अतिक्रमण के लिए स्व विनियमन के साथ-साथ त्वरित बाजार प्रत्युत्तर से निवारणकारी प्रभाव उत्पन्न हो सकता है।

प्राधिकरण को बीमा और पुनःबीमा से जुड़े वृत्तिक संगठनों को संवर्धित और विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा मध्यवर्तियों का कार्य संचालन ऐसी रीति में किया जाता है, जिससे कि विभिन्न पणधारियों के हितों की रक्षा की जा सके, एक आचार संहिता विहित की गई

है। इस प्रकार कदाचार के मामलों पर कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त, चूंकि बीमा उद्योग वित्तीय तंत्र का एक भाग है, प्राधिकरण ने भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ वित्तीय मध्यवर्तियों की वास्तविक मानिटरिंग के लिए तंत्र स्थापित किया है। इस तंत्र को आने वाले समय में और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

उपभोक्ता शिकायत समाधान प्रणाली :

बीमा उद्योग को खोलने और नई कंपनियों के आ जाने से, जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और वे जोर-शोर से अपने अधिकारों की मांग भी करते हैं। यह केवल बीमा ग्राहकों के लिए ही सत्य नहीं है, अपितु आम जनता के लिए भी सत्य है और उपभोक्ता अधिकार संगठन दिनोंदिन मजबूत हो रहे हैं।

पालिसीधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए विद्यमान तंत्र तीन विभिन्न मंच उपलब्ध कराता है, अर्थात् बीमाकर्त्ताओं का आंतरिक शिकायत समाधान प्रकोष्ठ; उपभोक्ता न्यायालय, जो उपभोक्ता विवादों को समाप्त करने के लिए तीन स्तरीय प्रणाली, जिला मंच, राज्य मंच और राष्ट्रीय मंच, विभिन्न धनीय अधिकारिता के साथ, और सिविल न्यायालय। इसके अतिरिक्त 20 लाख रुपए तक के दावों के लिए शिकायतों की निजी रूपरेखा पर कार्यवाही करने के लिए बीमा ओमबडसमेन का तंत्र भी है। प्राधिकरण ने भी पालिसीधारकों के हितों की रक्षा करने के विचार से, अपनी स्वयं की पहल पर पालिसीधारकों के हितों की संरक्षा के लिए विरचित विनियमों के समानांतर तंत्र के रूप में आंतरिक उपभोक्ता शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया है। यद्यपि विनियम दावों पर कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया अधिकथित करते हैं और प्रत्येक बीमाकर्त्ता को, पालिसीधारकों की शिकायतों और कष्टों के दक्ष समाधान के लिए समुचित प्रक्रियाओं को, रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्त्ताओं द्वारा विक्रय की गई बीमा सविदाओं के अधीन सेवाएं उपलब्ध कराने के कार्यक्रम में नोटिस की गई कमियों को सामने लाने के लिए स्थापित किया गया है। प्रकोष्ठ को पालिसीधारकों के सामने आ रही समस्याओं को और बीमा क्षेत्र को खोले जाने के संदर्भ में उनकी आशाओं संतुष्टि के स्तर को समझने के लिए स्थापित किया गया है। बीमाकर्त्ताओं से यह आशा की जाती है कि वे न केवल सेवा के स्थापित मानकों को पूरा करेंगे, अपितु प्रस्ताव प्ररूप और नीति दस्तावेज दोनों में अपेक्षित प्रकटन भी करेंगे।

सीजीसी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बीमाकर्त्ताओं द्वारा किए गए वायदे पूरे किए जाएं। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि निम्नांकन व्यवहारों की गुणवत्ता बीमाकर्त्ताओं को दावा समाधान प्रक्रिया में तेजी लाने में समर्थ बनाएगी।

विधि आयोग, जो बीमा उद्योग के लिए विधायी ढांचे के पुनर्विलोकन के लिए कार्यवाही कर रहा है, एक पूर्ण विकसित शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है, जिसके अंतर्गत शिकायत समाधान प्राधिकरण (जीआरए) का गठन, व्यतिक्रमी बीमाकर्त्ताओं, बीमा मध्यवर्तियों और अभिकर्त्ताओं के लिए शास्ति अवधारित तथा उद्गृहित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति और अपीलों का उपबंध करने के लिए बीमा अपील अधिकरणों (आईएटी) की स्थापना तथा आईएटी के विनिश्चयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कानूनी अपील किया जाना भी है। विद्यमान प्रणाली में कमियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकल्पों की और ऐसे तंत्र को स्थापित करने से उद्योग को संपूर्ण लागत फायदा विश्लेषण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता होगी। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि शिकायत समाधान प्रणाली की पर्याप्तता का निरंतर मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता होगी, विशेषकर ऐसी अर्थव्यवस्था में, जहां ग्राहकों की आशाएं बढ़ रही हैं।

बीमा के फायदों के प्रसार के लिए विकास स्तर को बनाए रखना :

वर्ष 2002 में बीमा अधिनियम में संशोधन करने के पीछे एक उद्देश्य था, बीमा क्षेत्र में सहकारी सोसायटियों के प्रवेश को सुकर बनाना तथा निगम अभिकर्त्ताओं और बीमा दलालों को मान्यता देना, जिससे बीमा बाजार के विकास का संवर्धन हो और बीमा पहुंच के स्तर में वृद्धि हो। इस संबंध में अन्य पहलों के अंतर्गत बीमाकर्त्ताओं की ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बाध्यताएं अधिकथित करना और बीमा के संदेश का प्रसार करना भी है। प्राधिकरण ने बीमा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रसार भारती के परामर्श से आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर मुख्य समय पर दिए जाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। इसके अतिरिक्त देशी भाषाओं के समाचार पत्रों के माध्यम से भी एक प्रचार अभियान भी चलाया गया था। इन पहलों का उद्देश्य था, देश के करोड़ों लोगों के दिन-प्रतिदिन के जीवन में बीमा के

3rd वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2002-2003

महत्व के बारे में और साथ ही इस बारे में जागरूकता बढ़ाना कि यह किस प्रकार उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। यह सब पहले उद्योग की कम पहुंच को देखते हुए की गई हैं। वैश्विक बीमा बाजार में भारत का अंशमात्र 0.41 प्रतिशत है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम के, जो 2.71 प्रतिशत और विकासशील देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति बीमा

प्रीमियम, मात्र 11.5 अमरीकी डालर पर काफी कम है। भारत विश्व में 23वां बड़ा बीमा बाजार है, जिसमें भारी संभावनाएं हैं जिन्हें विवेकपूर्ण रूप से भुनाए जाने की आवश्यकता है। बीमा घनत्व और पहुंच पर तुलनात्मक अंतरराष्ट्रीय आंकड़े मुख्य रिपोर्ट का भाग हैं (सारणी 9(i) और (ii) देखें), वित्तीय वर्ष 1999-2000 से 2002-03 तक के लिए उद्योग के आंकड़ों पर आधारित बीमा पहुंच और घनत्व के सांख्यिकीय नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रु. में)

भारत में बीमा घनत्व और बीमा पहुंच संबंधी आंकड़े											
वर्ष	जनसंख्या	जीडीपी	बीमा प्रीमियम			बीमा घनत्व (प्रति व्यक्ति प्रीमियम, अर्थात् कुल बीमा प्रीमियम आय/जनसंख्या) (रु.)			बीमा पहुंच (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम		
			जीवन	गैर-जीवन	योग	जीवन	गैर-जीवन	योग	जीवन	गैर-जीवन	योग
1990-00	99.1	1936925	27224.42	9522.17	36746.59	274.72	96.09	370.80	1.41	0.49	1.90
2000-01	101.9	2104298	34898.47	10087.03	44985.5	342.48	98.99	441.47	1.66	0.48	2.14
2001-02	103.7	2296049	50094.45	12694.92	62789.37	483.07	122.42	605.49	2.18	0.55	2.73
2002-03	105.5	2451038	55738.11	14337.59	70075.7	528.32	135.90	664.22	2.27	0.58	2.86

*उद्योग सांख्यिकी के आधार पर जीडीपी बाजार मूल्य पर

बीमा क्षेत्र में विकास का प्रभाव पूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, चाहे वह नियोजन बढ़ने के रूप में हो, चाहे जनता के जीवन स्तर में सुधार के रूप में हो या उद्योग और अवसरचना में निवेश की वृत्ति के रूप में हो। यह उल्लेखनीय है कि 31 मार्च, 2003 को बीमा उद्योग में कुल निवेश 291418.36 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2002-03 के जीडीपी का 11.89 प्रतिशत है।

सांख्यिकीय डाटाबेस को दृढ़ करना :

बीमा उद्योग विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन कार्य करता है, अर्थात् बीमा कंपनी किसी एक जीवन/आस्तिकता का किसी दुर्घटना के विरुद्ध बीमा करने के लिए प्रीमियम प्रभारित करती है। यह प्रीमियम किसी ऐसे दावे को कवर करने के लिए प्रभारित किया जाता है, जो किसी अनुमानित/अनुमानित अवधि के भीतर उद्भूत हो सकता है। इस प्रकार बीमा उद्योग ऐसी परिस्थितियों में संचालित होता है जो ज्ञात को अज्ञात से मिलाता है। इसलिए उत्पादों का मूल्य निर्धारण, बीमा जीवन और गैर-जीवन, दोनों खंडों के अनुभव पर आधारित है। ऐसी परिस्थितियों में डाटाबेसों के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विशिष्ट रूप से गैर-जीवन खंड में डाटाबेसों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। टैरिफ सलाहकार समिति (टीएसी) ने, जो दरों को नियत करने के

लिए कानूनी निकाय है, समय-समय पर इस बात पर असंतोष व्यक्त किया है कि बीमा कंपनियों को प्राप्त होने वाले आंकड़े पूर्ण नहीं हैं और अपर्याप्त हैं। पर्याप्त और प्रमाणित आंकड़ों के अभाव में टीएसी के लिए वैज्ञानिक रीति में टैरिफ दरों का पुनरीक्षण करना संभव नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद के मूल्य निर्धारण के लिए पर्याप्त आंकड़े एकत्र करने के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं कि दावों के अनुभवों को उद्योग द्वारा पर्याप्त रूप से देखाभाला जाता है और एक-दूसरे को बताया जाता है। जानकारी को शेयर करना बीमा कपटों पर कार्यवाही करने और उनको स्थायी बनाने से रोकने के लिए पूर्वापेक्षा है। आंकड़े उपलब्ध न होने पर बीमाकर्ता, बीमा कपटों पर कार्यवाही करते समय अंधेरे में रहेंगे। इसी प्रकार डाटाबेस के विकास और अनुरक्षण में सभी पणधारियों का सम्मिलित होना, अभिकर्ताओं और मध्यवर्तियों के क्षेत्रों में और स्वास्थ्य क्षेत्रों में समान रूप से महत्वपूर्ण है।

डाटाबेस की स्थापना के लिए खोजी जा रही विभिन्न संभावनाओं के अंतर्गत ढांचे को प्राधिकरण के विभाग के रूप में स्थापित करना, उसे टैरिफ सलाहकार समिति को सुपुर्द करना या उसके लिए एक स्वतंत्र संगठन को स्थापित करना भी है। मृत्यु दर और अस्वस्थता दर अन्वेषण ब्यूरो के गठन के लिए पहले ही कुछ



प्रयास किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आंकड़ों की भंडार गृह सुविधा स्थापित करने के लिए ऐसी ही पहलों का प्रस्ताव है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण :

विनियमन, जानकारी मांगने और स्थल पर परीक्षण प्रक्रिया की अगली कड़ी है, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की प्रक्रिया। पर्यवेक्षण का पहला आशय है, विधायी आशय का अनुपालन सुनिश्चित करना और अनुपालन का पुनर्विलोकन सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्टिंग का आधारित ढांचा स्थापित करना। स्थल पर निरीक्षण पुष्टि को सुकर बनाता है और विनियामक की चिंता के क्षेत्रों का समाधान करता है। वित्तीय परिस्थितियां विशेषकर, उदारीकृत वातावरण में विद्यमान परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं और नियमित आधार पर चुनौतियों को सामने लाती हैं, तथा मध्यवर्तियों सहित बाजार में कार्य करने वाले विवेकपूर्ण व्यक्तियों से, इन परिवर्तनों के अनुकूल प्रबंध रणनीतियां बनाने और प्रक्रिया के दौरान सामने आने वाले जोखिमों को कम करने के लिए उपदाय करने की आशा की जाती है। बीमा उद्योग, मूलभूत रूप से अपने करोड़ों प्रवर्तकों के जीवन पर प्रभाव डालता है, और इस प्रकार विनियामक का पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करते हुए उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। इसलिए पर्यवेक्षक की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जो ऐसी बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो, जिनमें बीमाकर्त्ता और मध्यवर्ती प्रचालन करते हैं। इस दिशा में प्राधिकरण समय-समय पर सचेतक निदेश जारी करता रहा है। यद्यपि प्राधिकरण रजिस्ट्रीकृत अस्तित्वों के कार्यों का प्रबंध करने के पक्ष में नहीं है, यह उनका ध्यान ऐसे मूल जोखिम तथ्यों की ओर आकर्षित करता रहेगा, जिनका उद्योग विशिष्ट रूप में और वित्तीय क्षेत्र साधारण रूप में सामना कर रहे हैं। साथ ही, बीमाकर्त्ताओं से, उनके द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उन्हें कम करने के लिए रणनीति अधिकथित करना अपेक्षित है। इन्हें बीमाकर्त्ताओं द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरणों के भाग रूप में प्रस्तुत की जाने वाली प्रबंध रिपोर्ट में उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है।

स्वास्थ्य बीमा:

स्वास्थ्य बीमा, उद्योग के चिंताजनक क्षेत्रों में से है। विनियमों की विरचना करते समय "स्वास्थ्य" पर विशेष जोर देने के पीछे

विधायी आशय था, बीमा के माध्यम से बीमा योग्य जनता की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच बनाना। तथापि, तीन साल में भी कोई आशान्वित प्रगति नहीं हो सकी है। यद्यपि संभावनाएं अत्यधिक हैं, विकास में बाधाओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हालांकि बीमा कारबार के इस क्षेत्र में कुछ अच्छे समाचार प्राप्त हुए हैं, फिर भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

रजिस्ट्रीकृत अस्तित्वों का निरीक्षण :

निरीक्षण उस प्रक्रिया का विस्तारण है, जिसका कोई विनियामक, उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत अस्तित्वों के कार्यकरण पर दृष्टि रखने के लिए उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में उद्योग पर निगाह रखना, सूचना एकत्र करना, रूझानों और सामने आ रहे जोखिमों की, यदि कोई हो, पहचान करने के लिए उस सूचना का विश्लेषण करना, कंपनियों का स्थल पर निरीक्षण करना, चिंता के क्षेत्रों में निरक्षित अस्तित्वों को सलाह देना और की जाने वाली आवश्यक उपयोगी कार्रवाई की पहचान करना, सुधारकारी कार्रवाईयों को समाप्त करने के लिए समय-सीमा नियत करना, कार्यान्वयन की प्रगति का अनुवर्तन करना और परिणामों की आशान्वित निष्पादन स्तरों के साथ तुलना करना।

प्राधिकरण को बीमा अधिनियम के उपबंधों, बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम की धारा 14 और इसके द्वारा अधिसूचित विनियमों द्वारा निरीक्षण करने, जांच और अन्वेषण करने, जिसके अंतर्गत बीमाकर्त्ताओं/मध्यवर्तियों की संपरीक्षा भी है, के लिए सशक्त किया गया है। प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान बीमाकर्त्ताओं का स्थल पर निरीक्षण करने की प्रक्रिया आरंभ की। प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली निरीक्षण प्रक्रिया को दो वर्गों में रखा जा सकता है, अर्थात् बीमा कंपनियों का संपूर्ण निरीक्षण और लक्ष्यित निरीक्षण, जिससे कि प्राधिकरण की विनिर्दिष्ट चिंताओं का समाधान हो सके।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने कुछ बीमाकर्त्ताओं का, उनकी संक्रियाओं के पुनर्विलोकन के लिए निरीक्षण किया था। इन संपरीक्षाओं का उद्देश्य बीमाकर्त्ताओं की संक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण में पेनलित कानूनी लेखा परीक्षकों के चयनित समूह द्वारा विशेष प्रयोजन



संपरीक्षाएं की गई थीं। बी.वि.वि.प्रा. (निवेश) विनियम उदभासन संनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निवेश समिति तैनात करने, निधियों के विवेकपूर्ण निवेश को सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियां स्थापित करने की बाबत बीमाकर्त्ता द्वारा अनुपालन किए जाने वाली अपेक्षाओं, अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश की कानूनी अपेक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने, बीमाकर्त्ताओं की निवेश सक्रियताओं का पुनर्विलोकन करने के लिए उनकी निवेश संपरीक्षा करके प्राधिकरण, इस क्षेत्र में निरीक्षण करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

प्राधिकरण, नियमित अंतरालों पर चयनित मध्यवर्तियों, अभिकर्त्ता, प्रशिक्षण संस्थानों और तीसरा पक्षकार प्रशासकों का निरीक्षण कर रहा है। इन निरीक्षणों का उद्देश्य कमियां तलाशना नहीं है, अपितु विनियामक को इस बात के प्रति आश्वस्त करना है कि विभिन्न रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व अपनी सक्रियताएं विवेकपूर्ण प्रबंध के अनुरूप कर रहे हैं।

न्यायनिर्णयन के तंत्र :

प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के आधार पर विभिन्न मध्यवर्तियों और अभिकर्त्ताओं के अनुज्ञापन के लिए अविनियम विरचित किए हैं। अपेक्षित विनियम उनकी शिक्षा, अर्हता और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए ढांचा विहित करते हैं। उनके कर्त्तव्यों और कृत्यों को वर्णित करते हुए आचार संहिता संबंधी विषयों पर भी कार्यवाही की गई है। प्राधिकरण इन रजिस्ट्रीकृत अस्तित्वों से सूचना मांगने और उनका निरीक्षण करने के लिए सशक्त है।

विधि और उसके अधीन विरचित विनियमों के उपबंधों में, इन अस्तित्वों के लिए, यदि वे अपने कर्त्तव्यों या आचार संहिता या प्राधिकरण के निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहते हैं, कोई विवरण, दस्तावेज, लेखा, विवरणियां रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते या प्रस्तुत सूचना को गलत/अपूर्ण/मिथ्या पाया जाता है तो कड़ी शास्तियों और जुर्माने के लिए समर्थनकारी खंड हैं। तथापि, बीमाकर्त्ताओं और/या उनके मध्यवर्तियों के बीच विवादों के समाधान के लिए तंत्र अभी विकसित किया जाना है, हालांकि प्राधिकरण बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम, 1999 के अधीन ऐसी

परिस्थितियों में न्याय निर्णयन के लिए सशक्त है। यद्यपि प्राधिकरण इस बात का पक्षधर है कि उद्योग से संबंधित मुद्दों को बीमा परिषदों और मध्यवर्तियों की सभाओं जैसे स्व विनियामक निकायों द्वारा हल किया जाए, फिर भी हितों के विरोधों के समाधान के लिए एक पारदर्शी और कम लागत वाले तंत्र को स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। विभिन्न विकल्पों की खोज करने के लिए देश के भीतर के और विदेशों के विनियामकों के अनुभवों की समीक्षा करना लाभप्रद हो सकेगा।

दृढीकरण का समय:

प्राधिकरण की स्थापना से देश में बीमा क्षेत्र के विकास के लिए संभावनाओं का पूर्णतः लाभ उठाने के लिए मार्ग खोला है। क्षेत्र में आरंभ किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप विद्यमान बीमाकर्त्ता इस बात पर सोच-विचार करने के लिए बाध्य हुए हैं कि लागत कम करने के लिए क्या उपाए किए जाएं और बीमाकृत व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार नए उत्पाद प्रस्तुत करें।

यद्यपि बीमाकर्त्ताओं ने प्रभावशाली प्रगति दर्शित की है, यह समान रूप से महत्वपूर्ण है कि उद्योग तेजी से बदलती उच्च प्रतियोगी परिस्थितियों में, जिनमें अविनियमित बाजार में निम्नांकित परिणामों के भारी दबाव में आने की संभावना है, उद्योग का बेहतर रूपरेखा के अनुसार विकास हो। यह विशिष्ट रूप से चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उद्योग गैर-टैरिफ बाजार में परिवर्तित हो रहा है। ऐसे में एक चेतावनी भी आवश्यक है। बीमाकर्त्ताओं को प्रभावशाली आंकड़े प्राप्त करने के प्रयास करते हुए दूरदर्शिता को दरकिनार नहीं करना चाहिए। बाजार के बड़े अंश पर कब्जा जमाना अच्छा है, किन्तु रणनीति आवश्यक रूप से दीर्घकालिक और संतोषप्रद विकास के लिए होनी चाहिए। इसके साथ ही, उद्योग को सेवा के आधार-वाक्य से जुड़ा रहने की आवश्यकता है और कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा और पूर्ति की जाती है।

उद्योग के सामने आ रही चुनौतियों में पिछले कुछ वर्षों से कम होती निवेश प्राप्तियां और निम्न ब्याज दरें भी सम्मिलित हैं, जो बीमाकर्त्ताओं के लाभ को कम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि निम्न मुद्रास्फीति दरों ने दावों और प्रचालन लागतों को नियंत्रण

में रखने में सहायता की है। तथापि, राज्य सरकार के ऐसे उपक्रमां को जिनमें बीमाकर्त्ताओं, विशेषकर पब्लिक सेक्टर-बीमाकर्त्ताओं के प्रतिधारण हैं, वित्तीय स्थिति चिंता का विषय है। ऐसी आस्तियों के लिए, जो काम नहीं आ रही, उपबंध करना महत्वपूर्ण है। उद्योग में अनेक नए उत्पाद आरंभ किए गए हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन उत्पादों का मूल्य निर्धारण सांख्यिकीय डाटा के आधार पर हो। चाहे वह जीवन खंड हो अथवा गैर-जीवन खंड, डाटा और वह भी सही डाटा की उपलब्धता बीमा उद्योग के विकास के लिए आवश्यक है। विद्यमान व्यवहार, जिसमें उत्पादों के मूल्य निर्धारण का आधार सांख्यिकीय है, ठीक नहीं है और इससे ऐसे ग्राहकों की संख्या बनी रहेगी, जो अन्यो की लागत पर आर्थिक सहायता देते रहेंगे। इस प्रति आर्थिक सहायता को शीघ्र समाप्त करना होगा।

उद्योग के सुदृढीकरण के समय के दौरान बीमा की पहुंच समाज के व्यापक तबके तक होनी चाहिए, विशेषकर शोषित और कमजोर वर्गों को बीमा कवर उपलब्ध कराना चाहिए और ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में अपनी पहुंच बनानी चाहिए। सुदृढीकरण समय के दौरान, बाजार आचार, चाहे वह बीमाकर्त्ताओं का हो या मध्यवर्तियों का, जैसे चिंता के विषयों पर भी ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। बीमा कपट भी एक चिंताजनक विषय है। कपटों और

प्रतिधन शोधन ऐसे विषय हैं, जिससे संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र, बीमा उद्योग का काफी बड़ा भाग और विशेषकर प्राधिकरण त्रस्त है। सुदृढीकरण के समय के दौरान निगम शासन के व्यवहारों का भी विकास हुआ है। चूंकि उद्योग ऐसी स्थितियां पैदा कर रहा है, जहां यह लोक निधियों का उपयोजन करेगा, ऐसे में पारदर्शिता मानकों को मात्रा और गुणवत्ता में उत्तम होना होगा। प्राधिकरण को फाइल की जाने वाली आवधिक विवरणियां न केवल विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जानी होंगी, अपितु उनसे सत्य और सही स्थिति उपदर्शित होनी चाहिए।

अभिस्वीकृति :

प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति, पुनःबीमा सलाहकार समिति, बीमा प्रभाग (वित्त मंत्रालय), सभी बीमाकर्त्ताओं और मध्यवर्तियों की, इसके सुचारू कार्यकरण में उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए तथा प्राधिकरण के अधिकारियों के दल तथा कर्मचारियों की, उनके द्वारा उनके कर्त्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए अपनी ओर से सराहना करता है और धन्यवाद देता है। प्राधिकरण, जनता को, बीमावृत्ति से जुड़े सभी वृत्तिक निकायों और अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों को, समय-समय पर उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद देता है।

बी.वि.वि.प्रा. के मिशन का कथन

- पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करना और इनके साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित कराना;
- आम आदमी के फायदे के लिए बीमा उद्योग में त्वरित और सुव्यवस्थित विकास करना (जिसके अंतर्गत वार्षिकी और अधिवार्षिकता संदाय भी हैं) और अर्थव्यवस्था के विकास को तेज करने के लिए दीर्घकालिक निधियां उपलब्ध कराना;
- जिन्हें यह विनियमित करता है उनमें अखंडता, वित्तीय, मजबूती, ईमानदारी और सक्षमता के उच्च मानक स्थापित, संवर्धित करना, और उन्हें प्रवर्तित करना;
- यह सुनिश्चित करना कि बीमा ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं के विषय में यथार्थ, स्पष्ट और सही जानकारी प्राप्त हो और उन्हें इस संबंध में उनके उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना;
- सच्चे दावों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करना, बीमा कपटों और अन्य अनाचार को रोकना तथा प्रभावकारी शिकायत तंत्र की स्थापना करना;
- बीमा के संबंध में व्यवहार करने वाले वित्तीय बाजारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित संचालन का संवर्धन करना और बाजार के बीमाकर्त्ताओं के बीच वित्तीय मजबूती के उच्च मानक प्रवर्तित करने के लिए विश्वसनीय प्रबंध सूचना पद्धति बनाना;
- जहां ऐसे मानक अपर्याप्त हैं या अप्रभावी रूप से प्रवर्तित हैं, वहां कार्रवाई करना;
- उद्योग के दिन प्रतिदिन के कार्यकरण में विवेकपूर्ण विनियम की अपेक्षाओं से सुसंगत स्वतः विनियमन की सर्वोत्तम भावना लाना।

भाग 1

नीतियां और कार्यक्रम

जीवन के सभी क्षेत्रों में जोखिम विद्यमान है और विवेक यह अपेक्षा करता है कि कम से कम इसके लिए इस प्रकार का प्रबंध किया जाना चाहिए जिससे कि संपत्ति या जीवन पर हानि का प्रभाव न्यूनतम हो। बीमा, विकासशील और विकसित दोनों ही प्रकार के देशों में वित्तीय क्षेत्र का एक सक्रिय और विकासशील अंग है। हमारे आस-पास एशिया में ही आर्थिक वृद्धि के जोर पर बीमा प्रीमियम में काफी वृद्धि हुई है। आज भारत को एशिया क्षेत्र में दो उभरते बाजारों में से एक माना जाता है और विश्वस्तरीय कंपनियों अवसरों का लाभ उठाने के लिए इस पर नजर रखे हुए हैं। जहां पूरे विश्व में बाजार अत्यधिक सक्रिय और एकीकृत होते जा रहे हैं, वहां भारत को इन बाजारों से एकीकृत होने में समर्थ बनाने के लिए बीमा क्षेत्र का खोला जाना, देश के भीतर चल रहे आर्थिक सुधारों का एक भाग है।

बीमा क्षेत्र में उदारीकरण का प्रथम संकेत अप्रैल, 2000 में मिला था, जब बी.वि.वि.प्रा. को बीमा क्षेत्र के विनियमन और विकास के लिए एक कानूनी निकाय के रूप में गठित किया गया था। प्राधिकरण को बीमा पालिसियों के धारकों के हितों की रक्षा करने और बीमा उद्योग तथा उससे जुड़े/आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने, उनमें सुव्यवस्थित वृद्धि को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। निजी कंपनियों को पहले कुछ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अक्टूबर, 2000 में जारी किए गए थे। निजी कंपनियों के आने के साथ एकाधिकार समाप्त करने की प्रक्रिया ने अनेक अवसरों को खोला है। जिसके परिणामस्वरूप, शासकीय बीमाकर्त्ताओं ने आत्मविश्लेषण के पश्चात् अपने कार्यकरण का पुनर्विलोकन और अपनी सक्रियताओं को सुकर बनाना आरंभ कर दिया है, जिससे कि वे आने वाले समय में प्रतियोगिता में बने रह सकें। विनियामक की संवर्धनात्मक भूमिका इस बात से और अधिक उभर कर सामने आती है कि शासनादेश विनियामक पर न केवल उद्योग तथा बीमाकर्त्ताओं और मध्वर्तियों, दोनों का उत्तरदायित्व रखता है अपितु उसे बीमा के लाभों को देश के कोने-कोने तक ले जाने के लिए बाजार का विकास करने का उत्तरदायित्व भी सौंपता है। अतः यह सुस्वीकृत है कि विश्वस्तरीय मानकों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखने के साथ ही बीमा उद्योग भौगोलिक विस्तार और समाज के असहाय वर्गों को जोखिम का बीमा उपलब्ध कराने की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

प्राधिकरण को राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उद्योग में ऐसी रीति में निष्पक्ष प्रतियोगिता स्थापित करने और उसे बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है, जिससे भारतीय बीमा बाजार में दीर्घकालिक वृद्धि हो। अंतिम विश्लेषण में, इससे राष्ट्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्राधिकरण अपना ध्यान इस बात पर केन्द्रित कर रहा है कि बीमा सेवाएं, इन उत्पादों के उचित मूल्यों पर ग्राहकों को, विशेषकर ग्रामीण और गैर-संगठित क्षेत्रों के ग्राहकों को उपलब्ध हों। विनियम बनाने की प्रक्रिया सक्रिय रही है और यह बाजार की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप रही है। प्राधिकरण के प्रारंभिक प्रयास इस बात के लिए रहे हैं कि विवेकपूर्ण विनियमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में नीति मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किए जाएं। इसके पश्चात् बीमा जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के साथ ही साधारण ग्राहकों तक बीमा की पहुंच को बढ़ाने के लिए बाजार में विभिन्न प्रकार के मध्यवर्ती लाए गए। उद्योग की स्थिति और पिछले वर्ष के दौरान इसके कार्यपालन के पुनर्विलोकन को, जिसे आगे दिया गया है, उद्योग के आधार को व्यापक बनाने के पश्चात् इसमें हुए विकास को प्रस्तुत करने और स्थापित किए गए मानकों की पृष्ठभूमि में उपलब्धियों का जायजा लेने के लिए तैयार किया गया है।

क. साधारण आर्थिक परिस्थितियों का पुनर्विलोकन

हाल ही के मासों में निरंतर अनेक अनुकूल आर्थिक कारण सामने आए हैं, जो आर्थिक विकास के लिए काफी अच्छे हैं। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के आसार हैं। अच्छे मानसून के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में, जिसमें पिछले वर्ष 3.2 प्रतिशत की कमी आई थी, काफी वृद्धि होने की संभावना है; आंकड़ों ने अप्रैल-अगस्त, 2003 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के संकेत दिए हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान हुई 5.2 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आधारिक मालों, पूंजी मालों और उपभोक्ता मालों के उत्पादन में सतत वृद्धि के संकेत हैं और सेवा क्षेत्र ने भी निरंतर अच्छी वृद्धि दर दर्शित की है।

3rd वार्षिक रिपोर्ट

3rd ANNUAL REPORT

2002-2003

मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से कम है और विदेशी मुद्रा आरक्षिती लगभग 90 अरब अमरीकी डालर है। वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान अर्थव्यवस्था में 6.5 से 7 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है, जो कि विश्व अर्थव्यवस्था में 3 प्रतिशत की संभावित वृद्धि दर से दुगुनी है। वर्ष 2003-04 के लिए प्रस्थापित सकल घरेलू उत्पाद में पुनरीक्षित वृद्धि, अप्रैल-अगस्त, 2003 के मासों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रदर्शित कार्यपालन से आने वाले अनुकूल संकेतों के आधार पर की गई है। यद्यपि निर्यात में अभी अनुकूल वृद्धि नहीं हो सकी है, फिर भी अप्रैल-सितंबर, 2003 के दौरान निर्यात में अमरीकी डालर के अनुसार 10 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान अभिलिखित 18 प्रतिशत वृद्धि से कम थी, वैश्विक परिस्थितियों में सुधार की संभावनाओं से निर्यात वृद्धि को नई आशा मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आयात बढ़ रहा है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियों का संकेत मिलता है – आयात में चालू वर्ष की पहली छमाही में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान इसमें केवल 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह उल्लेखनीय है कि तेल से भिन्न आयातों में वृद्धि घरेलू मांग में मजबूती को दर्शित करती है। कुल मिलाकर कारबार की संभावनाएं, मुद्रास्फीति के प्रबंधनीय स्तर और कम ब्याज दरों के आधार पर अनुकूल हैं।

वर्ष 2002-03 में भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विकास पर प्रभाव पड़ा था। इन क्षेत्रों में विकास की कमी के कारण सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के कार्यपालन में पिछले वर्ष के दौरान हुई क्रमशः 6.1 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि के बावजूद हुआ, जो उससे पिछले अर्थात् वर्ष 2001-02 के दौरान हुई क्रमशः 3.3 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक थी। तथापि, वित्तीय वर्ष 2002-03 की दूसरी छमाही के दौरान अनुकूल संकेत प्राप्त हुए, जो सुधार को तलाश करते वैश्विक आर्थिक क्रियाकलापों और विश्व व्यापार के मंदा रहने के पृष्ठभूमि में विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। निम्न मुद्रास्फीति के कारण संपूर्ण वृहत – आर्थिक स्थिरता, विद्यमान बाजार परिस्थितियां और भरे हुए भंडार, जिनके अंतर्गत खाद्य भंडार भी हैं, अन्य अनुकूल कारक थे।

इसके अतिरिक्त निर्यात में वृद्धि के साथ परोक्ष के माध्यम से निवेशों से लगातार दूसरे वर्ष चालू खाते में अधिशेष बने रहने की संभावनाएं बढ़ीं। विशेष रूप से यह बात प्रसन्न करने वाली है कि निर्यात में वृद्धि ऐसे समय हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की गति बहुत धीमी थी और इससे विनिर्माण क्षेत्र के विकास में सहायता मिली। इसके अतिरिक्त अपेक्षाकृत निम्न मुद्रास्फीति के कारण 2002-03 के दौरान ब्याज दरें भी कम रहीं। अवसंरचना विशेषकर सड़कों और दूरसंचार में निवेश में अत्यधिक वृद्धि वर्ष 2002-03 के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना रही है। आज निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए पहल की जा रही है।

सकल घरेलू बचतों और निवेशों; घरेलू क्षेत्र में वित्तीय बचतों (सकल); कुल संदायों के अतिशेष; और वृहत आर्थिक योगों से संबंधित आंकड़ें क्रमशः सारणी 2 से 5 में हैं।

यद्यपि वर्ष 2002-03 में चिंता के कुछ विषय रहे हैं, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ रही निष्क्रिय आस्तियों से, वसूलियों, विशेषकर गैर-पूर्वोक्ता वाले क्षेत्रों से हुई महत्वपूर्ण वसूलियों के बावजूद मुख्य और द्वितीय दोनों प्रकार के पूंजी बाजारों में हुई धीमी गतिविधियों से संबंधित थे। स्टॉक बाजार की धीमी गतिविधियों के कारण मुख्य बाजार में निकासी की मात्रा कम रही। केन्द्र और साथ ही राज्यों में लोक वित्त दबाव में बने रहे। केन्द्रीय सरकार का वित्तीय घाटा, जो 2000-01 में जीडीपी के औसत के रूप में 5.6 प्रतिशत था, 2001-02 में बढ़कर प्राक्कलित 5.9 प्रतिशत तक पहुंच गया। राज्यों के स्तर पर भी वित्तीय मजबूती न होने का पता इस तथ्य से चलता है कि उनके संयुक्त वित्तीय घाटे में भी, जो 2000-01 में जीडीपी के औसत के रूप में 4.3 प्रतिशत था, वृद्धि हुई और वह 2001-02 में 4.6 प्रतिशत के पुनरीक्षित प्राक्कलन तक जा पहुंचा। 2001-02 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार केन्द्र और राज्यों का संचित वित्तीय घाटा जीडीपी का 10 प्रतिशत था। केन्द्रीय सरकार का विनिवेश कार्यक्रम अपनी समय सूची के अनुसार नहीं चल पा रहा है और इसके परिणामस्वरूप पूंजी प्राप्तियों में कमी आने की संभावना है। उच्च वित्तीय घाटा निरंतर प्रति-चक्रीय वित्तीय नीतियों के संचालन और अत्यावश्यक



3rd वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2002-2003

सामाजिक तथा भौतिक अवसंरचना और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर खर्च में वृद्धि करने के कार्य को दुरुह बना रहा है। आर्थिक वृद्धि के उच्च स्तरों को प्राप्त करने के लिए इन क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। 2001-02 में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू पूंजी सृजन में मात्र 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो जीडीपी में वृद्धि से काफी कम थी। विद्यमान मूल्यों पर 2001-02 में सकल पूंजी सृजन जीडीपी का 23.7 प्रतिशत था, जो 2000-01 में प्रेक्षित 24 प्रतिशत और 1999-2000 में प्रेक्षित 25.2 के अंश से कुछ कम था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्टॉक में परिवर्तनों की गति सकल नियत पूंजी सृजन से काफी अधिक रही है। तथापि, नियत पूंजी सृजन के भीतर सन्निर्माण में मशीनरी

और उपस्कर पर सकल निवेश की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई। पब्लिक सेक्टर में सन्निर्माण में पूंजी सृजन में 7.2 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई। अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज के संदाय, आर्थिक सहायताओं, पेंशनों और अनुदानों सहित सरकारी उपभोग, व्यय में वृद्धि के कारण लोक निवेश भागतः दबाव में रहे हैं। निवेशक खराब अवसंरचना सुविधाओं के कारण निरुद्ध रहे। सामाजिक क्षेत्र की, जिसका मजबूत सिद्धांतों पर विकास यह सुनिश्चित करेगा कि देश में धन सुपात्र और दरिद्र जनता के पास जाए, अपेक्षाओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। भारत का प्रोफाइल, सामाजिक-आर्थिक सूचक और जनसांख्यिकीय रुझान और प्रक्षेपण सारणी 1, 7 और 8 (i) और (ii) में हैं।

सारणी - 1

भारत का प्रोफाइल

कुल क्षेत्र	3287263 वर्ग किलोमीटर
तट रेखा	7517 किलोमीटर
राज्य	29
संघ राज्य क्षेत्र	6
जिले	602
जनसंख्या	1.05 करोड़ (जुलाई 2003 में स्था.)
शहरी जनसंख्या	27.78%
जनसंख्या में वृद्धि (दशक 1991-2001)	(+) 21.34%
लिंग दर 2003	प्रति 1000 पुरुषों प्रति 933 महिलाएं
जनसंख्या का घनत्व	321 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर
साक्षरता दर	65.38% (पुरुष 75.85%, महिलाएं 54.16%)
जीवन प्रत्याशा (वर्ष 2000)	कुल जनसंख्या 64.90 वर्ष, पुरुष = 64.19 वर्ष, महिलाएं = 65.00 वर्ष

स्रोत : भारत की जनगणना; आर्थिक सर्वेक्षण, 2002-03; राष्ट्रीय सूचना केन्द्र; भारतीय योजना आयोग।

सारणी - 2

सकल घरेलू बचत और निवेश

मद	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत (विद्यमान बाजार मूल्यों पर)				(करोड़ रुपए में)		
	2001-02*	2000-01@	1999-00	1995-96 से 1998-99 औसत	2001-02*	2000-01@	1999-00
1	2	3	4	5	6	7	8
1. घरेलू बचत	22.5	21.6	20.8	17.9	5,15,565	4,53,641	4,02,360
जिसमें से :							
क) वित्तीय आस्तियों में	11.2	10.4	10.5	9.8	2,56,647	2,17,841	2,03,702
ख) भौतिक आस्तियों में	11.3	11.2	10.3	8.1	2,58,918	2,35,800	1,98,658
2. निजी निगमित क्षेत्र	4.0	4.1	4.4	4.3	92,060	86,142	84,329
3. पब्लिक सैक्टर	(2.5)	(2.3)	(1.0)	1.0	(57,662)	(48,022)	(20,049)
4. सकल घरेलू बचत	24.0	23.4	24.1	23.3	5,49,963	4,91,761	4,66,640
5. शुद्ध पूंजी आगम	(0.2)	0.6	1.1	1.4	(4,872)	12,977	21,988
6. सकल घरेलू पूंजी सृजन	23.7	24.0	25.2	24.7	5,45,091	5,04,738	4,88,628
7. त्रुटियां और लोप	1.3	1.5	1.6	1.6	30,003	31,117	30,366
8. सकल पूंजी सृजन	22.4	22.5	23.7	23.1	5,15,088	4,73,621	4,58,262
जिसमें से :							
क) पब्लिक सैक्टर	6.3	6.4	6.9	7.0	1,45,082	1,34,025	1,34,484
ख) निजी निगमित क्षेत्र	4.8	4.9	6.5	8.0	1,11,088	1,03,796	1,25,120
ग) घरेलू क्षेत्र	11.3	11.2	10.3	8.1	2,58,918	2,35,800	1,98,658

*त्वरित प्राक्कलन

@ अनंतिम

स्रोत : सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन

सारणी - 3
घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत
(सकल) : वितरण की प्रतिशतता

मद	2001-02*	2000-01@	1999-00	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वित्तीय बचत (सकल)	100.0 (12.9)	100.0 (11.9)	100.0 (12.3)	100.0 (11.9)	100.0 (11.3)	100.0 (11.6)	100.0 (10.5)	100.0 (14.4)	100.0 (12.8)
(क) मुद्रा	9.5 (1.2)	7.1 (0.8)	8.7 (1.1)	10.5 (1.3)	7.4 (0.8)	8.6 (1.0)	13.3 (1.4)	10.9 (1.6)	12.2 (1.6)
(ख) निक्षेप	37.9 (4.9)	42.0 (5.0)	37.5 (4.6)	38.8 (4.6)	46.6 (5.3)	48.1 (5.6)	42.5 (4.5)	45.5 (6.5)	42.6 (5.4)
i) बैंकों में	31.1	32.4	30.5	33.7	37.8	25.7	26.3	35.3	27.9
ii) गैर बैंककारी कंपनियों में	2.8	4.9	3.7	3.8	3.9	16.4	10.6	7.9	10.6
iii) सहकारी बैंकों और सोसाइटियों में	6.1	5.5	4.2	4.6	5.3	6.4	5.8	3.0	5.2
iv) व्यापार ऋण (शुद्ध)	(2.1)	(0.7)	(0.8)	(3.3)	(0.4)	(0.4)	(0.2)	(0.8)	(1.1)
(ग) शेयर और डिबैंचर	2.3 (0.3)	2.5 (0.3)	7.1 (0.9)	3.4 (0.4)	2.9 (0.3)	6.6 (0.8)	7.3 (0.8)	11.9 (1.7)	13.5 (1.7)
i) निजी निगमित कारबार	1.1	1.1	3.4	1.5	1.3	3.6	6.6	8.0	7.5
ii) सहकारी बैंक और सोसाइटियां	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
iii) यू टी आई की यूनिट	(0.6)	(0.4)	0.8	0.9	0.3	2.4	0.2	2.7	4.3
iv) पी एस यू के बंधपत्र	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
v) पारस्परिक निधि (यू टी आई से भिन्न)	1.7	1.6	2.9	0.8	1.1	0.3	0.3	1.1	1.2
(घ) सरकार पर दावे	16.8 (2.2)	15.6 (1.9)	12.1 (1.5)	13.6 (1.6)	12.9 (1.5)	7.4 (0.9)	7.7 (0.8)	9.1 (1.3)	6.3 (0.8)
i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	5.7	1.7	0.9	0.7	1.6	0.4	0.4	0.1	0.4
ii) अल्प बचतों आदि में निवेश, आदि	11.1	13.9	11.2	13.0	11.3	7.0	7.4	9.0	5.9
(ङ) बीमा निधियां	14.4 (1.9)	13.5 (1.6)	12.0 (1.5)	11.3 (1.3)	11.3 (1.3)	10.2 (1.2)	11.2 (1.2)	7.8 (1.1)	8.7 (1.1)
i) जीवन बीमा निधियां	13.9	12.9	11.3	10.6	10.6	9.5	10.4	7.2	8.0
ii) डाक बीमा	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
iii) राज्य बीमा	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
(च) भविष्य और पेंशन निधियां	19.0 (2.5)	19.3 (2.3)	22.5 (2.8)	22.4 (2.7)	18.8 (2.1)	19.2 (2.2)	18.0 (1.9)	14.7 (2.1)	16.7 (2.1)

* त्वरित प्राक्कलन @ अनंतिम

टिप्पण : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विद्यमान बाजार मूल्यों पर जी.डी.पी. का प्रतिशत है।

स्रोत : सेंट्रल स्टैटिस्टिकल आर्गनाइजेशन।

सारणी - 4
भारत का समस्त संदायों का अतिशेष

मद	करोड़ रुपए में			10 करोड़ अमेरिकी डालर में		
	2002-03	2001-02	2000-01	2002-03	2001-02	2000-01
1	2	3	4	5	6	7
अ. चालू खाता						
1. निर्यात, एफ.ओ.बी.	2,56,352	2,14,351	2,05,287	53,000	44,915	44,894
2. आयात, सी.आई.एफ.	3,16,702	2,74,778	2,70,663	65,474	57,618	59,264
3. व्यापार अतिशेष	(60,350)	(60,427)	(65,376)	(12,474)	(12,703)	(14,370)
4. परोक्ष, शुद्ध	78,275	64,161	48,975	16,182	13,485	10,780
क) 'नौन फैक्टर' सेवाएं	29,995	21,960	11,401	6,206	4,577	2,478
जिसमें से, सॉफ्टवेयर निर्यात	46,427	36,036	29,014	9,600	7,556	6,341
ख) आय	(23,617)	(17,467)	(22,384)	(4,882)	(3,601)	(4,832)
ग) निजी अंतरण	69,924	57,821	58,412	14,448	12,125	12,798
घ) शासकीय अंतरण	1,973	1,847	1,546	410	384	336
5. चालू खाते में जमा	17,925	3,734	(16,401)	3,708	782	(3,590)
आ. पूंजी खाता						
1. शुद्ध विदेशी निवेश, (क+ख)	21,918	31,877	27,245	4,555	6,692	5,862
क) प्रत्यक्ष निवेश जिसमें से*	17,412	22,588	15,413	3,611	4,741	3,272
(i) भारत में	22,575	29,192	18,414	4,660	6,131	4,029
साम्या	13,091	18,658	10,964	2,700	4,095	2,400
पुनःनिवेशित कमाई	7,250	8,710	6,175	1,498	1,646	1,350
अन्य पूंजी	2,234	1,824	1,275	462	390	279
(ii) विदेश में	(5,163)	(6,604)	(3,001)	(1,049)	(1,390)	(757)
साम्या	(2,051)	(2,701)	(1,586)	(424)	(570)	(344)
पुनःनिवेशित कमाई	(2,600)	(3,329)	(1,076)	(519)	(699)	(339)
अन्य पूंजी	(512)	(574)	(339)	(106)	(121)	(74)
ख) पोर्टफोलियो निवेश	4,506	9,289	11,832	944	1,951	2,590
भारत में	4,679	9,617	12,609	979	2,020	2,760
विदेश में	(173)	(328)	(777)	(35)	(69)	(170)
2. बाहरी सहायता, शुद्ध	(11,745)	5,418	2,001	(2,460)	1,117	410
भुगतान	13,392	16,073	13,528	2,773	3,352	2,942
परिशोधन	(25,137)	(10,655)	(11,527)	(5,233)	(2,235)	(2,532)
3. वाणिज्यिक उधार, शुद्ध	(8,283)	(7,476)	17,577	(1,698)	(1,576)	3,737
भुगतान	13,219	12,896	41,845	2,737	2,696	9,052
परिशोधन	(21,502)	(20,372)	(24,268)	(4,435)	(4,272)	(5,315)
4. अल्पकालिक ऋण, शुद्ध	4,715	(4,236)	321	979	(891)	105
5. बैंककारी पूंजी जिसमें से,	39,800	26,671	3,517	8,243	5,592	811
एनआरआई निक्षेप, शुद्ध	13,602	13,127	10,567	2,808	2,754	2,317
रूपये ऋण सेवा	(2,303)	(2,458)	(2,763)	(474)	(519)	(617)
7. अन्य पूंजी, शुद्ध@	16,921	793	(1,223)	3,493	158	(290)
8. कुल पूंजी खाता	61,023	50,589	46,675	12,638	10,573	10,018
इ. जुटियां और लोप	3,068	2,269	(2,612)	634	402	(572)
ई. कुल अतिशेष [अ(5)+आ(8)+इ]	82,016	56,592	27,662	16,980	11,757	5,856
उ. वित्तीय गतिविधियां (ऊ+ए)	(82,016)	(56,592)	(27,662)	(16,980)	(11,757)	(5,856)
ऊ. आई एम एफ, शुद्ध			(115)			(26)
ए. आरक्षितियां और वित्तीय स्वर्ण	(82,016)	(56,592)	(27,547)	(16,980)	(11,757)	(5,830)

(वृद्धि - , कमी+):

* 2000-01 के पश्चात् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) पर आंकड़ों को, अंतरराष्ट्रीय उच्च व्यवहारों तक पहुंच बनाने के लिए, व्यापक आधार के साथ पुनरीक्षित किया गया है। पिछले वर्ष के एफ डी आई आंकड़े इन आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं होंगे।

@ इसमें मुख्यतः लीडस अंतर्विष्ट हैं और यह निर्यात प्राप्तियों में पीछे हैं। इसमें सम्मिलित की गई अन्य मदें हैं, विदेशों में धारित निधियां, भारत की अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को अभिदाय, आई एम एफ को कोटा संदाय और अन्य कहीं सम्मिलित नहीं किए गए अन्य पूंजी संव्यवहारों की बची हुई मदें।

टिप्पणी : 1. निजी अंतरण प्राप्तियों में प्रति प्रविष्टि के साथ, लौट रहे भारतीयों द्वारा लाए गए स्वर्ण और चांदी को आयात में सम्मिलित नहीं किया गया है।

2. निर्यात और आयात संबंधी आंकड़े, डीजीसी एंड आई द्वारा दिए गए आंकड़ों से, इनमें सम्मिलित वस्तुओं, मूल्यांकन और समय में भिन्नता के कारण भिन्न हैं।

स्रोत : सैन्ट्रल स्टैटिस्टिकल संगठन।

सारणी - 5

वृहत-आर्थिक योग (वर्तमान मूल्यों पर)

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2001-02 क्यू ई	2002-03 ए इ
जनसंख्या (10 लाख में)	359	434	541	679	839	1019	1037	1055
कारक लागत पर जीडीपी नियत पूंजी का उपभोग	9547	16220	42222	130176	510954	1917724पी	2094013	2236128
कारक लागत पर एनडीपी अप्रत्यक्ष कर आर्थिक सहायता घटा कर	364	944	2970	12288	53264	197856	217058	
बाजार मूल्यों पर जीडीपी	9183	15276	39252	117888	457690	1719868	1876955	1998005
बाजार मूल्यों पर एनडीपी	387	947	3455	13586	57720	186574	202036	
विदेश से शुद्ध कारक आय	9934	17167	45677	143764	568674	2104298पी	2296049	
कारक लागत पर जीएनपी	9570	16223	42707	131474	515410	1906442	2078991	
कारक लागत पर एनएनपी	(41)	(72)	(284)	345	(7545)	(17414)	(12663)	
बाजार मूल्यों पर जीएनपी	9506	16148	41938	130521	503409	1900310पी	2081350	2217816
बाजार मूल्यों पर एनएनपी	9142	15204	38968	118233	450145	1702454पी	1864292	1979693
निजी अन्तिम उपभोग व्यय (पीएफसीई)	9893	17095	45393	144107	561129	2086884	2283386	
सरकारी अन्तिम उपभोग व्यय (जीएफसीई)	9529	16151	42423	131819	507865	1889028	2066328	
पब्लिक सैक्टर का जीडीपी	-	-	-	113213	381157	1357989	1489883	
पब्लिक सैक्टर का एनडीपी	592	1206	4289	14492	66030	264563	294971	
व्यक्तिगत प्रयोज्य आय # जीडीसीएफ	-	1609	5802	25525	128398	459635	503606	
एनडीसीएफ	-	1392	5473	20533	104087	395345		
जीडीएस	8876	14638	37891	120642	461192	1790828	1958006	
एनडीएस	866	2470	7043	29230	149536	504738	545091	
कारक लागत पर प्रति व्यक्ति जीएनपी (रूपए)	502	1526	4073	16942	96272	306882	328033	
कारक लागत पर प्रति व्यक्ति एनएनपी (रूपए)	887	1989	6649	27136	131340	491761	549963	
कारक लागत पर प्रति व्यक्ति एनएनपी (रूपए)	523	1045	3679	14848	78076	293905	332905	
कारक लागत पर प्रति व्यक्ति एनएनपी (रूपए)	265	372	775	1922	6000	18649	20071	21022
कारक लागत पर प्रति व्यक्ति एनएनपी (रूपए)	254.7	350.3	720.3	1741.3	5365.3	16707.1पी	17977.7	18765

पी : अनन्तिम

क्यू इ : त्वरित प्राक्कलन

ए. इ. : अग्रिम प्राक्कलन

: उत्पादक द्वारा संदत्त फीस, जुर्माने आदि के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और उस सीमा तक निजी व्ययनीय आय को अनुमानतः शामिल किया गया है।

स्रोत : सैन्ट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गनाइजेशन

सारणी - 6

मूल बाजार सूचक

जीवन और गैर जीवन बाजारों का आकार	16 अरब डॉलर			
कुल विश्व बीमा प्रीमियम (2001 में)	2408.25 अरब डॉलर (2000 से 1.5 प्रतिशत कम)			
वर्ष 2002-03 में वार्षिक वृद्धि की दर	जीवन 11.27 %			
	गैर-जीवन 23% (भारत और विदेश में निम्नांकित प्रीमियम)			
नए जीवन बीमाकर्ताओं के लिए भौगोलिक निर्बंधन	कोई नहीं, बीमाकर्ता पूरे देश में कार्य कर सकते हैं			
नई भारतीय बीमा कंपनी में साम्या निर्बंधन	विदेशी प्रवर्तक 26% तक की साम्या को धारण कर सकता है			
रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन	संयुक्त रजिस्ट्रीकरण उपलब्ध नहीं			
रजिस्ट्रीकृत कंपनियों की संख्या	कारबार का प्रकार	पब्लिक सेक्टर	निजी सेक्टर	योग
	जीवन बीमा	01	12	13
	साधारण बीमा	06	08	14
	पुनः बीमा	01	0	01
	योग	08	20	28
जीवन बीमाकर्ता				
पब्लिक सेक्टर	नई कंपनियां			
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	<ol style="list-style-type: none"> 1. एलाएंज बजाज जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड 2. बिरला सन-लाईफ बीमा कंपनी लिमिटेड 3. एचडीएफसी स्टैंडर्ड जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड 4. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड 5. आईएनजी वस्या जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड 6. मैक्स न्यूयार्क जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड 7. मैटलाईफ बीमा कंपनी लिमिटेड 8. ओम कोटक महेंद्रा जीवन बीमा कं. लि. 9. एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड 10. टाटा एआईजी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड 11. एएमपी सनमार एश्योरेंस कं. लि. 12. अबीवा जीवन बीमा कं. प्राइवेट लि. 			
साधारण बीमाकर्ता				
पब्लिक सेक्टर	नई कंपनियां			
<ol style="list-style-type: none"> 1. न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. 2. नेशनल बीमा कं. लि. 3. ओरिएंटल बीमा कं. लि. 4. यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कं. लि. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. बजाज एलाएंज साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड 2. आईसीआईसीआई लोमबार्ड साधारण बीमा कं. लि. 3. ईफको-टोकियो साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड 4. रॉयल सुन्दरम एलाएंज बीमा कं. लि. 5. रिलाएंस साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड 6. टाटा एआईजी साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड 7. चोलामंडलम एमएम साधारण बीमा कं. लि. 8. एचडीएफसी चब साधारण बीमा कं. लि. 9. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी निगम 10. *भारतीय कृषि बीमा निगम 			
पुनःबीमाकर्ता				
भारतीय साधारण बीमा निगम				

*अक्टूबर, 2003 में प्रत्याभूत रजिस्ट्रीकरण

सारणी - 7

आर्थिक और सामाजिक जीवन

2003 में जनसंख्या दस लाख में	1055
सतह का क्षेत्रफल 100 वर्ग कि.मी.	3287
प्रति वर्ग कि.मी. व्यक्ति	321
2003 में जीएनपी अरब डॉलर में	320
जीएनपी का विश्व में स्थान	11
जीएनपी में औसत वार्षिक वृद्धि (%)	5.3
जीडीपी में औसत वार्षिक % वृद्धि	4.3
(2001 में) जीडीपी के % रूप में स्वास्थ्य पर लोक व्यय	5.2
जीडीपी के % रूप में शिक्षा पर लोक व्यय	3.99
जन्म लेने वाले प्रत्येक 1000 जीवित बच्चों में मृत्यु संख्या	59.59 मृत्यु प्रति / 1000 जीवित जन्मों पर (2003)

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2002-03; विश्व विकास रिपोर्ट 2002; आरबीआई

सारणी - 8(i)

जनसांख्यिकी रुझान और प्रक्षेपण - I**

	1996	2001	2006	2011
कुल जनसंख्या (दस लाख में)	934.22	1012.39	1094.13	1178.89
शहरी जनसंख्या (%)	27.23	28.77	30.35	31.99
लिंग अनुपात (प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या)	107.9	107.2	106.6	106

सारणी - 8(ii)

जनसांख्यिकी रुझान और प्रक्षेपण - II**

	1996-2001	2001-2006	2006-2011
जनसंख्या वृद्धि दर (% प्रतिवर्ष)	1.62	1.57	1.5
जन्म पर जीवन प्रत्याशा (पुरुष/वर्ष)	62.36	63.87	65.65
जन्म पर जीवन प्रत्याशा (महिलाएं/वर्ष)	65.27	66.91	67.67

** स्रोत जनगणना आंकड़े

ख. बीमा बाजार का मूल्यांकन

भारत सरकार ने अप्रैल, 1993 में बीमा क्षेत्र में सुधारों संबंधी एक समिति नियुक्त की थी। समिति का गठन, उस समय अर्थव्यवस्था में आ रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए एक अधिक दक्ष और प्रतियोगी वित्तीय तंत्र को बनाने के उद्देश्य से बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजारों सहित वित्तीय सुधारों के क्षेत्र में की गई पहलों में से एक था। चिंता के विषयों में बीमा कंपनियों का, राज्य एकाधिकरणों के रूप में बिना किसी प्रतियोगिता के बने रहना, जिसके कारण ग्राहक को व्यापक उत्पाद उपलब्ध न हो पाना; बीमा उद्योग में भारत सरकार का एकमात्र पणधारी बने रहना; एक बार इस क्षेत्र के उदारीकरण के पश्चात् बीमा कारबार के लिए प्रभावी विनियामक तंत्र की पुनः स्थापना करना; और सरकार आज्ञापक निवेशों के माध्यम से बीमा उद्योग की निधियों का उच्च पूर्वक्रय अधिकार सम्मिलित थे। चूंकि बीमा कंपनियों के वित्तीय परिणामों का बीमा प्रीमियम और जीवन बीमा में निवेश की गई बचतों की आमदनी पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर बेहतर प्रबंधन, ग्राहक सेवा, दक्षता और प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के साथ ही सही निवेश अवसरों को खोजने की आवश्यकता थी। राज्य के स्वामित्व वाले बीमाकर्त्ताओं ने इन विषयों पर कोई ध्यान नहीं दिया था।

आज विनियामक निकाय के गठन को तीन वर्ष से कुछ अधिक ही समय हुआ है और बाजार में सत्ताइस कंपनियां विद्यमान हैं। निजी और पब्लिक दोनों सैक्टर की कंपनियां एकसमान परिस्थितियों में कार्य कर रही हैं। निजी कंपनियों ने उद्योग में कमान संभाली है और स्वयं के लिए एक अच्छा बाजार स्थापित कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2000-01 में 11 कंपनियों को, 2001-02 में 6 कंपनियों को और वर्ष 2002-03 में 4 कंपनियों को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया था। इसके अतिरिक्त साधारण बीमा निगम (जी आई सी) को राष्ट्रीय पुनः बीमाकर्त्ता के रूप में पदाभिहित किया गया है। जहां वित्तीय वर्ष 2001-02 में निजी क्षेत्र की ग्यारह कंपनियों ने जीवन बीमा निम्नांकित किया, वहीं वर्ष 2002-03 के दौरान निजी कंपनियों की संख्या बढ़कर बारह हो गई। इसी अवधि के दौरान गैर-जीवन खंड में नए रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्त्ताओं

की संख्या, पिछले वर्ष की छः से बढ़कर नौ हो गई। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड को अनुज्ञप्ति जारी की गई है। बीमा उद्योग के लिए मूल बाजार सूचक सारणी 6 में दिए गए हैं।

व्यापक अप्रयुक्त अवसरों के कारण भारतीय बीमा उद्योग ने पूरे विश्व के लिए इतना आकर्षण उत्पन्न किया है कि सुस्थापित विदेशी बीमाकर्त्ता देश में, 26 प्रतिशत के साम्या पण के साथ अल्प भागीदार के रूप में भी व्यापार स्थापित करने के लिए आगे आए हैं। विदेशी पणधारी अपने साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार व्यवहार और तकनीकें लाए हैं, जिनसे अंततः ग्राहकों को ही लाभ मिलेगा। विदेशी भागीदारों के प्रवेश के परिणामस्वरूप इस सैक्टर में 31 मार्च, 2003 तक 739.19 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (30 सितंबर 2003 को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 825.44 करोड़ रुपए था) हुआ है। 31 मार्च, 2003 को बीमा उद्योग में 27 कंपनियों की समादत्त साम्या 4172.13 करोड़ रुपए थी (देखें उपाबंध-2)

क्षेत्र के खोले जाने का एक परिणाम यह भी हुआ है कि कंपनियां चयन और प्रतियोगिता की बाजार मांगों को पूरा कर रही हैं। ऐसी ताकतों को, जो उत्पादों और नवीनता की पुनरुत्थित मांग को सामने लाए, राष्ट्रीयकरण के फायदों, अर्थात् बाजार का प्रसार, और संपूर्ण देश में कारबार की प्राकृतिक पहुंच और इसकी मजबूती पर खड़ा किया जाना था। जोखिमों के विरुद्ध वहनीय बीमा संरक्षा उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ, कंपनियों की उपलब्धियों का, उनके द्वारा समाज के विनिर्दिष्ट वर्गों के लिए उद्देश्यित तैयार उत्पादों को लाकर, तकनीकी कौशल के उन्नयन के लिए आधुनिक व्यवहारों को अपनाकर और सकल घरेलू उत्पाद के निबंधनों में बीमा बाजार में गहरी पैठ बनाकर, बाजार की आवश्यकताओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता के निबंधनों में मूल्यांकन करना चाहिए। यद्यपि स्वास्थ्य बीमा अभी तक अधिक प्रचलित नहीं हो सका है, पहली बार बाजार में समूह स्वास्थ्य उत्पाद लाए गए हैं और उन्हें अच्छे ग्राहक मिले हैं।

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, धर्म में वृद्धि, शिक्षा और बीमा आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता ऐसे अन्य कारक हैं, जिन्होंने

3rd वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2002-2003

भारतीय बाजार में बीमा की बढ़ती हुई पहुंच का समर्थन किया है। उद्योग इस तथ्य की परछाई से बाहर आने को तत्पर है कि जीवन बीमा क्षेत्र में वृद्धि कर छूट के कारण है और गैर-बीमा क्षेत्र में यह वृद्धि कानूनी बीमा अपेक्षाओं के कारण है। इस बात के संकेत हैं कि नई कंपनियों के आने से बीमा घनत्व (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) और बीमा की पहुंच (प्रीमियम सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, को बढ़ावा मिला है। स्विस् रे द्वारा वर्ष 2001 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर ये मात्र क्रमशः 11.5 अमरीकी डालर और सकल घरेलू उत्पाद का 2.71 प्रतिशत थे। वर्ष 2001 के लिए विश्व औसत क्रमशः 393.3 अमरीकी डालर और 7.83 प्रतिशत थी। बीमा घनत्व में भारत का स्थान 78वां और बीमा पहुंच में 49वां है। वर्ष 2001 में औद्योगिक रूप से विकसित देशों में जीवन और गैर-जीवन, दोनों क्षेत्रों में विश्व बीमा प्रीमियम आय का 90 प्रतिशत उदभूत हुआ। 991 अरब अमरीकी डालर की प्रीमियम के साथ उत्तरी अमेरिका प्रथम स्थान पर था और इसके पश्चात् पश्चिमी यूरोप (740 अरब अमरीकी डालर) और ओशनिया (36 अरब अमरीकी

डालर) का स्थान था। जीवन बीमा पहुंच 5.4 प्रतिशत थी, जबकि जीवन बीमा पर प्रति व्यक्ति खर्च 1396 अमरीकी डालर था। वर्ष 2001 में जापानियों ने जीवन बीमा पर सर्वाधिक खर्च (2806 अमरीकी डालर) किया, इसके पश्चात् स्विस् (2716 अमरीकी डालर) और ब्रिटिश (2568 अमरीकी डालर) का स्थान रहा। यू.के. में बीमा पहुंच (10.7 प्रतिशत) का स्तर सर्वाधिक रहा, इसके पश्चात् जापान का स्थान (8.9 प्रतिशत) रहा। गैर-जीवन बीमा में, औद्योगिकृत देशों में पहुंच का औसत स्तर 3.6 प्रतिशत था, और औसत प्रति व्यक्ति व्यय 919 अमरीकी डालर था। प्रति व्यक्ति व्यय में अमरीका प्रथम (1644 अमरीकी डालर) था, इसके पश्चात् स्विटजरलैंड (1627 अमरीकी डालर) का स्थान था। दूसरी ओर पहुंच को देखते हुए स्विटजरलैंड 4.8 प्रतिशत के पहुंच स्तर के साथ सबसे आगे था, जबकि अमरीका की दशा में यह 4.6 प्रतिशत था।

सारणी 9(i) और (ii) विश्व के चुनींदा देशों में 1999 से 2001 तक के वर्षों में बीमा उद्योग की पहुंच और घनत्व संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराती हैं।




सारणी - 9(i)
बीमा पहुंच - अंतरराष्ट्रीय तुलना


देश	बीमा पहुंच (जी डी पी के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम - 1999)			बीमा पहुंच (जी डी पी के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम - 2000)			बीमा पहुंच (जी डी पी के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम - 2001)		
	योग	गैर-जीवन	जीवन	योग	गैर-जीवन	जीवन	योग	गैर-जीवन	जीवन
अमेरिका	8.55	4.32	4.23	8.76	4.28	4.48	8.97	4.57	4.40
कनाडा	6.49	3.31	3.19	6.56	3.28	3.27	6.42	3.45	2.97
ब्राजील	2.01	1.66	0.35	2.11	1.75	0.36	2.14	1.78	0.36
मैक्सिको	1.68	0.86	0.82	1.72	0.85	0.86	1.81	0.95	0.86
चिली	3.78	1.13	2.65	4.07	1.15	2.92	4.23	1.30	2.93
यूनाईटेड किंगडम	13.35	3.05	10.30	15.78	3.07	12.71	14.18	3.45	10.73
जर्मनी	6.52	3.55	2.96	6.54	3.55	3.00	6.59	3.60	3.00
फ्रांस	8.52	2.82	5.70	9.40	2.81	6.59	8.58	2.85	5.73
रूस	2.13	1.34	0.78	2.42	1.29	1.13	3.06	1.51	1.55
जापान	11.17	2.30	8.87	10.92	2.22	8.70	11.07	2.21	8.85
दक्षिणी कोरिया	11.28	2.89	8.39	13.05	3.16	9.89	12.07	3.38	8.69
चीन गणराज्य	1.63	0.61	1.02	1.79	0.67	1.12	2.20	0.86	1.34
भारत	1.93	0.54	1.39	2.32	0.55	1.77	2.71	0.56	2.15
मलेशिया	3.88	1.72	2.16	3.72	1.59	2.13	5.18	1.80	3.38
इन्डोनेशिया	1.42	0.76	0.66	1.18	0.64	0.54	1.13	0.60	0.53
दक्षिण अफ्रीका	16.54	2.62	13.92	16.86	2.83	14.04	17.97	2.78	15.19
नाइजीरिया	0.95	0.88	0.07	0.66	0.53	0.13	0.71	0.56	0.14
कीनिया	3.26	2.48	0.78	2.63	1.91	0.72	2.70	1.87	0.82
आस्ट्रेलिया	9.82	3.39	6.43	9.41	3.37	6.04	9.15	3.44	5.70

स्रोत : स्विस् रे, सिग्मा खंड 9/2000, 6/2001 और 6/2002


बीमा पहुंच (कुल) - अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं



बीमा पहुंच (गैर-जीवन) - अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं



बीमा पहुंच (जीवन) - अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं




सारणी - 9(ii)
बीमा पहुंच - अंतरराष्ट्रीय तुलना


देश	बीमा घनत्व (प्रति व्यक्ति प्रीमियम अमरीकी डालर में - 1999)			बीमा घनत्व (प्रति व्यक्ति प्रीमियम अमरीकी डालर में - 2000)			बीमा घनत्व (प्रति व्यक्ति प्रीमियम अमरीकी डालर में - 2001)		
	योग	गैर-जीवन	जीवन	योग	गैर-जीवन	जीवन	योग	गैर-जीवन	जीवन
अमेरिका	2921.1	1474.4	1446.6	3152.1	1540.7	1611.4	3266.0	1664.1	1602.0
कनाडा	1375.3	700.6	674.6	1516.8	759.6	757.2	1460.4	784.6	675.9
ब्राजील	68.6	56.7	11.8	75.6	62.7	12.9	64.0	53.2	10.8
मैक्सिको	84.6	43.3	41.3	101.2	50.4	50.8	112.6	59.4	53.2
चिली	163.0	48.7	114.3	175.8	49.7	126.0	176.4	54.3	122.1
यूनाईटेड किंगडम	3244.3	741.5	2502.8	3759.2	730.7	3028.5	3393.8	825.9	2567.9
जर्मनी	1675.7	913.5	762.2	1491.4	808.5	683.0	1484.2	809.9	674.3
फ्रांस	2080.9	688.6	1392.3	2051.1	613.7	1437.4	1898.8	630.6	1268.2
रूस	26.8	17.0	9.9	41.8	22.3	19.5	65.8	32.6	33.2
जापान	3908.9	805.5	3103.4	3973.3	808.2	3165.1	3507.5	701.1	2806.4
दक्षिणी कोरिया	1022.8	262.3	760.5	1234.1	298.5	935.6	1060.1	296.7	763.4
चीन गणराज्य	13.3	5.0	8.3	15.2	5.7	9.5	20.0	7.8	12.2
भारत	8.5	2.4	6.1	9.9	2.3	7.6	11.5	2.4	9.1
मलेशिया	140.4	62.3	78.1	150.9	64.6	86.4	198.3	68.7	129.5
इन्डोनेशिया	9.5	5.1	4.4	8.6	4.6	4.0	7.7	4.1	3.6
दक्षिण अफ्रीका	490.9	77.9	413.0	472.1	79.1	392.9	446.3	69.1	377.2
नाईजीरिया	2.6	2.4	0.2	2.0	1.6	0.4	2.3	1.8	0.5
कीनिया	9.9	7.5	2.4	8.9	6.5	2.4	9.4	6.6	2.9
आस्ट्रेलिया	2037.4	703.8	1333.6	1859.3	665.8	1193.5	1668.3	628.0	1040.3

स्रोत : स्विस् रे, सिग्मा खंड 9/2000, 6/2001 और 6/2002


बीमा पहुंच (जीवन) - अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं



बीमा घनत्व (जीवन) - अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं



बीमा घनत्व (गैर-जीवन) - अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं



(i) जीवन बीमा

वित्तीय वर्ष 2002-03, अधिकांश नई जीवन बीमा कंपनियों के लिए संक्रियाओं का दूसरा संपूर्ण वर्ष था, वित्तीय वर्ष के अंत तक निजी कंपनियों की संख्या बढ़कर बारह हो गई थी और वे भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) की प्रतियोगी थीं। उद्योग द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान 55,738.11 करोड़ रुपये का प्रीमियम निम्नांकित किया गया था, जिसमें एल आई सी ने 54,628.49 करोड़ रुपए का और निजी कंपनियों ने 1109.62 करोड़ रुपए का प्रीमियम निम्नांकित किया था। पिछले वर्ष के आंकड़े क्रमशः 50094.45 करोड़ रुपए, 49821.91 करोड़ रुपए और 272.54 करोड़ रुपए थे। कुल मिलाकर उद्योग में पिछले वर्ष में रिकार्ड की गई 43.54 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले निम्नांकित सकल प्रीमियम के निबंधनों में 11.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2002-03 में वृद्धि दर में गिरावट का मूल्यांकन इस संदर्भ में करना होगा कि पूर्व वर्ष इस लिहाज से एक असामान्य वर्ष था। वित्तीय वर्ष 2001-02 में, एल आई सी ने, जिसने उस वर्ष में कारबार का 99.46 प्रतिशत निम्नांकित किया था, जीवन श्री, बीमा निवेश, एकल प्रीमियम और व्यक्ति पेंशन योजना जैसी प्रत्याभूत उच्च आमदनी की योजनाओं का प्रस्ताव किया था। वृद्धि दर में कमी, वित्तीय वर्ष 2002-03 में इन स्कीमों को हटा लिए जाने के कारण हो सकती है। एल आई सी के कारबार में वृद्धि की दर पूर्व वर्ष की 42.79 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 9.65 प्रतिशत रह गई। 1998-99 से 2000-01 के वर्षों के दौरान एल आई सी के कार्यपालन के पुनर्विलोकन से यह और पता चलता है कि इसने 18 और 25 प्रतिशत के बीच की वृद्धि दर दर्ज की है। इसके विपरीत निजी बीमाकर्त्ताओं ने वर्ष के दौरान 307.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। नई कंपनियों द्वारा दर्ज भारी वृद्धि दर अंशतः इस कारण हो सकती है कि वित्तीय वर्ष 2001-02 में उनका कारबार काफी कम था। पिछले दो वर्ष में, विशेषकर चालू वर्ष में निजी कंपनियों के कार्यपालन ने यह दर्शित किया है कि उनमें नए बाजारों का सृजन करने और उन्हें संभालने का सामर्थ्य है। यद्यपि निजी कंपनियों ने वर्ष 2002-03 के लिए इस क्षेत्र में निम्नांकित कुल प्रीमियम में से केवल 2 प्रतिशत ही निम्नांकित किया, फिर भी महत्वपूर्ण रूप से कुल निम्नांकित कारबार में 11.27 प्रतिशत वृद्धि हुई। तुलनात्मक रूप से निजी कंपनियों का पूर्व वर्ष में निम्नांकित कुल कारबार में एक प्रतिशत से भी कम का अंश था। वस्तुतः नए बीमाकर्त्ताओं ने आवश्यक रूप से विद्यमान अंश में से अंशभाजन नहीं किया है, अपितु अंश के आकार में ही वृद्धि हुई है। नए मार्गों का सृजन किया गया है और कारबार के अवसरों की तलाश की गई है। इससे देश में गतिशील तथा

उपभोक्ता के लिए अनुकूल बीमा कारबार परिस्थितियों के स्थापित होने की संभावना है।

बाजार में अंश के अनुसार, जीवन बाजार के 98 प्रतिशत पर एल आई सी का कब्जा था और 12 नई कंपनियों का हिस्सा 2 प्रतिशत से भी कम रहा। इसके मुकाबले पिछले वर्ष एल आई सी के पास वर्ष 2001-02 में बाजार का 99.46 प्रतिशत अंश था। निजी कंपनियों द्वारा निम्नांकित कारबार की तुलना से यह और पता चलता है कि उनमें से कम से कम तीन कंपनियां स्वयं को बाजार में स्थापित करने में सफल रही हैं, जबकि इनमें से कुछ को अभी सफल होना है।

वर्ष 2002-03 के लिए एल आई सी के विकास रुझान यह दर्शित करते हैं कि वर्ष 2001-02 में बीमाकर्त्ता का प्रथम वर्ष का प्रीमियम 10492.72 करोड़ रुपए से बढ़कर 10630.80 करोड़ रुपए हो गया, अर्थात् इसमें मात्र 1.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2001-02 में एल आई सी के प्रथम वर्ष के प्रीमियम में 50.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सकल प्रीमियम में, जो पिछले वर्ष 9076.05 करोड़ रुपए था, 41.23 प्रतिशत की कमी आई और वह 2002-03 में घटकर 5345.96 करोड़ रुपए रह गया। पिछले वर्ष इसमें 232 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। नवीकरणों के मद्दे 38651.73 करोड़ रुपए का प्रीमियम एकत्रित किया गया था, पिछले वर्ष के लिए यह राशि 30233.14 करोड़ रुपए थी और इसमें पिछले वर्ष की 20.02 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 27.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2002-03 के लिए बारह निजी कंपनियों के विकास रुझान यह उपदर्शित करते हैं कि प्रथम वर्ष का प्रीमियम, जो पिछले वर्ष 170.49 करोड़ रुपए था, इस वर्ष बढ़कर 629.95 करोड़ रुपए हो गया, अर्थात् इसमें 269.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निजी कंपनियों के प्रथम वर्ष प्रीमियम में वर्ष 2001-02 में 45 गुणा वृद्धि हुई थी (यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000-01 में केवल कुछ कंपनियों ने ही कुछ मास के लिए संक्रियाएं की थीं। एकल प्रीमियम में, जो पूर्व वर्ष 98.02 करोड़ रुपए था, 235 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 2002-03 में बढ़कर 328.18 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वर्ष इसमें 35 गुणा वृद्धि हुई थी। नवीकरणों के मद्दे 151.49 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की गई थी और यह पिछले वर्ष की 4.03 करोड़ रुपए की राशि से 36.55 गुणा अधिक थी।

बीमाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों से एकत्रित आंकड़ों से यह पता चलता है कि जीवन बीमाकर्त्ताओं के प्रथम वर्ष के प्रीमियम पर प्रथम वर्ष की दलाली जो पूर्व वर्ष में 25.56 प्रतिशत थी औसतन 25.33 प्रतिशत रही। एल आई सी की दशा



में यह अनुपात 25.51 प्रतिशत रहा और निजी बीमाकर्त्ताओं के लिए संयुक्त योग पिछले वर्ष के क्रमशः 25.52 प्रतिशत और 27.83 प्रतिशत की तुलना में 22.24 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2002-03 में एल आई सी के लिए नवीकरण प्रीमियम का नवीकरण दलाली प्रीमियम से अनुपात, पूर्व वर्ष के 5.63 प्रतिशत की तुलना में 5.80 प्रतिशत था। निजी बीमाकर्त्ताओं के लिए तत्समान आंकड़े क्रमशः 6.06 प्रतिशत और 6.83 प्रतिशत थे। उद्योग में वित्तीय वर्ष 2002-03 में एकल प्रीमियम दलाली का एकल प्रीमियम से अनुपात 1.16 प्रतिशत था, पिछले वर्ष यह 1.54 प्रतिशत था। एल आई सी और निजी कंपनियों के लिए पिछले दो वर्षों के तत्समान आंकड़े क्रमशः 1.16 प्रतिशत और 1.54 प्रतिशत; तथा 1.14 प्रतिशत और 1.39 प्रतिशत थे। निजी कंपनियों की दशा में बढ़ती प्रीमियम राशि के बावजूद दलाली की राशि में कमी आने का रुझान निजी कंपनियों की, उनके वितरण मार्गों को व्यापक बनाने के लिए उपाय करने और साधन अपनाने और उनके लागत प्रभार में सुधार करने और साथ ही उत्पादनों की व्यापक रेंज प्रस्तुत करने की रणनीति की ओर संकेत करता है।

जीवन बीमा उद्योग द्वारा कुल एकत्रित प्रीमियम का कुल संदत्त दलाली और प्रचालन व्ययों से अनुपात, पिछले वर्ष के 18.54 प्रतिशत की तुलना में 18.90 प्रतिशत था। एल आई सी और निजी कंपनियों के लिए पिछले दो वर्षों के तत्समान आंकड़े क्रमशः 17.55 प्रतिशत और 17.62 प्रतिशत तथा 85.59 प्रतिशत और 187.15 प्रतिशत थे। निजी कंपनियों की दशा में प्रचालन व्यय, विशेषकर प्रचालन के प्रथम वर्ष में काफी अधिक हैं। यद्यपि कंपनियां अभी अपनी सक्रियाएं स्थापित कर रही हैं, फिर भी सक्रियाओं के स्थिरीकरण और निम्नांकित प्रीमियम में वृद्धि के कारण व्ययों के प्रीमियम से अनुपात में धीरे-धीरे कमी आ रही है।

बीमाकर्त्ताओं के संदत्त फायदों से संबंधित आंकड़े यह उपदर्शित करते हैं कि वर्ष 2002-03 में, पिछले वर्ष में संदत्त 1784.11 करोड़ रुपए की तुलना में 20564.36 करोड़ रुपए का संदाय किया गया। 2002-03 में पुनः बीमा के अतिरिक्त संदत्त फायदों की राशि 20544.71 करोड़ रुपए और वर्ष 2001-02 में यह 17479.52 करोड़ रुपए थी। पुनः बीमा के माध्यम से पिछले दो वर्षों में क्रमशः 0.10 प्रतिशत और 0.03 प्रतिशत फायदों का संदाय किया गया था। जीवन क्षेत्र में, जोखिम का अधिकांश भाग जीवन बीमाकर्त्ता द्वारा प्रतिधारित किया जा रहा है, जो गैर-जीवन बीमा उद्योग में प्रचलित व्यवहार के विपरीत है। प्रतिधारिता संघटक साधारण बीमा बाजार की तुलना में जीवन बीमा उद्योग की जोखिम प्रतिधारित करने के सामर्थ्य दर्शित

करता है और पुनः बीमा बाजार में किसी बड़े उतार-चढ़ाव की दशा में जीवन क्षेत्र पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। निजी क्षेत्र के बीमाकर्त्ताओं को चूंकि अभी कम ही समय हुआ है, इसलिए उनके पास कोई बड़े दावे नहीं हैं। बाहर निजी बीमाकर्त्ताओं द्वारा वर्ष 2002-03 और 2001-02 में क्रमशः 17.99 करोड़ रुपए और 3.04 करोड़ रुपए के कुल फायदों का संदाय किया गया। एल आई सी की दशा में उक्त आंकड़े क्रमशः 20546.36 करोड़ और 17481.07 करोड़ रुपए थे। संलग्न ग्राफ जीवन बीमा उद्योग में प्रीमियम आय, दलाली और प्रचालन व्ययों के रुझान प्रदर्शित करते हैं।

जीवन बीमाकर्त्ताओं के राजस्व लेखा, लाभ और हानि लेखा तथा तुलन पत्र सारणी 10 से 12 में हैं। एल आई सी के सी आर ए सी कारबार के लिए राजस्व लेखा, लाभ और हानि लेखा तथा तुलन पत्र सारणी 13 से 15 पर हैं।

2003-04 की पहली छमाही के दौरान कार्यनिष्पादन

चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 की प्रथम छमाही में जीवन बीमाकर्त्ताओं ने 8738024 पालिसियों के लिए 5435.96 करोड़ रुपए का प्रथम वर्ष प्रीमियम निम्नांकित किया है। व्यष्टि क्षेत्र में एल आई सी प्रीमियम के निबंधनों में 88 प्रतिशत और पालिसियों के निबंधनों में 94 प्रतिशत कारबार किया। इसकी तुलना में निजी बीमाकर्त्ताओं ने 12 प्रतिशत प्रीमियम और 6 प्रतिशत पालिसियों पर अपनी पकड़ मजबूत की। समूह कारबार के क्षेत्र में एल आई सी प्रीमियम का 93.63 प्रतिशत और पालिसियों का 93 प्रतिशत प्राप्त किया। इस अवधि के दौरान समूह कारबार में बाहर निजी बीमाकर्त्ता केवल 6.37 प्रतिशत प्रीमियम और निम्नांकित पालिसियों के 7 प्रतिशत तक ही सीमित रहे।

जुलाई 2003 में एल आई सी द्वारा आरम्भ की गई वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के अधीन चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में 132022 पालिसियों के लिए 2281.42 करोड़ रुपए का प्रीमियम एकत्रित किया गया। यह कारबार एल आई सी द्वारा अप्रैल-सितम्बर, 2003 के दौरान प्राप्त कुल प्रथम वर्ष कारबार प्राप्तियों, जिनके अंतर्गत एकल प्रीमियम भी है, का 47 प्रतिशत है।

निजी कंपनियों ने चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान पिछले वर्ष के दौरान किए गए प्रथम वर्ष प्रीमियम (एकल प्रीमियम सहित) कारबार का 62 प्रतिशत कारबार निम्नांकित कर लिया था। इसकी तुलना में एल आई सी ने इसके द्वारा 2002-03 की 12 मास की अवधि में इसके द्वारा किए गए कारबार का मात्र 30 प्रतिशत ही निम्नांकित किया था। पारंपरिक रूप से एल आई सी का अधिकांश कारबार किसी भी वर्ष की अंतिम तिमाही



में ही निम्नांकित होता है। बाजार शेयर के संदर्भ में, सितंबर 2003 को समाप्त हुई छमाही के दौरान प्रीमियम के मद्दे निजी बीमाकर्त्ताओं का बाजार शेयर वित्तीय वर्ष 2002-03 के 5.66 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 10.95 प्रतिशत हो गया है।

कुल मिलाकर, बीमाकर्त्ताओं ने व्यष्टियों/समूहों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से कई नवीन उत्पाद आरंभ किए थे। पूर्व तैयार उत्पादों के स्थान पर ऐसे जीवन बीमा समाधान लाए जा रहे हैं, जो आवश्यकताओं के अनुसार नमनीय हैं। जनसाधारण के लिए लाए जाने वाले उत्पादों को अंतिम रूप देने का मूल मंत्र है, सरलता और नवीनता। उत्पादों को “बालक” क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुटुंब आय फायदों जैसी नवीनता के साथ भी प्रस्तुत किया गया है। उद्योग में कई नए उत्पाद प्रस्तुत किए गए हैं, इनमें जीवन बीमाकर्त्ताओं द्वारा लाए गए प्रत्याभूत वृद्धि वाले उत्पाद थे, जिन्हें बाद में हटा लिया गया। वृद्धि में कमी की गई; एकल प्रीमियम पद्धति को लोकप्रिय बनाया गया, यूनिट से सहबद्ध उत्पाद आरंभ किए गए थे; और दुर्घटना/मृत्यु; अपंगता, गंभीर बीमारी राइडर, नियतकालिक राइडर, संदाय राइडर, या फायदा राइडर, कालिक से 60 वर्षीय राइडर, समूह अस्पताल और शल्य क्रिया राइडर, अस्पताल नकद फायदा राइडर और अन्य अनेक एड-ऑन/राइडरों को आरंभ किया गया था। वृत्तिदान, धन वापसी, संपूर्ण जीवन, एकल प्रीमियम, नियमित प्रीमियम, बीमा की गई उच्च राशियों के लिए प्रीमियम में छूट, प्रीमियम पद्धति में छूट, जैसी विशेषताओं वाले व्यापक उत्पादों का, जिनमें आधारीक उत्पादों के साथ अनेक राइडर भी थे, पुनः पैकेज किया गया है। वर्ष 2002-03 में ग्राहकों को प्रस्थापित किए जाने वाले उत्पादों में गैर-संबद्ध से संबद्ध उत्पादों की ओर बदलाव आया, जो ग्राहकों को अधिक नमनीयता और पादर्शिता उपलब्ध कराते हैं। ऐसे समय में जब स्टॉक बाजार में वृद्धि हो रही है, यूनिट संबद्ध उत्पादों को आरंभ करना एक अच्छी रणनीति है। तथापि, बीमा कराने वालों को इससे जुड़ी कमियों के संबंध में जागरुक बनाना अधिक महत्वपूर्ण है।

यद्यपि ग्राहकों ने यूनिट संबद्ध उत्पादों का स्वागत किया है, फिर भी यह आवश्यक है कि भावी पालिसीधारक ऐसे बीमा उत्पादों से जुड़े जोखिम के प्रति जागरुक हों। साम्या निवेशों से जुड़े होने के कारण इन उत्पादों से वित्तीय जोखिम जुड़े हैं। वित्तीय जोखिम, पालिसियों में जोड़े जाने वाले विभिन्न विकल्पों से उद्भूत होते हैं और साथ ही उनकी दीर्घावधि को ध्यान में रखते हुए, इनके मूल्यों को तय करना भी कठिन होता है। इसके अतिरिक्त इससे स्टॉक बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिम भी

जुड़ जाता है, जिससे बीमाकर्त्ता की आमदनी पर प्रभाव पड़ता है। दिलचस्प रूप से, विश्व बाजारों में अनेक बीमाकर्त्ताओं ने अपने उत्पादों में पूंजी संरक्षण विशेषता जोड़ना आरंभ कर दिया है। बाजार सूचक यह संकेत देते हैं कि पूरे विश्व में ऐसे उत्पादों की विक्रय में नीचे गिरते साम्या बाजारों की पृष्ठभूमि में कमी आती है। भारत में बीमा बाजार को ऐसी पृष्ठभूमि की चुनौती का अभी सामना करना है।

भारत सरकार ने 2003-04 के संघीय बजट में 55 वर्ष और अधिक के नागरिकों के लिए ‘वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना’ आरंभ करने की घोषणा की थी। वरिष्ठ योजना, सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त स्कीम है और इसके प्रचालन का कार्य एल आई सी को सौंपा गया है। स्कीम का उद्देश्य किसी पेंशनधारी को उसके जीवनकाल के दौरान पेंशन उपलब्ध कराना है और पेंशनधारी की मृत्यु की दशा में पेंशनधारी के नामनिर्देशित/विधिक उत्तराधिकारी को क्रय मूल्य का संदाय किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान जीवन बीमाकर्त्ताओं द्वारा आरंभ किए गए उत्पादों की सूची सारणी 16(i) और 16(ii) में है।

अनछुए बाजारों पर पकड़ बनाने के विचार से बीमाकर्त्ताओं ने देश भर में विभिन्न ग्रामों में अपने वितरण मार्गों को मजबूत करने के लिए अनेक नवीन संकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। जीवन बीमा उपलब्ध कराने के लिए प्रीमियम की काफी कम दरों पर सरल सावधि पालिसियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। बीमाकर्त्ता एस ओ एस बालक ग्रामों से भी जुड़ रहे हैं, उन्होंने विनिर्दिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों को अपनाया है और अपने ग्रामीण विकास दलों के अधीक्षण में बीमा उत्पाद आरंभ किए हैं। ये पद्धतियां, आने वाले वर्षों में अपनाए जाने वाले परिवर्तनों के साथ, इस विशेष बाजार के विकास के लिए अच्छी हैं। विद्यमान कंपनियों के साथ प्रतियोगिता में बने रहने के प्रयास में, नए बीमाकर्त्ता बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। प्रतियोगी कंपनियां एक पृष्ठ अभिकरण नेटवर्क : नियमित अभिकरण और बैंकाशयोरेंस के साथ ही वितरण के नए मार्गों को खोज रही हैं और उनकी संभावनाओं का लाभ उठा रही हैं। प्राधिकरण द्वारा बैंकाशयोरेंस-बैंक नेटवर्क द्वारा बीमा उत्पादों का विक्रय अनुज्ञात करने वाले समर्थकारी विधायी संरचना उपलब्ध कराने के पश्चात् बीमाकर्त्ताओं ने इस मार्ग के माध्यम से उत्पादों का प्रस्ताव करना आरंभ कर दिया है। लाभप्रद राजस्व क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने के लिए बैंकाशयोरेंस रणनीतियां बनाई गई हैं। वर्ष 2002-03 में दलालों को अनुज्ञप्तियां मंजूर किए जाने के पश्चात् एक नया मध्यवर्ती स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा भावी समय में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है।

सारणी - 10
राजस्व लेखा : सभी जीवन बीमाकर्ता

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	बीएसएलआई		आईसीसीआई-पू		आईएलजीवी#		एल.आई.सी.		एचडीएफसी स्टै लाइफ		एमएनवाईएल		एमपी एस		ए.बजाज		एसबीआई-लाईफ		ओमकोटक		टाटा-एआईजी		मेट-लाइफ		अविवा		योग	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02
अर्जित प्रीमियम-(शुद्ध)																												
(क) प्रीमियम	14392	2826	41762	11637	2116	419	5462849	4982191	14882	3346	9659	3895	647	28	6917	714	7239	1468	4032	758	7177	2114	791	48	1347	5573810	5009444	
(ख) अभ्यर्पित पुनःबीमा	(403)	(146)	(28)	(3)	(4)	(2)	(2794)	(1676)	(477)	(139)	(154)	(35)	(46)		(56)	(11)			(60)	(21)	(87)	(6)	(11)	(1)	(8)	(4127)	(2040)	
(ग) स्वीकृत पुनःबीमा							182	79																		182	79	
निवेशों से आय																												
(क) ब्याज, डिबिडेंड और किराया-कुल	287	61	1863	170	35		2503050	2286190	528	107	406	77	13		117		358	21	41		172		3		49	2506922	2286626	
(ख) निवेशों के विक्रय/विमोचन से लाभ	22	26	626	117			128251	112377	46	5					32		144								31	129153	112525	
(ग) (निवेशों के विक्रय/विमोचन से हानि)	(6)	(1)					(33223)	(13618)																	(6)	(33234)	(13619)	
(घ) उचित मूल्य के पुनःमूल्यांकन/परिवर्तन पर अंतरण/फायदा																												
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)	6786	4408	17	18	5		35533	12464	5324	4461	12	1	(5)		83						1					47756	21352	
कुल (अ)	21080	7174	44241	11939	2152	417	8093848	7378007	20302	7780	9923	3938	609	28	7095	703	7741	1489	4014	737	7263	2108	783	47	1413	8220462	7414367	
दलाली	2951	440	3647	1447	645	135	499861	451791	1977	662	1849	1186	167	7	1242	235	187	19	761	181	1480	572	167	16	210	515144	456691	
बीमा कारबार से संबंधित कार्यकरण व्यय	8907	4816	17512	8485	5775	2312	457176	426040	7006	4126	11194	8488	3398	1123	6672	2511	2330	1127	6138	3698	6353	4038	3044	653	4841	540345	467417	
संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान		1					26541	17987																		26542	17987	
अपलिखित ऋणों के लिए प्रावधान							125862	86817																		125862	86852	
कर के लिए प्रावधान							26077	8397																		26077	8397	
(क) निवेशों के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध)																												
(ख) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						1417	824646	859													1					824646	2277	
कुल (आ)	11859	5256	21159	8967	6420	3864	1960163	991891	8982	4788	13043	9674	3565	1130	7914	2746	2517	1146	6898	3880	7832	4610	3212	669	5050	2058616	1038621	
संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	102	30	316	65	29		2053039	1747664	55	3	249	67	9		36		274		21		316	123	18		6	2054471	1747952	
संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान							21635	19538																		6	2054471	1747952
संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान																												
दायित्व के मूल्यांकन में परिवर्तन																												
(क) सकल	9782	1943	18723	12825	458	354	3082300	3403227	12291	3070	4546	2037	157	11	2749	341	7029	1435	2320	347	3479	451	523	9	839	3145198	3426050	
(ख) पुनःबीमा में अभ्यर्पित राशि	(665)	(56)			(3)	(1)			(706)	(379)	(25)	(16)													(3)	(1402)	(452)	
(ग) पुनःबीमा में स्वीकृत राशि																												
(घ) संबद्ध निधि को अंतरण			19881	725																						19881	725	
कुल (ई)	9219	1917	38920	13615	484	353	5156974	5170429	11641	2694	4770	2088	166	11	2785	341	7304	1435	2341	347	3795	574	541	9	842	5239783	5193813	
अधिशेष/(कमी) (ई)=(अ)-(आ)-(इ)			(15838)	(10643)	(4752)	(3800)	976710	1215687	(321)	298	(7890)	(7824)	(3122)	(1113)	(3605)	(2384)	(2080)	(1092)	(5226)	(3490)	(4365)	(3076)	(2970)	(631)	(4480)	922062	1181932	
शेयरधारकों के खाते से अंतरण विनियोग															4000	2400	2080	1092	993	1146	4365	3076				11438	7714	
शेयरधारकों के लेखा को अंतरण*			(15838)	(12417)	(4752)	(3800)	48810	43325																(631)	(4480)	35177	34216	
अन्य आरक्षितियों को अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)				1774			927380	822144		25					16											927396	823918	
अतिशेष जो भावी विनियोगों के लिए निधियां हैं							520	350218	(321)	273					(411)	16										(212)	350507	
कुल (ई)			(15838)	(10643)	(4752)	(3800)	976710	1215687	(321)	298					(395)	16								(631)	(4480)	950924	1200927	

टिप्पण :

- 1) अन्य आय के अन्तर्गत निम्नलिखित सीमा तक शेयरधारकों के खाते से अंतरण है बीएसएलआई की दशा में 6711 लाख रुपए आईसीआईसीआई की दशा में 15838 लाख रुपए एचडीएफसी स्टे लाईफ की दशा में 5355 लाख रुपए
- 2) एलआईसी की दशा में, अन्य व्ययों के अंतर्गत 816081 लाख रुपए के अपेक्षित शोधन क्षमता अंतर खाते के लिए उपबंध भी है
- 3) एमएनवाईएल, एएनपी संभार, मेट लाईफ की दशा में राजस्व लेखा में घाटे को, तुलन-पत्र को अंतरित लाभ और हानि लेखा अतिशेष की बजाए सीधे तुलन-पत्र में रखा गया है बीमा आरक्षितियों के अधीन दर्शित किया गया है
- 4) लेखाओं में असंगतता पर बीमाकर्ताओं से खातचीत की जा रही है।
- 5) ओम कोटक की दशा में राजस्व लेखा में 5226 रुपए का घाटा है जिसमें से 993 लाख रुपए को लाभ और हानि लेखा से अंतरित किया गया है

सारणी - 11
लाभ और हानि लेखा : सभी जीवन बीमाकर्ता

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	बीएसएलआई		आईसीसीआई-पू		आईएलजीवी#		एल.आई.सी.		एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ		एमएनवाईएल		एमपी एस		ए.बजाज		एसबीआई-लाईफ		ओमकोटक		टाटा-एआईजी		मेट-लाइफ		अविवा	योग		
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02		
पालिसीधारकों के खाते को/से अंतरण (तकनीकी खाता)	(6771)	(4406)	(15838)	(12417)	(4752)	(3800)	48810	81391	(5355)	-4461					(4000)	(2400)	(2080)	(1092)	(993)	(1146)	(4365)	(3076)		(631)	(4480)	175	47962	
निवेश से आय																												
(क) ब्याज, डिविडेंड और किराया-कुल	576	598	620	1073	645	515	887	788	952	1504	1094	1263	934	206	970	846	1079	1105	1015	1409	862	828	858	607	688	11179	10742	
(ख) निवेशों के विक्रय/विमोचन से लाभ	175	44	572	1123	343	258			315	936	19	42	25		415	209	322	155	256	(8)	2	273	1	(12)	389	2833	3020	
(ग) (निवेशों के विक्रय/विमोचन से हानि)	(2)									(2)			0			(15)			0		(2)				0	(5)	(17)	
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)	45	195	14	11					(74)	69	1	2	(203)				15			2	21		(44)		0	(225)	279	
कुल (अ)	(5977)	-3569	(14632)	(10210)	(3764)	(3027)	49697	82179	(4162)	(1954)	1113	1307	756	206	(2615)	(1360)	(664)	168	277	257	(3483)	(1975)		815	(36)	(3403)	13958	61986
बीमा कारबार से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध से भिन्न व्यय	119	41	86	111	22	67			659	557	67	169	31		32	204	84	197	8	2	806	549	11	248	19	1943	2145	
अपलिखित डूबत ऋण																	0											
प्रावधान (कराधान से भिन्न)																				253							253	
(क) निवेशों के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध)																												
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान													565													951	2	
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)														8					269	2								
कुल (आ)	119	41	86	111	22	67			659	557	631	169	140		40	204	85	197	277	257	806	549	11	248	19	2894	2400	
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(6096)	(3610)	(14718)	(10321)	(3786)	(3094)	49697	82179	(4820)	(2511)	482	1138	616	206	(2655)	(1564)	(749)	(29)			(4289)	(2524)		804	(284)	(3422)	11064	59586
कराधान के लिए प्रावधान				(188)											0	1												(188)
कर के पश्चात् लाभ/(हानि)	(6096)	(3610)	(14718)	(10509)	(3786)	(3094)	49697	82179	(4820)	(2511)	482	1138	616	206	(2655)	(1565)	(749)	-29			(4289)	(2524)		804	(284)	(3422)	11064	59398
विनियोग																												
(क) वर्ष के प्रारम्भ में अतिशेष	(4442)		(10531)	23	(3094)																						(25703)	26022
(ख) वर्ष के दौरान संदत्त लाभांश										43325																	43325	
(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश						48810																			48810			
(घ) कर पर लाभांश वितरण																												
(ङ) आरक्षितियां/अन्य खातों को अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)		(832)		(45)			887	10788																		887	9911	
तुलन-पत्र में ले जाया गया लाभ	(10538)	(4442)	(25249)	(10531)	(6880)	(3094)		82179	(7465)	(2645)	15	(467)	822	206	(4220)	(1565)	(760)	(11)	12	12	(7171)	(2882)		520	(284)	(3422)	(64336)	56476

टिप्पण : अन्य वर्गों के अंतर्गत पालिसी धारकों को बोनस की निम्नलिखित लागत भी है एमएनवाईएल 565 लाख रुपए एमपी संसार 108 लाख रुपए ओम कोटक 11 लाख रुपए

बीएसएलआई का अर्थ है बिरला सन लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि.

आईसीआईआई-पू का अर्थ है आईसीआईआई प्रूडेंशियल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि.

आईएनजीवी का अर्थ है आई एन जी वसुधा जीवन बीमा कं.लि.

एल.आई.सी. का अर्थ है लाइफ इन्श्योरेंस कॉरोरेशन ऑफ इंडिया

एचडीएफसी एमटीडी लाइफ-का अर्थ है एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि.

एमएनवाईएल का अर्थ है न्यू यार्क लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि.

एमपीएस का अर्थ है एमपी संसार एश्योरेंस कं.लि.

ए बजाज का अर्थ है एलायंस बजाज लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि.

एस बी आई-लाईफ का अर्थ है एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि.

ओम-कोटक का अर्थ है ओम कोटक लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि.

टाटा-एआईजी का अर्थ है टाटा ए आई जी लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि.

एमईटी लाइफ का अर्थ है मेट लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि.

एबीआईवीए का अर्थ है एबीवी लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि. (2002-03 में कारबार आरम्भ किया)

सारणी - 12
तुलन पत्र : सभी जीवन बीमाकर्ता

(लाख रुप में)

विशिष्टियां	बीएसएलआई		आईसीसीआई-पू		आईएलजीवी		एल.आई.सी.		एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ		एमएनवाईएल		एमपी एस		ए.बजाज		एसबीआई-लाईफ		ओमकोटक		टाटा-एआईजी		मेट-लाइफ		अविवा		योग				
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02			
निधियों के स्रोत : शेयरधारकों की निधियां शेयर पूंजी आरक्षितियां और अधिशेष जमा/(विकलन) उचित मूल्य परिवर्तन खाता कुल योग उधार पालिसीधारकों की निधियां जमा/(विकलन) उचित मूल्य परिवर्तन खाता पालिसी दायित्व बीमा आरक्षितियां संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान कुल योग भावी विनियोगों के लिए निधियां	18000	14908	42500	19000	16939	10921	500	500	21673	16618	25474	24963	12436	12436	14908	14872	12500	12500	13066	10058	18335	18335	11000	11000	15480	22281	166111				
			(107)				11675	10788	(78)				822	207	4933		(11)		5216	5216	(28)		9		2	23153	16236				
	18000	14908	42393	19000	16939	10921	12175	11288	21594	16643	25489	24963	13244	12643	19841	14872	12489	12500	18282	15274	18308	18335	11528	11000	15482	245763	182347	628	509		
					133	77							364	373									130	59		1	171436	304216			
	1237	287	32044	13320	809	353	27299386	22939514	14375	2789	6558	2036	254	11	3090	341	8466	1436	2679	349	3931	451	548	9	836	2737421	22940896				
							239360	239429			(15713)	(7822)	(4236)	(1114)					(6576)	(2344)			(2970)			209866	228149				
	9777	1616	20817	754			590	362					23													31208	2849				
	11014	1977	52661	14074	942	430	27710771	23483447		2789	(9155)	(5786)	(3595)	(730)	3090	341	8466	1436	(3897)	(1995)	3931	568	(2292)	68	836	2772973	23496619				
							520	350218		26	321				411	16					1101					2062	350558				
योग	29017	16888	95254	33074	17882	11351	27723467	23844953	35995	19753	16334	19177	9649	11913	23342	15229	20955	13936	14385	13279	23340	18903	9236	11068	16318	28035173	24029524				
निधियों का उपयोग निवेश शेयरधारक पालिसीधारक संबद्ध दायित्वों को कवर करने के लिए धारित आस्तियां ऋण नियत आस्तियां आस्थगित कर आस्ति (शुद्ध) चालू आस्तियां नकद और बैंक अतिशेष अग्रिम और अन्य आस्तियां कुल योग (अ) चालू दायित्व प्रावधान कुल योग (आ) शुद्ध चालू आस्तियां (इ)=(अ-आ) प्रकीर्ण व्यय (अपलिखित या समायोजित नहीं किए गए की सीमा तक) लाभ और हानि लेखा में विकलन अतिशेष (शेयरधारक खाता)	6456	9578	12814	5159	7580	7501	10753	10500	8800	9731	8646	14125	8440		12879	10985	10851	10934	7908	10031	9257	10276	5029	9833	10984	120398	108653				
	1183	290	32994	13258	809	354	22638007	18641460	13104	3016	6558	2053	254		3501	357	7230	462	2679	349	4007	451	2970			21	22713317	18662050			
	9777	1616	20817	754									23								1101	117				1438	33157	2487			
	2738	2074	4142	2819	1789	11	3707474	3426790	4234	3368	3391	2292	730	694	2448	1939	412	141	2001	1003	1541	1543	695	106	637	131075	3426908	1024			
			1024	1024		1037	106319	94450													48	40					3707598	3426908			
	2173	693	3204	1071	1870	165	981697	716962	3726	1452	503	958	645	12013	1473	737	844	652	1567	2059	1030	3203	1054	574	531	1000318	740539				
	1161	905	2101	1196	1166	781	1618183	1375798	1639	993	1761	1309	429	129	1551	1295	2067	2301	1588	829	2150	1478	648	533	577	1635019	1387547				
	3334	1598	5304	2267	3036	946	2599880	2092760	5365	2445	2264	2267	1075	12142	3024	2032	2911	2953	3155	2888	3180	4681	1702	1107	1108	2635337	2128086				
	4537	2675	7091	2740	2151	1558	474077	377682	2946	1495	4522	2024	841	919	2729	1647	1205	564	1329	1000	3005	1284	1130	258	1292	508653	393846				
	472	35			71	34	864890	43325	92	23	3	2	33	4			1	1	76	32	20	30	4			865693	43461				
	5009	2710	7091	2740	2222	1592	1338967	421007	3038	1518	4525	2026	873	923	2729	1648	1209	565	1405	1032	3025	1284	1159	262	1292	1372545	437307				
	(1675)	(1112)	(1787)	(473)	814	(646)	1260913	1671753	2327	927	(2261)	241	201	11219	295	384	1701	2388	1750	1856	155	3397	543	845	(184)	108	1262792	1690779			
	10538	4442	25249	10533	6880	3094			7465	2644		466			4220	1564	760	11			7171	2882	284		3422	65704	25920				
योग	29017	16888	95254	33074	17882	11351	27723467	23844953	35995	19753	16334	19177	9649	11913	23342	15229	20955	13936	14385	13279	23340	18903	9236	11068	16318	28035173	24029524				

टिप्पण : ऋणों और अग्रिमों के अंतर्गत आस्थगित कर भी है।

सारणी - 13

राजस्व लेखा - एलआईसी का सीआरएसी कारबार

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2002-03	2001-02
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1,122	93
निवेशकों के विक्रय/विमोचन के लिए लाभ/हानि	89	(12)
पालिसी दायित्वों में परिवर्तन	(1,818)	(214)
अन्य (विनिर्दिष्ट करें) प्रतिलिखित	3	0
ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	281	471
योग (क)	(324)	339
उपगत दावे (शुद्ध)	450	355
दलाली	47	2
बीमा कारबार से संबंधित प्रचालन व्यय	69	16
अन्य-परिशोधन, हानिगत और प्रावधान	(116)	177
विदेशी कर		
योग (ख)	449	550
अग्नि/समुद्री/प्रकीर्ण कारबार से प्रचालन लाभ/हानि ग=(क-ख)	(773)	(211)
विनियोग		
शेयरधारकों के खाते को अंतरण		(211)
आपदा आरक्षिती को अंतरण		
अन्य आरक्षितियों को अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)		
योग (ग)	(773)	(211)

सारणी - 14

लाभ और हानि लेखा-एलआईसी का सीआरएसी कारबार

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2002-03	2001-02
प्रचालन लाभ/(हानि)		
(क) अग्नि बीमा		
(ख) समुद्री बीमा		
(ग) प्रकीर्ण बीमा	(773)	(211)
निवेशों से आय		
(क) ब्याज, लाभांश और किराया-सकल		
(ख) निवेशों के विक्रय से लाभ		
घटाएं : निवेशों के विक्रय से हानि		
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)		
योग (क)	(773)	(211)
प्रावधान (कराधान से भिन्न)		
(क) निवेशों के मूल्य में कमी		
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लिए		
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
अन्य व्यय		
(क) बीमा कारबार से संबंधित व्ययों से भिन्न		
(ख) डूबंत ऋण हानिगत		
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
योग (ख)		
कर से पूर्व लाभ	(773)	(211)
कराधान के लिए प्रावधान		
कर के पश्चात् लाभ	(773)	(211)
विनियोग		
(क) वर्ष के दौरान संदत्त अंतरित लाभांश		
(ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश		
(ग) लाभांश वितरण कर		
(घ) किसी आरक्षिती या अन्य खाते को अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)		
साधारण आरक्षिती को अंतरण		
पूर्व वर्ष से आगे लाया गया लाभ/हानि अतिशेष		
तुलन-पत्र को अग्रनीत अधिशेष	(773)	(211)




सारणी - 15




तुलन-पत्र : एलआईसी का सीआरएसी कारबार

(करोड़ रुपए में)


निधियों के स्रोत	2002-03	2001-02
शेयर पूंजी		
आरक्षितियां और अधिशेष	36	36
उचित मूल्य परिवर्तन खाता	865	840
पालिसी दायित्व*	5770	4725
उधार		
योग	6671	5601
निधियों का उपयोजन		
निवेश	3864	5072
ऋण		
नियत आस्तियां		
चालू आस्तियां		
नकद और अन्य आस्तियां	2487	10
कुल योग (क)	406	582
विद्यमान दायित्व	2893	592
प्रावधान	86	63
कुल योग (ख)		
शुद्ध चालू आस्तियां (ग) = (क-ख)	86	63
प्रकीर्ण व्यय (उस सीमा तक जो हानिगत नहीं हैं या समायोजित नहीं किए गए हैं)	2807	529
लाभ और हानि लेखा में विकलन अतिशेष		
योग	6671	5601

*इसके अंतर्गत लाभ और हानि लेखा में विकलन अतिशेष भी है







बीमा पहुंच (जीवन) - अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं



(जी.डी.पी. % के रूप में प्रीमियम-1999) (जी.डी.पी. % के रूप में प्रीमियम-2000) (जी.डी.पी. % के रूप में प्रीमियम-2001)



सारणी - 16(i)

31.03.2002 को जीवन बीमा उत्पादों की सूची

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	बीमाकर्ता
1	एलाएंज बजाज कैश केयर (कैश बैनीफिट)	एलाएंज बजाज
2	एलाएंज बजाज लाईफ टाईम केयर	
3	एलाएंज बजाज सेव केयर	
4	एलाएंज बजाज रिस्क केयर	
5	एलाएंज बजाज टर्म केयर	
6	एलाएंज बजाज ग्रुप क्रेडिट केयर	
7	एलाएंज बजाज ग्रुप रिस्क केयर	
8	एलाएंज बजाज ग्रुप ईडीएलआईएस केयर	
9	धन श्री	ए एम पी सनमार
10	शुभ श्री	
11	युवा श्री	
12	नित्य श्री	
13	बिरला सन लाईफ इंशोरेंस सोल्यूशन्स	बिरला सनलाईफ
14	कनाडा के हाई कमीशन के लिए ग्रुप सुपरएनुएशन पालिसी	
15	बिरला सनलाईफ फलेक्सीफैमली शील्ड टर्म प्लान	
16	बिरला सनलाईफ सिंगल प्रीमियम ग्रुप टर्म प्रोडक्ट	
17	बिरला सन लाईफ स्पेशल एनडोमेंट	
18	बिरला सन लाईफ ग्रुप प्रोटेक्शन सोल्यूशन्स	
19	बिरला सन लाईफ यंग सकोलर	
20	बिरला सन लाईफ ग्रुप सुपरएनुएशन प्रोडक्ट	
21	एच डी एफ सी ऍंडोमेंट एश्योरेंस	एच डी एफ सी स्टैंडर्ड लाईफ
22	एच डी एफ सी मनी बैंक	
23	एच डी एफ सी डिवलपमेंट प्लान	
24	एच डी एफ सी सिंगल प्रीमियम होल लाईफ एश्योरेंस	
25	एच डी एफ सी ग्रुप टर्म एश्योरेंस	
26	एच डी एफ सी प्रोटेक्शन सीरीज	
27	एच डी एफ सी इमिडिएट एन्यूईटी	
28	एच डी एफ सी पर्सनल पेन्शन प्लान	
29	एच डी एफ सी ग्रुप टर्म एश्योरेंस	

3rd वार्षिक रिपोर्ट
3rd ANNUAL REPORT
2002-2003

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	बीमाकर्ता
30	आई सी आई सी आई प्रू फारएवरलाईफ-रैगूलर प्रीमियम डैफर्ड पेंशन	आई सी आई सी आई प्रू
31	आई सी आई सी आई प्रू फारएवर लाईफ-सिंगल प्रीमियम डैफर्ड पेंशन	
32	आई सी आई सी आई प्रू सेव "एन" प्रोटेक्शन-एनडोमेंट एश्योरेंस	
33	आई सी आई सी आई प्रू सिंगल प्रीमियम बांड, प्रत्याभूत अभिवृद्धियों सहित	
34	आई सी आई सी आई प्रू ऐंटीसीपेटिड ऐंडोमेंट एश्योरेंस	
35	आई सी आई सी आई प्रू लाईफ गार्ड-लैवल टर्म एश्योरेंस प्रीमियम वापसी सहित	
36	आई सी आई सी आई प्रू लाईफ गार्ड-सिंगल प्रीमियम लैवल टर्म एश्योरेंस	
37	सलाम जिंदगी-सामाजिक क्षेत्र के लिए एकवर्षीय नवीकरणीय समूह सावधि बीमा	
38	लाइफ टर्म इमिडेट पेंशन	
39	आई सी आई सी आई प्रू-रीएश्योर	
40	आई सी आई सी आई प्रू-एश्योर इनवैस्ट	
41	आई सी आई सी आई प्रू-लाईफ लिंक	
42	आई सी आई सी आई प्रू-लाईफ टाइम	
43	आई सी आई सी आई प्रू-कैश बैंक	
44	आई सी आई सी आई प्रू-सेव 'एन' प्रोटैक्ट	
45	फूलफिलिंग लाइफ ऐंटीसीपेटिड होल लाइफ प्लान	आई एन जी वैश्या
46	मैक्सीमाइसिंग लाइफ मनीबैंक प्लान	
47	रीएश्योरिंग लाइफ एनडोमेंट प्लान	
48	सिक्वोरिंग लाइफ रूरल एनडोमेंट प्लान	
49	जैनेरिक ग्रुप टर्म इन्शोरेंस, सामाजिक क्षेत्र के लिए	
50	एल आई सी" ऐस बीमा प्लस-यूनिट लिंकड इनश्योरेंस पालिसी	एल आई सी*
51	खेतिहर मजदूर बीमा योजना	
52	शिक्षा सहयोग योजना	
53	बीमा निवेश	
54	न्यू बीमा निवेश	
55	न्यू जीवन अक्षय-1	
56	न्यू बीमा किरन	
57	जीवन आनंद	
58	बीमा निवेश 2002	
59	जीवन समृद्धि (न्यू जीवन संशय)	
60	5 वर्ष में रिन्यूअल और क्वंटीबल टर्म इश्योरेंस प्लान	मैक्स न्यूयार्क लाइफ
61	20 वर्षीय एंडोमेंट	
62	ईजी टर्म	



3rd वार्षिक रिपोर्ट
3rd ANNUAL REPORT
2002-2003

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	बीमाकर्ता
63	नान पार होल लाईफ	मैक्स न्यूयार्क लाइफ
64	पार होल लाईफ	
65	ग्रुप टर्म इन्श्योरेंस	
66	डिक्रीजिंग टर्म प्रोडक्ट	
67	लिमिटेड पेमेन्ट होल लाईफ नान पार्टिसीपेटिंग	मैट लाइफ
68	एनडोमेन्ट इन्श्योरेंस-नान पार्टिसीपेटिंग	
69	मनी बैंक-नान पार्टिसीपेटिंग	
70	ओम एनडोमेन्ट प्लान (कोटक एनडोमेन्ट प्लान)	ओम कोटक
71	ओम इन्श्योरेंस बांड (कोटक इन्श्योरेंस बांड)	
72	ओम मनी बैंक प्लान (कोटक मनी बैंक प्लान)	
73	कोटक इन्श्योरेंस बांड-न्यू वर्जन	
74	कोटक टर्म एश्योरेंस प्लान	
75	कोटक टर्म प्लान	
76	कोटक ग्रामीण बीमा योजना	
77	कोटक क्रेडिट टर्म ग्रुप प्लान	
78	कोटक टर्म ग्रुप प्लान	
79	कोटक इन्वेस्टमेंट एश्योरेंस प्लान (कोटक सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान)	
80	कोटक ऍंडोमेंट प्लान	
81	कोटक कैपिटल मल्टीप्लायर प्लान	
82	कोटक ग्रेचुटी ग्रुप प्लान	
83	एस बी आई लाईफ-संजीवन	एस बी आई लाईफ
84	सुखजीवन	
85	स्वर्ण गंगा (ग्रुप टर्म)	
86	एस बी आई लाईफ स्कालर	
87	यंग संजीवन	
88	एस बी आई लाईफ-सुपर सुरक्षा	
89	एस बी आई-क्रेडिट गार्ड	
90	सुख जीवन प्रथम	
91	ग्रुप ग्रेचुटी कम लाईफ कवर स्कीम	
92	ग्रुप रैगुलर प्रीमियम मोर्टगेज रिड्यूजिंग टर्म इन्श्योरेंस प्लान	टाटा-ए आई जी
93	ग्रुप सिंगल प्रीमियम मोर्टगेज रिड्यूजिंग टर्म इन्श्योरेंस प्लान	
94	10 वर्ष / 20 वर्ष / 30 वर्ष ऍंडोमेंट आर बी प्लान	
95	एश्योर 21 वर्ष मनी सेवर (21 वर्ष ट्राइनियल मोडिफाइड ऍंटीसीपेटिड ऍंडोमेंट प्लान	



3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	बीमाकर्ता
96	एंडोमेंट टू एज 60 (आर बी) प्लान (एश्योर गोल्डन वर्ष प्लान)	टाटा-ए आई जी
97	गरंटीड इशू 10 ईयर एंडोमेंट प्लान नान पार्टिसिपेटिंग (एश्योर हमराही)	
98	ग्रुप टर्म लाईफ	
99	ग्रुप क्रेडिट कार्ड टर्म इनश्योरेंस प्रोटेक्शन प्लान	
100	एश्योर 10 ईयर/15 ईयर/20 ईयर/25 ईयर लाईफलाइन प्लानस् 10/15/20/25 ईयर टर्म प्लान	
101	एश्योर 15 ईयर लाईफ लाइन (विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम) प्लान	
102	एश्योर 5 ईयर लाईफ प्लान-5 वार्षिक रिन्यूएबल कनवर्टेबल टर्म प्लान	
103	एश्योर लाईफ लाइन टू एज 60-टर्म टू एज 60 प्लान	
104	एश्योर वन ईयर लाईफ लाइन प्लान-वार्षिक रिन्यूएबल कनवर्टेबल टर्म प्लान	
105	ग्रुप रेगुलर प्रीमियम पर्सनल लोन रिड्यूसिंग टर्म इनश्योरेंस प्लान	
106	ग्रुप सिंगल प्रीमियम पर्सनल लोन रिड्यूसिंग टर्म इनश्योरेंस प्लान	
107	एश्योर 5/10 ईयर प्लान-एस पी	
108	सिंगल प्रीमियम इमिडियेट एनयूटी आप्शन विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम	
109	टाटा-ए आई जी कामप्रिहेनसिव सुपरएनुएशन पालिसी-डिफाइंड बैनिफिट	
110	टाटा-ए आई जी कामप्रिहेनसिव सुपरएनुएशन पालिसी-डिफाइंड कंट्रीब्युशन	
111	टाटा-ए आई जी कामप्रिहेनसिव ग्रेचुटी स्कीम	
112	छाया निर्वाण	
113	एश्योर करियर बिल्डर	
114	द अचीवर एट 18	
115	द अचीवर एट 21	
116	एश्योर पे मास्टर (महा लाईफ)	

*31 मार्च 2002 तक एल आई सी द्वारा बाजार में आरम्भ किए गए उत्पादों की सूची अक्टूबर 2002 से पश्चात् की अवधि से संबंधित है।



सारणी - 16(ii)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान मंजूर किए गए
जीवन बीमा उत्पादों की सूची

क्र.सं.	बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम	जुड़ी हुई अनुवृद्धियां
1	एलाएंज बजाज	सेव केयर-इकोनमी-एस पी	जीवन आरंभ फायदा
2		एलाएंज बजाज चाइल्ड केयर	गंभीर बीमारी फायदा
3		इनवैस्ट गेन डायमंड	कुटुम्ब आय फायदा
4		इनवैस्ट गेन गोल्ड	अस्पताल नकद फायदा
5		इनवैस्ट गेन प्लेटिनम	मृत्यु बीमा कवरेज में वृद्धि
6		इनवैस्ट गेन इकोनमी	प्रीमियम अधित्यजन फायदा
7	ए एम पी सनमान	ग्रुप टर्म इश्योरेंस	दुर्घटना मृत्यु और निःशक्तता फायदा
8		जय श्री	दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण तथा स्थायी
9		इमिडेट एन्यूटी	निःशक्तता अनुवृद्धि
10		श्रीभाग्य श्री	सावधि जीवन बीमा
11	अवीवा लाइफ	लाईफ लॉग-यूनिट लिंकड	दुर्घटना मृत्यु और अपंगता फायदा
12		इजी लाइफ विद प्रोफिट	गंभीर बीमारी और स्थायी पूर्ण निःशक्तता
13		इजी लाइफ लॉग-विद प्रोफिट	
14		लाईफ लॉग-विद प्रोफिट	त्वरित बीमा
15		लाईफ सेवर-यूनिट लिंकड	अस्पताल नकद फायदा
16		लाईफ सेवर-विद प्रोफिट	
17		लाईफ बॉन्ड-यूनिट लिंकड	
18		लाईफ बॉन्ड-विद प्रोफिट	
19		क्रेडिट नैट	
20		क्रेडिट प्लस	
22		ग्रुप शील्ड	
22		कार्पोरेट लाइफ	
23		इजी लाइफ प्लस-विद प्रोफिट	
24		इजी लाइफ प्लस-यूनिट लिंकड	
25	अमर सुरक्षा		
26	सिक्वोर लाइफ		

क्र.सं.	बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम	जुड़ी हुई अनुवृद्धियां
27		पेंशन प्लस	
28		एन्यूटी प्लस	
29		पेंशन प्लस (यूनिट लिंकड)	
30	बिरला सनलाईफ	बी एस एल ग्रुप ग्रेचुटी प्रोडक्ट	दुर्घटना में मृत्यु और निःशक्तता अनुवृद्धि
31		स्टैंडर्ड अलोन टर्म प्रोडक्ट	गंभीर बीमारी अनुवृद्धि
32		बी एस एल प्रीमियम बैंक टर्म प्लान	टर्म अनुवृद्धि
33		यूनिट लिंकड सिंगल प्रीमियम बांड	
34		बीएसएल फलैक्सी सिक्वोर लाईफ रिटायरमेंट प्लान	
35	एच डी एफ सी	एच डी एफ सी बीमा बचत योजना फौर सोशल सैक्टर	
36	स्टेनलाइफ	एच डी एफ सी चिल्ड्रेंस प्लान	
37	आई सी आई सी आई प्रू	आई सी आई सी आई-प्रू इमिडेट	दुर्घटना बीमा और
38		एन्यूटी-टाइड एन्यूटी	निःशक्तता फायदा
39		आई सी आई सी आई-प्रू लाईफ टाइम	गंभीर बीमारी बीमा
40		पेंशन-रिवाइस्ट	लेवल टर्म बीमा
41		आई सी आई सी आई-प्रू लाईफ लिंक पेंशन	मुख्य शल्य चिकित्सा सहायता
42		आई सी आई सी आई-प्रू रैगुलर प्रीमियम	कवर
43		डैफर्ड पेंशन प्लान-रिवाइस्ट	
44		आई सी आई सी आई-प्रू लाइफ गार्ड (रैगुलर प्रीमियम टर्म एश्योरेंस)	
45		आई सी आई सी आई-प्रू लाइफ-लैवल टर्म एश्योरेंस डाएरेक्ट मार्केटिंग	
46		आई सी आई सी आई-प्रू ग्रुप टर्म इश्योरेंस	
47		आई सी आई सी आई प्रू मित्र-रैगुलर प्रीमियम विदाऊट प्रौफिट एंडोमेंट-रूरल	
48		आई सी आई सी आई प्रू सुरक्षा-सिंगल प्रीमियम टर्म एश्योरेंस-रूरल	
49		आई सी आई सी आई प्रू सुरक्षा-रेगुलर प्रीमियम टर्म एश्योरेंस-रूरल	
50		आई सी आई सी आई प्रू ग्रुप ग्रेच्युटी	
51		आई सी आई सी आई-प्रू कैश बैंक	सावधि फायदा अनुवृद्धि
52		आई सी आई सी आई-प्रू सेव 'एन' प्रोटेक्ट	दुर्घटना, मृत्यु फायदा अनुवृद्धि
53		आई सी आई सी आई-प्रू ग्रुप सुपरएनुएशन प्लान	
54		शील्डिंग लाईफ प्रोटेक्शन प्लान (सीएलसीआईपी)	
55		पॉवरिंग लाईफ लिमिटेड पेमेंट एंडोमेंट प्लान	

क्र.सं.	बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम	जुड़ी हुई अनुवृद्धियां
53	आई एन जी वैश्या	मस्टरिंग लाईफ रेगुलर एंडोमेंट प्लान (रीएश्योरिंग लाईफ एंडोमेंट प्लान विद रिवरसिएशन बोनस)	दुर्घटना, मृत्यु फायदा अनुवृद्धि दुर्घटना मृत्यु अपंगता और निःशक्तता फायदा अनुवृद्धि प्रीमियम अधित्यजन का फायदा अनुवृद्धि
54		क्रियेटिंग लाईफ चाईल्ड प्रोटेक्शन प्लान	
55		सुरक्षित जीवन सरल रूरल एनडोमेंट प्लान	
56	एल आई सी	बीमा निवेश 2003	सावधि बीमा अनुवृद्धि प्रीमियम अधित्यजन फायदा महिलाओं में गंभीर बीमारी कार्जिनियल निःशक्तता फायदा
57		बीमा निवेश ट्रिपल कवर	
58		जीवन रेखा	
59		टर्म एश्योरेंस प्लान (विदाउट प्रोफिट)- जीवन अनमोल	
60		जीवन समृद्धि	
61		बीमा निवेश 2002	
62		कोमल जीवन	
63		न्यू जीवन अक्षय-1	
64		बीमा प्लस प्लान	
65		मौटगेज रिडम्पशन प्लान	
66		ग्रुप मौटगेज रिड््रेसल असि. स्कीम	
67	जीवन भारती		
68	मैक्स न्यूयार्क लाइफ	डिक्रिजिंग टर्म प्रोडक्ट	व्यक्तिक दुर्घटना फायदा/दुर्घटना मृत्यु फायदा या दुर्घटना मृत्यु और निःशक्तता (एडी और डी) अनुवृद्धि खतरनाक बीमारी (गंभीर बीमारी) अनुवृद्धि प्रीमियम का अधित्यजन
69		लैवल टर्म प्रोडक्ट	
70		सिंगल प्रीमियम बॉड	
71		इजी लाईफ रिटायरमेंट प्लान (डैफर्ड एन्यूटी)	
72	मेट लाईफ	मेट मौटगेज प्रोटेक्टर	दुर्घटना मृत्यु फायदा सावधि अनुवृद्धि प्रीमियम का अधित्यजन फायदा गंभीर बीमारी अनुवृद्धि-भाग न लेने वाला
73		मेट 100 प्लस	
74		सिंगल पे-मौटगेज प्रोटेक्शन प्लान	
75		जूवेनाइल मनी बैक-नॉन पार्टिसीपेटिंग	
76		जूवेनाईल एंडोमेंट-नॉन पार्टिसीपेटिंग	
77		मेट एंडोमेंट प्लस (मेट प्लेटिनम)	
78	मेट एंडोमेंट (मेट गोल्ड)		

क्र.सं.	बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम	जुड़ी हुई अनुवृद्धियां
79	मेट लाईफ	मेट जूनियर इ	
80		मेट 100 पार	
81		मेट ग्रुप वाई आर टी	
82		मेट गोल्ड (नॉन पार एंडोमेंट)	
83		मेट प्लेटिनम (नॉन पार एंडोमेंट)	
84	ओम कोटक	कोटक मनी बैक प्लान	दुर्घटना मृत्यु बीमा
85		कोटक चिल्ड्रन्स प्लान	सावधि बीमा
86		कोटक प्रैफर्ड टर्म प्लान	स्थायी निःशक्तता बीमा
87		कोटक एंडोमेन्ट प्लान	गंभीर बीमारी फायदा
88		कोटक इंशोरेंस बौंड-न्यू वर्जन	सावधि बीमा
89		कोटक ग्रेचुटी ग्रुप प्लान	प्रीमियम संदायकर्ता (जीवन संरक्षक) की मृत्यु पर प्रीमियम
90		कोटक कैपिटल मल्टीप्लायर प्लान	प्रीमियम संदायकर्ता (अपंगता संरक्षक) की मृत्यु पर प्रीमियम
91		कोटक इमिडियेट प्लान	प्रीमियम संदायकर्ता की निःशक्तता पर
92		कोटक रिटायरमेंट इन्कम प्लान विद कवर	प्रीमियम अधित्यजन फायदा
93		कोटक इनवैस्टमेंट एश्योरेंस प्लान	कोटक अधिमानतः सावधि फायदा
94	एस बी आई लाईफ	एस बी आई लाईफ सुदर्शन	दुर्घटना मृत्यु अनुवृद्धि
95		सुख जीवन प्रथम	पूर्ण स्थायी निःशक्तता फायदा
96		ग्रुप ग्रेचुटी कम लाईफ कवर स्कीम	
97		एस बी आई लाईफ स्वधन (व्यष्टिक)	शुद्ध सावधि अनुवृद्धि
98		एस बी आई लॉग पेंशन (व्यष्टिक)	बढ़ती राशि बीमा अनुवृद्धि
99	एस बी आई लाईफ लॉग पेंशंस (ग्रुप)		
100	टाटा-ए आई जी	10/20/30 वर्षों की प्रतिभूति और विकास योजनाएं नान पर	5 वर्ष में नवीकरणीय, सावधि अनुवृद्धि
101		छाया	सावधि से 60 वर्षीय अनुवृद्धि
102		संध्या	

सारणी - 17(i)

भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत जीवनों की मृत्यु दर-एलआईसी — 94-96 अल्टीमेट

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
14	0.00071	60	0.01307
15	0.00077	61	0.01439
16	0.00082	62	0.01590
17	0.00087	63	0.01761
18	0.00092	64	0.01952
19	0.00096	65	0.02162
20	0.00100	66	0.02272
21	0.00103	67	0.02562
22	0.00106	68	0.02882
23	0.00109	69	0.03237
24	0.00111	70	0.03629
25	0.00113	71	0.04062
26	0.00115	72	0.04539
27	0.00116	73	0.05064
28	0.00117	74	0.05640
29	0.00117	75	0.06273
30	0.00117	76	0.06966
31	0.00117	77	0.07723
32	0.00120	78	0.08550
33	0.00125	79	0.09452
34	0.00131	80	0.10433
35	0.00139	81	0.11499
36	0.00148	82	0.12655
37	0.00159	83	0.13907
38	0.00172	84	0.15108
39	0.00187	85	0.16230
40	0.00205	86	0.17415
41	0.00225	87	0.18664
42	0.00242	88	0.19978
43	0.00260	89	0.21356
44	0.00283	90	0.22800
45	0.00311	91	0.24307
46	0.00344	92	0.25878
47	0.00382	93	0.27511
48	0.00424	94	0.29203
49	0.00472	95	0.30952
50	0.00524	96	0.32755
51	0.00582	97	0.34607
52	0.00644	98	0.36505
53	0.00712	99	0.38444
54	0.00784		
55	0.00861		
56	0.00943		
57	0.01029		
58	0.01103		
59	0.01195		

सारणी - 17(ii)

भारतीय जीवन बीमा निगम में वार्षिकी धारकों की मृत्यु दर-एलआईसी क(96-98) अल्टीमेट

आयु	मृत्यु दर	जीवन संभाव्यता	आयु	मृत्यु दर	जीवन संभाव्यता
20	0.000919	57.45	65	0.013889	17.33
21	0.000961	56.50	66	0.015286	16.56
22	0.000999	55.56	67	0.017026	15.81
23	0.001033	54.61	68	0.019109	15.08
24	0.001063	53.67	69	0.021534	14.36
25	0.001090	52.72	70	0.024301	13.67
26	0.001113	51.78	71	0.027410	12.99
27	0.001132	50.84	72	0.030862	12.35
28	0.001147	49.89	73	0.034656	11.72
29	0.001159	48.95	74	0.038793	11.13
30	0.001166	48.01	75	0.043272	10.56
31	0.001170	47.06	76	0.048093	10.01
32	0.001170	46.12	77	0.053257	9.49
33	0.001171	45.17	78	0.058763	9.00
34	0.001201	44.22	79	0.064611	8.53
35	0.001246	43.28	80	0.070802	8.08
36	0.001308	42.33	81	0.077335	7.66
37	0.001387	41.38	82	0.084210	7.26
38	0.001482	40.44	83	0.091428	6.88
39	0.001593	39.50	84	0.098988	6.52
40	0.001721	38.56	85	0.106891	6.19
41	0.001865	37.63	86	0.115136	5.87
42	0.002053	36.70	87	0.123723	5.56
43	0.002247	35.77	88	0.132652	5.28
44	0.002418	34.85	89	0.141924	5.01
45	0.002602	33.93	90	0.151539	4.76
46	0.002832	33.02	91	0.161495	4.52
47	0.003110	32.11	92	0.171794	4.29
48	0.003438	31.21	93	0.182436	4.07
49	0.003816	30.32	94	0.193419	3.87
50	0.004243	29.43	95	0.204746	3.68
51	0.004719	28.56	96	0.216414	3.50
52	0.005386	27.69	97	0.228425	3.33
53	0.006058	26.84	98	0.240778	3.17
54	0.006730	26.00	99	0.253473	3.01
55	0.007401	25.17	100	0.266511	2.86
56	0.008069	24.35	101	0.279892	2.72
57	0.008710	23.55	102	0.293614	2.59
58	0.009397	22.75	103	0.307679	2.46
59	0.010130	21.96	104	0.322087	2.33
60	0.010907	21.18	105	0.336836	2.19
61	0.011721	20.41	106	0.351928	2.05
62	0.011750	19.64	107	0.367363	1.89
63	0.012120	18.87	108	0.383139	1.70
64	0.012833	18.10	109	0.399258	1.45
			110	0.415720	1.08

सारणी - 18

जीवन बीमाकर्त्ताओं के नियत बीमांकक
(31 मार्च, 2003 को)

एलाएंज बजाज	अय्यर वैद्यनाथन गणपति
ए एम पी सनमार	रामास्वामी सुन्दरराजन, एफ ए एस आई
अवीवा लाईफ	केवल कृष्ण वधवा, एफ ए एस आई
बी एस एल आई सी	पीटर जे. एकर्स, एफ ए एस आई
एस एस एल आई सी	निकोलस डेविड टाकेट, एफ ए एस आई
आई पी एल आई सी	वी राजगोपालन, एफ ए एस आई
आई एन जी वैश्या	आचार्य वैकटसुब्रह्मणियन, एफ ए एस आई
एल आई सी	एन.एस. शास्त्री, एफ ए एस आई
एम एन वाई एल आई सी	राजेंद्र पी. शर्मा, एफ ए एस आई
मैट लाईफ	सुरेश जी. गुहागडकर, एफ ए एस आई
ओम कोटक	एन्द्र्यू कार्टराईट, एफ ए एस आई
एस बी आई लाईफ	डा. आर. कानन, एफ ए एस आई
टाटा ए आई जी	फुयोंग बा चुंग, एफ ए एस आई
टिप्पण :	
एल आई सी : भारतीय जीवन बीमा निगम	
बी एस एल आई सी : बिरला सन लाईफ बीमा कम्पनी लिमिटेड	
आई पी एल आई सी : आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड	
एम एन वाई एल आई सी : मैक्स न्यूयार्क जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड	
एच एस एल आई सी : एच डी एफ सी स्टैंडर्ड जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड	

(ii) साधारण बीमा

साधारण बीमा उद्योग में, जिसमें वर्षों तक पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियों का वर्चस्व रहा है, वर्ष 2002-03 निजी कंपनियों के लिए तीसरा वर्ष था। निजी और पब्लिक दोनों क्षेत्र की कंपनियों ने, उनके द्वारा निर्मांकित सकल प्रीमियम में वृद्धि की और देश के भीतर उद्योग में 14272.67 करोड़ रुपए का प्रीमियम प्राप्त किया गया। पब्लिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के कारबार का विश्लेषण नीचे दिया गया है।

वर्ष 2002-03 के दौरान साधारण बीमा क्षेत्र में 13 कंपनियां थीं, इनमें से चोलामंडलम एम एस साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड और एच डी एफ सी-चब साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड ने अक्टूबर, 2002 में अपना कार्यकरण आरम्भ किया था। इस प्रकार इस वर्ष निजी कंपनियों की संख्या छः से बढ़कर आठ हो गई। ई सी जी सी के लिए भी, प्राधिकरण में इसके रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् कारबार करने का पहला वर्ष था। यह उल्लेखनीय है कि ई सी जी सी कई वर्षों से प्रत्यक्ष बीमा उपलब्ध करा रहा है और वह साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अनुसार एक छूटप्राप्त बीमाकर्ता था।

31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत संपरीक्षित आंकड़ों के अनुसार, देश में निर्मांकित कुल प्रत्यक्ष कारबार में से 90.60 प्रतिशत कारबार पब्लिक सेक्टर के बीमाकर्ताओं द्वारा किया गया और निजी क्षेत्र में 9.40 प्रतिशत कारबार ही हो सका। इसके विपरीत वर्ष 2001-02 में पब्लिक सेक्टर बीमाकर्ताओं ने 96.24 प्रतिशत कारबार और छः निजी क्षेत्र की कंपनियों ने मात्र 3.76 प्रतिशत कारबार निर्मांकित किया था। गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि देश में साधारण बीमा कारबार में 21.12 प्रतिशत की दर से विकास हुआ। कारबार का विकास मुख्यतया प्रकीर्ण बीमा क्षेत्र में हुआ, जिसमें वृद्धि दर 25.35 प्रतिशत थी। इस क्षेत्र में सर्वाधिक 70.82 प्रतिशत का अधिकतम कारबार निर्मांकित किया गया। यहां भी मोटर प्रीमियम का अंश बाजार में 40.68 प्रतिशत था, जिसमें से पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने 38.14 प्रतिशत कारबार किया और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने मात्र 2.54 प्रतिशत कारबार किया। स्वास्थ्य बीमा बाजार ने कुल साधारण बीमा प्रीमियम के 7.68 प्रतिशत पर

कब्जा किया। पुनर्विलोकनाधीन वर्ष की एक मुख्य उपलब्धि यह थी कि इस वर्ष स्वास्थ्य बीमा 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 50.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस वर्ष में यह 1095.90 करोड़ रुपए था। बीमा कारबार के प्रकीर्ण वर्ग के प्रीमियम में 2044.45 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जबकि अग्नि कारबार में केवल 282.46 करोड़ रुपए की तथा समुद्री बीमा में 161.42 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। प्रकीर्ण कारबार में अत्याधिक वृद्धि के मुख्यतः दो कारण थे, अर्थात् जुलाई, 2002 में प्रभावी किया गया पुनरीक्षित मोटर टैरिफ और मेडिकलेम पालिसियों में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त सभी बीमाकर्ताओं ने अपना ध्यान कारबार की व्यक्तिक रूपरेखाओं पर केन्द्रित किया। कारबार के समुद्री वर्ग में 15.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कारबार के अग्नि वर्ग में 10.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अग्नि और समुद्री बीमा क्षेत्र, देश में कुल साधारण बीमा बाजार का क्रमशः 20.67 प्रतिशत और 8.77 प्रतिशत थे।

पब्लिक और निजी क्षेत्र के बीच कारबार मिश्रण का विश्लेषण यह उपदर्शित करता है कि पब्लिक सेक्टर में अग्नि और इंजीनियरी वर्ग, भारत में निर्मांकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय का 19.43 प्रतिशत और लगभग 4.5 प्रतिशत थे, जबकि निजी क्षेत्र में इन क्षेत्रों का अंश क्रमशः 32.63 प्रतिशत और लगभग 7 प्रतिशत था। यहां यह उल्लेखनीय है कि कारबार के ये दो वर्ग और गैर-जीवन बीमा उद्योग में सर्वाधिक लाभ देने वाले हैं। दूसरी ओर पब्लिक सेक्टर बीमाकर्ताओं द्वारा निर्मांकित कारबार में मोटर स्वास्थ्य का अंश क्रमशः लगभग 41 और लगभग 7.5 प्रतिशत था, जबकि निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए यह अंश क्रमशः 27 और 5.5 प्रतिशत था। उच्च दावा अनुपात के कारण बीमा उद्योग में मोटर और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र अधिक लाभप्रद कारबार की परिधि के अंतर्गत नहीं आते।

पब्लिक सेक्टर के बीमाकर्ता

पांच पब्लिक सेक्टर बीमाकर्ताओं ने (ईसीजीसी सहित) वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान 12556.29 करोड़ रुपए का प्रीमियम निर्मांकित किया। इसके अंतर्गत ईसीजीसी द्वारा किया गया 374.78 करोड़ रुपए का निर्यात प्रत्यक्ष बीमा भी है। पब्लिक सेक्टर की चार कंपनियों ने (ईसीजीसी को छोड़कर) पिछले वर्ष की तुलना में 14.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। नेशनल कंपनी

ने पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक 21.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, 14.59 प्रतिशत वृद्धि के साथ ओरिएंटल कंपनी दूसरे स्थान पर रही। यूनाईटेड और न्यू इंडिया कंपनियों ने क्रमशः 11.79 और 11.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। बाजार में भागीदारी के मद्दे न्यू इंडिया 27.47 प्रतिशत बाजार भागीदारी के साथ प्रथम स्थान पर थी। अन्य तीन कंपनियों में से प्रत्येक की बाजार में भागीदारी लगभग 20 प्रतिशत रही। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के कारबार संयोजन ने बाजार रुझान को अपनाया। कारबार के वर्गों के निबंधनों में मोटर वर्ग से सर्वाधिक कारबार किया गया। पब्लिक सेक्टर कंपनियों द्वारा निर्माकित सकल प्रीमियम में से प्रत्येक कंपनी में स्वास्थ्य बीमा कारबार का अंश लगभग 8 प्रतिशत था। पब्लिक सेक्टर कंपनियों द्वारा निर्माकित कारबार में इंजीनियरी वर्ग का अंश लगभग 4 प्रतिशत था।

निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता

निजी क्षेत्र के आठ बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान 1341.60 करोड़ रुपए का प्रीमियम निर्माकित किया और पिछले वर्ष की तुलना में 187.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सभी बीमाकर्ताओं ने, उनके द्वारा निर्माकित कारबार में प्रभावी वृद्धि का प्रदर्शन किया है। निजी बीमाकर्ताओं में से बजाज एलांज साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड ने कुल बाजार अंश के 2.07 प्रतिशत पर कब्जा किया, इसके पश्चात् टाटा-एआईजी ने 1.63 प्रतिशत पर, ईफको टोक्यो ने 1.37 प्रतिशत पर, आई सी आई सी आई लोम्बार्ड ने 1.48 प्रतिशत पर, रिलायंस 1.30 प्रतिशत पर और रॉयल सुंदरम ने 1.29 प्रतिशत पर अपनी पकड़ मजबूत की। चूँकि चोलामंडलम एम एस और एच डी एफ सी-चब की सक्रियताओं का यह प्रथम वर्ष था, अतः इसलिए बाजार में उनका आकार छोटा ही रहा। कुल मिलाकर निजी क्षेत्र में निर्माकित कारबार में से अग्नि और प्रकीर्ण कारबार का अंश क्रमशः 32.63 प्रतिशत और 61.10 प्रतिशत रहा, 6.27 प्रतिशत अंश के साथ तीसरा स्थान समुद्री कारबार का रहा। वित्तीय वर्ष 2002-03 में हाल ही में चोलामंडलम ने जापान की मितसुई सूमीटोमो से भागीदारी की, जो कंपनी में 26 प्रतिशत साम्या के साथ उसकी विदेशी सहभागीदार बन गई। दो प्रवर्तकों में समझौते के पश्चात् बीमाकर्ता का नाम परिवर्तित करके चोलामंडलम एम

एस साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड कर दिया गया था।

भारत में गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय, शुद्ध प्रीमियम आय और निम्नांकन अनुभव तथा लाभों का संकलन सारणी 28, 29 और 30(i) और 30(ii) में दिया गया है।

दावों का अनुभव

उद्योग के लिए यह वर्ष काफी अच्छा रहा क्योंकि देश के किसी भाग में कोई मुख्य आपदा रिपोर्ट नहीं की गई। उद्योग के लिए उपगत दावा अनुपात, जो पिछले वर्ष 89.6 प्रतिशत था, 78.7 प्रतिशत रहा। कारबार के प्रकीर्ण वर्ग में उपगत दावा अनुपात 106.4 प्रतिशत से घटकर 87.7 प्रतिशत रह गया। अनुपात में कमी इस कारण से आई कि जहां बीमाकर्ताओं का शुद्ध प्रीमियम 8853.97 करोड़ रुपए से बढ़कर 10566.20 करोड़ रुपए हो गया वहीं शुद्ध उपगत दावों में काफी कमी हुई, जो 7929.86 करोड़ रुपए से बढ़कर 8317.49 करोड़ रुपए हो गए।

पब्लिक सेक्टर के बीमाकर्ता : इस वर्ष चार राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों और इसीजीसी के लिए कुल उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के 90.2 प्रतिशत की तुलना में 80.2 प्रतिशत रहा। न्यू इंडिया और ओरिएंटल के लिए उपगत दावा अनुपात लगभग 77 प्रतिशत थी, जिसके विपरीत यूनाईटेड इंडिया के लिए दावा अनुपात 91.1 प्रतिशत था। कारबार के विभिन्न प्रवर्गों के लिए उपगत दावा अनुपात का वितरण इस प्रकार था, अग्नि - 48.10 प्रतिशत; समुद्री - 67.2 प्रतिशत और प्रकीर्ण - 89.6 प्रतिशत। प्रकीर्ण वर्ग में अधिकतम दावा अनुपात उपगत किया गया।

निजी बीमाकर्ता : निजी बीमाकर्ताओं का उपगत दावा अनुपात 52 प्रतिशत था, जो पब्लिक सेक्टर के बीमाकर्ताओं के उपगत दावा अनुपात से काफी कम है। कारबार के अग्नि और प्रकीर्ण वर्गों में दावा अनुपात क्रमशः 22 प्रतिशत और 56 प्रतिशत था। निजी कंपनियों में से आई सी आई सी आई-लोम्बार्ड में उपगत दावा अनुपात 40 प्रतिशत था, इफको टोक्यो में 41 प्रतिशत, टाटा ए आई जी में 47 प्रतिशत, रॉयल सुंदरम में 54 प्रतिशत, बजाज एलांज में 59 प्रतिशत और रिलायंस में 99 प्रतिशत था। चोलामंडलम एम एस और एच डी एफ सी - चब में, नई कंपनियां होने के कारण, उपगत दावा अनुपात क्रमशः 14 और 13 प्रतिशत था।



गैर-जीवन क्षेत्र के पब्लिक और निजी बीमाकर्ताओं के उपगत दावा अनुपातों का संकलन सारणी 31(i) और (ii) में है।

दलाली और प्रचालन व्यय

बीमाकर्ताओं के बीमा कारबार से संबंधित दलाली और प्रचालन संबंधी व्यय अधिक बने रहे और ये बीमा नियम, 1939 के अधीन विहित लगभग 20 प्रतिशत की कानूनी सीमा से अधिक थे। कुल मिलाकर, वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए उद्योग का औसत भारत में अंकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का 28.12 प्रतिशत था।

पब्लिक सेक्टर के बीमाकर्ता : चार पब्लिक सेक्टर बीमाकर्ताओं के प्रचालन व्ययों का भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम से अनुपात 21.51 प्रतिशत था। यह पिछले वित्तीय वर्ष के 22.97 प्रतिशत के अनुपात की तुलना में कम था। चार पब्लिक सेक्टर बीमाकर्ताओं के मद्दे प्रचालन व्यय, वर्ष 2001-02 के 2525.78 करोड़ रुपए की तुलना में 2766.60 करोड़ रुपए था और इस प्रकार इसमें पूर्व वर्ष की तत्समान अवधि के मुकाबले 9.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2002-03 में दलाली के संदायों में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूर्व वर्ष में यह वृद्धि 5.65 प्रतिशत थी। 2002-03 के दौरान निम्नांकित कारबार के लिए सीधे संदाय की गई दलाली शीर्ष के अधीन राशि 909.46 करोड़ रुपए थी, जबकि वर्ष 2001-02 में यह राशि 642.28 करोड़ रुपए थी, जिसका अर्थ है इसमें पूर्व वर्ष की तुलना में 41.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दलाली और प्रचालन व्यय, भारत में अंकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का 28.29 प्रतिशत थे और इस प्रकार देश के भीतर बीमा संव्यवहारों की लागत में वृद्धि हुई।

निजी बीमाकर्ता : निजी बीमाकर्ताओं ने अपने प्रबंधन संबंधी व्ययों को कम करने के लिए उपाए किए हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत वित्तीय रिपोर्टों में यह उपदर्शित होता है कि प्रचालन व्यय कम हो रहे हैं। रिलायंस के प्रबंधन संबंधी व्यय 14.37 प्रतिशत पर न्यूनतम थे, 20.62 प्रतिशत के साथ दूसरा स्थान आई सी आई सी आई लोम्बार्ड का था। अन्य निजी बीमाकर्ताओं के मामलों में व्यय अनुपात 22 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच था। चोलामंडलम एम एस और एच डी एफ सी - चब्व की जिन दो कंपनियों ने वर्ष 2002-03 में प्रचालन आरंभ किया था, में प्रबंधन व्यय अनुपात अधिक था। नई कंपनियों के प्रबंधन व्यय

उनकी प्रारंभिक आरंभ करने की लागतों और अपेक्षाकृत कम प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए, अधिक होने का अनुमान लगाया जाता है। कारबार निम्नांकित करने के लिए सीधे संदाय की गई दलाली 5.84 करोड़ रुपए से बढ़कर 37.35 करोड़ रुपए हो गई। यह भारत में लिखित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का लगभग 2.78 प्रतिशत थी। इससे यह भी उपदर्शित होता है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां कारबार प्राप्त करने के लिए अभिकर्ताओं और दलालों जैसे मध्यवर्तियों पर कितना भरोसा करती हैं। निजी कंपनियों के लिए कुल व्यय अनुपात 26.48 प्रतिशत था।

निवेश

पूरे विश्व में साधारण बीमा कारबार प्रतियोगी परिस्थितियों में कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप बीमाकर्ताओं को हानि निम्नांकित होती है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। सभी कंपनियों ने हानि निम्नांकित की। तथापि, इन हानियों की निवेश आय द्वारा प्रतिपूर्ति हो गई थी। निवेश प्राप्तियों से न केवल निम्नांकित हानियां समाप्त हुईं, अपितु इनसे अधिकांश कंपनियां लाभ कमाने में भी समर्थ हुईं। वर्ष 2002-03 में साधारण बीमा उद्योग (ई सी जी सी को छोड़कर) को 2637 करोड़ रुपए की सकल निवेश आय हुई।

शुद्ध लाभ

सभी चारों पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान शुद्ध लाभ दिखाए तथा नेशनल और ओरिएंटल कंपनियों भी पिछले वर्ष की हानि से उभर सकीं। कर के पश्चात् चार पब्लिक सेक्टर बीमाकर्ताओं का लाभ 625.70 करोड़ रुपए था। पब्लिक सेक्टर बीमाकर्ताओं ने केन्द्रीय सरकार के राजस्व में, लाभांश के रूप में 110 करोड़ रुपए का अभिदाय किया और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2001-02 में पब्लिक सेक्टर बीमाकर्ताओं ने लाभांश के मद्दे कुल 50 करोड़ का संदाय किया था।

निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं में से चार कंपनियों, अर्थात् बजाज एलाएज, इफको-टोक्यो, रिलाएंस और आई सी आई सी आई को वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान शुद्ध लाभ कमाया है। इफको-टोक्यो उदारीकरण के पश्चात् अपने शेयरधारकों को 2 करोड़ रुपए के लाभांश की घोषणा करने वाला पहला निजी बीमाकर्ता बन गया।

वर्ष 2002-03 के दौरान साधारण कंपनियों का कार्यकरण संतोषजनक रहा। तथापि, आने वाले समय में राष्ट्रीयकृत साधारण बीमाकर्ताओं के लाभों पर दबाव पड़ सकता है। इसके लिए कई प्रकार के कारण हैं, जिनके अंतर्गत बढ़ती हुई प्रतियोगिता के दबाव, कम प्राप्तियों पर निवेश, पोर्टफोलियो का पुनःचक्रण, 'मोटर तीसरा पक्षकार' कारबार का निरंतर कम मूल्यों पर बना रहना और प्रबंधन व्ययों का अधिक होना है और साथ ही भारतीय बाजार में दलालों को अनुमति दिए जाने के पश्चात् कारबार प्राप्त करने की लागत में संभावित वृद्धि भी एक कारण हो सकता है। अतः पब्लिक सेक्टर की साधारण बीमा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने निम्नांकन व्यवहारों में सुधार लाएं, लागत को नियंत्रित करें और दावा प्रबंधन तथा सेवा मानकों में सुधार लाएं। पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए अनुकूल बात यह है कि अच्छी वित्तीय स्थिति, धनशोधन, पुष्ट साम्या पोर्टफोलियो और मजबूत पुनः बीमा संबंधों के साथ-साथ उनके पास राष्ट्रीय विशेषाधिकार भी हैं। जहां तक निजी कंपनियों का संबंध है, उनका कार्यकरण अभी आरंभिक प्रक्रम पर है, और इन बीमाकर्ताओं को अभी अपनी सक्रियाओं को स्थापित करना है और अपने लिए एक बाजार भी बनाना है। तथापि, निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता दावा लागतों को नियंत्रित करने, सेवा मानकों में सुधार लाने और प्रचालन को कम करने के लिए भी उपाय कर रहे हैं। यह आशा की जाती है कि इन प्रयासों से सुखद परिणाम सामने आएंगे। गैर-जीवन क्षेत्र के पब्लिक और निजी बीमाकर्ताओं के पृथक राजस्व लेखाओं, लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलन-पत्रों का संकलन सारणी 19 से 24 में है। जी आई सी का राजस्व लेखा, लाभ और हानि लेखा तथा तुलन-पत्र सारणी 25 से 27 में है।

वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने कई गैर-टैरिफ उत्पाद आरंभ किए। बीमाकर्ताओं ने बीमा बाजार के छोटे और खुदरा वर्गों तथा साथ ही कारबार की व्यक्तिक रूपरेखाओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादों में अभिवृद्धियां की। यह बीमाकर्ताओं द्वारा अपनाई गई वितरण और विपणन नीतियों के अनुरूप था। प्राधिकरण ने भी अग्नि समूह के जोखिमों के विरुद्ध घरेलू सामान का प्रथम हानि आधार पर बीमा करने वाली पालिसियों को भी अनुज्ञात किया, इसमें बीमा की व्यक्तिक रूपरेखाओं को बढ़ावा मिलने की संभावना है। पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने कम प्रीमियम पर यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा स्कीम आरंभ की और विदेशी मेडिकलेम पालिसियों में भी संशोधन

किए। एक पब्लिक सेक्टर बीमाकर्ता ने दलालों के लिए वृत्तिक क्षतिपूर्ति पालिसी आरंभ की और एक अन्य बीमाकर्ता ने प्रत्यक्ष बीमा आरंभ किया। दूसरी ओर निजी क्षेत्र की कंपनियों ने व्यक्तिक रूपरेखा के बीमा पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अनेक पैकेज्ड उत्पाद आरंभ किए। भारतीय बाजार में आरंभ किए गए कुछ नए बीमा उत्पाद मौसम के खतरों, कार्यनिष्पादन प्रत्याभूति, पारस्परिक निधि-अस्तियों, आदि के जोखिमों से संरक्षा प्रदान करते हैं और यह विशेष प्रकृति के हैं। वर्ष 2001-02 और 2002-03 में गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा आरंभ किये गए उत्पादों की सूची सारणी 32(i) और (ii) पर है।

अंतरराष्ट्रीय सक्रियाएं

पब्लिक सेक्टर की गैर-जीवन कंपनियां विदेशों में भी सक्रिय हैं और तीस देशों में अपनी शाखाओं या अभिकरणों या सहबद्धों/सहायक कंपनियों के माध्यम से सक्रियाएं कर रही हैं। यूनाईटेड और नेशनल कंपनियों की हांगकांग में की सक्रियाएं क्रमशः 1-4-2002 और 18-2-2002 को समाप्त हो गईं। न्यू इंडिया दोनों कंपनी के शेष पोर्टफोलियो की देखभाल कर रही है। एक बीमांकक द्वारा तारीख 31-3-2003 तक बीमांकक मूल्यांकन किया था और प्रीमियम दायित्व तथा उपगत किंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन आर) दायित्व के लिए आवश्यक प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं। केन इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड, केन्या और भारत अंतर्राष्ट्रीय बीमा प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर के कार्यपालन में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आया है। साधारण बीमा कंपनियों ने बीमा पहुंच और बीमा घनत्व में वृद्धि करने के लिए विभिन्न रणनितियां तैयार की हैं। अधिकांश कंपनियों ने बैंकों से, निगमित अभिकरण के रूप में या संदर्भात्मक व्यवस्था के अधीन बैंकों से गठजोड़ किया है, जिससे कि बैंकों की व्यापक पहुंच का बीमा उत्पादों के विपणन के लिए उपयोग किया जा सके। ग्रामीण कारबार के विकास के लिए बीमाकर्ता राज्य सहकारी बैंकों, कपास उगाने वालों की राज्यस्तरीय सहकारिताओं, डेयरी मालिकों, शर्करा सहकारिताओं, आदि से गठजोड़ किया है। ग्रामीण बाजारों के लिए महिला स्व-सहायता समूहों, हथकरघा बुनकरों, कारीगरों, जनजातियों, आदि जैसे नए आवश्यकता आधारित पैकेज्ड उत्पाद भी बीमाकर्ताओं द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

मोटर बीमा, जो देश में साधारण बीमा के 40 प्रतिशत के बराबर है, निरंतर हानि वाला पोर्टफोलियो बना हुआ है। प्राधिकरण को



विभिन्न हितबद्ध समूहों से पुनरीक्षित मोटर टैरिफ को लागू करने के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उन्हें 1 जुलाई, 2002 से प्रभावी बनाया गया था। यह दावा किया गया था कि बीमाकर्ता अधिसूचित टैरिफ संरचना का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और पुनरीक्षित टैरिफ को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप बीमा कराने वालों के कतिपय प्रवर्गों की बाबत बीमा कवर की लागत में बेतहाशा वृद्धि हुई है। परिवहन प्रचालकों ने भी संपत्ति और जीवन के प्रति तृतीय पक्षकार दायित्व की बाबत बीमा उपलब्ध न होने के संबंध में अभ्यावेदन किया था। दूसरी ओर बीमाकर्ताओं ने अपना पक्ष यह संकेत देते हुए रखा कि उनके लिए मोटर पोर्टफोलियों में हानियों को उठाते रहना अत्यधिक कठिन था। इस वर्ग में दावा अनुपात, निम्नांकित प्रीमियम से काफी अधिक था। वास्तव में, मोटर पोर्टफोलियो को गैर-जीवन पोर्टफोलियो के अन्य लाभदायक प्रवर्गों से आर्थिक सहायता दी जा रही थी। इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने टैरिफ मुक्त करने और पूल करने संबंधी व्यवस्थाओं सहित मोटर निम्नांकन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति टी एन सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित किया गया था।

रंगराजन समिति ने मार्च, 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

1. करंतीन तृतीय पक्षकार (टी पी) दायित्व बीमा कारबार और इसका बीमा कंपनियों की बहियों में निम्नांकन।
2. मोटरयान दुर्घटनाओं के लिए तृतीय पक्षकार दायित्व के लिए कानून दायित्व के पुनर्विलोकन की मांग की जाए। भारत सरकार से इस सिफारिश पर विचार किए जाने का अनुरोध किया जाए।
3. टी ए सी के अधीन एक स्वतंत्र डाटा बैंक की स्थापना की जाए, बीमा कंपनियों को बैंक को डाटा प्रदान करने की आज्ञा दी जाए और प्रस्तावित टैरिफ को न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए डाटा बैंक में ड्रा किया जाए।
4. फाइल और उपयोग प्रक्रिया पर आधारित प्रतियोगी प्रीमियम नियत करने के आदर्श रूप के अधीन मोटर पोर्टफोलियो के लिए स्व हानि वर्ग को परिवर्तन के

लिए समय सूची के साथ टैरिफ को समाप्त किया जाए।

रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्राधिकरण ने हैदराबाद में मई, 2003 में साधारण बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यपालकों के साथ हुई अपनी बैठक में विचार-विमर्श किया था। बैठक में आम सहमति से, 1 अप्रैल, 2005 से, मोटर दायित्व के स्व हानि भाग की मुक्त रूप से मूल्य तय करने की पद्धति को प्रभावी करने का विनिश्चय किया गया। इसके तुरंत पश्चात प्राधिकरण ने इस संबंध में टैरिफ समाप्त करने के लिए योजना तैयार करने हेतु श्री एस वी सोनी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति को उत्पादों की बाजार में मुक्त उपलब्धता के लिए योजना तैयार करने के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार करना है और विभेदी टैरिफों को अपनाए जाने सहित इस संबंध में किए जाने वाले आवश्यक उपायों का भी सुझाव देना है। समिति को पैरामीटर बनाकर, आवश्यक अध्ययन करके, विदेशों में प्रचलित बाजार व्यवहारों की क्षेत्रवार तुलना करके और इस कार्य को करते हुए बीमाकर्ताओं से परामर्श करके समयबद्ध रीति में मोटर ओ डी का टैरिफ करने संबंधी टैरिफ सलाहकार समिति को अपनी सिफारिशें देनी हैं।

पुनःबीमा

साधारण बीमा निगम (जी आई सी) ने भारतीय बीमा बाजार में पुनःबीमाकर्ता के रूप में अपने नए अवतार में भारतीय प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं को समर्थन का प्रस्ताव किया है और 1500 करोड़ रुपए पी एम एल तक के जोखिम को कवर करने की क्षमता विकसित की है। भारतीय कारबार से शुद्ध प्रीमियम, जो 2001-02 में 2199.63 करोड़ रुपए था, 2002-03 में बढ़कर 2817.32 करोड़ रुपए हो गया, अर्थात् इसमें 28.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शुद्ध दावा निकासी पिछले वर्ष के 1989.82 करोड़ रुपये से कम होकर 2002-03 में 1891.93 रह गई, जिसका अर्थ यह है कि यह आपदा मुक्त वर्ष था।

भारतीय आवक विमानन प्रीमियम, जो पिछले वर्ष 64.91 करोड़ रुपए था, वर्ष 2002-03 में बढ़कर 91.66 करोड़ रुपए हो गया। इसी प्रकार जी आई सी का विदेशी आवक विमानन प्रीमियम 20.80 करोड़ रुपये से बढ़कर 81.51 करोड़ रुपए हो गया और विदेशी आवक कारबार में चार गुना वृद्धि हुई। लेखा में पश्चगमन के पश्चात शुद्ध प्रीमियम पिछले वर्ष के 17.32 करोड़ रुपये की



तुलना में 71.67 करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष के 12.53 करोड़ रुपए के शुद्ध दावों की तुलना में इस वर्ष शुद्ध दावे 71.77 करोड़ रुपए के थे और शुद्ध दावों में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की। वर्ष के दौरान शुद्ध विदेशी आवक प्रीमियम में काफी वृद्धि हुई और यह पूर्व वर्ष के 159.14 करोड़ रुपए की तुलना में 645.63 करोड़ रुपए रहा। जी आई सी ने 11 सितंबर की घटना के पश्चात पुनःबीमा बाजार से अनेक पुनःबीमाकर्ताओं के हट जाने के पश्चात इस वर्ग में अधिक प्रीमियम अंकित करने के अवसरों का लाभ उठाया। वर्ष के दौरान शुद्ध उपगत दावों में वृद्धि हुई और यह पिछले वर्ष के 162.42 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 423.04 करोड़ हो गए, अर्थात् इनमें 160 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहां यह बताना आवश्यक है कि विदेशी कारबार की दशा में दावे काफी समावधि में सामने आते हैं।

जी आई सी भारतीय जीवन बीमा में अवसरों का लाभ उठा रहा है और इसके परिणामस्वरूप इसमें पुरानी और नई कंपनियों से संबंध विकसित करने के लिए पृथक डेस्क की स्थापना की है। प्रारंभ में एल आई सी ने जी आई सी के पक्ष में सभी पालिसियों पर 10 प्रतिशत बाध्यकारी उपकर का प्रस्ताव करना आरंभ किया।

31 मार्च, 2003 को जी आई सी का कुल निवेश, जो 2001-02 की समाप्ति पर 7948.71 करोड़ रुपए था, बढ़कर 8622.98 करोड़ रुपए हो गया था। तथापि, निवेश आय में कमी आई और यह 2001-02 में की 961.80 करोड़ रुपए से कम होकर 949.88 करोड़ रुपए रह गई और इस प्रकार इससे पिछले वर्ष की 14 प्रतिशत की प्राप्ति की तुलना में केवल 12 प्रतिशत प्राप्ति हुई। प्राप्ति में कमी का कारण ब्याज दरों में कमी है, जिनमें वर्ष के दौरान 300 आधारिक अंकों की कमी आई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान किए गए वृद्धि निवेश विद्यमान निम्न ब्याज दरों पर थे। इसके अतिरिक्त रेटिड कागजों में निवेश के सीमित अवसर उपलब्ध थे और उन पर भी प्राप्तियां अपेक्षाकृत कम थीं। जी आई सी को वर्ष 2002-03 के दौरान कर की कटौती के उपरांत 261.46 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, जो पिछले वर्ष के 306.70 करोड़ रुपए के लाभ से कम था। जी आई सी का केन्द्रीय सरकार के खजाने में, वर्ष 2002-03 के लिए लाभांश वितरण के माध्यम से 47.30 करोड़ रुपए थे।

2003-04 की पहली छःमाही के दौरान कार्यपालन

गैर-जीवन वर्ग में, चालू वित्तीय वर्ष की पहली छःमाही के दौरान निम्नांकित सकल प्रीमियम 8081.06 करोड़ रुपए था, अर्थात् इसने वर्ष 2002-03 की तत्समान अवधि के दौरान हुई 7169.88 करोड़ रुपए की प्रीमियम आय से 12.71 प्रतिशत अधिक था। पब्लिक सेक्टर के बीमाकर्ताओं ने 6973.78 करोड़ रुपए का प्रीमियम निम्नांकित किया, जो वर्ष 2002-03 की तत्समान अवधि के दौरान निम्नांकित प्रीमियम से 6.03 प्रतिशत अधिक था। पब्लिक सेक्टर कंपनियों में से ई सी जी से 26.98 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि दर्ज की, 16.76 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दूसरा स्थान नेशनल कंपनी का रहा। पब्लिक सेक्टर के अन्य तीन बीमाकर्ताओं ने 1.16 और 3.62 प्रतिशत के बीच वृद्धि दर्ज की। इसके विपरीत निजी बीमाकर्ताओं ने 1107.27 करोड़ रुपए का प्रीमियम निम्नांकित किया है, अर्थात् पिछले वर्ष की तत्समान अवधि के प्रीमियम से 86.72 प्रतिशत अधिक। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के विकास पैटर्न में काफी विविधता दिखाई दी। जहां वर्ष 2002-03 की तत्समान अवधि की तुलना में आई सी आई ने निम्नांकित प्रीमियम में 222 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, वहीं रिलायंस के मामले में 6.02 प्रतिशत की कमी आई। अन्य निजी कंपनियों की दशा में वृद्धि दर 48 और 67 प्रतिशत के बीच रही। यह उल्लेखनीय है कि एच डी एफ सी चबब और चोलामंडलम एम एस ने वित्तीय वर्ष 2002 की दूसरी छःमाही में कार्य करना आरम्भ किया था।

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के बाजार अंश के निबंधनों में, निम्नांकित कारबार में 86.72 प्रतिशत भाग पब्लिक सेक्टर के बीमाकर्ताओं के हिस्से में था, जबकि आठ निजी बीमाकर्ताओं का भाग मात्र 13.28 प्रतिशत था। पब्लिक सेक्टर बीमाकर्ताओं में से न्यू इंडिया ने सर्वाधिक 24.09 प्रतिशत कारबार किया, जबकि ओरिएंटल ने 18.62 प्रतिशत कारबार किया और नेशनल तथा यूनाइटेड में से प्रत्येक ने लगभग 20 प्रतिशत कारबार किया। निजी बीमाकर्ताओं में से आई सी आई सी आई लोम्बार्ड ने 2.91 प्रतिशत बाजार अंश पर कब्जा किया, जबकि बजाज एलाएज, टाटा ए आई जी और इफको-टोक्यो ने क्रमशः 2.70 प्रतिशत, 2.40 प्रतिशत और 2.08 प्रतिशत बाजार अंश पर अपनी पकड़ बनाई। अन्य बीमाकर्ताओं का अंश 0.44 प्रतिशत और 1.64 प्रतिशत के बीच रहा।





सारणी - 19
राजस्व लेखा : पब्लिक सेक्टर गैर-जीवन बीमाकर्ता

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	न्यू इंडिया								ओरिएंटल							
	2002-03				2001-02				2002-03				2001-02			
	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	79,027	21,009	229,679	329,715	67,924	18,812	199,151	285,887	36,030	12,891	136,656	185,577	39,282	17,921	124,869	182,072
निवेशों के विक्रय/विमोचन से लाभ/हानि	1,525	739	7,565	9,829	551	264	2,521	3,336	993	402	5,822	7,217	336	167	1,671	2,174
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									62	46	74	182	-30			(30)
ब्याज, लाभांश और किराया-सकल	6,837	3,316	33,908	44,061	7,827	3,751	35,834	47,413	4,551	1,845	26,680	33,076	4,862	2,421	24,185	31,468
योग (क)	87,389	25,064	271,152	383,605	76,302	22,828	237,506	336,636	41,636	15,184	169,232	226,052	44,450	20,509	150,725	215,684
उपगत दावे (शुद्ध)	46,737	11,690	211,523	269,950	37,177	13,134	205,203	255,514	12,552	8,431	125,671	146,654	19,275	7,427	156,089	182,791
दलाली	3,341	(1,040)	17,013	19,314	850	(1,034)	8,167	7,982	(2,573)	(715)	2,077	(1,211)	(1,895)	(465)	24	(2,337)
बीमा कारबार से संबंधित प्रचालन व्यय	24,561	5,322	59,179	89,062	21,397	5,138	48,902	75,437	13,445	4,414	47,400	65,259	14,541	4,118	42,244	60,903
अन्य-परिशोधन, हानिगत और प्रावधान विदेशी कर	1,129	547	5,597	7,273	1,027	492	4,705	6,224								
	83	8	323	414	56	9	261	327								
योग (ख)	75,851	16,527	293,635	386,013	60,507	17,739	267,238	345,484	23,424	12,130	175,148	210,702	31,921	11,080	198,357	241,358
अग्नि/समुद्री/प्रकीर्ण/कारबार से प्रचालन लाभ/(हानि)	11,538	8,537	(22,483)	(2,408)	15,795	5,089	(29,732)	(8,848)	18,212	3,054	(5,916)	15,350	12,529	9,429	(47,632)	(25,674)
ग (क-ख)																
विनियोग																
शेयरधारकों के लेखा को अंतरण आपदा आरक्षिती को अंतरण अन्य आरक्षितियों को अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)	11,538	8,537	(22,483)	(2,408)	15,795	5,089	(29,732)	(8,848)	18,212	3,054	(5,916)	15,350	12,529	9,429	(47,632)	(25,674)
योग (ग)	11,538	8,537	(22,483)	(2,408)	15,795	5,089	(29,732)	(8,848)	18,212	3,054	(5,916)	15,350	12,529	9,429	(47,632)	(25,674)

क्रमशः



क्रमशः

राजस्व लेखा : पब्लिक सेक्टर गैर-जीवन बीमाकर्ता

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	यूनाइटेड								नेशनल								योग	
	2002-03				2001-02				2002-03				2001-02				2002-03	2001-02
	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग		
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	45,280	18,050	147,608	210,938	44,630	14,278	138,372	197,280	36,010	13,281	147,305	196,596	36,655	14,912	130,131	181,698	922,826	846,937
निवेशों के विक्रय/ विमोचन से लाभ/ हानि	1,654	821	10,178	12,653	878	540	5,129	6,547	929	585	6,080	7,594	200	136	1,101	1,437	37,293	13,494
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	71	36	249	356	(7)	47	804	844	32	(11)	(140)	(119)	7	263	270	237	1,114	
ब्याज, लाभांश और किराया-सकल	4,982	2,473	30,652	38,107	5,515	3,393	32,205	41,113	3,606	2,270	23,600	29,476	4,256	2,905	23,399	30,560	144,720	150,554
योग (क)	51,987	21,380	188,687	262,054	51,016	18,258	176,510	245,784	40,577	16,125	176,845	233,547	41,111	17,960	154,894	213,965	1,105,258	1,012,069
उपगत दावे (शुद्ध)	20,030	9,970	160,545	190,545	17,560	8,164	152,357	178,081	13,326	10,563	138,077	161,966	19,236	7,809	145,465	172,510	769,115	788,896
दलाली	(3,451)	(1,462)	2,982	(1,931)	(3,745)	(1,529)	3,521	(1,753)	(2,085)	(699)	7,319	4,535	(1,765)	(651)	1,403	(1,013)	20,707	2,880
बीमा कारबार से संबंधित प्रचालन	14,262	5,490	42,487	62,239	14,874	4,136	38,777	57,787	11,531	3,599	44,969	60,099	12,647	3,829	39,958	56,434	276,659	250,561
अन्य-परिशोधन, हानिगत और प्रवधान विदेशी कर	608	302	3,742	4,652	1,141	703	6,664	8,508					37			37	11,925	14,769
योग (ख)	31,449	14,300	209,756	255,505	29,830	11,474	201,319	242,623	22,772	13,463	190,365	226,600	30,155	10,987	186,826	227,968	1,078,820	1,057,432
अग्नि/ समुद्री/ प्रकीर्ण/ कारबार से प्रचालन लाभ/ (हानि) ग (क-ख) विनियोग	20,538	7,080	(21,069)	6,549	21,186	6,784	(24,809)	3,161	17,805	2,662	(13,520)	6,947	10,956	6,973	(31,932)	(14,003)	26,438	(45,363)
शेयरधारकों के लेखा को अंतरण आपदा आरक्षिती को अंतरण अन्य आरक्षितियों को अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)	20,538	7,080	(21,069)	6,549	21,186	6,784	(24,809)	3,161	17,805	2,662	-13,520	6,947	10,956	6,973	(31,932)	(14,003)	26,438	(45,363)
योग (ग)	20,538	7,080	(21,069)	6,549	21,186	6,784	(24,809)	3,161	17,805	2,662	(13,520)	6,947	10,956	6,973	(31,932)	(14,003)	26,438	(45,363)



सारणी - 20
लाभ और हानि लेखा : निजी क्षेत्र और जीवन बीमाकर्ता

(करोड़ रुपए में)

विशिष्टियां	न्यू इंडिया		ओरिएंटल		यूनाइटेड इंडिया		नेशनल		योग	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02
प्रचालन लाभ/ हानि										
(क) अग्नि बीमा	11,538	15,795	18,212	12,529	20,538	21,186	17,805	10,956	68,093	60,466
(ख) समुद्री बीमा	8,537	5,089	3,054	9,429	7,080	6,784	2,662	6,973	21,333	28,275
(ग) प्रकीर्ण	(22,483)	(29,732)	(5,916)	(47,632)	(21,069)	(24,809)	(13,520)	(31,932)	(62,988)	(134,104)
	(2,408)	(8,848)	15,350	(25,674)	6,549	3,161	6,947	(14,003)	26,438	(45,363)
निवेशों से आय										
(क) ब्याज, लाभांश और किराया-सकल	27,974	32,669	6,458	9,465	12,265	12,742	9,158	11,448	55,855	66,324
(ख) निवेशों के विक्रय	6,241	2,298	1,410	654	4,173	2,118	2,369	549	14,193	5,619
से हानि					(100)	(89)	(9)	(16)	(109)	(105)
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)	2,190	916	368	525	26	374	897	669	3,481	2,484
योग (क)	33,997	27,035	23,586	(15,030)	22,913	18,306	19,362	(1,353)	99,858	28,959
प्रावधान (कराधानसेभिन्न)										
(क) निवेशों के मूल्य में कमी	1,618	2,114	742	1,186	(46)	433	2,791	3,171	5,105	6,904
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लिए	2,363	1,596	2,954	2,739	568	877	559	599	6,444	5,811
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	637	579	2,298	4,529					2,935	5,108
अन्य व्यय										
(क) बीमा कारबार से संबंधित व्ययों से भिन्न व्यय					24	28	65	534	89	562
(ख) डूबत ऋण हानिगत							2,005	3,738	2,005	3,738
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	(1,904)	1,926	3	2	951	1,299			(950)	3,227
योग (ख)	2,714	6,215	5,997	8,456	1,497	2,637	5,420	8,042	15,628	25,350
कर से पूर्व लाभ	31,283	20,820	17,589	(23,486)	21,416	15,669	13,942	(9,395)	84,230	3,609
कराधान के लिए प्रावधान	5,702	6,620	11,190	(1,958)	4,317	330	451	(350)	21,660	4,642
कर के पश्चात् लाभ	25,581	14,200	6,399	(25,444)	17,099	15,339	13,491	(9,045)	62,570	(4,949)
विनियोग										
(क) वर्ष के दौरान संदत्त अंतरिम लाभांश										
(ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश	4,000	2,000	2,000		2,500	3,000	2,500		11,000	5,000
(ग) लाभांश वितरण कर	512		256		320		320		1,408	
(घ) किसी आरक्षित या अन्य खाते को अंतरण				(811)						(811)
(विनिर्दिष्ट करें)	21,069	12,200			14,279	12,339	10,671	(9,045)	46,019	15,494
पूर्व वर्ष से आगे लाया गया लाभ/ हानि अतिशेष										
तुलन-पत्र को अग्रणीत अतिशेष			4,143	(24,633)					4,143	(24,633)



सारणी - 21

तुलन-पत्र : पब्लिक सेक्टर गैर-जीवन बीमाकर्ता

(लाख रुपए में)

3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003

विशिष्टियां	न्यू इंडिया		ओरिएंटल		यूनाइटेड इंडिया		नेशनल		योग	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02
निधियों के स्रोत										
शेयर पूंजी	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	40,000
आरक्षितियां और अधिशेष	330,406	308,945	73,391	57,279	134,603	120,325	97,217	86,392	635,617	572,941
उचित मूल्य परिवर्तन खाता उधार	230,176	273,046	141,015	175,599	95,715	120,236	143,602	178,438	610,508	747,319
योग	570,582	591,991	224,406	242,878	240,318	250,561	250,819	274,830	1,286,125	1,360,260
निधियों का उपयोजन										
निवेश	884,837	869,256	465,438	470,843	550,332	519,720	434,372	444,680	2,334,979	2,304,499
ऋण	96,733	101,344	51,490	53,537	74,357	75,568	49,957	52,924	272,537	283,373
नियत आस्तियां	10,926	10,727	5,934	5,686	7,592	7,650	7,198	6,819	31,650	30,882
चालू आस्तियां										
नकद और बैंक अतिशेष	158,746	115,286	64,749	54,272	53,464	49,583	98,168	68,248	375,127	287,389
अग्रिम और अन्य आस्तियां	142,703	127,002	57,962	59,677	84,049	100,199	63,611	71,504	348,325	358,382
कुल योग (क)	301,449	242,288	122,711	113,949	137,513	149,782	161,779	139,752	723,452	645,771
चालू दायित्व	505,809	448,304	302,077	293,089	399,968	370,999	272,971	262,029	1,480,825	1,374,421
प्रावधान	222,084	183,320	121,476	108,048	132,056	131,160	129,978	107,316	605,594	529,844
कुल योग (ख)	727,893	631,624	423,553	401,137	532,024	502,159	402,949	369,345	2,086,419	1,904,265
शुद्ध चालू आस्तियां (ग) = (क-ख)	(426,444)	(389,336)	(300,842)	(287,188)	(394,511)	(352,377)	(241,170)	(229,593)	(1,362,967)	(1,258,494)
प्रकीर्ण व्यय (हानिगत या समायोजित नहीं किए गए की सीमा तक)	2,380		2,386		2,548				7,314	
आस्थगित कर आस्तियां	2,150						462		2,612	
लाभ और हानि लेखा (विकलन अतिशेष)										
योग	570,582	591,991	224,406	242,878	240,318	250,561	250,819	274,830	1,286,125	1,360,260

सारणी - 22

राजस्व लेखा : निजी क्षेत्र गैर-जीवन बीमाकर्ता

(लाख रु० में)

विशिष्टियां	रॉयल सुंदरम								बजाज एलाएज							
	2002-03				2001-02				2002-03				2001-02			
	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	864	436	6349	7649	67	18	1223	1308	974	216	14220	15410	68	15	899	982
निवेशों के विक्रय/मोचन पर लाभ/हानि	27	14	226	267	1	1	12	14	31	4	118	153	10	1	41	52
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									19	2	73	94			15	15
ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	47	25	392	464	13	5	112	130	202	25	761	988	23	1	93	117
योग (क)	938	475	6967	8380	81	23	1347	1451	1226	247	15172	16645	101	17	1048	1165
उपगत दावे (शुद्ध)	287	403	5169	5859	63	49	1051	1163	276	146	10245	10667	103	17	1153	1273
दलाली	(925)	(94)	(328)	(1347)	(366)	(11)	(239)	(615)	(1313)	(85)	(151)	(1549)	(663)	(22)	(595)	(1280)
बीमा कारबार से संबंधित प्रचालन व्यय	968	317	4250	5535	876	136	3189	4200	1066	112	5489	6667	424	19	3270	3713
विदेशी कर											54	54				
योग (ख)	330	626	9091	10047	573	174	4001	4749	29	173	15637	15839	(136)	14	3828	3706
अग्नि/समुद्री/प्रकीर्ण कारबार से प्रचालन लाभ/हानि	608	(151)	(2124)	(1667)	(493)	(151)	(2654)	(3298)	1197	74	(465)	806	237	2	(2780)	(2540)
ग = (क - ख)																
विनियोग																
शेयरधारकों के खाते को अंतरण	608	(151)	(2124)	(1667)	(493)	(151)	(2654)	(3298)	1197	74	(465)	806	237	2	(2780)	(2540)
आपदा आरक्षिती को अंतरण																
अन्य आरक्षितियों को अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)																
योग (ग)	608	(151)	(2124)	(1667)	(493)	(151)	(2654)	(3298)	1197	74	(465)	806	237	2	(2780)	(2540)

क्रमश

क्रमश

(लाख रु० में)

विशिष्टियां	टाटा-ए आई जी								रिलायंस							
	2002-03				2001-02				2002-03				2001-02			
	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	346	798	7144	8288	(46)	184	1129	1267	268	92	572	932	39	14	69	121
निवेशों के विक्रय/मोचन पर लाभ/हानि	1	3	16	20					91	15	200	306				
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	(6)	(20)	(115)	(141)							19	19				
ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	30	89	524	643					163	26	356	545	56	2	37	95
योग (क)	371	870	7569	8810	(46)	184	1129	1267	522	133	1147	1802	95	16	106	217
उपगत दावे (शुद्ध)	122	1101	4783	6006	23	122	875	1020	544	140	1233	1917	29	44	87	161
दलाली	(1034)	(165)	276	(923)	(430)	(78)	(141)	(649)	(1880)	(59)	(922)	(2861)	(697)	(13)	(104)	(814)
बीमा कारबार से संबंधित प्रचालन व्यय	265	575	4805	5645	237	526	3817	4579	927	182	1559	2668	859	33	560	1451
विदेशी कर																
योग (ख)	(647)	1511	9864	10728	(170)	569	4551	4950	(409)	263	1870	1724	191	64	543	798
अग्नि/समुद्री/प्रकीर्ण कारबार से प्रचालन लाभ/हानि ग = (क - ख)	1018	(641)	(2295)	(1918)	124	(386)	(3422)	(3683)	931	(130)	(723)	78	(96)	(48)	(437)	(581)
विनियोग																
शेयरधारकों के खाते को अंतरण	1018	(641)	(2295)	(1918)	124	(386)	(3422)	(3683)	931	(130)	(723)	78	(96)	(48)	(437)	(581)
आपदा आरक्षिती को अंतरण																
अन्य आरक्षितियों को अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)																
योग (ग)	1018	(641)	(2295)	(1918)	124	(386)	(3422)	(3683)	931	(130)	(723)	78	(96)	(48)	(437)	(581)

क्रमशः

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	ईफको - टोकियो								आई सी आई सी आई - लोमबार्ड							
	2002-03				2001-02				2002-03				2001-02			
	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	967	366	2617	3950	94	2	279	374	744	169	1810	2723	21	15	121	141
निवेशों के विक्रय/मोचन पर लाभ/हानि									23	4	50	77				1
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									1	14	15					
ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	52	56	189	297	18	3	38	58	75	14	162	251	3	1	38	42
योग (क)	1019	422	2806	4247	112	5	317	433	842	188	2036	3066	24	16	160	184
उपगत दावे (शुद्ध)	293	450	2106	2849	36	37	355	428	151	197	1435	1783	12	10	166	179
दलाली	(2599)	(141)	(707)	(3447)	(1027)	(51)	(459)	(1537)	(1426)	(37)	(258)	(1721)	(316)		(88)	(404)
बीमा कारबार से संबंधित प्रचालन व्यय	2363	419	2086	4868	1210	112	1043	2365	2588	172	1434	4194	333		867	1200
विदेशी कर										30	(515)	(485)			515	515
योग (ख)	57	728	3485	4270	220	97	939	1256	1313	362	2096	3771	29		1461	1490
अग्नि/समुद्री/प्रकीर्ण कारबार से प्रचालन लाभ/हानि	962	(306)	(679)	(23)	(108)	(92)	(622)	(823)	(471)	(174)	(60)	(705)	(6)		(1301)	(1307)
ग = (क - ख)																
विनियोग																
शेयरधारकों के खाते को अंतरण	962	(306)	(679)	(23)	(108)	(92)	(622)	(823)	(471)	(174)	(60)	(705)	(6)		(1301)	(1307)
आपदा आरक्षिती को अंतरण																
अन्य आरक्षितियों को अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)																
योग (ग)	962	(306)	(679)	(23)	(108)	(92)	(622)	(823)	(471)	(174)	(60)	(705)	(6)		(1301)	(1307)

क्रमश



क्रमशः

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	चोलामंडलम				एच डी एफ सी - चब				योग	
	2002-03				2002-03				2002-03	2001-02
	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग		
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	12	4	94	110			42	42	39104	4193
निवेशों के विक्रय/मोचन पर लाभ/हानि	3	1	31	35			1	1	859	66
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)							(2)	(2)	(15)	15
ब्याज, लाभांश और किराया - सकल	1		6	7			12	12	3207	442
योग (क)	16	5	131	152			53	53	43155	4716
उपगत दावे (शुद्ध)			62	62			88	88	29231	4224
दलाली	(133)	(1)	(42)	(176)			(48)	(48)	(12072)	(5300)
बीमा कारबार से संबंधित प्रचालन व्यय	454	13	828	1295			915	915	31787	17509
विदेशी कर									(431)	515
योग (ख)	321	12	848	1181			955	955	48515	16948
अग्नि/समुद्री/प्रकीर्ण कारबार से प्रचालन लाभ/हानि ग = (क - ख)	(305)	(7)	(717)	(1029)			(902)	(902)	(5360)	(12232)
विनियोग										
शेयरधारकों के खाते को अंतरण	(305)	(7)	(717)	(1029)			(902)	(902)	(5360)	(12232)
आपदा आरक्षिती को अंतरण										
अन्य आरक्षितियों को अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)										
योग (ग)	(305)	(7)	(717)	(1029)			(902)	(902)	(5360)	(12232)



सारणी - 23

लाभ और हानि लेखा : निजी क्षेत्र और जीवन बीमाकर्ता

(लाख रुपए में)

3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003

विशिष्टियां	रायल सुन्दरम		बजाज एलाएज		टाटा-एआईजी		रिलायंस		ईफको-टोकियो		आईसीआईसीआई लामबाई		चोला-मंडलम्	एचडीएफ सी चब	सकल योग	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2002-03	2002-03	2001-02
प्रचालन लाभ/ हानि																
(क) अग्नि बीमा	609	(493)	1197	237	1018	124	932	(96)	962	(108)	(471)	(6)	(305)		3942	(340)
(ख) समुद्री बीमा	(151)	(151)	74	2	(641)	(386)	(130)	(48)	(307)	(92)	(174)	(0)	(7)		(1336)	(675)
(ग) प्रकौर्ण	(2124)	(2654)	(465)	(2780)	(2295)	(3422)	(723)	(437)	(679)	(622)	(60)	(1301)	(717)	(902)	(7965)	(11216)
	(1666)	(3298)	806	(2541)	(1918)	(3683)	79	(581)	(24)	(823)	(705)	(1307)	(1029)	(902)	(5359)	(12232)
निवेशों से आय																
(क) व्याज, लाभांश और किराया-सकल	748	785	807	871	870	1219	958	1348	981	1012	888	520	163	342	5757	5755
(ख) निवेशों के विक्रय से हानि	429	82	126	395	27		540	336			273	6	886	23	2304	820
घटाएं : (विनिर्दिष्ट करें)																
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)		3	2	1	61	7	18	2			5			58	61	336
															86	13
योग (क)	(489)	(2428)	1740	(1280)	(960)	(2457)	1593	775	957	189	461	(780)	20	(595)	2727	(5981)
प्रावधान (कराधानसे भिन्न)																
(क) निवेशों के मूल्य में कमी के लिए								21								21
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लिए																
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)																
अन्य व्यय																
(क) बीमा कारबार से संबंधित व्ययों से भिन्न व्यय	10	10	9	2	331				20	17	27	316	50		447	345
(ख) इवत ऋण हानिगत																
(ग) अन्य-प्रारंभिक और पूर्व प्रचालन परिशोधन		15	18	45		301	37	37			16	16	280	37	388	413
योग (ख)	10	25	27	47	331	301	58	37	20	17	43	332	330	37	856	759
कर से पूर्व लाभ	(499)	(2453)	1713	(1327)	(1291)	(2758)	1535	738	937	173	418	(1113)	(310)	(632)	1871	(6740)
कराधान के लिए प्रावधान			750	(365)			101	61	301	6	89	(264)			1241	(562)
कर के पश्चात् लाभ	(499)	(2453)	963	(962)	(1291)	(2758)	1434	678	636	167	329	(849)	(310)	(632)	630	(6177)
विनियोग																
(क) वर्ष के दौरान संदत्त अंतरिम लाभांश																
(ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश									200							200
(ग) लाभांश वितरण कर									26							26
(घ) किसी आरक्षिती को अंतरण या पूर्व वर्ष का आस्थगित कर							12	13	28			(47)			40	(34)
(ङ) आपदा आरक्षिती पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ/ हानि अतिशेष	(3540)	(1088)	(962)		(3100)	(342)	735	45	307	141	(928)	(127)			(7488)	(1371)
तुलन-पत्र को अग्रणीत अतिशेष	(4039)	(3540)	1	(962)	(4391)	(3100)	2157	735	689	307	(599)	(929)	(310)	(632)	(7124)	(7488)



सारणी - 24

तुलन-पत्र : निजी क्षेत्र गैर-जीवन बीमाकर्ता

(लाख रुपए में)

3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003

विशिष्टियां	रॉयल सुन्दरम		बजाज एलाएज		टाटा-एआईजी		रिलायंस		ईफको - टोकियो		आईसीआईसीआई लोमबार्ड		चोला-मंडलम	एचडीएफसी-चब	कुल योग	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2002-03	2002-03	2001-02
निधियों के स्रोत																
आरक्षितियां और अधिशेष	12,980	12,969	10,946	10,928	12,350	12,350	10,200	10,200	10,000	10,000	10,960	10,944	10,500	10,022	87,958	67,392
उचित मूल्य परिवर्तन खाता	-	-	1	-	-	-	2,158	735	701	319	-	-	-	-	2,860	1,054
पालिसी दायित्व	-	-	- 33	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	(28)	-
उधार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-
योग	94	85	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	127	85
योग	13,074	13,054	10,914	10,928	12,350	12,350	12,358	10,935	10,734	10,319	10,964	10,944	10,500	10,048	90,942	68,531
निधियों का उपयोग																
निवेश	14,495	10,900	22,357	16,682	16,496	10,327	18,149	14,966	11,104	7,549	21,001	11,290	10,888	9,372	123,862	71,713
ऋण	-	-	-	-	11	13	-	-	-	-	250	-	-	-	261	13
नियत आस्तियां*	1,088	886	1,705	1,186	1,844	2,196	163	162	1,335	1,142	449	233	588	512	7,684	5,806
चालू आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नकद और बैंक अतिशेष	3,420	2,027	3,217	2,334	2,450	1,574	980	338	6,251	6,846	3,268	1,258	333	152	20,071	14,377
अग्रिम और अन्य आस्तियां	1,468	891	1,619	1,854	2,197	1,369	2,206	1,286	2,819	882	5,907	2,819	331	318	16,865	9,101
कुल योग (क)	4,888	2,919	4,836	4,188	4,647	2,943	3,186	1,623	9,070	7,728	9,175	4,077	664	470	36,936	23,478
विद्यमान दायित्व	5,834	2,814	8,378	5,089	8,713	4,422	8,090	5,803	6,533	5,138	17,804	4,113	1,598	559	57,509	27,379
प्रावधान	5,603	2,376	10,189	8,178	6,724	2,345	1,125	123	4,242	963	2,705	1,470	352	671	31,611	15,455
कुल योग (ख)	11,437	5,191	18,567	13,267	15,437	6,767	9,215	5,926	10,775	6,101	20,509	5,584	1,950	1,230	89,120	42,834
शुद्ध चालू आस्तियां (ग) = (क-ख)	(6549)	(2272)	(13731)	(9079)	(10790)	(3824)	(6029)	(4303)	(1705)	1,628	(11334)	(1507)	(1286)	(760)	(52184)	(19356)
आस्थगित कर आस्तियां	-	583	1,178	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	583	1,175	-
प्रकीर्ण व्यय (उस सीमा तक जो हानिगत नहीं है)	-	-	-	-	398	538	75	112	-	-	-	-	-	292	765	650
लाभ और हानि लेखा में विकलन अतिशेष	4040	3540	-	961	4391	3100	-	-	-	-	599	929	310	632	9971	8530
योग	13,074	13,054	10,914	10,928	12,350	12,350	12,358	10,935	10,734	10,319	10,964	10,944	10,500	10,048	90,942	68,530

*अग्रिमों और अन्य आस्तियों के अंतर्गत आस्थगित कर आस्ति भी है



सारणी - 25
राजस्व लेखा : साधारण बीमा निगम (जीआईसी)

(लाख रुपए में)

3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003

विशिष्टियां	2002-03				2001-02			
	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग
अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	84436	20759	213438	318633	50708	22675	170463	243846
निवेशों के विक्रय/मोचन से लाभ/हानि	1999	1052	9503	12554	1332	1143	9038	11513
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	111	276	334	721	161	25	(117)	69
व्याज, लाभांश और किराया-सकल	7215	3798	34303	45316	5256	4510	35654	45420
योग (क)	93761	25885	257578	377224	57457	28353	215038	300848
उपगत दावे (शुद्ध)	38825	15198	220417	274440	35624	13101	180783	229508
दलाली	33769	6253	50878	90900	21205	4305	38123	63633
बीमा कारबार से संबंधित प्रचालन व्यय	920	227	1765	2912	758	165	1528	2451
बीमा से संबंधित व्यय विदेशी कर	11	6	51	68	7	6	50	63
योग (ख)	73525	21684	273111	368320	57594	17577	220483	295654
अग्नि/ समुद्री/ प्रकीर्ण/ कारबार से प्रचालन लाभ/ (हानि) ग = (क-ख)	20236	4201	(15533)	8904	(137)	10776	(5445)	5194
विनियोग शेरधारकों के लेखा को अंतरण आपदा आरक्षिती को अंतरण अन्य आरक्षितियों को अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)	20236	4201	(15533)	8904	(137)	10776	(5445)	5194
योग (ग)	20236	4201	(15533)	8904	(137)	10776	(5445)	5194

सारणी - 26

लाभ और हानि लेखा : साधारण बीमा निगम (जीआईसी)

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2002-03	2001-02
प्रचालन लाभ/ (हानि)		
(क) अग्नि बीमा	20236	(137)
(ख) समुद्री बीमा	4201	10776
(ग) प्रकीर्ण बीमा	(15533)	(5446)
	8904	5193
निवेशों से आय		
(क) ब्याज, लाभांश और किराया-सकल	29066	31310
(ख) निवेशों के विक्रय से लाभ	8052	7937
घटाएँ : निवेशों के विक्रय से हानि		(1)
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)	3585	1544
योग (क)	49607	45983
प्रावधान (कराधान से भिन्न)		
(क) निवेशों के मूल्य में कमी	3861	3308
(ख) संदेहास्पद ऋणों के लिए	6300	6940
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	5092	43
अन्य व्यय		
(क) बीमा कारबार से संबंधित व्ययों से भिन्न	43	
(ख) डूबंत ऋण हानिगत	22	22
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
योग (ख)	15318	10313
कर से पूर्व लाभ	34289	35670
कराधान के लिए प्रावधान	6123	4453
कर के पश्चात् लाभ	28166	31217
पूर्व वर्ष से आगे लाया गया लाभ/ हानि अतिशेष	3	1
तुलन-पत्र को अग्रणीत अतिशेष	28169	31218
विनियोग		
(क) वर्ष के दौरान संदत्त अंतरित लाभांश		
(ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश	4730	4300
(ग) लाभांश वितरण कर	606	
(घ) किसी आरक्षिती या अन्य खाते को अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)	22830	26915
तुलन-पत्र को अग्रणीत अतिशेष	3	3
	28169	31218

सारणी - 27

तुलन-पत्र : साधारण बीमा निगम (जीआईसी)

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	2002-03	2001-02
आरक्षितियों और अधिशेष शेयर पूंजी आरक्षितियां और अधिशेष उचित मूल्य परिवर्तन खाता पालिसी दायित्व*	21500 295293 114967 601	21500 271622 153903
योग	432361	447025
निधियों का उपयोग निवेश ऋण नियत आस्तियां	782716 79582 4098	713282 81589 4111
चालू आस्तियां नकद और बैंक अतिशेष अग्रिम और अन्य आस्तियां कुल योग (क)	151681 151434 303115	111080 127822 238902
विद्यमान दायित्व प्रावधान कुल योग (ख)	477497 259653 737150	394677 196182 590859
शुद्ध चालू आस्तियां (ग) = (क-ख) प्रकीर्ण व्यय (उस सीमा तक जो हानिगत नहीं हैं या समायोजित नहीं किए गए हैं) लाभ और हानि लेखा में विकलन अतिशेष	(434,035)	(351,957)
योग	432361	447025


सारणी - 28

भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	कंपनी	अग्नि		प्रकीर्ण		समुद्री		योग	
		2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02
1.	नेशनल	507.85	491.83	2136.67	1666.47	219.06	207.16	2863.58	2365.46
2.	न्यू इंडिया	867.46	859.89	2709.38	2313.14	344.40	339.30	3921.24	3512.33
3.	ओरिएंटल	542.55	531.03	2083.31	1753.00	242.47	214.60	2868.33	2498.63
4.	यूनाइटेड इंडिया	604.18	635.89	2024.74	1763.86	339.14	255.21	2968.06	2654.96
5.	ईसीजीसी			374.78	338.52			374.78	338.52
	सकल योग	2522.04	2518.64	9328.88	7834.99	1145.07	1016.27	12995.99	11369.90
6.	रॉयल सुन्दरम	39.16	17.90	132.26	50.44	13.02	2.78	184.44	71.12
7.	रिलायंस	55.42	45.84	121.34	29.87	8.91	1.74	185.67	77.45
8.	इफको-टोकियो	103.52	36.15	91.39	3.34	18.41	31.02	213.32	70.51
9.	टाटा-एआईजी	49.91	19.36	156.69	49.91	27.33	9.18	233.93	78.45
10.	आईसीआईसी लॉम्बार्ड	123.75	10.98	70.82	16.13	8.91		203.48	27.11
11.	बजाज एलायंस	60.64	27.88	228.43	112.71	7.41	1.36	296.48	141.95
12.	चोलामंडलम	5.32		9.31		0.16		14.79	
13.	एचडीएफसी-चब			9.49				9.49	
	सकल योग	437.72	158.11	819.73	262.40	84.15	46.08	1341.60	466.59
	कुल योग	2959.76	2676.75	10148.61	8097.39	1229.22	1062.35	14337.59	11836.49

सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय




सारणी - 29
शुद्ध प्रीमियम आय (अर्जित)

(करोड़ रुपए में)

क्र. ख.	कंपनी	अग्नि		प्रकीर्ण		समुद्री		योग	
		2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02
1.	नेशनल	360.10	366.55	1473.05	1301.13	132.81	149.11	1965.96	1816.79
2.	न्यू इंडिया	790.27	679.24	2296.79	1991.51	210.09	188.12	3297.15	2858.87
3.	ओरिएंटल	360.30	392.82	1366.56	1248.69	128.92	179.20	1855.78	1820.71
4.	यूनाइटेड इंडिया	452.80	446.30	1476.08	1383.72	180.49	142.77	2109.37	1972.79
5.	ईसीजीसी			366.61	330.45			366.61	330.45
	सकल योग	1963.47	1884.91	6979.09	6255.50	652.31	659.20	9594.87	8799.61
6.	रॉयल सुन्दरम	8.64	0.67	63.49	12.23	4.36	0.18	76.49	13.08
7.	रिलायंस	2.68	0.39	5.71	0.69	0.92	0.14	9.31	1.21
8.	इफको-टोकियो	9.67	0.94	26.16	2.79	3.66	0.02	39.49	3.74
9.	टाटा-एआईजी	3.46	(0.46)	71.44	11.29	7.99	1.84	82.89	12.67
10.	आईसीआईसी लोमबार्ड	7.44	0.21	18.10	1.21	1.68	0.15	27.22	1.56
11.	बजाज एलायंस	9.74	0.68	142.20	8.99	2.16	0.15	154.10	9.82
12.	चोलामंडलम	0.12		0.04		0.94		1.10	
13.	एचडीएफसी-चब			0.41				0.41	
	सकल योग	41.75	2.41	327.55	37.20	21.71	2.47	391.01	42.08
	कुल योग	2005.22	1887.32	7306.64	6292.70	674.02	661.67	9985.88	8841.69

शुद्ध प्रीमियम



सारणी - 30(i)

निजी क्षेत्र की कंपनियों के निम्नांकन अनुभव और लाभ

(करोड़ रुपए में)

	नेशनल		न्यू इंडिया		ओरिएंटल		यूनाइटेड इंडिया		योग	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02
शुद्ध प्रीमियम	2130.88	1813.12	3516.42	3068.23	1898.42	1818.50	2092.41	2045.07	9638.13	8744.92
शुद्ध उपगत दावे	1619.66	1724.93	2699.50	2555.18	1466.54	1827.92	1905.44	1780.47	7691.14	7889.00
	76.01%	95.14%	76.77%	83.30%	77.25%	100.50%	91.06%	87.06%	79.80%	90.21%
दलाली, प्रबंध और अन्य प्रभार	647.53	554.58	1084.00	857.62	640.00	585.96	603.08	645.42	2974.61	2591.67
	30.39%	30.59%	30.83%	29.20%	33.71%	32.20%	28.82%	31.56%	30.86%	29.64%
असमाप्त जोखिम के लिए आरिक्षती में वृद्धि	164.92	(3.87)	219.00	209.35	42.65	(2.22)	(16.95)	72.26	409.62	275.55
	7.74%	(0.21%)	6.23%	6.80%	2.25%	(0.10%)	(0.81%)	3.53%	4.25%	3.15%
लाभ/हानि निम्नांकन करना	(301.23)	(462.52)	(486.08)	(553.92)	(250.77)	(593.16)	(399.16)	(453.08)	(1437.24)	(2011.30)
	(14.14%)	(25.51%)	(13.82%)	(19.30%)	(13.21%)	(32.62%)	(66.19%)	(70.20%)	(14.91%)	(23.00%)
सकल निवेशआय	485.88	439.78	881.00	857.16	482.00	437.62	671.00	624.31	2519.88	2188.48
अन्य आय,										
व्यय घटाकर	(45.22)	(71.21)	(82.00)	(96.06)	(56.00)	(79.56)	(57.66)	(14.54)	(240.88)	(311.73)
कर संदाय से	139.43	(93.95)	312.92	207.18	175.23	(235.10)	214.18	156.69	841.76	(134.55)
पूर्व लाभ										
और कर के लिए										
प्रावधान	4.51	(3.50)	57.02	66.20	111.90	0.63	43.17	3.30	216.60	70.15
शुद्ध लाभ	134.92	(90.45)	255.90	140.98	63.33	(235.73)	171.01	153.39	625.16	(204.70)

सारणी - 30(ii)

निजी क्षेत्र की कंपनियों के निम्नांकन अनुभव और लाभ

(करोड़ रुपए में)

	रॉयल सुन्दरम		रिलायंस		इफको-टोकियो		टाटा-एआईजी		बजाज एलाएज		आईसीआईसीआई लॉम्बर्ड		चोलामंडलम	एचडीएफसी-चंब	योग	
	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2002-03	2002-03	2001-02
शुद्ध प्रीमियम	109.17	36.75	19.27	2.35	70.03	13.13	126.68	36.07	180.76	84.06	44.52	10.97	4.50	6.52	561.45	183.33
शुद्ध उपगत दावे	58.60	11.63	19.17	1.60	28.50	4.28	60.06	10.20	106.67	12.74	17.76	1.79	0.62	0.87	292.25	42.24
	53.68%	31.65%	99.48%	83.30%	40.70%	100.50%	47.41%	28.28%	59.01%	15.16%	39.89%	83.30%	13.78%	13.34%	52.05%	23.04%
दलाली, प्रबंध और अन्य प्रभार	41.88	35.86	(1.93)	6.37	14.20	8.28	47.23	39.30	51.18	24.33	24.73	13.11	11.20	9.16	197.65	127.25
	38.36%	97.58%	(10.02%)	29.20%	20.28%	32.20%	37.28%	108.95%	28.31%	28.94%	55.55%	29.20%	248.89%	140.49%	35.20%	69.41%
असमाप्त जोखिम के लिए आरिक्षती में वृद्धि	32.26	23.67	9.95	1.15	30.53	9.39	43.80	23.40	26.66	74.24	17.19	9.55	3.38	6.10	169.87	141.40
	29.55%	64.41%	51.63%	6.80%	43.60%	-0.10%	34.58%	64.87%	14.75%	88.32%	38.61%	6.80%	75.11%	93.56%	30.26%	77.13%
लाभ/हानि निम्नांकन करना	(23.57)	(34.41)	(7.92)	(6.77)	(3.20)	(8.82)	(24.41)	(36.83)	(3.75)	(27.25)	(15.16)	(13.48)	(10.70)	(9.61)	(98.32)	(127.56)
	(21.59%)	(93.63%)	(41.10%)	(19.30%)	(4.57%)	(67.17%)	(51.68%)	(93.72%)	(2.07%)	(32.42%)	(34.05%)	(19.30%)	(237.78%)	(147.39%)	(17.51%)	(69.58%)
सकल निवेश आय	19.08	10.11	23.47	14.49	12.78	10.70	15.60	12.19	20.73	14.29	14.89	5.69	7.59	2.80	116.94	67.47
अन्य आय, व्यय घटाकर कर संदाय से पूर्व लाभ और कर के लिए प्रावधान	(0.10)	(0.22)	(0.21)	(0.35)	(0.21)	(0.17)	(4.11)	(2.94)	0.12	(0.30)	4.57	(3.32)	0.00	0.48	0.54	(7.30)
	(4.59)	(24.52)	15.34	7.37	9.37	1.71	(12.92)	(27.58)	17.10	(13.26)	4.30	(11.11)	(3.11)	(6.33)	19.16	(67.39)
शुद्ध लाभ	(4.59)	(24.52)	14.33	6.77	6.36	1.65	(12.92)	(27.58)	9.60	(9.61)	3.41	(8.46)	(3.11)	(6.33)	6.75	(61.75)

सारणी - 31(i)

निजी क्षेत्र की कंपनियों के उपगत दावा अनुपात-गैर जीवन

(करोड़ रुपए में)

	नेशनल				न्यू इंडिया				ओरिएंटल				यूनाईटेड				ईसीजीसी				योग			
	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग
शुद्ध प्रीमियम	352.06	144.88	1633.4	2130.88	821.7	200.43	2494.29	3516.42	328.39	124.08	1445.95	1898.42	425.32	135.87	1531.22	2092.41			366.61	366.61	1928	605.26	7471.5	10004.7
उपगत शुद्ध दावे	133.26	105.63	1380.77	1619.66	467.37	116.9	2115.23	2699.5	1225.52	84.31	1256.71	1466.54	200.29	99.7	1605.45	1905.44			334.1	334.1	926.44	406.54	6692.3	8025.3
दावा अनुपात	37.8%	72.9%	84.5%	76.0%	56.9%	58.3%	84.8%	76.8%	38.2%	67.9%	86.9%	77.3%	47.1%	73.4%	104.8%	91.1%			91.1%	91.1%	48.1%	67.2%	89.6%	80.2%

सारणी - 31(ii)

निजी क्षेत्र की कंपनियों के उपगत दावा अनुपात-गैर जीवन


(करोड़ रुपए में)

	रॉयल सुन्दरम				रिलायंस				इफको-टोकियो				टाटा-एलाएज				बजाज-एलाएज			
	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग
शुद्ध प्रीमियम	13.06	6.61	89.5	109.17	6.75	1.59	10.93	19.27	16.86	8.52	44.65	70.03	6.43	13.18	107.07	126.68	17.86	3.41	159.49	180.67
उपगत शुद्ध दावे	2.87	4.03	51.7	58.6	5.44	1.4	12.33	19.17	2.93	4.51	21.06	28.5	1.22	11.01	47.83	60.06	2.76	1.46	102.45	106.67
दावा अनुपात	22%	61%	58%	54%	81%	88%	113%	99%	17%	53%	47%	41%	19%	84%	45%	47%	15%	43%	64%	59%


(करोड़ रुपए में)

	आई सी आई सी आई लॉमबर्ड				चोलामंडलम				एच डी एफ सी-चब				योग			
	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग	अग्नि	समुद्री	प्रकीर्ण	योग
शुद्ध प्रीमियम	16.33	3.47	24.72	44.52	0.45	0.09	3.94	4.48	0	0	6.52	6.52	77.74	36.87	446.82	561.43
उपगत शुद्ध दावे	1.51	1.9	14.35	17.76	0	0	0.62	0.62	0	0	0.9	0.87	16.73	24.31	251.21	292.25
दावा अनुपात	9%	55%	58%	40%	0%	0%	16%	14%	0%	0%	13%	13%	22%	66%	56%	52%


उपगत दावा अनुपात




निष्णांकित लाभ / हानि



निवेश आय



कर के पश्चात् लाभ



सारणी - 32(i)

गैर-जीवन क्षेत्र - 2001-02 में आरंभ किए गए उत्पाद

गैर-जीवन बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम (ब्रांड का नाम)
आई सी आई सी आई – लोम्बार्ड साधारण बीमा कं० लि०	मरीन ट्रांसिट बीमा (इनलैंड) – मरीन 1 फीडिलिटी गारंटी बीमा – प्रकीर्ण 03 पब्लिक लाएबिल्टी बीमा (अंडर पब्लिक लाएबिल्टी बीमा अधिनियम)–प्रकीर्ण 07 पब्लिक लाएबिल्टी बीमा (इंडस्ट्रियल रिस्क्स) – प्रकीर्ण 08 पब्लिक लाएबिल्टी बीमा (नॉन-इंडस्ट्रियल रिस्क्स) – प्रकीर्ण 09 ऑल रिस्क्स बीमा पालिसी, कोड – प्रकीर्ण 01 चोरी बीमा – प्रकीर्ण 02 ग्रुप मेडिकलेम बीमा – प्रकीर्ण 04 ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट बीमा – प्रकीर्ण 05 मनी बीमा – प्रकीर्ण 06 एग्रीकल्चर पम्प-सेट – प्रकीर्ण 07 जनता पर्सनल एक्सीडेंट – प्रकीर्ण 08 ग्रुप हैल्थ बीमा पालिसी – प्रकीर्ण 11 ग्रुप हैल्थ (फ्लोटर) बीमा पालिसी – प्रकीर्ण 12 ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट बीमा – प्रकीर्ण 05 (रिबीजन) मरीन एक्सपोर्ट बीमा बीमा होम बीमा पालिसी – प्रकीर्ण 13
दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं० लि०	इंडीविजुअल एंड ग्रुप मेडिकलेम पालिसी ओवरसीज मेडिकलेम पालिसी हेल्थ इन्श्योरेंस पालिसी फोर एक्स-डीफेंस पर्सनल क्रेडिट बीमा-अमेंडमेंट्स
नेशनल बीमा कं० लि०	इंडीविजुअल ग्रुप मेडिकलेम पालिसी लॉग टर्म ग्रुप मेडिकलेम पालिसी - एन आई सी 46039
ओरिएंटल बीमा कं० लि०	नागरिक सुरक्षा पालिसी आफिस अम्बरैला पालिसी
इफको-टोकियो साधारण बीमा कं० लि०	स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पालिसी कानसीक्वेन्शियल लॉस (फायर) पालिसी वर्कमेन्स कम्पेनसेशन पालिसी मशीनरी ब्रेकडाउन बीमा कान्ट्रेक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी बीमा ईरिक्शन ऑल रिस्क बीमा कान्ट्रेक्टर्स ऑल रिस्क बीमा बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट बीमा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बीमा इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पालिसी

गैर-जीवन बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम
रिलाएंस साधारण बीमा कं० लि०	<p>मशीनरी लॉस ऑफ प्रोफिट्स पालिसी मोटर-प्राइवेट कार कम्प्रिहेन्सिव पालिसी मोटर-साइकिल स्कूटर "बी" पालिसी मरीन कार्गो पब्लिक लॉयबिल्टी (नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क) बीमा पालिसी एग्रीकल्चर बीमा पालिसी ट्रेडर्स पैकेज बीमा पालिसी बरगलरी एण्ड हाउस ब्रेकिंग बीमा मनी बीमा पालिसी बैंकर्स इनडेमनिटी पालिसी मेडीशील्ड पालिसी फीडिलिटी गारंटी पालिसी पब्लिक लाएबिल्टी बीमा-एक्ट पालिसी प्रोडक्ट लाएबिल्टी पालिसी इंडीविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट पालिसी ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पालिसी पब्लिक लाएबिल्टी (इंडस्ट्रियल एण्ड स्टोरेज रिस्क) बीमा पालिसी ऑल रिस्क बीमा पालिसी प्रोफेशनल इनडेमनिटी एरर्स एण्ड ओमिशन पालिसी कमर्शियल व्हिकल बीमा पालिसी संकट मोचक पालिसी लोक स्वास्थ्य बीमा योजना पशु-धन बीमा कृषक मित्र बीमा योजना संकट हरण (किसान ग्रामीण बीमा योजना) क्रीटिकल इलनेस बीमा पालिसी ट्रेवल प्रोटेक्टर बीमा पालिसी ट्रांसपोर्ट एण्ड रिलेटिड लाएबिल्टी कवर होम एण्ड फेमली प्रोटेक्शन पालिसी नॉन-स्टैंडर्ड कवर - बीमा पालिसी स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पालिसी कानसीक्वेन्शियल लॉस (फायर) पालिसी इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पालिसी इरिक्शन ऑल रिस्क/स्टोरेज कम इरिक्शन बीमा मशीनरी ब्रेकडाउन बीमा कट्टेक्टर्स ऑल रिस्क बीमा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बीमा कट्टेक्टर्स प्लॉट एण्ड मशीनरी बीमा बॉयलर एण्ड प्रेशर प्लांट बीमा डीटिरियोरेशन ऑफ स्टॉक्स इन कोल्ड स्टोरेज बीमा</p>

गैर-जीवन बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम
रॉयल सुन्दरम बीमा कं० लि०	<p>वर्कमेन्स कंपनसेशन बीमा पालिसी पब्लिक लॉयबिल्टी (एक्ट) बीमा पालिसी ए पालिसी फौरेन एक्ट लॉयबिल्टी बीमा मोटर-प्राइवेट कार बीमा "बी" पालिसी मोटर-साईकिल/स्कूटर बीमा "बी" पालिसी कमर्शियल व्हिकल्स बीमा "बी" पालिसी मोटर ट्रेड बीमा "बी" पालिसी बरगलरी एण्ड हाउस ब्रेकिंग बीमा मनी बीमा पालिसी फीडिलिटी गारंटी पालिसी इंडीविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट पालिसी ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पालिसी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पालिसी पब्लिक लॉयबिल्टी (एक्ट) बीमा पालिसी बैगेज बीमा पालिसी मेडिकलेम बीमा पालिसी (इंडीविजुअल एण्ड फैमली) ग्रुप मेडिकलेम बीमा पालिसी विदेश यात्रा मित्र (फॉर ओवरसीज ट्रेवल) प्लेट गिलास बीमा पालिसी जनता पर्सनल एक्सीडेंट केटल बीमा ऑफिस पैकेज प्रोफेशनल इन्डेमनिटी हाऊस होल्डर पेकेज पालिसी ज्वैलर्स ब्लॉक दुकानदार ओवरसीज ट्रेवल हेल्थ पालिसी रीवाइज्ड हाऊसहोलडर्स पालिसी रीवाइज्ड शॉपकीपर्स पालिसी</p> <p>स्टेंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पालिसी कानसीक्वेन्शियल लॉस (फायर) पालिसी 001 एफ बी आई, (फरवरी 2001) इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पालिसी-001 एफआर 01 (फरवरी 01) ईरक्शन आल रिस्क/स्टोरेज कम ईरक्शन बीमा-001 ईएआर-01 (फरवरी 2001) मशीनरी ब्रेकडाउन बीमा-001 ई एम बी 01 (फरवरी 01) कट्रेक्टर्स ऑल रिस्क बीमा-001 ई सी आर 01 (फरवरी 01) इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बीमा-001 ई ई आई 01 (फरवरी 01) कट्रेक्टर्स प्लांट एण्ड मशीनरी बीमा-001 ईओ (सीपीएम) 01 (फरवरी 01) बॉयलर एण्ड प्रेशर प्लांट बीमा-001 ईओ (बॉयलर) 01 (फरवरी 01) वर्कमेन्स कम्पनसेशन बीमा पालिसी-001 डबल्यू सीपी (फरवरी 01) मोटर बीमा-कमर्शियल व्हिकल्स बीमा पालिसी</p>

गैर-जीवन बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम
	कारशील्ड प्रोडक्ट मशीनरी लॉस ऑफ प्रोफिट्स बीमा विंडमिल पेकेज बीमा पालिसी ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पालिसी (एक्सीडेंटल डेथ एण्ड डिसएब्लमेंट ओनली)-003 एपीए मरीन कार्गो बीमा पालिसी-(001 एमसीजी 01) (फरवरी 01) एसवाईसी मरीन कार्गो इंटरनेशनल क्लॉजिस एण्ड वर्डिंग्स- 001 एमसीजी वर्डिंग्स 01 (फरवरी 01) मरीन कार्गो इनलेंड ट्रांसिट्स-(001 एमसीजी इनलेंड 01 (फरवरी 01) होम बीमा पालिसी-001 एफ डी पी रूरल पर्सनल एक्सीडेंट बीमा पालिसी-001 आर पी ए (फरवरी 01) बरगलरी (बिजनेस प्रिमिसिज) बीमा-001 एफ टी एफ टी 02/2001 मनी बीमा पालिसी-(001 एफ सी एस एच 02/2001) फीडिलिटी गारंटी पालिसी-(001 एस जी आई 02/2001) प्रोडक्ट लाएबिल्टी बीमा पालिसी-001 एल पी डी पी 01 (02/2001) पब्लिक लाएबिल्टी बीमा पालिसी (नॉन इन्डस्ट्रियल रिस्क)-001 एल पी एन पी 01 (02/2001) पब्लिक लाएबिल्टी बीमा पालिसी (इन्डस्ट्रियल रिस्क)-001 एल पी आई पी 01 (02/2001) ऑल रिस्क बीमा पालिसी-001 ए आर आई जनता पर्सनल एक्सीडेंट बीमा पालिसी-001 जे पी ए (फरवरी 01) पोलट्री बीमा पालिसी-001 आर पी वाई (फरवरी 01) लाईवस्टॉक बीमा पालिसी-001 आर एल सी (फरवरी 01) पब्लिक लाएबिल्टी (एक्ट) बीमा पालिसी-001 एल पी ए (02/2001) हेल्थ प्रीमियम प्लेटिनम बीमा-001 ए एम जी हेल्थ शीलड गोल्ड बीमा-001 ए एम ई ट्रेवल शीलड गोल्ड बीमा-001 ओ टी होस्पिटल कैश बीमा-001 ए एच सी ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पालिसी 002 ए पी ए फारमर्स पैकेज बीमा पालिसी-001 एफ पी पी (ए पी आर 01) लोस्ट कार्ड बीमा-001 ए सी सी स्पेशल कंटीनजेंसी बीमा-001 एस सी आइ परचेज प्रोटेक्शन बीमा-001 ए पी पी हेल्थ शीलड प्लेटिनम बीमा-002 हेल्थ प्रीमियम प्लेटिनम एक्सटेंशन-002 ए एम जी हेल्थ सेफ बीमा-001 ए टी आर मैट प्लान-001 मैट नियोन साइन बीमा-001 ए जी पी (05/2001) प्लेट ग्लास बीमा-001 ए जी पी (05/2001) बेगेज बीमा-001 ए एल जी (05/2001) फ्रीक्यूएंट ट्रेवलर शीलड बीमा-001 ए टी आर (05/2001)

गैर-जीवन बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम
टाटा-ए आई जी साधारण बीमा कं० लि०	<p>पोईंट ऑफ परचेज बीमा-001 ए पी पी वर्ल्डपूल परचेज प्रोटेक्शन बीमा-001 ए पी पी हेल्थ प्रीमियम प्लेटिनम एक्सटेंशन-002 ए एम जी एंटरप्राइज शील्ड बीमा-001 एफ सी पी (06/2001) एडवांस लॉस ऑफ प्रोफिट्स (कंसट्रक्शन) बीमा-001 ईसीएएलओपी (06/2001) 360 बिजनेस शील्ड बीमा-001 एफ एस पी (360) (06/2001) ग्लोब ट्रेवलर बीमा-001 ए टी आर (जी) (06/2001) रॉयल ट्रेडर्स शील्ड बीमा-001 एफ टी पी (06/2001) रॉयल होटल शील्ड बीमा-001 एफ एच पी (06/2001) रॉयल आफिस शील्ड बीमा-001 एफ ओ पी (06/2001) डाएरेक्टर्स एण्ड ओफिसर्स लाइबिल्टी शील्ड बीमा एण्ड कंपनी रीडंबर्समेंट लाइबिल्टी शील्ड बीमा पालिसी-001 एस डी ओ (06/2001) वीमन्स वेलफेयर कवर इनशोर 123 पालिसी कमर्शियल कम्बाइंड बीमा पालिसी शक्ति सिक्योरिटी शील्ड चाईल्ड सिक्योरिटी शील्ड फैमली गार्ड- पर्सनल एक्सीडेंट एक्जीक्यूटिव गार्ड - पर्सनल एक्सीडेंट सिक्योर इनकम प्लान - लो सिक्योर इनकम प्लान - हाई फैमली गार्ड - पर्सनल एक्सीडेंट क्राएसिस मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स शोर्टी बॉन्ड पोलिटिकल रिस्कस ट्रेड क्रेडिट्स ग्रुप मल्टीगार्ड पर्सनल एक्सीडेंट पालिसी एक्सीडेंट एण्ड हेल्थ प्रोडक्ट - फैमली गार्ड+ पालिसी होमसिक्योर (हाऊसहोल्डर्स) पालिसी एक्सीडेंट एण्ड हेल्थ-ग्रुप हॉस्पिटल केश पालिसी बिजनेस गार्ड - ज्योति बिजनेस गार्ड - संजीवनी ओवरसीज ट्रेवल एक्सीडेंट-सिंगल ट्रिप एण्ड एनुअल मल्टी-ट्रिप बीमा-टीएजी-13 ओवरसीज ट्रेवल एक्सीडेंट-सिंगल ट्रिप एण्ड एनुअल मल्टी-ट्रिप बीमा ओवरसीज ट्रेवल एक्सीडेंट-सिलवर, गोल्ड, प्लेटिनम एण्ड एनुअल मल्टी-ट्रिप बीमा एक्सीडेंट एण्ड हेल्थ प्रोडक्ट-इनडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट पालिसी-ब्रोड मार्केट प्रोडक्ट "शान्ति" एक्सीडेंट एण्ड हेल्थ प्रोडक्ट - इनडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट पालिसी एण्ड बिजनेस ट्रेवल-ऐजन्सी बिजनेस गार्ड-ऑफिस</p>

सारणी - 32(ii)

वर्ष 2002-03 के दौरान आरंभ किए गए गैर-जीवन बीमा
(गैर-टैरिफ/ पैकेज) उत्पाद

गैर-जीवन बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम (ब्रांड का नाम)
आई सी आई सी आई लोमबार्ड जनरल इनश्योरेंस कं० लि०	मरचेंट कवर 111 इनश्योरेंस पालिसी - प्रकीर्ण 14 पर्सनल केयर इनश्योरेंस पालिसी - प्रकीर्ण 15 प्रोडक्ट लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी - प्रकीर्ण 15 कारपोरेट कवर 11 - प्रकीर्ण 16 साइन इनसटालेशन पालिसी - प्रकीर्ण 17 प्रोफेशनल इनडैमनिटी पालिसी फोर डाक्टर और मैडिकल प्रेक्टीशनर्स-प्रकीर्ण 21 प्रोफेशनल इनडैमनिटी पालिसी फोर मैडिकल एसटैबलिशमेंट - प्रकीर्ण 22 प्रोफेशनल इनडैमनिटी पालिसी फोर कंसल्टिंग इंजीनियर, आरचीटेक्ट्स एंड इन्टीरीयर डैकोरेटरस - प्रकीर्ण 23 प्रोफेशनल इनडैमनिटी पालिसी फोर चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स/मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स/लायरस/एडवोकेट्स/सौलिसिटीस/काउंसलर्स - प्रकीर्ण 24 प्लेट ग्लास इनश्योरेंस पालिसी - प्रकीर्ण 28 ग्लोबट्रॉटर - ओवरसीज ग्रुप ट्रेवल इनश्योरेंस पालिसी - प्रकीर्ण 29 बर्गलरी इनश्योरेंस - प्रकीर्ण 02 (अमैंडमेंट टू पालिसी) बैगेज ग्रुप इनश्योरेंस पालिसी - प्रकीर्ण 27 -ओवरसीज इनडिविजुअल ट्रेवल इनश्योरेंस पालिसी - प्रकीर्ण 30 इवेंट इनश्योरेंस पालिसी - प्रकीर्ण 30 काम्प्रिहेंसिव जनरल लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी - प्रकीर्ण 32 इनडिविजुअल हैल्थ इनश्योरेंस पालिसी - प्रकीर्ण 34 डाएरेक्टर्स एण्ड औफिसर्स लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी* प्रकीर्ण 33 परफौरमैस गेरेटी इनश्योरेंस पालिसी - प्रकीर्ण 32 वैदर इनश्योरेंस पालिसी - प्रकीर्ण 37 इमिग्रेंट वर्कर्स इनश्योरेंस पालिसी - प्रकीर्ण 41 ओवरसीज एंड स्टूडेंट इश्योरेंस पालिसी क्रेडिट इनश्योरेंस - ग्लोब एलायंस पालिसी सी पी एम पालिसी - प्रकीर्ण 42
द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं० लि०	डोमेस्टिक ट्रेवल इनश्योरेंस क्रेडिट इनश्योरेंस पालिसी (अमैंडमेंट्स) ओवरसीज मैडिकलेम पालिसी (रिविजन) यूनिवर्सल मैडिकलेम पालिसी
नेशनल इनश्योरेंस कं० लि०	क्रूज इनश्योरेंस-ओवरसीज मैडिकलेम पालिसी प्रोफेशनल इनडैमनिटी पालिसी फोर इनश्योरेंस ब्रोकरस वर्करस वैलफेयर पालिसी यूनिवर्सल मैडिकलेम पालिसी यशस्वनी को-ओपरेटिव हैल्थ इनश्योरेंस स्कीम

गैर-जीवन बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम (ब्रांड का नाम)
ओरिएंटल इनश्योरेंस कं० लि०	यूनिवर्सल मैडिकलेम पालिसी स्वीट होम पैकेज पालिसी
यूनाईटेड इंडिया इनश्योरेंस कं० लि०	यूनिवर्सल मैडिकलेम पालिसी डेंटल इनश्योरेंस पालिसी ओवरसीज मैडिकलेम पालिसी (रीवाइस्ड)
इफको-टोकियो जनरल इनश्योरेंस कं० लि०	फारमर्स पैकेज पालिसी
रॉयल सुन्दरम इनश्योरेंस कं० लि०	एंटरप्राइज बिजनस इनश्योरेंस पालिसी ऐजु केयर पालिसी एंटरप्राइज शीलड पालिसी (अमैडिड) प्रौपर्टी ऑल रिस्क पालिसी (अमैडिड) 360 बिजनस शीलड इनश्योरेंस (अमैडिड)
बजाज एलाएज जनरल इनश्योरेंस कं० लि०	इंडिविजुअल पर्सनल ऐक्सिडेंट पालिसी (रीवाइस्ड) गुरू रक्षा इनश्योरेंस पालिसी
टाटा ए आई जी जनरल इनश्योरेंस कं० लि०	बिजनस गार्ड - शक्ति बिजनस गार्ड - कमर्शियल इनडिविजुअल इनजरी एंड पर्सनल ऐक्सिडेंट पालिसी-ब्रॉड मार्केट प्रोडक्ट-"छाया" ऐक्सिडेंट एंड हेल्थ - ओवरसीज ट्रेवल ऐक्सिडेंट - ट्रेवल केयर ऐक्सिडेंट एंड हेल्थ - ओवरसीज ट्रेवल ऐक्सिडेंट - स्टूडेंट गार्ड इनडिविजुअल इनजरी एंड पर्सनल ऐक्सिडेंट पालिसी - "कैमली केयर प्रोटेक्शन प्लान" इनडिविजुअल पर्सनल ऐक्सिडेंट प्रोडक्ट-इनकम गार्ड प्लान इनडिविजुअल पर्सनल ऐक्सिडेंट प्रोडक्ट-इनकम गार्ड प्लान प्लस ऐक्सिडेंट एंड हेल्थ - ग्रुप मल्टीगार्ड पर्सनल ऐक्सिडेंट पालिसी ऐक्सिडेंट एंड हेल्थ - ग्रुप पर्सनल ऐक्सिडेंट पालिसी ऐक्सिडेंट एंड हेल्थ - वलंटरी ग्रुप पर्सनल ऐक्सिडेंट पालिसी ऐक्सिडेंट एंड हेल्थ - ग्रुप हौसपिटल एंड सर्जिकल इनश्योरेंस पालिसी ऐक्सिडेंट एंड हेल्थ - ग्रुप ट्रेवल गार्ड पालिसी जी टी जी 1102 ऐक्सिडेंट एंड हेल्थ - ट्रेवल केयर पालिसी - प्रो० कोड : टी जी 1102 ऐक्सिडेंट एंड हेल्थ - ट्रेवल गार्ड पालिसी - प्रो० कोड : टी जी 1102 होमसिक्वोर प्रीवलेज पैकेज इनश्योरेंस पालिसी फोर म्युचुअल फंड्स* पोल्यूशन लीगल लाएबीलटी सिलैक्ट पालिसी* ऐक्सिडेंट एंड हेल्थ - ग्रुप पर्सनल इनजरी प्लान (रीवाइस्ड)* क्राइम मैनेजर पालिसी*

गैर-जीवन बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम (ब्रांड का नाम)
<p>एच डी एफ सी चब्ब जनरल इनश्योरेंस कं० लि०</p>	<p>ग्रुप पर्सनल ऐक्सीडेंट इनश्योरेंस पर्सनल ऐक्सीडेंट इनश्योरेंस ग्रुप हौसपिटल केश इनश्योरेंस हौसपिटल केश इनश्योरेंस ग्रुप ट्रैवल इनश्योरेंस ट्रैवल इनश्योरेंस होम इनश्योरेंस प्रोडक्ट पब्लिक लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी प्रोडक्ट लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी क्राइम इनश्योरेंस पालिसी* मरीन कारगो ओपन पालिसी* म्युचुअल फंड ऐसेट प्रोटेक्शन पालिसी*</p>
<p>चोलामंडलम एम एस जनरल इनश्योरेंस कं० लि०</p>	<p>प्रोडक्ट लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी-सी 1-पी डी प्रोडक्ट लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी-अंडर पब्लिक लाएबिल्टी-सी 2-पी 1 पब्लिक लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी फोर इंडस्ट्रियल एंड स्टोरेज रिस्क पब्लिक लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी फोर नान-इंडस्ट्रियल एंड स्टोरेज रिस्क कमर्शियल जनरल लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी कमर्शियल अंबरेला लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी स्पेशलाइस्ड प्रोफेशनल इनडैमनिटी पालिसी फाईनेंशियल इनस्टीट्यूशनस प्रोफेशनल इनडैमनिटी पालिसी बैंकर्स इनडैमनिटी पालिसी इलैक्ट्रॉनिक एंड कम्प्यूटर क्राइम इनश्योरेंस पालिसी क्रेडिट कार्ड इनश्योरेंस पालिसी फिडीलिटी गेरंटी इनश्योरेंस पालिसी फिडीलिटी, मनी एंड सिक्योरिटी इनश्योरेंस पालिसी डाएरैक्टर्स एंड औफिसर्स इनडैमनिटी पालिसी कम्प्यूटर सर्विसिज एंड सौफ्टवेयर डवैलपर्स प्रोफेशनल लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी मल्टीमीडिया प्रोफेशनल लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी इंटरनेट कंटेन्ट लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी इंटरनेट प्रोफेशनल लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी इंटरनेट सिक्योरिटी इनश्योरेंस पालिसी टैक्नोलोजी प्रोफेशनल लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी मरीन कारगो पालिसी विद लाइब्रेरी ओफ क्लौजेज मरीन ऐडवांस्ड लौस ओफ प्रोफिट इनश्योरेंस पालिसी पोर्ट अथोरिटी लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी स्टीवीडोरस लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी व्हारफिगर लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी मरीन टर्मिनल आपरेटर्स काम्प्रिहेंसिव लाएबिल्टी इनश्योरेंस पालिसी बर्गलरी पालिसी मनी-इन सेफ एंड इन ट्रांसिट पालिसी प्लेट ग्लास पालिसी</p>

गैर-जीवन बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम (ब्रांड का नाम)
	<p>नियॉन साइन इनश्योरेंस टी. वी. इनश्योरेंस पीडल साईकलस इनश्योरेंस ऑल रिस्कस् पालिसी बैगज इनश्योरेंस ऐनिमल ड्राइवन कार्ट इनश्योरेंस ऐग्रिकल्चरल पम्प सैट इनश्योरेंस शूगरकेन क्रौप इनश्योरेंस-इनपुटस लाइव स्टॉक इनश्योरेंस कैटल इनश्योरेंस शीप इनश्योरेंस पोलट्री इनश्योरेंस पैट डौग इनश्योरेंस पर्सनल ऐक्सीडेंट इनश्योरेंस इनडिविजुअल एंड ग्रुप इनश्योरेंस ट्रैवल हेल्थ इनश्योरेंस-इनडिविजुअल एंड ग्रुप ग्रुप हेल्थ इनश्योरेंस इनडिविजुअल हेल्थ इनश्योरेंस शौप पैकेज पालिसी ऑफिस पैकेज पालिसी होम पैकेज पालिसी फारमर पैकेज पालिसी ऐसेट ऑल रिस्कस पालिसी*</p>

*मार्च, 2003 के पश्चात आरंभ किए गए

सारणी - 33

नियत बीमांककों की सूची – गैर-जीवन बीमाकर्ता
(31 मार्च, 2003 को)

बजाज एलाएज साधारण बीमा कं लि०	श्री गोविंदन वर्धराजन
चोलामंडलम एम एस साधारण बीमा कं लि०	कालापट्टापु पूरणचन्द्र शर्मा
भारतीय साधारण बीमा निगम-जीवन पुनःबीमा विभाग	लालगुडी पी. वेंकटरामन
एच डी एफ सी चब साधारण बीमा कं लि०	श्री नारायण लक्ष्मणन
आई सी आई सी आई लोमबार्ड साधारण बीमा कं लि०	पीयूष आई. मजूमदार
इफको-टोकियो साधारण बीमा कं लि०	ए.पी. पीतांबरन
नेशनल बीमा कं लि०	भूदेव चटर्जी
द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं लि०	आनंद रामचंद्र प्रभू
रिलाएंस साधारण बीमा कं लि०	एन. गोपालकृष्ण पाई
रॉयल सुन्दरम एलाएज बीमा कं लि०	श्री ओ. लक्ष्मीनारायण
टाटा ए आई जी साधारण बीमा कं लि०	श्री कासिम हनुमंत राव
द ओरिएंटल बीमा कं लि०	प्रेम गुप्ता
युनाइटेड इंडिया बीमा कं लि०	सारंगराजा कृष्णन

(iii) ग्राहक सेवा

प्राधिकरण, पालिसीधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनेक अभिकर्ताओं की आवश्यकता को महसूस करते हुए, अभिकर्ताओं के अनुज्ञापन के लिए एक अध्यपेक्षा के रूप में प्रशिक्षण अधिकथित करता है। तदनुसार, बीमाकर्ताओं ने प्राधिकरण द्वारा अधिकथित संनियमों के अनुसार, अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्यायित डिविजनल और प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। इसके साथ-साथ, निगमित अभिकर्ता, दलाल, सर्वेक्षक और टीपीए के लिए विनियम अधिसूचित करते समय प्राधिकरण को प्रशिक्षण अपेक्षाओं को अधिकथित किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए जोर दिया जाता है कि मध्यवर्ती मुक्कलों की अपेक्षाओं को समझने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और तदनुसार, बीमाकर्ता पालिसीधारकों की सेवा करने को उच्च प्राथमिकता देते हैं। यह विशेष प्रकार से महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजार धीरे-धीरे प्रतियोगी होता जा रहा है। दो ऐसे कारण हैं जो ग्राहक द्वारा दिए गए विकल्प को प्रभावित कर सकेंगे वे हैं

“उत्पाद डिजाइन और कीमत” और “दी गई सेवा की क्वालिटी”। बीमाकर्ता ग्राहक की इन अपेक्षाओं के बारे में अच्छी तरह से जागरूक हैं।

इसके अतिरिक्त, पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण से संबंधित विनियमों की अधिसूचना में ग्राहक सेवाओं के लिए बैंचमार्क अधिकथित किए गए हैं। सभी बीमाकर्ताओं को इन बैंचमार्कों का अनुपालन करना आवश्यक है। ग्राहकों की सेवा करने में दूसरे उपाय के रूप में, प्राधिकरण ने अपने-अपने बीमाकर्ताओं के साथ बीमाकृत से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की है। रिपोर्ट यह दर्शित करती है कि पालिसीधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्राधिकरण के प्रयासों से विचलित परिणाम उत्पन्न हुए हैं। ग्राहक शिकायत सैल से संबंधित ब्यौरे-रिपोर्ट के भाग 2 (VI) में दिए गए हैं जिसमें सारणी 49 और 50 में प्राधिकरण द्वारा प्राप्त शिकायतों की प्रास्थिति दी गई है।

पालिसीधारकों के हित में पद्धति के स्वेच्छया स्वीकार करने के लिए उपाय करने के दिशा में, जीवन और गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की परिषद् भी बीमाकर्ताओं का मार्गदर्शन करती है इस दिशा में, जीवन बीमाकर्ताओं को उनकी परिषद् ने मई, 2003 में जीवन बीमा पालिसियों के धारकों को पर्याप्त सेवा देने के लिए सदाचार मानक और मजबूत पद्धति स्वीकार करने के लिए सलाह दी गई थी।

ग्राहक की सेवा को सुकर बनाने की दृष्टि से, बीमाकर्ताओं ने पालिसी बीमा, रिपोर्ट किए गए दावों, संदत्त दावों, बकाया दावों, निपटाए गए दावों का अनुपात, गैर-वाद निपटाए गए दावों का अनुपात, वापस किया गया प्रीमियम, पृष्ठांकन और शिकायत को दूर करने का अनुपात जैसे पहलुओं पर आई.टी. आधारित मंच के माध्यम से रिपोर्टें तैयार करना आरंभ कर दिया है। बीमाकर्ता घर-घर में स्थापित बैंचमार्कों के प्रति स्वयं के निष्पादन पर जांच करते हैं और अपने ग्राहक सेवा केन्द्रों के लिए ग्राहक संबंध प्रबंध परियोजना शुरू की है जिसे संपूर्ण देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया गया है तथा विभिन्न उत्पादों की जानकारी देने के अलावा पालिसीधारकों की विभिन्न आवश्यकताओं को जुटाने के लिए काल सेंटर स्थापित किए हैं। कुछ कंपनियों ने मोबाइल दावा सेवा प्रदान करना भी आरंभ कर दिया है। बीमाकर्ताओं ने शिकायत प्रकोष्ठ भी स्थापित किए हैं तथा इन प्रकोष्ठों के कार्य-निष्पादन को नियमित आधार पर बारीकी से मानीटर किया जाता है। “क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ” और जानकारी सरलीकरण काउंटर भी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जल्द रहट योजना और निधि-मेला जैसी स्कीमों को दावों का

शीघ्रता से निपटारा करने के लिए प्रसिद्ध किया जा रहा है। क्रेता बाजार के रूप में, तेजी से उभरते हुए बीमा उद्योग के साथ, बीमाकर्ताओं को क्वालिटी ग्राहक सेवा देने के लिए स्वयं को उनके अनुकूल बनाना होगा और इस प्रक्षेप-पथ में, सूचना प्रौद्योगिकी निरंतर एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। ऐसे बीमाकर्ता जो इसके पश्चात् प्रस्तावित ओर सेवाप्रद दोनों आधारों के अनुसार ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हैं, तैयार प्रतियोगी परिप्रेक्ष्य में एक नेता के रूप में उभरेंगे।

वर्ष 2002-03 के दौरान, ऐसे सेवा मानकों के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से, कार्यालय से बाहर प्रचालनों को संचालित करने वाले अपने कर्मियों पर उच्चतर उत्तरदायित्व डालने के लिए जीवन बीमा निगम ने पुनरीक्षित नागरिक चार्ट अंगीकार किया है जो प्रबंधन के अनुसार और अधिक युक्तियुक्त है बजाय जैसा कि पालिसीधारकों के विनियमों के अधीन आज्ञापक हैं।

(ग) रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ताओं और पुनः बीमाकर्ताओं के ब्यौरे

रजिस्ट्रीकृत जीवन बीमा, गैर-जीवन बीमा और पुनःबीमाकर्ता के ब्यौरे सारणी 34 और 36 में दिए गए हैं। सारणी में बीमाकर्ताओं का नाम, कार्य जो उनके द्वारा किया जा रहा, का नाम, उनके प्रचालन के प्रारंभ की तारीख, उनका प्रधान अधिकारी और उनके संपर्क ब्यौरे सारणी में दिए गए हैं।

ग. रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ताओं और पुनःबीमाकर्ताओं के ब्यौरे

सारणी - 34
जीवन बीमाकर्ताओं के ब्यौरे

रजि. सं.	कंपनी का नाम	प्रधान अधिकारी का नाम (31.3.2003 को)	टेलीफोन सं./ फैक्स सं./ ई-मेल एंड वेब पता	कारबार की प्रकृति	कारबार आरम्भ करने की तारीख
116	एलाएज बजाज जीवन बीमा कंपनी लि. जीई प्लाजा, एयरपोर्ट पुणे-411 006	श्री जेम्स वाल्टन	टेली: 020 - 4026666 फैक्स: 020 - 4026667 ई-मेल : james.walton@allianzbajaj.co.in वेब: www.allianzbajaj.co.in	संबंध कारबार, गैर संबद्ध कारबार, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्ति और समूह बीमा दोनों	01.10.2001
109	बिरला सनलाईफ बीमा कंपनी लिमिटेड दूसरा तल, अहूरा सेंटर, 'बी' विंग, महाकाली केवस रोड, अंधेरी (ई), मुम्बई-400 093.	श्री नानी झावेरी	टेली: 022 - 56783333 फैक्स: 022 - 56783232 ई-मेल : njaveri@birlasunlife.com वेब: www.birlasunlife.com	संबंध कारबार, गैर संबद्ध कारबार, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्ति और समूह बीमा दोनों	19.03.2001
101	एचडीएफसी स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड 5वां तल, द आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर प्लाट सी-22 'जी' ब्लॉक, काम्पलेक्स, बांद्रा (ई) मुम्बई-400 051.	श्री डी.एम. सतवालेकर	टेली: 022 - 26533666, 26533660 फैक्स: 022 - 26533655 / 654 / 661 ई-मेल : dms@hdfcinsurance.com वेब: www.hdfcinsurance.com	संबंध कारबार, गैर संबद्ध कारबार, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्ति और समूह बीमा दोनों	12.12.2000
105	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई प्रूलाईफ टावर्स, 1089, अप्पासाहिब माराटे मार्ग, संबद्ध कारबार, गैर संबद्ध प्रभादेवी, मुम्बई-400 025	सुश्री शिखा शर्मा	टेली: 022 - 56621996 / 56621600 फैक्स: 022 - 24376638, 56622031 ई-मेल : shikhasharma@icicirulife.com वेब : www.icicirulife.com	संबंध कारबार, गैर संबद्ध कारबार, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्ति और समूह बीमा दोनों	19.12.2000
114	आईएनजी वस्या जीवन बीमा कंपनी 5वां तल, आईएनजी वस्या हाऊस, 22, एम.जी. रोड बंगलौर-560 001	श्री यूवो आर. मेटजीआर	टेली: 080 - 5328000 फैक्स: 080 - 5559753 ई-मेल : yvo.metzelaar@ingvysyalife.com वेब : www.ingvysyalife.com	संबंध कारबार, गैर संबद्ध कारबार, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्ति और समूह बीमा दोनों	01.09.2001

रजि. सं.	कंपनी का नाम	प्रधान अधिकारी का नाम (31.3.2003 को)	टेलीफोन सं./ फैंक्स सं./ ई-मेल एंड वेब पता	कारबार की प्रकृति	कारबार आरम्भ करने की तारीख
512	भारतीय जीवन बीमा मार्ग, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग पोस्ट बाक्स सं. 19953 मुम्बई - 400 021	श्री एस.बी. माथुर	टेली: 022-22020997 / 7060 / 8085 फैंक्स: 022-22810680 ई-मेल : chairman@licindia.com : licm@vsnl.com वेब : www.licindia.com	संबंध कारबार, गैर संबद्ध कारबार, स्वास्थ्य बीमा, व्यष्टिक और समूह बीमा दोनों	
104	मैक्स न्यूयार्क जीवन बीमा कं.लि. 11वां तल, डीएलएफ स्केयर, जकारदामार्ग, डीएलएफ सिटी, फेस-2, गुडगांव - 122 002.	श्री अनुरूप (तेनी) सिंह	टेली: 0124-2567717 / 1717 फैंक्स: 0124-2561765 / 1764 ई-मेल : anuroop.singh@maxnewyorklife.com वेब : www.maxnewyorklife.com	संबंध कारबार, गैर संबद्ध कारबार, स्वास्थ्य बीमा, व्यष्टिक और समूह बीमा दोनों	26.03.2001
117	मेटलाईफ भारतीय बीमा कंपनी लिमिटेड बिग्रेड शीशमहल, सं. 5, वाणी विलास रोड, बासवाडागुणी, बंगलौर-560 004.	श्री वेंकटेश एस. मेसूर	टेली: 080-6438638 फैंक्स: 080-6521970 ई-मेल : vmysore@metlife.com वेब : www.metlife.com	संबंध कारबार, गैर संबद्ध कारबार, स्वास्थ्य बीमा, व्यष्टिक और समूह बीमा दोनों	04.01.2002
107	ओम कोटक महेंद्रा जीवन बीमा कं.लि. 6वां, पैनिनसूला चेम्बर्स, पैनिनसूला कारपोरेट पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर पारेल मुम्बई-400 013.	श्री शिवाजी दाम	टेली: 022-56635000 / 111 फैंक्स: 022-56635102 ई-मेल : shivaji.dam@kotak.com वेब : www.omkotakmahindra.com	संबंध कारबार, गैर संबद्ध कारबार, स्वास्थ्य बीमा, व्यष्टिक और समूह बीमा दोनों	17.05.2001
111	एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड टर्नर मोरीसन भवन दूसरा तल, 16, बैंक स्ट्रीट फोट, मुम्बई-400 023.	श्री आर. कृष्णामूर्ति	टेली: 022-56392000 फैंक्स: 022-56392012 ई-मेल : r.krishnamurthy@sbilife.co.in वेब : www.sbilife.co.in	संबंध कारबार, गैर संबद्ध कारबार, स्वास्थ्य बीमा, व्यष्टिक और समूह बीमा दोनों	15.06.2001
110	टाटा एआईजी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड अहूरा सेंटर, चौथा तल, 82, महाकाली केवस रोड, अंधेरी रोड (ई), मुम्बई-400 093.	श्री इयान जे. वाट्स	टेली: 022-56930000 / 3888 फैंक्स: 022-56938255 ई-मेल : ian-j.watts@tata-aig.com वेब : www.tata-aig.com	संबंध कारबार, गैर संबद्ध कारबार, स्वास्थ्य बीमा, व्यष्टिक और समूह बीमा दोनों	02.04.2001

रजि. सं.	कंपनी का नाम	प्रधान अधिकारी का नाम (31.3.2003 को)	टेलीफोन सं./ फ़ैक्स सं./ ई-मेल एंड वेब पता	कारबार की प्रकृति	कारबार आरम्भ करने की तारीख
121	एएमपी संमार एशियर्स कं.लि. 9, केथेड्रल रोड, चैन्नई -600 086.	श्री एस.वी. मोनी	टेली:044 - 28118411 फ़ैक्स:044 - 28117669 ई - मे ल : sv_mony@ampsanmar.com वे ब : ampsanmar.com	संबंध कारबार, गैर संबद्ध कारबार, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्ति और समूह बीमा दोनों	28.01.2002
122	अवीवी जीवन बीमा कं. प्रा.लि. 5वां तल, जेएमडी रीजेंट्स स्केयर, गुडगांव-मेहरौली रोड, गुडगांव - 122 001. रिलाएंस जीवन बीमा कं.लि. *सहारा इंडिया जीवन बीमा कं.लि. सहारा इंडिया भवन, 1, कभूरथला काम्पलेक्स, लखनऊ - 2266024	श्री स्टुआर्ट पर्दी	टेली: 0124 - 2804121 / 4141 फ़ैक्स: 0124 - 2804122 / 4151 ई - मे ल : stuart.purdy@avivaindia.com वे ब : www.avivaindia.com टेली: 0522 - 2337777 / 237 3018 फ़ैक्स: 0522 - 2332683	संबंध कारबार, गैर संबद्ध कारबार, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्ति और समूह बीमा दोनों सिद्धान्त रूप में अनुमोदन किया गया सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्राप्त किया गया	06.06.2002

*यह कंपनी 31 मार्च 2003 के पश्चात् प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत की गई।

सारणी - 35
साधारण बीमाकर्त्ताओं के ब्यौरे

रजि. सं.	कंपनी का नाम	प्रधान अधिकारी का नाम (31.3.2003 को)	टेलीफोन सं./ फैंक्स सं./ ई-मेल एंड वेब पता	कारबार की प्रकृति	कारबार आरम्भ करने की तारीख
113	बजाज एलाएज साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड जीई प्लाज, एयरपोर्ट रोड, येरावाडा, पुणे-411 006.	श्री सेम घोष	टेली: 020 - 4026600 फैंक्स: 020 - 4026678 ई-मेल : sam.ghosh@bajajallianz.co.in वेब : www.bajajallianz.co.in	अग्नि, समुद्री-समुद्री स्थोरा, समुद्री पेट्टा, प्रक्रीण-मोटर, इंजीनियरी, दायित्व, स्वास्थ्य	08.05.2001
115	आई सी आई सी आई लोबार्ड साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड जेनिथ हाऊस केशव राव खाद्य मार्ग, महालक्ष्मी, मुम्बई-400 034.	श्री संदीप बख्शी	टेली: 022 - 24906800 फैंक्स: 022 - 26531655 ई-मेल : sandeep.bakhshi@icicilombard.com वेब : www.icicilombard.com	अग्नि, समुद्री-समुद्री स्थोरा, समुद्री पेट्टा, प्रक्रीण-मोटर, इंजीनियरी, दायित्व, स्वास्थ्य	31.08.2001
106	ईफको टोकिया साधारण बीमा कं. लि. पाम कोर्ट, चौथा तल, प्लाट सं. 20/4, सुखरली चौक, मैहरोली-गुडगांव रोड गुडगांव-122001.	श्री अजीत नारायण	टेली: 0124 - 2220889 / 891 / 893 / 895 फैंक्स: 0124 - 2220887, 2222063 ई-मेल : anarain@itgi.co.in वेब : www.itgi.co.in	अग्नि, समुद्री-समुद्री स्थोरा, समुद्री पेट्टा, प्रक्रीण-मोटर, इंजीनियरी, दायित्व, स्वास्थ्य	16.01.2001
58	नेशनल बीमा कं. लि. 3, मिडलटोन स्ट्रीट, पोस्ट बाक्स सं. 9229, कोलकाता - 700 071.	श्री एस.एस. वाधवा	टेली: 033 - 22831704 / 1715 / 1718 फैंक्स: 033 - 22831712 ई-मेल : hswadhwa@national.insuranceindia.com वेब : www.nationalinsuranceindia.com	अग्नि, समुद्री-समुद्री स्थोरा, समुद्री पेट्टा, प्रक्रीण-मोटर, इंजीनियरी, दायित्व, स्वास्थ्य	
90	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. न्यू इंडिया एश्योरेंस भवन, 87, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुम्बई - 400 001.	श्री आर बेरी	टेली: 022 - 22624987, 22674764 फैंक्स: 022 - 22652811 ई-मेल : cmd@niac.com cmdsect@niac.com वेब : www.niacd.com	अग्नि, समुद्री-समुद्री स्थोरा, समुद्री पेट्टा, प्रक्रीण-मोटर, इंजीनियरी, दायित्व, स्वास्थ्य	
556	द ओरिएंटल बीमा कं. लि. ए-25/27, आसिफ अली रोड, नई दिल्ली - 110 002.	श्री एस.एल. मोहन	टेली: 011 - 23265024, 23276226 फैंक्स: 011 - 23263175 ई-मेल : slmohan@oriental.nic.in वेब : www.orientalinsurance.nic.in	अग्नि, समुद्री-समुद्री स्थोरा, समुद्री पेट्टा, प्रक्रीण-मोटर, इंजीनियरी, दायित्व, स्वास्थ्य	

रजि. सं.	कंपनी का नाम	प्रधान अधिकारी का नाम (31.3.2003 को)	टेलीफोन सं./ फैंक्स सं./ ई-मेल एंड वेब पता	कारबार की प्रकृति	कारबार आरम्भ करने की तारीख
103	रिलाएंस साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड 5वां तल, एनकेएम इंटरनेशनल हाऊस 128, बैकबे रिक्लेमेशन, बाबूभाई चिनाए रोड, मुम्बई - 400 020.1	श्री विजय पवार	टेली: 022 - 30216900 फैंक्स: 022 - 22886155 ई-मेल : vijay_pawar@ril.com वेब: www.ril.com	अग्नि, समुद्री-समुद्री स्थोरा, समुद्री पेट्टा, प्रक्राण-मोटर, इंजीनियरी, दायित्व, स्वास्थ्य	23.03.2001
102	रॉयल सुन्दरम एलाएज बीमा कंपनी लिमिटेड 46, व्हाईटस रोड, रोयापेट्टा, चेन्नई - 600 014.	श्री मिककी ब्रिगस	टेली: 044 - 28517387 फैंक्स: 044 - 28510596 ई-मेल : micky.brigg@notes.royalsun.com WEB: www.royalsundaram.com	अग्नि, समुद्री-समुद्री स्थोरा, समुद्री पेट्टा, प्रक्राण-मोटर, इंजीनियरी, दायित्व, स्वास्थ्य	23.10.2000
108	टाटा एआईजी साधारण बीमा कंपनी अहूरा सेंटर, चौथा तल, 82 महाकाली केवस रोड, अंधेरी (ई), मुम्बई - 400 093.	श्री दिलीप वर्मा	टेली: 022 - 56930000 फैंक्स: 022 - 56938175 ई-मेल : dalip.verma@tata-aig.com वेब: www.tata-aig.com	अग्नि, समुद्री-समुद्री स्थोरा, समुद्री पेट्टा, प्रक्राण-मोटर, इंजीनियरी, दायित्व, स्वास्थ्य	22.02.2001
545	यूनाइटेड इंडिया बीमा कं.लि. 24, व्हाईटस रोड, चेन्नई - 600 014.	श्री वी. जगन्नाथन	टेली: 044 - 28522021 / 0161 फैंक्स: 044 - 28525280 ई-मेल : jagannathan@sarkaritel.com jagan_Nathanv@yahoo.com वेब: www.uiic.co.in	अग्नि, समुद्री-समुद्री स्थोरा, समुद्री पेट्टा, प्रक्राण-मोटर, इंजीनियरी, दायित्व, स्वास्थ्य	
123	चोलामंडलम एमएस साधारण बीमा "टिआम हाऊस" 5वां तल, 72, राजाजी सलाई चेन्नई - 600 001.	श्री अरुण अग्रवाल	टेली: 044 - 52166000 फैंक्स: 044 - 25224949 / 52166001 ई-मेल : arunagarwal@cholamandalam.co.in arunagarwal@cmsgicl.murugappa.com वेब : www.cholainsurance.com	अग्नि, समुद्री-समुद्री स्थोरा, समुद्री पेट्टा, प्रक्राण-मोटर, इंजीनियरी, दायित्व, स्वास्थ्य	1.9.2002
124	ईसीजीसी आफ इंडिया लि. एक्सप्रेस टॉवर्स 10वां तल, नरीमन प्वाइंट मुम्बई - 400 021.	श्री पी.एम.ए. हकीम	टेली: 022-22845452 / 71/ 72 फैंक्स: 022-22045253 ई-मेल : ecgcmds@bom4.vsnl.net.in rajiv.manavi@ecgcindia.com वेब : www.ecgcindia.com	ऋण जोखिम बीमा	—
125	एचडीएफसी चब साधारण बीमा 5वां तल, एक्सप्रेस टॉवर्स नरीमन प्वाइंट मुम्बई-400 021.	श्री एस.वी. सामंत	टेली: 022-56383600 फैंक्स: 022-56383699 ई-मेल : ssamant@chubb.com वेब: hdfchubbindia.com	अग्नि, समुद्री-समुद्री स्थोरा, समुद्री पेट्टा, प्रक्राण-मोटर, इंजीनियरी, दायित्व, स्वास्थ्य	17.10.2002
126	*भारतीय कृषि बीमा कं.लि. एल-41, पहला तल, कर्नाट सर्कस नई दिल्ली - 110 001.	श्री सुपारस भंडारी	टेली: 011 - 23416158 / 6128 फैंक्स: 011 - 23415273 / 2589 ई-मेल : suparasbhandari_aic@yahoo.com	फसल बीमा	29.10.2003

* 31 मार्च, 2003 के पश्चात् प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों।

सारणी - 36
पुनःबीमाकर्ता का ब्यौरा

पंजीकरण सं.	कंपनी का नाम	मुख्य अधिकारी का नाम (31.3.2003 को)	दूरभाष नं./ फैंक्स/ नं. ई-मेल और वेब पता	कारबार की प्रकृति	कारबार प्रारंभ करने की तारीख
544	भा.सा. बीमा निगम सुरक्षा 170, चर्च गेट, मुंबई 400 020.	श्री डी. सेन गुप्ता	दूरभाष : 022-22852043 / 2041, 22833046 फैंक्स : 022-22884010 ई-मेल : pcghosh@gicofindia.com वेब : www.gicindia.com	पुनःबीमा	

(घ) पालिसियां और बीमा बाजार को विकसित करने के उपाय

इसके प्रचालन के प्रारंभिक वर्षों में रखी गई नींव को और मजबूत बनाते हुए, प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान अनेक कार्य किये हैं, उनमें से कुछ नीचे दर्शित हैं:

1. यह पुनः उद्घृत किया जा रहा है कि प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ताओं के लिए वार्षिक नवीकरण करने के लिए उक्त वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष 2001-02 में कुल लिखित प्रीमियम के 7 प्रतिशत के 1/5 को घटाकर 1/10 की गई थी। इसके अतिरिक्त, बीमा सलाहकार समिति ने दूसरे दो वर्ष, अर्थात् 2002-03 और 2003-04 के लिए फरवरी, 2003 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, भारतीय बीमा कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विनियमों में, कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम अपलिखित के रजिस्ट्रीकरण फीस को 1 प्रतिशत के 1/5 से घटाकर 1/10 करने के लिए संशोधन किया गया था।
2. सरल समझने वाली भाषा में प्रस्तावित नीति दस्तावेजों, जीवन और गैर-जीवन में दावा प्रक्रिया, शिकायत निवारण तंत्र, स्थापित करने; दावों का शीघ्रता से निपटारा करने तथा पालिसीधारकों की सेवा के लिए पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण विनियम, 2002 अधिसूचित किए गए थे। ये उपबंध "फाइल और उपयोग" के अधीन उत्पादों को फाइल करने से संबंधित पहले से ही विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिरिक्त थे। दावों के संदाय पर विलंबित ब्याज और भावी पालिसीधारकों द्वारा 15 दिनों की अवधि के मुक्त विचार इन विनियमों के अतिरिक्त लक्षण है। ये विनियम बीमा उत्पादों के फायदों को बताते समय स्पष्टता प्रदान करने और आधारित उत्पादों की अनुवृद्धि के लिए सीमाएं अधिकृत करने के लिए और उपांतरित किए गए थे।
3. अधिशेष के वितरण से संबंधित विनियमों को अधिसूचित किया गया था जिससे कि भागीदारी पालिसीयों की दशा में शेयरधारकों के अधिशेष के अधिकतम 10 प्रतिशत और गैर-भागीदारी पालिसियों की दशा में अधिशेष को 100 प्रतिशत तक वितरित करने के लिए बीमाकर्ताओं के लिए उपबंध किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान, प्राधिकरण ने बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 की अधिसूचना के साथ निम्नलिखित विनियमों को भी अधिसूचित किया था:-

- बीमा उत्पादों के वितरण चैनलों में वृद्धि करने के लिए नियमित अभिकर्ता और बीमा दलालों का अनुज्ञापन विनियम,

2002 बीमा उत्पादों के विजय और वितरण के क्षेत्र में, बैंकों, एनबीएफसीएस, सहकारियों और गैर-सरकारी संगठनों को सुकर बनाने के लिए हैं।

- ग्राहकों की सुविधा को सुकर बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड, मनीआर्डर और इंटरनेट के माध्यम से बीमा प्रीमियम के संदाय का उपबंध करने के लिए प्रीमियम संदाय की रीति विनियम, 2002;
- ग्रामीण या सामाजिक सेक्टर के बीमाकर्ताओं की बाध्यता (संशोधन) विनियम, 2002 जिसे पूर्व विनियम के स्थान पर लाया गया और "ग्रामीण" शब्द को पुनःपरिभाषित किया गया तथा "औपचारिक सेक्टर" की परिभाषा को अंतःस्थापित किया गया। जीवन बीमाकर्ताओं की बाध्यताएं वित्तीय वर्ष 2002-03 और उससे आगे के लिए बढ़ गई थी, ये विनियम वित्तीय वर्ष 2002-03 से प्रभावी हो गए थे।
- बैंक एश्योरेंस आरंभ करने के साथ ही प्राधिकरण ने बैंकों के साथ रेफरल व्यवस्थाएं करने के लिए जीवन बीमाकर्ताओं को नए मार्गदर्शक सिद्धांत भी जारी किए।

बीमा विधि का पुनर्विलोकन

बीमा क्षेत्र के उदारीकरण की प्रक्रिया, जिसे तीन वर्ष पहले आरंभ किया गया, इस बात की साक्षी है कि बाजार में उतरने वाले नई प्राइवेट कंपनियों के साथ उद्योग में भारी परिवर्तन हुए हैं। इस प्रक्रिया से इन प्राइवेट कंपनियों के लिए विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक परिप्रेक्ष्य में व्यापक पुनर्विलोकन की आवश्यकता हुई।

इस दृष्टिकोण से, विधि आयोग ने प्राधिकरण के अनुरोध पर बीमा उद्योग के संदर्भ में, साधारण और विशिष्टतया अर्थव्यवस्था में प्रबल आर्थिक उदारीकरण की तर्ज पर बीमा उद्योग को संगत बनाने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 और अन्य संबंधित विधानों के पुनर्विलोकन का कार्य आरंभ किया। एक प्रयोग के भाग के रूप में, आयोग ने बीमा उद्योग के लिए व्यापक एकल विधान की आवश्यकता का भी निर्धारण किया है।

आयोग ने इस विषय पर एक श्वेतपत्र भी जारी किया है और विभिन्न निकायों, जिसमें चैम्बर आफ कामर्स, उद्योग और विभिन्न पदधारी भी सम्मिलित हैं, के साथ व्यापक विचार-विमर्श भी किया। प्राधिकरण ने इस संबंध में विधि आयोग की सहायता करने के लिए एक कोर समूह भी गठित किया है और विभिन्न पहलुओं पर इसके विचार-विमर्शों की समीक्षा की जा रही है।

(ड) आरंभ किए गए अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप

बीमा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के संवर्धन के अपने प्रयासों में प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से हैदराबाद में बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान की नींव रखी। बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान को वित्तीय क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए आज्ञापक बनाया गया और यह अनुभव किया गया है कि संस्थान एशिया पेसिफिक क्षेत्र के लिए एक उत्कृष्ट केन्द्र और आदर्श के रूप में विकसित होगा। (बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान के क्रियाकलाप रिपोर्ट के भाग 3 में विस्तार से दिए गए हैं)। इसके अलावा, बीमा के विशेष पहलुओं पर अधिकारिक अनुसंधान कार्य करने के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर में बीमा अनुसंधान और शिक्षा केन्द्र पहले से ही स्थापित किया गया है। केन्द्र द्वारा किए गए ग्रामीण बीमा संबंधी अनुसंधान अध्ययन के आधार पर, प्राधिकरण ने ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर के लिए बीमाकर्ताओं की बाध्यताओं से संबंधित विनियमों के संशोधनों को अधिसूचित किया था, जो वित्तीय वर्ष 2002-03 से लागू किए गए थे।

बीमाकर्ताओं ने कुछ विशिष्ट लोगों को ध्यान में रखकर उनके अनुकूल उत्पादों को आरंभ करने के लिए इन हाउस या वृत्तिक अभिकरणों के माध्यम से बाजार अनुसंधान भी संचालित किया है। किसी एक विशिष्ट स्थान और समय पर जोखिम संचयन का उपाय करने के लिए जोखिम निर्धारण अध्ययन किए जा रहे हैं। बीमा साक्षरता में सुधार करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करके, साहित्य, आदि वितरित कर के ग्राहक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बीमाकर्ता पीठ प्रायोजित कर रहे हैं और अध्येतावृत्तियों की घोषणा कर रहे हैं और सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के अलावा, बीमाकिक विज्ञान के विशेष संदर्भ में बीमा वृत्ति के विकास के लिए अनुदानों की घोषणा कर रहे हैं। इसी प्रकार, बीमा वृत्ति के संवर्धन के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय/कालेज स्तर पर अन्य संस्थानों को बीमा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्योग में सन्निहित मूल्य - जीवन बीमा कंपनी के बाजार मूल्य को मापने के लिए एक तकनीक-के रूप में ऐसी धारणा शुरू हुई है जिसका उद्देश्य उनके कार्य निष्पादन के मूल्यांकन पर प्रबंध के प्रयासों को सुकर बनाना है। विकसित उद्योग के रूप में उद्योग में विभिन्न पणधारियों और विदेताओं द्वारा आरंभ किए जा रहे अनुसंधान और विकास के विभिन्न प्रयासों के आधार पर अतिरिक्त प्रबंध तकनीक को विकसित किया जाएगा।

फिक्की के सहयोग से आई.एन.जी. समूह ने एक अनुसंधान केन्द्र भी स्थापित किया है। यह केन्द्र बीमा और पेंशन वाले विभिन्न पहलुओं पर फिल्म बनाता है।

(च) पुनर्विलोकन

(i) पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण

प्राधिकरण के उत्तरदायित्वों का एक विवेचनात्मक क्षेत्र बीमा पालिसियों के धारकों के हितों के संरक्षण के लिए उपबंध करना है। इस उद्देश्य को प्रभावी करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने अप्रैल-2002 में शेरधारकों का संरक्षण विनियम अधिसूचित किए जो आसानी से समझने वाली भाषा में उपलब्ध किए जा रहे पालिसी प्रस्ताव दस्तावेजों, जीवन और गैर-जीवन खंडों में दावा प्रक्रिया की रूपरेखा, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने, दावों का शीघ्रता से निपटान तथा पालिसीधारकों की सेवा के लिए उपबंध करते हैं। ये उपबंध "फाइल और उपयोग के अधीन उत्पादों के फाइल करने के संबंधित पहले से ही विद्यमान उपबंधों के अलावा हैं। भावी पालिसीधारण द्वारा 15 दिन की अवधि में दावों के संदाय पर विलंबित ब्याज और निःशुल्क भेंट इन विनियमों के अतिरिक्त लक्षण हैं। ये विनियम अक्टूबर, 2003 में उपांतरित किए गए थे और उद्योग में विभिन्न पणधारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। विनियम 3 के उपविनियम (1) से संबंधित संशोधन; स्वास्थ्य से संबंधित या गंभीर बीमारी की दशा में अधिकारिक उत्पाद के प्रीमियम का 10 प्रतिशत तक और सभी अन्य राइडरों के लिए अधिकारिक उत्पाद के प्रीमियम को 30 प्रतिशत तक की सीमा तक प्रीमियम प्रभावित करने के लिए बीमा कंपनी को अनुज्ञा देता है। इसके अतिरिक्त, फाइल और उपयोग प्रक्रिया के अंतर्गत सभी बीमाकर्ताओं से बाजार में अपने उत्पाद को उतारने से पूर्व प्राधिकरण के पास बीमा उत्पादों को फाइल करने की अपेक्षा की जाती है जिससे कि यह "सत्यापित कर सके कि पालिसीधारकों के हित, पालिसी दस्तावेज के निबंधनों के अधीन अधीन अच्छी तरह से संरक्षित हैं।

पालिसीधारकों के हितों को संरक्षित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित है:

- बीमा पालिसियों के धारकों से परिवादी शिकायत प्राप्त करने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में प्राधिकरण के भीतर एक प्रकोष्ठ का गठन करना। प्रकोष्ठ लोक शिकायतों के निपटारे में विलंब के वास्तविक मामलों को देखेगा। तथापि, प्रकोष्ठ हामीदारी के रूप में, न तो कोई कार्य करता है और न ही हामीदारी पद्धति को अंगीकार करने, बीमाकर्ताओं द्वारा दावों प्रक्रिया आदि जैसे मुद्दों पर विनिश्चय करता है;

- प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता के लिए, जनता की जानकारी के लिए उसके वेबपते पर प्रीमियम संगणना सुविधा के साथ प्रीमियम दरों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य करना है;
- बीमा परिषद् और टैरिफ सलाहकारी संबंधी समिति के लिए चैम्बर्स आफ कामर्स के प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीतिगत विनिश्चय लेते समय, ग्राहकों के विचारों पर ध्यान दिया जाता है।
- बीमाकर्ताओं को अपने बोर्ड में ग्राहक प्रतिनिधि को रखना अपेक्षित है;
- बीमा कंपनियों की ओर से यह बाध्यताकारी है कि वे नीति दस्तावेज के अंतर्गत फायदों, शर्तों और निबंधनों को स्पष्ट रूप से दर्शित करें;
- बीमाकर्ताओं द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों में पर्याप्त प्रकटन करना अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बीमा कराने वाली जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं;
- बीमाकर्ताओं को अपने मुख्यालय और देश में अन्य कार्यालयों में पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना अपेक्षित है;
- कैशलैस कवर और दी गई अन्य सुविधाओं जैसी स्वास्थ्य बीमा सेवाओं में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य सेक्टर में तीसरा पक्षकार प्रशासक की शुरुआत की गई है;
- विशिष्टतया बीमाकृत साधारण जनता और बीमा उद्योग के हितों की अच्छी तरह रक्षा करने के लिए दलालों को मध्यवर्तियों के रूप में अनुज्ञप्त किया गया है। ब्रोकर समुचित बीमा कवर और उसके निबंधनों पर सलाह देता है, उपलब्ध बीमा उत्पादों की विविधता पर जानकारी रखता है और ग्राहकों के विचार के लिए बीमाकर्ताओं से प्राप्त किए गए कोटेशनों को प्रस्तुत करता है।

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए पालिसीधारकों के हितों की संरक्षा भी करता है कि बीमाकर्ता विहित शोधन क्षमता मार्जिन को बनाए रखता है। बीमाकर्ताओं द्वारा शोधन क्षमता मार्जिन को बनाए रखना इस बात को दर्शित करता है कि वे दावों के संदाय के संबंध में पालिसीधारकों की बाध्यताओं को पूरा करने की स्थिति में हैं।

(ii) बीमाकर्ताओं द्वारा शोधन क्षमता मार्जिन को बनाए रखना

बी.वि.वि.प्रा. (बीमाकर्ताओं की अस्तित्वां, दायित्व और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 सभी बीमाकर्ताओं से यह अपेक्षा करता है कि वे 50 करोड़ से अन्यून सीमा तक बी.वि.

वि.प्रा. (बीमांकन रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2000 में दिए गए विहित सूत्र पर आधारित राशि के समतुल्य देनदारियों पर आस्तियों के मूल्य से अधिक बनाए रखते हैं।

इसी प्रकार, साधारण बीमाकर्ताओं की दशा में, 50 करोड़ रुपए के न्यूनतम शोधन क्षमता मार्जिन को पुनर्बीमा की दशा में 100 करोड़ रुपए का बी.वि.वि.प्रा. (बीमाकर्ताओं की अस्तित्वां, दायित्व और शोधन क्षमता) विनियम, 2000 में दिए गए सूत्र पर आधारित राशि के समतुल्य बनाए रखना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाओं यह विहित करती हैं कि सभी बीमाकर्ताओं को सामान्य अपेक्षा से 1.5 गुणा शोधन क्षमता दर बनाए रखनी होगी।

रजिस्ट्रीकृत करते समय, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि नए बीमाकर्ताओं को अपने कार्य को स्थिर करने में लगभग पांच वर्ष लगे और वे निधियों के अतिरिक्त अंतर्वाह के माध्यम से अपनी आरंभिक हामीदारी हानियों को निधि में से पूरा कर सकेंगे। तथापि, बीमाकर्ताओं से हर समय शोधन क्षमता मार्जिन अपेक्षाओं को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है और प्राधिकरण अपने-अपने बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य को सूचक के रूप में और पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए इस पैरामीटर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

इस प्रकार बीमाकर्ताओं के नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित शोधन-क्षमता मार्जिन की देख-रेख करना प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण कृत्य है। सभी बीमाकर्ता बी.वि.वि.प्रा. (बीमाकर्ताओं की अस्तित्वां, दायित्व और मार्जिन क्षमता) विनियम, 2000 या बी.वि.वि.प्रा. (बीमांकन रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2000 के अनुसार प्राधिकरण के पास एक वार्षिक विवरण फाइल करते हैं जिसमें उनकी मार्जिन-क्षमता की स्थिति होती है।

वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान जीवन, गैर-जीवन और पुनः बीमाकर्ताओं सहित सभी बीमाकर्ताओं ने बीमा अधिनियम, 1938 में यथाअधिकथित शोधन क्षमता अपेक्षा का अनुपालन किया है।

(iii) पुनर्बीमा की मानीटरिंग

पुनर्बीमा के लिए विनियम अधिकथित करते समय, प्राधिकरण ने प्रत्येक बीमाकर्ता पर अपनी वित्तीय स्थिति और कारबार की मात्रा के साथ-साथ अधिकतम संभावित प्रतिधारण समपरिमाण को बनाए रखने के लिए दबाव बनाए रखा। यह इस संदर्भ में है कि प्राधिकरण अपनी प्रतिधारण नीति को उचित ठहराने की बीमाकर्ताओं से अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे निवेश, जो किसी विदेशी बीमाकर्ता के लिए सिर्फ मोर्चा खोलने हेतु किसी भारतीय बीमाकर्ता के विरुद्ध एक कवच बनाने के लिए आवश्यक समझे

जाते हैं, देने का अधिकार आरक्षित रखता है। साधारण बीमा कारबार करने वाले प्रत्येक बीमाकर्ता के पुनर्विचार कार्यक्रम की पर्याप्त क्षमता विकसित करने; उपगत पुनर्बीमा लागत के लिए सर्वोत्तम संभावित संरक्षण को सुनिश्चित करने और कारबार के प्रभासन को सरलीकृत करने के आधारीक सिद्धांत द्वारा मार्गदर्शन किए जाने की भी आवश्यकता होती है।

जीवन पुनर्बीमा की दशा में, प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता उसके द्वारा कवर की गई जीवन पालिसियों के संबंध में पुनर्बीमा कार्यक्रम बनाएगा और उसे नियुक्त बीमांकक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित कराएगा। इसके अलावा, नियुक्त बीमांकक के द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऐसे प्रोग्राम, जिसमें उस पुनर्बीमाकर्ता या बीमाकर्ताओं का नाम होगा जिसके साथ बीमाकर्ता ने कारबार किया है, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम से कम चालीस दिन पूर्व प्राधिकरण के पास फाइल किया जाना अपेक्षित है। प्राधिकरण, यदि आवश्यक समझे, समय-समय पर किसी अतिरिक्त जानकारी को बीमाकर्ताओं से प्राप्त कर सकेगा और बीमाकर्ता उसे प्राधिकरण को देगा।

प्राधिकरण विशिष्टतया इस बात से संबंध रखता है कि विदेश में अभ्यर्पित बीमाकर्ता प्रतियोगात्मक अंतरराष्ट्रीय निबंधनों पर राष्ट्रीय क्षमता का उपयोग करने के पश्चात् ही ऐसा कर सकते हैं और किसी एक पुनर्बीमाकर्ता के साथ किया गया कारबार अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, प्रत्येक बीमाकर्ता को अन्य भारतीय बीमाकर्ताओं को अवसर देना आवश्यक है जिसमें भारत से बाहर ऐसे अभ्यर्ण के स्थापन से पूर्व उनके संकाय या संधि अतिरेक में भाग लेने वाले भारतीय पुनर्बीमाकर्ता भी सम्मिलित है। बीमाकर्ताओं से केवल ऐसे पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ भारत से बाहर अपने पुनर्बीमा कारबार को प्रतिस्थापित करने की भी अपेक्षा की जाती है जो उस पूर्ववर्ती वर्ष से गणना करने वाले पिछले पांच वर्ष से अधिक की उस अवधि, जिसके लिए कारबार प्रतिस्थापित किया जाना है, के लिए कम से कम बी०बी०बी० (स्टैंडर्ड एंड पुअर में) के रेटिंग या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय रेटिंग अभिकरण के समतुल्य रेटिंग का उपयोग करते हैं। किसी अन्य पुनर्बीमाकर्ता के साथ प्रतिस्थापन करने के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन आवश्यक है। वर्गवार स्वदेशी पुनर्बीमा ठहराव के अतिरिक्त अधिशेष बीमाकर्ता द्वारा स्वतंत्र रूप से किसी भी एक पुनर्बीमाकर्ता के साथ प्रतिस्थापित किए जा रहे भारत से बाहर अभ्यर्पित कुल पुनर्बीमा प्रीमियम के 10 प्रतिशत की सीमा के अधीन रहते हुए, प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जहां यह आवश्यक है कि किसी भी विशिष्ट पुनर्बीमाकर्ता को ऐसी सीमाओं के भीतर अनधिक शेयर अभ्यर्पित किए जाएं वहां बीमाकर्ता इसके लिए प्राधिकरण का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त कर सकेगा।

इस पृष्ठभूमि के साथ, बीमाकर्ता अपना पुनर्बीमा प्रोग्राम प्राधिकरण के पास फाइल कर रहे हैं। पुनर्बीमा प्रोग्राम की निकटता से समीक्षा करने पर यह देखा गया है कि प्राइवेट बीमाकर्ता क्षमता की कमी के कारण बाध्य हैं और इसलिए वे उच्चतर प्रतिधारण को रखने की कोशिश करते हैं और कवर अधिक हानि से अपने आपको सुरक्षित करते हैं। इस प्रतिधारण पर, बीमाकर्ता अनेक तरीकों से चलने वाली अपनी कंपनी के अधिशेष निरूपण को दर्शित करते हैं। ये बीमाकर्ता साधारण बीमा निगम, राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा आयोजित बाजार अधिशेष निरूपण में भाग लेते हैं। दूसरे शब्दों में, पब्लिक सेक्टर कंपनियां अपने उच्चतर शुद्ध मूल्य के कारण उच्चतर शुद्ध प्रतिधारण को एकत्र करने में समर्थ होती हैं। परिणामस्वरूप, उनके पुनर्बीमा प्रोग्राम उन प्राइवेट बीमाकर्ताओं से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसके अलावा, ये बीमाकर्ता अधिशेष निरूपण के पास अनेक तरीके तब नहीं होते हैं जब प्राइवेट बीमाकर्ताओं से तुलना की जाती है। प्राइवेट सेक्टर के बीमाकर्ता कभी भी इस संरचना का अनुसरण नहीं करते हैं जिनकी कंपनी के पास अधिशेष निरूपण है और जो बाजार अधिशेष निरूपण में भाग लेते हैं।

देश में सेक्टर के प्रारंभ से शुद्ध प्रतिधारण में कमी देखी गई है। किन्तु यह एक संभावित विकास है। जबकि इससे पूर्व संपूर्ण प्रोग्राम साधारण बीमा निगम के द्वारा रखे जाते थे और नए बीमाकर्ताओं की प्रविष्टि के साथ तथा राज्य के स्वामित्वाधीन रूप में अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करते थे, इस प्रकार के प्रत्येक बीमाकर्ता पृथक पुनर्बीमा कार्यक्रम तैयार करते थे और पृथक अस्तित्व के रुपये में पुनर्बीमा बाजार में प्रवेश करते थे। तथापि प्रतिधारण में कुछ कमी हो गई है।

प्राइवेट बीमाकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी का विश्लेषण यह दर्शित करता है कि अग्नि और इंजीनियरिंग खंडों का अनुपात औसतन केवल 17 प्रतिशत है। प्रीमियम का बहुत बड़ा भाग रखने वाली कंपनियों के साथ मोटर, स्वास्थ्य और वैयक्तिक दुर्घटना का अनुपात उनके लिए युक्तिमुक्त रूप से (70 प्रतिशत - 75 प्रतिशत की रेंज में) अच्छी है। प्राइवेट बीमाकर्ताओं को यह प्रतिधारण, जिसमें मोटर नहीं है, 32 प्रतिशत है और मोटर को सम्मिलित करते हुए 47.5 प्रतिशत तक जा सकता है।

यद्यपि पब्लिक सेक्टर बीमाकर्ताओं के अंतिम आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं। इसलिए प्रतिधारण अनुपात को मोटर को छोड़कर, लगभग 75 प्रतिशत तक उपदर्शित किया जाना है।

साधारण बीमा निगम द्वारा प्राप्त बाध्यताकारी अभ्यर्ण और साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा वर्गवार प्रतिधारण के ब्यौरे सारणी 37 में दिए गए हैं।

सारणी - 37

जीआईसी द्वारा बाह्यकारी अभ्यर्पण

वर्ग	%	अधिकतम दायित्व	पुनःबीमा दलाली		लाभ में दलाली		आरक्षितियां
			घटाकर	पूल	घटाकर	पूल	
		प्रति जोखिम	घटाकर	पूल	घटाकर	पूल	
अग्नि	20%	50 करोड़ रुपए पीएमएल	30%	शून्य	↑	शून्य	शून्य
समुद्री स्थोरा	20%	10 करोड़ रुपए एस आई	22.50%	शून्य		शून्य	शून्य
युद्ध/एसआरसीसी	20%	कोई सीमा नहीं	10%	शून्य		शून्य	शून्य
एसआरसीसी	20%	कोई सीमा नहीं	10%	शून्य		शून्य	शून्य
समुद्री पेटा	20%	16 करोड़ रुपए एस आई	17.5%	17.5%	लाभ दलाली 20%@ के कानूनी पोर्टफोलियो के कुल परिणाम पर	3 निम्नांकन पूर्ववर्ती वर्षों के लिए 3 वर्ष में दी गई	शून्य
मोटर डब्ल्यू सी	20%	कोई सीमा नहीं	25%	शून्य	लागू होंगे	शून्य	शून्य
विमानन पेटा	20%	कोई सीमा नहीं	10%	शून्य		शून्य	शून्य
विमानन दायित्व	20%	कोई सीमा नहीं	15%	शून्य		शून्य	शून्य
तेल और ऊर्जा	20%	2 करोड़ रुपए	2.5%	शून्य		शून्य	शून्य
दायित्व (लोक दायित्व और उत्पाद दायित्व)	20%	कोई सीमा नहीं	25%	शून्य		शून्य	शून्य
अन्य प्रकीर्ण	20%	कोई सीमा नहीं	25%	शून्य		शून्य	शून्य
एमबी/बीई/एलओपी	20%	15 करोड़ रुपए पीएमएल या 45 करोड़ रुपए एस आई	25%	शून्य	↓	शून्य	शून्य
कार/इयर	20%	30 करोड़ रुपए	25%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एलओपी/डीएसयू		पीएमएल या 90 करोड़ रुपए एसआई					

गैर मानक दायित्व कवर जैसे

- उत्पाद प्रत्याहन } }
- डी एंड ओ } मामला दर मामला आधार पर 20%
- ई एंड ओ } 2 से 5 करोड़ रुपए की अधिकतम बाध्यकर अभ्यर्पण सीमा
- वृत्तिक क्षतिपूर्ति } }
- तुलनात्मक साधारण दायित्व } }
- अन्य दायित्व } }

भारतीय बाजार - आतंकवाद पूल

आगामी 11 सितंबर को विश्व व्यापार केन्द्र, यू.एस.ए. पर हमला हुआ और भारतीय बीमाकर्ताओं को एक झटके से छोड़ दिया गया था जिससे कोई भी पुनर्बीमाकर्ता आतंकवाद कवर के लिए पुनर्बीमा समर्थन को विस्तारित करने का इच्छुक नहीं हुआ। भारतीय बीमाकर्ताओं के ऊपर इसका प्रभाव यह हुआ था कि वे उसके बीमा ग्राहकों के लिए आतंकवाद कवर में अवनति को कम कर सकें। प्राधिकरण ने अभूतपूर्व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस असाधारण घटना का समाधान करने के तौर तरीकों पर सहमति बनाने की दृष्टि से, उद्योग में सभी पणधारियों के साथ विचार-विमर्श किया। उस समय तब यह विनिश्चय किया गया कि सभी बीमाकृत को आतंकवाद कवर प्रदान करने के लिए साधारण बीमा निगम की देख-रेख में एक पृथक् पूल गठित किया जाए।

आतंकवाद कवर के अंतर्गत पूल द्वारा संदेय अधिकतम हानि प्रति जोखिम 200 करोड़ रुपये है। “प्रति जोखिम” पद टी.ए.सी. द्वारा यथापरिभाषित है। सदस्य बीमा कंपनियों का एक दूसरे के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार पूल के हानि प्रतिधारण में हिस्सा होता है। पूल को 200 करोड़ के आधार पर दो स्तरों में कवर अधिक हानि द्वारा संरक्षित किया जाता है जो निम्नानुसार हैं:

स्तर 1 : किसी भी एक घटना के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक 100 करोड़ रुपए,

स्तर 2 : किसी भी एक घटना के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक 200 करोड़ रुपए।

वर्ष 2002-03 के लिए, अधिक हानि संरक्षण की लागत को व्यक्तिक सदस्य कंपनियों के अंश पर आधारित मांग लेने वालों के बीच आबंटित किया गया था। तथापि, वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए, पूल की निधि का उक्त लागत की पूर्ति के लिए उपयोग किया गया।

बहुविध बीमा के संबोधित मामलों में और जहां अग्नि और इंजीनियरिंग बीमा कवर दोनों जारी किए जाते हैं वहां टैरिफ सलाहकार समिति को अग्नि और इंजीनियरिंग बीमाओं के अंतर्गत कुल हानियों पर लागू किए जाने वाले प्रति अवस्थान की 200 करोड़ रुपए की हानि को पूरा करने के लिए कहा जाता था। 200 करोड़ (टैरिफ द्वारा यथा उपबंधित) से अधिक बीमा

कवर चाहने वाला किसी भी बीमाकर्ता को पूल प्रबंधक की सूचना देते हुए पुनर्बीमाकर्ताओं से ऐसा करने का निबंधन प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है।

वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान, आतंकवाद पूल संबंधी साधारण बीमा निगम, पूल प्रबंधक ने अप्रैल, 2003 से प्रभावी पूल के लिए पुनर्बीमा संरक्षण की व्यवस्था की। नवीकरण को विद्यमान सीमाओं के लिए अंतिम लागत पर प्रभावी किया गया है। बीमाकृत राशि को ध्यान में लाए बिना, प्रति जोखिम आधार पर पूल द्वारा संदेय अधिकतम रकम 200 करोड़ रुपए है।

उसी अवस्थान (परिसर) के भीतर बहुविध जोखिम की दशा में, किसी भी एक घटना के लिए पूल द्वारा संदेय अधिकतम हानि उसी परिसर के भीतर सभी जोखिमों के लिए 200 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, साधारण बीमा निगम ने 200 करोड़ से अधिक 300 करोड़ रुपए की सीमा में आतंकवाद जोखिम के लिए प्राधिकार सुविधा की व्यवस्था की है।

पुनर्बीमा सलाहकार समिति:

प्राधिकरण द्वारा, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से गठित पुनर्बीमा सलाहकार समिति, पुनर्बीमा करने, जिसमें पुनर्बीमाकर्ता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 45 दिनों के भीतर अपने पुनर्बीमा प्रोग्राम को फाइल करना भी सम्मिलित है; बीमाकर्ता की उनकी अपने-अपने शुद्ध मूल्य से संगत अधितम प्रतिधारण को दिखाने; राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित अवसरों को प्राप्त करने यदि यह अंतरराष्ट्रीय दरों के अच्छे निबंधनों के अनुसार मिलता है या प्रस्तावित है; एक-दूसरे के साथ पुनर्बीमा करने; विदेशी मुद्रा के बहिर्गम को कम करने के बारे में पुनर्बीमा के लिए सर्वोत्तम निबंधन अभिप्राप्त करने और तुरंत प्रलेखीकरण आगामी प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने तथा विहित प्ररूप के अनुसार प्राधिकरण के पास पुनर्बीमा से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी देना भी सम्मिलित है, से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए निरंतर बैठक करती है। पुनर्बीमा सलाहकार समिति के विनिश्चय के अनुसार, प्राधिकरण अग्नि, इंजीनियरिंग और ऊर्जा कारबार की सीमाओं के अधीन रहते हुए, 20 प्रतिशत तक साधारण बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं द्वारा अनिवार्य अध्यर्पण की अपेक्षा करती है। पब्लिक और उत्पाद दायित्व की बाबत अध्यर्पण बिना किसी सीमा के कोटा अंश के आधार पर 20 प्रतिशत तक भी उपदर्शित किए गए हैं। खाते को बनाए रखने और उसके

परिनिर्धारण के लिए प्रक्रिया अधिकथित करने के अतिरिक्त, कारबार के प्रत्येक वर्ग के लिए कमीशन और लाभ कमीशन को भी विनिर्दिष्ट किया गया है। इस समय पुनर्बीमा सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:-

- (क) सी०एन०एस० शास्त्री, भूतपूर्व प्रबंध निदेशक, भारतीय साधारण बीमा निगम और बैंक निगार, मलेशिया के भूतपूर्व सलाहकार;
- (ख) ए०सी० मुखर्जी, भूतपूर्व, मुख्य प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, दिल्ली;
- (ग) पी०सी० घोष, अध्यक्ष, साधारण बीमा निगम; और
- (घ) एस०वी० मोनी सीईयो, एस०एम०पी० सनमार और भूतपूर्व अध्यक्ष, साधारण बीमा निगम।

श्री एन०के० सिंकर, भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित होते हैं।

(iv) बीमाकर्ताओं के विनिधान की मानीटरिंग

ऐसी निधि, जो इसे आकर्षित करती है, के बड़े बाजार के कारण बीमा क्षेत्र इसके विकास में एक निर्णायक भूमिका अदा करता है। इन निधियों की ऐसी रीति से विनिधान किए जाने की आवश्यकता है जो अनुकूल आस्ति दायित्व को सुनिश्चित कर सके और अपने पालिसीधारकों की अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए बीमाकर्ताओं को, जैसे ही दावा बाध्यताएं उत्पन्न होती हैं, तैयार कर सके। वास्तव में, सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि बीमाकर्ता अर्थव्यवस्था में धन सृजित करने में भूमिका अदा करता है। प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा विनिधान के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत अधिकथित हैं जिसमें अभिदर्शित संनियम/विवेकपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत सम्मिलित हैं। प्राधिकरण द्वारा अधिकथित अपेक्षाएं विशिष्टतया, अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र को ध्यान में रखकर, राष्ट्रनिर्माण के सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के साथ मिलकर बीमाकर्ताओं की सुरक्षा और प्रत्यागम के दोहरे उद्देश्यों की ओर इशारा करती हैं।

सारणी - 38

प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विनिधानों का पैटर्न - जीवन बीमा

क्रम सं०	विनिधान का प्रकार	प्रतिशतता
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	25%
ii)	सरकारी प्रतिभूतियां या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (जिसमें ऊपर (i) भी है)	50% से अन्यून
iii)	अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट अनुमोदित विनिधान	
(क)	अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र	15% से अन्यून
(ख)	अभिदर्शित संनियमों द्वारा शासित किए जाने वाले अन्य (अनुमोदित विनिधानों से भिन्न में विनिधान निधि का 15% से अधिक की दशा में नहीं)	35% से अनधिक

पेंशन और साधारण वार्षिकी कारबार की दशा में, प्रत्येक बीमाकर्ता निम्नलिखित रीति से इन खंडों के अधीन विनिधान करेगा और हर समय अपनी पृथक् निधियों का विनिधान करेगा:

सारणी - 39

प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विनिधानों का पैटर्न - पेंशन और साधारण वार्षिकी

क्रम सं०	विनिधान का प्रकार	प्रतिशतता
i)	सरकारी प्रतिभूतियां जो अन्यून हैं	20%
ii)	सरकारी प्रतिभूतियां या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां जिसमें ऊपर (i) सम्मिलित हैं, जो उससे अन्यून हैं	40%
iii)	अनुमोदित विनिधानों में विनिधान किया जाने वाला या अभिदर्शित/विवेकपूर्ण संनियम द्वारा शास्ति किया जाने वाला अतिशेष	60% से अनधिक

यूनिट जीवन बीमा कारबार की दशा में, प्रत्येक बीमाकर्ता विनिधान करेगा और पालिसीधारकों द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित विनिधान के पैटर्न के अनुसार, यूनिट जीवन बीमा कारबार की अपनी पृथक् निधि में हर समय विनिधान करेगा। यूनिट पालिसियां केवल वहां प्रस्तावित की जा

सकेंगी जहां यूनिटें ऐसी आस्तियों के प्रवर्गों के साथ जुड़ी होती हैं जो बाजार योग्य और आसानी से वसूलनीय हों। तथापि, विनियमों के अनुमोदित प्रवर्ग से भिन्न कुल विनिधान किसी भी समय निधि के 25 से अधिक नहीं होंगे (सारणी 40 देखें)

सारणी - 40

प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विनिधानों का पैटर्न - संयोजित जीवन बीमा कारबार

क्रम सं०	विनिधान का प्रकार	प्रतिशतता
i)	अनुमोदित विनिधान	75% से अन्यून
ii)	अनुमोदित विनिधानों से भिन्न	25% से अनधिक

जहां तक साधारण बीमा या पुनर्बीमा कारबार का संबंध है, प्रत्येक बीमाकर्ता नीचे दर्शित रीति से विनिधान करेगा और हर समय अपनी कुल आस्तियों का विनिधान करेगा:-

सारणी - 41

प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विनिधानों का पैटर्न - साधारण बीमा और पुनर्बीमा

क्रम सं०	विनिधान का प्रकार	प्रतिशतता
i)	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां जो इससे अन्यून हैं	20%
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और अन्य गारंटीकृत प्रतिभूतियां, जिसमें ऊपर (i) भी सम्मिलित हैं, जो इससे अन्यून हैं	30%
iii)	गृह और अग्निशामक उपकरणों के लिए राज्य सरकार को गृह और ऋण, जो इससे अन्यून हैं	5%
iv)	अनुमोदित प्रतिभूतियों में विनिधान (क) अवसरचना और सामाजिक क्षेत्र (ख) अभिदर्शित संनियमों द्वारा शास्ति अन्य/तथापि "अनुमोदित विनिधानों से भिन्न" में विनिधान किसी भी दशा में, आस्तियों के 25% से अधिक नहीं होगा	10% से अन्यून 55% से अनधिक

प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले विनिधान पैटर्नों को आज्ञापक बनाया है। सरकारी प्रतिभूतियों, अनुमोदित प्रतिभूतियों; अनुमोदित विनिधानों और अवसंरचना तथा सामाजिक क्षेत्र में विनिधानों को बीमा अधिनियम, 1938 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों में विहित किया गया है। प्राधिकरण ने यह भी विनिर्दिष्ट किया है कि जीवन बीमा का कारबार करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता निम्नलिखित रीति से विनिधान करेगा और हर समय अपनी नियंत्रित निधि पेंशन और साधारण वार्षिकी कारबार और यूनिट जीवन बीमा कारबार से संबंधित निधियों से मिलकर को विनिधान किए रखेगा।

प्राधिकरण ने, समय-समय पर, बीमाकर्ताओं के लिए स्पष्टीकारक/मार्गदर्शक सिद्धांत टिप्पण भी जारी किए हैं। इस संबंध में वर्ष के दौरान सभी बीमाकर्ताओं को सलाह दी गई थी कि वे तिमाही आधार पर विनिधान विवरणी के साथ-साथ विहित प्ररूप के अनुसार अनुपालन प्रमाणपत्र फाइल करें। बीमाकर्ताओं से, अभिरक्षक पुष्टि करने वाले धारित प्रतिभूतियों के मूल्य की, प्रमाणपत्र के साथ-साथ, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है और जो यह प्रमाणित करता हो कि वह विलंगमों, प्रभार और आणमान और धारणाधिकार से मुक्त हैं। बीमाकर्ताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे तिमाही आधार पर परिपक्वता पर आवधिक आय और/या मूल की प्राप्ति में व्यतिक्रम की विशिष्टियां और उस पर बनाए गए/बनाए जाने के लिए प्रस्तावित विशिष्टियों को प्रस्तुत करें।

प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान पारस्परिक निधि में विनिधान के लिए भी मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित किए हैं। इन विनिधानों को अस्थायी पार्किंग तंत्र के रूप में अनुमोदित प्रवर्ग से भिन्न के अधीन किए जाने की आवश्यकता होती है। प्राधिकरण ने ऐसे विनिधानों के लिए अभिदर्शित संनियम अधिकथित किए हैं और उसके पारस्परिक निधि विनिधानों के मूल्यांकन के लिए संनियमों का उपबंध किया है। तिमाही आधार पर बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए विनिधानों के कार्यों और विक्रय के बीच मेल-मिलाप स्थापित करने के एक उपाय के रूप में, बीमाकर्ताओं को यह सलाह दी गई है कि वे तिमाही आधार पर, क्रय और विक्रय पर एक सुलह विवरण फाइल करें। बीमाकर्ताओं को इन विवरणों को तैयार करने के लिए निदेश भी जारी किए गए हैं।

तथ्य यह दिया जाता है कि विनिधान बीमा कंपनियों के कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हैं और क्योंकि यह एक प्रचालन का सक्रिय क्षेत्र है इसलिए प्राधिकरण तिमाही आधार पर बीमाकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी की विशुद्धता के संबंध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक विकसित विनिधान परिप्रेक्ष्य नियमित आधार पर

विनियमों के पुनर्विलोकन की भी गुंजाइश रखता है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय होगा कि विनिधान विनियमों में पिछले तीन वर्षों में अधिकतर संशोधन किए गए हैं।

प्राधिकरण ने, छूट देने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, मामले के आधार पर प्रत्येक मामले के गुणावगुणों पर विचार करके बीमाकर्ताओं की सीमित प्रस्तावित छूट को विस्तारित किया है और बीमा अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विनिधान विनियमों के कुछ उपबंधों पर विशिष्ट सलाह दी है। यह छूट बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27क(3) और (4) के अधीन और औद्योगिक सेक्टर अनावृत्ति संनियम तथा विनिधानी कंपनी अनावृत्ति संनियमों के अधीन दी गई है। प्राधिकरण ने जीवन और साधारण बीमाकर्ताओं के लिए अनुमोदित विनिधानों की सूची को विस्तारित करने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग किया है।

जीवन और साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि वे प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित विनिधान विनियमों का व्यापक रूप से पालन कर रहे हैं। व्यष्टिक मामलों में, बीमाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगे गए। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, बीमाकर्ताओं को ऐसे विनिधान के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण सामाजिक सेक्टर विनिधानों में अनुपालन करने में कठिन पाया गया था। तथापि, इन कमियों को अवसंरचना प्रवर्ग के अंतर्गत विनिधान करके दूर किया गया।

प्राधिकरण बीमाकर्ता के निपटान पर निधियों के विवेकपूर्ण विनिधान पर एक निर्णायक दबाव डालता है जो बीमाकर्ताओं के लिए अधिकथित ब्यौरेवार विनियमों को अच्छी तरह से परिवर्तित करता है, विनिधान विनिश्चय के परिणामस्वरूप, बीमाकर्ताओं से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे निरंतर अपना पोर्टफोलियो मानीटर करें और पोर्टफोलियो में व्यष्टिक विनिधान में किसी विकृति के लिए पर्याप्त उपबंध करें। बीमाकर्ताओं के विनिधान विनिश्चय को मानीटर करने की दृष्टि से, विनियमों के अनुपालन, निधियों के विवेकपूर्ण विनिधान और नियमित आधार पर पर्याप्त करने के बारे में, प्राधिकरण ने आवधिक आधार पर विनिधान संपरीक्षा के लिए उपाय किए हैं। प्राधिकरण द्वारा बनाए गए पैनल की चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा संपरीक्षा की जाती है जिसमें निरीक्षण-दल के भाग के रूप में प्राधिकरण का एक तकनीकी अधिकारी होता है।

हाल ही में, चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 में, प्राधिकरण ने विनिधान संबंधी विद्यमान विनियमों का पुनर्विलोकन और उनमें संशोधन भी किया है। ये संशोधन ऐसे परिवर्तनों के कारण करने आवश्यक थे जो देश में विनिधान परिप्रेक्ष्य में आए। यद्यपि ब्याज


सारणी - 42

कंपनी-वार निवेश के ब्यौरे - साधारण बीमा
31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निवेश के ब्यौरे

(करोड़ रु में)


क्र० सं	बीमाकर्ता	साधारण क्षेत्र	क्षेत्र और अन्य अनुमोदित साधारण	गृह निर्माण	अवसंरचना	सामाजिक क्षेत्र	निवेश उद्भासन संनियमों के अधीन हैं (इसके अंतर्गत अनुमोदित निवेश से भिन्न भी हैं)	अनुमोदित निवेश से भिन्न संनिवेश	कुल निवेश (कंपनी-वार)
1.	जी.आई.सी	2200.91	2699.62	688.94	686.80	0.00	4388.51	964.78	8463.87
2.	न्यू इंडिया	1966.96	2539.72	421.11	446.92	0.00	3955.21	1268.90	7362.96
3.	नेशनल इंश्योरेन्स	1210.88	1573.95	212.50	270.02	0.00	1622.06	380.49	3678.52
4.	यूनाइटेड इंडिया	1616.90	2168.95	371.14	713.40	0.00	2110.60	624.55	5364.09
5.	ओरियंटल इंश्योरेन्स	981.71	1345.81	279.40	436.23	0.00	1898.34	331.39	3959.78
6.	रिलायंस जनरल	105.44	105.44	12.06	20.33	0.00	43.67	18.02	181.50
7.	रॉयल सुन्दरम	67.75	74.55	19.80	21.66	0.00	54.86	0.00	170.87
8.	इफको-टोकियो	71.86	71.86	12.46	26.73	0.00	88.71	25.75	199.75
9.	टाटा-एआईजी जनरल	113.67	113.67	15.92	30.18	0.00	70.22	40.53	229.99
10.	बजाज एलायंस	102.51	107.51	24.39	34.56	0.00	128.35	38.69	294.81
11.	आईसीआईसीआई लोमबार्ड	0.00	94.60	18.56	29.39	0.00	75.26	23.34	217.81
12.	सीएचएनएचपी एसोसिएशन	2.28	2.28	0.60	1.15	0.00	6.45	2.20	10.49
13.	चोलार्मडलम	81.82	81.82	5.06	11.40	0.00	10.60	5.49	108.88
14.	एचडीएफसी-चब	69.80	69.80	5.27	10.45	0.00	5.46	-0.34	90.98
	योग (क्षेत्र-वार)	8592.49	11049.58	2087.20	2739.21	0.00	14458.30	3723.80	30334.30
	31 मार्च, 2002 को यथाविद्यमान पब्लिक सैक्टर निजी क्षेत्र	6630.86	8649.28	1833.49	5023.82	0.00	7157.51	2834.73	22664.10
		277.06	353.28	59.48	122.11	0.00	201.46	137.37	736.33
	सकल योग	6907.92	9002.56	1892.97	5145.93	0.00	7358.97	2972.10	23400.43

31-3-2003 को क्षेत्रवार निवेश - जीवन बीमाकर्ता
(करोड़ रुपए में)



केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां
 राज्य सरकार की प्रतिभूतियां
 हाउसिंग और एफएफई
 इन्फ्रा
 सामाजिक
 अनुमोदित से भिन्न निवेश
 अनुमोदित निवेश

31-3-2003 को कुल निवेश - साधारण बीमाकर्ता
(करोड़ रुपए में)



नेशनल
 न्यू इंडिया
 ओरियंटल
 यूनाइटेड
 रॉयल सुन्दरम
 रिलायंस
 इफको-टोकियो
 टाटा-एआईजी
 बजाज एलायंस
 आईसीआईसीआई-लोम्बार्ड
 CHNHB Ass
 चोलार्मडलम
 एचडीएफसी-चब
 GIC


सारणी - 43

कंपनी-वार निवेश के ब्यौरे - जीवन बीमा
31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निवेश के ब्यौरे


(करोड़ रु. में)

क्र. सं	बीमाकर्ता	साधारण क्षेत्र	क्षेत्र और अन्य अनुमोदित साधारण	गृह निर्माण	अवसंरचना	सामाजिक क्षेत्र	निवेश उद्भासन संनियमों संनिवेश (इसके अंतर्गत अनुमोदित निवेश से धिन भी हैं)	अनुमोदित निवेश से धिन संनिवेश	कुल निवेश (कंपनी-वार)
1.	एल.आई.सी.	138770.31	167513.04	0.00	30998.16	0.00	60221.02	1119.38	258732.22
2.	एचडीएफसी स्टे-लाइफ	169.89	169.89	0.00	39.20	0.00	45.98	9.11	255.07
3.	मेक्स न्यू यार्क	38.01	104.10	0.00	27.12	0.00	20.83	5.00	152.05
4.	आईसीआईसीआई प्रू-लाइफ	286.76	286.76	0.00	63.56	0.00	318.38	41.37	668.70
5.	बिरला सन लाइफ	51.12	70.17	0.00	15.14	0.00	89.95	2.98	175.26
6.	टाटा-एआईजी लाइफ	103.60	103.60	0.00	24.93	0.00	26.51	4.39	155.04
7.	ओम कोटक लाइफ	79.79	79.79	0.00	26.49	0.00	37.57	18.25	143.85
8.	एसबीआई लाइफ	122.99	122.99	0.00	31.29	0.00	47.34	17.96	201.62
9.	एलाएज बजाज लाइफ	100.14	105.14	0.00	37.68	0.00	48.41	-0.38	191.23
10.	मेटलाइफ	57.17	57.17	0.00	15.18	0.00	18.06	7.54	90.41
11.	एएमपी संमार	65.69	65.69	0.00	18.80	0.00	10.02	0.00	94.51
12.	आईएनजी वैश्य	53.80	58.80	0.00	15.25	0.00	24.00	0.00	98.05
13.	अवीवा लाइफ	66.55	66.55	0.00	23.08	0.00	36.43	3.51	126.06
	योग (क्षेत्र-वार)	139965.81	168803.67	0.00	31335.89	0.00	60944.50	1229.12	261084.06
	मार्च 2002 को पब्लिक सेक्टर निजी क्षेत्र	128,139.04	131,400.71		20,498.72		77,046.29	16,442.00	228,945.72
		674.06	776.77		242.15		404.09	79.65	1423.01
	कुल योग	128,813.10	132,177.48		20,740.87		77,450.38	16,521.65	230,368.73

31-3-2003 को क्षेत्रवार निवेश - जीवन बीमाकर्ता
(करोड़ रुपए में)



31-3-2003 को कुल निवेश - जीवन बीमाकर्ता
(करोड़ रुपए में)



दरों के अविनियमन ने वित्तीय बाजार प्रचालन को दक्ष और लागत प्रभावी बनाने में सहायता की थी और इसे बीमा कंपनियों के लिए जोखिम की व्यापक व्यूह रचना के परिणामस्वरूप बाजार की अस्थिरता पर विचार करके कम किया गया। इन जोखिमों को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए व्युत्पन्नी जैसी पर्याप्त वित्तीय लिखतों की आवश्यकता महसूस हुई।

और, घोषित धन बाजार से गैर-बैंककारी यूनियों को बाहर करने और अकालिक समापन, समाप्ति और आई.ई.पी.ओ. प्रतिभूतियों आदि के उपयोग के संबंध में कतिपय निर्बंधनों के अधिरोपण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिश्चय के परिणामस्वरूप, आर. ई.पी.ओ. बाजार का विकास प्रभावित हो गया था। इन निर्बंधनों को ध्यान में रखते हुए, भारत समाशोधन निगम लि. ने अधिशेष निधि के विकास के लिए “सामान्तर उधार और उधारदाता बाध्यता” विकसित की है। भारत समाशोधन निगम एक मंच प्रदान करता है जिसके माध्यम से उस बाजार के भागीदार सामान्तर उधार और उधारदाता बाध्यताओं के आदान-प्रदान द्वारा उधार ले सकते हैं और उधार दे सकते हैं। जैसा कि उत्पाद को सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा सामान्तर किया जाता है इसलिए प्राधिकरण “अनुमोदित विनिधान” के भाग के रूप में इस लिखत को आरंभ करने की अधिसूचना जारी कर रहा है।

जैसा कि विनियम जो इस समय विद्यमान है, ऐसे संपूर्ण प्रवर्गों को विहित नहीं करते हैं जिनमें व्यष्टिक विनिधान को समूहित किया जा सकेगा, यहां विनिधान को वर्गीकृत करने वाली कोई समानता नहीं थी। यह विकृति, प्राधिकरण को रिपोर्ट किए गए विनिधानों की सही स्थिति है। इसलिए, अधिनियम की अपेक्षाओं के पर्याप्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए “विनिधानों के प्रवर्ग” के अधीन संपूर्ण सूची तैयार की गई है। इस संबंध में, रिपोर्टिंग प्ररूप को भी उपांतरित किया गया है और अतिरिक्त विवरणियां आरंभ की गई हैं। इन विनियमों की अधिसूचना जारी की जानी है।

सारणी 42 और सारणी 43 में 31 मार्च, 2003 के अनुसार क्रमशः जीवन और साधारण बीमाकर्ताओं के विनिधानों के कंपनी-वार ब्यौरे दिए गए हैं।

विनिधान सारणी 43 और 44

1. जीवन बीमाकर्ता
2. गैर-जीवन बीमाकर्ता

(v) स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य बीमा कारबार या स्वास्थ्य कवर अनुबंधों को प्रभावित करते हैं जो बीमारी फायदों या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, या अस्पताल व्यय फायदे के लिए उपबंध करते हैं चाहे वे अंतःरोगी

या बाह्यरोगी, क्षतिपूर्ति पर प्रतिपूर्ति, सेवा, पूर्वसंदत्त, अस्पताल या अन्य रेखांकन आधारित हों, जिसमें बीमा फायदे और दीर्घकालिक देख-रेख सम्मिलित है। सही तथ्य यह है कि प्राधिकरण स्वास्थ्य सेवाओं के उपबंध पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है जो उन आवेदकों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देने के लिए की जाने वाली अधिमानता को प्रभावित करता है जो व्यष्टिक या व्यष्टिक समूहों के लिए स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के कारबार को करने के लिए प्रस्तावित हैं।

भारत, स्वास्थ्य देख-रेख के लिए जी.डी.पी. का 5.2 प्रतिशत व्यय उपगत करता है। विभिन्न स्वास्थ्य बीमा स्कीमों के अधीन जनसंख्या का कवरेज 15 प्रतिशत तक की सीमा तक सीमित है जिसके अंतर्गत वे भी सम्मिलित हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम (3.4 लाख फायदाग्राही), केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (40 लाख फायदाग्राही) और रेलवे स्वास्थ्य स्कीम (12 लाख फायदाग्राही) के अंतर्गत कवर हैं। गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा उपबंधित स्वास्थ्य कवर के अतिरिक्त, राइडरों के माध्यम से पालिसीधारकों को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा शुरुआत की गई है। यह कहना व्यर्थ है कि स्वास्थ्य बीमा बहुत बड़ी जनसंख्या के स्वास्थ्य सुविधा के फायदे में वृद्धि करेगा जिसके द्वारा जीवन की क्वालिटी पर भी प्रभाव पड़ता है।

जबकि देश के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा इसके प्रारंभ से लंबे समय से प्रचलन में है अभी भी ऐसी अधिकतर जनसंख्या है जिसका स्वास्थ्य बीमा किया जाना है। 1986 में चार साधारण बीमा कंपनियों द्वारा मेडिकलेम पालिसी के प्रारंभ पर, इन बीमाकर्ताओं ने स्कीम के प्रचालन के पहले वर्ष में 25 करोड़ रुपए का संचित प्रीमियम एकत्रित किया था। वर्ष 2002-03 के नवीनतम संपरीक्षित कारबार आंकड़े यह दर्शित करते हैं कि स्वास्थ्य बीमा खंड 1000 करोड़ रुपए के अंक को पार कर गया है। पूर्ण रूप से, स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो में पूर्व वर्ष में बीमा किए जाने वाले प्रीमियम पर 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है; तथापि, यह कहना प्रासंगिक होगा कि यह वृद्धि, भागतः मेडिकलेम प्रीमियम के पुनरीक्षण और अतिरिक्त 6 प्रतिशत टी.पी.ए. लागत - बीमाकृत पर उद्गृहीत की जा रही प्रशासनित प्रभारों के रूप में, के कारण हुई।

चार पब्लिक कंपनियों ने समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं के मद्देनजर, स्वास्थ्य बीमापालिसियों के निम्नलिखित रूपभेद प्रस्तावित किए हैं:-

1. मेडिकलेम पालिसी - साधारण पब्लिक के लिए,
2. जन आरोग्य पालिसी - आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए।

3. कम्प्यूनिटी आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम : गरीबी से नीचे के लोगों के लिए समूह स्कीम। स्कीम को चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान जुलाई, 2003 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किया गया था।

प्राइवेट सेक्टर के बीमाकर्ताओं ने भी विभिन्न नामों से मेडिक्लेम पालिसी आरंभ की है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

1. स्वास्थ्य बीमा पालिसी (शील्ड) - मेडिक्लेम पालिसी के आधार पर, इसमें ऐसे अन्य लक्षण हैं जो अस्पताल के खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में है यद्यपि ये 24 घंटे से कम की अवधि के लिए हैं और इसमें वैयक्तिक दुर्घटना कवर का विस्तारण, कैसलैस सुविधा आदि भी है।
2. गंभीर बीमारी पालिसी - यह पब्लिक सेक्टर बीमाकर्ताओं द्वारा बाजार में उतारे गए उत्पादों के समान है। यह पालिसी फायदे को परिभाषित करती है और बीमाकर्ता दस गंभीर रूप से पहचानी गई बीमारियों के निदान पर बीमाकृत राशि का संदाय करता है।
3. अस्पताल नगद पालिसी - इस पालिसी के अंतर्गत, बीमाकर्ता उपचार पर खर्च की गई वास्तविक रकम पर विचार किए बिना, अस्पताल में प्रत्येक दिन के खर्च के लिए पूर्व अवधारित सीमा तक नियत रकम का संदाय करता है।

देश में स्वास्थ्य बीमा बाजार में विश्वास-योग्य आंकड़े के अभाव में, स्वास्थ्य बीमा उद्योग द्वारा सामना करने वाले मुद्दे गंभीर हैं। अर्थपूर्ण आंकड़ें बनाने के लिए ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की अच्छी कीमत के लिए आरंभिक स्थान हो सकेगा। दूसरी ओर, ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर कवरेज के लिए विनिर्दिष्ट रूपरेखा पर स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के अंतर्गत कतिपय न्यूनतम असंख्य लोगों को कवर करने के लिए और स्वास्थ्य बीमा खंडों के माध्यम से कुल माहीदारी प्रीमियम की कुछ प्रतिशतता को एकत्रित करने और बीमाकर्ताओं के लिए बाध्यताएं अधिकथित की जा सकेंगी। ऐसे कदम उठाने से भविष्य में स्वास्थ्य खंड में प्रवेश और कवरेज में सुधार हो सकेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में डाटाबेस स्थापित करने से गंभीर जानकारी के लिए विभिन्न पणधारियों तक पहुंच हो सकेगी जो अभी उपलब्ध

नहीं है। प्रणाली सुवाह्यता सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ रोगी के बारे में जानकारी दे सकेगा। ऐसा ही नहीं अपितु यह स्वास्थ्य उद्योग, जिसमें फार्मास्युटिकल कंपनियां, नैदानिक उपकरणों विनिर्माता, अनुसंधानकर्ता और अन्य सम्मिलित हैं, में विनिर्माण सेक्टर के लिए भी उपयोगी होगा। यह लागत फायदा विश्लेषण को सुकर बनाएगा। डाटा तक पहुंचने की सीमाबद्धता के कारण, बीमा के लिए कवर, जो कि उपलब्ध हैं, कार्यक्षेत्र में संकीर्ण हैं। जनसंख्या की बीमा कवरेज अपर्याप्त, निर्वाचित, खर्चीली और तुच्छ रूप से प्रशासित है जो बहुप्रयोग्य पालिसी में कवर किए जाते हैं, उनमें जोखिम नहीं है। विशिष्ट जोखिम/घटना के संबंध में प्रीमियम लागत को मापने के लिए कोई विश्वसनीय आधार नहीं है और पालिसीधारकों के पास अपनी विशिष्ट अपेक्षा को कवर करने का विकल्प नहीं है। बीमा कंपनियों के पास असंभावनीय भूमिका है और प्रदान की गई चिकित्सा देखरेख की क्वालिटी के संबंध में, प्रभारों के औचित्य को अवधारित करने में अस्पताल स्थापन के पास कोई अंतरापृष्ठ नहीं है। इन सेवाओं की बिलिंग के लिए कोई बैचमार्क और मानक नहीं हैं। स्वास्थ्य देखरेख परिदान परिणामस्वरूप बहुत खर्चीली है जो रोगी, अर्थात्, पालिसीधारक पर थोपी जाती है। स्वास्थ्य देखरेख परिदान प्रणाली में अप्रत्यक्ष लागत के कारण उनके औचित्य की कोई संपरीक्षा या अधिप्रमाणन किए बिना, स्वास्थ्य बीमा ऊंची कीमत का हो गया है। इसके अतिरिक्त, स्थापित मानकों के लिए कोई जांच तंत्र भी नहीं है और न ही इसके लिए कोई बैचमार्क बनाने की कोशिश की गई है। और न ही स्थापित है। यह दृश्य विधान देश में चिकित्सा, देखरेख/स्वास्थ्य बीमा कारबार की वृद्धि को रोकने में घातक है।

बहुत बड़ी ऐसी संभावनाएं, जो स्वास्थ्य देखरेख सेक्टर में विद्यमान हैं और जीवन में अपार वृद्धि के कारण जनसांख्यिकी पैटर्न में परिवर्तन से यह कहना कठिन हो गया है कि स्वास्थ्य बीमा लोकप्रिय है। बीमा कंपनियां पर्याप्त हामीदारी प्रणाली को मजबूत करके स्वास्थ्य बीमा उत्पादकों के वास्तविक क्रय में इन अवसरों को स्थानान्तरित करके रणनीति तैयार कर सकती हैं। यह खंड न केवल उभरते हुए कारबार के अवसर प्रदान करता है अपितु यह देश के व्यापक हित में है।

तीसरा पक्षकार प्रशासक:

प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में टीपीएस नामक अन्य मध्यवर्ती की शुरूआत करने के लिए तीसरा पक्षकार प्रशासक -

स्वास्थ्य सेवाएं विनियमों को सितंबर, 2001 में अधिसूचित किया था। स्वास्थ्य सेक्टर में मध्यवर्ती को आरंभ करने के पीछे बुनियादी विचार ग्राहकों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सेवा के उपबंध को और बीमाकर्ताओं को पीछे से सेवाएं देने के लिए सुकर बनाना था। प्राधिकरण द्वारा आज तक 23 तीसरे पक्षकार प्रशासन को रजिस्ट्रीकृत किया गया है जिसमें से 11 सक्रिय कारबार में हैं। तीसरे पक्षकार प्रशासन के पास अवसंरचना की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ताओं ने उनको स्वास्थ्य सेवा पोर्टफोलियो आर्बटित किए हैं।

यह आशा की जाती है कि कैशलेस सेवाओं के फायदों को बीमाकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से सराहा जा रहा है और स्वास्थ्य बीमा की संकल्पना लोकप्रिय होगी। इसके अतिरिक्त, बीमाकर्ताओं से सेवाओं प्रदाताओं की स्थानांतरित सेवा के दायित्व के साथ, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है जिसके द्वारा स्वास्थ्य बीमा के प्रसार में वृद्धि होगी। यहां सभी आवश्यक निवेशों का मुख्य अर्थ इस सेक्टर में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देना है। स्वास्थ्य डी-टैरिफ की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके उत्पाद को उनके अनुकूल बनाया जा सकता है। एक परिणाम के रूप में, चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती हुई लागत, अस्वास्थ्य की संभाव्यताओं को कवर करने के लिए चिकित्सा पालिसी करना उपयुक्त है। संकेत यह है कि स्वास्थ्य खंड में तीसरे पक्षकार प्रशासकों के प्रारंभ के साथ स्वास्थ्य पोर्टफोलियो में दावा अनुपात नियमित रूप से धीरे-धीरे कम होना शुरू हो गया है। तथापि, जैसा कि रिपोर्ट में पहले ही उपदर्शित है यह एक ऐसा नाजुक क्षेत्र, जिस पर जोर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है और जिस पर स्वास्थ्य बीमा उद्योग में डाटा बेस के सृजन और उसको बनाए रखने के लिए तत्काल आधार पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, उद्योग में उपलब्ध सांख्यिकी से जैसा सुस्पष्ट है मानकीकृत डाटा अप्राप्त है। परिणामस्वरूप, बीमाकृत, सेवा प्रदाता और सुसाध्यक, दरों और सेवाओं के मानकीकरण में अपने को असहाय महसूस करते हैं जिसके द्वारा ग्राहक भी प्रभावित होते हैं, प्राधिकरण एक डाटा बेस के सृजन के लिए विभिन्न तरीकों की सक्रिय रूप से समीक्षा कर रहा है जो कि दोनों मानिटरिंग दावों के दोहरे प्रयोजन को पूरा करेगा तथा स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की कीमत को समर्थ बनाएगा अपने पास मौजूद कार्य के महत्व को उसकी पद्धतियों को अंतिम रूप देने से पूर्व विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है।

तथापि, बीमाकृत को दी गई सेवाओं से उद्भूत अनेक शिकायतों के कारण इस विशिष्ट प्रकार के कारबार की वृद्धि में अनेक

अड़चनें पैदा हो गई हैं जिसमें पालिसी में शर्त/अपवर्जन के कारण दावों का छोड़ा जाना; दावों का निपटारा न किया जाना/दावों के निपटारे में विलंब; बिना किसी सूचना के पालिसी को रद्द किया गया; कम रकम के दावों का निपटारा; प्रतिकूल दावे किए जाने की दशा में पालिसी के नवीकरण से इंकार; अस्पतालों की सूची का जारी न किया जाना; 24 घंटे की सहायता द्वारा अपर्याप्त मार्गदर्शन; टाल-निःशुल्क संख्याओं की असंतुलनता; अनुबद्ध समय के भीतर निपटारा चैकों की अप्राप्ति; फोटो पहचानपत्रों की अप्राप्ति; पहचानपत्रों में फोटो/नाम की गलत प्रविष्टि; नवीकरण के समय लोडिंग (चाहे दावा किया गया हो/दावा नहीं किया गया हो); और तीसरे पक्षकार के प्रशासकों के प्रारंभ के कारण प्रीमियम में वृद्धि सम्मिलित है।

तीसरे पक्षकार के प्रशासकों के प्रारंभ के पीछे की संकल्पना को समझना ही नहीं है अपितु उद्योग में विभिन्न पणधारियों से सकारात्मक समर्थन की भी आवश्यकता है। प्राधिकरण तीसरे पक्षकार प्रशासकों के कृत्यों में अंतर्वलित समस्याओं के लिए चिंतित हैं और कोई भी ऐसे उपाय शुरू करने के लिए उत्तरदायी है जो उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के परिदान में सुधार ला सके।

स्वास्थ्य बीमा संबंधी कार्यकारी समूह

प्राधिकरण की विभिन्न क्षेत्रों में उसके कृत्यों में सहायता करने के लिए शुरू किए गए यू.एस.ए.आई.डी. कार्यक्रम के तत्वावधान के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा के संबंध में एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया है। स्वास्थ्य बीमा संबंधी कार्यकारी समूह के निदेश-निबंधनों, जिन पर सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं, में निम्नलिखित सम्मिलित है:-

- तीसरे पक्षकार प्रशासकों की भूमिका और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं और प्राधिकरण के विनियामक खर्च में संभावित विचार;
- स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में संविदा, डाटा, प्ररूप और प्रणाली का मानकीकरण और बीमा कंपनियों, स्वास्थ्य देखरेख वित्तप्रबंध के अन्य तंत्र और स्वास्थ्य देखरेख प्रदाताओं के साथ तीसरे पक्षकार प्रशासक का मध्यवर्तन;
- स्वास्थ्य देखरेख वित्त प्रबंध के लिए विभिन्न पद्धतियों के बारे में प्राधिकरण की भूमिका;
- यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की भूमिका कि स्वास्थ्य देखरेख प्रदाता अनुज्ञापन और प्रत्यापन तथा देखरेख की मानिटरिंग क्वालिटी की न्यूनतम अपेक्षाओं का अनुपालन

करते हैं। (उदाहरण के लिए, तीसरे पक्षकार प्रशासकों द्वारा देखरेख रिपोर्ट की क्वालिटी - स्वास्थ्य देखरेख प्रदाताओं की पहचान और उनकी विधिक और प्रत्याप्ति प्रास्थिति, दावे आदि); और

- स्वास्थ्य बीमा और विभिन्न मध्यवर्तियों (अर्थात् स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिक संगम, और ऐसे ही) के विकास के व्यापक प्रस्ताव के लिए अंतर-संस्थानिक समन्वयन।

कार्यकारी समूह की पहली बैठक सितंबर, 2003 में हुई थी जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरे प्रकार के प्रकाशक, बीमा कंपनियों, गैर-सरकारी संस्थानों, स्व-वित्तपोषित समूह और प्राधिकरण से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

vi) ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर में किए जाने वाले कारबार की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता

प्राइवेट सेक्टर के लिए उद्योग को खोलते समय, बीमा सेक्टर में सुधार संबंधी समिति ने ग्रामीण और सामाजिक सेक्टरों में हामीदारी कारबार के लिए न्यूनतम अनुबंध के अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए, नए बीमाकर्ताओं के लिए सशक्त बातों की वकालत की थी। उद्योग, जीवन और साधारण बीमाकर्ताओं दोनों, के लिए यह अपेक्षा ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर के लिए बीमाकर्ताओं की बाध्यताओं पर प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में अधिकथित है। यह स्मरणीय होगा कि विनियमों के संशोधनों को प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर, 2002 को अधिसूचित किया गया था। संशोधनों के अधीन “ग्रामीण सेक्टर” पद को पुनःपरिभाषित किया गया है और “कृषि व्यवसाय” शब्द को विस्तृत किया गया है। संशोधन में “औपचारिक सेक्टर” पर भी विचार किया गया। इसके साथ ही, ग्रामीण सेक्टर के लिए बीमाकर्ताओं की बाध्यताओं में वृद्धि की गई थी। समाज की उनकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए बीमाकर्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने यह और अनुबंध किया है कि कारबार की मात्रा के निबंधनों के अनुसार कोई भी बीमाकर्ता ग्रामीण/सामाजिक सेक्टर में उससे कम कारबार अंकित नहीं करेगा जो 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अभिलिखित किया गया था। संशोधन, वित्तीय वर्ष 2002-03 से प्रभावी हुए। विनियम, बीमाकर्ताओं से यह अपेक्षा करते हैं कि वे अपने प्रचालन के प्रारंभ के वर्ष को

आधारित कारबार की हामीदारी करें। विनियम यह और उपबंध करते हैं कि बीमाकर्ता के पहले वित्तीय वर्ष की दशा में, जो 12 मास की अवधि से कम है, वह यथास्थिति, अनुपातिक प्रतिशतता या की गई पालिसियों की हामीदारी करेगा। इसके अतिरिक्त, विद्यमान पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि दिए गए किसी वित्तीय वर्ष में उनके ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर का कारबार उससे अधिक है जिसके लिए उसने पूर्व वित्तीय वर्ष में हामीदारी की।

जीवन बीमाकर्ताओं की बाध्यताएं:

ऐसे बीमाकर्ताओं, जिन्होंने पिछले तीन वर्ष में प्रवेश किया, में से दस ने अपनी ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर की बाध्यताओं को पूरा किया। एक बीमाकर्ता, यद्यपि ग्रामीण सेक्टर की बाध्यताओं का अनुपालन करने में समर्थ था, सामाजिक सेक्टर की बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहा। दूसरा बीमाकर्ता, जिसने अक्टूबर, 2002 में अपना कार्य शुरू किया, अनुपातिक आधार पर ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर दोनों की बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहा।

पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी, अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम से उस रीति से विनियमों का अनुपालन करने की अपेक्षा की गई थी कि पालिसियों की प्रतिशतता पूर्व वर्ष में प्राप्त प्रतिशतता से कम न हो। बीमाकर्ता ने सेक्टर के लिए अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के बारे में कारबार की हामीदारी की। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सेक्टर में बीमाकर्ता द्वारा की गई पालिसियों की संख्या पूर्व वर्ष में की गई पालिसियों से अधिक थी। दूसरे शब्दों में, ग्रामीण और सामाजिक सेक्टरों की पूर्ति के लिए जीवन बीमाकर्ताओं की ओर से बाध्यता की सारवान् रूप से पूर्ति की गई।

साधारण बीमाकर्ताओं की बाध्यताएं:

आठ ऐसे बीमाकर्ताओं में से, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान बीमा उद्योग में प्रवेश किया, पांच बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर दोनों की बाध्यताओं को पूरा किया। इनमें से, तीन बीमाकर्ताओं ने, जिनका पहले वर्ष का कार्य बहुत कम अवधि के बराबर था, यद्यपि वित्तीय वर्ष 2002-03 उनके कार्य का तीसरा वर्ष था, अपनी स्थिति की विशिष्टता बताई, उक्त वर्ष को ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर की बाध्यताओं की अपेक्षाओं का अनुपालन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए दूसरे वर्ष में लिया गया था। पहली बार किसी बीमाकर्ता ने सामाजिक सेक्टर

की बाध्यताओं को पूरा किया। पहले ही प्रक्रम पर बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण सेक्टर की बाध्यताओं को पूरा किया। तथापि, ग्रामीण सेक्टर की बाध्यताओं को पूरा करने में थोड़ी कमी थी। ऐसे दो बीमाकर्ताओं के संबंध में, जिन्होंने अपना कार्य वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान प्रारंभ किया, ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर के अनुपालन की बाध्यताओं को आनुपातिक आधार पर, सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इन बीमाकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वित्तीय वर्ष 2003-04 में कमी के साथ अनुपालन सुनिश्चित करें। इफको-टोकियो जैसी कंपनियों ने अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों में डेरी स्वामियों के सहकारियों, कपास उत्पादकों, चीनी सहकारियों और बैंकों के माध्यम से बेचा। हामीदारी सामाजिक सेक्टर के कारबार में बीमाकर्ताओं के प्रयास ऐतिहासिक है।

चार पब्लिक सेक्टर की बीमाकर्ताओं से यह अपेक्षा की गई थी कि वे वर्ष के दौरान, ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर के कारबार की हामीदारी करें जो वित्तीय वर्ष 2001-02 में हामीदारी कारबार से अधिक था और इसकी उनके द्वारा पूर्ति की गई थी। इस प्रकार, पब्लिक सेक्टर गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने उनको लागू विनियमों के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा किया। गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने भी स्त्रियों के स्वयं सहायता समूह, हथकरघा बुनकर, कलाकार, जनजातियों आदि के लिए आवश्यकता आधारित पैकेज आरंभ किया है।

छोटे शहरों और ग्रामों में कारबार करने की संभावना के अक्सर विद्यमान हैं। बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर के कारबार की हामीदारी के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा सहायता प्राप्त ग्रामीण बाजार को अपने कुछ उत्पाद बेचने के साथ उनके प्रवर्तक समूह को आगे पहुंचाया है। तथापि, बीमाकर्ताओं को ग्रामीण और सामाजिक बाध्यताएं लेने के बजाय सतर्क रहने की आवश्यकता है। अर्थात् ऐसी बाध्यता जिनका अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे बीमाकर्ताओं ने, जो ग्रामीण और सामाजिक सेक्टरों के लिए अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असमर्थ हो गए थे, चालू वित्तीय वर्ष के लिए अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के अतिरिक्त जैसा विनियमों में उपबंधित है, वित्तीय वर्ष 2003-04 में हुई कमी को पूरा करना आरंभ कर दिया है।

जबकि एक ओर, सामाजिक महत्व के कारण संपूर्ण देश में बीमा को फैलाने की आवश्यकता एक जरूरत हो गई है। दूसरी ओर ग्रामीण जनसंख्या की क्रय करने की शक्ति बराबर बढ़ रही है, ग्रामीण बाजार बीमा क्षेत्र के लिए विशाल संभाव्यताओं का प्रस्ताव करता है। जो अभी तक अप्रयुक्त है। इस बाजार का

प्रयोग करने के लिए ग्रामीण जनसंख्या की मानसिकता, बीमा के विभिन्न प्रकार के महत्व के लिए उनके बोध और पालिसी क्रय करने की उनकी इच्छा को समझने की आवश्यकता है। अध्ययन यह दर्शाता करता है कि विशिष्टतया अच्छी बचत करने की आदत के प्रचलन के कारण ग्रामीण बाजार में बीमा कारबार की वृद्धि के लिए अच्छी संभाव्यताएं हैं। यद्यपि लघु आय वाले परिवार भी अपनी वार्षिक कमाई का लगभग एक तिहाई बचत कर लेते हैं। कृषिक क्षेत्र में, फसल के समय बचत सबसे अच्छी होती है। बचत के विभिन्न चैनलों में बैंक, पोस्ट आफिस और स्थानीय उधारदाता जैसे औपचारिक संस्थान और जौहरी सम्मिलित हैं। यह वास्तव में अभिकर्ता के जोर देने के अतिरिक्त है, इसी प्रकार, वाहनों के लिए वित्त देने वाले आटो डीलर, मोटर यान और ट्रैक्टर बीमा के लिए जागरूकता बढ़ाते हैं। तथापि, चिन्ता इस बात की है कि आज्ञापक अपेक्षाओं के मामलों से भिन्न, सहज जागरूकता का स्तर विशिष्टतया साधारण बीमा उत्पादों के लिए निम्न है। इसके अतिरिक्त, बीमा के लिए कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

समुदायों के एक बहुत बड़े खंड को सम्मिलित करने के लिए, जीवन बीमा के निबंधनों के अनुसार, समूह बीमा स्कीम और अन्य बहुविध पालिसियां जीवनक्षय और अच्छे विकल्प के रूप में तैयार की जा सकती हैं। ऐसे उत्पाद जो, घर का मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु, दुर्घटना, फसल बरबादी/विनाश, प्राकृतिक विवाद आदि जैसे ऐसे जोखिमों को सम्मिलित करते हैं, विशिष्टतया बीमाकृत के लिए आकर्षक हो सकेंगे, इसके अतिरिक्त, उच्च अर्जन क्षमता और अच्छे शैक्षिक स्तर के लोगों से पारम्परिक ऐसे बीमा उत्पादों को तैयार करके संपर्क किया जा सकेगा जिनसे बचत और सुरक्षा प्रदान के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी जो कि अप्रत्याशित वैयक्तिक संकट के समय संकटपूर्ण हो सकेगी। इसके अतिरिक्त, नए बीमाकर्ताओं के लिए पर्याप्त जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है जिससे कि वे अपना विश्वास बनाए रख सकें।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण जनसंख्या के स्वास्थ्य, संपत्ति और फसल को कवर करना कठिन है। ऋण सुविधा, जीवन और दुर्घटना या जीवन और स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा जैसे अतिरिक्त फायदे आदि की ओर अधिक आकर्षित बनाते हैं। किस्तों के संदाय में लचीलापन यह सुनिश्चित करेगा कि वे फसल के समय संदाय कर देंगे; एक अतिरिक्त आकर्षण है। संचार की स्थानीय पद्धतियां विशिष्टतया स्थानीय हाट, मेले, स्थानीय टी.वी. प्रयोग करके, देसी भाषा में समाचारपत्र के माध्यम से लक्ष्य को

प्राप्त किया जा सकता है। इस बाजार पर कब्जा करने के लिए बैंकों और सहकारी के साथ संयुक्त एजेंसी नेटवर्क के प्रयोग से सकारात्मक परिणाम निकलने की संभावना है। साधारण बीमा खंड के संबंध में, विशिष्टतया वह व्यक्ति जिसका बीमा किया जाना है, समृद्ध खंड है जिसके पास बीमायोज्य आस्तियां हैं। अध्ययन यह दर्शित करता है कि जीवन खंड के साथ-साथ, साधारण बीमा का जागरूकता स्तर निम्न है। बीमाकर्ताओं को बहुभाषी और बहु-संस्कृति वाली ग्रामीण जनता को ध्यान में रखकर तैयार योजना के माध्यम से जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास अधिकरणों, बैंकों, सहकारी संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, एमएफआई, एसएचजी, युवा क्लबों और पंचायतों द्वारा तैयार किए गए व्यापक नेटवर्क पर कब्जा किया जा सकता है और देश की ग्रामीण जनता की कमाई में पैठ करके बीमाकर्ताओं द्वारा उसका उपयोग प्रभावी रूप से किया जा सकता है। ग्रामीण खंडों में बढ़ती हुई क्रय शक्ति, ऐसे दोहरे अवसरों का उपयोग जो आई.टी. और संचार क्रांति के कारण खुले हुए हैं; इन सेक्टरों में बीमा के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। बीमा कंपनियों को समर्पित वितरण प्रणाली तैयार करके बीमा उत्पादों के वास्तविक विक्रय में इन अवसरों का परिणत करने की आवश्यकता है।

(vii) पेंशन

भारत सरकार ने, केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रवेश करने वाले नए कर्मचारियों, सशस्त्र सेवाओं के सिवाय, के लिए एक नई पुनःसंचित परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली आरंभ करने के प्रस्ताव को अगस्त, 2003 में अनुमोदित किया जिसमें पहले चरण में परिभाषित पेंशन प्रणाली की विद्यमान प्रणाली को बदलना है। नई प्रणाली स्वैच्छिक आधार पर सभी व्यक्तियों, जिसमें स्व-नियोजित वृत्तिक और असंगठित क्षेत्र भी सम्मिलित है, को उपलब्ध की जाती है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य विशेष भविष्य निधि के अधीन कार्यक्रम पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और इन निधियों को शासित करने वाले अन्य विशेष अधिनियम के अधीन विद्यमान प्रणाली के अनुसार निरन्तर कार्यवाही की जाएगी। पेंशन संबंधी व्यापक विधान की अधिनियमिति के लंबित होने के कारण, भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किया है। अंतरिम पेंशन निधि

विनियामक और विकास प्राधिकरण पेंशन बाजार को विनियमित और विकसित करेगा। यह प्रयोक्ता प्रभार पर आधारित अपने स्वयं के निधियन स्रोत को विकसित करेगा और ऐसे सभी कृत्य करेगा जो पेंशन बाजार के क्रमबद्ध वृद्धि को विनियमित, प्रोत्साहित और सुनिश्चित में उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। अंतरिम निकाय पेंशन बाजार के विनियमन के लिए व्यापक विधान का प्रस्ताव करेगा।

ऐसे जनसांख्यिकी परिवर्तन में जो विश्व परिदृश्य में स्थान रखते हैं और अधिक विशिष्ट रूप से, भारतीय संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों को कवर करने के लिए युक्तियुक्त पेंशन प्रणाली का मूल्यांकन करना कठिन है जबकि प्रथम उपाय के रूप में, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रवेश करने वाले नए व्यक्तियों के लिए एक पेंशन योजना की घोषणा की है। यहां समाज का एक ऐसे विशाल वर्ग है जिसे अभी कवर किए जाने की आवश्यकता है। देश अपने निवासियों को आर्थिक और सामाजिक विकास और ऐतिहासिक अनुभव के उनके स्तरों में मतभेदों को कम करने वाले विशिष्ट विविध साधनों द्वारा सामाजिक सुरक्षा के फायदे प्रदान करते हैं। पेंशन योजना में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अनेक देशों में कर प्रणाली भी है।

(viii) लेखांकन और बीमांकिक मानक

i) लेखांकन मानक

प्राधिकरण ने वर्ष 2000 में बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और संपरीक्षक रिपोर्ट को तैयार करने के लिए विनियम जारी किए थे। तथापि, बीमाकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी को देने और समय-समय पर उस पर जारी किए गए विभिन्न स्पष्टीकरणों को सम्मिलित करने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी। तदनुसार, मार्च, 2002 में विनियमों को उपांतरित और अधिसूचित किया गया था और बीमाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्राधिकरण द्वारा स्पष्टीकरण भी बताए गए थे। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए गैर-जीवन पब्लिक सेक्टर बीमाकर्ताओं को उनके द्वारा अभिव्यक्त व्यवहारिक कठिनाईयों की दृष्टि से, कुछ छूट भी अनुज्ञात की गई थी।

प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों की परिधि में आते हैं। तथापि, नकद प्रवाह विवरण तैयारी से संबंधित लेखांकन मानकों की बाबत उपांतरण किए गए हैं जिन्हें सीधी-पद्धति के अंतर्गत केवल प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और सिगमेंट रिपोर्टिंग (एस-17) जिसकी अपेक्षा बीमाकर्ताओं के

लिए और अधिक कठिन हो गई है। एएस को, सूचीकरण की अपेक्षाओं और एएस में यथा उल्लिखित आवर्त का ध्यान में रखे बिना सभी बीमाकर्ताओं पर लागू किया गया है। उक्त उपांतरण प्राधिकरण की आवश्यक विशिष्ट जानकारी को पूरा करने के लिए किए गए हैं और आई सी ए आई द्वारा अधिकथित मानकों को कम नहीं करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि आई.सी.ए.आई. ने आज तक 29 लेखांकन मानक जारी किए हैं। इनमें से कुछ लेखांकन मानकों को, भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान द्वारा सीमित रूप में वर्ष 2002-03 के दौरान पुनरीक्षित किया गया था।

विनियम यह और अपेक्षा करते हैं कि वित्तीय विवरणों के साथ बीमाकर्ताओं के प्रबंध द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित इस संबंध में, विहित प्ररूप के अनुसार एक प्रबंध रिपोर्ट होगी। निगमित शासन के भाग के रूप में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अधीन यथाअपेक्षित उत्तरदायित्व विवरण भी प्रबंध रिपोर्ट का एक प्ररूप भाग होगा। प्राधिकरण ने संपरीक्षा रिपोर्ट का प्ररूप विहित किया है और दो संपरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से संपरीक्षित किए जाने की लेखाओं की अपेक्षाएं भी अधिकथित की है। और, बीमाकर्ताओं द्वारा नियुक्त संपरीक्षक प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए पैनल में से होंगे।

इसके साथ, प्राधिकरण ने संपरीक्षकों की सूची के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत विहित किए हैं। इन मार्गदर्शन सिद्धांतों में यह उपबंध है कि प्राधिकरण की पैनल सूची में अपना नाम चाहने वाली संपरीक्षक फर्म को कम से कम 15 वर्ष बने हुए हों और कम से कम उसके पांच भागीदार हों, जिनमें दो फर्म में कम से कम पांच वर्ष कार्य कर चुके हों। एक बेहतर निगमित शासन पद्धति अंगीकार करने की दृष्टि से, प्राधिकरण ने प्रत्येक पांच वर्ष के लिए परीक्षकों का चक्रानुक्रम विहित दिया है और कोई भी दो संपरीक्षक संयुक्त रूप से चार वर्ष से अधिक के लिए संपरीक्षा नहीं कर सकते हैं।

साधारण और जीवन बीमा कारबार करने वाली कंपनियों की संपरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण तैयार करने के लिए आई.सी.ए. आई. द्वारा बनाए गए अध्ययन समूह के प्रयासों से प्राधिकरण के पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं। संस्थान अपने सदस्यों के लिए मार्गदर्शन टिप्पण प्रकाशित करता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से आई.सी.ए.आई. के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और बीमा उद्योग में सूक्ष्म स्तर पर संपरीक्षा और अन्य संबद्ध विषयों पर विचारों और योजनाओं

का आदान-प्रदान किया। लेखांकन मानक और विनिधान से संबंधित मुद्दों पर आई.सी.ए.आई. के साथ विचार-विमर्श किया।

वित्तीय विवरणों के प्रकटन की अपेक्षा संपूर्ण विश्व में युक्तियुक्त हो गई है और भारतीय उद्योग भी स्थानीय संदर्भ में इसके लिए और अधिक मांग करने की आशा कर सकता है। विनिमानक ढांचा मानकों, प्रकटन और पारदर्शिता के लिए पहले ही उपबंध करता है। संपरीक्षकों की भूमिका भी कपट को रोकने और विवेकपूर्ण प्रबंध पद्धति पर टीका-टिप्पणी करने के लिए एक अभिरक्षक के रूप में लोकप्रसिद्ध होगी। आई.सी.ए.आई. उनमें एक होने के कारण, चयनित उद्योगों, बीमा में पीयर रिव्यू आरंभ कर रहा है। पीयर रिव्यू का उद्देश्य संपरीक्षा कार्य शुद्धता की जांच करना है और यह समीक्षा करना है कि तकनीकी मुद्दों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। संस्थान ने इस का प्रयोग करने के लिए पीयर रिव्यू बोर्ड का गठन किया है।

II(क) नियुक्त बीमांकक प्रणाली

प्राधिकरण ने भारत में बीमा कारबार और साधारण बीमा कारबार दोनों के लिए नियुक्त बीमांकक प्रणाली आरंभ की है; कोई भी बीमाकर्ता नियुक्त बीमांकक के बिना भारत में जीवन बीमा कारबार का संव्यवहार नहीं कर सकता है। नियुक्त बीमांकक की एक देखने वाली भूमिका है। प्राधिकरण ने नियुक्त बीमांकक विशेषाधिकारी और बाध्यताओं को परिभाषित करते समय विनियमों में पात्रता मानदंड अधिकथित किए हैं। विनियम यह अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता के पास एक पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त बीमांकक होगा। तथापि, गैर-जीवन कंपनियों के मामले में छूट ली गई है और वह नियुक्त बीमांकक के रूप में गैर-जीवन बीमाकर्ता द्वारा एक परामर्शक बीमांकक कर सकता है।

प्रत्येक बीमाकर्ता से यह अपेक्षित है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को नियुक्त बीमांकक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित अपनी बीमांकक रिपोर्ट के साथ शोधन क्षमता विवरण प्रस्तुत करे। गैर-जीवन बीमाकर्ता की दशा में, नियुक्त बीमांकक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह देशी गैर-टैरिफ उत्पाद और आई.वी.एन.आर. आरक्षितियां (जो उपगत हों किन्तु रिपोर्ट किए हुए नहीं) के लिए दरों को प्रमाणित करें। पिछले तीन वर्षों में प्राइवेट सेक्टर के आने से बीमा उद्योग की वृद्धि बीमांककों की वृत्ति के लिए शुभ हुई है। वृत्तिक अवसर के विकास में नियुक्त बीमांकक प्रणाली में जैसा कि वे निष्क्रियता से बाहर आ गए हैं

और निगमित परिप्रेक्ष्य में अपना उचित स्थान चाहते हैं; जीवन और साधारण बीमा कारबार प्रबंध, पेंशन, बीमा विनियम और शिक्षाविदों में बीमाकिक निवेश में वृत्ति एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। बीमाकिकों की वृत्ति में प्रमुख विकास पीयर रिब्यू से संबंधित है। उद्योग में वृत्तिकों का इस दृष्टि से दिक्परिवर्तन हुआ कि पीयर रिब्यू बीमा उद्योग में दी गई बीमाकिक सेवाओं के क्वालिटी में सुधार करने से होगा। ए.एस.आई. द्वारा जारी मार्गदर्शन टिप्पण 2003-04 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए किए जाने वार्षिक मूल्यांकन से प्रभावी हैं। जबकि वृत्तिक से यह आशा की जाती है कि वे इस मुद्दे पर ध्यान दें और कार्रवाई करने के बारे में विनिश्चय करें। प्राधिकरण ने नियुक्त बीमाकिक द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत कानूनी रिपोर्ट के पुनर्विलोकन के लिए वृत्तिक पैनल बनाने का विवेकपूर्ण विचार किया है। वृत्ति से प्राप्त पुनर्निवेशन के अनुसार, मामले पर पहल की गई है। इस संबंध में एक उपाय के रूप में प्राधिकरण ने पहले ही 2002 से बीमाकिकों की एक पुनर्विलोकन समिति का गठन किया है जिसमें निम्नलिखित हैं:-

- श्री एन.के. शिंकर - बीमाकिक परामर्शक आई.आर.डी.ए.
- श्री के.पी. नरसिम्हन - ए.एस.आई. के पिछले अध्यक्ष
- श्री जी.एस. बालसुब्रामणयम् - सदस्य (बीमाकिक) आई.आर.डी.ए.

समिति बीमाकर्ताओं की कानूनी विवरणियों का पुनर्विलोकन करती है और इस संबंध में विनियमों में यथाअधिकथित गुप्त अपेक्षाओं के नियुक्त बीमाकिक के कृत्यों की समीक्षा करती है।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि संपूर्ण विश्व में पीयर रिब्यू के लिए प्रयास करने का उद्देश्य विनियामकों को बीमाकिक कार्य की क्वालिटी के बारे में सहज स्तर प्रदान करना है जैसा कि विनियामक पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए होते हैं।

बीमाकिकों की भूमिका के व्यवसायीकरण के लिए दूसरा कदम भारतीय बीमाकिक संस्थान की स्थापना करने के लिए प्रस्तावित विधान है। भारतीय बीमाकिक सोसाइटी भारत में बीमाकिक वृत्ति की उन्नति करने, वृत्ति के सदस्यों के बीच अन्योन्यक्रिया के अवसर प्रदान करने, अनुसंधान सुकर बनाने, सुसंगत विषयों पर व्याख्यान के व्यवस्था करने, कागज-पत्रों को प्रस्तुत करने और उन पर विचार-विमर्श करने, उन लोगों को, जो बीमाकिक की परीक्षाओं के लिए अध्ययन कर रहे हैं, सुविधा और मार्गदर्शन देने के लिए बनाई गई थी। बीमाकिक संस्थान विधेयक, 2002 के प्रारूप का मुख्य उद्देश्य बीमाकिकों की वृत्ति को विनियमित

करने और विकास करने के लिए भारतीय बीमाकिक सोसाइटी को कानूनी शक्तियां प्रदान करना है। प्राधिकरण ने प्रारूप विधेयक पर अपनी टीका-टिप्पणियां भारत सरकार को भेज दी हैं और इस संबंध में संसदीय स्थायी समिति को भी अवगत करा दिया गया है।

ए.एस.आई. ने अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता का भी पुनर्विलोकन किया है। वृत्ति के आचार और पद्धति ज्ञापन जिसे मई, 2003 में पुनरीक्षित किया गया था, ऐसे वृत्तिक कदाचार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपबंध करना है जिसके लिए सभी सदस्यों की पुष्टि चाहिए। बीमाकिकों से यह आशा की जाती है कि वे विश्व संदर्भ में वृत्तिक क्षमता के उच्च स्तर को बनाए रखें।

जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों में नियुक्त बीमाकिकों की सूची क्रमशः सारणी 18 आर 33 में दी गई है।

II (ख) बीमाकिक मानक

भारतीय बीमाकिक सोसाइटी ने प्राधिकरण की सहमति से कुछ विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में बीमाकिकों के लिए मार्गदर्शक टिप्पणी (बीमाकिक मानकों) को तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। भारतीय बीमाकिक सोसाइटी ने वृत्तिक मानक तैयार करके, बीमाकर्ता के शोधन-क्षमता को बनाए रखने के लिए नियुक्त बीमाकिक के उत्तरदायित्वों को कवर करके, पालिसीधारकों की युक्तियुक्त आशाओं की पूर्ति करके और यह सुनिश्चित करके कि इस पालिसी धारक उनकी आशाओं के बारे में भ्रमित नहीं हैं; “नियुक्त बीमाकिकों और जीवन बीमा” पर एक मार्गदर्शक टिप्पण जारी किया है।

ए.एस.आई. ने “वित्तीय शर्त रिपोर्ट” और पीयर रिब्यू और नियुक्त बीमाकिक” के लिए मार्गदर्शक टिप्पण भी बनाए हैं जो 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी हैं।

हाल ही में, ए.एस.आई. ने साधारण बीमा उद्योग में काम कर रहे नियुक्त बीमाकिकों के लिए मार्गदर्शक टिप्पण (जी.एन. 2) जारी किए हैं। मार्गदर्शक टिप्पण में नियुक्त बीमाकिकों की प्रकृति और उत्तरदायित्व, उनकी स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रतिफल, उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य की सीमा, नए उत्पादों के लिए प्रीमियम दरों और पालिसी शर्त और विक्रय पर विद्यमान उपबंध, पूंजी अपेक्षाएं, बीमाकिक अन्वेषण, प्रीमियम और दावे आरक्षित, ऐसे बीमाकिकों, जो कर्मचारियों के बोर्ड संबंधी निदेशक हैं या साधारण बीमा कंपनी के परामर्शक है, के लिए लिखित टिप्पण और मार्गदर्शक सिद्धांत जैसे ऐसे पहलुओं को सम्मिलित किया गया है।

नश्वरता और विकृति अन्वेषण ब्यूरो : ब्यूरो को ए.एस.आई. के तत्वावधान में गठित किया गया है। एम.एम.आई.बी. का मुख्य उद्देश्य बीमाकर्म समुदाय को उनके कृत्यों के कुशल निष्पादन करने, नश्वरता विकृति और अन्य विनिर्दिष्ट जोखिम - अन्तर्निहित संभाव्यताओं की वर्तमान विचारधारा का अध्ययन करके, और अनुभव आधारित सारणी और आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए सेवाएं प्रदान करना है। इससे जीवन बीमा उद्योग को बहुत बड़ा फायदा होगा। भविष्य में, एम.एम.आई.बी. शैक्षणिक संस्थानों के साथ और अन्योपक्रिया विकसित शैक्षिक विशेषज्ञता के माध्यम से संपर्क स्थापित करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी अध्ययन आरंभ करने के लिए समर्थ होगा। ब्यूरो को विभिन्न बीमाकर्ताओं से डाटा एकत्रित करने और बीमाकर्ताओं के अनुभव पर आधारित नश्वरता और विकृति की सारणी को संकलित करने के लिए गठित किया गया है। ए.एस.आई. परियोजना के लिए यू.एस.ए. आई.डी. से निवेश भी ले रहा है। एम.एम.आई.बी. को एक पृथक विधिक इकाई के रूप में गठित किया जा रहा है। यू.के.

इंस्टिट्यूट आफ एक्चुरिज इन्स्युवेलेमेंट बाडी कंटेन्सुअस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के सहयोजन से ए.एस.आई. ने एम.एम.आई.बी. की स्थापना पर प्रारंभिक कार्य कर लिया है, एम.एम.आई.बी. के मूल अधिकारी ऐसे निकाय के विभिन्न प्रचालन पहलुओं की समीक्षा करने के लिए भारत आए। ब्यूरो को सभी जीवन बीमाकर्ताओं और प्राधिकरण द्वारा निधि दी जाती है।

जीवन बीमा निगम में बीमाकृत व्यक्तियों की नश्वरता दरें (94-96) और वार्षिकीग्राही सारणी 17(i) और (ii) में दी गई है।

(ix) प्राधिकरण द्वारा दिए गए निदेश, आदेश और विनियम

बीमाकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्पष्ट करने की दृष्टि से, प्राधिकरण ने समय-समय पर निदेश और आदेश जारी किए हैं। वर्ष 2002-03 (अंधतन) में जारी किए गए ऐसे आदेश/निदेश नीचे दर्शित हैं :-

भारतीय विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च, 2003 तक जारी किए गए परिपत्र/ आदेश/ अधिसूचना/ पत्र-व्यवहार की सूची

क्र. सं.	परिपत्र/ आदेश/ निदेश/ अधिसूचना/ पत्र-व्यवहार सं.	जारी करने की तारीख	विषय
1.	आई.आर.डी.ए./आदेश/ परिषद्/1/4-2002	3/4/2002	सभी बीमाकर्ताओं के लिए जीवन और साधारण बीमा परिषद को नाम-निर्देशन संबंधी आदेश।
2.	आई.आर.डी.ए./आर.सी.एस./ ई.एम.डी./01/02	2/5/2002	बीमा कोटों पर जमा अग्रिम धन पर सभी साधारण बीमाकर्ताओं के लिए
3.		16/5/2002	आई.आर.डी.ए. (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और संपरीक्षक रिपोर्ट) विनियम, 2002 की अनुसूची ख के मद 13 (iv) पर सभी बीमाकर्ताओं के लिए
4.	आई.आर.डी.ए./आर.सी.एस./ एम.टी.पी./10/02	17/5/2002	प्रीमियम की लोडिंग की सीमा और विशेष तीसरे पक्षकार मोटर प्रस्ताव की स्वीकृति पर सभी साधारण बीमाकर्ताओं के लिए
5.	आई.आर.डी.ए./आर.सी.एस./ एम.टी.पी./11/02	28/5/2002	प्रीमियम की लोडिंग पर सीमा और विशेष तीसरे पक्षकार मोटर प्रस्तावों की स्वीकृति पर आदेश सं. आई.आर.डी.ए./आर.सी.एस./एम.टी.पी./10/02 तारीख 17 मई, 2002 पर स्पष्टीकरण
6.		11/6/2002	सभी बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी के लेखाओं की जांच करने के लिए संयुक्त संपरीक्षकों की नियुक्ति।
7.	आई.आर.डी.ए./आर.सी.एस./ एम.टी.पी./12/02	28/6/2002	साधारण बीमा कंपनियों के विभिन्न हामीदारी कार्यालयों को आई.आर.डी.ए. सं. आई.आर.डी.ए./आर.सी.एस./एम.टी.पी./10/02 तारीख 17 मई, 2002 पर परिपत्र

क्र. सं.	परिपत्र/ आदेश/ निदेश/ अधिसूचना/ पत्र-व्यवहार सं.	जारी करने की तारीख	विषय
8.	आई.आर.डी.ए./आर.सी.एस./ टैक्स/01/07	22/7/2002	अग्नि और इंजीनियरिंग कारबार के संबंध में अपर्यवसित जोखिम की आरक्षित के लिए उपबंध जो आतंकवाद जोखिम को सम्मिलित करने के लिए उपबंध करते हैं आयकर नियम, 1962 के नियम 65 में संशोधन, सभी साधारण बीमाकर्ताओं के लिए
9		16/8/2002	सभी बीमाकर्ताओं के लिए बीमा विधि, के व्यापक पुनर्विलोकन पर नोटिस
10.		4/9/2002	सभी साधारण बीमाकर्ताओं के लिए एजेंसी दलाली के स्थान पर एजेंसी कमीशन संरचना और छूट पर स्पष्टीकरण
11.		10/9/2002	सभी बीमाकर्ताओं के लिए, आई.आर.डी.ए. (विनिधान) विनियम, 2002 के अधीन गठित विनिधान समिति की भूमिका पर स्पष्टीकरण
12.		10/9/2002	सभी बीमाकर्ताओं के लिए आई.आर.डी.ए. (प्रीमियम के संदाय की रीति) विनियम, 2002 के प्रारूप पर टीका-टिप्पणियां
13.		14/9/2002	सभी बीमाकर्ताओं के लिए, सेवा कर रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे देने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई को जानकारी प्रस्तुत करने
14.		3/10/2002	सभी साधारण बीमाकर्ताओं के लिए, बीमा कंपनियों द्वारा मोटर टी.पी. प्रीमियम पर लोडिंग की दशा में टैरिफ का भंग किया जाना
15.		3/10/2002	सभी बीमाकर्ताओं के लिए, 23 सितंबर, 2002 को हैदराबाद में हुई बीमा सलाहकार समिति की बैठक में किए गए विनिश्चय
16.		24/10/2002	बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए विनियम और संशोधनों पर सभी बीमाकर्ताओं को नोटिस।
17.		29/10/2002	साधारण बीमाकर्ताओं के लिए प्रीमियम की लोडिंग पर सीमा और विशेष तीसरे पक्षकार मोटर प्रस्ताव की स्वीकृति पर परिपत्र
18.		31/10/2002	सभी साधारण बीमाकर्ताओं के लिए, मोटर की डी-टैरिफिंग संबंधी न्यायमूर्ति रंगराजन समिति के गठन पर अधिसूचना
19.		31/10/2002	इस बात की सूचना कि प्राधिकरण ने व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए और टीपीए के सी.ई.ओ./सी.ए.ओ. के लिए परीक्षाएं संचालित करने के लिए प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद को मान्यता दे दी है।
20.		1/11/2002	सभी साधारण बीमाकर्ताओं के लिए, मोटर टैरिफ के पुनः टैरिफ संबंधी न्यायमूर्ति रंगराजन समिति के गठन पर अधिसूचना।
21.		11/11/2002	सभी बीमाकर्ताओं के लिए, एस.जी.एफ./सी.एस.जी.एल. लेखाओं का समाधान।
22.		12/11/2002	बीमा ब्रोकरों की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को प्राशिक्षण प्रदान करने के लिए प्राशिक्षण संस्थान की सूची
23.		12/11/2002	सभी बीमाकर्ताओं के लिए निगमित अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति से संबंधित नोटिस
24.		15/11/2002	सर्वेक्षकों और हानि ब्रोकरों की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम
25.		19/11/2002	बीमा ब्रोकरों, उनके प्राशिक्षण और परीक्षा की अनुज्ञप्ति
26.		25/11/2002	साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा उनके प्रवर्गीकरण और वित्तीय सीमाओं के उपयोग के लिए सर्वेक्षक और हानि असेसर विनियम, 2003 का कार्यान्वयन।

क्र. सं.	परिपत्र/ आदेश/ निदेश/ अधिसूचना/ पत्र-व्यवहार सं.	जारी करने की तारीख	विषय
27.		1/12/2002	सभी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए फाइल और उपयोग प्रक्रिया से संबंधित परिपत्र सं. आई.आर.डी.ए./एस.टी.एल./एफ.यू.पी./वर्सन 2.0/ दिसम्बर, 2001 की अनुपूर्ति।
28.		4/12/2002	सभी बीमाकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रीकृत बीमा का नवीकरण
29.		4/12/2002	सभी बीमाकर्ताओं के लिए मानक पेंशन योजना का आरंभ
30.		5/12/2002	सभी बीमाकर्ताओं द्वारा प्राधिकरण के लिए कुल वार्षिक प्रीमियम पर उद्गृहीत 10 प्रतिशत की छूट।
31.		5/12/2002	सभी प्रशिक्षु सर्वेक्षकों के लिए संदेश और बीमा सर्वेक्षकों की परीक्षा के लिए आवेदन प्ररूप
32.		10/12/2002	सभी बीमाकर्ताओं के लिए आई.आर.डी.ए. (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 के कुछ-उप-विनियम पर बीमाकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करना।
33.		12/12/2002	साधारण बीमाकर्ताओं और टी.पी.ए. के बीच करार पर सभी साधारण बीमाकर्ताओं को नोटिस।
34.		17/12/2002	साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जम्मू-कश्मीर में जारी बीमा पालिसियां
35.		18/12/2002	प्राधिकरण में ग्राहक शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक प्रकोष्ठ के गठन पर आदेश
36.		19/12/2002	पुनः प्रवर्गीकरण के लिए अनुरोध पर महाप्रबन्धक (तकनीकी), पब्लिक सेक्टर साधारण बीमा कंपनियों द्वारा किया जा सकेगा।
37.		26/12/2002	सभी बीमाकर्ताओं द्वारा विशिष्ट प्ररूप में कानूनी और लेखा विवरणियां देना
38.		1/1/2003	साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा ब्रोकरों के लिए सम्मिलित वृत्तिक क्षतिपूर्ति की रूपरेखा
39.		3/1/2003	सभी बीमाकर्ताओं को प्राधिकरण द्वारा भेजी गई शिकायतों पर की गई कार्रवाई और सभी बीमाकर्ताओं के लिए बीमा जागरूकता अभियान
40.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./003/2003	30/1/2003	सभी बीमाकर्ताओं द्वारा रेफरल ठहराव
41.		30/1/2003	फरवरी, 2003 में होने वाली सर्वेक्षण परीक्षा के लिए परीक्षा कार्यक्रम
42.		30/1/2003	बीमा ब्रोकरों को अनुज्ञप्तियां जारी करने का नोटिस
43.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./004/2003	14/2/2003	बैंक-जीवन बीमा के साथ रेफरल ठहराव
44.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./005/2003	17/2/2003	बैंक-जीवन बीमा के साथ रेफरल ठहराव के लिए परिशिष्ट
45.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./006/2003	18/2/2003	मई, 2004 तक टी.पी.ए. के सी.ई.ओ./सी.ए.ओ. द्वारा एसोसिएटशिप परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए समय-सीमा का विस्तारण
46.	आई.एन.वी./सी.आई.आर./001/2002-03	18/2/2003	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 28(2क), 28(ख)/28ख (3) के अधीन अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में सभी बीमाकर्ताओं को परिपत्र
47.	आई.एन.वी./सी.आई.आर./007/2003	18/2/2003	विनिधान पोर्टफोलियो पर व्यौर देने के लिए सभी बीमाकर्ताओं को नोटिस
48.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./007/2003	26/2/2003	सभी बीमाकर्ताओं को पारस्परिक निधि विनिधानों के लिए मागदर्शक सिद्धांत पर परिपत्र
49.		5/3/2003	अनुज्ञप्ति के लिए नोटिस और 31 मार्च, 2004 तक चेंजओवर के अनुरोध के प्रवर्गीकृत सर्वेक्षकों द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना

क्र. सं.	परिपत्र/ आदेश/ निदेश/ अधिसूचना/ पत्र-व्यवहार सं.	जारी करने की तारीख	विषय
50.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./008/2003	10/3/2003	साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा प्राधिकरण के पास बीमाकर्ता और टी.पी.ए. करार की प्रति की फाइल किया जाना
51.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./009/2003	11/3/2003	सभी साधारण बीमा पालिसियों के लिए सेवा कर
52.		17/3/2003	सभी अनुज्ञप्त ब्रोकरों द्वारा प्राधिकरण की मासिक विवरणों का प्रस्तुत किया जाना जिसमें ब्रोकर का नाम, कारबार का प्रकार, प्राप्त दलाली और प्राधिकरण को सभी ब्रोकरों द्वारा किया गया कोई भी संदाय होगा।
53.		16/3/2003	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यू.एस. (4) के अधीन ओरियंटल बीमा कंपनी लिमिटेड को मैसर्स कूंधा मैरीन उत्पाद, पोन्नाअपडानगर, नगरकायल को जारी मैरीन हुल पालिसी के अधीन दायित्वों के निर्वहन के लिए निदेश देने वाला आदेश
54.	आई.आर.डी.ए./ए.सी.टी.एल/001/2003	20/3/2003	व्यष्टिक पेंशन उत्पादों के अधीन संगणना पर सभी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए परिपत्र
55.		22/3/2003	साधारण बीमाकर्ताओं के लिए कारबार के अग्नि और इंजीनियरिंग वर्ग के संबंध में विनियम ख में यथाविहित पारिश्रमिक के अधिमानों के उपांतरण पर आई.आर.डी.ए. अधिसूचना
56.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./010/2003	27/3/2003	सभी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा फाइल और उपयोग की प्रक्रिया
57.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./011/2003	27/3/2003	सभी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा फाइल और उपयोग की प्रक्रिया
58.		28/3/2003	नगेटिव आरक्षितियों के निरूपण के बारे में एन.एम.वी.-21 और एन.एल.वी.-2 विवरणों पर जीवन बीमाकर्ताओं के सभी नियुक्त बीमाकर्तों को पत्र व्यवहार
59.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./012/2003	30/3/2003	साधारण बीमाकर्ताओं को परिपत्र - समाधान विवरण की तैयारी - सभी बीमाकर्ताओं के लिए विनिधान का क्रय और विक्रय
60.		30/3/2003	प्ररूप 1, विनिधानों के विवरण और विनिधान पर आय पर सभी बीमाकर्ताओं को परिपत्र
61.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./013/2003	7/4/2003	सभी बीमाकर्ताओं के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लेखांकन सिद्धांत पर परिपत्र
62.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./014/2003	16/4/2003	सभी बीमाकर्ताओं के लिए जीवन बीमा परिषद के अध्यक्ष के रूप में सदस्य (बीमांकक) की नियुक्ति के लिए अधिसूचना
63.		16/4/2003	आई.आर.डी.ए. (बीमांकक रिपोर्ट और सार) विनियम, 2000 के प्रारूप एल.वी.-4 पर सभी बीमाकर्ताओं को परिपत्र
64.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./015/2003	17/4/2003	रिलायंस साधारण बीमा कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105ख के अधीन शास्ति उदगृहीत करने के लिए आदेश
65.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./016/2003	23/4/2003	साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान विभिन्न पैरामीटरों और चालू वर्ष 2003-04 के लिए योजना के संबंध में आई.आर.डी.ए. को प्रस्तुतीकरण
66.		29/4/2003	वित्तीय विवरण-जीवन को तैयार करने के लिए जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्पष्ट करने वाला परिपत्र
67.		29/4/2003	वित्तीय विवरण-साधारण को तैयार करने पर साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्पष्ट करने वाला परिपत्र
68.		8/5/2003	आई.आर.डी.ए. अधिनियम, 1999 की धारा 14 के अधीन ओरियंटल बीमा कंपनी लिमिटेड का सामूहिक बीमा पालिसी के अधीन दावे का मैसर्स आर.टी. एक्सपोर्ट मुंबई का संदाय करने का आदेश

क्र. सं.	परिपत्र/ आदेश/ निदेश/ अधिसूचना/ पत्र-व्यवहार सं.	जारी करने की तारीख	विषय
69.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./ 017/2003	9/5/2003	सभी बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी (कर्मचारियों की विशेष्यां) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1936 की धारा 217(2)(क) के अधीन यथाअपेक्षित सभी व्यक्तियों की ऐसी राशि से अधिक संदत पारिश्रमिक की विशेष्यां देने के लिए बीमाकर्ताओं से कहने वाला आदेश
70.		16/5/2003	वित्तीय विवरण-साधारण के तैयार करने पर साधारण बीमाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे को स्पष्ट करने वाली तारीख 29 अप्रैल, 2003 के परिपत्र पर शुद्धिपत्र
71.		19/5/2003	यूनिट पालिसियों के विक्रय साहित्य के प्रभागों के प्रकाशन पर सभी जीवन बीमाकर्ताओं को नोटिस
72.	ए.सी.टी.टी./ए.ए./परिपत्र	23/5/2003	नियुक्त बीमांकक को जारी किए जाने वाले नियुक्तिपत्र प्रारूप को संलग्न करने के लिए जीवन बीमाकर्ताओं को परिपत्र
73.		23/5/2003	घरेलू पैकेज पालिसी के अधीन प्रथम हानि के आधार पर अग्नि बीमा को सम्मिलित करने के लिए सभी साधारण बीमाकर्ताओं को परिपत्र
74.		24/5/2003	प्रवर्गीकृत सर्वेक्षकों और हानि असेसर्स की पुनरीक्षित वित्तीय सीमाओं को देने के लिए साधारण बीमाकर्ताओं को नोटिस
75.		25/5/2003	उत्पादों की निःशुल्क बाजार उपलब्धता को प्राप्त करने के विकल्पों पर विचार करने और साधारण बीमाकर्ताओं को विभिन्न टैरिफों के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए प्राधिकरण को सुझाव देने हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में एस.वी. मोनी को नियुक्त करने वाला आदेश
76.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./ 019/2003	30/5/2003	ब्रोकरों को संदेय पारिश्रमिक/कमीशन के मानदंडों पर आई.आर.डी.ए. की तारीख 22 मार्च, 2003 की अधिसूचना का उपांतरण
77.		2/6/2003	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यू एम (4) के अधीन न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मैसर्स जे.पी. एक्सपोर्ट, रेनिगुंटा को जारी अग्नि बीमा पालिसी के अधीन दायित्व का निर्वहन करने का निदेश देने वाला आदेश
78.		2/6/2003	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 के अधीन ओरियंटल एश्योरेंस कंपनी लि. को मैसर्स आर.टी. एक्सपोर्ट, मुंबई को जारी सामुहिक पालिसी के अधीन दायित्व का निर्वहन करने का निदेश देने वाला आदेश
79.		6/6/2003	रिलायंस साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध शास्ति को विखंडित करने वाला आदेश और तारीख 17 अप्रैल, 2003 के आदेश को वापस लिया गया समझा जाने वाला आदेश।
80.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./ 020/2003	9/6/2003	ब्रोकरों के पारिश्रमिक के मानदंडों पर तारीख 30 मई, 2003 की आई.आर.डी.ए. की अधिसूचना आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./019/2003 पर स्पष्टीकरण
81.		9/6/2003	श्री एन. रंगाचारी, अध्यक्ष, आई.आर.डी.ए. के पद छोड़ने के बारे में अधिसूचना
82.		10/6/2003	श्री सी.एस. राव, अध्यक्ष, आई.आर.डी.ए. का पदभार संभालने के बारे में अधिसूचना
83.		20/6/2003	अगस्त, 2003 मास में होने वाले सर्वेक्षकों और हानि असेसर्स की परीक्षा से संबंधित नोटिस
84.		26/6/2003	बीमांकक रिपोर्ट और सार को प्रस्तुत करने के बारे में सभी जीवन बीमाकर्ताओं को नोटिस
85.		4/7/2003	कंपनी की वेबसाइट पर प्रीमियम संगठक की सुविधा के साथ प्रीमियम दरों को डालने के लिए सभी जीवन बीमाकर्ताओं को नोटिस

क्र. सं.	परिपत्र/ आदेश/ निदेश/ अधिसूचना/ पत्र-व्यवहार सं.	जारी करने की तारीख	विषय
86.		4/7/2003	सभी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए नियुक्त बीमांकक वार्षिक रिपोर्ट के बारे में स्पष्टीकरण
87.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./021/2003	9/6/2003	बीमा ब्रोकरों को सदेय पारिश्रमिक/कमीशन के मानदंडों पर तारीख 30 मई, 2003 की आईआरडीए अधिसूचना आईआरडीए/सीआईआर/019/2003 का स्थगन
88.		17/7/2003	बीमा जागरूकता अभियान
89.		23/7/2003	बीमाकर्ताओं के ईक्विटी धारण पैटर्न के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए परिपत्र
90.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./022/2003	15/8/2003	व्यापक पैकेज पालिसी - सीपीएम उपस्कर बीमा पालिसी को जारी करने की अनुज्ञा के लिए सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के लिए परिपत्र
91.	आई.आर.डी.ए./ए.एफ.ए./01/8/2003-04	8/8/2003	वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने - पब्लिक सेक्टर साधारण बीमाकर्ताओं को दी गई छूट
92.	आई.आर.डी.ए./लाइफ/001/2003	28/3/2003	सभी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन की तारीख के साथ यूनिट जीवन बीमा पालिसी के नवीनतम एनएवी का प्रदर्शन
93.	आई.आर.डी.ए./सी.आई.आर./023/2003	1/9/2003	साधारण बीमा कारबार-निदेश निबंधन में बीमा ब्रोकरों, अभिकर्ताओं और अन्य मध्यवर्तियों के पारिश्रमिक ढांचे की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर आईआरडीए आदेश
94.	आई.आर.डी.ए./एस.टी.एफ./एफ.यू.पी./पी.ई.आर.ए./अगस्त/2003	2/9/2003	सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ विभाजन/रेटिंग की टीका-टिप्पणियों के लिए परिपत्र
95.		12/9/2003	बीमा ब्रोकरों और बीमा अभिकर्ताओं के लिए विशेष छूट की पद्धति और पारिश्रमिक से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञ समिति की टीका-टिप्पणियों के लिए परिपत्र
96.	आई.आर.डी.ए./एस.टी.एफ./5101	18/9/2003	सभी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए राइडर/राइडर फायदों पर स्पष्टीकरण
97.		28/9/2003	सभी प्रशिक्षुओं सर्वेक्षकों को नोटिस
98.	आई.आर.डी.ए./आई.एन.वी./005/2003-04	2/9/2003	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 7 के बारे में सभी बीमाकर्ताओं के लिए परिपत्र
99.		23/10/2003	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियां, दायित्व और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2003 के अधीन नियुक्त बीमांकक से आईबीएनआर स्पष्टीकरण के साथ विवरण प्रस्तुत करने के लिए सभी साधारण बीमाकर्ताओं के लिए परिपत्र
100.	आई.आर.डी.ए./एफ.ए./01/10/2003-04	29/10/2003	बीमाकर्ताओं द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने से संबंधित विनियमों के बारे में सभी बीमाकर्ताओं को परिपत्र
101.	आई.आर.डी.ए./एकल/02/10/2003-04	29/10/2003	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा निधियों के अंतरण के बारे में परिपत्र
102.		30/10/03	श्री मैथ्यू वर्गीस के पूर्णकालिक सदस्य के रूप कार्यभार संभालने पर सभी बीमाकर्ताओं को परिपत्र

(x) प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियां और कृत्य

अधिकर्ताओं को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्राधिकरण ने वेबसाइट के माध्यम से अधिकर्ताओं को लाइसेंस देने के लिए प्रक्रिया विहित की है और बीमाकर्ताओं ने अपने-अपने विनिर्दिष्ट अधिकारियों को पदाभिहित किया है जो इस सुविधा के लिए आई.आर.डी.ए. वेबसाइट पर पहुंच सकें। और प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु, प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं को लाइसेंस के नियमितकरण के लिए उस दशा में शक्तियां भी प्रत्यायोजित की हैं। जहां नवीकरण आवेदन को फाइल करने में विलंब हो गया हो और बीमाकर्ता का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास विलंब के लिए वास्तविक कारण थे, केवल उस दशा में, जहां इस संबंध में बीमाकर्ता का समाधान नहीं होता है, वहां आवेदन प्राधिकरण को भेजा जाना होता है। अधिकर्ताओं को लाइसेंस देने की प्रणाली अच्छी तरह से कार्य कर रही है क्योंकि इसे तीन वर्ष पहले आरंभ किया गया था।

आई.आर.डी.ए. (नियमित अधिकर्ताओं को लाइसेंस) विनियम, 2002 की अधिसूचना में, सभी बीमाकर्ताओं को सूचित किया गया है कि व्यक्तिगत अधिकर्ता लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायी पदाभिहित व्यक्ति अब से नियमित अधिकरण लाइसेंस जारी करने के लिए समक्ष अधिकारी भी हो सकता है।

(xi) बीमा अधिनियम, 1938 का संशोधन

बीमा (संशोधन) विधेयक, संसद् के दोनों सदन में बहुत देर के बाद पारित हुआ और 23 सितंबर, 2002 को अधिसूचित किया गया। अधिनियम में सम्मिलित किए गए मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं।

1. बीमा कारबार करने के लिए सहकारी सोसाइटियों को मान्यता

संशोधन विशेषकर बीमा कारबार करने वाली सहकारियों को गठित करने का उपबंध करते हैं। सहकारियां अन्य आवेदकों के रूप में उनको समादन पूंजी अपेक्षा, शोधन-क्षमता अपेक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा, लेखाओं को बनाए रखना, संपरीक्षा उत्पाद के अध्यक्षीन होगी।

संवितरक प्रत्यय के क्रियाकलाप में लगे होने और ग्रामीण बाजार से जुड़े होने के कारण/सहकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों को बीमा कवर में प्रेरक करने में सहायता करेंगे।

2. नियमित अधिकरणों के लिए उपांतरित प्रशिक्षण अपेक्षाएं

नियमित अधिकरण का कारबार आरंभ करना चाहने वाली कंपनी/फर्म के सभी निदेशक या प्रधान अधिकारी से प्रशिक्षण पर जाने और उपांतरित अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण करने के निदेश की अपेक्षा की जाती है जैसा कि अपेक्षित अर्हता को पूरा करने के लिए नियमित अधिकरण के पदाभिहित अधिकारी को अनुज्ञात किया गया है। निगमित अधिकरण कारबार की वृद्धि में रुकावटों को दूर करने के लिए संशोधनों को सम्मिलित किया गया था और इसमें बीमा मध्यवर्तियों के रूप में बैंकों के प्रवेश के लिए तथा बेचने और वितरित करने के लिए घटी हुई लागत पर बीमा उत्पादों के वितरण को सुकर बनाने के लिए भी एक रास्ता तैयार किया गया है। नियमित अधिकरण प्रणाली से आशा की जाती है कि वह वाणिज्यिक स्थापनों से कारबार उपाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और यह भी आशा की जाती है कि वे गैर-जीवन कारबार के विकास की अभिवृद्धि में सहायता करें।

3. बीमा बाजार में ब्रोकरों का प्रवेश

“बीमा मध्यवर्ती”, जिसमें बीमा ब्रोकर और परामर्शक भी हैं, को पारिश्रमिक के रूप में संदत्त किए जाने के लिए बीमाकृत से प्राप्त प्रीमियम के भाग की अनुज्ञा वाले बीमा अधिनियम की धारा 40 को उपांतरित किया गया है। ब्रोकरों से आशा की जाती है कि वे विश्व पद्धतियों और अनुभव पर आधारित प्रचलित पालिसियों की डिजाइन बनाकर और बाजार को समर्थ करके बाजार में प्रवेश करने के लिए सुधार करें। बीमा कारबार के संचालन में दक्षता की भी आशा की जाती है जिससे कि संव्यवहार लागत का अनुपात नीचा होने के कारण सुधार किया जा सके क्योंकि या तो अधिकरण का कमीशन या दलाली का संदाय किए गए संव्यवहार पर किया जाता है। जैसा कि जोखिम कवर को विस्तृत अनुसंधान और जोखिम पर आधारित किए जाने की आशा की जा सकती है और ब्रोकर अपने ग्राहक और बीमाकर्ता का प्रतिनिधि है इससे ग्राहकों को दी गई सेवा की क्वालिटी में सुधार होगा जिसमें दावों के शीघ्र निपटान से संबंधित सेवा भी सम्मिलित है।

4. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49 का उपांतरण

यह धारा पालिसीधारकों और शेयरधारकों के साम्यापूर्ण विवरण को सुनिश्चित करने के लिए उपांतरित की गई है। संशोधन शेयरधारकों के बीमाकिक अधिशेष, गैर-भाग लेने वाली पालिसी की दशा में 100 प्रतिशत और भाग लेने वाली पालिसियों की

दशा में ऐसे अधिशेष के 10 प्रतिशत से अधिक (संशोधन से पूर्व 7.5 प्रतिशत) की हकदारों के लिए उपबंध करता है।

5. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64फख में संशोधन

यह धारा इस मूल अपेक्षा में परिवर्तन किए बिना कि प्रीमियम इसमें सम्मिलित बीमाकर्ताओं के अनुदान से पूर्व संदत्त किया जाना चाहिए, प्रीमियम की संदाय की पद्धति विहित करने के लिए प्राधिकरण को सुकर बनाने के लिए संशोधित की गई है। संशोधन से बैंक प्रत्यय/विकलन कार्ड या इंटरनेट के माध्यम से प्रीमियम का संदाय सुकर हो गया है और प्रीमियम के संदाय की पद्धति ग्राहकों को आसानी से उपलब्ध हो गई है।

(xii) फसल बीमा

कृषि प्रकृति की एक ढाल है क्योंकि यह व्यापक रूप से, सीधे और निरन्तर प्रकृति के संपर्क में रहती है जो इसे एक जोखिम उद्यम बनाती है। तथापि, भारत में ऐसा एकीकृत जोखिम प्रबंध अभिगम का अभाव है जिसे विकसित देशों द्वारा अंगीकार किया गया है। जिसमें कृषि उद्योग को स्थिर करने के लिए बीमा का उपयोग सम्मिलित है। अधिकांश विकसित देशों में, बीमा सम्पूरक गतिविधियों को सिंचाई, जल निकासी, भूमि सुधार और एक ओर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने वाले अन्य साधनों तथा दूसरी ओर कीमत तथा अन्य आय समर्थक उपाय जैसे ऐसे पहल के माध्यम से कृषि के आधार को मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

हाल ही में, साधारण बीमा निगम (जीआईसी) देश में केवल एक ऐसी ईकाई है जिसने राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के साथ फसल बीमा को पेश किया है। आज तक सभी फसल बीमा स्कीमें समूह बीमा स्कीमों जैसी हो गई हैं जिनका उद्देश्य बैंकों से किसानों को ऋण दिलाना है। इस खंड में व्यतिक्रम की दशा में, बीमा के लिए बीमा की गारंटी के विरुद्ध उपलब्ध कराए जा रहे ऋणों की कानूनी अपेक्षा के कारण उत्पन्न हुई है।

राष्ट्रीय फसल बीमा स्कीम का उद्देश्य विशिष्टतया घोर विपत्ति के समय खेती आय को स्थिर करने में सहायता करने के लिए प्रगतिशील खेती पद्धति, उच्च मूल्य वाले निवेश और कृषि में उच्चतर प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त, प्राकृतिक विपदाओं, नाशक जीवमार और बीमारी की दशा में किसानों को बीमा में सम्मिलित करना और वित्तीय सहायता देना है। सम्मिलित की गई फसलें व्यापक रूप से ऐसे समूहों में आती हैं जिनके लिए - (i) फसल कटाई

प्रयोग पर आधारित पिछला फसल डाटा पर्याप्त रूप से अनेक वर्षों के लिए उपलब्ध है और (ii) फसल कटाई प्रयोग की अपेक्षित संख्या प्रस्तावित मौसम के दौरान फसल के प्राक्कलन के लिए उपलब्ध है और जिसके अंतर्गत खाद्य फसल (धान, बाजरा और दालें) तिलहन, गन्ना और रूई और आलू (वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी कृषि) सम्मिलित है। पिछले फसल डाटा की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, अन्य वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलों को अगले तीन वर्षों तक स्कीम के अधीन सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, ऐसी फसलें, जिन्हें आगामी वर्ष में सम्मिलित किया जाएगा, पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति से पूर्व उनकी पहचान की जाएगी।

स्कीम में ऐसे सभी किसानों को सम्मिलित किया जाता है जो अधिसूचित फसल उगाते हैं और वित्तीय संस्थानों, अर्थात् अनिवार्य आधार पर कर्जदार, किसान से मौसम कृषि प्रचालन ऋण प्राप्त कर रहे हैं। इसमें सभी किसानों को जो स्वैच्छिक आधार पर स्कीम को चुनते हैं, सम्मिलित किया जाता है जो अधिसूचित फसल (अर्थात् गैर-कर्जदार किसान) को उगाते हैं। व्यापक जोखिम बीमा गैर-निरोध जोखिम में, अर्थात् i) प्राकृतिक अग्नि और बिजली; ii) झंझारबात, ओलावृष्टि, तूफान, प्रचण्ड तूफान, उपद्रव, पलावन, बवण्डर आदि; iii) बाढ़, पलावन और भूस्खलन; iv) सूखा, शुष्क हवा; और v) नाशक जीवन/बीमारी आदि के कारण फसल हानि को सम्मिलित करने का उपबंध किया गया है।

बीमाकृत राशि को बीमाकृत फसल के द्वारा उसके मूल्य को बीमाकृत किसानों के विचार पर बढ़ाया जा सकेगा। तथापि, किसान वाणिज्यिक दरों के प्रीमियम के संदाय पर अधिसूचित क्षेत्र की औसत खेती के 150 प्रतिशत तक फसल द्वारा स्तर के मूल्य के, अपनी फसल का बीमा कर सकता है। कर्जदार किसानों की दशा में, बीमाकृत राशि को फसल वरण अग्रिम की रकम के बराबर दिए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा बराबर विभाजित किए जाने वाले छोटे और उपांतिक किसानों के संबंध में प्रीमियम में 50 प्रतिशत की सहायकी अनुज्ञात है। प्रीमियम सहायकी को वित्तीय परिणाम के पुनर्विलोकन और किसानों के प्रत्युत्तर के अधीन रहते हुए, तीन से पांच वर्ष की अवधि में सनसेट आधार पर समाप्त किया जाएगा।

धान, बाजरा, दालों और तिलहनों की दशा में, बीमाकृत प्रणाली में परिवर्तन स्कीम के कार्यान्वयन से पांच वर्ष की अवधि में किया जाता है। बीमाकृत दरें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के

विकल्प पर जिला/क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर लागू होंगी। भयंकर हानि को पूरा करने के लिए, 50:50 के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अंशदान से एक कार्पस निधि सृजित की गई है। आपदा सहायता निधि के एक भाग का उपयोग कार्पस निधि में अंशदान करने के लिए किया जाता है। फसल बीमा स्कीमों के वित्तीय परिणाम कवर किए गए जोखिम की बीमाकर्ता की संभाव्यता का ठीक से प्राक्कलन करने के लिए बीमाकर्ताओं/प्रतिपादकों की असफलता को दर्शित करता है। संदत्त दावे एकत्रित प्रीमियम से छह गुना अधिक है।

सरकार की धारणा है कि कृषि बीमा देश में एक महान भूमिका अदा कर रही है बल्कि न केवल इस सेक्टर का जी.डी.पी. में उच्च अंशदान है अपितु अधिकतर जनसंख्या कृषि और उससे सहबद्ध कार्य में लगी हुई है। इस विशिष्ट क्षेत्र को सम्मिलित करने की दृष्टि से, कृषि बीमा कंपनी का साधारण जीवन बीमा कंपनी द्वारा (35 प्रतिशत ईक्विटी) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (30 प्रतिशत ईक्विटी स्टेज) और चार पब्लिक सेक्टर और जीवन बीमाकर्ताओं, अर्थात् राष्ट्रीय बीमा कंपनी लि., ओरियंटल बीमा कंपनी लि., न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. और यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कं. लि. द्वारा 8.75 प्रतिशत ईक्विटी स्टेज की सीमा को चालू किया गया है। ए.आई.सी. का उद्देश्य कृषि और उससे सहबद्ध क्रियाकलापों में लगे व्यक्तियों को बीमा उत्पादों और अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ए.आई.सी., जिसे केवल फसल बीमा कारबार को पूरा करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, को 29 अक्टूबर, 2003 को रजिस्ट्रीकृत किया गया था। कंपनी को भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के कार्यान्वयन को प्रस्तावित करने के लिए आरंभ किया गया जिसे अब साधारण बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीम के अधीन, प्राकृतिक अग्नि और बिजली; झंझावात; ओलावृष्टि, तूफान, प्रचण्ड तूफान, उपद्रव, प्रभंजन, बवण्डर आदि; बाढ़, पलावन और भूस्खलन; सूखा, शुष्क हवा; नाशक जीव/बीमारी आदि जैसे गैर-निवारक जोखिमों के कारण उत्पन्न हुए फसल हानि को सम्मिलित करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा का उपबंध किया जाएगा।

स्कीम सभी किसानों (वरणी और गैर-वरणी) को, उनके धारण करने के आकार को ध्यान में लाए बिना, उपलब्ध होगी। स्कीम सभी फसलों, जिसमें धान, दालें और तिलहन भी हैं को सम्मिलित करने के लिए परिकल्पित है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि तीन नकदी फसल अर्थात् गन्ना, आलू और रूई, स्कीम के प्रचालन के प्रथम वर्ष में सम्मिलित की जाएंगी; और सभी अन्य वार्षिक बागबानी और वाणिज्यिक फसलों को, पिछले

फसल आंकड़ों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, अगले तीन वर्षों के भीतर बीमा कवर के अधीन रखा जाएगा।

फसल बीमा के लिए कवर प्रदान करने के निदेश में दूसरे उपाय के रूप में, हाल ही में एक नए बीमाकर्ता आई.सी.आई.सी.आई. लोमबर्ड ने विश्व बैंक और आई.ए.सी. के समर्थन से “वृष्टि बीमा” को परिकल्पित और प्रतिमानित किया है तथा पुनर्बीमा की इच्छा की है। किसानों ने बीमा पालिसी के मूल रूप को सराहा है जैसा कि यह उनके अनुभव के बारे में व्यक्त करती है कि संपूर्ण मौसिमी में वर्षा का वितरण फसल के लिए बहुत अधिक है।

(xiii) ऋण बीमा

उदारीकरण का अर्थ है, सभी उद्यमी के क्रयाकलापों में कड़ी प्रतियोगिता जिसमें केवल सर्वोत्तम ही टिक सकेगा। इन परिस्थितियों में, देशों के बीच अधिक व्यापार होगा। निर्यात आदेश प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और कीमत के आपात ‘ऋण’ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऋण, निर्यात व्यापार में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण औजार बनने के साथ ही निर्यात संव्यवहार में संदाय जोखिम को भी बढ़ाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में आमूल राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण आज यह जोखिम बहुत अधिक बढ़ गया है।

ऐसी परिस्थितियों में, निर्यात ऋण बीमा (ई.सी.आई.) की आवश्यकता महसूस की जाती है और सरकारी उद्यम भारतीय निर्यात ऋण प्रत्याभूति निगम (ई.सी.जी.सी.) इस दिशा में निर्यातकर्ताओं के लिए आशा की एक किरण है। ई.सी.जी.सी. निर्यातकर्ताओं को मालों और सेवाओं के निर्यात में हानि के प्रति अनेक प्रकार के ऋण जोखिम बीमा कवर का, निर्यातकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं दिए जाने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को प्रत्याभूति का प्रस्ताव करता है और साम्या/ऋण के रूप में संयुक्त उद्यमों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों को विदेश निवेश बीमा उपलब्ध कराता है।

ई.सी.जी.सी. को विभिन्न प्रकार के बीमा कवर निर्यात संव्यवहारों में जोखिम को समाप्त करते हैं, जिससे निर्यातकर्ता अपने कारबार के विकास, नई वस्तुओं के साथ उद्यम और नए बाजारों की खोज पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ई.सी.जी.सी., निर्यातकर्ताओं को पूर्व और पश्च-पोतदान दोनों ही प्रक्रमों पर बैंकों से कार्यकरण पूंजी की अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए और उन्हें समय पर पर्याप्त वित्त प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की बैंक प्रत्याभूतियां देता है।

ऋण जोखिम लिए बिना कोई विरला कंपनी ही प्रतियोगिता में बनी रह सकती है अतः, जोखिम प्रबंध को आधुनिक वित्तीय नियंत्रण में एक अपरिहार्यकारक के रूप में मान्यता दी गई है। दिवालियापन या व्यक्तिगत से वित्तीय हानि, विदेशी कारबार के मामले में राजनीतिक जोखिम, नकद संदाय में विलंब, जैसे जोखिम किसी कंपनी के नकद प्रवाह को वांछित कर सकते हैं। यद्यपि ऋण बीमा, ऋण प्रबंध का स्थान नहीं ले सकता, किन्तु यह सक्रिय रूप से सर्वोत्तम ऋण प्रबंधन व्यवहारों को बढ़ावा देता है।

भारत सरकार ने ऋण पर निर्यात करने के जोखिम को बीमा कवर देकर निर्यात संवर्धन अभियान को सशक्त करने के लिए वर्ष 1957 में भारतीय निर्यात ऋण प्रत्याभूति निगम लिमिटेड की स्थापना की थी। ई०सी०जी०सी०, जो वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है, राष्ट्रीय निर्यात को बीमा कवर उपलब्ध कराने के निबंधनों में विश्व का पांचवां सबसे बड़ा ऋण बीमाकर्ता है। प्राधिकरण द्वारा बीमाकर्ता को रजिस्ट्रीकृत मंजूर किए जाने के पश्चात्, वर्ष 2002-03 इसके प्रचालन का प्रथम वर्ष था।

(xiv) प्रकीर्ण

प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं की आशाओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली पहलों के भाग रूप में उपभोक्ता सलाहकार समिति का गठन किया। इसके अतिरिक्त उद्योग के ढांचे के भीतर स्वः विनियमन को पुष्ट करने के लिए भी उपाय किए गए हैं। प्राधिकरण, देश में बीमा बाजार के त्वरित विकास का संवर्धन करने के लिए विभिन्न संगठनों से जुड़ा है। इस दिशा में किए गए प्रयास संक्षिप्त रूप से नीचे दिए गए हैं।

(क) उपभोक्ता सलाहकार समिति

उपभोक्ता सलाहकार समिति का प्रयोजन, प्राधिकरण और पालिसीधारकों के बीच बीमाकर्ताओं, अभिकर्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों द्वारा बीमा सेवा और बाजार आचार के मूल मुद्दों पर सोचने का आदान-प्रदान करने और विचार-विमर्श करने के लिए औपचारिक मंच उपलब्ध कराना है। समिति त्रैमासिक बैठकें करती है और इसमें उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि हैं। समिति की बैठकों में बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ-साथ प्राधिकरण के अधिकारी भी भाग लेते हैं।

(ख) बीमा संगम और बीमा परिषदें

प्राधिकरण ने फरवरी, 2001 में बीमा अधिनियम, 1957 की धारा 64क के अधीन भारतीय बीमा संगम की स्थापना को अधिसूचित किया था। भारत में कारबार कर रहे सभी बीमाकर्ता इसके सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 64ग के अधीन स्वतंत्र जीवन बीमा परिषद् और साधारण बीमा परिषद् को भी अधिसूचित किया गया था। इस समय, भारतीय बीमा संगम, जीवन बीमा परिषद् और साधारण बीमा परिषद् के मुख्यालय, मुंबई में स्थित हैं। अधिसूचना के पश्चात् इन निकायों में प्राधिकरण के प्रतिनिधियों को नामनिर्देशित किया गया था। प्राधिकरण ने श्री एच०ओ० सोनिग, सदस्य और श्री प्रबोध चंद्र, कार्यकारी निदेशक को जीवन बीमा परिषद् के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित किया था। श्री सोनिग, कार्यकारी समिति के अध्यक्ष भी थे। प्राधिकरण ने श्री अमित मित्रा को, जो फिक्की के महासचिव हैं, भी इस कार्यकारी समिति का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया था। श्री सोनिग की अधिवर्षिता पर श्री पी०ए० बालासुब्रामणियम ने उनका पदभार ग्रहण किया था।

प्राधिकरण ने श्री आर०सी० शर्मा, सदस्य और श्री पी०ए० बालासुब्रामणियम, सदस्य को साधारण बीमा परिषद् की कार्यकारी समिति के रूप में नामनिर्दिष्ट किया। श्री आर०सी० शर्मा, साधारण बीमा परिषद् की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष भी थे। श्री तरुण दास, महासचिव, कॉन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री को भी कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया था।

वर्ष के दौरान, जीवन बीमा परिषद् ने, बीमाकर्ताओं की विवरणियों पर गिरती ब्याज दरों का प्रभाव, निगम अभिकर्ता तंत्र, दलाली तंत्र और इंटरनेट के माध्यम से सीधे विक्रय जैसे विभिन्न वितरण भागों और बैंकाशयोरेंस का उद्योग पर प्रभाव जैसे विषयों पर विचार किया और विशेषकर आरंभ किए जा रहे नए वितरण भागों के संदर्भ में सीमित अभिकरण पद्धति की भूमिका, पालिसीधारकों के लिए सुरक्षा निधि के सृजन की संभावनाओं को खोजने, अभिजात पुनर्विलोकन समिति का कार्यक्रम और बीमाकर्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों के बाजार आचार से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया था।

साधारण बीमा परिषद, बाजार आचार और अच्छे व्यवहार, पालिसीधारकों को दक्ष सेवाएं देना, नैतिक बाजार व्यवहार अपनाने, मध्यवर्तियों के आचार, बीमा संबंधी सांख्यिकियों का प्रसार और ऐसी घटनाओं को प्राधिकरण की सूचना में लाने से, जिनमें कोई बीमाकर्ता पालिसीधारकों के हित के प्रतिकूल कार्य करता है, जुड़े विषयों पर कार्यवाही करती है और प्राधिकरण को बीमाकर्ताओं द्वारा उपगत प्रबंध व्ययों से संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। इसके अलावा, परिषद ने सहबीमा करारों, सर्वेक्षकों, अन्वेषकों, अधिवक्ताओं आदि को सदेह पारिश्रमिक के लिए मानक अधिकथित करने, बीमा अधिनियम, 1938 का पुनर्विलोकन करने, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की बाध्यताओं के अनुपालन, अधिक पुराने पोटों (समुद्री), प्रथम हानि की अवधारणा को आरंभ करने, मोटर बीमा कारबार का टैरिफ समाप्त करने, टैरिफ के उल्लंघन, दलाली और दलाली संरचना में विसंगतियों, मुआवजा निधि और आतंकवाद प्रीमियम से संबंधित विषयों पर विचार किया है।

(ग) घरेलू संस्थाओं से भागीदारी

प्राधिकरण, भारत में बीमा बाजार के विकास के लिए विभिन्न घरेलू संस्थाओं से सक्रिय सहयोग कर रहा है। भारतीय बीमांकिक सोसायटी के कार्य की प्रकृति के कारण दोनों निकायों के बीच निरंतर अन्योन्यक्रिया की प्रक्रिया चलती रही है। सोसायटी उद्योग के जीवन और गैर-जीवन, दोनों खंडों के विभिन्न बीमांकिक पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध कराती है। सोसायटी न केवल बीमांकिकों की वृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, अपितु उद्योग के लिए डाटाबेस स्थापित करने के लिए भी

उपाय कर रही है। इस संबंध में सोसायटी, समय-समय पर कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करती है और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय अनुभवों पर आधारित सूचना उपलब्ध कराती है। अंतरराष्ट्रीय उद्भासन, उद्योग को सर्वोत्तम बाजार व्यवहारों के आधार पर व्यवहार बनाने में समर्थ बनाएगा। भारतीय बीमा कंपनियों के विनियमन और मानीटरिंग के लिए उपयोगी आदर्श अपनाने के अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीख ली जानी चाहिए। ए०एस०आई० विश्व में बीमांकिक व्यवहारों पर यूसेड दल के साथ निकट सहयोग से कार्य कर रही है।

सोसायटी का एक अन्य प्रयास है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की भागीदारी में हैदराबाद में बीमा और जोखिम प्रबंधन संस्थान (आई०आई०आर०एम०) का गठन। आई०आई०आर०एम० को भारत में बीमा क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए इसके विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन और प्रशिक्षण चलाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। आई०आई०आर०एम० के क्रियाकलापों के ब्यौरे रिपोर्ट के भाग 3 में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण, वाणिज्य के विभिन्न संघों और उद्योग संगमों के साथ, उन्हें बीमा बाजार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देने के लिए निरंतर अन्योन्यक्रिया करता है। यह संपर्क मार्ग प्राधिकरण को सोसायटी और साथ ही बीमा क्षेत्र के विभिन्न खंडों के सामने आ रही समस्याओं की प्रतिक्रिया प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। इस अन्योन्यक्रिया को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण के प्रतिनिधि नियमित रूप से विभिन्न सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग लेते हैं।

भाग 2

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के कार्यकरण और संक्रियाओं का पुनर्विलोकन

(i) बीमा और पुनःबीमा कंपनियों का विनियमन प्राधिकरण ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 1999 की धारा 14 में विनिर्दिष्ट अपने कृत्यों के निर्वहन में उपाबंध 1 में दिए गए विनियमों को विनिर्दिष्ट किया है। विनियामक ढांचे के अंतर्गत मुख्यतः न्यूनतम समादत्त पूंजी, उचित और संगत प्रबंधन, फाइल और उपयोग अपेक्षाओं सहित आरंभिक स्तर की अपेक्षाओं और प्राधिकरण को नियमित रूप से विवरणियां फाइल करने जैसे पहलू हैं, जिन्होंने इसे, इसके बीमा और पुनःबीमा कारबार का विनियमन, संवर्धन और इसमें व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के कानूनी कृत्यों को निर्वहन करने में सहायता की है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने अपनी संक्रियाओं को दक्षता से करने के लिए विभिन्न निर्देश, दिशा-निर्देश और परिपत्र भी जारी किए हैं।

बीमाकर्ता और पुनःबीमाकर्ता उचित रूप से इन विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों का अनुपालन कर रहे हैं और रिपोर्ट की अवधि के दौरान अनुपालन की कोई विनिर्दिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अप्रैल, 2002 से मार्च 2003 की अवधि के दौरान निम्नलिखित नए विनियम अधिसूचित किए गए थे:-

1. बी०वि०वि०प्रा० (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002
2. बी०वि०वि०प्रा० (बीमा दलाल) विनियम, 2002
3. बी०वि०वि०प्रा० (निगम अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) विनियम, 2002
4. बी०वि०वि०प्रा० (प्रीमियम प्राप्त करने की रीति) विनियम, 2002
5. बी०वि०वि०प्रा० (अधिशेष का वितरण) विनियम, 2002

साधारण और बीमा उद्योग में विभिन्न पणधारियों की आशाओं, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निवेश विनियमों, बीमा अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन विनियम, भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण विनियम और पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण विनियमों का संशोधन किया गया था। इसके

अतिरिक्त, बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और संपरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने और ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के प्रति बीमाकर्ताओं की बाध्यताओं से संबंधित विनियमों को प्रतिस्थापित किया गया था।

छूट प्राप्त बीमाकर्ताओं की स्थिति

बीमा अधिनियम, 193८ की धारा 11८, भारतीय व्यापार संघ अधिनियम, 192६ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यापार संघ को या ऐसी किसी भविष्य निधि को, जिसका भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध लागू होते हैं अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है या यदि केन्द्रीय सरकार किसी मामले में ऐसा आदेश करती है तो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या कंपनी अधिनियम, 195६ की धारा ६1७ में यथाउपबंधित किसी सरकारी कंपनी द्वारा किए जा रहे किसी बीमा कारबार को, उस विस्तार तक या ऐसी शर्तों अथवा उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारत में साधारण बीमा कारबार के राष्ट्रीयकरण के समय साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 19७2 की धारा 3६ ने, किसी राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे किसी साधारण बीमा कारबार के संबंध में, उस सीमा तक, जिस तक ऐसा बीमा कारबार उसके स्वामित्व की या राज्य सरकार के पूर्ण या मुख्यतः स्वामित्व वाले उद्यमों की संपत्तियों से या किसी अर्द्धसरकारी निकाय या राज्य सरकार द्वारा किसी कानून के अधीन स्थापित किसी बोर्ड या निगम निकाय या ऐसे किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक उद्यम की संपत्तियों से संबंधित हैं, जिसमें राज्य सरकार के शेयरधारक ऋणदाता या प्रत्याभूतिदाता के रूप में सारवान् वित्तीय हित हैं, इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान की थी। इस समय देश में 2८ छूट प्राप्त बीमाकर्ता बीमा कारबार निम्नांकित कर रहे हैं, विशेषकर राज्य सरकार की संपत्तियों के क्षेत्र में छूट प्राप्त बीमाकर्ताओं की सूची उपाबंध 2 में है।

प्राधिकरण, उदारीकृत परिस्थितियों में विनियामक ढांचे में परिवर्तनों को देखते हुए, इन छूट प्राप्त बीमाकर्ताओं की स्थिति और कार्यकरण पर विचार कर रहा है। यह सुचिनिश्चित करने के

लिए कि इन बीमाकर्ताओं की निधियों को उन्हें उनके दायित्वों का पर्याप्त रूप में निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए पृथक् रूप से रखा जाता है, शोधन क्षमता अंतर, निवेशों आदि से संबंधित विनियमों को उन्हें लागू किया गया है।

प्राधिकरण, राज्य सरकारों से, उनके द्वारा रखी गई निधि के संबंध में और उनके राज्यों में कार्य कर रहे छूट प्राप्त बीमाकर्ताओं की स्थिति के संबंध में जानकारी एकत्रित कर रहा है। अधिकांश, छूट प्राप्त बीमाकर्ता सरकारी नियोजकों और सरकार के स्वामित्व वाली संपत्तियों और उनकी आस्तियों से संबंधित व्यापार कर रहे हैं। साथ ही इन बीमाकर्ताओं से, उनके उत्पादों को प्राधिकरण द्वारा अधिकथित 'फाइल और उपयोग' पद्धति के अधीन प्राधिकरण को फाइल करने की अपेक्षा की गई है।

यद्यपि, ये निधियां, उनकी अपनी-अपनी राज्य सरकारों द्वारा प्रत्याभूत होती हैं, फिर भी प्राधिकरण की यह स्पष्ट राय है कि इन बीमाकर्ताओं को अपना छूट प्राप्त बीमाकर्ता का रूप त्याग कर मुख्य धारा में आना चाहिए और बीमा उद्योग का भाग बनकर अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए विनियमों से पूर्णतः शासित होना चाहिए।

(ii) बीमा कारबार से जुड़े मध्यवर्ती

दलाल, तीसरा पक्षकार प्रशासन (टीपीए) और सर्वेक्षक, बीमा कारबार से जुड़े मध्यवर्ती हैं। निगम अभिकर्ताओं सहित बीमा अभिकर्ता, विनियमों द्वारा शासित होते हैं और वे मध्यवर्तियों की प्रकृति के हैं, किन्तु बी०वि०वि०प्रा० अधिनियम में इस रूप में परिभाषित नहीं हैं। यह उल्लेखनीय है कि अभिकर्ता अपने मालिक, अर्थात् बीमाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने कृत्यों की प्रकृति के आधार पर मध्यवर्ती होते हैं और अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं।

बीमा बीमाकर्ता

बीमा बीमाकर्ता पिछले तीन वर्षों को उन उदार परिस्थितियों ने, जिनमें जीवन और गैर-जीवन बीमाकर्ता कार्य कर रहे हैं, मध्यवर्ती प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया है। यद्यपि अभिकर्ताओं को बीमाकर्ताओं और बीमाकर्तों के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है, प्राधिकरण की स्थापना के साथ उन्हें अधिकाधिक

वृत्तिक विशेषज्ञता दिए जाने पर बल दिया जा रहा है। प्राधिकरण ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए, अभिकर्ताओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक और प्रशिक्षण अपेक्षाएं विहित की हैं।

अनुज्ञापन की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई को ऑफ-लाइन परीक्षाएं संचालित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अभिकर्ताओं की ऑन लाइन परीक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ऋतु नंदा बीमा सेवाएं, राष्ट्रीय विक्रय संस्थान, स्कूल नेट, आई०टी० एमोशिपेट्स, श्रीराम साइबर टेक और महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान को भी ऑन लाइन परीक्षाओं के संचालन के लिए प्राधिकृत किया गया है। ऐसे संस्थानों की संख्या में इसलिए वृद्धि हुई है क्योंकि देश भर में बीमाकर्ताओं ने अधिक अभिकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों की मांग की है। यह इस बात का संकेत है कि अभिकर्ता की वृत्ति को नियोजन का एक लाभप्रद मार्ग माना जा रहा है और इसके तरफ आकृष्ट होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

निगम अभिकर्ता

रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्राधिकरण ने निगम अभिकरण विनियम अधिसूचित किए, जो निगम अस्तित्वों को बीमा उत्पादों के वितरण की अनुज्ञा देते हैं। विनियमों की अधिसूचना ने देश में बैंकाइश्योरेंस के लिए मार्ग खोला। बैंकाइश्योरेंस, जिसमें बैंक बीमाकर्ताओं के लिए बीमा उत्पादों के वितरण हेतु निगम अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं, कई देशों में एक मजबूत वितरण मार्ग के रूप में सामने आया है। भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक और विशेषकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अल्प ऋण संस्थाएं, अपनी व्यापक पहुंच के साथ देश में वृहत्तर बीमा पहुंच के आधारभूत उद्देश्य को पूरा करने में सहायता कर सकते हैं। विनियम विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं का भी उपबंध करते हैं और व्यावहारिक प्रशिक्षण अपेक्षाएं और आचार संहिता भी विहित करते हैं। वृत्तिक रूप से अर्हक कार्मिक के मामले में प्रशिक्षण अपेक्षा में छूट दी गई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों, प्राइवेट बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारिताओं, पंचायतों, स्थानीय प्राधिकरणों, एन०बी०एफ०सी० और एन०जी०ओ० ने पहले ही निगम अभिकर्ताओं के रूप में उद्योग में प्रवेश कर लिया है।

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक

बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1964 के क्रियान्वयन के साथ सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए अनुज्ञापन प्रणाली आरंभ की गई थी। तब से अनुज्ञप्त सर्वेक्षक, गैर-जीवन बीमा कंपनियों की हानि निर्धारण में सहायता कर रहे हैं। प्राधिकरण ने सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों द्वारा दी जा रही सेवाओं में व्यावसायिकता और कुशलता लाने के लिए उन्हें, उनकी वृत्तिक अर्हताओं, सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में उनके अनुभव और साथ ही सुसंगत अनुभव के आधार पर वर्गीकृत करने का विनिश्चय किया। वर्गीकरण के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें बीमा कंपनियों, सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया था। समिति ने पैरामीटर और अंक पद्धति को अंतिम रूप दिया, जिसके आधार पर प्राधिकरण ने 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष से पूर्व वर्गीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली थी और सभी आवेदक सर्वेक्षकों को वर्गीकरण पत्र जारी कर दिए गए थे। वर्गीकृत सर्वेक्षकों को, समिति द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार ऐसे किन्हीं तीन विभागों के लिए विकल्प प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिन्हें वे सर्वेक्षण कार्य करने के लिए आर्बिट्रिट कराना चाहते हों। तीन विभागों के अतिरिक्त सर्वेक्षकों को, जहां उनके पास अपेक्षित अर्हता थी, लाभ की हानि के लिए वर्गीकृत और अनुज्ञात किया गया था।

इस प्रक्रिया के पश्चात्, वर्गीकरण के लिए विभिन्न पैरामीटरों को बनाते हुए एक ब्योरेवार सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट पर, सभी संबद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित की गई थी। उनसे विकल्प प्राप्त होने पर उन्हें अंतिम वर्गीकरण पत्र जारी किए गए थे। ऐसे सर्वेक्षकों को, जिन्होंने विकल्प प्रस्तुत नहीं

किए थे, वे तीन विभाग आर्बिट्रिट किए गए थे, जिनमें उन्होंने अधिकतम अंक प्राप्त किए थे।

ऐसे सर्वेक्षकों को, जो तीन से अधिक वर्गों के लिए अर्हक हुए थे और जिन्होंने तीन विभागों का विकल्प दिया था, उनके द्वारा चुने गए विभागों में परिवर्तन करने की अनुज्ञा दी गई थी। सर्वेक्षकों को सूचित किया गया था कि परिवर्तन 31 मार्च, 2003 तक अनुज्ञेय था और तत्पश्चात्, समय-समय पर परिवर्तनों को, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

ऐसे सर्वेक्षकों को, जिन्हें तीन से कम विभागों के लिए वर्गीकृत किया गया था और वे तीन से अनधिक अतिरिक्त विभागों और एल०ओ०पी० के लिए वर्गीकृत किए जाने के लिए इच्छुक थे, 'ग' वर्ग में वर्गीकृत किए जाने के लिए उस अतिरिक्त विभाग के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहा गया था। ऐसे सर्वेक्षकों को, जो 31 मार्च, 2003 को प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सके थे, अतिरिक्त विभाग में 'ग' वर्ग के लिए पात्र होने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कहा गया था।

प्राधिकरण ने सर्वेक्षकों को तीन वर्गों - "क", "ख" और "ग" वर्गों में वर्गीकृत किया गया था और उन धनीय सीमा को भी उपदर्शित किया था, जिसके अधीन प्रत्येक व्यष्टि वर्ग के सर्वेक्षक, सर्वेक्षण करेंगे। 31 मार्च, 2002 से प्रभावी होने वाली सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को उपयोग करने की विभागवार वित्तीय सीमा नियत की गई थी। प्राधिकरण को इन धनीय सीमाओं के पुनरीक्षण की आवश्यकता पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अभ्यावेदनों की समीक्षा करने के पश्चात्, प्राधिकरण ने विभिन्न वर्गों के सर्वेक्षकों द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण के मूल्य की सीमाओं को पुनःनियत करने का विनिश्चय किया। 1 जून, 2003 से पुनरीक्षित वित्तीय सीमाएं सारणी 44 में दिए गए ब्योरों के अनुसार है।

सारणी - 44 वर्गीकृत पर्यवेक्षकों और हानि निर्धारकों की वित्तीय सीमाएं

विवरण	वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग
एलओपी	50 लाख रुपए से अधिक	50 लाख रुपए तक	शून्य
अग्नि (बाढ़, चक्रवात, भूकंप)	20 लाख रुपए से अधिक	20 लाख रुपए तक	5 लाख रुपए तक
इंजीनियरी	7.5 लाख रुपए से अधिक	7.5 लाख रुपए तक	2 लाख रुपए तक
मोटर (निजी पब्लिक)	2 लाख रुपए से अधिक	2 लाख रुपए तक	1 लाख रुपए तक
प्रकीर्ण (गैर-टैरिफ सहित)	7.5 लाख रुपए से अधिक	7.5 लाख रुपए तक	3 लाख रुपए तक
समुद्री उद्योग	7.5 लाख रुपए से अधिक	7.5 लाख रुपए तक	3 लाख रुपए तक
समुद्री पेटा	10 लाख रुपए से अधिक	10 लाख रुपए तक	50,000 रुपए तक

टिप्पण :

- वर्ग क सर्वेक्षक, वर्ग ख की वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत आने वाले कार्यों के लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार वर्ग ख सर्वेक्षक, वर्ग ग की वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत आने वाले कार्यों के लिए पात्र होंगे।
- वर्ग ग सर्वेक्षक, वर्ग ख और क की सीमाओं के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार वर्ग ख सर्वेक्षक, वर्ग क की सीमाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।
- वित्तीय सीमाएं, बीमाकर्ता की राय में हानि के अनुमानित मूल्य पर आधारित है।

नई अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं प्राधिकरण द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी संस्थान द्वारा संचालित अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अतिरिक्त किसी क या ख वर्ग के विद्यमान सर्वेक्षक के पास कम से कम बारह मास का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। भारतीय बीमा संस्थान को सर्वेक्षकों की परीक्षाएं संचालित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और उसकी पहली परीक्षा फरवरी, 2003 में संचालित की गई थी। इस समय भारतीय बीमा संस्थान प्रत्येक वर्ष के फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर मासों में

त्रैमासिक आधार पर परीक्षाएं संचालित कर रहा है। अभी तक, प्राधिकरण ने 23७0 आवेदकों को प्रशिक्षु सर्वेक्षकों के रूप में दर्ज किया है और ऐसे ७0 प्रशिक्षु सर्वेक्षकों को, जिन्होंने व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, नई अनुज्ञप्तियां जारी की गई थीं।

31.3.2003 को विभिन्न विभागों में वर्गीकृत व्यष्टि सर्वेक्षकों और सर्वेक्षकों की फर्मों की कुल संख्या क्रमशः सारणी 45 और 4६ में है।

सारणी - 45 सर्वेक्षक (व्यष्टि)

वर्ग	31 मार्च, 2003 तक वर्गीकृत सर्वेक्षकों (व्यष्टि) की कुल संख्या						
	अग्नि	समुद्री स्थोरा	समुद्री पेटा	इंजीनियरी	मोटर	प्रकीर्ण	एलओपी
क	407	206	26	270	954	329	61
ख	1312	1082	70	2069	3418	2216	219
ग	2922	2526	90	2362	3000	3110	-
योग	4641	3814	186	4701	7372	5655	280
योग 31 मार्च, 2002 तक	3178	3478	167	4269	6668	5053	256

सारणी - 46 सर्वेक्षक (फर्म)

वर्ग	31 मार्च, 2003 तक वर्गीकृत सर्वेक्षकों (व्यष्टि) की कुल संख्या						
	अग्नि	समुद्री स्थोरा	समुद्री पेटा	इंजीनियरी	मोटर	प्रकीर्ण	एलओपी
क	92	50	10	50	21	57	27
ख	101	99	23	91	59	130	47
ग	104	147	41	180	37	90	-
योग	297	296	74	321	117	277	74
योग 31 मार्च, 2002 तक	260	249	32	197	104	243	52

तीसरा पक्षकार प्रशासन (टीपीए)

प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में एक नया मध्यवर्ती 'टीपीए-स्वास्थ्य सेवाएं' को आरंभ करने के लिए सितंबर, 2001 में तीसरा पक्षकार प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं विनियम अधिसूचित किए थे। इस मध्यवर्ती को आरंभ किए जाने के पीछे आधारीक विचार था, ग्राहकों (पालिसीधारकों) के लिए नकदरहित स्वास्थ्य सेवा का उपबंध करना और एक ऐसा मध्यवर्ती आरंभ करना, जो बीमाकर्ताओं को समर्थन और सेवाएं उपलब्ध कराए।

अभी तक 23 टीपीए को अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है और उनमें से 11 सक्रिय रूप से कारबार कर रहे हैं (तीसरी पक्षकार प्रशासकों की सूची उपाबंध - 5 में है)। इन टीपीए के पास उपलब्ध अवसंरचना सुविधाओं के विद्यमान स्तर पर निर्भर करते हुए बीमा कंपनियों द्वारा टीपीए को स्वास्थ्य कार्य आर्बटित किया गया है। इस बात के संकेत हैं कि इस मध्यवर्ती को लाने के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में दावा अनुपात में भारी कमी आई है तथापि हाल ही में तीसरा पक्षकार प्रशासक की अवधारणा पर पुनः विचार करने और इस बात पर गहराई से ध्यान देने के कारण सामने आए हैं कि क्या वे वास्तव में उन आशाओं पर खरे उतरे हैं, जो उनसे उनके बीमा उद्योग में आरंभ के समय की गई थी। टीपीए द्वारा सेवाओं के प्रदाय के संबंध में असंतोष का कारण ऐसे दलाल और प्रशासनिक कठिनाईयां हैं, जो किसी नई अवधारणा के प्रारंभ पर आरंभिक चरणों में साधारणतया आती है।

स्वास्थ्य बीमा उद्योग में डाटाबेस का सृजन और अनुरक्षण एक ऐसा क्षेत्र हैं, जिस पर ध्यान दिए जाने और कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि स्पष्ट है इस क्षेत्र का मानकीकरण नहीं हुआ है और बीमा कंपनियों टीपीए और उपभोक्ता जैसे विभिन्न पणधारी इसके अभाव में स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। दबाव, बीमा उत्पादों का मूल्य नियत करने के प्रयोजन के लिए मानकीकरण की उपलब्धता, प्रस्थापित सेवाओं के लिए आदर्श और उनके मूल्य का निर्धारण, सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता जैसे अनेक कारकों से संबंधित हैं। प्राधिकरण इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और ऐसे डाटाबेस के सृजन के लिए उपायों और साधनों पर ध्यान दे रहा है। विभिन्न बीमा उत्पादों के मूल्यों का वैज्ञानिक निर्धारण एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे डाटाबेस की उपलब्धता सुकर बनाएगी।

इस तथ्य के बावजूद कि टीपीए का कार्य समीक्षाधीन हैं, उद्योग में अतिरिक्त व्यक्तियों के प्रवेश की संभावना है। प्राधिकरण को विभिन्न क्षेत्रों से उद्योग में तीसरे पक्षकार प्रशासक के रूप में प्रवेश करने में दिलचस्पी दर्शित करने वाले अनेक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। टीपीए आरंभ करने के विचार की न केवल सराहना हुई है, अपितु इसे अनेक क्षेत्रों से रचनात्मक समर्थन भी प्राप्त हुआ है। प्राधिकरण इस विशिष्ट मध्यवर्ती के कार्य में अंतर्वर्तित समस्याओं के प्रति सचेत हैं और विभिन्न पणधारियों से, स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदाय पद्धति में सुधार के लिए प्राप्त होने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करता है।

बीमा दलाल

प्राधिकरण ने अक्टूबर, 2002 में बीमा दलाल विनियमों की अधिसूचना के परिणामस्वरूप पहली बार जनवरी, 2003 में दलालों को अनुज्ञप्ति जारी की। दलाल एक ऐसा नया मध्यवर्ती चैनल है, जिसे पहली बार वित्तीय वर्ष 2002-03 में भारतीय बाजार में आरंभ किया गया था। दलालों की सूची और उनकी राज्यवार संख्या उपाबंध 6 और 7 में है। तथापि, प्रथम वर्ष में दो मास से कम की संक्रियाओं और उक्त अवधि के दौरान सीमित व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के कारण बीमा उद्योग पर उनके प्रभाव का सही पता केवल वित्तीय वर्ष 2003-04 में ही चल पाएगा।

बीमा दलाल ऐसे वृत्तिक हैं, जो ग्राहक की ओर से जोखिम का निर्धारण करते हैं, उस जोखिम को कम करने के लिए सलाह देते हैं, अनुकूल बीमा पालिसी संरचना की पहचान करते हैं, बीमाकृतों और बीमाकर्ता को निकट लाते हैं, बीमा संविदाओं के लिए प्रारंभिक कार्य करते हैं और जहां आवश्यक हो और विशेषकर दावा उद्भूत होने पर ऐसी संविदाओं के प्रशासन और निष्पादन में सहायता करते हैं। बीमा कंपनियों द्वारा प्रतिधारण किए जाने वाले बीमा अभिकर्ताओं के विपरीत दलालों को बीमाकृतों द्वारा प्रतिधारित किया जाता है और इसलिए, उनका मुख्य उत्तरदायित्व बीमाकृतों के प्रति होता है। भारतीय बाजार में दलाल आरंभ करने के कुछ फायदे निम्नानुसार हैं:

- ग्राहकसेवामें सुधार: बढ़ती प्रतियोगिता के साथ बीमा दलाली उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी होने के लिए नए और नवीन उत्पाद लाने और उच्च गुणवत्ता की सेवा प्रदान करने के लिए उत्साहित है। भारतीय निगम और उपभोक्ताओं को सेवाओं और साथ ही उत्पाद तथा पालिसी की नवीनता से फायदा होगा और परिणामस्वरूप से कम लागत पर समुचित बीमा कवर प्राप्त करने में समर्थ होंगे।
- प्रौद्योगिकी और प्रबंधन जानकारी का अंतरण: बीमा दलाल, तकनीकी दक्षताओं और उत्पादों में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रबंधन तकनीकें लाएंगे। इस समय भारत में बीमा दलाली कारखार के विकास में मुख्य कठिनाई प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव

है और इस कमी को समाप्त करने में अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारी सहायता कर सकती हैं।

- बीमा कंपनियों को फायदे: अधिकांश वैश्विक बीमा कंपनियां वाणिज्यिक और औद्योगिक जोखिमों को संभालने में काफी समय खर्च करती हैं। उन्हें दलालों के साथ कार्य करना आसान और कम समय खाने वाला लगता है क्योंकि केवल गहन बिंदुओं और विशेष अपेक्षाओं पर ही ब्योरेवार चर्चा की आवश्यकता होती है। दलाल, बीमा जागरूकता, बाजार पहुंच को बढ़ावा देने में भी सहायता करते हैं और प्रतियोगिता को बढ़ावा देने तथा ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए अन्प्रेरक का कार्य करते हैं।
- विदेशीविनियमविचार:दलाल, पुनः बीमा कार्यक्रमों को अनुकूल बनाने में अपनी अंतरराष्ट्रीय पुनः बीमा दक्षता का उपयोग करके भारतीय बीमाकर्ताओं को उनकी प्रतिधारण क्षमताएं बढ़ाने में समर्थ बनाएंगे, जिससे विदेशी मुद्रा में और बचत होगी। इसके अतिरिक्त वे नए उत्पादों के विकास में और तदनुसार प्रीमियम का आधार व्यापक बनाने में स्थानीय बीमाकर्ताओं की सहायता कर सकते हैं।

दलालों के स्वीकृत व्यवहारों में परिवर्तन करने की भी आशा की जाती है, जिसके अंतर्गत सह-बीमा और पुनःबीमा स्थापन भी हैं। संभावना है कि ऐसी वैकल्पिक जोखिम प्रबंध तकनीकों को शीघ्र ही लाया जाएगा, जो जोखिमों कवरों को इकट्ठा करती है और बीमा तथा पुनःबीमा एक साथ उपलब्ध करती हैं। बाजार में दो अपरंपरागत परिवर्तन उस तेजी से आने वाले हैं, जो स्थानीय कर विधि और/या प्रीमियम लागत का व्यापार में अनुज्ञात हो।

विकसित देशों की अपेक्षाओं के अनुसार भारत में बीमा दलाल रजिस्ट्रीकरण, अनुभव, प्रशिक्षण और अर्हता अपेक्षाओं और वृत्ति में प्रवेश पर निर्बंधन पूंजी अपेक्षाओं और वृत्तिक क्षतिपूर्ति जैसे क्षेत्रों में विनियमित हैं।

प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी पब्लिक सेक्टर अस्तित्व से भिन्न किसी निगम ग्राहक को किसी अभिकर्ता या बीमा दलाल से संपर्क करने अथवा पालिसी के मूल्य पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट प्राप्त करने का विकल्प है। इससे पूर्व प्राधिकरण

ने अपनी तारीख 30 मई, 2003 की अधिसूचना द्वारा यह अधिसूचित किया था कि निगम ग्राहकों को उपलब्ध विशेष छूट की सुविधा वापस ली जा रही थी। तत्पश्चात् बीमाकर्ताओं और निगमों सहित कुछ क्षेत्रों द्वारा चिंताएं व्यक्त किए जाने के कारण 30 मई, 2003 के निर्णय को आस्थगित रखा गया था और सभी संबद्ध विषयों की गहन समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। प्राधिकरण इस विषय पर समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् विचार करेगा।

(iii) बीमा शिक्षा से जुड़े वृत्तिक संस्थान

प्राधिकरण, बीमा के व्यवसायीकरण जोखिम प्रबंध और बढ़ावा दे रहा है। इसने बीमा और जोखिम प्रबंध शिक्षा के संवर्धन के लिए अपनी पहलों के भाग रूप में प्रबंध संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे एक वर्षीय पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या को मान्यता दी है। यह पहले बीमा उद्योग के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और नियोजन के लिए मार्ग सृजित करने के लिए उद्देश्यों के साथ-साथ बीमा उद्योग से अर्हक वृत्तिकों की मांग को पूरा करने के लिए भी की गई हैं। इन अर्हताओं को प्राप्त और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को, उनके द्वारा अर्जित दक्षता के कारण बीमा कंपनियों और दलाली फर्मों द्वारा तत्परता से स्वीकार किया जाता है।

भारतीय बीमा संस्थान सक्रिय रूप से बीमा अभिकर्ताओं के लिए परीक्षाओं का संचालन कर रहा है। भारतीय बैंकर्स संस्थान ने, ऐसे बैंकों की अपेक्षाओं को, जिन्होंने बीमा उद्योग में, उनकी बैंकाश्योरेंस में पहलों के भाग रूप में प्रवेश किया है, ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। प्राधिकरण ने बीमा अभिकर्ताओं और दलालों के लिए वित्तीय योजनाकारों के साथ के पाठ्यक्रम को मान्यता दी है।

राष्ट्रीय बीमा अकादमी को, दलालों की, उनके प्रशिक्षण के उपरांत, परीक्षा लेने के लिए एकमात्र परीक्षक निकाय के रूप में पदाभिहित किया गया है। उन्हें, पब्लिक सेक्टर गैर जीवन बीमा कंपनियों, अर्थात् नेशनल, न्यू इंडिया, ओरिएंटल और युनाइटेड इंडिया स्कूल नेट, आर०एन०आई०एस० और एन०आई०यू० के निगम प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ दलालों के प्रशिक्षण देने के लिए मान्यता दी गई थी।

अभिकर्ताओं के प्रशिक्षण को सुकर बनाने के लिए प्राधिकरण ने देश भर में अभिकर्ताओं को विहित अनुज्ञापन-पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए 135७ अभिकर्ता प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी है, इसमें बीमा कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे 9७9 आंतरिक संस्थाएं भी हैं। मान्यता दी जाने की प्रक्रिया पारदर्शी है और किसी भावी संस्थान को सक्षम संकाय, समुचित अवसंरचना प्रसुविधाओं की उपलब्धता आदि जैसी शर्तों को पूरा करना होता है। अधिकृत करने से पूर्व “अंक प्रणाली” पर मूल्यांकन किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो प्राधिकरण के अधिकारी संस्थान का निरीक्षण भी करता है। प्राधिकरण सामान्यतया किसी संस्थान को तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिकृत करता है। संस्थानों के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण कभी भी उसका निरीक्षण कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अनुमोदित संस्थान से प्राधिकरण को विहित प्ररूप ख के अनुसार कतिपय सूचनाएं देने की अपेक्षा की जाती हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि प्राधिकरण को ऐसी सूचना तिमाही रूप से दी जाए।

31 मार्च, 2003 को प्रत्यायित अभिकर्ता प्रशिक्षण संस्थानों के राज्यवार ब्यौरे सारणी 4७ में दिए गए हैं :-

सारणी - 47

प्रत्यायित अभिकर्ता प्रशिक्षण संस्थान की संख्या के राज्यवार ब्यौरे- 31 मार्च, 2003 को

राज्य	आंतरिक		अन्य	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
अण्डमान और निकोबार	1	1		
आन्ध्र प्रदेश	26	98	10	36
असम	24	28	2	4
बिहार	18	16	2	4
छत्तीसगढ़	12	12	8	7
चंडीगढ़	1	18	4	4
दिल्ली	12	17	19	24
गोआ	2	4	4	9
गुजरात	42	50	14	24
हरियाणा	13	22	16	23
हिमाचल प्रदेश	6	8	1	2
झारखंड	9	9	21	6
जम्मू और कश्मीर	1	9	2	2
कर्नाटक	29	76	9	29
केरला	26	28	5	19
मध्य प्रदेश	72	65	14	18
महाराष्ट्र	65	107	36	33
मणिपुर	1	2		2
उड़ीसा	23	15	7	11
पंजाब	17	124	18	29
राजस्थान	34	66	9	14
तमिलनाडु	46	73	12	33
त्रिपुरा	1	1		
उत्तरांचल		9	1	3
उत्तर प्रदेश	64	97	33	37
पश्चिमी बंगाल	26	22	15	25
संपूर्ण भारत का योग	571	977	262	398

(iv) मुकदमेबाजी, अपीलें और न्यायालय के निर्णय

प्राधिकरण पर विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विभिन्न विषयों पर फाइल किए गए मुकदमों के संबंध में या तो मुख्य पक्षकार के रूप में या निष्पादन पक्षकार के रूप में दोषोपपण किया गया है।

न्यायालय मुख्यतः बीमाकर्ताओं द्वारा दावों के समाधान, बीमा पालिसियों को नवीकृत न किया जाना, बीमा अभिकर्ताओं की अनुज्ञप्तियों के नवीकरण, सर्वेक्षकों और हानिकारकों के वर्गीकरण, मोटर टैरिफ और मोटर बीमा प्रीमियम को बढ़ाने, ओमबड्समेन के पंचाट को लागू न करने, आदि जैसे विषयों से संबंधित हैं।

प्राधिकरण तिथियों और विनियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, मामलों में गुणागुण के आधार पर बचाव करते हुए, वास्तविक मामलों में समुचित सलाह देना है। मोटर बीमा प्रीमियम के लोडिंग पैरामीटरों के संबंध में साधारण बीमा-याचिकाओं को निष्फल ठहराया गया। बीमा ग्राहकों की वास्तविक शिकायतों के समाधान के लिए प्राधिकरण में एक शिकायत समाधान की प्रणाली स्थापित की गई है और इसमें शिकायतों पर समय से ध्यान दिया जाता है।

बीमा अधिनियम, 193८ के कुछ उपबंधों के संबंध में कुछ मामले न्यायालयों में फाइल किए गए हैं और प्राधिकरण द्वारा जारी अनुदेशों/निदेशों को भी चुनौती दी गई है। ऐसा एक मामला प्राधिकरण द्वारा बैंकों से, उनके ग्राहक डाटाबेस पर पकड़ बनाने और उनकी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए संदंभीत्मक व्यवस्था करने वाली जीवन बीमा कंपनियों को दिए गए निदेशों से संबंधित हैं। बीमाकर्ता, बैंक द्वारा संदंभीत्मक व्यवस्था के अधीन उपलब्ध कराए गए डाटा बेस के आधार पर ग्राहक प्राप्त करने में भागीदारी करने के लिए इस सुविधा का केवल अपना डाटाबेस अंतरित कर रहे हैं, किन्तु बीमाकर्ता की ओर से कारबार प्राप्त नहीं कर रहे। बाजार का विकास करने के विचार से बीमा कारबार के पर्यवेक्षण और कारबार संचालन से संबंधित भिन्न-भिन्न मुद्दों पर किए गए तिथि के विभिन्न उपबंधों और जारी अनुदेशों के दर्शन को न्यायालयों में फाइल प्रतिकथनों/उत्तरों में स्पष्ट किया गया है।

गैर-जीवन बीमा कारबार से संबंधित टैरिफ के स्पष्टीकरण/निर्वचन से जुड़े मामलों में प्राधिकरण को भी पक्षकार बनाया गया है।

कुछ मामलों में प्राधिकरण को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। उदाहरणार्थ, पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियों में कार्मिकों की प्रोन्नति के मामले में, पालिसी के अधीन कतिपय ऐसे फायदों के संबंध में, जिनका समाधान अंततः संबंधित बीमाकर्ताओं द्वारा किया जाता है। प्राधिकरण ने इन मामलों में बचाव करते हुए न्यायालयों में फाइल किए जाने के लिए उचित प्रतिकथन/उत्तर तैयार करने के लिए बीमाकर्ताओं की राय ली थी।

(v) बीमा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग

प्राधिकरण को अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक सभा (आई०ए०आई०एस०) और इसके सदस्यों देशों से इसके संबंध में समय-समय पर विभिन्न विनियमों और दिशानिर्देशों को बनाने में काफी मदद मिली है। आई०ए०आई०एस० के सदस्यों ने, जो बीमा उद्योग में बृहत अनुभव के साथ अन्य अधिकारिता क्षेत्रों में विनियामक हैं, जब कभी उन्हें उनकी अधिकारिता वाली बीमा कंपनियों और मध्यवर्तियों के संबंध में निर्देश, किया गया है, हमेशा सहयोग किया है। प्राधिकरण ने पूरे विश्व की विभिन्न अधिकारिताओं की जानकारियों से फायदा उठाया है। आई०ए०आई०एस० ने प्राधिकरण से एशिया क्षेत्र में विनियामकों के लिए संगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग किया था, जिनमें प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी भाग लिया था।

प्राधिकरण निम्नलिखित समितियों/उप-समितियों के कार्यकरण से सक्रिय रूप से जुड़ा है और इसके अध्यक्ष सदस्य इन समितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं (जोकि सारणी 4८ में उपदर्शित है) :

सारणी - 48

आई.ए.आई.एस. समितियां/उप-समितियां

क्रम सं०	उप-समितियां
1.	कार्यपालक समिति
2.	उभरते बाजार समिति
3.	तकनीकी समिति
4.	लेखा 34 समिति
5.	बीमा के मुख्य सिद्धांतों के निर्धारण और कार्यान्वयन पर कार्य बल
6.	संप्रेक्षण और सदस्यता मुद्दों पर कार्यकारी समूह
	उप-समितियां
1.	बीमा कपट उप-समिति
2.	बीमा निधि, विनियम, व्यवहार और मानक उप-समिति
3.	पुनः बीमा उप-समिति
4.	शिक्षा उप-समिति
5.	लेखा उप-समिति

टिप्पण : प्राधिकरण का अध्यक्ष, आई.ए.आई.एस. की विभिन्न समितियों का सदस्य है और प्राधिकरण के सदस्य विभिन्न उप-समितियों में इसका प्रतिनिधित्व करते हैं।

वस्तुतः प्राधिकरण बीमा पर्यवेक्षण के मूल सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। प्राधिकरण उसके द्वारा जारी किए गए विभिन्न विनियमों और मार्गदर्शनों को इन सिद्धांतों के अनुरूप बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण ने बीमा पर्यवेक्षकों की अंतरराष्ट्रीय सभा के सहयोग से बीमा कपट और प्रति धन-शोधन उपाय विषय पर जनवरी 2003 में नई दिल्ली में आई.ए.आई.एस. त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया था। विश्व के अनेक देशों से आए भाग लेने वाले व्यक्तियों ने इसकी सराहना की थी।

इसके साथ ही प्राधिकरण ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सम्मेलनों के आयोजन में भी पहल की। सार्क (दक्षिण एशिया) के विनियामकों के अधिकारियों के लिए ऐसे पहले प्रशिक्षण का प्राधिकरण द्वारा आयोजन किया गया था। भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव के विनियामकों ने इस चार सप्ताह लंबे कार्यक्रम के लिए अपने अधिकारियों को नामनिर्देशित किया। आई.ए.आई.एस. और प्राधिकरण ने आई.ए.आई.एस. के मूल सिद्धांतों पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सार्क और आसियान देशों के विनियामकों के मध्यम स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया था। इसके पश्चात्

पेंशन सम्मेलन आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य भारत में जीवन बीमाकर्ताओं, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं का इस क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया पर ध्यान आकर्षित करना था। दोनों सम्मेलनों को अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों/वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया था और इनकी काफी सराहना की गई थी। प्राधिकरण, सार्क देशों के बीमा विनियामकों के बीच सहयोग और तालमेल के संवर्धन के लिए दक्षिण एशिया विनियामक मंच से निकट रूप से जुड़ा है। यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण के अध्यक्ष ने दिसंबर, 2002 में मंच के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया।

ओ.ई.सी.डी. ने भी, पेंशन विनियमन के क्षेत्र में प्राधिकरण से भागीदारी की है और उसे महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिन्हें बीमा उद्योग के विभिन्न पणधरियों को बताया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण अंकटेड, आ.ए.एन.पी.आर.एस., यू.एस.एड और एन.ए.आई.सी. से जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी सहयोग कर रहा है।

संयुक्त राज्य का अंतरराष्ट्रीय विकास संबंधी अभिकरण (यूसेड)

भारत सरकार और संयुक्त राज्य की सरकार के बीच 1993 से ही द्विपक्षीय परियोजना अनुदान करार है। चार वर्ष की अवधि

तक चलने वाले इस कार्यक्रम के अधीन संयुक्त राज्य का अंतरराष्ट्रीय विकास संबंधी अभिकरण; शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय; और शहरी कार्य राष्ट्रीय संस्थान, वित्तीय संस्थाओं में सुधार और विस्तार-ऋण बाजार संघटक (अग्नि-छ) पर कार्य कर रहे हैं। अग्नि परियोजना का उद्देश्य, दीर्घकालीन आधार पर और अपेक्षित मानों पर कठिन क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने में सक्षम उपायों की पहचान करने के लिए निजी क्षेत्र के अस्तित्वों और एन जी ओ सहित भारतीय भागीदारी संस्थाओं की रेंज में वृद्धि करना है।

यूसेड ने प्राधिकरण के परामर्श से एक बहुत बड़ी यूसेड-वित्तीय संस्था सुधार और विस्तार (अग्नि) परियोजना तैयार की है। कार्यक्रम के अधीन भारतीय बीमा क्षेत्र के विकास के लिए तकनीकी सहायता दी जाएगी। यूसेड ने अग्नि परियोजना के बीमा भाग के कार्यान्वयन के लिए एक दल तैनात किया है। उक्त दल ने हैदराबाद में अपना परियोजना कार्यालय स्थापित किया है। अग्नि परियोजना के अधीन यूसेड दल प्राधिकरण की निम्नलिखित सुसंगत क्षेत्रों में सहायता कर रहा है :-

- बीमा कंपनियों की शोधन क्षमता और बाजार आधार।
- वित्तीय जांच मैनुअल तैयार करना।
- साधारण बीमा के बीमांकन प्रबंधन पर संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन।
- बी वि वि प्रा सूचना प्रौद्योगिकी विनियामक तंत्र का विकास
- उपभोक्ता संरक्षण
- पुनः बीमा करारों का पुनर्विलोकन
- भारत में स्वास्थ्य बीमा पर नीति विषयक मुद्दे

परियोजना दल ने इन मुद्दों पर परामर्शी कार्य आरंभ कर दिया है। हैदराबाद में बीमाकर्ताओं की वित्तीय जांच पर एक संगोष्ठी/कार्यशाला आयोजित की गई थी और इस संगोष्ठी/कार्यशाला परीक्षा के दौरान प्राप्त सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए एक प्रारूप मैनुअल तैयार किया गया है। दल ने प्राधिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विनियामक तंत्र के विकास और इसके उपयोग पर आशयित परिणामों के मुद्दे पर भी कार्य करना आरंभ कर दिया है। यूसेड उपभोक्ता संरक्षण विशेषज्ञ ने प्राधिकरण के अधिकारियों, ओमबडसमेन और अन्य उपभोक्ता संरक्षण संगठनों

से चर्चाएं की हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने यूसेड दल के परामर्श से स्वास्थ्य पर एक कार्यकारी दल का गठन किया है जो भारत में स्वास्थ्य बीमा संबंधी चिंता के सभी मुख्य नीति विषयक मुद्दों को विशिष्टता देने के लिए उद्योग के सभी पणधारियों से बातचीत करेगा। कार्यकारी दल पहले ही एक बैठक कर चुका है। दल ने प्राधिकरण के परामर्श से ऐसे एक दल के गठन का प्रस्ताव किया है, जो बीमा अधिनियम, 193८ और भारत में बीमा कारबार के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अन्य अधिनियमों में परिवर्तनों/पुनर्विलोकन की सिफारिश करेगा। स्वास्थ्य और साधारण बीमा कारबार की बीमांकक प्रबंधन पर मुंबई में एक अन्य संगोष्ठी आयोजित की गई थी।

सेवाओं में व्यापार पर साधारण करार (गेटस) और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ)

एकाधिकरण से प्रतियोगिता में परिवर्तन में विवेकपूर्ण विनियमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एकाधिकरण समाप्त करना और साथ ही अनिवार्य उपकरणों की पद्धति को तथा टैरिफों को समाप्त करना प्राकृतिक रूप से भारतीय बीमा बाजार की सुव्यवस्थित विकास प्रक्रिया के भाग रूप में पुनःबीमा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व संकेत देते हैं। इसके साथ-साथ बीमा और पुनःबीमा पर्यवेक्षण व्यवहारों को संगत बनाना चाहिए। बीमा और पुनःबीमा के कड़े विवेकपूर्ण नियम लागू करना, गेटस के विधिपूर्ण, अनिवार्यता और अनुपात के सिद्धांतों से संगत होना होगा, जिससे कि ऐसी अनपेक्षित व्यापार अड़चनें न खड़ी हो जाएं जिनका प्रतियोगिता पर विपरीत प्रभाव पड़े, जिसके कारण कारबार, नवीनता और बाजार दक्षता में बाधाएं उत्पन्न हों।

गेटस के अनुच्छेद 19 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिबद्धताओं की बातचीत, जो यह कथन करता है कि “करार के उद्देश्यों के अनुसरण में सदस्य प्रगतिशील उदारीकरण के उच्चतर स्तरों को प्राप्त करने के लिए गेटस करार प्रवृत्त होने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर और उसके पश्चात् आवधिक रूप से बातचीत के दौर आरंभ करेंगे। डब्ल्यू टी ओ में जनवरी, 2000 से विनिर्दिष्ट प्रतिबद्धताओं पर विस्तृत बातचीत का एक नया दौर आरंभ हुआ है।

बातचीत के आदेश को स्पष्ट करने से गेटस के भाग 4 में ‘प्रगतिशील उदारीकरण’ शीर्ष के अधीन विहित किया गया है। इन बातचीतों का मुख्य उद्देश्य सभी सेवा क्षेत्रों में और सेवा के

प्रदायों के सभी 4 ढंगों में उदारीकरण का उच्चतर स्तर प्राप्त करना है। बातचीत विस्तृत होंगी, और सभी डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों के लिए संतुलन प्राप्त करने के लिए इनमें सभी क्षेत्रों और प्रदाय के ढंगों को सम्मिलित किया जाएगा और किसी मद को छोड़ा नहीं जाएगा। गेटस के अधीन सेवा क्षेत्रीय वर्गीकरण सूची में 12 क्षेत्रों और 161 उपक्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है और ये सभी बातचीत का भाग होंगे।

गेटस सेवाओं के प्रदाय के ढंगों को मान्यता देता है। ये निम्नानुसार हैं :

- ढंग 1 – सीमा पार प्रदाय, उदाहरणार्थ डिस्क्रेट, वास्तुशिल्प नक्शों, आदि का प्रदाय।
- ढंग 2 – विदेश में उपभोग, उदाहरणार्थ किसी पर्यटक द्वारा विदेश में सेवा का लाभ लेना
- ढंग 3 – वाणिज्यिक उपस्थिति, उदाहरणार्थ विदेश में स्थापित बैंक शाखा जैसे विधिक अस्तित्व के रूप में
- ढंग 4 – प्राकृतिक व्यक्तियों का संचलन, उदाहरणार्थ, वृत्तिकों, कुशल और अकुशल श्रमिकों का अस्थायी अवधि के लिए आना जाना। इसके अंतर्गत स्थायी देशांतरण नहीं है।

प्राधिकरण ने भारत सरकार को, बीमा क्षेत्र के विशिष्ट प्रतिनिर्देश से अपनाए जा सकने वाले मत पर अपने विचार बताए थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आने वाले दौरों में सभी क्षेत्रों और प्रदाय के ढंगों पर बातचीत की जाएगी। तथापि, विकसित और विकासशील देशों के नजरिये में सूक्ष्म स्तरों पर भिन्न हितों के कारण भिन्नता होने की संभावना है। सभी संभावनाओं में विकसित देश वाणिज्यिक उपस्थिति से संबंधित ढंग 3 में अधिक उदारीकरण के लिए जोर देंगे, क्योंकि उनकी दिलचस्पी अपनी पूंजी के लिए बड़ी बाजार पहुंच बनाने में होगी। अतः, भारत सहित विकासशील देशों पर यह दबाव होगा कि वे ढंग 3 में अधिक बाजार पहुंच उपलब्ध कराएं और इस ढंग में अधिक क्षेत्र सम्मिलित करें।

दूसरी ओर, भारत सहित कई विकासशील देशों के लिए निर्यात का मुख्य स्रोत “प्राकृतिक व्यक्तियों के संचलन” से संबंधित ढंग 4 ही रहेगा। विशेषकर भारत की दिलचस्पी ढंग 4 में अपने

वृत्तिकों और कुशल श्रमिकों के लिए एक बड़ी बाजार पहुंच प्राप्त करने में है, क्योंकि इसके पास अधिशेष प्रशिक्षित और कुशल लोग हैं। इस प्रकार इन बातचीतों में ट्रेड-ऑफ का प्रति क्षेत्रात्मक होना अवश्यम्भावी है क्योंकि भारत मुख्यतः वृत्तिक सेवा क्षेत्र में पहुंच की मांग करेगा और अन्य दूरसंचार सेवाओं, परिवहन सेवाओं, वितरण सेवाओं, जैसे अवसंरचना क्षेत्रों में और वित्तीय सेवाओं में अधिक बाजार पहुंच की मांग करेगा।

(vi) लोक शिकायतें

ऐसे एक उद्देश्य की, जिसके लिए प्राधिकरण की स्थापना की गई है, अर्थात हर संभव तरीके से पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करना, पूर्ति के लिए इसके प्रयासों के अनुरूप प्राधिकरण ने 14 नवंबर, 2002 को घरेलू उपभोक्ता शिकायत प्रकोष्ठ (सी जी सी) की स्थापना की थी। सी जी सी का गठन, शिकायतों की प्रकृति पर ध्यान न देते हुए, बीमा ग्राहकों की बीमा कंपनियों के प्रति शिकायतें प्राप्त करने और उनके शीघ्र समाधान के लिए बीमाकर्ता की ओर से उस पर शीघ्र कार्रवाई करने को सुनिश्चित करने के एकमात्र दायित्व के साथ किया गया है। बीमा कंपनियों को सी जी सी के सृजन के और कंपनियों द्वारा उन्हें पूर्तिक्ता के आधार पर लिए जाने के संबंध में सलाह दी गई है। प्राधिकरण पालिसीधारकों के हितों के प्रति कितना गंभीर और सच्चा है, यह इस बात से पता चलता है कि रिपोर्ट के वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने गंभीरतापूर्वक बीमा पालिसीधारकों को उन्हें उपलब्ध अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रति तथा उस तंत्र के संबंध में जागरूक बनाने का कार्य किया, जिसके माध्यम से वे अपने बीमा संबंधी मुद्दों का समाधान कर सकते हैं। इस जानकारी के प्रसार का कार्य दिसम्बर, 2002 से निरंतर इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है।

प्राधिकरण को यह देख कर हर्ष हो रहा है कि पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण की दिशा में इसके प्रयास प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि कंपनियों को दी गई शिकायतों को प्रभावी रूप से निपटाया गया है। प्राधिकरण द्वारा प्राप्त शिकायतों और जीवन तथा गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा उन्हें निपटाये जाने के ब्यौर नीचे दिए गए हैं। जीवन बीमाकर्ताओं और साधारण बीमाकर्ताओं को निर्दिष्ट शिकायतों की तारीख 30 सितंबर, 2003 को स्थिति क्रमशः सारणी 49 और 50 में है।

सारणी - 49

अप्रैल, 2002 से सितंबर, 2003 की अवधि में जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतों की स्थिति

क्रम सं.	कंपनी का नाम	कंपनी को निर्दिष्ट शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
1.	मेक्स न्यूयार्क जीवन बीमा कंपनी	9	7	2
2.	एस बी आई जीवन बीमा कंपनी लि.	2	2	0
3.	एलाएज बजाज लाईफ इनश्योरेंस कं.लि.	4	3	1
4.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाईफ इनश्योरेंस कं.लि.	10	9	1
5.	टाटा ए आई जी लाईफ इनश्योरेंस कं.लि.	5	3	2
6.	आई एन जी वैश्य लाईफ इनश्योरेंस कं.लि.	3	3	0
7.	ओम कोटक लाईफ इनश्योरेंस कं.लि.	2	1	1
8.	बिरला सनलाईफ इनश्योरेंस कं.लि.	1	1	0
9.	एच डी एफ सी स्टैंडर्ड लाईफ इनश्योरेंस कं.लि.	2	2	0
10.	मैटलाईफ इंडिया इनश्योरेंस कं.लि.	1	0	1
11.	लाईफ इनश्योरेंस कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया**	571	221	350
	योग	610	252	358

** यहां दिए गए आंकड़े प्राधिकरण द्वारा एल आई सी के पूरे देश में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्दिष्ट शिकायतों की कुल संख्या से संबंधित हैं।

1. दावों का समाधान न होना/समाधान में देरी	189
2. दावों का गलत रीति में निराकरण/निम्न राशि पर समाधान	5
3. पॉलिसी का नवीकरण न करना/रद्द करना/जारी न किया जाना/अन्य संबंधित मुद्दे	184
4. अधिकारियों का असहयोगी/गलत रवैया	50
5. अन्य कारण	182
योग	610

की गई कार्रवाई

1. कार्रवाई की गई और मामला समाप्त कर दिया गया	252
2. पत्र की अभिस्वीकृति दी गई और उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है	45
3. कार्रवाई/उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है	313
योग	610

गैर-जीवन कंपनियों की निर्दिष्ट शिकायतों की 30 सितंबर, 2003 को स्थिति नीचे सारणी 50 में दी गई है :

सारणी - 50

अप्रैल, 2002 से सितम्बर, 2003 की अवधि में गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतों की स्थिति

क्रम सं	कंपनी का नाम	कंपनी को निर्दिष्ट शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
1.	द ओरिएंटल इनश्योरेंस कं.लि.	346	162	184
2.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं.लि.	522	100	422
3.	यूनाईटेड इंडिया इनश्योरेंस कं. लि.	426	302	124
4.	नैशनल इनश्योरेंस कं.लि.	421	105	316
5.	बजाज एलाइंस जर्नल इनश्योरेंस कं.लि.	38	22	16
6.	टाटा ए आई जी जर्नल इनश्योरेंस कं. लि.	23	17	6
7.	इसीजीसी ऑफ इंडिया	2	2	0
8.	रॉयल सुंदरम एलाएज जर्नल इनश्योरेंस कं.लि.	11	6	5
9.	आई एफ एफ सी ओ टोकियो जर्नल इनश्योरेंस कं.लि.	4	3	1
10.	रिलाएंस जर्नल इनश्योरेंस कं.लि.	2	1	1
11.	चोलामंडलम एम एस जर्नल इनश्योरेंस कं.लि.	3	2	1
12.	आई सी आई सी आई लोम्बार्ड जर्नल इनश्योरेंस कं.लि.	9	9	0
	योग	1807	731	1076

1. दावों का समाधान न होना/समाधान में देरी	1146
2. दावों का गलत रीति में निराकरण/निम्न राशि पर समाधान	159
3. पालिसी का नवीकरण न करना/रद्दकरण/जारी न किया जाना/अन्य संबंधित मुद्दे	382
4. अधिकारियों का असहयोगी/गलत रवैया	18
5. अन्य कारण :	102
योग	1807

की गई कार्रवाई

1. कार्रवाई की गई और मामला समाप्त कर दिया गया	731
2. पत्र की अभिस्वीकृति दी गई और उत्तर की प्रतिकक्षा की जा रही है	873
3. कोई उत्तर नहीं	203
योग	1807

(vii) सलाहकार समिति का कार्यकरण

बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम के अधीन बीमा सलाहकार समिति का गठन, प्राधिकरण को विनियम बनाने से संबंधित मामलों पर और अन्य विहित किए जाने वाले मामलों पर सलाह देने के लिए किया गया है। प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित सभी विनियमों को इस समिति के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति की एक बैठक 23 सितंबर, 2002 को हुई थी। समिति की बैठक में, कार्यसूची की अन्य मदों के अतिरिक्त बीमा दलालों, जीवन बीमा कारबार में अधिशेष के वितरण और निगम अभिकर्ताओं से संबंधित प्रारूप विनियमों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। अभी तक समिति द्वारा 6 बैठकें की गई हैं। यह 25 सदस्यीय समिति, वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, उपभोक्ता मंचों, महिलाओं, सर्वेक्षकों, अभिकर्ताओं, मध्यवर्तियों, सुरक्षा और हानि निवारण में लगे संगठनों, अनुसंधान निकायों और बीमा क्षेत्र से जुड़ी कर्मचारी सभाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची उपाबंध 9 पर है।

(viii) ओमबड्समेन का कार्यकरण

पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण और प्रणाली में उनके विश्वास को बनाए रखने में ओमबड्समेन की संस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संस्था ने उपभोक्ताओं को बीमाकर्ताओं में विश्वास बनाने और उसे बनाए रखने में सहायता की है। बीमा परिषद ने, जो एक प्रशासनिक निकाय है, देश में बारह ओमबड्समेन नियुक्त किए हैं और उन्हें आवश्यक अवसरंचना प्रदान की है। कंपनियों से तीन मास की अवधि के भीतर ओमबड्समेन द्वारा दिए गए पंचाट का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। पंचाट बीमा कंपनियों पर बाध्यकर है; तथापि ग्राहक, यदि वे ऐसा निर्णय करते हैं तो शिकायत समाधान के अन्य विकल्प ले सकते हैं। ओमबड्समेन को नियम के अधीन दो कार्य सौंपे गए हैं—एक सुलह करना और दूसरा पंचाट देना।

बीमा ओमबड्समेन, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे शिकायत हो, बीमाकर्ता की वैयक्तिक रूपरेखा के संबंध में शिकायत प्राप्त करने और उस पर विचार करने के लिए सशक्त है। शिकायत लिखित में और उस शाखा या कार्यालय के जिसके विरुद्ध शिकायत है, क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले ओमबड्समेन को संबोधित होनी चाहिए। शिकायत, बीमाकर्ता के विरुद्ध किसी भी व्यथा से संबंधित हो सकेगी; बीमाकर्ता द्वारा दावों का भागिक या पूर्ण परित्याग, पालिसी के निबंधनों के अनुसार संदत्त या सदेय प्रीमियमों के संबंध में विवाद, दावों से संबंधित विवाद की दशा में पालिसी के शब्दों की विधिक संरचना पर विवाद, दावों के समाधान में विलंब और प्रीमियम की प्राप्ति के पश्चात् ग्राहक को कोई बीमा दस्तावेज जारी न करना।

ओमबड्समेन की शक्तियों की वर्तमान सीमा 90 लाख रुपए है। लोक शिकायत निवारण नियम, 199८, जिनके अधीन बीमा ओमबड्समेन की नियुक्ति की गई है, प्राधिकरण के, जिसे पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की आज्ञा दी गई है, विनियामक कृत्यों के अनुपूरक हैं। ओमबड्समेन की संस्था का लोगों द्वारा स्वागत किया गया है।

उपाबंध ८ की सारणियां (क से ग) ओमबड्समेन द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या उपदर्शित करती हैं। ओमबड्समेन द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर निपटाई गई शिकायतों का विश्लेषण यह उपदर्शित करता है कि ओमबड्समेन द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या में 25% से अधिक वृद्धि हुई है। ओमबड्समेन को वर्ष 2002-03 के दौरान, 3८9८ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो गैर-जीवन क्षेत्र से संबंधित थीं और उनमें से 294७ का निपटारा कर दिया गया था। जीवन बीमा क्षेत्र में, 24८1 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें से 191७ का निपटारा कर दिया गया था।

बीमा ओमबड्समेन के कार्यालय समय-समय पर, उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए विभिन्न मार्गों के विषय में शिक्षित करने के लिए पुस्तिकाएं निकालते हैं। बीमा ओमबड्समेन की सूची सारणी 51 में है।

सारणी - 51

बीमा ओम्बड्समेन की सूची

ओम्बड्समेन का कार्यालय	सम्पर्क के ब्यौरे	अधिकारिता क्षेत्र
अहमदाबाद दूसरा तल, अंबिका हाऊस, समीप सी.यू. शाह महाविद्यालय, 5, नवयुग कॉलोनी, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014	(आ.)7546150 फैक्स: 079-7546142 ई-मेल: insombahd@rediffmail.com	गुजरात, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप संघ राज्यक्षेत्र
भोपाल पहला तल, 117, जोन-II, (डी.एम. मोटर्स प्रा.लि. के ऊपर) महाराणा प्रताप नगर, भोपाल - 462 011	(आ.)578100 फैक्स: 0755-578103 ई-मेल: insombmp@satyam.net.in	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
भुवनेश्वर 62, फोरस्त पार्क, भुवनेश्वर - 751 009	(आ.)535220 फैक्स :0674-531607 ई-मेल: susantamishra@yahoo.com; ioobbsr@vsnl.net	उड़ीसा
चंडीगढ़ एस.सी.ओ. संख्या 101,102 और 103, दूसरा तल, बत्रा बिल्डिंग, सेक्टर 17-डी, चंडीगढ़ - 160 017	(आ.)706196 इपीबीएक्स: 0172-706468 फैक्स : 0172-708274	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
चेन्नई फातिमा अख्तर कोर्ट, चौथा तल, 453 (पहले 312) अन्ना सलाई, तिथानेमपेट चेन्नई -600 018	(आ.)4333678 फैक्स : 044-4333664 ई-मेल: insombud@md4.vsnl.net.in	तमिलनाडु, संघ राज्यक्षेत्र-पांडिचेरी शहर और कराईकल (जो पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र का भाग है)
दिल्ली 2/2 ए, यूनिवर्सल इंशोरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110 002	(आ.)3239611 फैक्स : 011-3230858	दिल्ली और राजस्थान

ओम्बड्समेन का कार्यालय	सम्पर्क के ब्यौरे	अधिकारिता क्षेत्र
गुवाहाटी अक्वेरियस, भास्कर नगर, आर जी बआ रोड़ गुवाहाटी - 781 021	(आ.)413525 इपीबीएक्स: 0361-415430 फैक्स: 0361-414051	आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा
हैदराबाद 6-2-47, येतुरू टावर्स, सलीम फंक्शन पैलेस के सामने, ए.सी. गार्डस, लकड़ी का पुल, हैदराबाद - 500 004.	(आ.)6574325 फैक्स: 040/3376599 ई-मेल: insombud@hd2.vsnl.net.in	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और रानम संघ राज्य क्षेत्र जो पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का भाग है
कोचि दूसरा तल, सीसी 27/2603 पुलिनट बिल्डिंग कोचीन शिपयार्ड के सामने, एम जी रोड, एर्नाकुलम - 682 015	(आ.) 373334 फैक्स : 0484-373336 ई-मेल : insuranceombudsmankochi@hclinfinet.com	केरल, (क) लक्षद्वीप, संघ राज्य क्षेत्र (ख) माहे संघ राज्य क्षेत्र जो पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का भाग है
कोलकाता नार्थ ब्रिटिश भवन, 29, एन.एम. रोड, तीसरा तल, कोलकाता -700 001.	(आ.)2212666 / 2212669 फैक्स : 033-2212668	पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह राज्यक्षेत्र, सिक्किम
लखनऊ चिंतल हाऊस, प्रथम तल, 16, स्टेशन रोड, लखनऊ - 226 001	(आ.)635486 फैक्स: 0522-636755 ई-मेल: insomblko@sify.com	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल
मुम्बई तीसरा तल, जीवन सेवा एनेक्सी, (एम टी एन एल के ऊपर) एस. वी. रोड, सांताक्रूज (पश्चिम) मुम्बई - 400 054	(आ.) 6106928 इपीबीएक्स: 022-6106889 फैक्स : 022-6106052, 6106980 ई-मेल: ombudsman.i@hclinfinet.com / inscoun@vsnl.net	महाराष्ट्र, गोआ

टिप्पण : बीमा परिषद के शासी निकाय का पता और संपर्क नंबर : महासचिव,
बीमा परिषद का शासी निकाय
जीवन सेवा एनेक्सी, तीसरा तल (एम टी एन एल के ऊपर), एस.वी. मार्ग, सांताक्रूज (प.), मुंबई-400 054
टेलीफोन नं. : 022 - 610 6889 फैक्स नं. : 022 - 6106980, 610 6052
ई मेल आई डी : inscoun@vsnl.net

(ix) बी.वि.वि.प्रा. द्वारा समय-समय पर गठित विभिन्न समितियों के कार्य-निष्पादन का पुनर्विलोकन

रंगराजन समिति

बी.वि.वि.प्रा. ने मोटर टैरिफ समाप्त करने के लिए न्यायमूर्ति रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और इसकी रिपोर्ट के आधार पर अप्रैल, 2005 से मोटर में स्व क्षति खंड का टैरिफ समाप्त करने का विनिश्चय किया गया है। रिपोर्ट के ब्यौरे भाग 1 में दिए गए हैं।

एस वी मोनी समिति

रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर मोटर दायित्व के स्व क्षति भाग में स्वतंत्र मूल्य निर्धारण की प्रणाली को 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी करने का विनिश्चय किया गया था। प्राधिकरण ने टैरिफ समाप्त पद्धति को सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए मार्ग बनाने हेतु जीआईसी के पूर्व अध्यक्ष और ए.एम.पी. सनमार के उपाध्यक्ष जी एस वी मोनी की अध्यक्षता में एक समूह का गठन किया, जो उत्पादों की स्वतंत्र बाजार में उपलब्धता के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार करेगा और प्राधिकरण को विभेदी टैरिफों को अपनाए जाने सहित इस संबंध में किए जाने वाले उपायों का सुझाव देगा। समिति के कार्य निबंधन निम्नानुसार हैं :

- अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुसार मोटर बीमा (स्व क्षति) के मूल्य निर्धारण के लिए रूपरेखा तैयार करना
- अतिरिक्त को रोकने के लिए रेटिंग मोड्यूल के मानकीकरण की आवश्यकता की जांच करना
- टैरिफ न होने की स्थिति में विनियामक के पास उत्पादों के "फाइल और उपयोग" की प्रणाली की आवश्यकता (बीमांकन विधीक्षा और डाटाबेस)
 - बीमा करने से इंकार करना और अधिक मूल्य निर्धारण करना
 - क्या बीमा की परिधि को एक समान करने की आवश्यकता है अथवा स्वतंत्र बाजार परिस्थितियां प्रचलित की जा सकती हैं
 - दूसरों के लिए घातक मूल्य निर्धारण की रोकथाम-उपाय और सुरक्षोपाय

उपभोक्ता सलाहकार समिति

एक उपभोक्ता सलाहकार समिति विद्यमान है। यह समिति समय-समय पर प्राधिकरण को उपभोक्ता संबंधी विभिन्न मुद्दों

पर सलाह देती है। प्राधिकरण ने इस समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने उपभोक्ता शिकायत विभाग को सक्रिय किया है।

मध्यवर्तियों के पारिश्रमिक पर विशेषज्ञ समिति

बीमा दलालों और अभिकर्ताओं को सदैव पारिश्रमिक को सरल बनाने के लिए, श्री ए.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता के अधीन एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा दिसंबर, 2003 में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

बी.वि.वि.प्रा. द्वारा विनियमित अस्तित्वों पर तकनीकी समिति (पूंजी बाजार संबंधी गतिविधियों का पुनर्विलोकन)

भारत सरकार ने बैंकों, पूंजी बाजार और बीमा विनियामकों, अर्थात् आरबीआई, सेबी और बी.वि.वि. प्रा. के बीच सूचना के नियमित आदान प्रदान के लिए पूंजी बाजार संबंधी एक उच्चस्तरीय समिति (एच एल सी सी एम) का गठन किया था। एच एल सी सी एम ने प्रत्येक विनियामक के अधीन तकनीकी समितियों का गठन किया है। बी.वि.वि.प्रा. द्वारा विनियमित अस्तित्वों पर तकनीकी समितियों में निम्नलिखित होंगे :

- अध्यक्ष : सदस्य/कार्यकारी निदेशक, बी.वि.वि.प्रा.
- सदस्य-समन्वयक : संबंधित विभाग का उपनिदेशक, बी.वि.वि.प्रा.
- सेबी, आर बी आई, और वित्त मंत्रालय के ऐसे प्रतिनिधि जो सं.स. मुख्य महाप्रबंधक से कम रैंक के न हों।
- समिति, बेहतर समन्वयन और बीमा क्षेत्र के पूंजी बाजार से संबंधों की निगरानी और उन्हें मानीटर करने के लिए जब कभी आवश्यक हो, बीमा कंपनियों और अन्वेषण अभिकरणों से व्यक्तियों को बुलाने के लिए प्राधिकृत होगी।

समिति के कार्य निबंधन निम्नानुसार हैं :

- समिति का मुख्य उत्तरदायित्व होगा बीमा क्षेत्र को पूंजी बाजार में प्रवेश दिए जाने का पुनर्विलोकन करने के लिए एक ऐसा अंतःअभिकरण मंच उपलब्ध कराना, जो इस प्रवेश के परिणामस्वरूप किसी असामान्य घटना की पहचान करेगी।
- संदेहास्पद बाजार कदाचार के मामले में जांच पड़ताल/अन्वेषणकारी अभिकरणों की जानकारी देने के संबंध में विनिश्चय करना।
- पैरामीटरों का आदर्श विकसित करना, जो बीमा बाजार के पूंजी बाजार में प्रवेश करने के संबंध में सामने आने वाली अनियमितताओं के प्रति शीघ्र चेतावनी दे सकें।

(iv) समिति द्वारा बनाए गए शीघ्र चेतावनी तंत्र के आधार पर अन्य विनियामकों के साथ कार्रवाई का समन्वयन करना।

समिति साधारणतया वर्ष में छः बैठकें करेगी, मोटे तौर पर दो मास में एक, तब भी जब कोई असामान्य घटना न हो। तथापि यदि किसी अभिकरण की जानकारी में कोई असामान्य घटना आती है तो किसी सदस्य के अनुरोध पर अल्प सूचना पर बैठक बुलाई जा सकती है और तब समिति यथा अपेक्षित बैठकें करेगी। तकनीकी समिति की रिपोर्टों को वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा, जो एच एल सी सी को समुचित रूप से समिति के निष्कर्षों को सूचित कर सकेगा।

क्रमानुसार वित्तीय मध्यवर्तियों की मानीटरिंग

तीनों विनियामक निकायों, अर्थात् आर बी आई, सेबी और बी. वि. वि. प्रा. के बीच परामर्श के पश्चात्, क्रमानुसार महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यवर्तियों (सिफी) के लिए विशेष मानीटरिंग तंत्र को स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

वित्तीय बाजारों के बढ़ते एकीकरण, वित्तीय क्षेत्र में पुनःसंरचना और सुदृढीकरण, आर्थिक सहायताओं से अंतःसंबंधन, वित्तीय संस्थाओं के बैंककारी और गैर-बैंककारी क्रियाकलापों के बढ़ते परस्पर व्यापन, सुव्यवस्थित स्थिरता के मुद्दों ने ऐसे नए आयाम प्राप्त किए हैं, जिनके लिए अति सक्रियशील नजरिया अपेक्षित है, जिससे कि वित्तीय स्थिरता के लाभों को और पुष्ट किया जा सके। अतः यह आवश्यक है कि सिफी के संबंध में एक मानीटरिंग तंत्र स्थापित किया जा सके, जिसमें निम्नलिखित हों :

- आर बी आई, सेबी और बी. वि. वि. प्रा. की संयुक्त दिलचस्पी के वित्तीय विषयों में सिफी के लिए रिपोर्टिंग तंत्र;
- सिफी के अंतरा-समूह संव्यवहारों की रिपोर्टिंग; और
- आर बी आई, सेबी और बी. वि. वि. प्रा. के बीच सुसंगत जानकारी का आदान प्रदान।

इस बात पर सहमति हुई है कि बी. वि. वि. प्रा. से एक सदस्य लेने के पश्चात्, वर्तमान आर बी आई-सेबी तकनीकी समिति, सिफी की एक सूची का प्रस्ताव करेगी और रिपोर्टिंग तंत्र पर सलाह देगी।

(x) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निष्पादित सलाहकारी कृत्यों का पुनर्विलोकन

सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के संस्थान को बढ़ावा प्राधिकरण ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग को भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान जैसे अन्य वृत्तिक निकायों की तर्ज

पर एक स्वतंत्र सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान के गठन के लिए एक ब्यौरेवार प्रस्ताव किया है। एक पृथक् संस्थान के सृजन की सिफारिश के पीछे मुख्य उद्देश्य है सर्वेक्षकों की वृत्ति में, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना, और सदस्यों के बीच सर्वोत्तम व्यवहारों को आरंभ करने को सुकर बनाना। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष श्री के.एन. भंडारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने प्राधिकरण को भारत का चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान/ भारत का कंपनी सचिव संस्थान के माडल पर एक स्व वित्तपोषित और स्व विनियमित संस्थान को स्थापित करने की सलाह दी है। प्राधिकरण संस्थान के शीघ्रतिशीघ्र स्थापन के लिए आगे और उपाय कर रहा है। संस्थान के कार्यकरण का तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसके पश्चात् यह विनिश्चय किया जाएगा कि क्या इसे संसद के अधिनियम द्वारा कानूनी प्रास्थिति प्रदान की जाए।

बीमा अधिनियम, 1938 का विस्तृत पुनर्विलोकन

प्राधिकरण ने भारत के विधि आयोग को बीमा अधिनियम, 1938 का पुनर्विलोकन करने और बीमा संबंधी विधानों को संसद के एक अधिनियम के रूप में सुदृढ़ करने की सलाह दी थी। इस बात का बीमा उद्योग के सभी पणधारियों ने स्वागत किया था। विधि आयोग ने सभी संबंधित व्यक्तियों की टीका-टिप्पणियों के लिए एक परामर्शी पत्र जारी किया था। प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी इस प्रक्रिया में भाग लिया था। विधि आयोग से प्राप्त हुए सुझावों/टीका-टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें भारत सरकार को दी हैं। विधि मंत्रालय ने इस पर पहले ही कार्य करना आरंभ कर दिया है, और विधि आयोग के सुझावों/सिफारिशों को सम्मिलित करने वाला एक नया बीमा अधिनियम शीघ्र ही अधिनियमित किया जाएगा।

अन्य संगठनों के साथ सहयोग :

(i) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

प्राधिकरण, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के साथ समन्वयन कर रहा है। बीमा क्षेत्र के लिए संगृहित किए जाने के लिए

प्रस्तावित सांख्यिकी के अंतर्गत बीमा कंपनियों की आय और व्यय; आस्तियां और दायित्व; निधियों के स्रोत और उपयोग; निवेश, संक्रियाएं भी हैं, जो जीवन और गैर-जीवन कारबार, पुनःबीमा, पेंशन, अधिवर्षिता, स्वास्थ्य बीमा और फसल बीमा जैसे पहलुओं को सम्मिलित करती हैं। प्राधिकरण को बीमा क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण और प्रसार करने के लिए केन्द्र बिंदु बनाया गया है। सांख्यिकी के संग्रहण के अंतर्गत डाक जीवन, कर्मचारी राज्य बीमा, सेना और अन्य समूह बीमा स्कीमें, पेंशन और अधिवर्षिता स्कीमें भी हैं।

(ii) स्वास्थ्य अर्थशास्त्र संबंधी उपसमूह

प्राधिकरण के अधिकारियों को दसवीं पंचवर्षीय योजना के स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र संबंधी कार्यकारी उपसमूह में नामनिर्दिष्ट किया गया है, जहां कार्यान्वयन के लिए समुचित नीति बनाने के लिए जीवन बीमा के प्रसार से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

(iii) आपदा प्रबंधन संबंधी उपसमूह

प्राधिकरण के अधिकारियों ने कृषि मंत्रालय के तत्वाधान में आपदा प्रबंधन संबंधी उपसमूह के साथ प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं पर कार्य किया है।

भाग 3

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 में अधिष्ठापित प्राधिकरण के कानूनी कृत्य

(क) आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना, उसे नवीकृत, उपांतरित, प्रत्याहृत, निलंबित या रद्द करना

प्राधिकरण ने निम्नलिखित नई कंपनियों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिए :

- चोलामंडलम एम एस साधारण बीमा कं.लि. को 15-7-2002 को
- अवीवा जीवन बीमा कं.लि. को 15-5-2002 को
- एच डी एफ सी चब साधारण बीमा कं.लि. 27-9-2002 को
- भारतीय निर्यात ऋण प्रत्याभूति निगम लि. को 27-9-2002 को (केवल ऋण बीमा के लिए)
- कृषि बीमा कं.लि. को 29-10-2003 (फसल बीमा के निम्नांकन के लिए)

जीवन और गैर-जीवन क्षेत्रों में सभी विद्यमान बीमा कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3क के निबंधनों में नवीकृत किया गया है। छूट प्राप्त बीमाकर्ताओं के, जिनकी सूची रिपोर्ट के उपाबंध 2 में दी गई है, संबंध में प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है कि वे अधिसूचित विनियमों का पालन करें और वे अपने कार्य ऐसी रीति में करें, जो बीमा पालिसीधारकों के हितों में बाधा न डालें और न ही बीमा उद्योग के सुव्यवस्थित विकास के हित के प्रतिकूल हों।

प्राधिकरण ने किसी बीमाकर्ता के रजिस्ट्रीकरण को उपांतरित, प्रत्याहृत निलंबित या रद्द नहीं किया था।

(ख) पालिसी के समनुदेशन, पालिसीधारक द्वारा नामनिर्देशन, बीमायोग्य हितों, बीमादावों के समाधान, पालिसी के अभ्यर्पण मूल्य और बीमा संविदा के अन्य निबंधनों और शर्तों से संबंधित मामलों में पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण :

प्राधिकरण ने अक्टूबर, 2002 में पालिसीधारकों का संरक्षण विनियम में, उन्हें और कठोर बनाने के लिए, उपांतरण किए।

विनियमों में किए गए संशोधनों ने जीवन बीमाकर्ताओं को, स्वास्थ्य संबंधी या गंभीर बीमारी अनुवृद्धियों के मामलों में आधारिक उत्पाद के प्रीमियम के 100 प्रतिशत तक और सभी अन्य अनुवृद्धियों के मामलों में आधारिक उत्पाद के प्रीमियम के 30 प्रतिशत तक प्रभारित करने में समर्थ बनाया है।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने साधारण बीमाकर्ताओं को, उन्हें यदि बीमाकर्ता के निर्धारण के अनुसार किसी व्यक्ति बीमा कराने वाले का दावा अनुमत प्रतिकूल है तो 100 प्रतिशत तक तीसरा पक्षकार टैरिफ प्रीमियम लेने के लिए अनुज्ञा देते हुए, आदेश जारी किए हैं। यदि अनुभव खराब बना रहता है तो समाप्त हो रहे प्रीमियम के 100 प्रतिशत तक और प्रभारित किया जा सकता है। तथापि, इन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित नहीं किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के विचार से कि आदेश को भलीभांति क्रियान्वित किया जाए, प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं को इसे अपने सभी निम्नांकन कार्यालयों को संसूचित करने के लिए कहा है।

प्राधिकरण ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बीमाकर्ताओं का ध्यान बार-बार पालिसीधारकों का संरक्षण विनियम के मुख्य उपबंधों की ओर आकर्षित किया और उन्हें उनके अनुपालन की सलाह दी। प्राधिकरण ने बीमा कराने वालों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए और शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित बीमाकर्ताओं से बातचीत करने के लिए कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में प्राधिकरण में एक प्रकोष्ठ का गठन करके इनका अनुवर्तन किया।

प्राधिकरण ने, पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए, इसे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा ६४प(ड) के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग किया और ओरिएंटल बीमा कं. लि. तथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कं.लि. को समुद्री पेटा, समुद्री स्थोरा और अग्नि बीमा पालिसियों के अधीन दायित्व के निर्वहन के लिए निदेश दिया।

प्राधिकरण ने सभी जीवन बीमाकर्ताओं को यह निदेश देते हुए एक सूचना जारी की कि वे उपभोक्ताओं के फायदे के लिए अपनी पालिसियों के मूल्यों की संगणना में पारदर्शिता और

खुलापन सुनिश्चित करने के लिए अपनी-अपनी वेबसाइट पर प्रीमियम संगणक की सुविधा सहित प्रीमियम दरों को रखें।

अभी हाल ही में जीवन परिषद् की कार्यकारी समिति ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 68ज(1) के उपबंधों के अधीन सदाचार और अच्छे व्यवहारों के मान अपनाए जाने संबंधी निर्णय दिया है। ये मानक उत्पाद डिजाइन विवरणिकाओं, प्रीमियम प्राप्तियों, उत्पादों पर दृष्टांतों, पालिसी सूचना विवरणों और पालिसीधारकों को वार्षिक विवरण जारी करने के लिए उपबंध किए जाने की बाबत सेवा पैरामीटर उपलब्ध कराते हैं।

प्राधिकरण ने जीवन बीमाकर्ताओं को निदेश दिया है कि वे यूनिट से संबद्ध पालिसियों के नवीनतम शुद्ध आस्ति मूल्य (एन ए बी) को मूल्यांकन की तारीख के साथ उपदर्शित करें। यह अनुबंध यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि पालिसीधारकों को यूनिट से संबद्ध उत्पादों में किए गए निवेश के मूल्य के संबंध में जानकारी हो। प्राधिकरण ने यूनिट से संबद्ध पालिसियों में विक्रय पुस्तिकाओं में प्रभागों के प्रकाशन पर सभी जीवन बीमाकर्ताओं को सूचना जारी की।

प्राधिकरण ने, बीमा ग्राहकों को उनके अधिकारों और दायित्वों, मध्यवर्तियों के कृत्यों, आमबड्समेन स्कीम, आदि के बारे में जागरूक बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शन/आल इंडिया रेडियो पर जागरूकता अभियान आरंभ किया। उपभोक्ता को जानकारी देकर तथा उसकी जागरूकता को बढ़ाकर, प्राधिकरण पालिसीधारकों के हितों को सुरक्षित करना चाहता है। पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान सभी बीमाकर्ताओं को प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई फाइल और उपयोग प्रक्रिया अपनाने तथा प्राधिकरण को सूचना दिए बिना कोई नया उत्पाद न लाने या विद्यमान उत्पादों में संशोधन न करने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था।

(ग) मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्तियों और अभिकर्ताओं के लिए अपेक्षित अर्हताएं, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना :

प्राधिकरण ने वर्ष 2002-03 के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा अधिनियम और तद्धीन बनाए गए विनियमों का अनुपालन और उन्हें प्रशासित किया जाता है, बीमा मध्यवर्तियों और अभिकर्ताओं के लिए अपेक्षित अर्हताओं, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण पर निदेश, परिपत्र, आदेश और संसूचनाएं जारी कीं।

प्राधिकरण ने सभी संबंधित व्यक्तियों को यह संसूचित करते हुए परिपत्र जारी किया है कि भारतीय प्रशासनिक कर्मचारीवृंद महाविद्यालय (ए एस सी आई), हैदराबाद को अनुज्ञप्ति प्राप्त टीपीए के सीईओ/सीएओ को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने तथा परीक्षा लेने के लिए मान्यता दी गई है। विनियम यह उपबंध करते हैं कि टीपीए के सीईओ/सीएओ अर्हताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के अतिरिक्त 100 घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। उक्त अपेक्षा को टीपीए के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना होता है। प्राधिकरण ने अंत अनुबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए उपाए किए। प्रशिक्षण कार्यक्रम, बरसिटी, हैदराबाद द्वारा भारतीय प्रशासनिक कर्मचारीवृंद महाविद्यालय, हैदराबाद के सहयोग से तैयार किया गया था। कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ एएससीआई के परिसर में 3 दिन का व्यावहारिक (घरेलू) प्रशिक्षण भी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला बैच, जिसमें 20 व्यक्तियों ने भाग लिया था, फरवरी, 2003 के मध्य में आयोजित किया गया था। टीपीए को बी.वि.वि.प्रा. विनियमों के अनुबंधों को पूरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए टीपीए के सीईओ/सीएओ के प्रशिक्षण का दूसरा बैच 2003 के सितंबर माह में आयोजित किया गया था। क्षमता विकसित करने और भावी आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए इस बात पर जोर दिया गया था कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में टीपीए के एक से अधिक प्रतिनिधियों को भाग लेना चाहिए।

प्राधिकरण ने साधारण बीमाकर्ताओं और टीपीए, दोनों को यह सलाह दी थी कि यदि बीमा प्रीमियम के अतिरिक्त पृथक फीस प्रभारित करने के कारोबारी विचार से अपने ग्राहकों द्वारा जोर दिए जाने पर कोई करार किया गया था तो वह बी.वि.वि.प्रा. (टीपीए-स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001 की परिधि से बाहर माना जाएगा। बीमाकर्ताओं और टीपीए, दोनों से, ग्राहकों को इस तथ्य के संबंध में स्पष्ट जानकारी देने की बाबत पर्याप्त रूप से सावधान रहना अपेक्षित है। टीपीए को यह सूचना भी दी गई थी कि सीईओ और सीएओ द्वारा भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई से एसोसिएटशिप परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा को मई, 2004 विस्तारित की गई थी। तथापि, प्रशासनिक कर्मचारीवृंद महाविद्यालय द्वारा संचालित 100 घंटे के प्रशिक्षण के संबंध में कोई छूट अनुज्ञात नहीं की गई थी।

बी.वि.वि.प्रा. (निगम अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन) विनियम, 2002 के प्रकाशन के साथ यह अधिसूचित किया गया था कि व्यक्ति अभिकर्ता अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए उत्तरदायी पदाभिहित व्यक्ति, निगम अभिकर्ता अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए भी सक्षम

होगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय बैंकर्स संस्थान, मुंबई को बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए परीक्षक निकाय के रूप में पदाभिहित किया गया था। बैंक के ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए, जो निगम अभिकर्ताओं के लिए बीमा उत्पादों के विक्रय के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति बनने के लिए इच्छुक थे, पाठ्यचर्या भी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की गई थी। निगम अभिकर्ताओं और बीमा दलालों से संबंधित विनियमों में निगम बीमा अभिकर्ताओं, विनिर्दिष्ट व्यक्ति, प्रधान अधिकारी और अन्य विपणनकारी व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और प्रशिक्षण अपेक्षाएं अधिकथित की गई हैं। प्राधिकरण ने मध्यवर्तियों और अभिकर्ताओं के सर्वांगीण विकास के लिए आचार संहिता तथा उनके अधिकारों और कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट किया है।

प्राधिकरण ने बीमा दलालों की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की एक सूची अनुमोदित की है। जीवन बीमा निगम के प्रबंधन विकास केन्द्र, मुंबई के अलावा नेशनल, न्यू इंडिया, आरिएंटल और यूनाइटेड कंपनियों के मुख्य प्रशिक्षण केन्द्रों को भी अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे, बीमा महाविद्यालय, मुंबई और अन्य तीन निजी संस्थानों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या के अनुसार दलालों को प्रशिक्षण देने के लिए अनुमोदित किया गया था। सभी संस्थानों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पाठ्यचर्या सामग्री तैयार करने के लिए कहा गया था। राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे को दलालों के लिए परीक्षक निकाय के रूप में पदाभिहित किया गया है।

(घ) सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचार संहिता निर्दिष्ट करना :

प्राधिकरण ने सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यचर्या को अंतिम रूप दिया और वे किसी वरिष्ठ सर्वेक्षक के अधीन एक वर्ष के व्यावहारिक प्रशिक्षण के पश्चात् परीक्षा देंगे। ऐसी पहली परीक्षा भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई द्वारा फरवरी, 2003 में आयोजित की गई थी। तत्पश्चात् अधिकथित समयसूची के अनुसार परीक्षाएं ली जा रही हैं।

प्राधिकरण ने सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचार संहिता प्रवर्तित करने के लिए उपाय किए। साधारण बीमाकर्ताओं को ऐसे मामलों की सूची के संबंध में, जिनमें एक से अधिक सर्वेक्षक तैनात किए गए थे, और साथ ही किसी बीमाकर्ता द्वारा, प्राधिकरण को सूचित किए बिना ब्लैकलिस्ट किए गए सर्वेक्षकों के संबंध में सूचना देने के लिए कहा था। साधारण बीमाकर्ताओं

से, कंपनियों द्वारा प्रवर्गीकरण पद्धति के क्रियान्वयन पर भी रिपोर्ट की मांग की गई थी। प्राधिकरण ने चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान भिन्न-भिन्न वर्गों के सर्वेक्षकों के लिए वित्तीय सीमाओं को पुनरीक्षित किया। सर्वेक्षकों की वित्तीय सीमाएं रिपोर्ट की सारणी ४४ में दी गई हैं।

(ङ) बीमा कारबार के संचालन में दक्षता का संवर्धन करना :

बीमाकर्ताओं ने बीमा कारबार करने में आने वाली संव्यवहार लागतों को कम करने के लिए नई रणनीतियां बनानी आरंभ कीं। प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, कंप्यूटरों के उपयोग ने कंपनियों को मितव्ययिता प्राप्त करने में सहायता की। निजी बीमाकर्ता बड़ी संख्या में वेब पर पालिसियों को जारी कर रहे हैं, और इस प्रकार प्रभावी रूप से अपनी लागतों को कम कर रहे हैं। बीमाकर्ताओं ने, ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए, अपने वृत्तिकों के लिए सतत वृत्तिक विकास कार्यक्रम आरंभ किए हैं।

कंपनियों के सीईओ ने, मई, 2003 में आयोजित किए गए वार्षिक सम्मेलन में, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों का खुलासा करते हुए प्राधिकरण को प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बीमा कारबार के संचालन में दक्षता का संवर्धन करने के एकमात्र उद्देश्य से प्रबंधन व्ययों को नियंत्रित करने पर जोर दिया। कंपनियों ने, अपनी संक्रियाओं में दक्षता का संवर्धन करने के लिए, प्रचालन स्तरों पर कई अन्य उपाय आरंभ किए हैं। कार्यक्रमों में दक्षता और ग्राहकों को सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्डों, इंटरनेट, ई-ट्रांसफर, आदि के माध्यम से प्रीमियम का संदाय अनुज्ञात किया गया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान जीवन और साधारण, दोनों ही परिषदें काफी सक्रिय थीं। जीवन बीमा परिषद ने, अभिकर्ता प्रतिकर पर अपनी सिफारिशें देने के लिए, जी.एच.ओ. सोनिग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। रिपोर्ट जीवन परिषद को प्रस्तुत की गई थी। साधारण बीमा परिषद ने टैरिफ के उल्लंघन के मामलों के संबंध में सुझाव दिए। इसने नॉक फार नॉक करार, सहबीमा करार जैसे, महत्वपूर्ण करारों का निष्पादन किया और अधिक आयु के लिए अतिरिक्त प्रभारण, प्रथम हानि के आधार पर पालिसी जारी करने, जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया।

(च) बीमा और पुनःबीमा कारबार से जुड़े वृत्तिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन :

एक दक्ष, प्रभावी और प्रगतिशील भारतीय बीमा बाजार का सृजन करने के उद्देश्य से बी.वि.वि.प्रा. और आंध्र प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आई.आई.आर.

एन.) की स्थापना की है, संस्थान अपने सहायक नेटवर्क के माध्यम से उद्योग के फायदे के लिए सेवाएं उपलब्ध कराएगा, जिनके अंतर्गत अनुसंधान और परामर्श, अग्रवर्ती तकनीकी और प्रबंधन कार्यक्रम, स्नातकोत्तर शिक्षा सम्मेलन और आयोजन, बीमा विनियामकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण और प्रकाशन हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान आई आई आर एम ने निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन किया :

- अगस्त, 2002 में हैदराबाद में आई ए आई एस और अंकटेड के साथ संयुक्त रूप से विनियामकों के लिए सिद्धांतों पर सम्मेलन
- अगस्त, 2002 में हैदराबाद में भारत पर विशेष रूप से केन्द्रित करते हुए पेंशन पर सम्मेलन
- जनवरी, 2003 में नई दिल्ली में अंकटेड, ओईसीडी और आईएआईएस के साथ संयुक्त रूप से उभरते बीमा बाजार पर तीसरा सम्मेलन
- मई 2003 में हैदराबाद में एशिया में निजी पेंशन पर ओपीइसीडी/आईएनपीआरएस दूसरा सम्मेलन और दूसरी एशिया प्रशांत क्षेत्रीय आईएनपीआरएस बैठक
- सितंबर, 2003 में हैदराबाद में “भारतीय बीमा बाजार में हाल ही की घटनाएं और भविष्य की संभावनाएं” विषय पर एक उद्योग मंच
- सितंबर, 2003 में हैदराबाद में समुद्री बीमा पर एक गहन पाठ्यक्रम
- अक्टूबर, 2003 में हैदराबाद में पुनःबीमा पर एक गहन पाठ्यक्रम

उपर्युक्त सम्मेलनों में उपयोग की गई शैक्षिक सामग्री और रिपोर्टों को, संदर्भ प्रयोजनों के लिए, संस्थान और प्राधिकरण के पुस्तकालयों में रखी गई हैं। संस्थान ने अंकटेड के सहयोग से बीमा में अंतरराष्ट्रीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (आईपीजीडीआई) आरंभ किया। पाठ्यक्रम को बीमा उद्योग की उच्च अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोगकारी प्रयासों से तैयार किया गया है। इस समय आईपीजीडीआई की प्रथम कक्षा जकार्ता में 20 विद्यार्थियों के साथ संचालित की जा रही है। कक्षा को, आईआईआरएम के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता का पठन अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध आईआईआरएम के अंतरराष्ट्रीय संबद्ध संकाय द्वारा जकार्ता में पढ़ाया जाता है। प्राधिकरण ने बीमा और जोखिम प्रबंध में एक और दो वर्ष की अवधि को स्नातकोत्तर डिप्लोमों को अनुमोदित किया। ये डिप्लोमा अनेक संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाने हैं (सूची रिपोर्ट के

उपाबंध 12 में है)। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान को, प्राधिकरण द्वारा, इसके सदस्यों के फायदे के लिए जोखिम प्रबंध में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन करने के लिए प्राधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण द्वारा आई सी ए आई को, उन चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए, जो सर्वेक्षक और हानि निर्धारक बनने के इच्छुक हैं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए मान्यता दी गई है। संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को, बीमा अधिनियम, 1938 की अपेक्षाओं के अधीन प्रशिक्षण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मान्यता दी जाएगी।

(छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए फीस और प्रभार उद्गृहीत करना :

प्राधिकरण ने, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम अभिकर्ताओं के अनुज्ञापन विनियमों को अधिसूचित किया। निगम अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी या नवीकृत करने के लिए सदेश फीस 250 रुपए है। किसी निगम अभिकर्ता के प्रत्येक विनिर्दिष्ट व्यक्ति से, प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए प्राधिकरण को 500 रुपए की फीस का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है।

प्राधिकरण ने बीमा दलाल विनियमों को अधिसूचित किया। विनियमों के अनुसार किसी प्रत्यक्ष दलाल से 25,000 रुपए की राशि का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है। पुनः बीमा दलालों के लिए अनुज्ञप्ति फीस 75,000 रुपए और सम्मिश्रित दलाल के लिए फीस 1,25,000 रुपए है।

बीमाकर्ताओं, सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों तथा मध्यवर्तियों द्वारा, जिनके अंतर्गत अभिकर्ता, टीपीए, दलाल और निगम अभिकर्ता भी हैं, सदेय आवेदन/प्रसंस्करण/रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के लिए अपेक्षा उपाबंध 10 में हैं।

विनियम, बीमाकर्ताओं द्वारा नवीकरण फीस के संदाय की अपेक्षा करता है। वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए वर्ष 2003-04 में उद्ग्रहण को सकल प्रीमियम के 10 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया। यह छूट, वर्ष 2001-02 और वर्ष 2002-03 में पहले ही से दिए गए फायदे का विस्तारण थी। भारतीय बीमाकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण संबंधी विनियमों में संशोधन के साथ, वर्ष 2003 में रजिस्ट्रीकरण फीस को सकल प्रीमियम के 1 प्रतिशत के 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया और अब यह उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत या पचास हजार रुपए, इनमें रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के समय जो भी अधिक हो, प्रतिवर्ष है।

विनियमों में अपेक्षित फीसों के संदाय में विलंब की दशा में शास्तिक उपबंध भी हैं। तथापि, अभी तक इन उपबंधों को लागू करने का कोई अवसर नहीं आया है।

(ज) बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा कारबार से जुड़े अन्य संगठनों से जानकारी प्राप्त करना, उनकी जांच और अन्वेषण करना, जिसके अंतर्गत उनकी लेखा परीक्षा भी है :

प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान स्थल पर निरीक्षण की क्रिया आरंभ की। प्राधिकरण द्वारा की जा रही निरीक्षण प्रक्रिया को मोटे तौर पर दो वर्गों में रखा जा सकता है, अर्थात् :

- बीमा कंपनियों का संपूर्ण निरीक्षण
- विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लक्षित निरीक्षण

प्राधिकरण के अधिकारियों ने, कुछ बीमाकर्ताओं का, यह देखने के विचार से निरीक्षण किया कि क्या वे अपनी संक्रियाएं और कार्य अपेक्षित वृत्तिक रीति से कर रहे हैं अथवा नहीं। इस निरीक्षण का उद्देश्य, विनियमों और बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन करने की बाबत बीमाकर्ताओं की संक्रियाओं की जांच करना भी था।

प्राधिकरण ने रिलायंस साधारण बीमा कं.लि. पर, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32ख और 32ग के अधीन ग्रामीण क्षेत्र बाध्यताएं पूरा न करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105ख के अधीन शास्ति अधिरोपित की। कंपनी ने यह स्पष्टीकरण देते हुए कि इसका कारण गलत आंकड़ों का रिपोर्ट किया जाना था, इसके विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। प्राधिकरण ने निरीक्षण किया और निष्कर्षों तथा आंकड़ों के सत्यापन के आधार पर कंपनी के विरुद्ध शास्तिक प्रक्रियाओं को निरस्त कर दिया और शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश को वापिस ले लिया।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के कार्यालय, मुंबई-5 ने यह जानकारी मांगी कि क्या i) बीमा सेवाएं; और ii) बीमा सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सभी कर दलालों से सेवाकर रजिस्ट्रीकरण कराया अथवा नहीं और वे कर का संदाय कर रहे थे या नहीं। बीमाकर्ताओं को सीधे आयुक्त को जानकारी देने के लिए कहा गया था।

प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं को, एसजीएल/सीएसजीएल लेखाओं के मासिक समाधान के संबंध में स्थिति की पुष्टि करते हुए और इस बात की भी पुष्टि करते हुए कि उन्हें प्राधिकरण को सूचित करके, संबंधित बीमाकर्ता के बोर्ड की संपरीक्षा समिति के

समक्ष रखा गया था, लोक ऋण कार्यालय को त्रैमासिक आधार पर अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। पुनर्विलोकनाधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण ने कानूनी विवरणियों को स्वसेल प्ररूप में दिए जाने की मांग की।

प्राधिकरण ने सभी अनुज्ञप्तिधारक दलालों को (प्रत्येक मास के अंतिम दिन से) 30 दिन के भीतर उन ग्राहकों के नाम, जिनकी ओर से बीमाकर्ता को कारबार दिया गया है, किए गए कारबार की प्रकृति, प्राप्त की गई दलाली या पारिश्रमिक और उन व्यक्तियों को, जिन्हें संदाय किया गया था, उपदर्शित करते हुए एक विवरण फाइल करने का निर्देश दिया।

बी.वि.वि.प्रा. (बीमाकर्ताओं की आस्तियां, दायित्व और शोधनक्षमता में अंतर) विनियम, 2000 उस रीति को उपबंधित करता है, जिसमें बकाया दावों के लिए और उपगत किंतु रिपोर्ट नहीं किए गए दावों के लिए आरक्षितियां उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसे अवधारण में नियत बीमांकक से, भारतीय बीमांकन सोसाइटी द्वारा प्राधिकरण की सहमति से जारी मार्गदर्शक टिप्पणों का, उस पर प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों की परिधि के भीतर रहते हुए अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है।

प्राधिकरण, बीमाकर्ताओं द्वारा सृजित की जा रही आरक्षितियों की पर्याप्तता के विषय में चिंतित था, इसलिए कुछ और गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का, उनके द्वारा सृजित आरक्षितियों का पुनर्विलोकन करने के लिए लक्षित निरीक्षण किया गया था।

टीपीए के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात्, उनमें से कुछ का निरीक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त बीमा दलालों की भौतिक अवसंरचना, मानव संरचना, समनुदेशित कर्तव्यों के निर्वहन के सामर्थ्य, आदि की जांच करने के लिए उनका निरीक्षण किया गया था।

प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं को ऐसे सभी व्यक्तियों की विशिष्टियां प्रस्तुत करने की सलाह दी थी, जिन्हें दलाली या अन्यथा के रूप में किसी ऐसे पारिश्रमिक का संदाय किया गया, जिसकी राशि कंपनी (कर्मचारियों की विशिष्टियां) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) (क) के अधीन यथाअपेक्षित राशि से अधिक है।

प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें बीमा कंपनियों में विदेशी, साम्या प्रतिधारणों की मानीटिंग को सुकर बनाने के विचार से उन्हें विहित प्ररूप के अनुसार त्रैमासिक आधार पर साम्या प्रतिधारण रूपरेखा के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके अतिरिक्त बीमाकर्ताओं को बीमा कंपनियों के भारतीय संप्रवर्तकों की साम्या प्रतिधारण रूपरेखा को प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

(झ) साधारण बीमा कारबार की बाबत ऐसी दरों, फायदों, निबंधनों और शर्तों का नियंत्रण और विनियम करना, जिनका बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव किया जाए और जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64प के अधीन टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा नियंत्रित और विनियमित नहीं है:

साधारण बीमा कारबार कर रहे सभी बीमाकर्ताओं से, किसी उत्पाद का उपयोग आरंभ करने से 30 दिन पूर्व उसकी दरों, अवधि फायदों, निबंधनों और शर्तों को प्राधिकरण को फाइल करने की अपेक्षा की जाती है। साधारण बीमा कारबार के गैर-टैरिफ वर्गों के लिए क्रियान्वित 'फाइल और उपयोग' पद्धति कंपनियों द्वारा कारबार के लिए प्रतियोगिता करने का बढ़ावा देती है और बीमा कंपनियों के लिए बदलती बाजार परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना आसान बनाती है। यह कंपनियों को अपने ग्राहकों के लिए अधिकाधिक उत्पादों का सृजन करने में सक्षम बनाने के साथ-साथ कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रारूपों की किस्मों को भी लचीला बनाती है। तदनुसार, बीमाकर्ताओं से नए उत्पादों की प्रोफाइल और उनके द्वारा अपनाई गई मूल्य निर्धारण की नीति फाइल करने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रोफाइल के साथ, किसी अधिवक्ता का इस आशय का कथन भी लगा होगा कि प्रस्थापित किए गए निबंधन और शर्तें पालिसीधारकों के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं। कतिपय मामलों में, प्राधिकरण यह जांच करने के विचार से किसी बीमाकर्ता की राय लेता है कि क्या मूल्य निर्धारण वृत्तिक पूर्वधारणाओं और सांख्यिकी के आधार पर की गई है। यद्यपि प्राधिकरण किसी उत्पाद को कोई विनिर्दिष्ट अनुमोदन नहीं देना चाहता, फिर भी वह बीमा उत्पाद की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर इस आशय का प्रत्युत्तर देने का अधिकार सुरक्षित रखता है कि क्या यह ग्राहक के हित में होगा, या यह बीमा बाजार के विकास में सहायक होगा, या झूठे वायदों/स्लालचों से मुक्त होगा या स्वतः संपोषित होगा और अन्य वर्ग/प्रवर्ग के बीमा ग्राहकों से प्राप्त प्रीमियम की आर्थिक सहायता पर निर्भर नहीं होगा। प्राधिकरण के पास उत्पाद के प्रोफाइल और साथ ही मूल्य निर्धारण में परिवर्तन करने का भी अधिकार सुरक्षित है।

वर्ष के दौरान, साधारण बीमाकर्ताओं को बीमा दलालों के लिए वृत्तिक क्षतिपूर्ति बीमा तैयार करने की सलाह दी थी। प्राधिकरण ने सभी साधारण बीमाकर्ताओं को एक परिपत्र जारी किया,

जिसमें बीमाकर्ताओं को प्रथम हानि आधार पर अग्नि बीमा को गृह पैकेज पालिसियों के अंतर्गत लाये जाने की अनुज्ञा दी गई थी। एक और परिपत्र भी जारी किया गया था, जिसमें बीमाकर्ताओं को, सी पी एम-उपस्कर बीमा पालिसी के अधीन विस्तृत पैकेज पालिसी जारी करने के लिए अनुज्ञात किया गया था। वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान प्राधिकरण की "फाइल और उपयोग" प्रक्रिया के अधीन गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा फाइल किए उत्पादों के कंपनीवार ब्यौरे सारणी - 32(i) और (ii) में हैं।

टैरिफ उत्पादों की दशा में, बीमाकर्ताओं से, उत्पादों और मूल्य निर्धारण के ब्यौरों को टैरिफ सलाहकार समिति को फाइल करने की अपेक्षा की जाती है।

(ज) वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करना, जिनमें बीमाकर्ता और अन्य बीमा मध्यवर्ती लेखा बहियां रखेंगे तथा लेखा विवरण देंगे:

सभी बीमाकर्ताओं को बी.वि.वि.प्रा. (बीमा कंपनी के वित्तीय विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्ट का तैयार किया जाना) विनियम, 2002 में संशोधनों के संबंध में बताया गया था। प्राधिकरण ने अकाउंटेंटों और बीमाकर्ताओं के नियत बीमाकर्ताओं से बैठक के पश्चात् उस रीति को स्पष्ट किए, जिसमें वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देते हुए आंकड़ों को रिपोर्ट किया जाना है। परिपत्र के अंतर्गत खंड रिपोर्टिंग, नकद प्रवाह विवरण, प्रबंधकों का पाणिमिक, संबंधित पक्षकार संव्यवहार, पालिसी धारकों के खातों में प्रतिभूतियों का अंतरण, दावे की मान्यता के लिए दिशा-निर्देश, 31 मार्च को बैंक समाधान, निःशुल्क अवधि के लिए उपबंध, आपदा आरक्षितियां, पालिसीधारकों और शेयरधारकों के निवेश, सामाजिक क्षेत्र कारबार, आरंभिक व्यय, 8 वर्ष से अधिक के दावा संदायों का बीमांकिक प्रीमियम में कमी का मूल्यांकन, क्रेडिट कार्ड पर प्रभार का उपाय, अनाबंटित प्रीमियम, अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम, आकस्मिक दायित्व और बीमाकर्ता के मुख्यालय में आर बी आई में एस जी एल खाता खोलने की अनुमति जैसे विषय थे। इसके अतिरिक्त ऐसे दो उपाबंध विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जिनके अधीन बीमाकर्ताओं से पिछले पांच वर्ष के वित्तीय विवरणों और कार्यपालन अनुपातों का संक्षिप्त विवरण दिए जाने की अपेक्षा की गई है। तथापि, प्राधिकरण ने, पब्लिक सेक्टर बीमाकर्ताओं को, उन्हें वित्तीय वर्ष 2002-03 के वार्षिक लेखा तैयार करने में कठिनाई होने के कारण, प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षितियों के सृजन, नकद प्रवाह विवरण तैयार करने और दावा दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन से छूट दी थी।

वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अग्नि और इंजीनियरी बीमापालिसियों के संबंध में असमाप्त जोखिम के लिए उपबंधों से, जो आतंकवाद के जोखिम के प्रति बीमा उपलब्ध कराते हैं, संबंधित आयकर नियम, 1962 के नियम 63 का संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार अग्नि या इंजीनियरी बीमा से, जो आतंकवाद संबंधी जोखिम के लिए हैं, उद्भूत शुद्ध प्रीमियम आय के 100 प्रतिशत को असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षिती में ले जाया जाएगा।

प्राधिकरण ने, बीमाकर्ताओं/मध्यवर्तियों द्वारा फाइल की जाने वाली कानूनी विवरणियों को फाइल और मूल्यांकित किए जाने को कंप्यूटरीकृत करने के लिए पद्धतियों को अंतिम रूप देने के लिए उपाए किए। बीमाकर्ताओं को तीन वर्ष, अर्थात् 2001-02 से 2002-03 तक की अवधि के लिए, उन्हें प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए साफ्ट माड्यूल के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक रूप से लेखाओं को फाइल करने के लिए कहा गया था। नियांत ऋण प्रत्याभूति निगम (ई सी जी सी) को, जो एक विद्यमान कंपनी थी और जिसे प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया था, वित्तीय वर्ष 2002-03 में, उक्त वर्ष के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाओं से छूट दी गई थी।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने हाल ही में बीमाकर्ताओं को उचित मूल्यांकन के लिए, ऐसी प्रतिभूतियों के, जिनमें सक्रियता से व्यापार किया जा रहा, बाजार मूल्य को, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज या बंबई स्टॉक एक्सचेंज में उनके अंत में कोट किए गए अंतिम मूल्य के रूप में रखने के अनुरोध को मान लिया।

(ट) बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन :

प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान निवेशों पर बीमाकर्ताओं को अनेक स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन टिप्पण जारी किए। प्राधिकरण ने मामला-दर-मामला के आधार पर बीमाकर्ताओं को छूट भी दी है। सभी बीमाकर्ताओं को त्रैमासिक आधार पर निवेश विवरणियों सहित विहित प्ररूप के अनुसार धारा 28(2क), 28(2ख) और 28ख(3) के अधीन अनुपालन प्रमाणपत्र फाइल करने के लिए कहा गया था। वर्ष की अंतिम तिमाही के प्रमाणपत्र के साथ अभिरक्षक का एक प्रमाणपत्र भी लगा होना था, जिसमें प्रतिभूतियों के मूल्यों की पुष्टि की गई हो और यह प्रमाणपत्र दिया गया हो कि वे विलगमों, प्रभारों, आडमान और धारणाधिकार से मुक्त हैं। बीमाकर्ताओं को त्रैमासिक रूप से आवधिक आयों और/ या परिपक्वता पर मूल की प्राप्ति में

व्यतिक्रम की विशिष्टियां और उनके लिए किए गए/किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रबंधों की विशिष्टियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। प्राधिकरण ने परस्पर निधियों में निवेश के लिए दिशा-निर्देश में अधिकथित किए थे। निवेशों को, ऐसे निवेशों के लिए अभिदर्शन सन्धियों के अनुसार केवल 'अनुमोदित से भिन्न' प्रवर्ग के निवेशों में ही किया जाना अपेक्षित है। परस्पर निधि में निवेशों के मूल्यांकन के लिए पद्धतियां भी अधिकथित की गई थीं। निवेशों के क्रय और विक्रय तथा बीमाकर्ताओं द्वारा प्ररूप 3क और 3ख के अधीन त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत प्रास्थिति रिपोर्ट के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए बीमाकर्ताओं को प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन की अवधि के भीतर निवेशों के क्रय और विक्रय दर एक समाधान विवरण फाइल करने की सलाह दी है।

(ठ) शोधनक्षमता अंतर बनाए रखने को विनियमित करना

प्राधिकरण, जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों से शोधनक्षमता में विनिर्दिष्ट अंतर बनाए रखने की अपेक्षा करता है। इससे संबंधित सूचना को, इस निमित्त विहित प्ररूपों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। सभी बीमाकर्ताओं ने बीमाकर्ताओं की आस्तियां, दायित्व और शोधन क्षमता अंतर विनियमों में अपेक्षित किए गए अनुसार शोधन क्षमता अंतर के विवरण फाइल किए हैं।

(ड) बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन :

प्राधिकरण, कानूनी उपबंधों के अधीन इसे सौंपे गए कृत्यों का निष्पादन करने के लिए बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों या मध्यवर्तियों के बीच विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए एक तंत्र स्थापित करने जा रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए कोई विवाद निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

(ढ) टैरिफ सलाहकार समिति (टी ए सी) के कार्यकरण का पर्यवेक्षण :

वर्ष 2002-03 में टीएसी की, बीमाकर्ताओं और बीमा कराने वालों के बीच मददगारों की भूमिका के नए आयाम प्राप्त हुए। बाजार के विस्तार से इसे एक ओर निजी क्षेत्र की नई कंपनियों से भलीभांति संगठित आंकड़ों का स्रोत प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर यह टैरिफ के उल्लंघनों के मामलों को, जो प्रतियोगिता के कारण आरंभ में सामने आते हैं, निपटाने में व्यस्त रही। समिति

विभिन्न बीमा उत्पादों के लिए टैरिफ विनियमित करने के साथ-साथ विहित टैरिफ के उल्लंघन के मामलों को भी देखती है और व्यतिक्रमी बीमाकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिसके अंतर्गत शास्ति का अधिरोपण भी है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान समिति ने तीन बैठकों की थीं, जिनमें उल्लंघन की 58 शिकायतों पर विचार किया गया था। 25 मामलों में बीमाकर्ताओं द्वारा उल्लंघन के लिए जुमाने का संदाय किया गया था, 28 मामलों में उल्लंघन को ठीक किया गया था और 5 मामलों में समिति ने यह विनिश्चय किया था कि कोई उल्लंघन नहीं किया गया था। 8 मामलों में भावी टैरिफ पर साधारण निर्णय लिए गए थे। यहां यह स्मरण कराना आवश्यक है कि टैरिफ सनियमों के उल्लंघनों को 1 अप्रैल, 2002 से पुनरीक्षित किया गया था।

टी ए सी का वर्ष के दौरान मुख्य क्रियाकलाप जुलाई, 2002 से भारतीय मोटर टैरिफ के पुनरीक्षण और सुव्यवस्थीकरण से संबंधित था। इस टैरिफ से पहली बार मोटर क्षेत्र में विभेदी रेटिंग कारकों को भूमिका में आने का अवसर मिला—यह बाजार के उदारीकरण का स्पष्ट संकेत था। इससे बीमाकर्ताओं और बीमा कराने वालों को उपलब्ध स्वनिर्णय का क्षेत्र व्यापक हुआ। पुनरीक्षण को विधि के अनेक न्यायालयों में चुनौती दी गई थी और प्राधिकरण तथा टी ए सी ने मोटर बीमा बाजार को जो अब गैर-जीवन बीमा क्षेत्र का 40 प्रतिशत है, सामान्य बनाने के लिए त्वरित उपचारी कार्रवाई की 1 इंजीनियरी टैरिफों (ई ए आर/सी ए आर) के सुव्यवस्थीकरण के लिए कार्यवाही की गई थी और जनता की राय प्राप्त करने के लिए उसके प्रारूप को टी ए सी की वेबसाइट पर रखा गया था। बृहत जोखिमों के लिए एक प्रारूप टैरिफ तैयार किया गया था और प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया था। टी ए सी द्वारा नियंत्रित विद्यमान टैरिफ कारबार की सूची सारणी 52 में है।

जैसा कि प्रत्येक सफल संगठन के मामले में हैं, बीमा उद्योग में भी सुभिज्ञ निर्णय लेने की प्रक्रिया में आंकड़ों का प्रमुख स्थान है। टी ए सी, जिसे बीमा अधिनियम की धारा 68क ड के अधीन बीमाकर्ताओं से आंकड़े एकत्रित करने का आदेश दिया गया है, बीमाकर्ताओं के भावी उपयोग के लिए एक डाटाबेस बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और प्राधिकरण की इसमें सेवा प्रदाता की भूमिका है। विश्व बैंक जैसे बहुपार्श्विक अधिकरणों की सहायता से टी ए सी के भीतर सक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टी ए सी जीवन क्षेत्र में कम हुए जीवनों का भी डाटा बेस रख रही है।

बीमा अधिनियम, 1938 में यथा अधिष्ठापित टी ए सी की भूमिका में, 1 अप्रैल, 2005 से मोटर के स्वक्षति खंड में टैरिफ समाप्त होने के पश्चात् परिवर्तन आने की सम्भावना है। यह आशा की जाती है कि गैर जीवन क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के कारबार में प्रति-आर्थिक सहायता की कमी से बचने के लिए बीमा कारबार के अन्य वर्गों में भी इसे अपनाया जाएगा।

टी ए सी ने, मोटर स्व क्षति भाग को टैरिफ मुक्त करने के लिए गठित रंगराजन समिति और मोटर स्वक्षति टैरिफ उदारीकरण के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु गठित एस बी मोनी समिति को अपने अनुभवों को बताने के साथ-साथ सचिवीय सहायता भी की है। इसने बीमाकर्ताओं और चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स को समय-समय पर टैरिफ कारबार से संबंधित मुद्दों पर भी सलाह दी है। टी ए सी, स्वयं को प्राधिकरण को ऐसी मार्गदर्शी दसों, निबंधनों और फायदों का अवधारण करने के लिए तैयार कर रही है, जिन्हें बीमाकर्ता गैर-टैरिफ उत्पादों के लिए या तब जब टैरिफों को खोल दिया जाएगा, प्रस्थापित कर सकेगा।

सारणी - 52

टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा नियंत्रित टैरिफ कारबार की सूची

अग्नि-आल इंडिया फायर टैरिफ, पेट्रोलसायन टैरिफ, इंडिस्ट्रियल आल रिस्क टैरिफ, पारिणामिक हानि (अग्नि) टैरिफ।

समुद्री-समुद्री देश टैरिफ, मेन्युअल रेटिंग दिशानिर्देश, चाय टैरिफ।

इंजीनियरिंग-कांटेक्टर्स आल रिस्क टैरिफ (सी.ए.आर.) कांटेक्टर्स प्लांट और मशीनरी टैरिफ (सी.पी.एम.), इलैक्ट्रानिक्स इक्विपमेंट इंश्योरेंस टैरिफ (ई.ई.आई.), मशीनरी ब्रेकडाउन टैरिफ (एम.बी.), सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीटेड रिस्क टैरिफ (सी.ई.सी.आर.), स्टोरेज कम इरेक्शन टैरिफ (एस.पी.ई.), लास आफ प्राफिट, बायलर और प्रेशर वैसल टैरिफ, डिटेरियोरेशन ऑफ स्टॉक (पोटेटो) टैरिफ।

मोटर-ऑल इंडिया मोटर टैरिफ।

प्रकीर्ण-कर्मकार प्रतिकर टैरिफ।

(ण) खंड (च) में निर्दिष्ट वृत्तिक संगठनों का संवर्धन करने और उन्हें विनियमित करने के लिए वित्तीय स्कीमों में बीमाकर्ताओं की प्रीमियम आय का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना :

प्राधिकरण, बीमा कारबार में वृत्तिकता के संवर्द्धन की महत्ता को समझता है। बीमा कारबार पर सही और पर्याप्त आंकड़ों को उपलब्ध कराना प्राधिकरण के लिए एक निरंतर चिंता का विषय है। भारतीय बीमांकिक सोसायटी ने इस दिशा में पहलों के आधार पर हाल ही में मृत्यु दर तथा अस्वस्थता दर अन्वेषण ब्यूरो (एम एम आई बी) को स्थापित किया है। यह ब्यूरो, जिसे ए एस आई के तत्वावधान में स्थापित किया गया है, विभिन्न बीमाकर्ताओं से आंकड़े एकत्रित करेगा, और बीमाकर्ताओं के अनुभवों के आधार पर मृत्यु दर तथा अस्वस्थता दर सारणियां तैयार करेगा। ब्यूरो को सभी जीवन बीमाकर्ताओं और प्राधिकरण से निधियां प्राप्त होती हैं।

(त) ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों में बीमाकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले जीवन बीमा कारबार और साधारण बीमा कारबार का प्रतिशत निर्दिष्ट करना :

बीमा क्षेत्र में सुधार संबंधी समिति ने उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोलने पर जोर देने के साथ ही, नई कंपनियों द्वारा ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में कारबार निम्नांकित करने के लिए न्यूनतम अनुबंधों के अध्याधीन रखे जाने पर बल दिया है। उद्योग के जीवन और गैर-जीवन, दोनों प्रकार के बीमाकर्ताओं के लिए अपेक्षा को, प्राधिकरण द्वारा बीमाकर्ताओं के लिए ग्रामीण और

सामाजिक क्षेत्रों के लिए बाध्यताओं पर विरचित विनियमों में अनुबंधित किया गया है। प्राधिकरण ने अक्टूबर, 2002 में इन विनियमों में संशोधन अधिसूचित किए थे। संशोधनों में “ग्रामीण क्षेत्र” पद को पुनः परिभाषित किया गया है और “कृषि उद्देश्यों” का विस्तार किया गया है। संशोधन ‘औपचारिक क्षेत्र’ के संबंध में भी कार्यवाही करते हैं। इसके साथ ही जीवन बीमाकर्ताओं की ग्रामीण क्षेत्र के प्रति बाध्यताओं को बढ़ाया गया है। प्राधिकरण ने, बीमाकर्ताओं द्वारा समाज के प्रति बाध्यताओं को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह विहित किया है कि कोई भी बीमाकर्ता ग्रामीण/सामाजिक क्षेत्र में 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए लेखा वर्ष में अभिलिखित किए गए से कम कारबार नहीं करेगा। संशोधन वित्तीय वर्ष 2002-03 से प्रभावी हुए थे। विनियम बीमाकर्ताओं से यह अपेक्षा करते हैं कि वे अपनी संक्रियाएं आरंभ करने के वर्ष के आधार पर कारबार निम्नांकित करें। इसके अतिरिक्त, विद्यमान पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में किया गया कारबार, पिछले वर्ष में उनके द्वारा निम्नांकित कारबार से अधिक है।

(थ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग जो विहित की जाएं :

सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण को, पालिसीधारकों के हितों की संरक्षा के लिए या देश में बीमा बाजार के विकास के लिए या जहां यह पालिसी विषयों से संबंधित है, शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कह सकेगी। तथापि, प्राधिकरण ने ऐसी किन्हीं शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि सरकार ने प्राधिकरण को ऐसी किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया है।

भाग 4

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के संगठनात्मक विषय

(i) संगठन

वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान प्राधिकरण के संघटन में, कुछ सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण परिवर्तन हुए। इस समय निम्नलिखित व्यक्ति प्राधिकरण के सदस्य हैं :

1. श्री सी.एस. राव, अध्यक्ष
2. श्री पी.ए. बाला सुब्राह्मणियन, सदस्य
3. श्री टी.के. बैनर्जी, सदस्य
- ४ श्री मेथ्यू वर्गीस, सदस्य

श्री एन. रंगाचारी द्वारा अपनी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर पदत्याग किए जाने पर 10 जून, 2003 को श्री सी.एस. राव ने प्राधिकरण की अध्यक्षता ग्रहण की। श्री रंगाचारी सात वर्ष की लंबी अवधि तक प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। श्री सी.एस. राव, प्राधिकरण में पदभार ग्रहण करने से पूर्व लंबे समय तक प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं और वे भारत सरकार के राजस्व सचिव पद से सेवानिवृत्ति हुए हैं।

श्री टी.के. बैनर्जी ने 18 अगस्त 2003 को, प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पद ग्रहण किया। इससे पूर्व वे भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यकारी निदेशक थे। श्री बैनर्जी ने श्री एच.ओ. सोनिंग के, जो 31 दिसंबर 2002 को अपनी पदावधि की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हुए थे, स्थान पर पदभार ग्रहण किया।

श्री मेथ्यू वर्गीस ने 27 अक्टूबर, 2003 को, प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पद ग्रहण किया। प्राधिकरण में आने से पूर्व, वे केनइंडिया बीमा कंपनी लि., कीनिया के प्रबंध निदेशक और प्रधान अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। श्री वर्गीस श्री आर.सी. शर्मा के स्थान पर आए हैं, जो 20 जून 2003 को अपनी पदावधि के अवसान पर सेवानिवृत्त हुए थे।

प्राधिकरण में पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित अंशकालिक सदस्य हैं :

1. श्री विवेक मेहरोत्रा, संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
2. सुश्री मनीषा मोहन अंधनसरे
3. श्री ए.आर. बर्वे, पूर्व उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक

४ श्री आर. भूपति, अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान। प्राधिकरण नीति के रूप में स्वयं की परिकल्पना एक ऐसी छोटी संगठनात्मक संरचना के रूप में करता है, जो उद्योग से लिए गए तकनीकी रूप से अर्हक और सक्षम अधिकारियों द्वारा सम्यक रूप से समर्थित है। इसके अतिरिक्त सतत बढ़ते विनियामक कृत्यों को देखते हुए कर्मचारियों की पद संख्या बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। इसलिए वर्ष 2002-03 में अतिरिक्त अधिकारियों को भर्ती करके कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर ४६ किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण, अपने अधिकारियों को वित्तीय बाजारों में उभरते वित्तीय रुझानों से परिचित कराने और उन्हें विश्व के बीमा उद्योगों में विनियामक रुझानों से अवगत कराने के लिए, अपने अधिकारियों की दक्षता और हुनर के निरंतर उन्नयन की नीति अपनाता है। तदनुसार, प्राधिकरण के अधिकारियों को देश और विदेश दोनों में आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए तैनात करके उनके प्रशिक्षण के लिए नियमित अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने, वर्ष के दौरान मानेदरी आथारिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा एशियाई निदेशकों के लिए, आस्ट्रेलियाई एपीआईसी अध्ययन ने केन्द्र द्वारा बीमा कारबार और पेंशन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम बीमा आयुक्तों की राष्ट्रीय सभा द्वारा आयोजित ग्राहक सेवा और शोधन-क्षमता मुद्दों पर कार्यक्रम, जापान के वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थल पर निरीक्षण पर संगोष्ठी, लंदन के लाटाड द्वारा बीमा दलाली पर प्रशिक्षण; आई ए आई एस द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों आदि में भाग लिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में तकनीकी विषयों पर प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए भाग लिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों को, सार्क देशों के विनियामकों के लिए बी.वि.वि.प्रा. द्वारा आयोजित चार सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का भी अवसर मिला।

वर्ष के दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों को स्थल से परे और स्थल पर निरीक्षण के विभिन्न पहलुओं पर अनुभव प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान, आईआईएफ के तत्वावधान में आयोजित किए गए थे। प्राधिकरण को विश्व स्तर पर विनियामकों के अनुभवों से सीखने में समय लगता है और इसका

लक्ष्य बीमा उद्योग के विनियमन में उच्चतम वृत्तिक मानक स्थापित करना है।

(ii) प्राधिकरण की बैठकें :

वर्ष 2002-03 (अप्रैल से मार्च) के दौरान प्राधिकरण की चार बैठकें बुलाई गई थीं। मुख्यतः सभी बैठकों में उपस्थिति पूर्ण थी, जिससे प्राधिकरण के बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए विचार-विमर्श अर्थपूर्ण रहा।

(iii) मानव संसाधन :

इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक बी.वि.वि.प्रा. में विभिन्न काडरों में 30 अधिकारी और 16 कर्मचारी सदस्य हैं (कुल 46)। दो कार्यकारी निदेशकों के अतिरिक्त, प्राधिकरण के विभिन्न क्रियाकलापों को संभालने के लिए 15 उपनिदेशक और 13 सहायक निदेशक हैं। यह तथ्य कि प्राधिकरण में कार्य कर रहे अधिकांश अधिकारियों को बीमा उद्योग से, जिससे वे काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, लिया गया है, प्राधिकरण के मानव संसाधन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिससे काफी अधिक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, अर्थात्, न केवल नए उदारीकृत बीमा बाजार को निरंतर मानीटर करने के प्रयोजन के लिये अपितु बीमा उद्योग का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए भी निरंतर आधारीक कार्य करना। इन अधिकारियों के, बीमा उद्योग के साथ उनकी पूर्व सहबद्धता के अनुभवों ने उन्हें स्वयं को उनके नए कार्य, अर्थात् बीमा बाजार का विनियमन की मांग के प्रति न्यूनतम संभव समय में अनुकूल बनाने में समर्थ किया है। प्राधिकरण ने इन अधिकारियों को विभिन्न विनियामक कार्यशालाओं, सम्मेलनों और प्रशिक्षणों में, जिनमें से अनेक अंतरराष्ट्रीय विशिष्टताओं के साथ थे, प्रायोजित करके, इनकी जानकारी और अनुभव की प्रशिक्षण और उद्भासन के साथ युक्ति की है, जिससे उन्हें प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित कार्य को प्रभावी ढंग से करने की दक्षता और सक्षमता प्राप्त हुई है।

इसके अलावा, प्राधिकरण ने आगे आने वाली विनियामक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के दीर्घकालिक उद्देश्य से अपने समर्थ कर्मचारियों में वृद्धि करने के लिए दो बार भर्तियां कीं और प्राधिकरण में पदों पर कार्मिकों को नियुक्ति की। इन अधिकारियों

ने न्यूनतम संभव समय में प्राधिकरण की भूमिका को समझ लिया है और निष्ठा तथा परिश्रम से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन आरंभ कर दिया है।

उपरोक्त दो समूह प्राधिकरण के मानव संसाधन का मूल यूनिट हैं।

(iv) राजभाषा का संवर्धन :

प्राधिकरण में हिन्दी के प्रगामी उपयोग के लिए प्रयास जारी हैं। प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने हिन्दी के शासकीय उपयोग में प्रगति के पुनर्विलोकन के लिए त्रैमासिक बैठकें कीं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जून, 2003 में राजभाषा संबंधी संसदीय समिति ने राजभाषा के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए प्राधिकरण के कार्यालय का दौरा किया।

प्राधिकरण में एक हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति करके हिन्दी विभाग को सुदृढ़ किया गया है। प्राधिकरण द्वारा हिन्दी दिवसों और हिन्दी सप्ताहों का भी आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बी.वि.वि.प्रा. पत्रिका के हिन्दी खंड में हिन्दी भाषा की 8 पृष्ठ की अनन्य सामग्री होती है। माइक्रोसाफ्ट ऑफिस एक्स पी के, जिसमें हिन्दी में कार्य करने की अतिरिक्त विशिष्टता है, अलावा द्विभाषीय साफ्टवेयर का क्रय किया गया है।

प्राधिकरण, इसके द्वारा जारी किए गए विभिन्न विनियमों, अधिसूचनाओं और अन्य उपयोगी सामग्रियों को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करा रहा है। निकट भविष्य में विभिन्न प्रकाशनों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के प्रयास आरंभ किए गए हैं। बीमा बाजार से संबंधित सामग्रियों को हिन्दी सहित विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराने को सुकर बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं को विशेषज्ञता दी जा रही है।

(v) सूचना प्रौद्योगिकी की प्रास्थिति :

प्राधिकरण लाखों पालिसीधारकों साधारण जनता को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने तथा प्रभावी विनियामक परिस्थितियों के सृजन के लिए सदा नवीनतम आई टी रुझान अपनाता रहा है। वर्ष 2002-03 के दौरान इस दिशा में क्रियान्वित गतिविधियों और पहलों को आने वाले पैरों में दिया गया है।

प्राधिकरण के सभी अधिकारियों को, उनके दैनिक प्रयोग के लिए नवीनतम आटोमेशन साफ्टवेयर सहित हाई एंड पेंटियम डेस्कटॉप दिए गए हैं। प्राधिकरण के सदस्यों और कार्यकारी निदेशकों को गृह कार्यालय कम्प्यूटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत ई-मेल आई डी और इंटरनेट और साथ ही प्रभावी और त्वरित संचार के लिए ब्राह्म मैसेजिंग भी उपलब्ध कराई गई है।

सभी डेस्कटॉपों को हाई एंड डाटा स्विचों के साथ संरचित केबलिंग नेटवर्क से जोड़ा गया है। सुचारू कार्यकरण और त्वरित संचार के लिए दिल्ली और हैदराबाद कार्यालयों को ६४ के.बी.पी.एस. के समर्पित वायस/डाटा लीज्ड सर्किट से जोड़ा गया है। इस सुविधा के उपयोग द्वारा हैदराबाद कार्यालय में उपलब्ध डाटाबेस और सूचना को दिल्ली कार्यालय में तैनात अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। दैनिक संचार के लिए दो समर्पित वायस लाइन भी उपलब्ध कराई गई हैं।

प्राधिकरण, बीमा कंपनियों से प्राप्त आवधिक विवरणियों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए विकसित की गई प्रबंध सूचना पद्धति को कार्यान्वित करने जा रहा है। इसके सुचारू कार्यान्वयन करने के लिए अब परीक्षण किए जा रहे हैं। सभी कंपनियों को, इस पद्धति के लिए तैयार किए गए प्ररूप में विवरणियां फाइल करने के लिए आवश्यक अनुदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

प्राधिकरण, अपनी वेबसाइट के, उसमें व्यापक सर्च इंजन, विवरणियों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना; ऑन लाईन ई-मेल शिकायतें, स्वचालित ई-मेल अधिसूचनाएं, जैसी अतिरिक्त विशिष्टियों और वेबसाइट के हिन्दी खंड को सम्मिलित करने के लिए नवीकरण की प्रक्रिया कर रहा है।

(vi) लेखा :

31 मार्च, 2002 को समाप्त हुई अवधि के लिए प्राधिकरण के लेखों की लेखा-परीक्षा भारत के महा-लेखापरीक्षक द्वारा की गई है। बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम, 1999 की धारा 17 के उपबंधों के अनुसरण में संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ संसद के सदनों में रखे जाने के लिए भारत सरकार को भेज दी गई है। इस अवधि के लेखों की एक प्रति, सीएजी की टिप्पणियों के साथ (जिनका प्राधिकरण द्वारा अनुपालन किया जा रहा है) इस रिपोर्ट के उपाबंध 13 पर है।

वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए प्राधिकरण के लेखों को अंतिम रूप दे दिया गया है और उन्हें, बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम, 1999 द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार भारत के महालेखा परीक्षक को, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट, टिप्पणियों और प्रमाणन के लिए प्रस्तुत

किए जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया है। उनकी एक प्रति, सी एंड ए जी को यथा प्रस्तुत रूप में, इस रिपोर्ट के उपाबंध 1४ में है।

(vii) आई एस ओ - 9001 और 2000 रजिस्ट्रीकरण :

प्राधिकरण को इसकी संक्रियाओं के निर्धारण के आधार पर आई एस ओ प्रत्यायन दिया गया था। प्राधिकरण को प्रदान किया गया प्रमाणपत्र इस बात की पुष्टि करता है कि प्राधिकरण ने एक क्वालिटी प्रबंध पद्धति की स्थापना की है, जो अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी पद्धति मानक आई एस ओ 9001 और क्यू 9001-2000 के अनुरूप है। यह प्रमाणपत्र मई, 2003 से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य है। प्रमाणपत्र, प्राधिकरण द्वारा अपनाई जा रही क्वालिटी नीति के सम्मान स्वरूप भी है जो यह कथन करती है कि "प्राधिकरण, पालिसीधारकों के हितों की रक्षा, बीमा उद्योग और उससे संबद्ध या पूरक सभी विषयों के विनियमन, संवर्धन और इसमें सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शक रीति में उत्तरदायी विनियामक निकाय के रूप में कार्य करने और क्वालिटी प्रबंध पद्धति के क्रियान्वयन द्वारा निरंतर सुधार के माध्यम से उन्हें संतुष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

(viii) बी.वि.वि.प्रा. पत्रिका

बी.वि.वि.प्रा. पत्रिका के पहले अंक का आंध्र प्रदेश के तत्कालीन माननीय राज्यपाल डा. सी. रंगराजन द्वारा दिसंबर, 2002 में विमोचन किया गया था। उद्योग और इसमें दिलचस्पी लेने वाले व्यक्तियों ने इसका स्वागत किया है। पत्रिका को सूचना के उन्मुक्त प्रसार, स्वतंत्र और निष्पक्ष विश्लेषण और उद्योग के ऐसे चिंता विषयों पर, जो आपदा के सभी व्यष्टियों और कारबारों पर अत्याधिक संवेदनशील रूप से प्रभाव डालते हैं, चर्चा को सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया गया था।

मासिक जनरल का प्रत्येक अंक, ग्रामीण बीमा, निगम शासन, निवेश, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य बीमा, बैंकाशयोरेंस और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी विषय वस्तु पर केन्द्रित होता है, जो उद्योग के लिए सुसंगत है। दिसंबर 2003 में जारी जर्नल के वार्षिक अंक में बीमा उद्योग के तीन वर्ष के उद्गारीकरण की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया गया है। जर्नल उद्योग और इसके पर्यधारियों के लिए अपनी राय व्यक्त करने तथा उद्योग के लिए अनिवार्य विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है और यह प्राधिकरण से समाचार और प्रमाणिक आंकड़ों का स्रोत है।

भाग 5

निष्कर्षात्मक टिप्पणियां

बीमा क्षेत्र को खोलने की प्रक्रिया, वर्ष 1991 में आरंभ हुई आर्थिक सुधार प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में आरंभ हुई थी। सुधार प्रक्रिया का उद्देश्य भारतीय विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को नियंत्रण के ऐसे बंधनों से स्वतंत्र कराना था, जो उनके विकास में बाधा थे और साथ ही उन्हें विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए उन्हें उच्च मानक प्राप्त करने में सहायता करना भी था। यह महसूस किया गया था कि पूरे विश्व के बाजारों के अत्यधिक प्रगतिशील और एकीकृत हो जाने के कारण यह आवश्यक था कि देश के भीतर आर्थिक सुधार प्रक्रिया भारत को इन बाजारों से एकीकृत होने में समर्थ बनाए। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था का इसकी वित्तीय वहनीयता, सक्षमता, प्रौद्योगिकी, विवेकपूर्ण अपेक्षाओं, विनियम और विश्वसनीयता के निबंधनों में उन्नत बनाने के लिए उपाय आरंभ किए गए थे। मल्होत्रा समिति का गठन, वित्तीय सुधारों के, जिनके अंतर्गत बैंककारी क्षेत्र और पूंजी बाजार भी हैं, क्षेत्र में की जाने वाली ऐसी पहलों में से एक था, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं के अनुसार उचित एक अधिक दक्ष और प्रतियोगी वित्तीय प्रणाली का सृजन करना था। बीमा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई थी क्योंकि बीमा क्षेत्र संपूर्ण वित्त प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है।

सुधार प्रक्रिया के एक दशक और निजी कंपनियों के प्रवेश के तीन वर्ष पश्चात् उदारीकृत परिस्थितियों में यह उचित अवसर है कि हम पीछे मुड़ कर देखें और उद्योग के कार्य-निष्पादन और उसके प्रति आशाओं का और विनियामक द्वारा स्वयं के लिए नियत उद्देश्यों का पुनर्विलोकन करें और देखें कि व्यष्टि आकांक्षाओं और प्रतिबद्धताओं को किस सीमा तक प्राप्त/पूरा किया गया है।

प्राधिकरण को, बीमा पालिसियों के धारकों के हितों की रक्षा करने के विचार से बीमा उद्योग का विनियमन, संवर्धन और उसकी चरणबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे जुड़े/समनुषंगी विषयों का समाधान करने के लिए स्थापित किया गया था। पिछले तीन वर्ष में बीमा उद्योग में आमूल चूल परिवर्तन आए हैं। इसके अंतर्गत जीवन और गैर-जीवन, दोनों क्षेत्रों में अनेक बीमाकर्ताओं का प्रवेश है। पूरे विश्व से अनेक विदेशी कंपनियों ने स्थापित भारतीय संप्रवर्तक समूहों के साथ संयुक्त भागीदार के

रूप में उद्योग में प्रवेश किया है। मध्यवर्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है और आज इसके अंतर्गत अभिकर्ताओं के साथ-साथ निगम अभिकर्ता, दलाल, तीसरा पक्षकार प्रशासक और बैंकाशयोरेंस भी हैं जिसने कई नए मार्ग खोले हैं और यह सम्भावना है कि आने वाले वर्षों में बीमा उद्योग का संपूर्ण स्वरूप बदल जाएगा। जीवन और गैर-जीवन दोनों क्षेत्रों में अनेक नए उत्पाद आरम्भ हुए हैं जो ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए तैयार और पैकेज्ड उत्पाद हैं। ग्रामीण तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी जनता की विशेष अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ पहलों की गई हैं बीमाकर्ताओं की प्रीमियम आय में वृद्धि संतोषजनक है, हालांकि प्रत्याभूत स्कीमों को वापस लिया गया है क्योंकि निवेश से होने वाली आय में कमी के कारण बीमाकर्ता दबाव में थे। बदलती बाजार परिस्थितियाँ जिनमें बाजार कार्य कर रहा है, निरंतर नई चुनौतियाँ सामने ला रही हैं और विनियामक ढांचा भी समयानुसार बदलने का प्रयास कर रहा है और ऐसे विनियम बनाए जा रहे हैं, जो प्राधिकरण के, उन परिस्थितियों के उदारीकरण की चल रही प्रक्रिया को समर्थन करने के आशय को दर्शित करता है, जिनमें बीमाकर्ता और विभिन्न मध्यवर्ती कार्य करते हैं। प्राधिकरण ने उद्योग के तीव्र विकास की आवश्यकताओं के प्रति विशेष रूप से प्रयास किए हैं। सम्भवतः, देश में पिछले तीन वर्ष में विनियामक तंत्र में जो विकास हुआ है उसका पूरे विश्व में कोई सानी नहीं है।

यद्यपि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य बीमा उद्योग का विकास है, फिर भी इसने उपभोक्ता संरक्षण, पालिसीधारकों को अच्छी सेवा देने तथा उनकी शिकायत को दूर करने जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया है। उदारीकरण की प्रक्रिया को बीमा पहुंच का विस्तार करने के लिए ही आरम्भ किया गया था। यह महसूस किया गया था कि यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब उद्योग और विनियामक मिलकर भावी ग्राहकों को बीमा के फायदों के प्रति शिक्षित करने का प्रयास करें। इस प्रकार उद्योग के प्रचालन के लिए ढांचा नीयत करने के पश्चात् अब ध्यान बीमा कारबार के सुचारू विकास पर केंद्रित है और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि उद्योग के विकास के फायदे अर्थव्यवस्था के वृहत भाग तक पहुँचे, विशेषकर दबे कुचले तथा कमजोर तबकों तक और बीमा ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों तक पहुँचे।

अर्थव्यवस्था में, जिसमें भी विनियमन को समाप्त किया गया है, ब्याज दरों में महत्वपूर्ण तथा दूरगामी परिवर्तनों ने बीमाकर्ताओं की आय पर प्रभाव डाला है और ऐसे बीमाकर्ताओं के लाभ में कमी आयी है, जो अपने तुलन पत्रों में प्रत्याभूत दायित्व धारण कर रहे हैं, हालांकि इन दायित्वों का कुछ भाग उनके द्वारा धारित दीर्घकालिक निवेशों से पूरा हो गया है। तथापि आज लाभप्रद दीर्घकालिक निवेश अवसर उपलब्ध नहीं हैं। बीमाकर्ताओं को बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने पोर्टफोलियो को नया आकार देना है, किन्तु ऐसा करने के लिए मार्ग सीमित हैं। हाल ही में प्राधिकरण ने इस दिशा में उपाय करने के लिए निवेशों पर विद्यमान विनियमों को पुनरीक्षित और संशोधित किया है जो देश में निवेश परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण आवश्यक था। यद्यपि ब्याज दरों का विनियमन समाप्त करने से वित्तीय बाजार को दक्ष तथा कम लागत में प्रचालन करने में सहायता मिली है किन्तु इसके कारण बाजार में अस्थिरता बढ़ी है जिसके परिणामस्वरूप बीमा कंपनियों के जोखिमों में वृद्धि हुई है। प्राधिकरण, उनके जोखिमों का प्रबंध करने के लिए व्युत्पन्न जैसे समुचित वित्तीय क्षेत्रों में निवेश की अनुज्ञा देने के लिए कार्यवाई कर रहा है।

प्राधिकरण पालिसियों के अधिक संख्या में व्यपगत होने के प्रति चिन्तित है। एक ओर ग्राहक को इस बारे में शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है कि पालिसियों का प्रतिस्थापन उसके हित में नहीं है, दूसरी ओर इस प्रकार व्यपगत होना बीमाकर्ताओं के लाभ को कम करता है। अभिकर्ताओं द्वारा, ग्राहकों को सलाह दिए जाते समय, उचित और पर्याप्त प्रकटन और साथ ही सकारात्मक व्यवहार इस समस्या को दूर कर सकता है। प्राधिकरण इसी संदर्भ में अभिकर्ता बल की उच्च गुणवत्ता पर बल देता है।

प्राधिकरण कुछ समय से जीवन तथा गैर-जीवन, दोनों क्षेत्रों में छूट दिए जाने की समस्या के प्रति चिन्तित है। प्राधिकरण, इसके द्वारा आरम्भ किए गए विज्ञापन अभियान के भाग रूप में इस बात के प्रति जागरूकता बना रहा है कि छूट देना अपराध है और बीमाकर्ताओं को इस संबंध में अपने स्वविनियामक तंत्र को दृढ़ करना होगा। बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों का बाजार आचार चिन्ताजनक विषय है। बीमाकर्ताओं के लिए यह आवश्यक होगा कि वे निगम स्तर पर तथा अपनी परिषदों के माध्यम से संयुक्त रूप में स्वविनियमन के ढंग विकसित करें।

बीमाकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाना अपेक्षित है कि उनके प्रचालन व्ययों को विहित सीमा के भीतर

रखा जाए। यद्यपि नई कंपनियों की दशा में, प्रचालन के प्रारम्भिक वर्षों में इन सीमाओं का उल्लंघन किया जा सकता है किन्तु प्रबंधन को अपने व्ययों पर नज़र रखनी होगी तथा उन्हें कम करने की योजना बनानी होगी। यह, बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता तथा निरंतर घटती ब्याज दरों के संदर्भ में विशेष रूप से आवश्यक है। पब्लिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की दशा में विद्यमान प्रचालन व्ययों में कमी करना, मितव्ययी निजी कंपनियों के साथ प्रतियोगिता में बने रहने के लिए आवश्यक होगा।

प्राधिकरण देश में स्वास्थ्य बीमा की अपर्याप्त पहुँच तथा स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के अवैज्ञानिक मूल्य नियतन के प्रति चिन्तित है। बीमा कंपनियों द्वारा देश में प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद निर्बंधित, महंगे हैं और उनका प्रशासन भी अच्छा नहीं है। उद्योग के इस विशिष्ट क्षेत्र में अभी महत्वपूर्ण रूप से नवीनता नहीं आ सकी है। प्रस्तावित उत्पादों के मूल्यों में जोखिम अंतर भी है। डाटाबेस जीर्णवस्था में है और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मान या मानक नहीं है कि दी गई सेवा की अपेक्षित गुणवत्ता तथा चिकित्सीय सेवाओं का मूल्य युक्तियुक्त है। पर्याप्त डाटाबेस बनाए जाने को पूर्विकता देनी होगी।

ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बाध्यताओं को पूरा करना तथा इन बाध्यताओं को कानूनी अनुपालन के संदर्भ से परे ले जाना महत्वपूर्ण है। बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कारबार आंकड़ें यह दर्शित करते हैं कि बीमा कंपनियाँ इन लक्ष्यों को वर्ष के अंत में वार्षिक बाध्यताओं के रूप में किसी प्रकार पूरा करने के प्रयास कर रही हैं। ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जनता के बदलते स्वरूप के कारण शहरी क्षेत्रों से परे बीमा को बेचने की प्रबल संभावनाएं हैं।

विनिर्माण क्षेत्रों ने अपनी लक्ष्यित विपणन रणनीतियों से पर्याप्त रूप में उपदर्शित किया है। इस अनुभव को बीमा क्षेत्र में भी दोहराए जाने की आवश्यकता है। सफलता से सीख प्राप्त करनी चाहिए जैसा कि सर्वक्षणों/अध्ययनों से पता चलता है।

पूरे विश्व में निगम प्रबंधक वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए अतिरिक्त प्रकटनों का सहारा ले रहे हैं। देश और विदेश, दोनों में प्रकटन अपेक्षाओं को कड़ा बनाया जा रहा है और वित्तीय अनियमितताओं के लिए भारी शास्तियाँ अधिरोपित की जा रही हैं। पूरे विश्व में विनियामक निगम शासन और प्रचालनों में पारदर्शिता की वकालत कर रहे हैं। बीमा उद्योग के लिए यह आवश्यक है कि वह एक स्वविनियामक तंत्र के रूप में अच्छे निगम शासन

3rd वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2002-2003

व्यवहारों को विकसित करें और आवधिक प्रकटनों, चाहे यह तिमाही अथवा छःमाही आधार पर हो, को बढ़ावा दें।

बीमा उद्योग ने, क्षेत्र को खोलने और निजी क्षेत्र की भागीदारी के पश्चात् पिछले तीन वर्ष में एक नियमित विकास दर उपदर्शित की है। संपूर्ण उद्योग के लिए प्रबल संभावनाएं हैं। हालांकि काफी

अधिक प्रगति हुई है, फिर भी प्रशंसाओं से संतुष्ट होना ठीक नहीं है। बीमाकर्ताओं को निश्चित रूप से बाजार अंश अर्जित करने से परे देखना होगा और अपना ध्यान दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और अनुभवहीन उद्योग में, कम से कम उदारीकृत संदर्भ में विश्वास तथा विश्वसनीयता बनाने के लिए अपनी संक्रियाओं में पारदर्शिता की सीमा पर भी ध्यान देना होगा।

बी.वि.वि.प्रा. अधिनियम, 1999 के अधीन बनाए गए विनियम

क्रम सं.	अधिसूचना का नाम	प्रकाशन की तारीख
1.	(1) बी.वि.वि.प्रा. (बीमा सलाहकार सीमिति के सदस्य)	24 मई, 2000
2.	(2) बी.वि.वि.प्रा. (बीमा सलाहकार समिति की नियुक्ति)	16 जून, 2000
3.	(3) बी.वि.वि.प्रा. (बीमा सलाहकार समिति) (बैठक) विनियम, 2000	14 जुलाई, 2000
4.	(4) बी.वि.वि.प्रा. (नियत बीमांकन) विनियम, 2000	19 जुलाई, 2000
5.	(5) बी.वि.वि.प्रा. (बीमांकन रिपोर्ट और संक्षिप्त सार) विनियम, 2000	19 जुलाई, 2000
6.	(6) बी.वि.वि.प्रा. (बीमा अधिकर्ताओं का अनुज्ञापन) विनियम, 2000	19 जुलाई, 2000
7.	(7) बी.वि.वि.प्रा. (बीमाकर्ताओं की आस्तियां, दायित्व और शोधन क्षमता अंतर) विनियम, 2000	19 जुलाई, 2000
8.	(8) बी.वि.वि.प्रा. (साधारण बीमा-पुनःबीमा) विनियम, 2000	19 जुलाई, 2000
9.	(9) बी.वि.वि.प्रा. (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2000	19 जुलाई, 2000
10.	(10) बी.वि.वि.प्रा. (बीमा विज्ञापन और प्रकरण) विनियम, 2000	19 जुलाई, 2000
11.	(11) बी.वि.वि.प्रा. (बीमाकर्ताओं का ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र में दायित्व) विनियम, 2000	19 जुलाई, 2000
12.	(12) बी.वि.वि.प्रा. (बैठकें) विनियम, 2000	19 जुलाई, 2000
13.	(13) बी.वि.वि.प्रा. (निवेश) विनियम, 2000	16 अगस्त, 2000
14.	(14) बी.वि.वि.प्रा. (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2000	29 अगस्त, 2000
15.	(15) बी.वि.वि.प्रा. [बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (अनुज्ञापन, वृत्तिक अपेक्षाएं और आचार संहिता)] विनियम, 2000	24 नवंबर, 2000
16.	(16) बी.वि.वि.प्रा. (जीवन बीमा-पुनःबीमा) विनियम, 2000	23 दिसंबर, 2000
17.	(17) बी.वि.वि.प्रा. (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2001	31 मई, 2000
18.	(18) बी.वि.वि.प्रा. (तीसरा पक्षकार - स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001	17 सितंबर, 2000
19.	(19) बी.वि.वि.प्रा. (पुनःबीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2001	8 जनवरी, 2002
20.	(20) बी.वि.वि.प्रा. (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2002	2 अप्रैल, 2002
21.	(21) बी.वि.वि.प्रा. (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्ट का तैयार किया जाना) विनियम, 2002	2 अप्रैल, 2002
22.	(22) बी.वि.वि.प्रा. (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002	30 अप्रैल, 2002
23.	(23) बी.वि.वि.प्रा. (बीमा दलाल) विनियम, 2002	17 अक्टूबर, 2002
24.	(24) बी.वि.वि.प्रा. (बीमाकर्ताओं के ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र में बाध्यताएं) (संशोधन) विनियम, 2002	17 अक्टूबर, 2002
25.	(25) बी.वि.वि.प्रा. (निगम अधिकर्ताओं का अनुज्ञापन) विनियम, 2002	17 अक्टूबर, 2002
26.	(26) बी.वि.वि.प्रा. (बीमा अधिकर्ताओं का अनुज्ञापन) (संशोधन) विनियम, 2002	17 अक्टूबर, 2002
27.	(27) बी.वि.वि.प्रा. (पालिसीधारकों के हितों की संरक्षा) (संशोधन) विनियम, 2002	17 अक्टूबर, 2002
28.	(28) बी.वि.वि.प्रा. (प्रोमियम प्राप्त करने की रीति) विनियम, 2002	17 अक्टूबर, 2002
29.	(29) बी.वि.वि.प्रा. (अधिशेष का वितरण) विनियम, 2002	14 दिसम्बर, 2002
30.	(30) बी.वि.वि.प्रा. (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2002	7 मार्च, 2003

छूटप्राप्त बीमाकर्ता

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1.	गुजरात बीमा निधि
2.	म.प्र. राज्य फसल बीमा
3.	दमण और दीव फसल बीमा निधि
4.	दादरा और नागर हवेली फसल बीमा
5.	केरल राज्य बीमा विभाग
6.	कर्नाटक सरकार बीमा विभाग
7.	तमिलनाडु फसल बीमा निधि
8.	पांडिचेरी फसल बीमा निधि
9.	कर्नाटक सरकार फसल बीमा निधि
10.	आं.प्र. राज्य फसल बीमा
11.	राजस्थान राज्य बीमा निधि
12.	दिल्ली राज्य फसल बीमा निधि
13.	हरियाणा राज्य फसल बीमा निधि
14.	हिमाचल प्रदेश फसल बीमा निधि
15.	उत्तर प्रदेश फसल बीमा निधि
16.	राजस्थान राज्य फसल बीमा निधि
17.	सी एच एन एच बी सभा
18.	पश्चिमी बंगाल फसल बीमा निधि
19.	उड़ीसा राज्य फसल बीमा निधि
20.	बिहार फसल बीमा
21.	त्रिपुरा फसल बीमा
22.	असम राज्य फसल बीमा
23.	मेघालय राज्य फसल बीमा निधि
24.	मणिपुर राज्य फसल बीमा निधि
25.	अण्डमान और निकोबार प्रशासन फसल बीमा निधि
26.	महाराष्ट्र राज्य फसल बीमा निधि
27.	महाराष्ट्र सरकार बीमा निधि
28.	गोआ राज्य फसल बीमा

31 मार्च, 2003 को अभिकर्ताओं के लिए वितरण मार्गों के आंकड़ें

बीमाकर्ता	व्यक्ति अभिकर्ता		निगमित अभिकर्ता		योग	
	नया	नवीकरण	नया	नवीकरण	नया	नवीकरण
जीवन बीमाकर्ता						
एलाएज बजाज जीवन बीमा कं. लि.	14,157		45		14,202	
आई एन जी वैश्य जीवन बीमा कं. लि.	3,906		8		3,914	
ए एम पी सनमार बीमा कं. लि.	1,599		9		1,608	
एस बी आई जीवन बीमा कं. लि.	2,218		6		2,224	
टाटा-एआईजी जीवन बीमा कं. लि.	15,451		108		15,559	
एच डी एफ सी स्टैंडर्ड जीवन बीमा कं. लि.	11,237		75		11,312	
आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल जीवन बीमा	23,820	5	133	3	23,953	8
बिरला सनलाईफ बीमा कं. लि.	6,175	4	139		6,314	4
अवीवा भारतीय जीवन बीमा कं. प्र. लि.	1,868		2		1,870	
ओम कोटक महेन्द्रा जीवन बीमा कं. लि.	3,730		55		3,785	
मैक्स न्यूयार्क जीवन बीमा कं. लि.	5,766	7	4		5,770	7
मैटलाईफ भारतीय जीवन बीमा कं. प्रा. लि.	1,453	1	10		1,463	1
भारतीय जीवन बीमा निगम	479,027	468,378	159	1	479,186	468,379
कुल योग	570,407	468,395	753	4	571,160	468,399
गैर-जीवन बीमाकर्ता						
रॉयल सुन्दरम एलाएज बीमा कं. लि.	207	4	12	3	219	7
टाटा-एआईजी साधारण बीमा कंपनी लि.	670	3	137		807	3
रिलायंस साधारण बीमा कंपनी लि.	215	12	33		248	12
इफको-टोकियो साधारण बीमा कं. लि.	321	31	32		353	31
आई सी आई सी आई लोमबार्ड साधारण बीमा कं. लि.	724	1	2		726	1
बजाज एलाएज साधारण बीमा कं. लि.	921	24	45		966	24
एचडीएफएस चब साधारण बीमा कंपनी लि.	12	2			12	2
चोलामंडलम एम एस साधारण बीमा कं. लि.	182	1	15		197	1
द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	6,520	14,111	26	9	6,546	14,120
नेशनल बीमा कं. लि.	7,651	11,544	38	11	7,689	11,555
यूनाईटेड इंडिया बीमा कं. लि.	6,015	10,218	32	15	6,047	10,233
द ओरिएंटल बीमा कं. लि.	4,712	10,031	26	7	4,738	10,038
कुल योग	28,150	45,982	398	45	28,548	46,027
सकल योग	598,557	514,377	1,151	49	599,708	514,426

31 मार्च, 2003 को अभिकर्ताओं के लिए वितरण मार्गों के आंकड़े—ग्रामीण और शहरी

बीमाकर्ता	ग्रामीण	शहरी
जीवन बीमाकर्ता		
एलाएंज बजाज जीवन बीमा कं. लि.	13,632	570
आई एन जी वैश्य जीवन बीमा कं. लि.	3,870	44
ए एम पी संमार बीमा कं. लि.	1,282	326
एस बी आई जीवन बीमा कं. लिमिटेड	2,152	72
टाटा-एआईजी जीवन बीमा कंपनी लि.	15,539	20
एच डी एफ सी स्टैंडर्ड जीवन बीमा कं. लि.	10,803	509
आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल जीवन बीमा	23,619	342
बिरला सनलाईफ बीमा कं. लि.	6,233	85
अवीवा भारतीय जीवन बीमा कं. प्रा. लि.	1,566	304
ओम कोटक महेन्द्रा जीवन बीमा कं. लि.	3,426	359
मैक्स न्यूयार्क जीवन बीमा कं. लि.	5,735	42
मैटलाइफ भारतीय जीवन बीमा कं. प्रा. लि.	1,447	17
भारतीय जीवन बीमा निगम	468,133	479,432
कुल योग	557,437	482,122
गैर-जीवन बीमाकर्ता		
रॉयल सुन्दरम् एलाएंज बीमा कं. लि.	201	25
टाटा-एआईजी साधारण जीवन बीमा कं. लि.	769	41
रिलायंस साधारण बीमा कंपनी लि.	256	4
इफको-टोकियो साधारण बीमा कं. लि.	343	41
आई सी आई सी आई लोमबार्ड साधारण बीमा कं. लि.	580	147
बजाज एलाएंज साधारण बीमा कं. लि.	898	92
एच डी एफ सी चब साधारण बीमा कंपनी लि.	13	1
चोलामंडलम एम एस साधारण बीमा कं. लि.	190	8
द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	15,259	5,407
नेशनल बीमा कं. लि.	14,410	4,834
यूनाईटेड इंडिया बीमा कं. लि.	11,002	5,278
द ओरिएंटल बीमा कं. लि.	11,502	3,274
कुल योग	55,423	19,152
सकल योग	612,860	501,274

तीसरा पक्षकार प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं

क्र.सं.	कंपनी	सम्पर्क व्यक्ति/ पता	टेलीफोन	फैक्स नं.
1	डॉन सर्विसिज प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 001)	डा. आर. सुरेख कुमार, प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यपालक, अधिकारी प्लांट सं. 37, संतोशीमां कॉलोनी, पश्चिमी मेरेडयली, सिकंदराबाद - 500 026 ई-मेल:dawnservices@rediffmail.com	7808810 7808809 7808974	040-7801813
2	पारिख हेल्थ मैनेजमेंट (प्रा.) लि. (अनुज्ञप्ति सं. 002)	श्री मिमिश आर. पारिख, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, द फोरम, दूसरा तल, रघुवंशी मिल्स कम्पाऊंड, 11/12, सेनापति बापट मार्ग, महालक्ष्मी मुम्बई - 400 013	4611022 /3/4	022-4611021
3	मेडि असिस्तु इंडिया प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 003)	श्री गणेश सुब्रह्मणियम, निर्देशक, 4/1, देवीयाह कोट, प्रथम तल, 22वां क्रॉस, जयानगर, तीसरा ब्लॉक, बंगलौर - 560 011	080-6538790/91/92	080-6538793
4	गोवर्धन हेल्थ मैनेजमेंट प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 004)	डा. ओलिंडा टिक्स, केएससीएमएफ बिल्डिंग सं. 8, कनिंघम रोड, बंगलौर - 560 052	2204643 2265744	
5	एम डी इंडिया हेल्थकेयर सर्विसेज (प्रा.) लि. (अनुज्ञप्ति सं. 005)	श्री ब्रिज शर्मा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 261/2/7, सिल्वर ओक पार्क, बेनर रोड, पुणे - 411 045	020-7292040 - 43	
6	पैरामाऊंट हेल्थ सर्विसिज प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 006)	डा० नयन शाह, प्रबंध निर्देशक, 81, बरोदावाला मेंशन, डा० ऐनी बेसेंट रोड, मुम्बई - 400 018 ई-मेल:pnm@vsnl.com	022-4620800	022-24985507/08
7	ई मेडिटेक सोल्यूशन लि. (अनुज्ञप्ति सं. 007)	श्री गोपाल वर्मा, प्रबंध निर्देशक, 45, नत्थूपुर रोड, डीएलएफ फेस - III, गुडगांव Contactus@emeditek.com	0124-25062068-70	0124-25062071

क्र.सं.	कंपनी	सम्पर्क व्यक्ति/ पता	टेलीफोन	फैक्स नं.
8	हेरिटेज हेल्थ सर्विसिज प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 008)	श्री एस.के. बजोनिया, निर्देशक, मकलाई हाउस, 3, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001 ई-मेल: heritage_health@bajoria.com	033-22482411	033-22480482
9	यूनिवर्सल मेडि-एंड सर्विसिज लि. (अनुज्ञप्ति सं. 009)	श्री जी.पी. सुरेखा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 1104, आकाशद्वीप, 26, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001 ई-मेल: info@umsltpa.com	011-51515197-99	011-2332 0101
10	मेडिकेयर फाउंडेशन प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 010)	डा० अजय एस्तिबेरियो, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, 1120, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी पोरवोरिम, ऐल्टो बेटिम, गोआ - 403 521 ई-मेल: helpdesk@medicarefoundation.com	0832-414006	0832-414007
11	टॉवर इंशोरेंस सर्विसिज प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 011)	सुश्री एम.एस. महिंद्रा, अध्यक्ष, 519 मेकर चैम्बर V, नरीमन पॉईंट, मुम्बई - 400 021	022-22844364 56338492/97/98 2835359	022-22040032
12	मेडिकेयर टी पी ए सर्विसेज (आई) प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 012)	ब्रिनोडी.जे. घोशाल (सेनानिवृत) निर्देशक, फ्लैट नं. 10, पॉल मैशन, 6, बिशप लिफरे रोड, कोलकाता - 700 020. ई-मेल: medicaretpa@rediffmail.com	033-2873385 Helpline: 9830060861	
13	फैमिली हेल्थ प्लॉन लि. (अनुज्ञप्ति सं. 013)	श्री ए.पी.वी. रेड्डी, मुख्यकार्यपालक अधिकारी, आदित्य जेआर टावर, 8-2-120/86/9 एआरबी एएंडबी 3रा और 4था तल, मार्ग संख्या 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद - 500 034	040 - 23556464 टॉल फ्री नं. 040-23556464 040-23556262	040 - 23556262
14	आईसीएएन हेल्थ सर्विसेज प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 014)	श्री थोमस मैथ्यू, प्रबंध निदेशक, ए-9/2, मीना नगर, कोहरेगांव पार्क, पुणे - 411 001.	020-4001171,2,3	020-4001171,2,3
15	रक्षा टीपीए प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 015)	श्री पवन भल्ला, मुख्य कार्यपालक निर्देशक 15/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद - 121 003, हरियाण	0129 2250000 2250001 5046822 मोबा. : 9810009517 टॉल फ्री नं. 1600 12 1444	0129 2250002

क्र.सं.	कंपनी	सम्पर्क व्यक्ति/ पता	टेलीफोन	फैक्स नं.
16	टीटीके हेल्थ केयर सर्विसिज प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 016)	श्री गिरीश राव, प्रबंध निदेशक, #7, जीवन बीमा नगर मेन रोड, एचएएल, तीसरा स्टेज, बंगलौर - 560 075 ई-मेल: care@tkhealthcareservices.com	080-51155030 51155031	080- 5115032
17	एनयूथा मैडिनेट हेल्थ केयर प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 017)	डा० एन रविंदर शेट्टी, निर्देशक, 65, लावेली रोड, चौथा क्रॉस, बंगलौर - 560 001. ई-मेल: anyutaminedet@hotmail.comAnuta	080-2214766 2210205 (मो)-9845010136	
18	ईस्ट वेस्ट असिस्ट प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 018)	डा० एन पी एच चावला, प्रबंध निदेशक, 37, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली - 110 011. ई-मेल: assistance@eastwestassist.com	011- 24699229 24623738	011-24694696
19	मेड सर्वे हेल्थ केयर लि. (अनुज्ञप्ति सं. 019)	श्री राजन सुब्रमन्यम, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एफ-701ए, लाडो सराय, गोल्फ कोर्स के पीछे नई दिल्ली - 110 030	011-26611061-66 टॉल फ्री नं. : 1600111142	011-26611067
20	जेनिस इंडिया लि. (अनुज्ञप्ति सं. 020)	श्री राकेश कपूर, प्रबंध निदेशक, 41, अरुण विहार, सैक्टर - 37] नोएडा - 201 303.	24430329/139/0114	24430064
21	अलंकित हेल्थकेयर प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 021)	श्री आलोक कुमार अग्रवाल, निर्देशक, 234, डीडीए आफिस काम्प्लेक्स झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055. ई-मेल: health@alankit.com	23540641 23614186	फैक्स (निगम का.) 011-23680881 23552001
22	भाईचंद अमोलक इनश्योरेंस सर्विसिज प्रा.लि. (अनुज्ञप्ति सं. 022)	श्री फिलिक्स वल्डर, सीईओ कमर्शियल यूनियन हाऊस 2रा तल, 9 वेलेस स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई - 400 001. ई-मेल: bhamoluk2@vsnl.com	022-22077212 22077213 22077214 22070916	022-22073204
23	गुड हेल्थप्लान लिमिटेड (अनुज्ञप्ति सं. 023)	श्री एम. वैक्टेसवरलू, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, #112, मारुति रोड, अपार्टमेंट, राजभवन, रोड, सोमाजी दुर्गा, हैदराबाद - 500 082. ई-मेल: ghpl@sify.com	040 - 5582 5003	040 - 5582 8081

दलालों को मंजूर की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या – राज्य-वार आंकड़ें

राज्य/ शहर	मंजूर की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या 2002-03
महाराष्ट्र	संयुक्त 8 + पुनःबीमा 4 + प्रत्यक्ष 5 = 17
मुम्बई	15
पुणे	2
आंध्र प्रदेश	1 संयुक्त + 6 प्रत्यक्ष = 7
हैदराबाद	7
नई दिल्ली	1 संयुक्त + 5 प्रत्यक्ष = 6
गुजरात	प्रत्यक्ष 1
राजकोट	1
केरल	प्रत्यक्ष 1
तमिलनाडु	1 संयुक्त + 5 प्रत्यक्ष = 6
चेन्नई	6
पश्चिमी बंगाल	1 संयुक्त + 1 प्रत्यक्ष = 2
कोलकाता	2

मंजूर की गई अनुज्ञप्तियों की कुल संख्या

1. संयुक्त	=	12
2. पुनःबीमा	=	4
3. प्रत्यक्ष	=	24
योग	=	<u>40</u>

31 अक्टूबर 2003, तक मंजूर की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या 125 है।



उपाबंध - VII

बीमा दलाल

प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान 30 जनवरी, 2003 की सूचना को आगे बढ़ाते हुए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002; बीमा अधिनियम, 1938; और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंधों के निबंधनों में, निम्नलिखित कंपनियों को बीमा दलाल अनुज्ञप्तियां जारी कीं :

प्रमाणपत्र सं.	अनुज्ञप्ति कोड सं.	आवेदक का नाम	पता	टेलीफोन नं.	अनुज्ञप्ति की प्रकृति	प्रधान अधिकारी	अनुज्ञप्ति की अवधि
101	डीबी-001/ 02	इंडिया इनश्योर मैनेजमेंट सर्विसिज	फ्लैट सं.-305, चौथा तल, अर्चना आरकेड, सेन्ट जॉस रोड सिकंदराबाद 500 025	(040)7822994/ 7822990	प्रत्यक्ष (केवल साधारण)	वी. रामाकृष्ण	30/1/2003 से 29/1/2006
102	डीबी-005/ 02	एसीएमई बीमा सेवाएं प्रा.लि.	3ए, तीसरा तल, जमालय, 17 जगननाथन रोड, नुगमबक्कम, चैन्नई 600 034	(044)28240520/ 28240521	प्रत्यक्ष	आई विक्रम	30/1/2003 से 29/1/2006
103	डीबी-009/ 02	आर्मर कनसेल्टेंट्स प्रा.लि.	सं. 2ए प्रकासम रोड, दूसरा तल दूसरा तल, टी नगर, चैन्नई 600 017	(044) 52121900	प्रत्यक्ष	एस.पी. रघुनाथन, एफ आई आई	30/1/2003 से 29/1/2006
104	सीबी-013/ 02	टीटीके इनश्योरेंस सर्विसेज प्रा.लि.	1-1-782/बी/5, गांधी नगर, हैदराबाद 500 080	(040)27645070/ 27612232	संयुक्त	टी. नारायन राव	30/1/2003 से 29/1/2006
105	डीबी-014/ 02	हैलिओस इनश्योरेंस सर्विसेज प्रा.लि.	आर ई 302 लोटस प्लाज, स्ट्रीट सं. 11, हिमायत नगर, हैदराबाद 500 029	(040)27765755/ 27634553	प्रत्यक्ष	डा. सी.वी. रामानन रेड्डी	30/1/2003 से 29/1/2006
106	डीबी-020/ 02	फस्ट पोलिसी इश्योरेंस एडवाइसर्स प्रा.लि.	एलप्रो कंपाऊंड, चिनचवाड, पुणे 411 003	(020)24103410/ 27471458	प्रत्यक्ष	अशोक जैन	30/1/2003 से 29/1/2006
107	डीबी-026/ 02	एक्सीलेंट इनश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसिज लि.	8-3-961/बी, श्रीनगर कालोनी, हैदराबाद 500 073	(040)23752536/ 23752537	प्रत्यक्ष	डा. के. मुरलीधर रेड्डी	30/1/2003 से 29/1/2006
108	सीबी-024 02	के.एस. दस्तूर रीड्श्योरेंस ब्रोकर्स प्रा.लि.	कमबाटा भवन, 42 महात्मापि कारवे रोड, मुम्बई 400 020	(022)22855855	संयुक्त	पुरुषोत्तम रेड्डी	30/1/2003 से 29/1/2006
110	डीबी-004/ 02	यूनिकोर्न इनश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा.लि.	ए-211, शिवालिक एनक्लेव, मालवीय नगर, नई दिल्ली 110 017	(011) 6681890/ 26682213	प्रत्यक्ष	अशोक के. शर्मा	30/1/2003 से 29/1/2006

प्रमाणपत्र सं.	अनुज्ञापि कोड सं.	आवेदक का नाम	पता	टेलीफोन नं.	अनुज्ञापि की प्रकृति	प्रधान अधिकारी	अनुज्ञापि की अवधि
111	सीबी-022/02	टावर इश्योरेंस एंड रीइश्योरेंस सर्विसज (इंडिया) प्रा.लि.	519, मेकर चैम्बर्स V, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई 400 021	(022)22844364/ 22835359	संयुक्त	एस.बी. पंढारकर	30/1/2003 से 29/1/2006
112	डीबी-041/02	बेस्ट इश्योरेंस सर्विसिज प्रा.लि.	36/2, थॉबिया रोड, पश्चिमी ममबालम, चैन्नई-33	(044)56106497/ (0435) 2422357	प्रत्यक्ष	के. एस. उमापति	13.2.03 से 12.2.06
113	सीबी-011/02	सुप्रारोप जर्नल इश्योरेंस सर्विसिज एंड ब्रोकर्स लि.	6 एम, 7वां तल, सेंचुरी प्लाजा, 560-562, माडुटे रोड, टेयनापेट, चैन्नई 600 018	(0435) 2422357	संयुक्त	पी. वी. रथीनाभन	18.2.03 से 17.2.06
114	सीबी-010/02	हैरिटेज फाएनांस एंड ट्रस्ट (इंडिया) प्रा.लि.	मैकलौड हाउस, 3 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता 700 001	(044)24348129/24348130	संयुक्त	आर.एम. सोलंकी	18.2.03 से 17.2.06
115	सीबी-028/02	मंकड एंड एसोसिएट्स इश्योरेंस सर्विसिज प्रा.लि.	809, रहेजा सेंटर, 8वां तल, प्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई 400 021	(022)22885803-4/ 22856369	संयुक्त	के.एस. मन्कड	18.2.03 से 17.2.06
116	डीबी-037/02	एस एम बी इश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा.लि.	इश्योरेंस पार्क, टी.सी. 12/133, पुष्पा विहार, सामने क्वीलॉन रेडियो सर्विस, प्लाम्बुड, पाटम पी.ओ. त्रिवेन्सम 650 004	(0471) 2303620 22856369	प्रत्यक्ष	डा॰ (श्रीमती) जयश्री वल्लभन	18.2.03 से 17.2.06
117	डीबी-035/02	ए एंड एम इश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा.लि.	903, विक्रांत टॉवर, रजिन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110 008	(011) 25713136	प्रत्यक्ष	मनीषा महाजन	18.2.03 से 17.2.06
118	सीबी-033/02	पाइनिअर इश्योरेंस सर्विसिज प्रा.लि.	1219 मेकर चैम्बर्स V, नरीमन पॉइंट, मुम्बई 400 021	(022) 22021171	संयुक्त	अशोक दलवी	24.02.03 से 23.02.06
119	सीबी-052/02	एओन ग्लोबल इश्योरेंस सर्विसिज प्रा.लि.	ग्रीम एश्योरेंस हाऊस, चौथा तल, सर पी.एम. रोड, मुम्बई 400 001	(022) 22660771/ 56308731	संयुक्त	नील मैथ्यू	3.3.03 से 2.3.06
120	सीबी-023/02	मार्श इंडिया प्रा.लि.	'एस्सार हाऊस' 8वां तल, 11 केशव खांडे मार्ग, महालक्ष्मी, मुम्बई 400 034	(022) 24954675	संयुक्त	संजय कोडिया	3.3.03 से 2.3.06
121	आरबी-039/02	मथरावाला एंड संस (ब्रोकर) प्रा.लि.	सुईट सं. 3 एंड 4, तीसरा तल बम्बई मिचुअल बिल्डिंग, पी.एम. रोड, मुम्बई 400 001	(022) 22614513/ 22661766	पुनः बीमा	बी.पी. मथरावाला	3.3.03 से 2.3.06

प्रमाणपत्र सं.	अनुज्ञप्ति कोड सं.	आवेदक का नाम	पता	टेलीफोन नं.	अनुज्ञप्ति की प्रकृति	प्रधान अधिकारी	अनुज्ञप्ति की अवधि
122	आरबी-034A/02	एम.बी. बोडा रीइन्श्योरेंस ब्रोकर्स सर्विसिज प्रा.लि.	134-136/सी, मित्तल कोर्ट, 13वां तल, सी-विंग, नारिमन पाईंट, मुम्बई 400 021	(022) 22043894/ 22875836	पुनः बीमा	केतन एम. बोडा	3.3.03 से 2.3.06
123	डीबी-019/02	चावला एण्ड एसोसिएट्स इंश्योरेंस सर्विसिज प्रा.लि.	“कमल झा” 1306, शिवाजी नगर, आफिस जे.एम. रोड, जे.एम. रोड, पुणे 411 005	(020) 5534961/ 5444561	प्रत्यक्ष	टी. आर. बालान	3.3.03 से 2.3.06
124	डीबी-092/03	स्ट्रैटिजिक इंश्योरेंस सर्विसिज प्रा.लि.	604, रिवीएरा अपार्टमेंट्स, द्वाराकपुरी कॉलोनी, मॉडल हाऊस लेन के समीप, पंजागुट्टा, हैदराबाद 500 082	(040) 55669419/ 23371796	प्रत्यक्ष (केवल साधारण)	ए. मुस्ली मुकुंद	3.3.03 से 2.3.06
125	डीबी-016/02	अलंकृत इंश्योरेंस सर्विसिज लि.	205-208, अनाकली कॉम्प्लेक्स इंडवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110 055	(011) 23611846-50, 23610220-24	प्रत्यक्ष	अरुण गुप्ता	3.3.03 से 2.3.06
126	डीबी-006/02	एलीजियन इंश्योरेंस सर्विसिज लि.	#50, प्रथम तल, कस्तूरी रंगा रोड, अलवरपेट, चैन्नई 500 082	(044) 4983059, 4980152,	प्रत्यक्ष (केवल साधारण)	एन. रविन्द्रन	3.3.03 से 2.3.06
127	डीबी-070/03	कादिल इंश्योरेंस सर्विसिज प्रा.लि.	402, चौथा तल, मुगल अपार्टमेंट्स डिक्कन थवर, बरारि बाग हैदराबाद 500 029	(040) 23237563, 23296634,	प्रत्यक्ष (केवल साधारण)	सोहनलाल कोडेल	3.3.03 से 2.3.06
128	आरबी-072/03	एम एफ एल इंश्योरेंस सर्विसिज प्रा.लि.	402, एम.जी.आर. इस्टेट्स, पंजागुटा, हैदराबाद 500 082	(040) 55668679, 55638679	प्रत्यक्ष	एम. श्रीनिवास रेड्डी	3.3.03 से 2.3.06
129	डीबी-036/02	पीआरएमएन रीइन्श्योरेंस ब्रोकर्स प्रा.लि.	113, भावेंकर कॉम्प्लेक्स, विद्याविहार रेलवे स्टेशन के पास, विद्याविहार(फ), मुम्बई 400 086	(022) 25140564	पुनः बीमा	जे.एच. पारिख	10.3.03 से 9.3.06
130	डीबी-029/02	एस एंड एस जर्नल इंश्योरेंस प्रोफेशनलस आफ (इंडिया) लि.	(पुरानी सं. 19), नई सं. 52 नार्थ क्रिसेंट रोड, टी नगर, चैन्नई 600 017	(044) 28156813	प्रत्यक्ष (केवल साधारण)	यू. सिंगारवेलू	10.3.03 से 9.3.06
131	डीबी-062/03	राजकोट इंश्योरेंस सर्विसिज प्रा.लि.	201 अहिंत खाना, सुभाष रोड, न्यू “माती” टंकी चौकी, राजकोट 360 001	(0281) 2480825-26	प्रत्यक्ष	दोल. जी. उपाध्य	11.3.03 से 10.3.06

3rd वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2002-2003

प्रमाणपत्र सं.	अनुज्ञापि कोड सं.	आवेदक का नाम	पता	टेलीफोन नं.	अनुज्ञापि की प्रकृति	प्रधान अधिकारी	अनुज्ञापि की अवधि
132	डीबी-082/03	इम्पीरियल इंशोरेंस ब्रॉकर्स प्रा.लि.	एस-34, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली 110 048	(011) 51619692/ 51619693	प्रत्यक्ष	सुश्री जतिन्द्र मेहता	11.3.03 से 10.3.06
133	आरबी-050/03	जे.बी. बांडा रीइंशोरेंस ब्रॉकर्स प्रा.लि.	मेकर भवन सं. 1, सर वी.टी. मार्ग, मुम्बई 400 020	(022)56314901/ 56314949	पुनःबीमा	के.एल. नायक	17.3.03 से 16.3.06
134	डीबी-046/02	माइक्रोसैक रिस्क मैनेजमेंट प्रा.लि.	अजीमांज हाऊस, दूसरा तल, 7, कैमेक स्ट्रीट, कोलकाता 700 017	(033)22829330	प्रत्यक्ष	निर्मल बजाज	20.3.03 से 19.3.06
135	सीबी-082/03	कार्पोरट रिस्कस इंडिया प्रा.लि.	ए एम प्रो हाऊस, बी 11, साक्रेत, नई दिल्ली 110 017	(011) 26537358/2653735/	संयुक्त	समिता भागव	20.3.03 से 19.3.06
136	सीबी-131/03	विलीस बीए प्रा.लि.	कमरिशियल यूनियन हाऊस, दूसरा तल, 9 वैलेस स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई 400 001	26529160	संयुक्त	मोहम्मद रईस	3.4.03 से 2.4.06
137	डीबी-048/02	डॉसा इंशोरेंस सर्विसिज लि.	नानाभाई मॅशन, चौथा तल, सर पी.एस. रोड, फोर्ट, मुम्बई 400 001	(022) 22819750/51	प्रत्यक्ष (केवल साधारण)	एम.बी. नागद	1.4.03 से 31.3.06
138	डीबी-067/03	प्रोटेक्ट इंशोरेंस सर्विसिज (इंडिया) प्रा.लि.	1007 रहेजा सेंटर, नरीमन पोइंट, मुम्बई 400 021	(022) 22664773/22653060	प्रत्यक्ष	सुनील तलवार	1.4.03 से 31.3.06
139	डीबी-100/03	एमबी इंशोरेंस ब्रॉकर्स लि.	एससीओ-1116-17, सेंटर 22-बी, चंडीगढ़	(0172) 386551/ 386552/	प्रत्यक्ष (केवल साधारण)	सुधीर कुमार जैन	1.4.03 से 31.3.06
140	सीबी-002/ 02	पीएन इंशोरेंस ब्रॉकर्स कं.प्रा.लि.	ट्रांसमिशन हाऊस, मोल प्लॉट सं. 6/19, कम्पाउंड सं. 82, मोल, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई 400 059	(022)26934900/ 26935900	संयुक्त	दिलीप मुंशी	1.4.2003 से 29.1.2006
145	डीबी- 061/03	ई मेडलार्डफ इंशोरेंस ब्रॉकिंग सर्विसिज लि.	15ए, 15वां तल, आत्मा राम हाऊस, 1, टोलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली 110 001	(011) 23320613, 23737379	प्रत्यक्ष	अमित श्रीवास्तव	31.3.03 से 30.3.06



उपाबंध - VIII(क)

विभिन्न केन्द्रों में ओमबडसमेन का कार्य निष्पादन
31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाली अवधि में निपटाई गई शिकायतें – जीवन क्षेत्र

3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003

ओमबडसमेन केन्द्र	शिकायतों की कुल सं.	निम्नलिखित द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या							निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या	शिकायतों का अवधि-वार निपटारा				अवधि-वार बकाया शिकायतें			
		परित्याग	पंचाट	प्रत्याहरण द्वारा निपटारा	स्वीकृत नहीं की गई	खारिज	अग्रहणीय	1 मास में		1 से 3 मास में	3 मास के पश्चात्	कुल	1 मास से कम	1 से 3 मास	3 मास से अधिक	कुल	
अहमदाबाद	68	0	15	7	0	26	3	51	9	13	29	51	2	8	7	17	
भोपाल	235	0	14	94	0	38	8	154	2	39	113	154	11	23	47	81	
भुवनेश्वर	105	1	0	45	0	10	28	84	39	16	29	84	5	10	6	21	
चंडीगढ़	131	0	6	63	0	5	27	101	40	52	9	101	18	6	6	30	
	2	0		2	0	0	0	2		2		2					
चैन्नई	288	0	3	6	0	19	234	262	236	26	0	262	8	15	3	26	
दिल्ली	340	112	70	2	4	10	16	214	14	45	155	214	55	39	32	126	
गुवाहाटी	88	25	49	1	0		6	81	19	54	8	81	5	2	0	7	
हैदराबाद	137	0	38	3	0	28	33	102	45	48	9	102	20	10	5	35	
कोची	62		10	2		21	24	57	24	33	0	57	1	4	0	5	
कोलकाता	443	104	0	198		0	6	308	16	99	193	308	25	47	63	135	
लखनऊ	312	4	19	132	9	30	59	253	162	72	19	253	24	20	15	59	
मुम्बई	270	0	133	39		1	75	248	81	71	96	248	11	9	2	22	
योग	2481	246	357	594	13	188	519	1917	687	570	660	1917	185	193	186	564	



उपाबंध - VIII(ख)

विभिन्न केन्द्रों में ओमबडसमेन का कार्य निष्पादन
31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाली अवधि में निपटाई गई शिकायतें – साधारण बीमा

3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003

ओमबडसमेन केन्द्र	शिकायतों की कुल सं.	निम्नलिखित द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या						निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या	शिकायतों का अवधि-वार निपटारा				अवधि-वार बकाया शिकायतें			
		परित्याग	पंचाट	प्रत्याहरण द्वारा निपटारा	स्वीकृत नहीं की गई	खारिज	अग्रहणीय		1 मास में	1 से 3 मास में	3 मास के पश्चात्	कुल	1 मास से कम	1 से 3 मास	3 मास से अधिक	कुल
अहमदाबाद	316	2	74	38		40	24	178	20	38	120	178	18	28	92	138
भोपाल	457	34		41		56	22	153	3	8	142	153	21	23	260	304
भुवनेश्वर	262	108		26		54	19	207	28	44	135	207	17	25	13	55
चंडीगढ़	173	5	30	40		33	33	141	31	66	44	141	7	10	15	32
चैन्नई	293		67	24		36	88	216	99	79	38	216	24	28	25	77
दिल्ली	474	66	147	11	1	95	86	406	68	78	260	406	48	12	8	68
गुवाहाटी	91	9	50		2		10	71	12	52	7	71	13	7		20
हैदराबाद	273	4	78			28	112	222	1	191	30	222	7	21	23	51
कोची	161		43	1		33	46	123	49	70	4	123	14	18	6	38
कोलकत्ता	538	168	1	51		18	7	245	32	123	90	245	34	138	121	293
लखनऊ	189	11	32	51		11	29	134	57	49	28	134	19	14	22	55
मुम्बई	671		158	129		24	90	401	97	71	233	401	31	137	102	270
योग	3898	407	680	413	3	428	566	2497	497	869	1131	2497	253	461	687	1401



उपाबंध - VIII(ग)

विभिन्न केन्द्रों में ओमबडसमेन का कार्य निष्पादन
31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाली अवधि में निपटाई गई शिकायतें – साधारण क्षेत्र

3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003

ओमबडसमेन केन्द्र	शिकायतों की कुल सं.	निम्नलिखित द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या						निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या	शिकायतों का अवधि-वार निपटारा				अवधि-वार बकाया शिकायतें			
		परित्याग	पंचाट	प्रत्याहरण द्वारा निपटारा	स्वीकृत नहीं की गई	खारिज	अग्रहणीय		1 मास में	1 से 3 मास में	3 मास के पश्चात्	कुल	1 मास से कम	1 से 3 मास	3 मास से अधिक	कुल
अहमदाबाद	384	2	89	45	0	66	27	229	29	51	149	229	20	36	99	155
भोपाल	692	34	14	135	0	94	30	307	5	47	255	307	32	46	307	385
भुवनेश्वर	367	109	0	71	0	64	47	291	67	60	164	291	22	35	19	76
चंडीगढ़	306	5	36	105	0	38	60	244	71	120	53	244	25	16	21	62
चैन्नई	581	0	70	31	0	55	322	478	335	105	38	478	32	43	28	103
दिल्ली	814	178	217	13	5	105	102	620	82	123	415	620	103	51	40	194
गुवाहाटी	179	34	99	1	2	0	16	152	31	106	15	152	18	9	0	27
हैदराबाद	410	4	116	3	0	56	145	324	46	239	39	324	27	31	28	86
कोची	223	0	53	3	0	54	70	180	73	103	4	180	15	22	6	43
कोलकाता	981	272	1	249	0	18	13	553	48	222	283	553	59	185	184	428
लखनऊ	501	15	51	183	9	41	88	387	219	121	47	387	43	34	37	114
मुंबई	941	0	291	168	0	25	165	649	178	142	329	649	42	146	104	292
योग	6379	653	1037	1007	16	616	1085	4414	1184	1439	1791	4414	438	654	873	1965

बीमा सलाहकार समिति के सदस्य

तारीख 23 मई, 2000 की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों को तारीख, 1 जून 2000 से बीमा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया :—

1. श्री वी.एच. व्यास, जयपुर
2. श्रीमती पुष्पा गिरिमाजी, नई दिल्ली
3. श्री ए.सी. मुखर्जी, कोलकाता
4. श्री वी.एस. विश्वनाथ, एफ सी ए, नई दिल्ली
5. डा० डी.एन. बूरागोइन, निदेशक, आई आई टी गुवाहाटी
6. श्री सी.एन.एस. शास्त्री, पुट्टापार्थी (आंध्र प्रदेश)
7. श्री एस.वी. मोनी, चेन्नई
8. अध्यक्ष, एल आई सी ऑफ इंडिया, मुम्बई
9. अध्यक्ष, जी आई सी
10. निदेशक, एन आई सी, पुणे
11. निदेशक, आई आई एम बंगलौर
12. श्री एस.पी. सुबेदार, बीमांकक, मुम्बई
13. श्री दीपक दत्त, बंगाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता
14. श्रीमती इला भट्ट, सीईडब्ल्यू ए, अहमदाबाद
15. श्री वी. रामानन, मुम्बई
16. श्री फली पूंचा, मुम्बई
17. श्री सोमिल मेहता, सर्वेक्षक, मुम्बई
18. श्री ए.वी. त्यागी, महासचिव, एन एफ आई एफ डब्ल्यू, लखनऊ
19. श्री जॉन कोशी, अभिकर्ता, कोचीन
20. श्री डी. वर्धराजन, अधिवक्ता, नई दिल्ली
21. निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, पुणे
22. उपकुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
23. श्री लियाकत खान, लखनऊ
24. श्री ए.के. वेंकटसुब्रामणियम, आईएएस, सेवानिवृत्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
25. श्री वी.के. भसीन, संयुक्त सचिव, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली

बीमाकर्ताओं और विभिन्न मध्यवर्तियों के लिए फीस संरचना

		प्रसंस्करण फीस	रजिस्ट्रीकरण फीस	नवीकरण फीस	आवधिक नवीकरण	
1	बीमाकर्ता (जीवन/ गैर-जीवन/पुनः बीमा)	—	50,000 रुपए	न्यूनतम 50,000 रुपए और अधिकतम 5 करोड़ रुपए के अधीन रहते हुए भारत में अंकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के दसवें भाग का 1 प्रतिशत	प्रत्येक वर्ष (31 मार्च तक)	
2	तीसरा पक्षकार प्रशासक	20,000 रुपए	30,000 रुपए	30,000 रुपए	3 वर्ष	
3	दलाल					
	प्रत्यक्ष दलाल	—	25,000 रुपए	न्यूनतम 25,000 रुपए और अधिकतम 1,00,000 रुपए के अधीन रहते हुए पूर्व वर्ष में अर्जित दलाली और फीसों का 0.50 प्रतिशत	3 वर्ष	
	पुनःबीमा दलाल	—	75,000 रुपए	न्यूनतम 75,000 रुपए और अधिकतम 3,00,000 रुपए के अधीन रहते हुए पूर्व वर्ष में अर्जित दलाली और फीसों का 0.50 प्रतिशत	3 वर्ष	
	संयुक्त दलाल	—	1,25,000 रुपए	न्यूनतम 1,25,000 रुपए और अधिकतम 5,00,000 रुपए के अधीन रहते हुए पूर्व वर्ष में अर्जित दलाली और फीसों का 0.50 प्रतिशत	3 वर्ष	
4	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक					
	व्यष्टिक प्रवर्ग	क	—	10,000 रुपए	प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 200 रुपए	5 वर्ष
		ख	—	7,500 रुपए		
		ग	—	5,000 रुपए		
	निगम प्रवर्ग	क		25,000	प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 200 रुपए	5 वर्ष
		ख	—	20,000		
ग		—	15,000			
5	निगम अभिकर्ता	—	निगम बीमा कार्यापालक के लिए 250 रुपए विनिर्दिष्ट व्यक्ति 500 रुपए	250 रुपए	3 वर्ष	

कंपनियों की साम्य शेयर पूंजी

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	बीमाकर्ता का नाम	2001-02	2002-03 योग	विदेशी भागीदारी	भारतीय समप्रवर्तक	एफडीआई (%)
	जीवन बीमाकर्ता					
1.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड जीवन बीमा कं.लि.	168.00	218.00	40.54	177.46	18.60
2.	आईसीआईसीआई-प्रूडेंशियल जीवन बीमा कं.लि.	190.00	425.00	110.50	314.50	26.00
3.	मैक्स न्यूयार्क जीवन बीमा कं.लि.	250.00	255.00	66.30	188.70	26.00
4.	ओम कोटक जीवन बीमा कं.लि.	101.00	131.30	34.14	97.16	26.00
5.	बिरला सनलाईफ जीवन बीमा कं.लि.	150.00	180.00	46.80	133.20	26.00
6.	टाटा-एआईजी जीवन बीमा कं.लि.	185.00	185.00	48.10	136.90	26.00
7.	एसबीआई जीवन बीमा कं.लि.	125.00	125.00	32.50	92.50	26.00
8.	आईएनजी वैश्या जीवन बीमा कं.लि.	110.00	170.00	44.20	125.80	26.00
9.	मेटलाईफ भारतीय जीवन बीमा कं.लि.	110.00	110.00	28.60	81.40	26.00
10.	एलाएज बजाज जीवन बीमा कं.लि.	150.00	150.03	39.01	111.02	26.00
11.	ए एम पी संसार	125.00	125.00	32.50	92.50	26.00
12.	अवीवा		154.80	40.25	114.55	26.00
	कुलयोग	1664.00	2229.13	563.43	1665.70	
13.	एल आई सी	5.00	5.00	0.00	5.00	
	योग (जीवन)	1669.00	2234.13	563.43	1670.70	
	गैर-जीवन बीमाकर्ता					
1.	रॉयल सुन्दरम एलाएज बीमा	130.00	130.00	33.80	96.20	26.00
2.	रीलाएंस साधारण बीमा कं.लि.	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00
3.	बजाज एलाएज साधारण कं.	110.00	110.00	28.60	81.40	26.00
4.	इफको-टोकियो साधारण बीमा कं.	100.00	100.00	26.00	74.00	26.00
5.	टाटा-एआईजी साधारण बीमा कं.लि.	125.00	125.00	32.50	92.50	26.00
6.	आईसीआईसीआई लोमबार्ड साधारण कं.लि.	110.00	110.00	28.60	81.40	26.00
7.	एचडीएफसी चब	-	101.00	26.26	74.74	26.00
8.	चोलामंडलम एम एस	49.50	105.00	0.00	105.00	
	कुलयोग	726.50	883.00	175.76	707.24	
9.	नेशनल बीमा कं. लि.	100.00	100.00	0.00	100.00	
10.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कं.लि.	100.00	100.00	0.00	100.00	
11.	यूनाईटेड इंडिया इनश्योरेंस कं.लि.	100.00	100.00	0.00	100.00	
12.	ओरिएंटल इनश्योरेंस कं.लि.	100.00	100.00	0.00	100.00	
	कुलयोग	400.00	400.00	0.00	400.00	
13.	ईसीजीसी	390.00	440.00		440.00	
	योग (गैर-जीवन)	1516.50	1723.00	175.76	1547.24	
	पुनःबीमाकर्ता					
	साधारण बीमा निगम	215.00	215.00	0.00	215.00	
	योग	3400.50	4172.13	739.19	3432.94	

ऐसे संस्थान के ब्यौरे, जिनकी पाठ्यचर्या को बीमा पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया गया है

1.	संस्थान का नाम/ अवस्थान	प्रत्यायन की तारीख	पाठ्यक्रम	अवधि
1.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नॉलोजी, दिल्ली	23 सितंबर, 2002	बीमा और जोखिम प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
2.	जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ	23 सितंबर, 2002	बीमा और जोखिम प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
3.	एमिटी स्कूल ऑफ इनश्योरेंस एण्ड एक्चूरियल साइंस, नोएडा	23 सितंबर, 2002	बीमा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
4.	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली	1 नवम्बर, 2002	बीमा और जोखिम प्रबंध में डिप्लोमा	—
5.	आल इंडिया मेनेजमेंट एसोसिएशन, दिल्ली	28 जनवरी, 2003	प्रबंध (बीमा प्रबंध) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	2 वर्ष
6.	द तमिलनाडु डा० अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चैन्नई	13 मार्च, 2003	साधारण बीमा विधियों और व्यवहार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा – पत्राचार कार्यक्रम	—
7.	एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दिल्ली	28 अप्रैल, 2003	बीमा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
8.	महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलाजी, पुणे	12 मई, 2003	बीमा और जोखिम प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
9.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इश्योरेंस एण्ड फाइनेंस, हैदराबाद	14 मई, 2003	बीमा और जोखिम प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
10.	यूजीसीई-इश्योरेंस इंस्टीट्यूट फॉर ऐजुकेशन एंड ट्रेनिंग, चंडीगढ़	30 मई, 2003	बीमा कारबार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
11.	आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलाजी कोलकाता	7 जून, 2003	बीमा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष

उपाबंध - XIII

वर्ष 2001-02 के लिए प्राधिकरण के संपरीक्षित लेखा

वर्ष 2001-02 के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

1. प्रारंभिक

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को तारीख 19 अप्रैल, 2000 को, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में था। प्राधिकरण के मुख्यालय को दिसम्बर, 2001 में हैदराबाद स्थानांतरित किया गया था। प्राधिकरण के लेखों की लेखा-परीक्षा को नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन महालेखापरीक्षक को सौंपा गया था। प्राधिकरण में मूलतः एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य सम्मिलित होते हैं। इस समय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य हैं। एक बीमा सलाहकार समिति, प्राधिकरण को, इसके क्रियाकलापों के समुचित निर्वहन के लिए इसके नियम और विनियम बनाने में सहायता करती है। प्राधिकरण की मुख्य शक्तियां और कृत्य निम्नानुसार हैं :-

- पालिसीधारकों के हितों की संरक्षा और उनके प्रति समुचित व्यवहार सुनिश्चित करना;
- सामान्य व्यक्ति के फायदे के लिए और अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने के लिए दीर्घकालिक निधियां उपलब्ध कराने हेतु बीमा उद्योग में (जिसमें वार्षिकी और अधिवर्षिता संदाय भी सम्मिलित हैं) शीघ्र और सुचारू रूप से वृद्धि करना;
- उन निकायों को, जिन्हें यह विनियमित करता है, स्थापित करना, उनका संवर्धन और उन्हें मानिटर करना तथा उनमें सत्यनिष्ठा, वित्तीय रूप से सुदृढ़ता, निष्पक्षता और सक्षमता के उच्च मानक सुनिश्चित करना;
- यह सुनिश्चित करना कि बीमा ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं के संबंध में सटीक, स्पष्ट और सही जानकारी प्राप्त हो तथा उन्हें इस संबंध में उनके उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना;
- बीमा कपटों और अन्य कदाचारों को रोकने के लिए वास्तविक दावों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना;
- बीमा से संबंधित वित्तीय बाजारों में ईमानदारी, पारदर्शिता और सुचारू संचालन का संवर्धन करना और बाजार में कार्य करने वालों के बीच वित्तीय सुदृढ़ता के उच्च मानक प्रवर्तित करना;
- उन मामलों में कार्रवाई करना जहां ऐसे मानक अपर्याप्त हैं या प्रभावी रूप से प्रवर्तन में नहीं हैं;
- उद्योग के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण में विवेकपूर्ण विनियमों की अपेक्षाओं से सुसंगत श्रेष्ठ स्वः विनियमन को बढ़ावा देना।

2. प्राप्तियों के स्रोत

वर्ष 2001-02 के दौरान प्राधिकरण की प्राप्तियां 42.17 करोड़ रुपये थी, जबकि इसका व्यय 5.89 करोड़ रुपए था। प्राप्तियों का स्रोत मुख्यतः भारत में कार्य कर रही विभिन्न बीमा कंपनियों से, उनके रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राप्त फीसों और नवीकरण प्रभार थे।

3. निधियां

प्राधिकरण की निधियां, मंत्रालय की उन निधियों के ब्याज उद्भूत न होने वाली निधियों के रूप में भारत के लोक लेखा में रखे जाने के निदेशों के बावजूद स्वयं इसके द्वारा धारित की जा रही हैं। 31 मार्च, 2002 को प्राधिकरण अपनी 57.42 करोड़ रुपए की निधियों को बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के ब्याज देने वाले निक्षेपों में रखे हुए है।



4. लेखाओं पर टिप्पणियां

4.1 चालू आस्तियों, ऋण और अग्रिमों के विवरण के अधीन

चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम : 20,031,959

इसमें 20,00,000 रुपए की वह राशि सम्मिलित नहीं है, जिसे मैसर्स आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को तारीख 08/03/2002 के चैक सं० 308126 (एच डी एफ सी लेखा-न्यू 435) अग्रिमों के रूप में संदत्त किया गया था। यह राशि बी०वि०वि०प्रा० के हैदराबाद स्थित कार्यालय के नवीकरण के लिए दी गई थी। चूंकि यह राशि एक ऐसे अग्रिम के रूप में थी, जो नकद या वस्तु रूप में वसूलनीय प्रकृति की थी, अतः इसे तुलन-पत्र में दर्शित किया जाना अपेक्षित था। प्राधिकरण ने इस राशि को स्थापन व्यय-भवनों और परिसरों की मरम्मत और अनुरक्षण के रूप में उपदर्शित करते हुए आय और व्यय लेखा में प्रभारित किया है। इस प्रकार प्राधिकरण की आय और चालू आस्तियों दोनों में 20,00,000 रुपए कम दिखाए गए हैं। प्राधिकरण ने अपने उत्तर में यह कथन किया था कि 20 लाख रुपए की राशि को नवीकरण कार्य के लिए चालू संदायों के रूप में जारी किया गया था, जिसे अग्रिम संदाय के रूप में माना जाता है। प्राधिकरण का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राधिकरण के सभी टिप्पण और पत्र-व्यवहार संदाय को स्पष्ट रूप से अग्रिम के रूप में विहित करते हैं। (कार्य समाप्ति प्रमाणपत्र ने यह दर्शित किया कि आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने इसे कार्य का माप रिकार्ड किए बिना जारी किया गया है)

4.2 चालू दायित्वों और उपबंधों को विवरण में कम बताया जाना

चालू दायित्व और उपबंध : 12,92,305 रुपए

(1) इसमें 23.6 लाख रुपए के ऐसे वेतन के लिए उपबंध सम्मिलित नहीं हैं, जिसकी भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने तारीख 12/02/2002, 13/09/2002, 23/09/2002 और 5/11/2002 के पत्रों द्वारा मांग की थी और जिसे जीवन बीमा निगम के उस कर्मचारिवृंद को संदाय किया जाना था, जो कार्य-व्यवस्था के आधार पर बी०वि०वि०प्रा० के लिए कार्य कर रहा था। स्पष्टतया यह राशि 2001-2002 की अवधि से संबंधित है, जिसके लिए प्राधिकरण के लेखाओं में कोई उपबंध नहीं किया गया है। अतः व्यय और साथ ही दायित्वों को उस राशि की सीमा तक कम दिखाया गया है।

प्राधिकरण ने अपने उत्तर में यह कथन किया था कि यदि उनका पूर्व नियोजक उस अवधि के लिए, जिसके दौरान वे कार्य व्यवस्था के आधार पर प्राधिकरण में कार्य कर रहे हो, मांग करता है तो उन्हें उनके पद-धारण किए जाने की तारीख से वेतन और अन्य फायदों के संदाय के लिए उपबंध करेगा।

(2) लेखाओं में जीवन बीमा निगम द्वारा बी०वि०वि०प्रा० की ओर से क्रय किए गए 2.93 लाख रुपए के पर्सनल कंप्यूटरों के, जिनके लिए जीवन बीमा निगम को 25 जुलाई, 2002 को संदाय जारी किया गया था, मूल्य के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया था। अतः चालू दायित्वों और उपबंधों को उस सीमा तक कम दिखाया गया है।

4.3 37.40 लाख रुपए के निवेशों का ठीक रूप से प्रस्तुत न किया जाना और निवेशों पर 2.25 लाख रुपए के ब्याज का अधिक लेखा दिया जाना।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 31 मार्च, 2001 तक भारतीय ओवरसीज बैंक और एच डी एफ सी बैंक में सावधि निक्षेप के रूप में 5742.28 लाख रुपए का निवेश किया है। सावधि निक्षेपों के प्रमाणपत्र और निक्षेपों के समेकित विवरण की संवीक्षा से यह पता चला कि निक्षेपों की भुगतान-राशि को 6607.59 लाख के स्थान पर 6644.99 लाख रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच 37.40 लाख रुपए का अंतर है। इसी प्रकार उपार्जित ब्याज को लेखा में 188.75 लाख रुपए के स्थान पर 191.00 लाख रुपए रखा गया है। अतः तुलन-पत्र में 1.25 लाख रुपए का अधिक ब्याज दर्शित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आय के विवरण में 2.25 लाख रुपए अधिक दिखाए गए हैं। निक्षेपों और ब्याज के ब्यौरे 'उपाबंध 1' के रूप में संलग्न हैं।

प्राधिकरण ने लेखा-परीक्षा संबंधी संप्रेक्षणों को स्वीकार कर लिया था और यह कथन किया था कि 2002-2003 के लेखाओं में आवश्यक संशोधन कर दिए जाएंगे। निक्षेपों पर प्रोद्भूत/वास्तविक ब्याज को संगत बनाया जाए और लेखा-परीक्षक को संसूचित करते हुए लेखाओं में संशोधन/समायोजन किए जाएं।

4.4 आस्तियों के रजिस्टर और तुलन-पत्र में अंतर

31 मार्च, 2002 को यथाविद्यमान आस्तियों के रजिस्टर और तुलन-पत्र की संवीक्षा से यह पता चला कि दोनों में 1.48 लाख का अंतर था, जिसे ठीक नहीं किया गया था।

प्राधिकरण ने अपने उत्तर में यह कथन किया कि यह माना गया था कि उपभोज्य और नश्वरमदों को बेकार माल रजिस्टर में सम्मिलित किया गया था। ऐसी मदों के, उनकी लागत से संबंधित ब्यौरों को पूर्व वर्ष के अभिलेखों में से निकाल दिया जाएगा और अंतर को ठीक करने के लिए इन मदों को बेकार माल रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

4.5 आस्तियों को सत्यापित न किया जाना

प्राधिकरण के पास 31 मार्च, 2002 को यथा विद्यमान तुलन-पत्र के अनुसार 28,33,511.06 रुपए के मूल्य की नियत आस्तियां थी, जिनके ब्यौरे उपाबंध-1 में उपदर्शित किए गए थे। इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं :

1. नियत आस्तियों के रजिस्टर में प्रविष्ट की गई सभी आस्तियों के मूल्यों का उतरोत्तर योग, साधारण वित्तीय नियमों के नियम 151(4)(क) के अनुसार नहीं किया गया था।
2. बाल्टियों, अभिलेखों को स्थानांतरित करने के लिए क्रय किए गए डिब्बों, दीवार घड़ियों, क्राकरी, गैस चूल्हें आदि जैसे उपभोज्य वस्तुओं को भी आस्तियों के रजिस्टर में सम्मिलित किया गया था। प्राधिकरण ने ऐसी वस्तुओं की सूचियों को विहित रजिस्टर में नहीं रखा था।

आस्तियों के रजिस्टर को, लेखा-परीक्षक को संसूचित करके, उपर्युक्त संप्रेक्षण के अनुसार पुनः बनाया जाए।

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 18.7.2003

ह/ -
लेखा परीक्षा महानिदेशक
केन्द्रीय राजस्व



लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र

मैंने, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्त और संदाय लेखा तथा आय और व्यय लेखा और तारीख 31 मार्च, 2002 को यथा विद्यमान तुलन-पत्र की जांच की है। मैंने ऐसी सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जिनकी मुझे आवश्यकता थी और संलग्न लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में किए गए संप्रेक्षणों के अधीन रहते हुए, अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में इन लेखाओं और तुलन-पत्र को इस प्रकार समुचित रूप से तैयार किया गया है जिससे कि वे, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों तथा मुझे दिखाई गई संगठन की बहियों के अनुसार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद का सत्य और सही लेखा प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 18.7.2003

ह/ -
लेखा-परीक्षा महानिदेशक
केन्द्रीय राजस्व



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि लेखा
31 मार्च, 2001 को यथाविद्यमान असंपरिचित तुलन-पत्र

पूर्व वर्ष के आंकड़े (रुपए)	वर्तमान दायित्व [टिप्पण 5 देखें]	चालू वर्ष के आंकड़े (रुपए)	आस्तियां	चालू वर्ष के आंकड़े (रुपए)
18,962,541.00	i) विविध ऋणदाता : -पूजी मंदों के लिए -अन्य मंदों के लिए [इसके अंतर्गत नवीकरण फंड में परिवर्तन के 89,641,595 रु प्रतिसंदेय राशि भी हैं]	98,205,957.00		
	ii) प्रावधान: - संदेहास्पद और अग्रिमों के लिए प्रावधान - निवेशों के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान	229,485.00		
	iii) अन्य दायित्व: 1. अव्ययित अनुदानों 2. सरकार को संदेय ब्याज/अन्य ऋण 3. भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति और अन्य कल्याण निधियां: (क) भविष्य निधि (ख) अन्य कल्याण निधियां (ग) सेवानिवृत्ति फायदा निधि और कर्मचारी फायदा निधि 4. अन्य (विनिश्चित करें) - अन्य दायित्व - अग्रिम में प्राप्त रजिस्ट्रीकरण नवीकरण फीस - सॉफ्ट फर्निशिंग वसूली	764,552.00 1,292,305.00 154,543,780.00		
91,062.00				
4,987,536.00				
189,087,401.00				
226,499,990.12		605,324,096.99		605,324,096.99
				226,499,990.12

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और टिप्पण, जो लेखाओं का भाग हैं - उपाबंध 9

- टिप्पण : 1. नियत आस्तियों से संबंधित जानकारी उपाबंध 1 में दी गई है।
2. विनिधनों से संबंधित जानकारी उपाबंध 2 में दी गई है।
3. चालू आस्तियों, उधारों और अग्रिमों से संबंधित जानकारी उपाबंध 3 में दिए जाते हैं।
4. बीधिविक्रम की निधियों के बारे में उपाबंध 4 में दिए जाते हैं (निधियों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, अन्य संघटनों और निकायों से, अधिनियम की धारा 16 के अनुरण में प्राप्त अनुदानों को सम्मिलित किया जाता है।)
5. सम्मिलित दायित्वों के बारे में उपाबंध 5 में दिए गए हैं।
6. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और टिप्पणों से, जो लेखाओं के भाग हैं, संबंधित जानकारी उपाबंध 9 में दी गई है।
7. कार्यकलापों के विवरण के सभी उपाबंध और लेखा की भाग रूप लेखा नीति से संबंधित टिप्पणों/अधिकारी

ह/-
आर.के. शर्मा
मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
एन. रंगाचारी
अध्यक्ष

ह/-
आर.सी. शर्मा
सदस्य

ह/-
पी.ए. सुब्रह्मण्यम
सदस्य



प्ररूप ख

3^{री} वार्षिक रिपोर्ट
rd ANNUAL REPORT
2002-2003

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

पूर्व वर्ष के आंकड़े (₹.)	दायित्व	चालू वर्ष के आंकड़े (₹.)	आस्तियां	चालू वर्ष के आंकड़े (₹.)
1,388,813.00	अध्यक्ष और सदस्यों को संदाय	2,359,356.00	सहायता अनुदान : प्राप्त	-
728,402.90	कर्मचारिवृत्त के सदस्यों को संदाय और उनके लिए उपबंध (टिप्पण 1 देखें)	6,036,219.00	घटाएँ : पूंजी निधि को अंतरित	-
13,326,883.90	स्थापन व्यय (टिप्पण 2 देखें)	21,601,397.77	रजिस्ट्रीकरण फीस	-
24,300,031.60	किराया	8,673,118.00	अधिकर्ता	110,756,681.50
	अनुसंधान और परामर्श फीस	-	सर्वेक्षक और बीमा मध्यवर्ती	520,000.00
	सभा, सम्मेलन, प्रकाशन आदि (सामने देखें)	-	टी पी ए	300,000.00
	ब्याज (टिप्पण 3 देखें)	-	बीमा कंपनियों	-
697,331.62	अवक्षयण	1,111,270.00	नवीकरण फीस	-
	बढ़ते खाते डाली गई पूंजी आस्तियां	-	बीमा कंपनियों:	234,561,500.00
	आस्तियों के बढ़ते खाते डालने से हानि	-	सर्वेक्षक और बीमा मध्यवर्ती	717,487.00
	संकायद ऋणों और अग्रिमों के लिए उपबंध	229,485.00	टी पी ए	420,000.00
	विकास व्यय	-	अन्य	-
	प्रोन्नति संबंधी व्यय	-	शास्तियां, जुर्माने, आदि	-
	अन्य व्यय	40,390.00	संगोष्ठियां, सम्मेलन और प्रकाशन आदि	-
12,478,206.44	तुलन-पत्र में ले जाए गए व्यय के ऊपर आय का अधिव्यय	336,916,567.87	निकशों पर आय-अनुसूचित बैंकों में	29,452,612.14
			निकशों पर ब्याज	-
			निकशों पर ब्याज	-
			अग्रिमों पर ब्याज	-
			i) गृह निर्माण प्रयोजनों के लिए कर्मचारिवृत्त के सदस्यों को प्रदत्त	16,578.00
			ii) कर्मचारिवृत्त के सदस्यों को	2,562.00
			iii) अन्य	-
			प्रकीर्ण आय	220,383.00
			व्यय का आय से अधिव्यय, जो तुलन-पत्र में अंतर्विष्ट है	-
52,919,669.46		376,967,803.64		376,967,803.64

मुख्य लेखा नीतियां और लेखा का भाग बनने वाले टिप्पण-उपाबंध 9
टिप्पण : 1. कर्मचारियों को संदाय और उससे संबंधित सूचना उपाबंध 6 में दी गई है।
2. स्थापन व्ययों से संबंधित सूचना उपाबंध 2 में दी गई है।
3. ब्याज की राशि से संबंधित सूचना उपाबंध 7 में दी गई है।
4. आय और व्यय लेखा के सभी उपाबंधों तथा लेखा का भाग वाले टिप्पण और मुख्य लेखा नीतियां

₹./-
आर.के. शर्मा
मुख्य लेखा अधिकारी

₹./-
एन. रंगाचारी
अध्यक्ष

₹./-
आर. सी. शर्मा
सदस्य

₹./-
एच.ओ. सोनिंग
सदस्य



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि लेखा
31 मार्च, 2001 को समाप्त हुई अवधि की प्राप्तियों और संदायों का लेखा

क्र.सं.	प्राप्तियां	रकम (रु.)	क्र.सं.	संदाय	रकम (रु.)
1	अतिशेष में अग्रनीत		1	अनुसंधान और परामर्श फीस	-
	i) बैंक में नकद	12,190,515.18	2	संगोष्ठियां, सम्मेलन, प्रकाशन आदि	-
	ii) पास में नकद	15,000.00	3	किराया संदाय	27,095,405.00
	iii) पास में बैंक	-	4	विकास व्यय	-
	iv) अभिवहन में नकद/बैंक	-	5	संवर्धनात्मक व्यय	-
2	रजिस्ट्रीकरण फीस		6	अध्यक्ष और सदस्यों को संदाय	
	-बीमा कंपनियां	300,000.00	(i) वेतन और भत्ते	1,817,631.00	
	-बीमा टी पी ए	520,000.00	(ii) अन्य फायदे	174,299.00	
	-बीमा सर्वेक्षक	-	(iii) यात्रा व्यय	4,110,687.00	
	-बीमा अभिकर्ता	120,042,916.90	7	स्थापन व्यय	
	-अन्य	-	(i) वेतन और भत्ते	5,002,762.00	
3	रजिस्ट्रीकरण नवीकरण फीस की		(ii) अन्य फायदे	178,012.00	
	-बीमा कंपनियां	287,273,518.00	(iii) यात्रा व्यय	5,433,106.00	
	-टी पी ए	420,000.00	(iv) सेवानिवृत्ति फायदे	229,853.00	
	-बीमा सर्वेक्षक	717,487.00	8	कार्यालय व्यय	9,866,324.27
	-बीमा अभिकर्ता	-	9	निम्नलिखित पर ब्याज	
	-अन्य	-	(i) सरकारी ऋण	-	
4	बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों से शास्तियों, जुर्मानों की	-	(ii) अन्य ऋण	-	
5	संगोष्ठियां, सम्मेलन आदि	-	10	आस्तियों के क्रम	2,372,357.68
6	निवेशों से आय की	-	11	पूँजी चालू संकर्म	565,800.00
7	निवेशों के विक्रय से	-	12	यात्रा अग्रिम सहित कर्मचारिवृंद और अन्यों को अग्रिम	1,971,690.00
8	निम्नलिखित से अनुदानों की		13	निवेश (इसमें बनाए जाने वाले भविष्य निधि न्यास की ओर से किए गए सावधि निक्षेप सम्मिलित हैं)	369,461,286.00
	i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/अन्य	-	14	सरकारी ऋणों के प्रतिदाय	-
	ii) उपहार और संदान	-	15	अन्य ऋणों का प्रतिदाय	-
9	ऋणों की	579,884.00	16	अन्य व्यय	40,390.00
10	प्रकाशनों आदि के विक्रय की	-		अग्रनीत अतिशेष	
11	आस्तियों के विक्रय की	-	i) बैंक में नकदी	5,558,629.27	
12	निम्नलिखित पर प्राप्त ब्याज की		ii) पास में नकदी	18,998.00	
	-निक्षेपों	11,478,804.14	iii) पास में बैंक	-	
	-अग्रिमों	-	iv) अभिवहन में नकदी/बैंक	-	
	-अन्य	-			
13	कर्मचारियों से वसूलियों की				
	(क) ऋण और अग्रिम	138,722.00			
	(ख) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	-			
	(ग) प्रकीर्ण	-			
14	अन्य प्राप्तियां	220,383.00			
		433,897,230.22			433,897,230.22

ह./-
आर.के. शर्मा
मुख्य लेखा अधिकारी

ह./-
एन. रंगाचारी
अध्यक्ष

ह./-
आर. सी. शर्मा
सदस्य

ह./-
एच.ओ. सोनिंग
सदस्य

उपाबंध - I

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि लेखा
31 मार्च, 2002 को यथा विद्यमान तुलन-पत्र से संलग्न और भाग बनाने वाली
नियत आस्ति अनुसूची

विशिष्टियां	सकल ब्लाक			अवमूल्यन			शुद्ध ब्लाक			
	1.04.2001 को लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन*	वर्ष के दौरान विक्रय/व्ययनित	31.03.2002 को	1.04.2001 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2002 तक	31.03.2002 को	31.03.2001 को
कार्यालय परिसर (क) भूमि (ख) भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आवासीय प्लॉट (क) भूमि (ख) भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वाहन	194,344.00	-	-	194,343.68	50,315.58	37,289.00	-	87,604.58	106,739.10	144,028.10
उपकर	710,081.00	709,212.00	-	1,419,293.05	216,345.59	105,190.84	-	321,536.43	1,097,756.62	493,735.46
फर्नीचर और फिक्सचर	340,783.00	11,129.00	-	351,911.95	97,439.40	54,324.58	-	151,763.98	200,147.97	243,343.55
कम्प्यूटर	1,024,547.00	1,652,017.00	-	2,676,564.00	333,231.05	914,465.81	-	1,247,696.86	1,428,867.14	691,315.95
योग	2,269,755.00	2,372,358.00	-	4,642,112.68	697,331.62	1,111,270.23	-	1,808,601.85	2,833,510.83	1,572,423.06

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च, 2002 को यथा विद्यमान तुलन-पत्र से संलग्न और भाग बनने वाले निवेश

क्र.सं.	विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े रुपए	पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े रुपए
1	अनुसूचित बैंकों में सावधि निक्षेप	574,227,907.98	204766622.00

बैंक का नाम	तारीख	राशि की दर	ब्याज	अवधि तारीख	भुगतान की ब्याज	प्राप्त प्रोद्भूत ब्याज	
भारतीय ओवरसीज बैंक	7-दिस.-01	300,000	8.25%	1096	7-दिस.-04	8654	
	26-दिस.-01	50,000,000	8.50%	1096	26-दिस.-04	1243924	
	27-दिस.-01	44,000,000	8.50%	1096	27-दिस.-04	1083130	
	1-जन.-02	50,000,000	8.50%	1096	1-जन.-05	1165360	
	1-जन.-02	50,000	8.25%	1096	1-जन.-05	1127	
	1-जन.-02	3,968,102	8.25%	1096	1-जन.-05	89450	
	29-दिस.-01	42,357,557	8.50%	1096	29-दिस.-04	1020514	
	9-जन.-02	326,807	8.25%	1096	9-जन.-05	6705	
	24-जन.-02	325,260	8.25%	1096	24-जन.-05	230654	
			191,327,726				4,849,518
	3-अक्तू.-01	193,252,278	8.50%	365	3-अक्तू.-02	8316144	
	2-अक्तू.-01	10,100,274	8.50%	365	2-अक्तू.-02	437069	
	2-अक्तू.-01	10,100,274	8.50%	365	2-अक्तू.-02	437069	
	2-अक्तू.-01	10,100,274	8.50%	365	2-अक्तू.-02	437069	
	12-अक्तू.-01	4,485,596	8.00%	365	12-अक्तू.-02	172216	
	28-दिस.-01	48,821,875	8.00%	365	28-दिस.-02	1025417	
			276,860,571				10,824,984
एचडीएफसी	1-मार्च-02	1,235,347.50	8.00%	185	2-सित.-02	8,206	
	2-नव.-01	350,000.00	8.00%	182	3-मई-02	11,545	
	25-अक्तू.-01	11,300,000.00	8.00%	183	26-अप्रैल-02	1,285,469	
	7-नव.-01	50,000.00	8.00%	182	8-मई-02	1,594	
	7-नव.-01	500,000.00	8.00%	183	9-मई-02	15,853	
	13-नव.-01	5,350,000.00	8.00%	182	14-मई-02	163,450	
	27-नव.-01	50,000.00	8.00%	182	28-मई-02	1,373	
	4-दिस.-01	800,000.00	8.00%	183	5-जून-02	20,723	
	29-नव.-01	5,000,000.00	8.00%	182	30-मई-02	135,061	
	14-दिस.-01	500,000.00	8.00%	183	15-जून-02	11,845	
	15-दिस.-01	5,000,000.00	8.00%	183	16-जून-02	117,342	
	19-दिस.-01	300,000.00	8.00%	183	20-जून-02	6,775	
	26-दिस.-01	50,000.00	8.00%	183	27-जून-02	1,052	
	12-जन.-02	400,000.00	8.00%	182	13-जुलाई-02	6,907	
	15-जन.-02	500,000.00	8.00%	182	16-जुलाई-02	8,302	
	16-जन.-02	5,000,000.00	8.00%	182	17-जुलाई-02	81,914	
	24-जन.-02	125,000.00	8.00%	182	25-जुलाई-02	1,826	
	30-जन.-01	5,000,000.00	8.00%	182	31-जुलाई-02	66,416	
	6-फर.-02	250,000.00	8.00%	182	7-अग.-02	2,933	
	8-फर.-02	300,000.00	8.00%	182	9-अग.-02	3,387	
14-फर.-02	250,000.00	8.00%	182	15-अग.-02	2,491		

3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003

क्र.सं.	विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े रुपए	पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े रुपए
---------	-------------	------------------------------	-------------------------------

बैंक का नाम	तारीख	राशि की दर	ब्याज	अवधि तारीख	भुगतान की ब्याज	प्राप्त प्रोद्भूत ब्याज
	18-फर.-02	5,000,000.00	8.00%	182	19-अग.-02	46,817
	1-मार्च-02	5,000,000.00	8.00%	185	2-सित.-02	33,214
	28-फर.-02	200,000.00	8.00%	185	1-सित.-02	1,373
	13-मार्च-02	5,000,000.00	8.00%	185	14-सित.-02	19,928
	11-मार्च-02	550,000.00	8.00%	185	12-सित.-02	2,436
		63,404,735.05				2,093,373
	19-नव.-01	25,169,680.11	8.00%	395	19-दिस.-02	753,212
	1-नव.-01	4,099,210.21	8.00%	395	1-दिस.-02	139,398.00
	11-नव.-01	1,537,203.82	8.00%	395	11-दिस.-02	48,789.00
	16-नव.-01	1,024,802.54	8.00%	395	16-दिस.-02	31,365.00
	30-नव.-01	1,024,802.54	8.00%	396	31-दिस.-02	28,115.00
	20-अक्तू.-01	1,012,116.43	8.00%	396	20-नव.-02	37,176.00
	20-अक्तू.-01	1,012,116.43	8.00%	396	20-नव.-02	37,176.00
	30-अक्तू.-01	1,012,116.43	8.00%	396	30-नव.-02	34,881.00
	31-अक्तू.-01	1,012,116.43	8.00%	395	30-नव.-02	34,648.00
	3-नव.-01	1,012,116.43	8.00%	395	3-दिस.-02	33,959.00
	5-नव.-01	1,012,116.43	8.00%	395	5-दिस.-02	33,500.00
	8-नव.-01	1,012,116.43	8.00%	395	8-दिस.-02	32,812.00
	10-नव.-01	1,012,116.43	8.00%	395	10-दिस.-02	32,353.00
	22-नव.-01	1,012,116.43	8.00%	395	22-दिस.-02	29,600.00
		41,964,747				1,306,984
		573,557,779.14				19,074,859

भविष्य निधि न्यास के लिए सावधि निक्षेप

भा.ओ. बैंक	6-दिस.-00	11,128	7.00%	6 माह	6-जून-2002	749
भा.ओ. बैंक	5-जन.-01	16,822	7.00%	6 माह	5-जुलाई-2002	1022
भा.ओ. बैंक	5-फर.-01	21,567	7.50%	6 माह	5-अग.-2002	1159
भा.ओ. बैंक	9-मार्च-01	21,984	7.00%	6 माह	9-सित.-2002	1008
भा.ओ. बैंक	31-मार्च-01	21,984	7.00%	3 वर्ष	30-सित.-2004	1049
भा.ओ. बैंक	2-मई-01	26,836	7.00%	3.51	2-नव.-2004	2336
भा.ओ. बैंक	31-मई-01	28,144	8.00%	12 माह	31-मई-2002	1,932
भा.ओ. बैंक	7-जून-01	19,954	8.00%	12 माह	7-जून-2002	1,343
भा.ओ. बैंक	19-जुलाई-01	32,294	8.00%	12 माह	3-जुलाई-2002	1,977
भा.ओ. बैंक	31-जुलाई-01	42,750	8.00%	12 माह	31-जुलाई-2002	2,346
भा.ओ. बैंक	12-सित.-01	38,464	8.00%	12 माह	12-सित.-2002	1,738
भा.ओ. बैंक	11-अक्तू.-01	40,346	8.00%	12 माह	11-अक्तू.-2002	1,558
भा.ओ. बैंक	5-नव.-01	58,118	8.00%	12 माह	5-नव.-2002	1,916
भा.ओ. बैंक	28-नव.-01	66,926	8.00%	12 माह	28-नव.-2002	1,859
भा.ओ. बैंक	1-जन.-02	69,144	7.50%	12 माह	1-जन.-2003	1,768
भा.ओ. बैंक	29-जन.-02	65,022	7.50%	12 माह	29-जन.-2003	1,264
भा.ओ. बैंक	27-फर.-02	67,202	7.50%	12 माह	27-फर.-2003	454
भा.ओ. बैंक	18-मार्च-02	21,443	7.50%	12 माह	18-मार्च-2003	59
		670,128				25540

2. अन्य

- (क) कोट किए गए-लागत और बाजार मूल्य
(ख) कोट नहीं किए गए

शून्य
शून्य

शून्य
शून्य



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च, 2002 को यथा विद्यमान तुलन-पत्र से संलग्न और भाग बनने वाले
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े रुपए	पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े रुपए
निक्षेप		
- परिसरों के लिए	22,500.00	-
- अन्यो के पास-एम टी एन एल	35,340.00	31,500.00
	57,840.00	31,500.00
कर्मचारिवृद्ध को ऋण और अग्रिम		
- कर्मचारिवृद्ध को गृह निर्माण ऋण	1,209,600.00	-
- कर्मचारिवृद्ध को अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण	756,092.88	215,325.88
- अन्य अग्रिम - त्योहार	56,261.00	-
- अन्य यात्रा के लिए - अग्रिम	-	50,867.00
योग	2,021,953.88	266,192.88
बीमा कंपनियों और अन्यो से शोध्य राशियां		
- बीमा कंपनियों-[रख्य बीमा कंपनियों से शोध्य राशि उपदर्शित करें]	229,485.00	1,061,099.00
- अधिकर्ता-[अधिकर्ताओं से पूर्व में प्राप्त ऐसे चैकों की राशि अपदर्शित करें जिनकी अवधि समाप्त हो गई है]	343,813.00	5,260,878.50
योग	573,298.00	6,321,977.50
अन्य चालू आस्तियां		
- वसूलनीय व्यय	425.00	-
- पूर्वसंदत व्यय	346,195.00	233,890.50
- प्रोद्भूत ब्याज, जो शोध्य नहीं है-बैंक निक्षेप (इसके अंतर्गत बनाए जाने वाले भविष्यनिधि न्यास की और से रखे गए सावधि निक्षेपों पर 25,540रु० का ब्याज भी है)	19,100,399.00	1,101,869.00
- प्रोद्भूत ब्याज, जो शोध्य नहीं है-कर्मचारी कि ऋण	19,140.00	-
- पूंजी खातों पर अग्रिम-[साफ्टवेयर के विकास के लिए]	565,800.00	-
योग	20,031,959.00	1,335,759.50
नकद और बैंक अतिशेष		
- पास में नकदी	18,998.00	15,000.00
- पास में चैक	-	-
- अभिवहन में नकद/चैक	-	-
- अनुसूचित बैंकों में अतिशेष		
(क) चालू खाते में	5,558,629.27	12,190,515.18
(ख) निक्षेप खाते में	-	-
योग	5,577,627.27	12,205,515.18
- गैर-अनुसूचित बैंकों में अतिशेष		
(क) चालू खाते में	-	-
(ख) निक्षेप खाते में	-	-
योग		

उपाबंध - IV

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31, मार्च 2002 को तुलन-पत्र से संलग्न और उसका भाग बनने वाले
आकस्मिक दायित्व

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
भारत सरकार से अनुदान	-	893234.68

उपाबंध - V

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
31 मार्च, 2002 को यथा विद्यमान तुलन-पत्र से संलग्न और उसका भाग बनने वाले
आकस्मिक दायित्व

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
	-	-

उपाबंध - VI

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा से
संलग्न और उसका भाग बनने वाली कर्मचारियों को संदाय और उसके लिए उपबंध

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
i) वेतन, भत्ते, मजदूरी और लाभांश	4,975,533.00	670,489.90
ii) लाभांश	-	-
iii) भविष्य निधि में अभिदाय, आदि	298,737.00	45,913.00
iv) उपदान	210,148.00	2,183.00
v) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	-	-
vi) अन्य		
- पुस्तक अनुदान	-	3,805.00
- छुट्टी यात्रा रियायत	14,045.00	-
- बीमा	-	1,693.00
- कैंटीन व्यय	-	3,903.00
- धनीय पुरस्कार - अध्ययन	-	-
- समूह बीमा स्कीम में अभिदाय	21,770.00	-
- कर्मचारिवृंद द्वारा उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति	169,426.00	-
- छुट्टी वेतन	346,560.00	416.00
योग	6,036,219.00	728,402.90

बीमाविनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा से
संलग्न और उसका भाग बनने वाले स्थापन व्यय

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
भवनों और परिसरों की मरम्मत और अनुरक्षण	2,267,704.00	787,324.00
गृह देखरेख-कार्यालय अनुरक्षण	825,542.00	159,179.00
उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	-	44,425.00
मरम्मत और अनुरक्षण-अन्य	23,075.00	1,356,290.00
विद्युत (एल आई सी को संदेय)	803,258.00	200,000.00
बीमा-वाहन	15,300.00	6,524.00
दर और कर	-	-
मुद्रण और लेखन सामग्री	690,481.00	2,050,100.00
पुस्तकें/पत्रिकाएं आदि	63,628.00	91,186.00
डाकव्यय टेलिग्राम, टेलिफोन आदि	1,210,860.27	792,370.00
यात्रा और सवारी अंतरदेशीय (इसमें एल आई सी को पूर्व वर्षों की यात्राओं के लिए संदेय 711755/- रुपये भी है)	4,945,309.00	4,394,750.40
यात्रा-विदेश	5,367,184.00	147,093.00
विधिक और वृत्तिक प्रभार	1,440,279.00	285,716.00
शिक्षा/प्रशिक्षण/अनुसंधान और विकास/शिकायत समाधान व्यय	-	-
लेखा परीक्षा फीस	99,520.00	-
साफ्टवेयर	-	150,000.00
प्रचार और विज्ञापन	2,062,541.00	572,574.00
भर्ती	-	-
प्राधिकरण और सलाहकार समिति की बैठकों के व्यय तथा	-	-
समिति के सदस्यों को संदत्त	195,685.00	767,758.00
दैनिक भत्तों सहित बैठक के अन्य व्यय	415,835.50	244,664.50
सदस्यता और अभिदाय	225,879.00	167,369.00
सुरक्षा सेवाएं	564,300.00	900,000.00
वेब पोर्टल विकास व्यय	-	-
(मार्सुति आई टी कॉम को संदेय 33215 रुपये)	143,523.00	-
कंटीन व्यय	52,560.00	29,269.00
कार मरम्मत और अनुरक्षण व्यय	188,934.00	180,292.00
अन्य व्यय	-	-
योग	21,601,397.77	13,326,883.90

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली
अवधि के लिए आय और व्यय लेखा से संलग्न और उसका भाग बनने वाला ब्याज

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
सरकार	-	-
बैंक	-	-
अन्य	-	-
योग	-	-

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि लेखा वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

[जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, सभी रकमों रूप में हैं]

1. पृष्ठभूमि :

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसका गठन 19 अप्रैल, 2000 को भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके किया गया था। प्राधिकरण को बीमा पालिसियों के धारकों के हितों का संरक्षण करने के विचार से बीमा उद्योग, और उससे जुड़े या आनुषंगिक मामलों के विनियमन, संवर्धन करने और उनके सुचारू विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। प्राधिकरण में, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (अधिनियम) की धारा 13 के निबंधनों में नियत तारीख, अर्थात् 19 अप्रैल, 2000 को अंतरिक बीमा विनियामक प्राधिकरण के पास यथा उपलब्ध आस्तियों और दायित्वों को निहित किया गया था। अधिनियम की धारा 16 के निबंधनों में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि (निधि) नामक एक निधि का गठन किया जाएगा। सभी सरकारी अनुदानों, प्राधिकरण को प्राप्त फीसों और प्रभारों द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जिनका केन्द्रीय सरकार विनिश्चय करे, प्राप्त सभी राशियों और बीमाकर्ताओं से प्राप्त विहित प्रीमियम आय के प्रतिशत को इस निधि में रखा जाएगा। इन निधि का उपयोजन प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिकों के संदाय और प्राधिकरण के, इसके कृत्यों के निर्वहन और अधिनियम के प्रयोजनों से जुड़े व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार :

वित्तीय विवरणों को, इसमें नीचे स्पष्ट किए गए, नकद आधार पर अभिसमय मान्यता को छोड़कर लेखा के प्रोदभूत आधार पर ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण लेखा नीतियां निम्नानुसार हैं :

(क) नियत आस्तियां और अवमूल्यन

नियत आस्तियों का कथन लागत रहित एकत्रित अवमूल्यन पर किया जाता है। नियत आस्तियों पर अवमूल्यन को कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर अवधारित दरों का उपयोग करते हुए, कम होते बकाया की पद्धति पर, उपयोग की अवधि के यथानुपात उपबंधित किया जाता है। 5,000 रूपए से कम लागत वाली आस्तियों का, क्रय के वर्ष में 100% अवमूल्यन किया जाता है।

(ख) निवेश

बैंकों में सावधि-निक्षेपों की प्रकृति के निवेशों का कथन लागत पर किया जाता है।

(ग) राजस्व

(i) रजिस्ट्रीकरण फीस

(क) बीमा कंपनी के रूप में पहली बार रजिस्ट्रीकरण कराने वाली कंपनियों से प्राप्त रजिस्ट्रीकरण फीस को प्राप्ति के वर्ष की आय समझा जाता है :

(ख) विद्यमान बीमाकर्ताओं से, पहले से मंजूर रजिस्ट्रीकरणों के नवीकरण के लिए अग्रिम रूप से प्राप्त फीस को उस वर्ष की आय समझा जाता है, जिससे वह संबंधित है।



(ii) अनुज्ञप्ति फीस :

बीमा अभिकर्ताओं, सर्वेक्षकों और अन्य बीमा मध्यवर्तियों से प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस को प्राप्त के वर्ष की आय समझा जाता है। अभिकर्ता, सर्वेक्षण और टीपीए अनुज्ञप्तियां उनके जारी होने की तारीख से उन वर्षों के लिए चालू होती हैं और समाप्ति पर नवीकरण के अध्यक्षीन होती हैं। अनुज्ञप्ति फीसों को उन वर्षों में वितरित करना जिनसे वे संबंधित हैं, व्यवहार्य नहीं हैं।

(iii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से अनुदान

प्राप्त किये गये प्रारम्भिक अनुदान को उस वर्ष की, जिसमें यह प्राप्त हुआ था, आय माना गया है।

(घ) विदेशी मुद्रा व्यवहार :

गैर धनीय विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहारों की तारीख को विद्यमान विनियम दरों पर लेखबद्ध किया जाता है। घनीय विदेशी मुद्रा आस्तियों और दायित्वों को तुलन-पत्र की तारीख को विद्यमान विनियम दरों पर रूप में परिवर्तित किया जाता है। नियत आस्तियों के उपार्जन से संबंधित विदेशी मुद्रा दायित्वों के परिवर्तन के अंतरों को नियत आस्तियों के ले जाए जाने वाले मूल्य में समायोजित किया जाता है। अन्य परिवर्तन अंतरों को आय और व्यय लेखा में दर्शित किया जाता है।

(ङ) वेब पोर्टल विकास और अनुरक्षण :

वेब पोर्टल के विकास और अनुरक्षण पर उपगत व्ययों को, उपगत होनेवाले वर्ष के आयु और व्यय लेखा को प्रमाणित किया जाता है।

4

कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति फायदों के अंतर्गत भविष्य निधि में अभिदाय, उपदान और छुट्टी नकदीकरण है, जिन्हें अधि नियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन उपलब्ध कराया जाता है।

छुट्टी नकदीकरण को नहीं ली गई संपूर्ण छुट्टियों के अतिशेष पर वर्तमान नकदीकरणीय वेतन पर उपलब्ध कराया जाता है।

प्राधिकरण ने वर्ष की समाप्ति के पश्चात अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए बी.वि.वि.प्रा. कर्मचारी भविष्य निधि न्यास का गठन किया है। इसके स्थापना में लगने वाले समय के दौरान प्राधिकरण और कर्मचारियों के अभिदायों को उद्दिष्ट किया गया है और अनुसूचित बैंकों के सावधि-निक्षेप में जमा किया गया है।

उपदान के लिए दायित्व को, प्राधिकरण द्वारा बनाई गई उपदान स्कीम के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवधारित किया जाता है।

3. आयकर

वर्ष 2001-2002 से प्राधिकरण के संबंध में जानकारी न होने के कारण राज्य बीमा अभिकरणों से नवीकरण फीस को लेख में नहीं रखा गया है।

4. प्राधिकरण को वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग से तारीख 17 जुलाई, 2002 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें प्राधिकरण को, प्राधिकरण द्वारा अभी तक एकत्रित किए गए धनों को भारत के लोक लेखा में ब्याज प्रोद्भूत न करने वाले खाते



3rd वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2002-2003

में रखने का निर्देश दिया गया था, जिसमें से अपने व्ययों की पूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष के आरंभ पर एक विनिर्दिष्ट राशि निकालने की अनुमति दी गई थी। प्राधिकरण, जिसका विचार यह है कि उसके द्वारा बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों से प्राप्त की गई निधियां, राजस्व प्रकृति की नहीं हैं और इसलिए भारत लोक निधि का भाग नहीं बन सकतीं, प्राधिकरण विधिक डाटा के आधार पर प्राप्त निदेशों के पुनर्विलोकन की मांग कर रहा है, प्राधिकरण द्वारा इस विषय पर भारत सरकार से बातचीत की गई है।

6. अनुज्ञप्ति फीस का अभिकर्तावार लेखा न होने के कारण वसूलनीय अनुज्ञप्ति फीस से अधिक की जमा की गई राशि (वर्ष के दौरान जारी अनुज्ञप्तियों के आधार पर) को अनुज्ञप्ति फीस आय के रूप में माना जाता है।

7. पूर्व वर्ष से तुलना

पिछले वर्ष की अवधि से अप्रैल, 2000 (बी.वि.वि.प्रा. के गठन की तारीख) से 31 मार्च, 2001 की अवधि अभिप्रेत हैं। पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, उन्हें चालू वर्ष से तुलनीय बनाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः समूहित किया गया है।



उपाबंध - XIV

वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए प्राधिकरण के असंपरीक्षित लेखा



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च 2002 को यथा विद्यमान तुलन-पत्र

प्ररूप क

3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003

पूर्व वर्ष के आंकड़े (रु.)	दायित्व	चालू वर्ष के आंकड़े (रु.)	पूर्व वर्ष के आंकड़े (रु.)	आस्तियां	चालू वर्ष के आंकड़े (रु.)
	साधारण निधि			नियत आस्तियां (टिप्पण 1 देखिए)	
	i) बी.वि.वि.प्रा. निधि (टिप्पण 4 देखें)		4,642,112.68	- सकल ब्लाक	14,005,986.68
893,243.68	-वर्ष के प्रारंभ पर	893,243.68	1,808,601.62	- घटाइए : अवक्षयण	4,212,069.62
-	-वर्ष की प्राप्तियां	-	2,833,511.06	- शुद्ध ब्लाक	9,793,917.06
893,243.68	-वर्ष के अंत में अतिशेष	893,243.68	-	- कार्य-प्रगति पूंजी	-
	ii) पूंजी निधि			विनिधान (टिप्पण 2 देखें)	
-	-पूंजी अनुदान	-	-	(लागत पर-मूल्यांकन की पद्धति)	
-	-वर्ष के प्रारंभ पर अतिशेष	-	-	i) केन्द्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-
-	जोड़िए : वर्ष के दौरान अनुदान के रूप में प्राप्त स्थिर	-	574,227,907.78	ii) यूनितें	-
	आस्तियों का मूल्य		-	iii) बैंक के पास सावधि निक्षेप	579,253,209.78
	iii) अधिशेष और निधियां		-	iv) अन्य	
12,478,206.44	-पिछले तुलन-पत्र के अनुसार अतिशेष	349,394,774.31		चालू आस्तियां (टिप्पण 3 देखें)	
-	जोड़िए : उपाबद्ध आय और व्यय लेखा के			i) अभिकरणों के पास निक्षेप	582,910.00
-	अनुसार व्यय के ऊपर आय		57,840.00	ii) कर्मचारिवृंद को ऋण और अग्रिम	4,778,194.88
336,916,567.87	का आधिक्य		2,021,953.88	iii) बीमा कंपनियों और अन्यो से शोध्य राशि	
-	घटाइए : उपाबद्ध आय और व्यय लेखा के		573,298.00	iv) अन्य चालू आस्तियां	31,946,140.48
-	अनुसार आय के ऊपर		20,031,959.00	v) नकद और बैंक अतिशेष	
-	व्यय का आधिक्य	9,304,316.57	18,998.00	क. हाथ में नकदी	19,870.00
349,394,774.31	-वर्ष के अन्त में अतिशेष	340,090,457.74	5,558,629.27	ख. बैंक अतिशेष	4,722,114.57
-	iv) दान और संदान	-			
-	v) अन्य अतिशेष	-			
	उधार				
-	i) प्रतिभूत (इस प्रयोजन के लिए दी गई प्रतिभूति का उल्लेख करें)	-			
-	ii) अप्रतिभूत	-			
-	iii) भारत सरकार से उधार	-			
-	iv) अन्य उधार	-			



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि लेखा
31 मार्च, 2003 को यथाविद्यमान असंपरिक्षित तुलन-पत्र

3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003

पूर्व वर्ष के आंकड़े (रुपए)	दायित्व	चालू वर्ष के आंकड़े (रुपए)	पूर्व वर्ष के आंकड़े (रुपए)	दायित्व	चालू वर्ष के आंकड़े (रुपए)
	वर्तमान दायित्व [टिप्पण 5 देखें]				
97,281,638.00	i) विविध ऋणदाता : -पूंजी मदों के लिए -अन्य मदों के लिए [इसके अंतर्गत नवीकरण फीस में परिवर्तन के 89,351,763 रु प्रतिसंदेय राशि भी है]	103,853,769.45			
229,485.00	ii) प्रावधान: - संदेहास्पद और अग्रिमों के लिए प्रावधान - निवेशों के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान	187,192.00			
-	iii) अन्य दायित्व: 1. अव्ययनित अनुदानों 2. सरकार को संदेय ब्याज/ अन्य ऋण 3. भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति और अन्य कल्याण निधियां: (क) भविष्य निधि (ख) अन्य कल्याण निधियां (ग) सेवानिवृत्ति फायदा निधि और कर्मचारी फायदा निधि: 4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) - अन्य दायित्व - अग्रिम में प्राप्त रजिस्ट्रीकरण नवीकरण फीस - सॉफ्ट फर्निशिंग वसूली	295,569.00 1,400,067.00 1,309,305.00 183,249,504.90 4,440.00			
764,552.00					
924,319.00					
-					
1,292,305.00					
154,543,780.00					
-					
605,324,096.99		631,283,548.77	605,324,096.99		631,283,548.77

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और टिप्पण, जो लेखाओं का भाग हैं - उपाबंध 9

- टिप्पण : 1. नियत आस्तियों से संबंधित जानकारी उपाबंध 1 में है।
2. निवेशों से संबंधित जानकारी उपाबंध 2 में है।
3. चालू आस्तियों, ऋणों अग्रिमों से संबंधित जानकारी उपाबंध 3 में है।
4. बी-वि-वि-प्रा की निधियों के ब्यारे उपाबंध 4 में है (निधियों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, अन्य संगठनों और निकायों से, अधिनियम की धारा 16 के निबंधनों में प्राप्त अनुदान भी है)
5. आकस्मिक दायित्वों के ब्यारे उपाबंध 5 में है।
6. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और टिप्पणों से, जो लेखाओं के भाग हैं, संबंधित जानकारी उपाबंध 9 में है।
7. लेखाओं का भाग बनने वाले, लेखा नीति से संबंधित कार्यों के कथन और टिप्पण/जानकारी के सभी उपाबंध

हं/-
आर.के. शर्मा
मुख्य लेखा अधिकारी

हं/-
एन. रंगाचारी
अध्यक्ष

हं/-
आर.सी. शर्मा
सदस्य

हं/-
पी.ए. सुब्रह्मण्यम
सदस्य



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

प्ररूप ख

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि लेखा

31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

3rd ANNUAL REPORT
2002-2003
वार्षिक रिपोर्ट

पूर्व वर्ष के आंकड़े (रु.)	दायित्व	चालू वर्ष के आंकड़े (रु.)	पूर्व वर्ष के आंकड़े (रु.)	आस्तियां	चालू वर्ष के आंकड़े (रु.)
2,385,908.00	अध्यक्ष और सदस्यों को संदाय	1,984,536.00	-	सहायता अनुदान :	-
6,036,219.00	कर्मचारिवृन्द के सदस्यों को संदाय और उनके लिए उपबंध [टिप्पण 1 देखें]	15,316,110.00	-	प्राप्त	-
21,574,845.77	स्थापन व्यय [टिप्पण 2 देखें]	31,103,638.05	-	घटाएँ : पूंजी निधि को अंतरित	-
8,673,118.0	किराया	6,837,332.00	110,756,681.50	रजिस्ट्रीकरण फीस	-
-	अनुसंधान और परामर्श फीस	-	-	अधिकर्ता	258,941,963.00
-	सभा, सम्मेलन, प्रकाशन आदि (सामने देखें)	2,512,886.00	-	सर्वेक्षक और बीमा मध्यवर्ती	-
-	ब्याज (टिप्पण 3 देखें)	-	520,000.00	दलाल	2,425,000.00
1,111,270.00	अवक्षयण	2,576,292.00	300,000.00	तीसरा पक्षकार प्रशासक	120,000.00
-	बट्टे खाते डाली गई पूंजी आस्तियां	-	234,561,500.00	बीमा कंपनियां	250,000.00
-	आस्तियों का बट्टे खाते डालने से हानि	6,544.00	717,487.00	नवीकरण फीस	63,665,278.00
229,485.00	शंकास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	37,900.00	420,000.00	बीमा कंपनियां	935,587.00
-	विकास व्यय	100,000,000.00	-	सर्वेक्षक और बीमा मध्यवर्ती	270,000.00
-	प्रोन्नति संबंधी व्यय	131,833,504.00	-	तीसरा पक्षकार प्रशासक	-
40,390.00	अन्य व्यय	961,268.00	-	अन्य	-
336,916,567.87	तुलन-पत्र में ले जाए गए व्यय के ऊपर आय का आधिक्य	80,047,446.43	29,452,612.14	शास्तियां, जुर्माने, आदि	-
				संगोष्ठियों, सम्मेलन और प्रकाशन आदि	2,574,750.00
				निवेशों पर आय-अनुसूचित बैंकों में	43,447,792.48
				निक्षेपों पर ब्याज	-
				निवेशों पर ब्याज	-
				अग्रिमों पर ब्याज	-
			16,578.00	i) गृह निर्माण प्रयोजनों के लिए कर्मचारिवृन्द के सदस्यों को प्रदत्त	147,460.00
			2,562.00	ii) कर्मचारिवृन्द के सदस्यों को अन्य प्रयोजनों के लिए प्रदत्त	39,726.00
			-	iii) अन्य	-
			220,383.00	प्रकीर्ण आय	399,900.00
376,967,803.64		373,217,456.48	376,967,803.64	व्यय का आय से आधिक्य, पीछे ले जाए गए वर्ष के लिए तुलनपत्र में ले जाए गए व्यय के ऊपर आय का आधिक्य	80,047,446.43
	- उद्ग्रहण में कमी पर 2000-01 के लिए प्रतिदाय की जाने वाली फीस	89,351,763.00			9,304,316.57
		89,351,763.00			89,351,763.00

मुख्य लेखा नीतियां और लेखा का भाग बनने वाले टिप्पण - उपाबंध 9

- टिप्पण : 1. नियत आस्तियों से संबंधित सूचना उपाबंध 1 में है।
2. निवेश से संबंधित सूचना उपाबंध 2 में दी गई है।
3. चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों से संबंधित सूचना उपाबंध-3 में दी गई है।
4. बी.वि.वि.प्रा. के ब्योरे उपाबंध 4 में है (निधि के अंतर्गत अधिनियम की धारा 16 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार, अन्य संघटनों, निकायों से प्राप्त अनुदान भी है)

हं.
आर.के. शर्मा
मुख्य लेखा अधिकारी

हं.
एन. रंगाचारी
अध्यक्ष

हं.
आर.सी. शर्मा
सदस्य

हं.
पी.ए. बालासुब्रह्मण्यम
सदस्य



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि लेखा

31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए असंपरीक्षित प्राप्ति और संदाय लेखा

प्ररूप ग

3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003

क्र.सं.	प्राप्तियाँ	राशि (रुपए)	क्र.सं.	प्राप्तियाँ	राशि (रुपए)
1.	आगे लिए गए अतिशेष से		1.	अनुसंधान और परामर्श फीस द्वारा	-
	i) बैंक में नकद	5,558,629.27	2.	संगोष्ठियों सम्मेलनों, प्रकाशन आदि द्वारा	2,512,886.00
	ii) पास में नकद	18,998.00	3.	किराया संदाय द्वारा	10,448,965.00
	iii) पास में चेक	-	4.	विकास व्यय द्वारा	100,000,000.00
	iv) अंतरण में नकद/चेक	-	5.	संवर्धनात्मक व्यय द्वारा [Rs. 130,991,004.00 रुपए घटाएँ Rs.8,267,339.45 रुपए] का बूक ओवर ड्राफ्ट	122,723,664.55
2.	रजिस्ट्रीकरण फीस से		6.	अध्यक्ष और सदस्यों का संदाय द्वारा	
	- बीमा कंपनियों	250,000.00		(i) वेतन और भत्ते	1,943,976.00
	- तीसरा पक्षकार प्रशासन	120,000.00		(ii) अन्य फायदे	195,574.00
	- दलाल	2,425,000.00		(iii) यात्रा व्यय	7,438,713.00
	- बीमा अधिकर्ता	-	7.	स्थापन व्ययों द्वारा	
	- अन्य	-		(i) वेतन और भत्ते	10,772,531.00
3.	रजिस्ट्रीकरण की नवीकरण फीस से			(ii) अन्य फायदे	774,801.00
	- बीमा कंपनियों	87,498,002.90		(iii) यात्रा व्यय	8,579,101.60
	- तीसरा पक्षकार प्रशासक	270,000.00		(iv) सेवानिवृत्ति फायदे	2,624,344.00
	- बीमा सर्वेक्षक	935,587.00	8.	कार्यालय व्ययों द्वारा	14,592,094.45
	- बीमा अधिकर्ता	264,120,876.00	9.	निम्नलिखित पर व्याज द्वारा	
	- अन्य	-		(i) सरकारी ऋण	-
4.	बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों को शास्तियों, जुर्माने से	-		(ii) अन्य ऋण	-
5.	संगोष्ठियों सम्मेलनों, आदि से	2,574,750.00	10.	आस्तियों के क्रय के लिए	9,202,193.00
6.	निवेशों से आय	-	11.	प्रगतिशील पूंजीकार्य के लिए	-
7.	निवेशों के विक्रय से	279,057,121.00	12.	कर्मचारियों और अन्यो को अग्रिमों के लिए	4,544,012.00
8.	अनुदानों से		13.	निवेशों के लिए	284,752,551.00
	i) केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / अन्य	-	14.	सरकारी ऋणों/फीस के प्रति संदाय के लिए (टिप्पण 5 देखें)	89,641,595.00
	ii) उपहार और संदान	-	15.	अन्य ऋणों के प्रति संदाय के लिए	-
9.	ऋणों से	-	16.	अन्य व्ययों के लिए	941,168.00
10.	प्रकाशनों आदि के विक्रय से	-		अग्रणीत अतिशेष	
11.	आस्तियों के विक्रय से	40,00,000		i) बैंक में नकद	4,722,114.57
12.	निम्नलिखित पर प्राप्त व्याज से			ii) पास में नकद	19,870.00
	- निक्षेप	31,516,540.00		iii) पास में चेक	-
	- अग्रिम	-		iv) अंतरण में नकद/चेक	-
	- अन्य	-			
13.	कर्मचारियों से की गई वसूलियों से				
	(क) ऋण और अग्रिम	1,619,363.00			
	(ख) ऋण और अग्रिम पर व्याज	30,256.00			
	(ग) प्रकीर्ण	-			
14.	अन्य प्राप्तियाँ से	395,031.00			
		676,430,154.17			676,430,154.17

हं.
आर.के. शर्मा
मुख्य लेखा अधिकारी

हं.
एन. रंगाचारी
अध्यक्ष

हं.
आर.सी. शर्मा
सदस्य

हं.
पी.ए. बालासुब्रह्मण्यम
सदस्य



उपाबंध - 1

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च, 2003 के यथाविद्यमान तुलन-पत्र से संबंधित और उसका भाग बनने वाली
नियत आस्ति अनुसूची

3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003

विशिष्टियाँ	सकल ब्लाक			अवक्षयण				शुद्ध ब्लाक		
	1.04.2002 को लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियाँ	वर्ष के दौरान किए गए विक्रय और व्ययन	31.03.2003 को	1.04.2002 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2003 तक	31.03.2003 को यथाविद्यमान	31.03.2002 को
भवन परिसर (क) भूमि (ख) भवन	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
आवासीय फ्लैट (क) भूति (ख) भवन	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
यान	194,343.68	480,256.00	97,345.00	577,254.68	87,604.58	105,196.00	50,801.00	141,999.58	435,255.10	106,739.10
उपस्कर	1,419,293.05	1,020,644.00	277,866.00	2,162,071.05	321,536.20	286,302.00	112,089.00	495,749.20	1,666,321.85	1,097,756.85
फर्नीचर और फिक्सचर्स	351,911.95	3,015,232.00	34,960.00	3,332,183.95	151,763.98	547,544.00	9,934.00	689,373.98	2,642,809.97	200,147.97
कम्प्यूटर्स	2,676,564.00	5,257,913.00	-	7,934,477.00	1,247,696.86	1,637,250.00	-	2,884,946.86	5,049,530.14	1,428,867.14
योग	4,642,112.68	9,774,045.00	410,171.00	14,005,986.68	1,808,601.62	2,576,292.00	172,824.00	4,212,069.62	9,793,917.06	2,833,511.06

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च, 2003 को यथा विद्यमान तुलन-पत्र से संलग्न और भाग बनने वाले निवेश

क्र.सं.	विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े रूपए	पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े रूपए
1	अनुसूचित बैंकों में सावधि निक्षेप	579,253,209.78	574,227,907.78

बैंक का नाम	तारीख	राशि की दर	ब्याज	अवधि तारीख	भुगतान की ब्याज	प्राप्त प्रोद्भूत ब्याज
भारतीय ओवरसीज बैंक, नई दिल्ली	03-अक्तू.-02	110,209,779.00	7.50%	179	03-अक्तू.-05	4,160,072.75
	07-दिस.-01	300,000.00	8.25%	479	07-दिस.-04	33,950.06
	26-दिस.-01	50,000,000.00	8.50%	460	26-दिस.-04	5,591,949.45
	27-दिस.-01	44,000,000.00	8.50%	459	27-दिस.-04	4,909,536.22
	01-जन.-02	50,000,000.00	8.50%	454	01-जन.-05	5,514,628.82
	01-जन.-02	50,000.00	8.25%	454	01-जन.-05	5,345.78
	29-दिस.-01	42,357,557.00	8.50%	457	29-दिस.-04	4,704,362.78
	09-जन.-02	326,807.00	8.25%	446	09-जन.-05	34,299.56
	24-जन.-02	325,260.00	8.25%	431	24-जन.-05	32,940.16
			297,569,403.00			
भारतीय ओवरसीज बैंक, हैदराबाद	03-सित.-02	1,000,000.00	7.50%	209	03-सित.-05	43,506.97
	03-सित.-02	1,000,000.00	7.50%	209	03-सित.-05	43,506.97
	03-सित.-02	1,000,000.00	7.50%	209	03-सित.-05	43,506.97
	03-सित.-02	1,000,000.00	7.50%	209	03-सित.-05	43,506.97
	03-सित.-02	1,000,000.00	7.50%	209	03-सित.-05	43,506.97
	17-सित.-02	5,000,000.00	7.50%	195	17-सित.-05	202,611.37
	22-अग.-02	1,000,000.00	7.50%	221	22-अग.-05	46,058.49
	22-अग.-02	1,000,000.00	7.50%	221	22-अग.-05	46,058.49
	22-अग.-02	1,000,000.00	7.50%	221	22-अग.-05	46,058.49
	22-अग.-02	1,000,000.00	7.50%	221	22-अग.-05	46,058.49
	22-अग.-02	1,000,000.00	7.50%	221	22-अग.-05	46,058.49
	14-अग.-02	1,000,000.00	7.50%	229	13-अग.-05	45,845.17
	14-अग.-02	1,000,000.00	7.50%	229	13-अग.-05	45,845.17
	14-अग.-02	1,000,000.00	7.50%	229	13-अग.-05	45,845.17
	14-अग.-02	1,000,000.00	7.50%	229	13-अग.-05	45,845.17
	25-अक्तू.-02	5,000,000.00	7.25%	157	25-अक्तू.-05	157,104.33
	25-अक्तू.-02	1,975,000.00	7.00%	157	24-अक्तू.-03	59,900.83
28-अक्तू.-02	3,000,000.00	6.50%	154	28-अक्तू.-05	82,816.65	
10-दिस.-02	7,500,000.00	6.50%	111	09-दिस.-05	148,702.96	
13-मार्च-03	2,500,000.00	6.25%	18	12-मार्च-04	7,705.48	
15-जन.-03	7,500,000.00			03-अप्रैल-03	63,500.00	
		46,475,000.00				1,353,549.58
एच डी एफ सी बैंक	19-दिस.-02	27,423,608.67	6.25%	102	19-जन.-04	479,842.39
	01-दिस.-02	4,466,291.84	6.25%	120	02-जून-03	92,903.26
	11-दिस.-02	1,674,859.42	6.50%	110	11-जन.-04	32,904.50
	16-दिस.-02	1,116,572.95	6.50%	105	16-जन.-04	20,926.19
	30-दिस.-02	1,116,816.17	6.25%	91	31-जन.-04	17,599.57
	05-दिस.-02	1,102,750.80	6.50%	116	05-जन.-04	22,861.95
	08-दिस.-02	1,102,750.80	6.50%	113	08-जन.-04	22,263.36

3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003

बैंक का नाम	तारीख	राशि की दर	ब्याज	अवधि तारीख	भुगतान की ब्याज	प्राप्त प्रोद्भूत ब्याज
	10-दिस.-02	1,102,750.80	6.50%	111	10-जन.-04	22,063.84
	22-दिस.-02	1,102,750.80	6.25%	99	22-जन.-04	18,911.82
	03-मार्च-03	1,340,974.34	5.75%	28	04-सित.-03	5,703.73
	03-मार्च-03	1,331,232.62	5.75%	28	04-सित.-03	5,872.01
	04-नव.-02	378,076.24	6.75%	147	05-मई-03	10,414.51
	27-अक्तू.-02	10,883,883.19	6.00%	155	28-अप्रैल-03	279,011.18
	09-नव.-02	54,010.90	6.25%	142	10-मई-03	1,320.56
	15-नव.-02	5,793,549.95	6.25%	136	16-मई-03	136,613.60
	29-नव.-02	54,010.92	6.25%	122	30-मई-03	1,142.08
	06-दिस.-02	864,185.75	6.00%	115	07-जून-03	16,389.20
	01-दिस.-02	5,414,555.60	6.25%	120	02-जून-03	111,686.64
	16-दिस.-02	540,116.00	6.00%	105	17-जून-03	9,342.25
	17-दिस.-02	5,414,533.17	6.00%	104	18-जून-03	92,750.62
	21-दिस.-02	324,069.64	6.00%	100	22-जून-03	5,335.05
	28-दिस.-02	54,011.61	7.50%	93	29-जून-03	826.11
	14-जन.-03	432,087.16	6.00%	76	15-जुलाई-03	5,398.13
	17-जन.-03	540,108.95	6.00%	73	18-जुलाई-03	6,481.31
	26-जन.-03	135,027.25	5.75%	64	27-जुलाई-03	1,361.37
	01-फर.-03	5,387,662.98	5.75%	58	02-अग.-03	50,075.74
	08-फर.-03	269,383.13	5.75%	51	09-अग.-03	2,164.29
	10-फर.-03	323,259.75	5.75%	49	11-अग.-03	2,495.30
	16-फर.-03	269,383.13	5.75%	43	17-अग.-03	1,824.79
	20-फर.-03	5,394,250.70	5.75%	39	21-अग.-03	41,639.18
	03-मार्च-03	5,388,089.66	5.75%	28	04-सित.-03	23,766.64
	02-मार्च-03	215,523.61	5.75%	29	03-सित.-03	950.67
	15-मार्च-03	5,381,489.01	5.75%	16	16-सित.-03	13,564.30
	13-मार्च-03	591,964.87	5.75%	18	14-सित.-03	1,678.58
	15-अक्तू.-02	2,081,479.66	6.75%	167	15-अप्रैल-03	65,166.17
	16-अक्तू.-02	624,443.90	6.75%	166	17-अप्रैल-03	19,314.96
	20-अक्तू.-02	5,203,699.15	6.75%	162	20-अप्रैल-03	157,043.22
	30-अक्तू.-02	570,993.22	6.75%	152	01-मई-03	16,158.18
	05-जन.-03	5,253,300.61	6.00%	85	06-जुलाई-03	73,402.28
	07-जन.-03	155,756.84	6.00%	83	08-जुलाई-03	2,125.12
	13-जन.-03	934,541.02	6.00%	77	14-जुलाई-03	11,828.98
	12-सित.-02	550,000.00	7.25%	200	13-सित.-03	22,102.33
		112,358,806.78				1,925,225.98
आईसीआई सीआई बैंक	14-दिस.-02	2,450,000.00	7.00%	107	14-दिस.-05	50,413.21
	20-दिस.-02	3,600,000.00	6.50%	101	21-दिस.-05	64,863.71
	26-दिस.-02	1,500,000.00	6.50%	95	24-दिस.-05	25,398.12
	31-दिस.-02	24,500,000.00	7.00%	90	01-जन.-06	427,656.50
	18-जन.-03	6,500,000.00	6.50%	72	19-जन.-06	83,342.47
	30-जन.-03	7,000,000.00	6.25%	60	31-जन.-06	71,917.81
	19-फर.-03	4,000,000.00	6.25%	40	20-फर.-06	26,712.33
		49,550,000.00				750,304.15
बैंक ऑफ इंडिया	04-अप्रैल-02	5,000,000.00	8.00%	361	04-अप्रैल-05	409,833.90
	05-जुलाई-02	1,000,000.00	7.50%	269	05-जुलाई-03	56,297.93
	05-जुलाई-02	1,000,000.00	7.50%	269	05-जुलाई-03	56,297.93
	05-जुलाई-02	1,000,000.00	7.50%	269	05-जुलाई-03	56,297.93
	14-सित.-02	300,000.00	7.00%	198	14-सित.-03	11,516.40
	25-जुलाई-02	5,000,000.00	8.00%	249	25-जुलाई-03	277,811.42
	31-अक्तू.-02	4,000,000.00	6.50%	151	31-अक्तू.-03	108,250.20



3rd वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2002-2003

क्र.सं.	विशिष्टियां					चालू वर्ष के लिए आंकड़े रुपए	पूर्व वर्ष के लिए आंकड़े रुपए
		राशि की दर	ब्याज	अवधि तारीख	भुगतान की ब्याज	प्राप्त प्रोद्भूत ब्याज	
	27-नव.-02 26-दिस.-02	1,000,000.00 8,000,000.00	6.50% 6.25%	124 95	27-नव.-05 27-दिस.-05	22,175.56 130,242.54	
		26,300,000.00				1,128,723.80	
केनरा बैंक	11-अक्तू.-02 11-अक्तू.-02 15-नव.-02 15-नव.-02 15-नव.-02 18-दिस.-02 30-दिस.-02 15-जन.-03	2,500,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 26,000,000.00	7.75% 7.75% 7.00% 7.00% 7.00% 6.75% 6.75% 6.50%	171 171 136 136 136 103 91 75	11-अक्तू.-05 11-अक्तू.-05 15-नव.-05 15-नव.-05 15-नव.-05 18-दिस.-05 30-दिस.-05 14-जन.-06	91,589.72 91,590.00 52,462.15 39,346.62 39,346.62 114,527.75 85,099.27 347,260.27	
		47,000,000.00				861,222.40	

2. अन्य

- (क) कोट किए गए-लागत और बाजार मूल्य
(ख) कोट नहीं किए गए

शून्य शून्य
शून्य शून्य



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च, 2003 को यथा विद्यमान तुलन-पत्र से संलग्न और भाग बनने वाले
चालू दायित्व, ऋण और अग्रिम

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़ें (₹.)	पूर्व वर्ष के लिए आंकड़ें (₹.)
निक्षेप		
- परिसरों के लिए	525,750.00	22,500.00
- अन्यो के पास-एम टी एन एल	33,760.00	35,340.00
- विद्युत	19,400.00	-
- ईंधन के लिए	4,000.00	-
योग	582,910.00	57,840.00
कर्मचारिवृंद को ऋण और अग्रिम		
- कर्मचारिवृंद को गृह निर्माण ऋण	2,654,400.00	1,209,600.00
- कर्मचारिवृंद को अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण	1,622,057.88	756,092.88
- अन्य अग्रिम - त्योहार	141,283.00	56,261.00
- अन्य - यात्रा के लिए अग्रिम	75,732.00	-
- वसूलनीय ब्याज	176,070.00	-
- अग्रिम अन्य	108,652.00	-
योग	4,778,194.88	2,021,953.88
बीमा कंपनियों और अन्यो से शोध्य राशियां		
- बीमा कंपनियों-[राज्य बीमा कंपनियों से शोध्य राशि उपदर्शित करें]	149,292.00	229,485.00
- अभिकर्ता-[अभिकर्ताओं से पूर्व में प्राप्त ऐसे चैकों की राशि उपदर्शित करें जिनकी अर्वाधि समाप्त हो गई है]	37,900.00	343,813.00
योग	187,192.00	573,298.00
अन्य चालू आस्तियां		
- वसूलनीय व्यय	230.00	425.00
- पूर्वसंदत्त व्यय	236,732.00	346,195.00
- प्रोद्भूत ब्याज, जो शोध्य नहीं है-बैंक निक्षेप	31,006,111.48	19,100,399.00
- प्रोद्भूत ब्याज, जो शोध्य नहीं है-कर्मचारियों के ऋण	-	19,140.00
- पूंजी खातों पर अग्रिम-[साफ्टवेयर के विकास के लिए]	525,000.00	565,800.00
- मैसर्स टेरिफ सलाहकार समिति को अग्रिम	178,067.00	-
योग	31,946,140.48	20,031,959.00
नकद और बैंक अतिशेष		
- पास में नकदी	19,870.00	18,998.00
- पास में चैक	-	-
- अभिवहन में नकद/चैक	-	-
- अनुसूचित बैंकों में अतिशेष		
(क) चालू खाते में	4,722,114.57	5,558,629.27
(ख) निक्षेप खाते में	-	-
योग	4,741,984.57	5,577,627.27
- गैर-अनुसूचित बैंकों में अतिशेष		
(क) चालू खाते में	-	-
(ख) निक्षेप खाते में	-	-
योग	-	-

उपाबंध - IV

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च 2003 को तुलन-पत्र जुड़े और भाग बनने वाले
आकस्मिक दायित्व

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पिछले वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
भारत सरकार से अनुदान	-	-

उपाबंध - V

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
31 मार्च, 2003 को यथा विद्यमान तुलन-पत्र से संलग्न और उसका भाग बनने वाले
आकस्मिक दायित्व

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पिछले वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
	-	-

उपाबंध - VI

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा से संबंधित और उसका भाग बनने वाले
कर्मचारियों को संदाय और उसके लिए प्रावधान

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)	पिछले वर्ष के लिए आंकड़े (रु.)
i) वेतन, भत्ते, मजदूरी और लाभांश	10,906,438.00	4,833,336.00
ii) लाभांश	-	-
iii) भविष्य निधि में अभिदाय, आदि [इसके अंतर्गत अधिवर्षिता निधि को 1,673,413.00 रुपए का अभिदाय भी है]	2,805,280.00	298,737.00
iv) उपदान	267,070.00	210,148.00
v) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	240,460.00	142,197.00
vi) अन्य		
- पुस्तक अनुदान	-	-
- छुट्टी यात्रा रियायत	113,710.00	14,045.00
- बीमा	-	-
- कैंटीन व्यय	-	-
- धनीय पुरस्कार - अध्ययन	-	-
- समूह बीमा स्कीम में अभिदाय	66,555.00	21,770.00
- कर्मचारिवृंद द्वारा उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति	366,720.00	169,426.00
- छुट्टी वेतन	549,877.00	346,560.00
योग	15,316,110.00	6,036,219.00

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा से
संबंधित और उसका भाग बनने वाले स्थापन व्यय

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़ें (₹.)	पूर्व वर्ष के लिए आंकड़ें (₹.)
भवनों और परिसरों की मरम्मत और अनुरक्षण	1,691,225.00	2,267,704.00
उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	1,280,620.00	825,542.00
उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	-	-
मरम्मत और अनुरक्षण-अन्य	179,319.00	23,075.00
विद्युत (एल आई सी को संदेय)	687,314.00	803,258.00
बीमा-वाहन	81,030.00	15,300.00
दर और कर	-	-
मुद्रण और लेखन सामग्री	1,642,539.00	690,481.00
पुस्तकें/पत्रिकाएं आदि	99,644.00	37,076.00
डाक व्यय/ टैलिग्राम, टेलिफोन आदि	1,755,004.45	1,210,860.27
यात्रा और सवारी अंतरदेशीय	8,354,827.60	4,945,309.00
यात्रा-विदेश	6,594,150.00	5,367,184.00
विधिक और वृत्तिक प्रभार	3,797,364.00	1,440,279.00
शिक्षा/प्रशिक्षण/अनुसंधान और विकास/शिकायत समाधान व्यय	-	-
लेखा परीक्षा फीस	89,450.00	99,520.00
साफ्टवेयर	-	-
प्रचार और विज्ञापन	1,295,406.00	2,062,541.00
भर्ती	-	-
प्राधिकरण और सलाहकार समिति की बैठकों के व्यय तथा समिति के सदस्यों को संदत्त दैनिक भत्तों सहित बैठक के अन्य व्यय	880,528.00	195,685.00
सदस्यता और अभिदाय	1,069,338.00	415,835.50
सुरक्षा सेवाएं	381,790.00	225,879.00
वेब पोर्टल विकास व्यय	509,508.00	564,300.00
कैंटीन व्यय	320,825.00	143,523.00
कार मरम्मत और अनुरक्षण व्यय	91,916.00	52,560.00
अन्य व्यय	301,840.00	188,934.00
योग	31,103,638.05	21,574,845.77

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि
31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा से
संबंधित और उसका भाग बनने वाला ब्याज

विशिष्टियां	चालू वर्ष के लिए आंकड़ें (₹.)	पूर्व वर्ष के लिए आंकड़ें (₹.)
सरकारी	-	-
बैंक	-	-
अन्य	-	-
योग	-	-

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि लेखा

वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

[जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, सभी रकमों रूप में हैं]

1. पृष्ठभूमि :

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसका गठन 19 अप्रैल, 2000 को भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके किया गया था। प्राधिकरण को बीमा पालिसियों के धारकों के हितों का संरक्षण करने के विचार से बीमा उद्योग, और उससे जुड़े या आनुषंगिक मामलों के विनियामक, संवर्धन करने और उनके सुचारू विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। प्राधिकरण में, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (अधिनियम) की धारा 13 के निबंधनों में नियत तारीख, अर्थात् 19 अप्रैल, 2000 को अंतरिक बीमा विनियामक प्राधिकरण के पास यथा उपलब्ध आस्तियों और दायित्वों को निहित किया गया था। अधिनियम की धारा 16 के निबंधनों में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि (निधि) नामक एक विधि का गठन किया जाएगा। सभी सरकारी अनुदानों, प्राधिकरण को प्राप्त फीसों और प्रभारों द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जिनका केन्द्रीय सरकार विनिश्चय करे, प्राप्त सभी राशियों और बीमाकर्ताओं से प्राप्त विहित प्रीमियम आय के प्रतिशत को इस निधि में रखा जाएगा। इस निधि का उपयोजन प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिकों के संदाय और प्राधिकरण के इसके कृत्यों के निर्वहन और अधिनियम के प्रयोजनों से जुड़े व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार :

वित्तीय विवरणों को, इसमें नीचे स्पष्ट किए गए, नकद आधार पर अभिसमय मान्यता को छोड़कर लेखा के प्रोद्भूत आधार पर ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण लेखा नीतियां निम्नानुसार हैं :

(क) नियम आस्तियां और अवमूल्यन

नियम आस्तियों का कथन लागत रहित एकत्रित अवमूल्यन पर किया जाता है। नियत आस्तियों पर अवमूल्यन को कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर अवधारित दरों का उपयोग करते हुए, कम होते बकाया की पद्धति पर, उपयोग की अवधि के यथानुपात उपबंधित किया जाता है। 5,000 रूपए से कम लागत वाली आस्तियों का, क्रय के वर्ष में 100% अवमूल्यन तब किया जाता है, जबकि वह अपने ब्लॉक के 10% प्रतिशत से अधिक न हो, उस दशा में उनका अवमूल्यन उक्त अनुसूची 14 में विनिर्दिष्ट दरों में किया जाता है।

(ख) निवेश

बैंकों में सावधि-निक्षेपों की प्रकृति के निवेशों का कथन लागत पर किया जाता है।

(ग) राजस्व

(i) रजिस्ट्रीकरण फीस

(क) बीमा कंपनी के रूप में पहली बार रजिस्ट्रीकरण कराने वाली कंपनियों से प्राप्त रजिस्ट्रीकरण फीस को प्राप्ति के वर्ष की आय समझा जाता है :

(ख) विद्यमान बीमाकर्ताओं से, पहले से मंजूर रजिस्ट्रीकरणों के नवीकरण के लिए अग्रिम रूप से प्राप्त फीस को उस वर्ष की आय समझा जाता है, जिससे वह संबंधित है।



(ii) अनुज्ञप्ति फीस :

बीमा अभिकर्ताओं, सर्वेक्षकों और अन्य बीमा मध्यवर्तियों से प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस को प्राप्ति के वर्ष की आय समझा जाता है। अभिकर्ता, सर्वेक्षण और टीपीए अनुज्ञप्तियां उनके जारी होने की तारीख से उन वर्षों के लिए चालू होती हैं और समाप्ति पर नवीकरण के अध्यक्षीन होती हैं। अनुज्ञप्ति फीसों को उन वर्षों में वितरित करना जिनसे वे संबंधित हैं, व्यावहार्य नहीं हैं।

(iii) प्रारंभिक अनुदान को, इसकी प्राप्ति के वर्ग की आय के रूप में माना गया है।

(घ) विदेशी मुद्रा व्यवहार :

गैर धनीय विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहारों की तारीख को विद्यमान विनियम दरों पर लेखबद्ध किया जाता है। घनीय विदेशी मुद्रा आस्तियों और दायित्वों को तुलन-पत्र की तारीख को विद्यमान विनियम दरों पर रूप में परिवर्तित किया जाता है। नियत आस्तियों के उपार्जन से संबंधित विदेशी मुद्रा दायित्वों के परिवर्तन के अंतरों को नियत आस्तियों के ले जाए जाने वाले मूल्य में समायोजित किया जाता है। अन्य परिवर्तन अंतरों को आय और व्यय लेखा में दर्शित किया जाता है।

(ङ) वेब पोर्टल विकास और अनुरक्षण :

वेब पोर्टल के विकास और अनुरक्षण पर उपगत व्ययों को, उपगत होने वाले वर्ष के आय और व्यय लेखा को प्रमाणित किया जाता है।

(च) सेवानिवृत्ति फायदे :

कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति फायदों के अंतर्गत भविष्य निधि में अभिदाय, उपदान और छुट्टी नकदीकरण है, जिन्हें अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन उपलब्ध कराया जाता है।

छुट्टी नकदीकरण को नहीं ली गई संपूर्ण छुट्टियों के अतिशेष पर वर्तमान नकदीकरणीय वेतन पर उपलब्ध कराया जाता है।

प्राधिकरण ने वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए बी.वि.वि.प्रा. कर्मचारी भविष्य निधि न्यास का गठन किया है। इसकी स्थापना में लगने वाले समय के दौरान प्राधिकरण और कर्मचारियों के अभिदायों को उद्घुष्ट किया गया है और अनुसूचित बैंकों के सावधि-निक्षेप में जमा किया गया है।

उपदान के लिए दायित्व को, प्राधिकरण द्वारा बनाई गई उपदान स्कीम के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवधारित किया जाता है।

3. आयकर

प्राधिकरण की आय को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23खखड) के अधीन छूट प्राप्त होने के कारण आय-कर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है।

4. कर्मचारी भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि

प्राधिकरण ने अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए वर्ष के दौरान 19 अप्रैल 2000 से “बी.वि.वि.प्रा. कर्मचारी भविष्य निधि” और “बी.वि.वि.प्रा. अधिवर्षिता निधि” नामक दो न्यासों का गठन किया। प्राधिकरण और कर्मचारियों



द्वारा भविष्य निधि में अभिदाय को, इसके अंतर्गत 12 प्रतिशत की बढ़ी दर पर (1, 75, 092) अन्तर वाली राशि भी है, सकल अभिदाय को अन्य बातों के साथ-साथ, जिन्हें सावधनिक्षेपों के रूप में उद्घुष्ट किया गया है, न्यास में जमा करा दी गई है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने 19 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च 2003 (इसके अंतर्गत 19 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2002 की अवधि के लिए 642,279 दी है) की अवधि के लिए 1,673,413 रु० की राशि अधिवर्षिता दायित्व के लिए अभिदत्त की है।

5. रजिस्ट्रीकरण/ नवीकरण फीस

(क) प्राधिकरण के बीमाकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए उद्गृहीत की जाने वाली फीस को 1 अप्रैल, 2001 से भूतलक्षी प्रभाव से, सकल प्रीमियम के 0.2% से घटाकर सकल प्रीमियम का 0.1% किए जाने वाले वर्ष की आय को तदानुसार लेखे में लिया गया है साथ ही 89,351,763 रु० की राशि को, जिसे वर्ष 2001-02 की आय के रूप में दर्शित किया गया था, अब वर्ष के लिए आय का व्यय के ऊपर आधिक्य से कटौती के रूप में दर्शित किया गया है और परिणामिक अधिक व्यय को तुलन-पत्र में अग्रणीत किया गया है।

(ख) सकल बीमा प्रीमियम की जानकारी उपलब्ध न होने के कारण राज्य बीमा अभिकरणों से नवीकरण फीसों को लेखा में नहीं लिया गया है।

(ग) अभिकर्तावार लाइसेंस फीस का लेखा न होने के कारण 135,850 रु० की वसूलनीय अनुज्ञप्ति फीस (वर्ष के दौरान जारी अनुज्ञप्तियों के आधार पर) से अधिक निक्षेप की गई राशि को अनुज्ञप्ति फीस आय माना गया है।

6. प्राधिकरण की निधियों का भारत के लोक-लेखा में निक्षेप किया जाना

प्राधिकरण को वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग से तारीख 17 जुलाई, 2002 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें प्राधिकरण को, प्राधिकरण द्वारा अभी तक एकत्रित किए गए धनों को भारत के लोक लेखा में ब्याज प्रोद्भूत न करने वाले खाते में रखने का निर्देश दिया गया था, जिसमें से अपने व्ययों की पूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष के आरंभ पर एक विनिर्दिष्ट राशि निकालने की अनुमति दी गई थी। प्राधिकरण, जिसका विचार यह है कि उसके द्वारा बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों से प्राप्त की गई निधियां, राजस्व प्रकृति की नहीं हैं और इसलिए भारत लोक निधि का भाग नहीं बन सकतीं, प्राप्त की गई विधिक डाटा के आधार पर प्राप्त निदेशों के पुनर्विलोकन की मांग कर रहा है, प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई इस विषय पर भारत सरकार से बातचीत की है।

7. प्राधिकरण का मुख्यालय

प्राधिकरण ने भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 2001 में लिए गए प्राधिकरण के मुख्यालय को नई दिल्ली से हैदराबाद अंतरित करने के विनिश्चय के अनुसरण में अप्रैल 2002 में अपने बीमांकिक विभाग को तथा अन्य विभागों को अगस्त 2002 में अंतरित कर लिया था। प्राधिकरण का कार्यालय परिश्रम भवन, में अवस्थित है, जहां इसे तीसरे तल का एक भाग आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा निःशुल्क दिया गया है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्राधिकरण को नानकरामगुड़ा गांव, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, आर.आर. जिला में 5 एकड़ का एक प्लॉट निःशुल्क आर्बिट्रित किया है, जिसे अभी अधिभोग में लिया जाना है।

8. संवर्धनात्मक व्यय

सरकार ने सरकारी मीडिया के माध्यम से 120, 115, 000 रु० की लागत से बीमा जागरुकता, शिक्षा और साधारण विकास के संवर्धन के लिए एक विशेष अभियान चलाया था।



9. बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान को अंशदान

प्राधिकरण ने बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान को स्थापित करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किए हैं जो संस्थान के लिए भूमि के प्रावधान द्वारा प्रत्यय अंशदान सहित आंध्र प्रदेश सरकार के साथ बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान पर अनुसंधान।

संस्थान प्राधिकरण के एक अनुसंधान के रूप में कार्य करेगा। वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने सेमिनारों आदि को संचालित करने के लिए आवर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए 10,000,000 रुपए की राशि का अंशदान किया और जिसमें संवर्धनात्मक व्यय भी सम्मिलित है। प्राधिकरण ने नवम्बर 2002 में, 100,000,000 रुपए का अंशदान किया जिसमें 80,000,000 रुपए दान के रूप में दिए और शेष संस्थान को परिसरों को भवन और अवसंरचना के विनिर्माण और विकास व्यय के रूप में प्रमाणित करने के लिए दिया गया। चूंकि पक्षकारों और न्यासियों के बीच दान विलेख पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

10. प्रचालित पट्टा

यहां कोई भी अनिर्स्त पट्टा ठहराव नहीं हुआ है। पट्टे का संदाय, पट्टा करार के अनुसार किया जाता है। प्राधिकरण ने हैदराबाद में किरायामुक्त परिसरों का अधिभोग किया है किन्तु परिसर को खाली करने पर आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा जहां है जैसा है के आधार पर सौंपा है और व्यय लेखा में अन्य परिसरों के संबंध में पट्टा संदाय 6,837,332 (पूर्व वर्ष 8,673,118) रुपए है।

11. सॉफ्टवेयर विकास के लिए अग्रिम

प्राधिकरण ने वर्ष 2001 के दौरान कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के विकास के लिए 525,000 रु० की राशि का संदाय किया जो करार की गई, 1,750,000 रु० की राशि का 30% था। बीमाकर्ताओं की मानिट्रिंग के लिए एक अनुकूल कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के सम्पूर्ण विकास के लम्बित रहते हुए उपरोक्त अग्रिम को न तो समायोजित किया गया था और न ही वर्ष के दौरान कोई और प्रावधान किया गया था।

12. पूर्व वर्ष से तुलना

पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, उन्हें चालू वर्ष से तुलनीय बनाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः समीहित किया गया है।